सप्तम माला खंड 1 अंक 1

गुरूवार 24 दिसंबर 1981

3 पौष 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 24, गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1981/3 पौष, 1903 (श

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 481 से 484, 487 और 488	...	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 479, 480, 485, 486 और 489 से 502	...	19—191
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5372 से 5605, 5605 क और 5605 ख		
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	191—204
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति कार्यवाही-सारांश	...	—204
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश	...	—205
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही-सारांश	...	—205
लोक लेखा समिति	...	—205
की गई कार्यवाही तथा सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन	...	—206
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण	...	206—207
राज्य सभा से संदेश	...	—207
विधेयक पर अनुमति	...	—207

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति	
नवां प्रतिवेदन ...	—208
याचिका समिति	
सी ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश ...	—208
लोक लेखा समिति	
सड़सठवां तथा अड़सठवां प्रतिवेदन ...	—208
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अट्ठाईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश ...	208—209
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	
दसवां प्रतिवेदन ...	—209
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन ...	—209
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ...	209—216
पटना-हाजीपुर गंगा पुल को पूरा करने में विलम्ब	
श्री हरिकेश बहादुर ...	209—211
श्री बूटासिंह ...	209—216
श्री हीरालाल आर० परमार ...	—212
श्री राम विलास पासवान ...	212—216
श्री मंगल राम प्रेमी ...	215—216
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ...	—216
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के बारे में याचिका ...	—217
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ...	—217
नियम 377 के अधीन मामले ...	217—226
(एक) बालासौर जलासौर-खड़गपुर राज्य के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सहायता	
श्री चिन्तामणि जेना ...	217—218
(दो) कोचीन पत्तन के कर्मचारियों का पंजीकरण करने तथा उन्हें काम में लगाने के लिए कदम	
श्री एम० एम० लारेंस ...	218—219
(तीन) हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता	

विषय	पृष्ठ
प्रो० नारायण चन्द पराशर ...	—219
(चार) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए हरिजनों और कमजोर वर्गों का कथित शोषण	
श्री रामलाल राही ...	219—220
(पांच) गुजरात के भावनगर सैक्शन पर रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	
श्री मोहन लाल पटेल ...	—220
(छः) बम्बई पत्तन न्यास में चोरी की कथित घटनायें	
श्री आर० आर० भोले ...	220—221
(सात) कानपुर के निकट गंगा नदी के पानी का कथित प्रदूषण	
श्री आरिफ मोहम्मद खां ...	—221
(आठ) बिहार शरीफ के पीड़ितों के लिए आश्रय की व्यवस्था	
श्री रामावतार शास्त्री ...	221—222
(नौ) छोटे पैमाने की इकाइयों द्वारा उत्पादित कतिपय औषधियों पर मिलने वाली सीमा शुल्क से आंशिक छूट को समाप्त करने वाली हाल की अधिसूचना को वापस लेने की आवश्यकता	
प्रो० के० के० तिवारी ...	222—223
(दस) डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन	
श्री पी० राजगोपाल नायडू ...	223—224
(ग्यारह) बुरहानपुर के रोशन साइजिंग मिल्स तथा अन्य मिलों को कोयले की सप्लाई में की गई कथित कमी	
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ...	—224
(बारह) दिल्ली दूरदर्शन पर महर्षि बाल्मीकि के विरुद्ध कही गई कथित अपमानजनक बातें	
श्री सूरज भान ...	—224
(तेरह) बिहार में डेरी विकास कार्यक्रम के लिए धन का दिया जाना	
प्रो० अजित कुमार मेहता ...	—225
(चौदह) तमिलनाडु के एक मंदिर में सत्यापन अधिकारी की हत्या की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता	
श्री सी० टी० दण्डपाणि ...	—225
(पन्द्रह) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रेल यात्रा	

विषय		पृष्ठ
श्री जितेन्द्र प्रसाद	...	—226
बागान श्रम (संशोधन) विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव—	...	**226—240**
श्री के० ए० राजन	...	226—228
श्री चित्त बसु	...	228—233
श्री मूल चन्द डागा	...	233—236
श्री राम प्यारे पनिका	...	236—238
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	...	238—240
खण्ड 2 से 14 और 1 पास करने का प्रस्ताव	...	**240—257**
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा	...	240—257
श्री रामावतार शास्त्री	...	254—255
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	255—256
श्री सुबोध सेन	...	—256
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक		
विचार करने का प्रस्ताव	...	**257—263**
श्री प्रणब मुकर्जी	...	257—259
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	...	259—261
खण्ड 2 से 4 और 1 पास करने का प्रस्ताव	...	**263—264**
श्री प्रणव मुखर्जी	...	263—264
श्री रामावतार शास्त्री	...	263—264
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
चौतीसवां प्रतिवेदन	...	**264—265**
विधेयक पुरःस्थापित	...	**265—269**
(1) राजदूतावास, वाणिज्यिक तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरण कर्मचारी (सेवा शर्तें) विधेयक		
डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी	...	—265
(2) छोटा परिवार (अभिवृद्धि तथा, अभिप्रेरण) विधेयक		
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	...	265—266
(3) पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सैक्टर सेवाओं में (समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए) पदों का आरक्षण विधेयक		

विषय		पृष्ठ
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	...	—266
(4) राजनीतिक दल (वित्तीय सहायता) विधेयक		
श्री बाला साहिब विखे पाटिल		
(5) मजदूरी (असमानता को दूर करना) विधेयक	...	—266
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	...	—267
(6) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (युवा-नियोजन) विधेयक		
श्री रामस्वरूप राम	...	—267
(7) मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक		
प्रो० मधु दंडवते	...	—267
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुछेद 37 आदि का संशोधन)		
प्रो० मधु दंडवते	...	—268
(9) संविधान (संशोधन) (विधेयक अनुच्छेद 16 का संशोधन)		
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	...	—268
(10) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन)		
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	...	—268
(11) छावनी (संशोधन) विधेयक (धारा 15 आदि का संशोधन)		
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	...	—269
संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक		
(धारा 3, 6 ख आदि का संशोधन)		
विचार करने का प्रस्ताव	...	**269—301**
श्री मनोरंजन भक्त	...	270—275
श्री भेरावदन के० गधावी	...	275—278
श्री सुनील मैत्रा	...	278—279
श्री जैनुल बशर	...	279—281
श्री एडुओर्डो फैलीरो	...	282—284
श्री भीम सिंह	...	284—286
श्री जमीलुर्रहमान	...	286—289

विषय		पृष्ठ
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	...	290—292
श्री दिगम्बर सिंह	...	292—296
श्री दिलीप सिंह भुरिया	...	296—297
श्री रामनाथ दुबे	...	298—299
श्री एस० मुरुगैयन	...	299—300
श्री नन्दी वैल्लैया	...	300—301
राज्य सभा से संदेश	...	**301—302**
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	**302—388**
उत्तर प्रदेश के देवली गांव में हरिजनों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा		
श्री सूरज भान	...	302—308
श्री आरिफ मोहम्मद खां	...	308—314
श्री झारखण्डे राय	...	314—318
श्री अरविन्द नेताम	...	318—321
श्री रणवीर सिंह	...	321—325
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	...	325—329
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	...	329—331
श्री सुन्दर सिंह	...	331—334
श्री डी० पी० यादव	...	335—337
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा	...	337—342
श्री राम प्यारे पनिका	...	342—345
श्री जगजीवन राम	...	346—351
श्री चन्द्रपाल शैलानी	...	352—355
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	355—360
श्री महावीर प्रसाद	...	360—362
श्री राम स्वरूप राम	...	362—365
श्री आर० एन० राकेश	...	365—370
श्री ए० के० राय	...	370—373
श्री हीरालाल आर० परमार	...	373—375
श्री छांगुर राम	...	375—378
श्री जैल सिंह	...	378—387
सदस्यों की गिरफ्तारी और रिहाई (सर्वश्री टी० एस० नेगी, राम लाल राही, चौधरी मुलतान सिंह और श्री जयपाल सिंह कश्यप)	...	**388—389**

लोक सभा

गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1981/3 पौष, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज तो उधर का खाना सारा खाली है। ···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : क्रिकेट, क्रिकेट।

श्री मनीराम बागड़ी : सब क्रिकेट खेलने गए दिखाई पड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : टेलीविजन देखने ···व्यवधान···

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : सभा ने आपके नेतृत्व में क्रिकेट मैच में राज्य सभा पर हमारी विजय की सराहना नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनूं?

श्री मनीराम बागड़ी : हमें कुछ खिलाइए पिलाइए तो हम करें। आप कुछ खिलाते पिलाते तो हैं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : रिश्वत दे कर हम थोड़े ही काम करवाते हैं।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : सदस्यगण, मैं सभा को हमारे तीन भूतपूर्व सहयोगियों अर्थात श्री गोकुल लाल आसवा, प्रो० महानाथ श्यामसुन्दर दास और श्री वीरवल सिंह के दुखद निधन की सूचना देता हूं।

श्री गोकुल नाथ आसवा 1948-50 के दौरान राजस्थान से संविधान सदस्य रहे।

एक प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन शुरू करने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1947-48 में तत्कालीन शाहपुर रियासत के प्रधान मंत्री थे और बाद में 1948-49 के दौरान वे संयुक्त राज्य राजस्थान के मंत्री रहे।

19 नवम्बर, 1981 को 79 वर्ष की आयु में जयपुर में उनका निधन हुआ।

प्रो० महानाथ श्यामसुन्दर दास बिहार की सीतामढ़ी चुनाव क्षेत्र से 1977-79 दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1969-72 के दौरान वे विहार विधान सभा के सदस्य रहे।

वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक अध्यापक, किसान, राजनैतिक कार्यकर्त्ता तथा धार्मिक मशीनरी थे।

सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने शिक्षा के विकास में विशेष रूचि ली और एक स्कूल, एक हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थापना की और मुज्जफरनगर जिले के तीन डिग्री कालेज के सह-संस्थापक थे और उनकी प्रबन्ध/सारणी समितियों से सम्बद्ध थे।

14 दिसम्बर 1981 को 49 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में उनका निधन हुआ।

श्री बीरबल सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर चुनाव क्षेत्र से 1952-62 के दौरान पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1937-52 के दौरान वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् तथा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन शुरू किया और बाद में 1941 के बाद कई वर्षों तक काशी विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे।

एक कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। उन्होंने शिक्षा के विकास तथा सामाजिक उत्थान में बहुत रूचि ली। वे कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

14 दिसम्बर, 1981 को 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनका निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेजने में मेरे साथ है।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, 26 आदिवासी बच्चे बरामद किए गए हैं। यह कोई मामूली सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको हमने इत्तला दे दी है। आप बाद में किसी और ढंग से इस सवाल को उठा लेते। यह सार्वजनिक मामला है। हाउस के सारे लोग इन मामलों में चिन्तित होते हैं। वैसे पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, उनको पकड़ लिया है। अगर वे कोई अच्छा काम करें तो उन्हें धमकी भी दी जानी चाहिए। आपको, हमको और गवर्नमेन्ट को मिलकर यह काम करना है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप गवर्नमेन्ट से कहें कि वे इसके बारे में कोई बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में देख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न लिये जाएंगे। श्री गंगाधर कुचन···अनुपस्थित। फिर श्री काजी सलीम···वे भी अनुपस्थित हैं। श्री राकेश।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आज जो उपस्थित हैं, उन्हें कुछ विशेष लाभ मिलना चाहिये।

सांप के काटे के विरुद्ध अभियान

481. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री मोहन लाल पटेल } : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान "सांप के काटे" के विरुद्ध अभियान के बारे में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इस सम्बन्ध में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के प्रयास मुख्य रूप से इस बात पर केन्द्रित हैं कि सर्प के काटे गये रोगियों के इलाज के काम में लगी विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं को सर्प के विष का एंटी-सीरम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली तथा हैफकिन बायो-मेडिकल फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन बम्बई के जरिये उपलब्ध कराया जाये । केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि सीरम के मिलने में कठिनाइयां आ रही हैं । 12 से 14 नवम्बर, 1981 तक नई दिल्ली में उत्तर पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन सांप के काटे के उपचार के बारे में एक अन्तर-देशीय बैठक हुई थी । उसकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह जो जंगलों में सांप होते हैं उन्हीं का इसमें जिक्र है या आस्तीन के सांपों का भी जिक्र है ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष जी, सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं । देश के प्रत्येक भाग में थोड़ी बहुत मात्रा में सांप मिलते हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के ऐसे वे कौन से भाग हैं, जो सांप-बाइटिंग···(**व्यवधान**)···पोलिटिकल सांप की बात नहीं कर रहा हूं, पोलिटिकल सांप दो तरह के होते हैं, एक तो डंक मारते हैं और दूसरे काटते हैं··· (**व्यवधान**)···मेरा सवाल यह है कि देश के कौन-कौन से वे भाग हैं, जो सांप बाइटिंग से विशेष इफैक्टिव हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे विचार में प्रश्न राजनैतिक सांपों से सम्बन्धित नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : आप समझते हैं कि उस दृश्य में आप एक अच्छा उत्तर दे सकेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : हमने राजनैतिक सांपों के जहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं किया है—जैसे कि मेरे सहयोगी यहां कहते हैं, यह केवल चुनाव के दौरान ही है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : बिना सांप के भी राजनैतिक जहर विद्यमान है ।

श्री बी० शंकरानन्द : ये राजनैतिक सांप है । अभी तक देश के अंदर सांपों अथवा उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है·····

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वह इतना संकोच क्यों अनुभव कर रहे हैं ? क्या मैं पूछ सकता हूं ?

श्री बी० शंकरानन्द : उत्तर इतना स्पष्ट है ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : ·····मेरी उपस्थिति में ।

श्री बी० शंकरानन्द : चूंकि सांप के काटने से होने वाली मौतों को अभी घातक बीमारी घोषित नहीं किया गया है। अतः, हमारे पास इस समय कोई भी विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं जिसके बिना मैं कह नहीं सकता कि देश के किस भाग में अधिक मृत्यु होती है क्योंकि सांप के काटने से होने वाली मृत्यु की रिपोर्ट केवल अस्पतालों से ही मिलती हैं। सभा यह जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने से हुई मौतों की लोग अस्पतालों में रिपोर्टें दर्ज नहीं कराते। लेकिन जितने के बारे में रिपोट दर्ज हुई हैं। उनके बारे में यह कह सकता हूं। 1975-76 में सांपों के काटने से अस्पतालों में हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अधिक मौतें हुई हैं।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश की जितनी दवाइयां, जो यू० के० को गई थीं, वे सब वापिस कर दी गई हैं, रद्द करके। केवल दिल्ली को छोड़कर, हिन्दुस्तान के किसी भी हास्पिटल में सही दवाइयां नहीं मिल रही हैं, नकली दवाइयां हैं, कसाई खाने बन गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव के उन इलाकों में जहां सांप के काटने पर केवल लोग झाड़-फूंक पर निर्भर करते हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, क्या वहां कृपा करके दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शंकरानन्द : मैं सांप द्वारा काटने के लिये दवाइयों की उपलब्धता सम्बन्धी मूल प्रश्न का ही उत्तर दे सकता हूं। इस एंटी-सीरम को सी० आर० आई० कसौली तथा हाफकिन संस्थान बम्बई में बनाया जाता है। 1978-79 के दौरान 10 सी० सी० के 30,991 एम्पुल्ज मांग पर तैयार किये गये। 1979-80 के दौरान मांग कम थी और 10 सी० सी० के 26,500 एम्पुलज की सप्लाई की गई। प्रश्न इस दवाई की सप्लाई के बारे में है। इस दवाई की सप्लाई में कोई भी कमी नहीं है। मैं यह कह सकता हूं।

श्री मोहन लाल पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बतलाया है कि उनके पास सारे देश में सांप-काटे की घटनाओं की फिगर्स नहीं हैं। आजकल देश में सांप-काटे की घटनायें काफी होती हैं और ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी की वजह से अनेक मृत्यु हो जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं—क्या मंत्री महोदय के पास ऐसी शिकायतें आई हैं, यदि आई हैं तो उसके बारे में उन्होंने क्या कदम उठाने चाहे हैं ?

यह जानना भा जरूरी है कि देश में स्नेक-बाइट के कितने केसेज होते हैं तो उनमें कितनी मृत्यु होती हैं—इस जानकारी को हासिल करने के लिये मत्री जी क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री बी० शंकरानंद : हमें दवाई की कमी के कारण सांप के काटने से हुई मौतों के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मनीराम बागड़ी : जिस तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर भारत में मलेरिया का नाश करने के लिये, चेचक का नाश करने के लिये, देशव्यापी आन्दोलन चला कर उनके खिलाफ जिहाद किया, उसी तरीके से जो गांवों, खेतों और जंगलों में लोग सांप के काटने से मर जाते हैं तथा अभी तक रूढ़िवादी ऐसी प्रथा चलती है कि लोग मन्त्र-तन्त्र या झाड़-फूंक का सहारा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने से बचाने के लिये क्या सरकार इस किस्म का कोई संगठन शुरू करना चाहती है जिससे देश में सांप के काटने से मृत्यु न हो तथा इस किस्म का प्रचार करके गांव स्तर तक दवाइयां उपलब्ध कराई जायं ताकि वहीं पर उनका इलाज हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : आपके लिये कुछ नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : यह एक सुझाव है ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अनुसार, उन्हें छोटी-छोटी बातों के बारे में सूचना नहीं मांगनी चाहिये । वे पत्र लिखकर सूचना मांग सकते थे और यह सूचना अतारांकित प्रश्न द्वारा भी मिल सकती थी। क्या संसद से इस प्रकार की सूचना मांगी जानी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अपनी इच्छा से उत्तर देने दीजिये ।

विश्व बैडमिन्टन चैम्पियन प्रकाश पदुकोन

*482. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैडमिन्टन चैम्पियन प्रकाश पदुकोन ने सदा के लिए भारत छोड़ दिया है और डेनमार्क चला गया है;

(ख) क्या अवकाश बढ़ाये जाने से इनकार किए जाने के कारण उसने यह कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका अवकाश न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री पादुकोन का ही भविष्य नहीं अपितु देश के खिलाड़ियों का ही भविष्य खतरे में है । सभी राष्ट्रीय दैनिक पत्रों में समाचार छपा है कि श्री पादुकोन, जिसने विश्व कप जीता है, एक इनागुरल विश्व कप चैम्पियन बन गये हैं । विश्व कप चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें विदेशों में बैडमिंटन पर विशेष ध्यान देने के लिये अवकाश लेने में बहुत कठिनाई हो रही है । विशेषकर बाहर के देश इस बात को अनुभव करते हैं कि उच्च स्तरीय खेल पूर्णकालिक कार्य है । अतः सरकार को इस हेतु प्रोत्साहन देना चाहिये । यहां एक विश्व चैंपियन हैं जिन्हें छुट्टी लेने में कठिनाई हो रही है । उच्च स्तर के सभी विश्व कप खिलाड़ियों को आर्थिक चिन्ता से मुक्त किया जाना चाहिये । अतः यह प्रश्न पूछा गया है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि श्री पादुकोन को किस प्रकार का इनाम दिया गया है और उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है और क्या श्री पादुकोन को बैडमिंटन पर विशेष ध्यान देने के लिये अवकाश दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस बैंक में वे काम कर रहे हैं, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है । यदि यह राष्ट्रीयकृत बैंक है तो अवकाश क्यों नहीं दिया गया ? बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इनकी सूची बनाई है ?

श्रीमती शीला कौल : श्री पादुकोन यूनियन बैंक आफ इंडिया में काम कर रहे हैं ? वे कम से कम आज विश्व चैंपियन हैं ।

श्री एन० जी० रंगा : हमें इसका गर्व है ।

श्रीमती शीला कौल : उन्होंने डेनमार्क में बैडमिंटन खेलने के लिये डेनमार्क से एक लाख क्रोनर्स का समझौता किया है ।

एक माननीय सदस्य : उसका मूल्य क्या है ?

श्रीमती शीला कौल : इसकी गणना कोई भी कर सकता है । यह क्रोनर्स में है । उनके एक साल के करार को 1-12-1981 से 30-11-1982 तक बढ़ा दिया गया है जिसके लिये उन्हें भारत के नियोजक ने अवकाश प्रदान किया है । वे बैंक में काम कर रहे हैं और कर्मचारी हैं और वे नियोजक हैं । मैं केवल यही सूचना दे सकती हूं कि उन्हें अवकाश दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री जनार्दन पुजारी : आप भी चिंतित हैं और राष्ट्र भी चिंतित है । इसमें संदेह नहीं कि सारा राष्ट्र इसमें रुचि रखता है । आप खेल-कूद में बहुत दिलचस्पी लेते हैं । आपको प्रोत्साहन देने के बारे में सही सूचना मांगनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इनसे प्रश्न पूछिये कि क्या ये प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी जाये । आप जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं ।

श्री जनार्दन पुजारी : कम से कम कुछ सीमा तक, हम गरीब हैं । हमें मानना पड़ेगा । यह उचित नहीं है और यह भी ठीक नहीं है कि हमारे उच्च स्तर के खिलाड़ियों को आर्थिक चिंताओं का शिकार होना पड़े । क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है या क्या कम से कम विश्व के उच्च कोटि के चैम्पियन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन पुजारी का मन्तव्य सभी अच्छे खिलाड़ियों से है । बस यही बात है ।

श्री जनार्दन पुजारी : कम से कम विश्व चैम्पियनों के बारे में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई राष्ट्रीय नीति बनाने जा रही है ? (व्यवधान) क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार उच्चकोटि के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने और उन्हें हर प्रकार की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त रखने की किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है, श्री प्रकाश को तो पहले से ही भारी मात्रा में धन मिल रहा है । ये सभी युवा खिलाड़ी कमा खाने की स्थिति में हैं और यदि हम उन्हें भरी जवानी में पैंशन देते हैं तो यह उनको हतोत्साहित करना ही होगा । मुझे पक्का विश्वास है कि जब वे पैंशन पाने की आयु को प्राप्त होंगे तो स्थिति में सुधार हो जायेगा और वे अच्छी हालत में होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि क्या आप कोई प्रलोभन, प्रोत्साहन देने को तैयार हो जिससे कि वे खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत में रहें।

श्रीमती शीला कौल : यह प्रोत्साहन देने का प्रश्न है ? ऐसा हमारे यहां नहीं होता है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाइटलर। (व्यवधान) मेरे विचार से श्री सत्यसाधन एक तेज गेंदबाज हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मेरे विचार से मन्त्री महोदय को कुछ करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप विकलांग हैं। (व्यवधान) इस लिए मैं उस कप को आपको सौंपना चाहता हूं जो मैंने जीता है।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं, मन्त्री महोदय उस पर जरा ध्यानपूर्वक विचार करें। क्या सरकार को यह पता नहीं है कि जब श्री पादुकोन डेनमार्क जा रहे थे तो उसने एशियन खेलों के तत्कालीन चेयरमैन श्री शुक्ल और श्री बूटासिंह से बात चीत की थी और वह पेशेवर नहीं बनना चाहते हैं, वह इस देश को छोड़ना नहीं चाहते, अपितु वह भारत में रहकर शौकिया रूप एशियन खेलों में भाग लेना चाहते हैं। वह कुछ संपूर्ति चाहता था, वित्तीय संपूर्ति जो कि दी जा सकती है। उससे वायदा किया गया था और अन्ततः वायदा वापिस ले लिया गया। यह तो हुई एक बात। मैं दूसरी बात पर आता हूं। जब उसने विश्व चैम्पियशिन जीत ली तो निःसंदेह भारत सरकार बहुत प्रसन्न हुई थी। यहां तक कि प्रधान मन्त्री महोदय ने भी उसकी जीत पर उसे बधाई भेजी। परन्तु, महोदय, उस समय तो कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने भी उससे बंगलौर में 500 वर्गमीटर का प्लाट देने तथा वित्तीय सहायता देने का भी वायदा किया था। महोदय, मुझे याद है कि उसने इस बारे में मुझसे बातचीत की थी क्योंकि मैं दिल्ली बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष हूं। महोदय उसकी सबसे बड़ी निराशा का कारण तो यह था कि स्वयं उसके राज्य द्वारा उसे दिया गया वायदा पूरा नहीं किया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक के मुख्य मन्त्री द्वारा उसे दिये गये वायदे को पूरा किया जायेगा ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, मुझे खेद है कि मुझे किये गये इस वायदे के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बारे में पता करेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : हाँ, मैं करूंगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह कोई एक खिलाड़ी का ही प्रश्न नहीं है। खिलाड़ियों की कठिनाइयों को मैं समझता हूं, अधिकांश खिलाड़ियों को जब वे खेलते होते हैं तो कुछ धन प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं और उनमें से बहुत से दीन-हीन अवस्था में जीते हैं। कभी-कभी हमें उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए नुमाइशी उत्सव-खेलों का प्रबन्ध करना पड़ता है। महोदय, वास्तव में ये ही लोग देश का नाम ऊंचा करते हैं, अतः क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार उन खिलाड़ियों के लिए कोई ऐसी योजना बनाने जा

रही है, जो खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, जिससे उनको वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके ?

श्रीमती शीला कौल : कार्यन्वयन हेतु यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, जबकि मैं विश्व-स्तर के खिलाड़ियों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने और सेवानिवृत्ति लाभ देने के तर्कों का पूर्ण समर्थन करता हूं, मेरे विचार से हम यहां इस एक पहलू को भूल रहे हैं कि जो क्षमतावान खिलाड़ी भागे आ रहे हैं, उन्हें विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर ही वित्तीय प्रलोभन और प्रोत्साहन देना चाहिये। महोदय, मेरे विचार से हमारे देश में खेल पूर्णतया उपेक्षित हैं। महोदय मैंने नेशनल स्टेडियम को देखा है। वहां पर विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से आने वाले युवा खिलाड़ियों को अभ्यास करते हुए देखना बड़ा ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करता है। यदि ऐसे स्टेडियमों की संख्या देशभर में दोगुनी कर दी जाए तो हम इस से न केवल छात्र समस्या को हल कर लेंगे अपितु युवा समस्या भी हल हो जायेगी। महोदय, क्षमतावान खिलाड़ियों को उनकें उच्चतम माध्यमिक या डिग्री स्तर की परीक्षाओं में कुछ अनुग्रहांक दिए जा सकते हैं।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उससे मैं अतीव प्रसन्न हूं। उन्होंने हमारे हाथ मजबूत किये हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें और स्टेडियम और क्रिड़ास्थल बनाने चाहिये जिससे छोटे बच्चे इसमें भाग ले सकें, यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। हम इसी दिशा में विचाररत हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह और अधिक उत्साह से किया जाना चाहिये।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, जिस प्रोत्साहन राशि का उन्होंने उल्लेख किया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हमने हाल ही में एक परोपकारी-कोष स्थापित किया है ? हम उन्हें अनिवार्य रूप से अनुदान देते हैं, और पुरस्कार देकर नामशः अर्जुन पुरस्कार, उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं। सब बातें हमारे ध्यान में हैं और माननीय सदस्य कुछ और सुझाव देते हैं तो इससे हमें सहायता मिलेगी। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, विभिन्न प्रश्नों के पूरक प्रश्नों की अनुमति देते समय अध्यक्ष महोदय को डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे खिलाड़ियों से अच्छे खिलाड़ियों का भी ध्यान रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हाल्दर को नहीं छोड़ सकता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि हमारे खेल-कूद अंतर-राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं हैं। हम अपना हाकी का खिताब खो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रशिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति की सिफारिश करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मार्क्सवादियों के साथ हंसी-मजाक मत कीजिए। वे हास्य-परिहास से अनभिज्ञ होते हैं। (व्यवधान)

प्रो ०मधु दण्डवते : महोदय, यह गलत है, कार्ल-मार्क्स तो हंसा करते थे।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें ग्रुचो मार्क्स समझ रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, हम हास्य-विनोद को अच्छा समझते हैं। महोदय, पादु जैसे कुछ खिलाड़ी विश्व चैम्पियन बन गये हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि पादुकोन बैडमिन्टन विश्व-चैम्पियन बने हैं। मैं मन्त्री महोदया, से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन सभी सर्वश्रे खिलाड़ियों का, जो कि विश्व-प्रसिद्ध हो जाते हैं, ध्यान रखा जाएगा और क्या सरकार कोई ऐ नीति निर्धारित करेगी, जिससे कि ये विश्व-ख्याति के खिलाड़ी हमारा देश छोड़कर न जाएं अ विश्व क्रिड़ाओं और खेलों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते रहें।

श्रीमती शीला कौल : हमारे विचारार्थ यह एक बड़ा ही अच्छा सुझाव है।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों के स्कूलों में अध्यापकों की मांग

*483. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलि जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयो बड़ी संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता है;

(ख) क्या इन बस्तियों में बच्चों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता का अनुमान ल के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बस्तियों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों की अ श्यकता है और इन अध्यापकों के कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा निश्चित गये मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्कूलों में अध्यापकों की आवश्यकताओं का मूल्य किया जाता है। इन मानदण्डों में छात्रों के वास्तविक दाखिले, प्रत्येक स्कूल में सेक्शनों की तथा इसके परिणामस्वरूप अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। मिडिल/म मिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों के संभावित कक्षावार दाखिला निर्धारित करने के लिए श सत्र के शुरू में स्कूल जाने वाले बच्चों का व्यापक सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद, रा स्कूलों में पद निश्चित करने के मानदण्डों के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात निकाला जाता

दिल्ली प्रशासन के अनुसार, 1063 संस्वीकृत पदों में से पुनर्वास बस्तियों में 23 मि माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों में 83 पद रिक्त पड़े हैं और इन्हें भरने की कार्रवाई रही है।

नगर निगम ने सूचित किया है कि पुनर्वास बस्तियों के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है और अपेक्षित संख्या में अध्यापक नियुक्त किये गये हैं।

श्री रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, 23 विद्यालयों में 83 स्थान रिक्त पड़े हैं। इसमें प्रति स्कूल 4 अध्यापक कम हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यापकों के बिना प्रशासन इन विद्यालयों को किस प्रकार चला रहा है।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, अभी हम दिल्ली विकास प्राधिकरण के उस पुनर्वास-कार्य क्रम की बात कर रहे हैं, जहां प्राथमिक और उच्चतर/माध्यमिक दोनों ही प्रकार के विद्यालय स्थापित किए गये हैं। महोदय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 125 है जिनमें 1414 सह-अध्यापक सेवारत हैं। उनमें कोई रिक्त स्थान नहीं है। जहां तक मुख्याध्यपकों का संबन्ध है हमारे यहां 125 स्वीकृत पद हैं और एक पद रिक्त पड़ा है जिसे बड़े दिन की छुट्टियों में भरा जाता है।

जहाँ तक उच्चतर-माध्यमिक विद्यालयों का संबन्ध है, 33 विद्यालय हैं और उनके लिए 1063 पद स्वीकृत हैं। इनमें 83 स्थान रिक्त पड़े हैं। इनमें से 23 योग शिक्षकों की और 33 विज्ञान 'क' अध्यापकों की है। महोदय, विज्ञान 'क' का अर्थ है विशुद्ध विज्ञान और हमें विज्ञान के लिए अध्यापिकाएं पयप्ति संख्या में उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रक्रिया में, हमें 27 रिक्त पदों को भरना है। इन पदों के लिए कुछ मानदण्ड निश्चित किए गये हैं। मैं आपको इन मानदण्डों के बारे में बताना चाहती हूं। हमें प्रतिवर्ष प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या और उसके पश्चात् सेक्शनों की कुल संख्या का ध्यान रखना पड़ता है तथा हमें अध्यापक-छात्र अनुपात निकालना पड़ता है। और इस प्रकार यह कार्य संपन्न होता हैं।

महोदय, यदि माननीय सदस्य विभिन्न मानदण्डों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनको पढ़कर सुनाने के लिए तैयार हूं, परन्तु मुझे डर है कि इसमें समय बहुत लग जायेगा। कुछ मान दण्डों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूं।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि विज्ञान के अध्यापकों का भारी अभाव है। छात्रों के लिए विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विशेषकर अन्य कक्षाओं में यदि अध्यापकों की कमी होती है तो वे विषय को भली-भांति नहीं समझ सकते हैं। यदि दिल्ली में अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं तो क्या दूसरे राज्यों से उनकी भर्ती नहीं की जा सकती है ? क्या इसमें कोई अड़चन है ?

श्रीमती शीला कौल : इसमें कोई अड़चन तो नहीं है परन्तु यह हमारे दिल्ली के अध्यापकों के लिए बहुत कठिनाई पूर्ण बात होगी और मेरे विचार से हमें यहीं से अध्यापक नियुक्त करने चाहिये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यदि वे दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं तो वे आंध्र-प्रदेश आदि अन्य राज्यों से क्यों नहीं ले लिए जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिये।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में ट्रेंड अध्यापकों की जो संख्या दर्ज है वह कितनी है और कब से वह दर्ज है। यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए मैं परम आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके नाम वहाँ दर्ज हैं उनको शीघ्र नियुक्त करने की क्या वह कृपा करेंगी ताकि एक तरफ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो और दूसरी तरफ इन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए ?

श्रीमती शीला कौल : अभी मेरे पास रोजगार कार्यलयों में पंजीकृत अध्यापकों के आंकड़े नहीं हैं। मेरे विचार से रोजगार कार्यालयों के पास ये आँकड़े उपलब्ध होंगे।

श्री बी० डी० सिंह : प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या से सम्बन्धित यह प्रश्न है। हमारे देश के गांवों में बहुत अधिक संख्या में ऐसे प्राथमिक विद्यालय है कक्षा 1 से 5 तक के जिनमें केवल एक ही अध्यापक होता है और सभी कक्षाओं को वह पढ़ाता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे हमारे देश में कितने विद्यालय हैं जिनमें एक ही अध्यापक है, उनका प्रतिशत क्या है और क्या उन विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था करने का भी आप कोई प्रबन्ध करेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : यह सवाल रिसैटलमेंट कालोनीज के बारे में है। इसके बारे में माननीय सदस्य अलग से सवाल करें तो मैं जबाब दे सकती हूं।

श्री जगदीश टाइटलर : सवाल बच्चों को पढ़ाने का है खास तौर पर दिल्ली की रिसैटलमेंट कालोनीज में। क्या यह सच नहीं है कि इन रिसैटलमेंट कालोनीज में जितने हायर सैंडेरी और प्राइमरी स्कूल हैं उनमें केवल दस प्रतिशत बच्चों के वास्ते ही व्यवस्था है और नब्बे प्रतिशत बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या यह गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि उनके वास्ते जो जगहें नहीं हैं, उनके वास्ते जगहें बनाई जाएं और जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं वे भी स्कूल जाएं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके बारे में भी आपके पास कोई स्कीम है ?

श्रीमती शीला कौल : रिसैटलमेंट कालोनीज में हमारे पच्चीस स्कूल हैं··· ··

श्री जगदीश टाइटलर : दश प्रतिशत जाते हैं, नब्बे प्रतिशत नहीं जाते हैं।

श्रीमती शीला कौल : नहीं जाते हैं तो आप उनको भेजिये।

श्री जगदीश टाइटलर : स्कूलों की कमी है। स्कूल जो खुले हुए हैं वे बहुत भरे हुए हैं। उनमें जगह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : और जरूरत हो तो क्या आप खोलेंगी ?

श्रीमती शीला कौल : आपने बहुत अच्छा सजैशन दिया है। देखेंगे।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल वैलफेयर सोसायटी

*484. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा**
श्री सतीश प्रसाद सिंह } : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** निम्न लिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल वैल्फेयर सोसाइटी का विधान उसकी आस्तिया, आय के स्केल और खर्च की मदें क्या हैं ;

(ख) इस सोसाइटी को चलाने में मैडिको-मोशियल सर्विस आफीसर का क्या कार्य है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कितने निर्धन रोगियों को इस सोसाइटी से सहायता मिली ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल कल्याण सोसाइटी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। इस संस्था की आय के स्रोत है—सदस्यों से मिलने वाला चन्दा, दान और धर्मार्थ मेलों आदि से होने वाली आय। इसकी आय रोगी परिचर्या गृह का खर्च चलाने और गरीब रोगियों को सहायता देने पर उपयोग की जाती है जिसमें उन्हें दवाइयां और दूसरे साधन या सामान देना शामिल है। इसकी परिसम्पत्ति में मुख्यतया इधर-उधर ले जायी जा सकने वाली वस्तुएं और आवधिक तथा बचत बैंक जमा-राशि है।

(ख) चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी इस सोसाइटी के पदेन सचिव हैं।

(ग) सोसाइटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 3,000 गरीब रोगी।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष जी आपने सुना होगा यह कोई उत्तर ही नहीं है। मैं इस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल सोसाइटी की रजिस्ट्री कब हुई ? इस फंड में अब तक कितना रुपया इकट्ठा हुआ और पेशेन्ट केयर होम और गरीबों की अतिरिक्त सहायता देने पर कितना खर्च किया गया ? क्या सरकार भी इसमें कोई आर्थिक सहायता देती है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न उस निकाय के बारे में है जो सीधे मन्त्रालय अथवा सरकार के आधीन नहीं है। सोसाइटी के काम-काज की देख भाल इस सोसाइटी द्वारा की जाती है जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वयंसेवक संगठन है : यह मेरे प्रति उत्तरदायी नहीं है। तथापि अब जबकि अपने इस प्रश्न को ले लिया है मैं इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कितनी राशि एकत्रित कर ली है और वे क्या कर रहे हैं, जहाँ तक सम्भव हुआ है मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। परन्तु जहाँ तक अन्य ब्यौरे का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सोसायटी से ही सम्पर्क करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि यह प्रश्न कैसे गृहीत कर लिया गया।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई इस तरीके से चन्दे के नाम पर पैसा इकट्ठा करे, सोसाइटी बना ले और नाजायज पैसा पेशेन्ट के नाम पर इकट्ठा करके लूटता रहे और मरीजों को उसका लाभ नहीं मिले तो क्या यह सरकार नहीं देखेगी ? देखना उसका कर्त्तव्य है। और यह सब पैसा बरबाद हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं इस सोसाइटी के सेक्रेटरी का क्या नाम है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसबारे में जांच करने के लिए तैयार हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। यदि उन्हें सोसाइटी के काम के बारे में कोई विशेष शिकायत है तो वह इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं और उचित कार्यवाही की जाएगी। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी की अपनी एक निर्वाचित कार्यकारी समिति है। वे इस मामले पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं और अस्पताल के कल्याण-कार्यों की देख भाल करते हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई विशेष शिकायत है तो वह इसे कार्यकारी समिति अथवा सरकार के ध्यान में ला सकते हैं।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : सेक्रेटरी कौन है, कितना फण्ड इकट्ठा हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस तरीके से नहीं बता पायेंगे। आप दूसरे तरीके से इसको करिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह—अनुपस्थित—अगला प्रश्न—श्री के० राममूर्ति—अनुपस्थित

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : महोदय, मैंने उन्हें दीर्घा में देखा था। वह वहां बैठे थे।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, माननीय सदस्य को प्रश्न-काल में उपस्थित रहना चाहिए, विशेषपया तब जब कि उनका कोई प्रश्न हो। यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। परन्तु यह असुविधाजनक प्रश्न भी हो सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उपस्थित होना चाहिए था।

दिल्ली में विकलांगों के लिए शैक्षिक सुविधायें

*487. **श्री जी० वाई कृष्णन**
श्री एन० ई० होरो } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बालिका/बाल उच्चत्तर माध्यमिक/प्राथमिक/पब्लिक स्कूल/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या कितनी है और इस समय इन स्कूलों में कुल कितने विकलांग छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उनको फीस, पुस्तकों, छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में किस प्रकार की रियाययें दी गई और परिवहन सुविधाओं में यदि कोई रियायत दी गई तो किस प्रकार की; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस "अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष" के दौरान विकलांग छात्रों को यें सभी उपरोक्त सुविधाएं निःशुल्क देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली में ऐसे 741 स्कूल हैं जिनमें 3295 विकलांग छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन स्कूलों में नई दिल्ली नगरपालिका के 81 स्कूल, दिल्ली नगर निगम के 188 स्कूल, 368 राजकीय स्कूल और शिक्षा निदेशालय के अधीन सहायता प्राप्त/सहायता न प्राप्त करने वाले 100 स्कूल, समाज कल्याण निदेशालय के अधीन 2 विशेष स्कूल और केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन 2 स्कूल सम्मिलित हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली में मुख्यतया तीन प्रकार के स्कूल चल रहे हैं अर्थात् (1) शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के नियन्त्रण के अधीन सामान्य स्कूल, (2) समाज कल्याण निदेशालय का केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विशेष स्कूल तथा (3) स्कूल जो विकलांग बच्चों के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत आते हैं।

वर्ग (1) के सामान्य स्कूलों के सम्बन्ध में सामान्य बच्चों को भी वही रियायतें उपलब्ध हैं जो विकलांग बच्चों को दी जाती हैं इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को पुस्तकें, वर्दियाँ, उपकरण इत्यादि खरीदने के लिए विवेकाधीन अनुदानों द्वारा अथवा अन्यथा सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा चलाए जाने वाले विशेष स्कूलों में निम्नलिखित रियायत उपलब्ध हैं :—

गवर्नमेंट लेडी नायस सैकण्डरी स्कूल फार डैफ

इस स्कूल में सबके लिए शिक्षा मुफ्त है परन्तु अभिभावकों से नीचे दी गई दरों पर परिवहन खर्च लिया जाता है—

1. उन छात्रों से 5 रुपए प्रतिमास की दर से जिनके अभिभावकों की आय 350 रुपए प्रतिमास है।
2. उन छात्रों से 15 रुपए प्रतिमास जिनके अभिभावकों की आय 350 रु० से 500 रुपए प्रतिमास के बीच है।
3. उन छात्रों से 20 रुपए प्रतिमास जिनके अभिभावकों की आय 500 रुपए से 750 रुपए प्रतिमास के बीच है।
4. उन छात्रों से 30 रुपए प्रतिमास जिनके अभिभावकों की आय 750 रुपए प्रतिमास से अधिक है। छात्रावास में रहने वा छात्रों से रहने के स्थान, पानी और बिजली के लिए कुछ नहीं लिया जाता है। परन्तु उन्हें खाने और जेब खर्च के लिए अदायगी करनी पड़ती है। कमजोर छात्रों के अभिभावकों की आय 500 रुपए प्रतिमास से कम हो तथा मेधावी छात्रों के अभिभावकों की आय यदि 1,000 रुपए प्रतिमास से कम हो तो उन्हें निम्नलिखित दरों पर वजीफे दिए जाते हैं:—

कक्षा	वजीफे की दर
1 से 5	30 रुपए प्रतिमास
6 से 8	40 रुपए प्रतिमास

दृष्टिहीन लड़कों के लिए राजकीय स्कूल

उन छात्रों के लिए शिक्षा मुफ्त है जिनके अभिवकों की आय 300 रुपए से कम है। उन्हें खाना, रहने का स्थान और पुस्तकें इत्यादि भी मुफ्त प्रदान की जाती हैं। उन्हें उपर्युक्त दरों पर छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ।जो बच्चे समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत पढ़ रहे हैं उन्हें 50 रुपए प्रतिमास की दर से परिवहन भत्ता दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार या संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले, स्कूल

1. मन्द बुद्धि बच्चों के लिए माडल स्कूल

उन छात्रों के लिए शिक्षा मुफ्त है तथा उन्हें आवासीय सुविधा भी मुफ्त प्रदान की जाती है जिनके वालदेन/अभिभावकों की आय 750 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है।

2. विकलाँग व्यक्तियों के लिए संस्थान

जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 500 रुपए तथा 2,000 रुपए प्रति मास के बीच है उनसे 2 रुपए से 10 रुपए तक रियायती दर पर ट्यूशन फीस ली जाती है।

जो छात्र परिवहन सुविधा का उपयोग करते हैं उनसे 5 रुपए प्रतिमास की रियायती दर से खर्च लिया जाता है।

3. विकलाँग बच्चों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा की योजना के अन्तर्गत आने वाले स्कूल

1.4.1981 से इस योजना को संशोधित कर दिया गया है और योजना के अन्तर्गत संशोधित लाभ निम्नलिखित हैं:—

(1) परिवहन हेतु 50 रुपए प्रतिमास

(2) पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ता 400 रुपए प्रतिवर्ष।

(3) प्रत्येक बालक को 5 वर्ष में उपकरणों का खर्च 800 रुपए तक।

(4) अत्यंत विकलांग छात्रों को 10 मास के लिए 75 रुपए प्रतिमास की दर से मार्ग-रक्षी भत्ता।

(5) 8 से 10 बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक।

(6) दृष्टिहीन को 50 रुपए प्रतिमास की दर से प्रवाचक का भत्ता।

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या यह सत्य है कि सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को पर्याप्त अवसर और उचित देख भाल की सुविधा प्रदान की है ? विवरण में कहा गया है कि "वे सभी रियायतें विकलांग बच्चों को भी उपलब्ध हैं जो सामान्य बच्चों को उपलब्ध हैं।"

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक स्कूल में शारीरिक रूप से विकलाँग विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का और नवीं कक्षा के बाद अन्य छात्रों की तरह छात्रवृत्ति देने का है ?

श्रीमती शीला कौल : यह प्रश्न दिल्ली के स्कूलों के बारे में है । अत: मैं दिल्ली में स्कूलों की स्थिति के बारे में कहूंगी । दिल्ली में तीन प्रकार के स्कूल हैं । पहले सामान्य स्कूल जो कि राज्य सरकार नगर पालिका और नई दिल्ली नगर पालिका के नियन्त्रण में कार्य करते हैं । दूसरे वे विशेष स्कूल जो कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाते हैं । इस श्रेणी में अन्धे और बहरे विद्यार्थियों के स्कूल आते हैं । तीसरी श्रेणी में वे स्कूल हैं जो कि विकलांग बच्चों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

चूंकि प्रश्न दिल्ली के बारे में है, अत. मैं कहूंगी कि नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन 81 स्कूल हैं, सभी स्कूलों में विकलांग बच्चे पढ़ते हैं और उनकी संख्या 113 है । दिल्ली नगर-निगम द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों की कुल संख्या 1513 है और इन स्कूलों में विकलांग बच्चों की कुल संख्या 508 है । शिक्षा निदेशालय के अधीन 696 स्कूल हैं और 319 सहायता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल हैं, इन स्कूलों में विकलाँग बच्चों की कुल संख्या 1823 है । समाज कल्याण निदेशालय तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन दो विशेष स्कूल हैं और इनमें पढ़ रहे विकलांग बच्चों की संख्या 678 है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकती हैं ।

श्रीमती शीला कौल : समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन 2 स्कूल हैं और इनमें विकलांग बच्चों की संख्या 173 है । इस प्रकार इन स्कूलों में विकलांग बच्चों की कुल संख्या 3295 है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : मेरा प्रश्न विशेष विषय से सम्बधित है । क्या इन बच्चों को शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और क्या नवीं कक्षा के बाद अन्य छात्रों की भांति छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं ?

श्रीमती शीला कौल : यदि कोई विकलांग बच्चा प्रवेश के लिए किसी स्कूल में जाता है और इस प्रकार के बच्चों की दी जाने वाली सुविधाओं की माँग करता है तो उसे दाखिले लेने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होती । उन सुविधाओं और रियायतों में, उन्हें पहले दी जा रही थी, 1 अप्रैल, 1981 से इस विकलाँग वर्ष में सुधार किया गया है । उन्हें दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं परिवहन हेतु 50 रुपए प्रतिमास, पुस्तक और लेखन सामग्री भत्ता 400 रुपए प्रतिवर्ष, प्रत्येक बालक को 5 वर्ष में उपकरणों का खर्च 800 रुपये तक, अत्यंत विकलाँग छात्रों को 10 मास के लिए 75 रुपये प्रतिमास की दर से मार्गरक्षी भत्ता, दृष्टिहीन को 50 रुपये प्रतिमास की दर से प्रवाचक का भत्ता, उन बच्चों को नि:शुल्क रहने की सुविधा जिनके माता पिता की आय 750 रु० प्रतिमास से अधिक न हो और 8 से 10 बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक । ये विशेष लाभ हैं जो इन बच्चों को दिए जा रहे हैं ।

श्री एन० ई० होरो : महोदय, मंत्री महोदय ने तो आंकड़े दिए हैं उनसे मैं प्रभावित नहीं हुआ । मंत्री महोदया ने कहा है कि विकलांग बच्चों को रियायतें दी जा रही हैं लेकिन, महोदय, हम जानते हैं कि हमने कहा है कि हमारे देश में बच्चों को नि:शुल्क और आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान की जायेगी । यह बात हमारे संविधान के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में है । अतएव मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनका मन्त्रालय विकलांग बच्चों को

विवरण में बताई गई रियायतों की अपेक्षा निःशुल्क शिक्षा देने के बारे में विचार करेगा क्या शिक्षा मंत्रालय दिल्ली में सभी विकलांग बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में निर्णय करेगा हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। 741 स्कूलों में 3295 विकलांग बच्चे यानि कि प्रत्येक स्कूल में चार बच्चे। सामान्य बुद्धि तो यह कहती है कि ऐसे कई हजार विकलांग बच्चे हैं जो कि इन संस्थाओं में आने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतएव मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी और ऐसी संस्थाओं की संख्या भी बढ़ाएगी ताकि वह बच्चे भी जो इन तक पहुंच नहीं सकते शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, यदि विकलांग बच्चे स्कूलों में नहीं आते तो मेरा विचार है कि यह उनके माता-पिता और समाज की जिम्मेदारी है कि वह यह देखें कि ऐसे बच्चे स्कूलों में आएं, शिक्षा प्राप्त करें तथा बड़े होने पर अपनी क्षमता के अनुसार काम भी पायें। इन्होंने कहा कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि हम दो रुपये से दस रुपये तक शिक्षा शुल्क इस लिए लेते हैं ताकि उन लोगों में यह भावना आए कि बच्चे की शिक्षा में वह भी भाग ले रहे हैं। यदि किसी की आय 500 रुपये मासिक या इससे कम है तो शिक्षा-शुल्क 2 रुपये यदि आय 500 रुपये से अधिक और 1000 रुपये से कम है तो शिक्षा-शुल्क चार रुपये और 1000 रुपये से 2000 रुपये तक है तो 10 रुपये है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि उनमें यह भावना होनी चाहिए कि वे बच्चे की शिक्षा में भाग ले रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उन्हें इसलिए शुल्क देना पड़ता है ? शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : हम विद्यार्थियों को छात्रवृति देते हैं और नवीं कक्षा से नीचे पढ़ने वालों के लिए राज्य सरकारें भी ऐसा ही करती हैं।

श्री रामविलास पासवान : यह विकलांग वर्ष तो 31 दिसम्बर को समाप्त होने जा रहा है। जब अंधों पर लाठी-चार्ज हुआ था, तो इसी सदन में सरकार ने कहा था कि विकलांगों की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार एक विधेयक पेश करेगी। एक तरफ तो सरकार रोज लोगों को विकलांग बना रही है, तो क्या वह विकलांगों के बारे में कोई विधेयक प्रस्तुत करने वाली है; यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, यह सही है कि यह विकलांग साल है, और सरकार ने तथा दूसरे लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया है और बहुत फैसिलिटीज दी हैं। जितनी फैसिलिटीज हम सब मिल कर देना चाहते हैं, शायद उतनी तो हम न दे सकें, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि इस साल को हम आगे एडवान्स करके एक और साल मनाएंगे। जो लोग परेशानी और दिक्कत में हैं, हम हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तरह-तरह की डिसएविलिटीज होती हैं। ल्युनेसी भी एक डिसएबिलिटी होती है।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई कानून बनाने के बारे में पूछ रहे हैं।

श्रीमती शीला कौल : मैं वही बता रही हूं। डिसएबिलिटी तरह-तरह की है। हम एक ल्युनेसी एक्ट ला रहे हैं।

बाकी के लिए ऐसा है कि जो हमने वर्किंग ग्रुप बनाया था उसकी रिपोर्ट की इन्तजार में हैं कि वह क्या कहता है। फिर आप भी जैसा इसमें सजेशन देंगे और रिपोर्ट का भी सजेशन आ जाएगा तो उसके अनुसार हम करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : कब तक हो जाएगा ? विकलांग वर्ष तो समाप्त हो रहा है।

श्रीमती शीला कौल : मैंने अभी कहा है कि यह साल अभी खत्म नहीं हो रहा है, वह आगे भी जारी रहेगा :

आरोबिल में हिंसा

*488. **श्री चित्त बसु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी आरोविल में अव्यवस्था और हिंसा व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त आखरी रिपोर्ट के अनुसार, कुछ असंतोष जरूर है, लेकिन यह दबा हुआ अव्यक्त सा है। इसके कारण आन्तरिक मनमुटाव है, जो अभी भी बराबर बने हुए हैं जिला प्राधिकारी स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, आपने देखा होगा कि प्रश्न के उत्तर में दो बातों को माना गया है, पहले यह कि असंतोष है हालांकि अव्यक्त है; दूसरे इनका कारण आन्तरिक मनमुटाव है।

इस संबन्ध में मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि क्या वह जानती हैं कि आरोबिल में रहने वाले विदेशी निवासी दो अलग-अलग गुटों में बांट दिए गए हैं जो कि परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते हैं और क्या यह भी सत्य है कि आरोबिल में रहने वाले विदेशी निवासियों के दो गुटों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री माइकल वांक श्री फ्रेडरिक बाक्साग ने भारत सरकार से कुछ शिकायतें भी की हैं ? क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि उन्होंने क्या शिकायत की हैं ? क्या शिकायतों की कोई जांच की गई है और क्या आरोविल में सामान्य स्थिति कायम करने के लिए झगड़े को समाप्त किया गया है ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कहा है कि यहां कुछ अव्यक्त सी अव्यवस्था है। मुझे उन्हें सही जानकारी देनी होगी। क्योंकि कुछ अव्यक्त सी अराजकता की स्थिति है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैं गलत जानकारी नहीं दे सकती।

उन्होंने आगे यह पूछा है कि हम क्या करेंगे और क्या वह दो भागों में विभक्त हैं ?

श्री चित्त बसु : मैंने पूछा था कि क्या आपने आरोविल के दो गुटों से कोई शिकायत प्राप्त की है। और यदि आपने कोई शिकायत प्राप्त की है तो क्या आपने इस बारे में जांच की है और इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्रीमती शीला कौल : यह बात अभी मेरी जानकारी में नहीं आयी है।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई है।

श्री चित्त बसु : सरकार ने इसके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की है और यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखें कि इन शिकायतों की जांच भली प्रकार हो।

एक माननीय सदस्य : यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन होना चाहिए।

श्री चित्त बसु : क्या माननीय मन्त्री महोदया सदन को यह आश्वासन देंगी कि सरकार उचित कार्यवाही करेगी और हमें इसका उत्तर सदन के अगले अधिवेशन में दिया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, हमने एक शिकायत प्राप्त की थी। पहले वहां कुछ अव्यवस्था थी और एक प्रशासक को वहां भेजा गया था। वहां पर भूमि के बारे में शिकायतें प्राप्त की गईं थी और लोग वहां के निवासियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। जैसा कि मैंने कहा है शिकायतें भोजन की अनुपलब्धता के बारे में है और उन्होंने तमिलनाडु सरकार से भोजन देने के लिए कहा है। शिकायतें भूमि के टुकड़ों के अलग-अलग जगहों पर होने की भी हैं। यह दो शिकायतें हैं।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हरियाणा में विभिन्न मुख्य फार्मूलेशनों के उत्पादन की अनुमति

*479. **श्री गंगाधर एस० कुचन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा राज्य में किसी औषधि के उत्पादन की मंजूरी दिए जाने से पूर्व केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी तथा हरियाणा सरकार के अधिकारी उस औषध कारखाने का संयुक्त निरीक्षण करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में हरियाणा सरकार को यह निदेश दिया है कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न मुख्य फार्मूलेशनों के लिए दी गई मंजुरी को वापस ले लिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन मामलों में संयुक्त निरीक्षण किया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : लाइसेंस देने से पूर्व विशिष्ट मामलों में औषधि बनाने वाले कारखानों का संयुक्त निरीक्षण तभी किया जाता है जब केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को इसके लिए राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध मिलता है।

(ख) मई, 1981 में औषधि नियंत्रक (भारत) ने हरियाणा राज्य औषधि नियंत्रण को यह सलाह दी थी कि वे देखें कि जिन योगों में रोग-निरीक्षक/चिकित्सीय गुण वाले घटक उचित मात्रा में न हों अथवा जो "गलत छाप" वाले हों, उन्हें न बनाया जाए।

(ग) जी नहीं। संयुक्त निरीक्षण के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाल कल्याण योजनाएं

श्री काजी सलीम : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाल कल्याण योजनाएं महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में समुचित रूप से नहीं चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो बाल कल्याण योजनाएं सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं;

(2) देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बालकों के लिए सेवाएं।

1975-76 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान सारे देश के लिए स्वीकृति 300 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से 16 परियोजनाएं गुजरात के लिए और 22 परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई हैं।

देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बालकों के लिए सेवा योजना के अन्तर्गत 1974-75 से नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान सारे देश में लाभ प्राप्तकर्त्ता 35,560 निराश्रित बालकों में से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या क्रमशः 3220 और 1210 है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपर्युक्त दोनों बाल कल्याण योजनायें, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में संतोषप्रद ढंग से चल रही हैं।

वीरमगाम मेहसाना लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*485. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरमगाम-मेहसाना मीटर-गेज लाइन को वर्ष 1981-82 में बड़ी लाइन में बदलने के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख) वीरमगाम-मेहसाना मीटर आमान लाइन तो बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए धन-राशि के आवंटन तथा काम शुरू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

एशियाड 82 के निर्माण कार्यों का समय पर पूरा होना

*486. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी निर्माण कार्य तथा सड़कों का चौड़ा किया जाना, ऊपरी पुलों का निर्माण, आदि अन्य सभी परम्परा सम्बन्धित कार्य 1982 के एशियाई खेल आरंभ होने से पूर्व समय पर पूरे हो जाएंगे ;

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि स्टेडियम संबंधी निर्माण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम

*489. **श्री रामजी भाई मावणि**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बेईमान व्यापारियों, मिलावट करने वालों तथा कालाबाजारियों द्वारा किए जा रहे खाद्य अपमिश्रण की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा उनके स्वास्थ्य को भारी हानि पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान मृत्यु और भारी हानि के ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसमें जिन व्यक्तियों का हाथ है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए निकट भविष्य में राज्य स्तरीय और राष्ट्र-स्तरीय समितियां गठित करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) उक्त खतरे को रोकने के लिए सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है; और

(छ) मिलावट करने वाले इन व्यक्तियों आदि सूचना देने वाले व्यक्तियों को क्या-क्या संरक्षण, पारिश्रमिक और प्रोत्साहन दिए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि भ्रष्ट व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की घटनाएं हुई हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान नवम्बर, 1981 तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों से 1501 नमूने भरे गए जिनमें से 104 नमूने मानक कोटि के नहीं पाए गए तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के ध्यान में मौत की कोई भी घटना नहीं आई है।

(घ) और (ड़) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति है और कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर समितियां बना ली हैं।

(च) और (ङ) राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की कारगर ढंग से लागू करने के तन्त्र को मजबूत बनाएं।

हिमाचल प्रदेश में गरामुड़ा और स्वरघाट के बीच सड़क चौड़ी करना

*490 **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 33 लाख रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गरामुड़ा और स्वरघाट (82 किलोमीटर से 94 किलोमीटर तक) के बीच वर्तमान सड़क की राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर पर चौड़ी करने का काम हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किस तारीख में मंजूर किया गया है और शुरू किया गया है;

(ग) यह सड़क चौड़ी करने का कार्य संभवतया किस तारीख तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो मंजूरी किस तारीख तक दिए जाने की संभावना है और निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के किलोमीटर 82 से 94 तक की मौजूद सड़क को चौड़ा करने का कार्य 1981-82 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है जिस पर 50.00 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस सड़क खंड में फार्मेशन को व मोड़ों को सीधा करने व चौड़ा करने के लिए राज्य के सर्वजनिक निर्माण विभाग से 37.295 लाख रुपए का अनुमान प्राप्त हुआ है और उसकी स्वीकृति दी जा रही है। कार्य 1984-85 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

डाई एण्ड डाई इन्टरमीडिएट यूनिट्स द्वारा स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरा

*491. श्री के० मालन्ना
श्री एन० ई० होरो } : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सरकार से "डाई एण्ड डाई इन्टरमीडिएट यूनिट्स" के "करीब-करीब अनियन्त्रित प्रसार" द्वारा स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न भारी खतरे की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अव्यवस्थित रूप से अस्तित्व में आई ऐसी इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जहां श्रमिकों को व्यवसायिक सुरक्षा उपायों के अभाव में जहरीले पदार्थों के सम्पर्क में आकर काम करना पड़ता है और अपने स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा उठाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) वापी, गुजरात में डाई इन्टरमीडिएट्स बनाने के मैसर्स अमर डाइचेम लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने जून, 1981 में प्रस्तुत की गई अपनी एक रिपोर्ट में ये टिप्पणियां की हैं। इस आयोग ने डाईज तथा डाई इन्टरमीडिएट्स बना रही यूनिटों द्वारा इकोलॉजी (परिस्थिति की) पर पड़ने वाले जहरीले प्रभावों और उसे पहुंचने वाली क्षति को नियन्त्रित करने के लिए बनाए गए वर्तमान कानूनी उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता की बात कही है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को चाहिए कि वह संयुक्त राज्य अमेरीका के टाक्सिक सबस्टान्सिस कंट्रोल एक्ट, 1976 के जैसा ही एक कानून बनाने की बात पर विचार करे।

(ग) सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानूनी उपायों के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा दिए गये सुझावों पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

डाईज और डाई इन्टरमीडिएट्स बनाने का काम ही कुछ ऐसा है कि उससे दूषक द्रव्य, खासकर तरल द्रव्य निकलते है। इन दूषक द्रव्यों का शोधन जरूरी है ताकि दूषण रोका जा सके। पानी के दूषण को रोकने का काम दूषण की रोकथाम और नियन्त्रण अधिनियम, 1974 के अनुसार किया जाता है। वायुदूषण रोकने के लिए वायु (दूषण की रोकथाम और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 है। इन अधिनियमों को संबंधित राज्य सरकारें लागू करती हैं। राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि वे इन अधिनियमों के उपबन्धी का सख्ती से पालन करवायें।

जल संसाधनों के उपयोग के बारे में भारत-नेपाल वार्ता

*492. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल के बीच हुई वार्ता के फलस्वरूप नेपाल जल संसाधनों के उपयोग के लिए भारत के साथ संयुक्त उद्यम लगाने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन नदियों के लिए जिनके कारण भारत में बाढ़ आती है; नेपाल में जलाशयों का निर्माण करने के लिए क्या किसी ठोस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है ;

(ग) क्या इस वार्ता में संयुक्त प्रयास से पन विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के प्रश्न पर भी बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री नरसिंह राव): (क) जी हां। भारत और नेपाल कतिपय नदी-घाटी परियोजनाओं के संयुक्त अन्वेषण के लिए सहमत हो गए हैं।

(ख) से (घ) भारत-नेपाल सीमा स्थित पंचेश्वर में शारदा (महाकाली) और नेपाल में करनाली (घाघरा) नदी पर प्रस्तावित पन-बिजली योजना के विषय पर भारत और नेपाल के बीच प्रारम्भिक समझौता हो गया है। यह पन-बिजली परियोजनाएं जब पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगी तो इनमें क्रमश: 2000 और 3600 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं से भारत और नेपाल के निचले इलाकों में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण में भी फायदा पहुंचेगा।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का चीन का दौरा

493. **श्री आर० पी० गायकवाड़**
श्री एस० बी० सिदनाल } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से एक प्रतिनिधि मंडल ने चीन-भारत संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में बेजिंग में हाल में कोई बातचीत की थी;

(ख) क्या दोनों देशों ने अपने बीच विवादों के निपटान के लिए कोई सूत्र निकाला है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। इसके बारे में 17 दिसम्बर, 1981 को सदन में एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया था।

(ख) हमने इसकी आशा नहीं की थी कि पहले ही दौर में कोई बहुत प्रगति करना मुमकिन हो सकेगा। मतभेद काफी बड़े हैं लेकिन उम्मीद यह है कि विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप एक-दूसरे की स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है।

(ग) अपने प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के सन्दर्भ में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम इसे किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी हो, हम इस बैठक को, जो पिछले 20 वर्षों में इस विषय पर पहली बैठक थी, एक रचनात्मक कदम मान सकते हैं। हम समझते हैं कि चीन भी ऐसा ही मानता होगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता

*494. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रति वर्ष "राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा" प्रतियोगिता आयोजित करती है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनको हर वर्ष छात्रवृत्ति दी गई और गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि की छात्रवृत्ति दी गई; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों के कितने-कितने छात्रों को लाभ मिला ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् 1977 तक "राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा" प्रतियोगिता आयोजित किया करती थी । तब से इस प्रतियोगिता का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है और इसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय प्रतिभा खोज" परीक्षा रख दिया गया है । यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उन छात्रों की संख्या, जिन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और छात्रवृत्तियों के लिए दी गई कुल राशि निम्नलिखित है:—

वर्ष	छात्रों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई	छात्रवृत्ति के लिए दी गई कुल राशि
1978-79	500	37,34,822.00 रु०
1979-80	500	45,65,697.96 रु०
1980-81	500	51,50,636.98 रु०

(घ) प्रतिभा खोज योजना होने के कारण, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं का चयन केवल शैक्षिक योग्यता पर किया जाता है । अत: उन परिवारों के आय-वर्गों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ताओं को लिया जाता है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से सहायता

*465. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विचार भारत के अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में अध्ययन तैयार किए गए है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी धनराशि की सहायता मिलने की आशा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं होता है।

मद्रास-इरोड रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

*496. **श्री एम० कंडास्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-इरोड ब्राड गेज लाइन के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) मद्रास और अरकोणम के बीच मुख्य लाइन के विद्युतीकरण का काम पहले ही प्रगति पर है। अरकोणम से जोलारपेट्टे तक के विद्युतकरण के काम को भी अनुमोदित कर दिया गया है तथा 28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसे 1981-82 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। जोलारपेट्टे और इरोड के बीच शेष खण्ड पर विद्युतीकरण के काम को 7वीं योजना में, विभिन्न चरणों में, किसी समय शुरू करने का प्रस्ताव है, परन्तु यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जाम्बिया में रेलवे लाइन का निर्माण

*497. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवसभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाम्बिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ जाम्बिया में रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे यात्री डिब्बों की सप्लाई करने के बारे में कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूसरे देशों में अन्य किस प्रकार के रेलवे कार्य चल रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन सालों में विदेशों में रेलवे लाइनें बिछाने पर हुई हानि और लाभ का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (1) विश्व टेंडर के जवाब में, ईराक में मुसायब-करडला-समावा के बीच रेल लाइन के निर्माण का कार्य इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक भारतीय कम्पनी है, को सौंपा गया है।

(2) नाइजीरिया में नाइजीरियन रेलवे कारपोरेशन को 55 अदद मशीन-चालित लिफ्टिंग बैरियरों की सप्लाई, सुपुर्दगी, संस्थापन और उन्हें चालू करना।

(घ) जिन देशों का ऊपर (ग) में उल्लेख किया गया है, उनमें रेल लाइनें बिछाने का पहला ठेका अभी हाल ही में मिला है।

भारत में विदेशी छात्र

*498. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री एन० के० शेजवलकर } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न संकायों में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने इंजीनियरी कालेज में प्रति सीट पिछले तीन वर्षों में (वर्ष-वार) कितना खर्च उठाया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) **विदेशी छात्र**—विदेशी छात्रों के वर्ष 1979-80 के संकायवार उपलब्ध ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

अध्ययन के विषय	छात्रों की संख्या
(1) कृषि/वन विज्ञान/पशु चिकित्सा	538
(2) वाणिज्य/व्यवसाय प्रबन्ध	1184
(3) शिक्षा/अध्यापक प्रशिक्षण	73
(4) इंजीनियरी ओर प्रौद्योगिकी	1985
(5) मानविकी/कला	4803
(6) विधि	51
(7) औषध/दन्त चिकित्सा/उपचर्या	1443
(8) विज्ञान	2401
(9) अन्य विषय	281
	12759

(ख) भारत में आने वाले विदेशी छात्र निम्नलिखित तीन वर्गों में आते है:—

(1) वे, जो सामान्य सांस्कृतिक और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक करारों के अन्तर्गत आते हैं ;

(2) स्वत:- वित्तपोषित प्राइवेट विदेशी छात्र ; और

(3) सरकार से सरकार के स्तर के विशेष (तदर्थ) कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले छात्र ।

जहां तक (1) और (2) का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा प्रत्येक विदेशी छात्र के स्थान के लिए वही खर्च वहन करना पड़ता है जो सरकार को तदनुरूपी पाठ्क्रमों में भारतीय छात्रों के लिए वहन करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी छात्रों से भी एक जैसा शिक्षा शुल्क वसूल किया जाता है । प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किए गए अध्ययनों के अनुसार 1971-72 में इंजीनियरी कालेजों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इंजीनियरी स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर छात्र पर प्रति वर्ष औसत व्यय संबन्धी प्राक्कलन नीचे दिया गया है :—

	स्नातक	स्नात्तकोत्तर
इंजीनियरी कालेज	2635 रु०	9832 रु०
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	6794 रु०	10643 रु०

पिछले तीन वर्षों के लागत सम्बन्धी प्राक्कलन अभी तैयार किये जाने हैं । तथापि, पिछले दशक में कर्मचारियों के वेतन और अनुरक्षण तथा सभी अन्य मदों के खर्चे में क्योंकि काफी वृद्धि हुई है, अत: इंजीनियरी कालेजों में प्रति छात्र लागत खर्च भी बढ़ गया होगा ।

जहां तक (3) का सम्बन्ध है, आने वाली लागत प्रत्येक मामले में प्रायोजक विदेशी एजेन्सी तथा भारत स्थित सम्बन्धित संस्था के बीच हस्ताक्षर किए गए करार पर निर्भर करती है और इसके लिए विभिन्न पहलुओं की ध्यान में रखना होता है जैसे विदेशी छात्र-समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना, अतिरिक्त शिक्षण तथा परिसर सुविधाओं और छात्रावास की व्यवस्था करना आदि । शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च प्रायोजक सरकार/निधीयन एजेन्सी के द्वारा वहन किया जाना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विकलांग बच्चों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं

***499 श्री चन्द्रभान अठारे पाटिल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में विकलांग बच्चों के लिए अब तक उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3268/81]

बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों पर प्रभाव

***500. श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में अन्धेपन की रोकथाम के बारे में दिल्ली में नवम्बर, 1981 में हुई सेमीनार में जिन नेत्र रोग चिकित्सकों के भाग लिया था उनका विचार था कि छह वर्ष में कम आयु के बच्चों को स्कूल भेजने से आंखें खराब होने की संभावना रहती है ;

(ख) क्या देश में चल रहे सभी पब्लिक स्कूल तथा शिक्षण दुकानें तीन वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूलों में प्रविष्ट कर लेती हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है कि बच्चे उचित आयु में स्कूल भेजे जायें ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बच्चों में अन्धेपन की रोकथाम के बारे में दिल्ली स्थित डी० ए० वी० कालिगा प्रतिष्ठान द्वारा हाल में आयोजित सेमिनार में भाग लेने वालों ने पांच वर्ष से कम आयु में शुरू की गई पढ़ाई और लिखाई के दबाव के कारण आंखें खराब होने की घटाना पर चिन्ता व्यक्त की ।

औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 से शुरू होती है जिसके लिए प्रवेश की आयु कम से कम 5/-, अधिकतर वस्तुतः 6/- है ।

कुछ मामलों में 3-6 आयु-वर्ग के बच्चों को पूर्व-स्कूली शिक्षा के लिए भेजा जाता है । इन मामलों में सामान्य तौर पर छोटी उम्र के बच्चों की शिक्षा का स्वरूप अधिकतर खेल समूह कार्यकलाप होता है । छोटी उम्र के बच्चों की शिक्षा ज्यादातार प्राइवेट तत्वावधान में दी जाती है जिन पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का कोई नियन्त्रण नहीं होता । इस क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं, इस संबन्ध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारत में ईरानी छात्र

*501. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरानी छात्र बड़ी संख्या में भारत में रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने ईरानी छात्र हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न विश्व-विद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में अध्ययन कर रहे ईरानी छात्रों की कुल संख्या 31. 3. 80 तक की यथा स्थिति के अनुसार 4064 है । विश्व विद्यालय वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3269/81]

कोंकण रेलवे की प्रगति

*502. **श्री ओस्कर फर्नांडीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे के निर्माण के बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) मंगलौर तक पहुंचने के लिये इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिमी तट के साथ-साथ, बम्बई को मंगलूर से मिलाने की धारण के भाग के रूप में, आप्ता से रोहा तक बड़े आमान की 62 कि० मी० लम्बी लाइन बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस खंड का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर, इस लाइन को दसगांव तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ।

(ख) आशा है कि आप्ता-रोहा लाइन 1982-83 में पूरी हो जायेगी । रोहा से आगे निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों की बिक्री

5372. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा इलाहाबाद में अक्तूबर, 1981 में ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र 50/- रु० से 200/- रु० प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से बेचे गए ;

(ख) यदि हां, तो क्लर्कों, गार्डों, टिकट कलक्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के चुनाव की परीक्षा को रद्द करने के अलावा सरकार ने और क्या कार्यवाही की;

(ग) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जाच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने पर विचार करेगी;

(घ) सरकार रद्द की गई परीक्षाओं को पुनः कब लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) ऐसे कदाचारों को पुनः न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस संबन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

(घ) फरवरी, 1982 में ।

(ङ) रेल सेवा आयोग को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि परीक्षाएं कड़ी पर्यवेक्षण में तथा सही ढंग से ली जायें ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी देवनगर, नई दिल्ली में आवश्यक औषधियों का न होना

5373. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेंसरी देवनगर, नई दिल्ली में आवश्यक दवाओं के उपलब्ध न होने के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या डिस्पेंसरी का अकुशलता और प्रभारी अधिकारी के उपेक्षा पूर्ण रुख के बारे में भी सरकार को जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो यहां के काम की जांच करने और दवाओं की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। वैसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की औषधीय सूची की दवा की जब कमी हो जाती है तो उसकी प्रति सुपर बाजार से आपाती खरीद के जरिये/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के जरिये मंगा कर की जाती है।

(ख) जी नहीं। इसके बारे में कोई शिकायत नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

घाटे पर चलेने वाली ब्रांच लाइनों पर होने वाला व्यय

5374. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में घाटे में चलने वाली ब्रांच लाइनों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार तो इन लाइनों पर कितना वार्षिक व्यय करना पड़ता है और पिछले तीन सालों में इससे सरकार को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

25 नवम्बर, 1981 को परिचालित लिपिक कर्मचारियों की वरीयता सूची

5375. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या रेल मन्त्री मुरादाबाद मण्डल की वरीयता सूची के बारे में 26 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजन रेलवे मैनेजर, मुरादाबाद के कार्यालय के विभिन्न विभागों/शाखाओं के नाम क्या हैं जिनके लिपिकों की 25 नवम्बर, 1981 तक की वरीयता सूची परिचालित करदी गई है और अभी भी किन विभागों/शाखाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है;

(ख) उनकी सूची को भी परिचालित करने में अभी कितना समय लगेगा;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि डिवीजनल रेलवे मैनेजर के कार्यालय के कुछ कार्मिक अधिकारी इस मामले में एक या दूसरे कारण से विलम्ब कर रहे हैं और पिछले पाँच सालों से अस्थाई तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को अनावश्यक तौर पर परेशान कर रहे हैं; और

(घ) क्या वे इस मामले में सारी प्रक्रिया को कम से कम इस साल के अन्त तक पूरा करने के लिए निदेश जारी करेंगे, और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यांत्रिक, विद्युत, सिगनल एवं दूर संचार तथा इंजीनियरी (निर्माण) शाखाओं के 260-400 रु० (स० वे०) के ग्रेड वाले क्लर्कों की वरिष्ठता सूचियाँ 25.11.81 से पहले और चिकित्सा शाखा की सूची 26.11.81 को परि-पत्रित की गयी थी। वाणिज्यिक, परिवहन, सिविल इंजीनियरी (निर्माण लेखा) और कार्मिक शाखाओं की वरिष्ठता सूचियाँ तैयार कर ली गयी हैं और इन्हें शीघ्र ही परि-पत्रित कर दिया जायेगा।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) वरिष्ठता सूचियों के जनवरी, 1982 के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है क्योंकि कर्मचारियों को अपने अभ्यावेदन यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए यथा-वश्यक नोटिस की अवधि दी जानी अपेक्षित है और वरिष्ठता सूचियों की पुष्टि फरवरी, 1982 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

महिलाओं के आर्थिक पुर्नवास के लिए कार्यक्रम

5376. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण बोर्डों के महिलाओं के आर्थिक पुर्नवास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिये गये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा समाज कल्याण बोर्ड को भी ये मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो महिलाओं के पुर्नवास के लिए उड़ीसा में शुरू किये जाने वाले आर्थिक कार्यक्रम क्या हैं;

(घ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितनी महिलाओं को आर्थिक पुर्नवास प्रदान किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार ने उड़ीसा में ऐसे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आहार के स्तर आंकड़े साप्ताहिक गजट में प्रकाशित करना

5377. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे चिकित्सा नियम पुस्तिका के पैरा 636 के अनुसार रेलवे अस्पतालों में दिये जाने वाले आहार के स्तर के आंकड़े सामान्य जानकारी के लिये वर्ष में एक बार साप्ताहिक गजट में प्रकाशित किये जाने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो क्या आहार के स्तर के आँकड़े उत्पादन एककों सहित जोनल रेलों द्वारा वर्ष में एक बार साप्ताहिक गजट में प्रकाशित किये जा रहे हैं; और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के किस गजट में आहार के स्तर के आंकड़े पिछली बार प्रकाशित किये गये थे और पुन: वे कब प्रकाशित किये जायेंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । भोजन प्रभार अनुसूची में संशोधन किये जाने पर सभी सम्बन्धितों को अधिसूचना जारी की जाती है ।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 15 सितम्बर, 1980 के राजपत्र सं० 17 तथा 18 में भोजन की मात्रा प्रकाशित की गयी थी और दिसम्बर, 1981 के अन्त तक यह पुनः प्रकाशित की जायेगी ।

डीजलीकरण/विद्युतीकरण के कारण लोकोमोटिव वर्कशापों का बन्द किया जाना

5378. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण लागू किये जाने के कारण भाप के इंजनों के बहुत से वर्कशाप तथा शेड बन्द हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कान्वरापाड़ा वर्कशाप और भुसावल लोको शेड को बिजली के लोको शेड में बदल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे के पेरामबूर लोको वर्कशाप को विद्युत वर्कशाप में न बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक किसी भाप इंजन कारखाने को बन्द नहीं किया गया है परन्तु कुछ शेडों को बन्द किया गया है । भाप इंजन कारखानों ने अपने उत्पादन में कमी कर दी है ।

(ख) कंचरापारा कारखाने की भाप इंजन शाप से बदल कर बिजली इंजन शाप कर दिया गया है, परन्तु भुसावल कारखाने को विजली इंजन कारखाने के रूप में ही वनाया गया था।

(ग) और (घ) रेलें पेरम्बूर भाप इंजन कारखाने को बिजली इंजन कारखाने में वदलने के लिए एक अध्ययन कर रही है। जैसे-जैसे भाप इंजन कम होते जायेंगे, पेरम्बूर शाप्स के लिए बिजली इंजन कारखाने में बदलाव सम्भव विकल्पों में से एक है।

रेलवे वर्कशापों की अतिरिक्त क्षमता का वैगनों के निर्माण के लिये उपयोग

5379. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे वर्कशापों की अतिरिक्त क्षमता का वैगनों के निर्माण के लिए उपयोग करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वर्कशापों को कितने वैगनों के निर्माण हेतु आदेश दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वैगनों की भारी कमी को देखते हुए इस अतिरिक्त क्षमता का समुचित उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1981-82 में रेल कारखानों में चौपहिया यूनिटों के हिसाब से 1600 माल डिब्बों का निर्माण किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कार्यभार के सूचकांक

5380. **श्री जायनाल अबेदिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यभार का सूचकांक निर्धारित करने के लिए कार्यभार के घटक के रूप में इन्टेग्रेटिड ट्रेक किलोमीटर को उपयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन एककों सहित प्रत्येक जोनल रेलवे में पिछले दस वर्षों के लिये 'इन्टेग्रटिड ट्रैक किलोमीटर' क्या थे;

(ग) क्या प्रत्येक जोनल रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में पिछले 10 वर्षों के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) क्या इन्टेग्रेटिड ट्रैक किलोमीटर में वृद्धि अथवा कमी के कारण सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, जहां तक सहायक इंजीनियरों और मण्डल इंजीनियरों के कार्यभार का सम्बन्ध है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1970-71 से 1979-80 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए 'समेकित रेल पथ किलोमीटर' दिखाया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3270/81] उत्पादन यूनिटों के लिए इसी प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती क्योंकि प्रत्येक उत्पादन यूनिट द्वारा जिस सीमा तक चालू रेलपथ का हिसाब रखा जाता है, वह प्रायः नगण्य है।

(ग) ऊपर मद (ख) में जिस विवरण का उल्लेख किया गया है, उसमें दस वर्षों यानी 1970-71 से 1979-80 तक के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में, निर्माण और नैमित्तिक श्रमिकों को छोड़कर, कर्मचारियों की कुल संख्या भी दिखायी गयी है। 1980-81 के आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

(घ) 'समेकित रेल पथ किलोमीटर' एक व्यापक परिकल्पना है जो एक एकल यूनिट के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुरक्षित विभिन्न परिसम्पत्तियों जैसे रेलपथ, इमारतों, पुलों, सुरंगों, जल प्रदाय संस्थानों, खानों आदि के अनुरक्षण में अन्तर्ग्रस्त समग्र कार्यभार का द्योतक होता है और इसे केवल मण्डल इंजीनियरों तथा सहायक इंजीनियरों की कोटियों में राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या के निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग कोटियों में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या विशिष्ट अलग-अलग परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण में अन्तर्ग्रस्त कार्यभार पर निर्भर करती है जिसके लिए वे नियोजित किए जाते हैं। अतः यह उचित नहीं होगा कि समेकित रेलपथ किलोमीटर से तुलना करते हुए अराजपत्रित कर्मचारियों की अलग-अलग कोटियों में कर्मचारियों की संख्या देखी जाय।

ऊपर मद (ख) और (ग) में उल्लिखित विवरण में प्रतिलक्षित विगत दस वर्षों में नियमित कर्मचारियों की संख्या में हुई वृद्धि, परिसम्पत्तियों में हुई बढ़ती के अलावा नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी किये जाने के कारण हैं।

गोबारा (मध्य प्रदेश) में रेलवे फाटक पर बेरियर (अवरोधक)

5381. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला रायपुर में गोबारा नयापाड़ा में रेलवे फाटक पर एक अवरोधक का निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण लोगों ने इस प्रयोजन के लिए रेलवे विभाग के पास पैसा भी जमा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितना;

(घ) अवरोधक के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) अवरोधक का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दिसम्बर, 1979 में, गोबारा-नयापाड़ा नगर पालिका, जिसने इस प्रयोजन के लिए 13,300 रुपये जमा किए थे, के लिए अभनपुर-राजिमपुर छोटी लाइन खण्ड के बीच 870/9-10 कि० मी० पर बिना चौकीदार वाले एक समपार की व्यवस्था 'निक्षेप' कार्य के रूप में की गयी थी । बैरियर लगाने उस पर चौकीदार की व्यवस्था करने का प्रारम्भिक और आवर्ती खर्च नगर पालिका अथवा राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा । अभी तक लागत वहन करने के बचन के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है । अतः रेल प्रशासन की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जलपाइगुड़ी स्टेशन के साथ लगने वाली भूमि को छोड़ा जाना

5382. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के उत्तर में यह बताया था कि जलपाइगुड़ी स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के साथ लगने वाली भूमि के टुकड़े को छोड़े जाने के लिए चेयरमैन, सिलिगुड़ी जलपाइगुड़ी विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय इस बीच ले लिया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सिलिगुड़ी और कटिहार के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए किए गए सर्वेक्षण को देखते हुए रेलों को अपने भावी विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे छोड़ा जा सकता है । सिलीगुड़ी जलपाई-गुड़ी विकास प्राधिकरण को रेलवे के निर्णय से अवगत करा दिया गया है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पद

5383. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के शिक्षा विभाग में शिक्षण (माध्यमवार) तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं तथा उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुरुलिया-हावड़ा सैक्शन से राजस्व

5384. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को पुरुलिया-हावड़ा सैक्शन से सभी स्रोतों से कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पुरुलिया-हावड़ा एक खण्ड नहीं है बल्कि खण्डों का एक समूह है जिसके 2 मार्ग हैं । ये मार्ग पुरुलिया-आद्रा-वांकुरा-खड़गपुर-हावड़ा और पुरुलिया-चांडिल-टाटा-खड़गपुर-हवाड़ा है । सभी संसाधनों से रेलों का कुल राजस्व क्षेत्र-वार रखा जाता है न कि खण्ड-वार । यह सूचना न तो इस मन्त्रालय में उपलब्ध है और न ही इसे क्षेत्रीय रेलों में रखा जाता है ।

ड्राइंग आफिस में 840-1040 रुपये वेतनमान के लाभ प्राप्तकर्त्ता

5385. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों की किस-किस श्रेणी को 840-1040 रुपये का वेतनमान दिया गया है और किस तिथि से;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने अगस्त, 1978 में कोई परिपत्र जारी किया है और ड्राइंग आफिस कर्मचारियों की श्रेणी का वर्गीकरण करके तथा अधीक्षक, ड्राइंग आफिस के कर्मचारियों को 840-1040 रुपये का वेतनमान देकर एक गैर श्रेणी के रूप में माना है; और

(ग) यदि हां, तो किस-किस जोनल रेलवे तथा विभागों में अधीक्षक, ड्राइंग आफिस की श्रेणी उपलब्ध है और किस तिथि से ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) उत्पादन यूनिटों, अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाने और सवारी डिब्बा कारखाना में ड्राइंग/डिजाइन कार्यालयों में अधीक्षकों को 450-575 रु० के अधिकृत वेतनमान जमा 150 रु० के विशेष वेतन के बदले 840-1040 रु० का संशोधित वेतनमान आवंटित किया गया है । संशोधित वेतनमान 1-1-1973 से लागू है ।

विवरण

उन कोटियों की सूची, जिन्हें 840-1040 रुपये का संशोधित वेतनमान आवंटित किया गया है ।

भाग 'क' कोटि	लागू होने की तारीख
1. शाप अधीक्षक/फोरमैन 'क'	1-1-1973
2. मुख्य कंट्रोलर ग्रेड-II	
3. लोको फोरमैन	
4. अनुरक्षण/यांत्रिक फोरमैन या निरीक्षक, वायलरमेकर निरीक्षक या फोरमैन	
5. लोको निरीक्षक	
6- ईंधन निरीक्षक	
7. उत्पादन यूनिटों (अर्थात् चि० रे० का०, डी० रे० का० और सा० डि० का०) में ड्राइंग कार्यालय के अध्यक्ष, मुख्य डिजाइन सहायक (ड्राइंग कार्यालय), अधीक्षक निरीक्षक	
8. मुख्य कर्षण फोरमैन (शिरोपरि उपस्कार)	19-8-1890

भाग 'ख'

कर्मचारियों की निम्नलिखित कोटियों को 840-1040 रु० का वेतनमान 700-900 रु० के वेतनमान में, पदों के 10% तक, आदेश जारी करने की तारीख से आवंटित किया गया है :—

1. स्टेशन अधीक्षक	16-2-1979
2. परिवहन/संचलन निरीक्षक	
3. वाणिज्य/दर/दावा निरीक्षक	
4. मुख्य यार्ड मास्टर	
5. रेलपथ निरीक्षक	
6. पुल निरीक्षक	
7. सिगनल निरीक्षक	
8. कर्षण शक्ति नियंत्रक/फोरमैन (शिरोपरि उपस्कर)	
9. बिजली निरीक्षक/फोरमैन चालू लाइन	
10. गाड़ी परीक्षक/सवारी व माल डिब्बा फोरमैन/सवारी व माल डिब्बा निरीक्षक	
11. पावर नियंत्रक-भाप/डीजल/बिजली	
12. निर्माण निरीक्षक	1-5-1976
13. दूर संचार निरीक्षक	

स्थानीय हाई स्कूलों और कालेजों में प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण की व्यवस्था

5386. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार हेतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) प्रमाण पत्र की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और लोगों को यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्रों में जाने पर काफी धन व्यय करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय हाई स्कूलों तथा कालेजों में प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, जिससे कि छात्रों को भी स्कूल छोड़ते समय प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जा सके तथा स्थानीय लोगों को भी इस निमित्त आवश्यक शुल्क जमा कराने के पश्चात् इन स्कूलों में दाखिला दिया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्च न्यायलयों में सेवा से हटाए गए, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित लम्बित मुकद्दमे

5387. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से सितम्बर, 1981 तक सेवा से हटाए गए, जबरन सेवानिवृत्ति किए गए तथा रेल कर्मचारियों के दण्ड स्वरूप स्थानांतरण से संबंधित मुकद्दमों का ब्यौरा क्या है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है तथा उनका जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मुकद्दमों के संबंध में रेल प्रशासन द्वारा अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) इन मामलों का विभागीय स्तर पर निपटान न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त मामलों में कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औद्योगिक शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत शिकायतों तथा औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु रेलों में क्या प्रभावी तंत्र बनाया गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) जहां तक अलग-अलग कर्मचारियों की शिकायतों का सम्बन्ध है, रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) निगम, 1968 में यह प्रावधान है कि खिन्न कर्मचारी को उपयुक्त प्राधि-

कारी, जिनका नियमों में विशेष रूप से उल्लेख है, के समक्ष अपील दायर करने के काफी अवसर प्राप्त हैं।

जहां तक सामूहिक शिकायतों का संबंध है, रेलों पर विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्यरत सुस्थापित स्थाई वर्ता तंत्र है, जहाँ बैठकों में विचार-विमर्श द्वारा मामले निपटाये जा सकते हैं। विशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में मध्यस्थता के अनिवार्य अधिकार-युक्त संयुक्त वार्ता तंत्र भी औद्योगिक विवादों का सुचारू रूप से निपटारा सुनिश्चित करता है।

उपादान के एक भाग को रोका जाना

5388. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त होने वाले श्रेणी-III के रेल कर्मचारी के उपदान के एक भाग को रोकने के बारे में उनके मंत्रालय अथवा उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा, यदि कोई आदेश जारी किए गए हैं, तो वे क्या हैं और उत्तर रेलवे के डिवीजन में ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं;

(ख) वे क्या परिस्थितियां थीं, जिनमें ऐसी सख्त कार्यवाही की जाती है; और

(ग) ऐसे मामलों में डिवीजनल अधिकारियों से आदेशों के विरुद्ध किस अधिकारी से अपील की जाती है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यदि सम्बन्धित कर्मचारी ने उपयुक्त स्थायी रेल कर्मचारी से निर्धारित फार्म में बंध-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो उस रेल कर्मचारियों से सरकार को देय राशि के बराबर की राशि मृत्यु एवं सेवा-निवृति उपदान में से रोके जाने के लिए वर्तमान नियमों में व्यवस्था है।

(ग) अनुशासनिक मामला न होने के कारण ऐसी कोई अपील नहीं की जाती है, लेकिन रेल कर्मचारी उच्चतर प्राधिकारियों को अपने मामले में अभ्यावेदन कर सकता है।

पुलिस कार्मिकों द्वारा डी० टी० सी० बसों में निःशुल्क यात्रा करना

5389. **श्री भीखाभाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस कार्मिकों को डी० टी० सी० बसों में निःशुल्क यात्रा करने का अधिकार किस आधार पर किया गया है;

(ख) क्या ऐसी सुविधाएं किसी अन्य स्थान पर भी पुलिस को प्राप्त हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये विशेषाधिकार प्राप्त पुलिस कार्मिक अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके पहले से ही खचाखच भरी बस में आगे के गेट से बस में चढ़ते हैं; और

(घ) क्या सरकार डी० टी० सी० बसों में सरकार के वर्ग 'घ' के अधिकारियों सहित समाज के कमजोर वर्गों की निःशुल्क यात्रा करने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार पुलिसजनों को यह विशेषाधिकार समाप्त किए जाने पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम के बीच हुई सहमति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम ने एक बस में एक समय में दो अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दे रखी है, और दिल्ली पुलिस, निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों को छापामार कर पकड़ने के लिए उनकी मोबाइल मेजिस्ट्रेयल कोर्ट के लिए बिना कुछ लिए दिल्ली परिवहन निगम को पुलिस कार्मियों की सेवाएं प्रदान करती है ।

(ख) यद्यपि बिल्कुल मुफ्त यात्रा नहीं करने दी जाती, फिर भी जब राज्य सरकारें प्रति-वर्ष कुछ रियायती दर पर तदर्थ एक मुस्त धन राशि का भुगतान करती है तो बम्बई एलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ड्यूटी के समय पुलिस कर्मचारियों को यात्रा करने की सुविधा देता है ।

(ग) इस तरह की कुछ शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं ;

(घ) इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ङ) चूंकि यह व्यवस्था ठीक चल रही है और बसों में पुलिस कर्मचारियों की उपस्थित से बदमाशों को भय बना रहता है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने का दिल्ली परिवहन निगम का कोई इरादा नहीं है ।

उत्पादन एकक में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

5390. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन एककों सहित रेल विभाग में चतुर्थ श्रेणी (श्रेणी 'घ') के कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) क्या उत्पादन एककों सहित कुछ रेलवे विभाग पहले स्थानीय क्षेत्र से नैमित्तिक मंजूरी पर मजदूर भर्ती करते हैं और उसके पश्चात् उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियमित रोजगार नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) कारखानों की रिक्तियों को छोड़कर, जहां 50 प्रतिशत रिक्तियों से भरी जाती हैं, रेलों में चतुर्थ श्रेणी की सभी रिक्तियों को आजकल जांच किये गए/ पैनल में रखे गए नैमित्तिक श्रमिकों में से भरा जाता है ।

हाल जंकशन पर बुकिंग व्यवस्था

5391. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में मोकामेह जंकशन के निकट हॉल जंकशन नाम का कोई स्टेशन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि यह स्टेशन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने के बावजूद वहां बुकिंग व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या हॉल जंकशन निर्माण संघर्ष समिति ने इस सम्बन्ध में उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मोकामा जंकशन और हाथीदह स्टेशनों के बीच केवल ताल ब्लाक हट नामक एक ब्लाक हट मौजूद है। इस ब्लाक हट की निकटवर्ती स्टेशनों से दूरी क्रमश: 2.13 कि० मी० और 2.27 कि० मी० है। इस ब्लाक हट को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव की विगत में जांच की गयी थी परन्तु इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नागर कोइल टाउन स्टेशन

5392. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन के नगर कोइल टाउन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां प्लेटफार्म, शौचालय और पर्याप्त प्रतीक्षालयों की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस स्टेशन के यात्रियों के उचित सड़क व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) सरकार यात्रियों की उक्त शिकायत दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नागरकोइल दो स्टेशनों, अर्थात् नागरकोइल टाउन और नागरकोइल जंकशन, द्वारा सेवित है। नागरकोइल टाउन केवल एक फ्लैग स्टेशन से होने वाले यात्री यातायात की सुविधा के लिए, 40 वर्ग फुट का प्रतीक्षालय, पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म और कच्चे पहुंच मार्ग की व्यवस्था पहले से ही है। संडास की व्यवस्था करने और मौजूदा सड़क की पानी से रक्षा करने का काम पहले ही चल रहा है। इन निर्माणकार्यों के पूरा हो जाने पर, नागरकोइल टाउन में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त होंगी।

विकास पुरी, दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय खोलना

5393. **श्री केशवराम पारधी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास पुरी, दिल्ली क्षेत्र में कोई नर्सरी/प्राथमिक विद्यालय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस कालोनी के निवासियों को अपने बच्चों को दूरदराज के स्कूलों में भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यहां के निवासियों ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भी भेजी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कब स्कूल उपलब्ध कराने की संभावना है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विकास पुरी में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तथापि, एम० सी० प्राथमिक स्कूल, केशोपुर, विकासपुरी से लगभग एक किलोमीटर दूर है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) नर्सरी/प्राथमिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर आगामी शिक्षा सत्र में विचार किया जाएगा।

छठी योजना में उड़ीसा में बड़े पुलों के लिए ऋण सहायता

5394. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा सरकार द्वारा सुझाए गए पुलों के नाम क्या हैं और उन पुलों के नाम क्या हैं जिनको उनके मंत्रालय ने "अन्तर्राज्यीय और आर्थिक" महत्व के अन्तर्गत छठी योजना में ऋण सहायता के लिए मंजूरी दी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उड़ीसा सरकार ने, छठी योजना के भाग के रूप में अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्व के कारण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत नीचे लिखे पुलों के लिए ऋण सहायता लेने का प्रस्ताव किया है:—

(1) बालामीर-जलेश्वर सड़क का सुधार करना जिसमें गुटिखल पुल भी शामिल है,

(2) पदमापुर-जगदलपुर सड़क पर जगदलपुर के निकट आंग नदी के ऊपर पुलों का निर्माण,

(3) बौध-क्याकटा सड़क पर महानदी के ऊपर पुल बनाना, और

(4) धेनकनाल-कमल्यानगर सड़क का सुधार जिसमें ब्राह्मणी और रमियाल नदियों पर पुल बनाना भी शामिल है।

इस तरह के प्रस्ताव अन्य राज्यों से भी आएंगे और विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी ऋण सहायता दी जाएगी, इस बात का निर्णय तभी किया जा सकता है जब इस तरह के अन्य

प्रस्ताव प्राप्त हो जाएं और उपलब्ध धनराशि को देखते हुए यह निश्चय कर लिया जाए कि अमुक अमुक कार्य पहले करने हैं।

मूलचन्द अस्पताल, नई दिल्ली के समीप ऊपरी पुल

5395. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री मूलचन्द अस्पताल के समीप ऊपरी पुल के बारे में 26 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलचन्द क्रासिंग (नई दिल्ली) पर गोल चौराहे के स्थान पर सिगनल क्रासिक कब बनाया गया था;

(ख) वहां ऊपरी पुल का निर्माण कब शुरू हुआ था; और

(ग) किन परिस्थितियों में धनराशि पहले नहीं दी गई जैसा कि अब किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सिग्नलाइज्ड क्रासिंग का प्रस्ताव अगस्त, 1978 में स्वीकृत किया गया और 2 जुलाई, 1980 को पूरा किया गया था। फ्लाई-ओवर का निर्माण 3 जनवरी, 1981 को शुरू किया गया था। फ्लाई-ओवर को छठी योजना (1980-85) में शामिल किया गया था और उसके बाद निर्माण कार्य जल्दी करने के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई ताकि एशियाड 82 के लिए वह पुल तैयार हो जाए।

स्लीपरों की खरीद

5396. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1979-80 और 1980-81 में विभिन्न राज्यों से स्लीपर खरीदने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) इन वर्षों के दौरान उड़ीसा वन निगम से स्लीपर खरीदने का निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979-80 और 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों से लकड़ी के स्लीपर खरीदे जाने पर किये गये व्यय की कुल रकम नीचे दी गई है :—

1979-80	33.69 करोड़ रुपये
1980-81	44.16 करोड़ रुपये

(ख) 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा वन निगम से स्लीपर खरीदे जाने का लक्ष्य नीचे दिया गया है : —

(आंकड़े हजार में)

	वचन		पूर्ति	
	1979-80	80-81	79-80	80-81
बड़ी लाइन	50	34	35	42
मीटर लाइन	150	166	135	153
छोटी लाइन	90	70	89	66
जोड़	290	270	259	261
विशेष (हजार घ० मी० में)	20	20	14	17

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन निगम, राज्य वन विभाग, खरीदने वाली रेलवे और इस मन्त्रालय के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

न्यू कटनी रेलवे डीजल यार्ड के निर्माण के लिए अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान

5397. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जिनकी भूमि न्यू कटनी रेलवे डीजल यार्ड के निर्माण के समय अर्जित की गई थी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या रेलवे द्वारा छपरवारा ग्राम के अन्य व्यक्तियों की भूमि भी अर्जित की जा रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अधिग्रहण की गयी भूमि के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को क्षति-पूर्ति का भुगतान कर दिया गया है। कोई मामला बकाया नहीं है।

(ख) जी हां।

दिल्ली में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये एक बोर्ड का गठन

5398. **श्री संयोगिता राणे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये उपकरणों और नियमित अध्यापकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिये एक पृथक बोर्ड का गठन करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उपस्कर की कोई कमी नहीं है। अध्यापकों को अंशकालिक आधार पर लगाया गया है।

(ग) एक अलग बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय में कार्य के घण्टों में कमी

5399. **श्री सुभाष बोस चन्द्र अल्लूरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य के घण्टों में कमी करने का प्रश्न गत एक वर्ष से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रलयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में कामकाज के घण्टों से सम्बन्धित मामला विचार के अन्तिम स्तर पर है।

मोहरामनगर देहात हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी का एक्सप्रैस टूरिस्ट बस सर्विस के साथ बेनामी समझौता

5400. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** मोहराम नगर देहात हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का एक्सप्रैस टूरिस्ट बस सर्विस के साथ बेनामी समझौते के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1980 के उत्तर के संबन्ध में उक्त बेनामी व्यापार का ब्यौरा सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : दिल्ली प्राशासन से प्राप्त सूचना इस प्रकार है :—

मोहराम नगर हरिजन कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली को दिल्ली-ककरौला मार्ग पर स्टेज कैरिज परमिट मिला हुआ था। यह परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने दिया था। यह परमिट 9.11.1976 तक नियमित रूप से नवीकृत कराया जाता रहा। अधिक भाड़ा वसूल करना आदि के बारे में कुछ शिकायतों की जांच पूरी होने तक इस सोसाइटी को जनवरी 1979 तक अस्थायी परमिट मंजूर किया जाता रहा। जनवरी, 1979 के बाद इसे कोई परमिट नही मंजूर किया गया।

1978 में इस सोसाइटी के खिलाफ एक शिकायत राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले परमिट को जाली बनाने और एक्सप्रैस टूरिस्ट बस सर्विस कम्पनी के साथ 'बेनामी

सौदा' करने के बारे में थी । इस शिकायत की परिवहन निदेशालय की प्रवर्तन शाखा द्वारा जांच की गई । यह मामला रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी को भी भेजा गया जिन्होंने यह सूचित किया कि इस सोसाइटी के खिलाफ दिल्ली कोआपरेटिव सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के अधीन कार्रवाई की जा रही है । रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी ने यह भी सूचित किया कि उक्त सोसाइटी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है और यह बन्द की जा रही है । परिवहन प्राधिकरण दिल्ली ने इस सोसाइटी को मोटर यान अधिनियम की धारा 60 के अधीन परमिट रद्द न किए जाने के लिए 'कारण बताओ' का नोटिस भी दिया । इस मामले पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में विचार हुआ जिनमें इस सोसाइटी ने कभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । राज्य परिवहन प्राधिकरण की 27.5.1981 की पिछली बैठक में यह भी पता लगा कि जिस गाड़ी के लिए परमिट दिया गया था वह राज्य परिवहन प्राधिकरण की अनुमति के बिना बेची जा चुकी है ।

उक्त जांच के पूरी नहीं होने तक इस सोसाइटी को जनवरी, 1979 के बाद परमिट नवीकृत नहीं किया गया । इस रूट पर किसी भी गाड़ी के न चलने के कारण साधारण जनता को काफी परेशानी हुई और दिल्ली परिवहन प्राधिकरण को दिल्ली परिवहन निगम व साधारण जनता से उक्त रूट पर परमिट जारी करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए । राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 27.5. 81 की बैठक में सारे मामले पर विचार किया और सोसाइटी को दिए गए परमिट को रद्द करने का फैसला किया और यह परमिट दिल्ली परिवहन निगम को दे दिया । तदनुसार, दिल्ली परिवहन निगम से इस रूट पर गाड़ी चलाने के लिए कहा जा रहा है ।

स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण के लिए सीनियर स्केल के अधिकारियों का चयन .

5401. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ कालेज बड़ौदा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों अर्थात् परिवहन और वाणिज्यिक कार्मिक तथा अन्य विभागों से सीनियर स्कूल के अधिकारियों के चयन के तरीके के बारे में जोनल रेलवे को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं, यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या यह सच है कि एक अधिकारी जिसे प्रशिक्षण के लिए चुना गया है वह आगामी 2-3 वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाला है तथा क्या ऐसे अधिकारियों का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि सरकारी धनराशि को बरबाद न किया जाये बल्कि उसका समुचित उपयोग किया जाये, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उत्तर रेलवे (उसके डिवीजनों सहित) के विभिन्न विभागों के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बड़ौदा स्टाफ कालेज के लिए चुना गया था अथवा जिन्हें इस समय भेजा जा रहा है उनके चयन का तरीका क्या है तथा उनमें से कितने आगामी 2-3 वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ वेतन-मान अधिकारियों के प्रवरण

के ढंग के संबन्ध में कोई विरिष्ठ अनुदेश मौजूद नहीं है लेकिन सामान्य मार्ग-दर्शक सिद्धान्त मौजूद हैं, जिनके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गयी है कि जहां तक संभव हो 2-3 वर्षों में सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारियों के नामांकन से बचा जाये ।

(ग) 1.10.80 से 30.11.81 तक की अवधि के दौरान रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में उत्तर रेलवे द्वारा अनेक विभागों के प्रतिनियुक्त किये गये वरिष्ठ वेतन-मान अधिकारियों की सूची विवरण रूप से संग्लन है । केवल एक अधिकारी, श्री जी० सम्पत को, आगामी 2 वर्षों के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले हैं, प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था ।

अधिकारियों का नामांकन अलग-अलग रेलों द्वारा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

विवरण

क्रमसं०	अधिकारी का नाम और पदनाम	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	श्री टी० एन० भटनागर, एस० एस० टी० ई०	कार्मिक प्रशासन तथा औद्योगिक सम्बन्ध पर विशेष पाठ्यक्रम ।
2.	,, आर० एन० लाल, डी० ई० ई०	
3.	,, आर० के० वन्सल, डी० ई० ई०	ऊर्जा प्रबन्ध पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम ।
4.	,, ए० के० मल्होत्रा, डी० एम० ई०	
5.	,, एच० एस० सिन्हा, एस० एम० ई०	प्रशिक्षण तकनीकों के संगठन पर विशेष पाठ्यक्रम ।
6.	,, अनिल मदान, डी० एम० ई०	अनुरक्षण प्रबन्ध पर विशेष-पाठ्यक्रम ।
7.	,, जी० सम्पत, डब्ल्यू० एम०	उत्पादन लागत तथा नियन्त्रण पर विशेष पाठ्यक्रम ।
8.	श्रीमती पी० रहेजा, एस० टी० ओ० (पी०)	आई० आर० टी० एस० परिवीक्षकों के लिए प्रवेश पाठ्क्रम ।
9.	श्री जे० एस० कछवाहा, डी० ई० एन०	सेवा में नियुक्त आई० आर० पी० एस० अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम ।
10.	,, एच० एस० आनन्द, डी० ई० ई०	आर० आर० एस० ई० ई० परिवीक्षकों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम ।
11.	,, जी० सम्पत, प्रधानार्य एस० टी०	वरिष्ठ वेतन-मान अधिकारियों के लिए अग्रिम कार्य अध्ययन पाठ्क्रम ।
12.	,, आर० एन० लाल डी० ई० ई० एस०	

(जारी···)

1	2	3
13.	,, जी० एस० गर्ग एस० एस० टी० ई०	ठेकों और मध्यस्त वार्ताओं पर गोष्ठी
14.	,, के० के० सोनी एस० ई० एन०	
15.	,, सुशील कुमार एस० एस० टी० ई०	प्रशिक्षण देने वालों के लिए प्रशिक्षण पर विशेष पाठ्यक्रम।
16.	,, ए० ए० खाण्डे, डी० ई० एन०	रेल परिसरों से बेदखली अल्पकालीन पाठ्यक्रम।
17.	,, एस० के० श्रीवास्तव, एस० ई० एन०	
18.	,, एस० मल्होत्रा, डी० एम० ई०	आई० आर० एम० एम० ई० परिवीक्षकों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम।
19.	,, जी० एन० अस्थाना, पी० ई०	
20.	,, वाई० एन० घवन, पी० ई०	

देश में मलेरिया पर नियन्त्रण के उपायों का निष्फल अनुमान और मूल्यांकन करने के लिए स्वतन्त्र निकाय

5402. **श्री डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा गठित किये गये मलेरिया संबंधी विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की है कि देश में मलेरिया पर नियन्त्रण के उपायों का निष्पक्ष अनुमान तथा मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो दल की सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

5403. **श्री बी० के० नायर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्रियान्वयन कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सेतुसमुद्रम परियोजना की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गयी है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

राष्ट्रीय समुद्र बोर्ड का समझौता और भारतीय नाविकों के समझौते का करार पत्र

5404. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्र बोर्ड का समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है और किसी भी ऐसे नाविक जो अथवा जिसका प्रतिनिधि इस समझौते की एक पार्टी नहीं है पर इसकी कोई भी संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो पोत को जल अवतरित करने के पूर्व सरकार ने इस समझौते के विभिन्न खंडों को किस प्रकार भारतीय नाविकों के समझौते के करारपत्र में शामिल किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) विदेशों में जाने वाले सभी भारतीय रेटिंगंज (नाविक) की वेतन शर्तें और सेवा शर्तें चाहे वे भारतीय जहाजों पर या विदेशी जहाजों पर नौकरियां कर रहे हों, नेशनल मैरिटाइमें बोर्ड द्वारा निश्चित की जाती है। यह बोर्ड एक द्विपक्षीय संस्था है जिसमें जहाज मालिकों के प्रतिनिधि और भारतीय नाविकों के प्रतिनिधि होते है जो मान्यता प्राप्त यूनियनों के माध्यम से आते हैं। मास्टर और नाविकों के बीच करार के अनुच्छेद, व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए करार एक कानूनी दस्तावेज है। व्यापार नौवहन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करार के अनुच्छेदों में अन्य बातों के साथ प्रत्येक नाविक को देय वेतन की राशि का उल्लेख करना होता है। नेशनल मैरिटाईम बोर्ड के निर्णय करार के अनुच्छेदों का ही भाग होते हैं बशर्ते कि वे किसी कानून या व्यापार नौवहन अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध न हों।

समस्तीपुर में रेलवे संस्थान

5405. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर में हजारों रेल कर्मचारियों के, उनके बहुपक्षीय सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक और अन्य क्रियाकलापों के लिए केवल एक ही रेलवे सामुदायिक संस्थान् है ;

(ख) क्या कथित संस्थान को किसी सिनेमा घर के मालिक को पट्टे पर दिए जाने का विचार है ;

(ग) क्या समस्तीपुर के रेल कर्मचारियों ने उक्त पट्टे के विरुद्ध प्रदर्शन किया है ; और

(घ) क्या पट्टे को रद्द किए जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समस्तीपुर में दो रेलवे संस्थान हैं।

(ख) जी हां। फिल्में दिखाने के लिए पुराने संस्थान भवन को लाइसेन्स पर (पट्टे पर नहीं) किसी बाहरी व्यक्ति को देने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। संस्थान भवन को किसी बाहरी व्यक्ति को लाइसेन्स पर दिए जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध रेल कर्मचारियों की ओर से प्रस्तुत एक अभ्यावेदन रेलवे को प्राप्त हुआ है।

(घ) पार्टी के साथ किए जाने वाले लाइसेन्स करार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उच्च पदों को भरना

5406. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में नौ जोनों में से चार महाप्रबंधकों के पदों सहित कम से कम 10 उच्च पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों के 4 पदों सहित, 3000/- रु० और इसे अधिक के सेडों वाले सात पद खाली पड़े हैं, जिनमें से एक पद 1.8.81 से, दो पद 1.10.81 से, एक पद 30.11.81 से और तीन पद 1.12.81 से खाली पड़े हुए हैं। इनमें से पांच पदों को भरने के निर्णय लिये जा चुके हैं। शेष दो पदों को भरने के बारे में सरकार विचार कर रही है, जिनके बारे में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

संतोषजनक कार्य करने वाली संस्थाओं के साथ ठेकों का नवीकरण

5407. **रणजीत सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई संस्थायें अपने कार्य-क्षेत्र में अपने ठेके की अवधि के दौरान संतोषजनक ढंग से कार्य करती रही हैं तो उनके उसी ठेकों को, आगे बात-चीत करके आगामी अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाता है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी हां, यदि कार्य के क्षेत्र विशेष में संस्था का कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो, तो उसी संस्था को सह्यलाई ठेका बढ़ा दिये जाने की नियमों में व्यवस्था है।

मध्य रेलवे में झांसी डिविजन पर फाटक संख्या 435 पर कोई तैनात न होना

5408. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी डिविजन के फाटक संख्या 435 पर 24 अगस्त, 1981 को जबलपुर जा रही 150-अप कुतुब एक्सप्रैस को न केवल एक बाधा का सामना करना पड़ा बल्कि वह गाड़ी, सौभाग्य से ही, गंभीर रूप से पटरी से उतरने से बची;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसका कारण यह था कि उस दिन पी० डब्ल्यू० आई० ने 18 घन्टे पश्चात् उक्त फाटक को बिना कोई आदमी तैनाव किए छोड़ दिया था और कुछ शरारती लोगों ने फाटक को हटाकर उसे पटरियों पर डाल दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संबंधित पी० डब्ल्यू० आई० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 24.8.81 को ग्वालियर-आगरा खण्ड के बानमेर और रायरू स्टेशनों के बीच समपार सं• 435 के फाटक पर लगभग 22.00 बजे 150 अप कुतुब एक्सप्रैस को एक अवरोध का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप फाटक का एक पल्लू क्षतिग्रस्त हो गया था, परन्तु गाड़ी पटरी से नहीं उतरी।

(ख) गेटमैन 24.8.81 के 22.00 बजे से 25.8.81 के 8.00 बजे तक ड्यूटी पर रहा। उसे 24.8.81 को 21.30 बजे के आसपास गेट छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे गम्भीर परिणामों की धमकी दी थी। जब वह बचाव के लिए वहां से चला गया तो शरारती तत्वों ने गेट का ताला तोड़ कर गेट के पल्लू को रेल की पटरी पर फेंक दिया जिससे रेल पटरी पर अवरोध उत्पन्न हो गया। गेट मैन लगभग एक घंटे बाद वहां वापस आया और उसके कुछ अन्य गैंगमैन तथा रेलपथ मिस्त्री थे जिन्होंने देखा कि गेट को नुकसान पहुंचा था और इन्होंने गेट की तत्काल मरम्मत कर दी।

(ग) और (घ) रेलपथ निरीक्षक के विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि वह किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं था। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गयी है ताकि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

भावनगर-महुवा छोटे लाइन का बदला जाना

5409. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सौराष्ट्र चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भावनगर (गोहाटी) तथा अन्य संगठनों की ओर से भावनगर-तलागा-महुवा छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई अध्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य सम्भवत: कब आरम्भ होगा तथा कब पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या उक्त लाइन के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ड़) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षणों का ब्योरा क्या है और लाइन को बदलने में संभवत: कितनी राशि खर्च होगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी हाल में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

बिना कारण बताए रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाना

5410. **श्री नारायण चौबे**
श्री ए० के० राय } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 तथा 1981 (आज तक) के दौरान रेल कर्मचारियों संबंधी डी० एण्ड ए० नियम, 1968 के नियम 14 (दो) का उपयोग करके, बिना कोई कारण बताए कितने रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया;

(ख) इनमें से कितने मामलों में सरकार ने स्वयं ही उक्त निर्णयों को रद्द कर दिया था;

(ग) कितने मामलों में लोगों ने न्यायालयों का सहारा लिया और कितने लोगों को स्थगन आदेश प्राप्त हो गए;

(घ) कितने लोग न्यायालयों में मुकदमे हार गए और कितने जीत गए; और

(ड़) कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल कर्मचारियों (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (2) के अनुसार रेल कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के कारणों का उल्लेख ऐसे कर्मचारियों को सेवा से हटाये जाने के नोटिस में किया जाता है। अपेक्षित सांख्यिकीय विवरण निम्नलिखित है:—

	1977	1978	1979	1980	1981 (अक्तूबर 81 तक)
(क) रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 14 (2) के अंतर्गत सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	24	14	34	215	574
(ख) सरकार द्वारा माफ किए गए मामलों की संख्या	6	4	9	140	4
(ग) (1) न्यायालय की शरण में जाने वालों व्यक्तियों की संख्या	1	3	15	44	366
(2) स्थगत-आदेश प्राप्त करने वालों की संख्या	–	–	–	1	184
(घ) (1) न्यायालयों द्वारा खारिज किए गए मामलों की संख्या	–	3	–	4	44
(2) न्यायालयों द्वारा वैद्य ठहराये गये मामलों की संख्या	–	–	–	–	–
(ङ) न्यायालयों में वकाया पड़े मामलों की संख्या	1	–	13	40	206

भारत में ब्रिटिश काल के अभिलेख

5411. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात के क्या कारण है कि भारत में ब्रिटिश काल के अभिलेखों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्ष बाद भी गोपनीय समझा जा रहा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अनुसंधान कर्त्ता, सरकार द्वारा 1972 में पारित अभिलेख नीति संकल्प के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानान्तरित अभिलेखों का अवलोकन करते हैं। तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानान्तरित 31 दिसम्बर, 1945 से पहले की अवधि से संबंधित सभी अगोपनीय सार्वजनिक अभिलेख और बाद वाले 30 वर्ष पुराने ऐसे सभी अभिलेख कुछ ऐसे अपवादों और प्रतिबंधों को छोड़कर, जिन्हें निदेशक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा लगाया गया है, सभी वास्तविक अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए देखने के वास्ते उपलब्ध हैं।

सामान्य श्रेणी के अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

5412. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1980 के बाद रेलवे बोर्ड के सामान्य श्रेणी के लगभग 20 अनुभाग अधिकारियों, जो अन्यथा पात्र नहीं हैं, की गृह मंत्रालय (कार्मिक विभाग) द्वारा दीर्घविधि तदर्थ आधार पर उप-निदेशकों/अवर सचिवों के रूप में पदोन्नति की गई है, हालांकि ऐसी पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे स्पष्ट अनुदेश हैं कि प्रशासनिक हितों में ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के दावों पर भी विचार किया जाना चाहिये;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कमियां तुरन्त दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अक्तूबर, 1980 के बाद रेलवे बोर्ड के 14 ग्रेड "ए" अनुभाग अधिकारियों/स्टेनोग्राफरों को तब तक प्रशासनिक हित में, वरीयता के अनुसार तदर्थ आधार पर उप निदेशकों/अवर सचिवों के पदों का कार्य देखने के लिए लगाया गया जब तक कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में पदोन्नति के लिए एक नियमित पेनल न बन जाये।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के नमूने पर बनाया गया है और कार्मिक मामलों में, आम तौर पर, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों को अपनाया जाता है। चूंकि इस मामले पर गृह मंत्रालय के अनुदेश स्पष्ट नहीं हैं, इस लिए इस मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बारे में पत्र लिखा गया है। इसी बीच, अक्तूबर, 1980 के बाद से किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुभाग अधिकारी को अवर सचिव/उप-निदेशक के पद का कार्य देखने के लिए नहीं लगाया गया है क्योंकि वरीयता के आधार पर उनमें से कोई भी अनुभाग अधिकारी पदोन्नति के क्षेत्र में नहीं आता।

(ख) अवर सचिवों/उप-निदेशकों की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग आगामी वर्ष में जल्दी ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों के लिए एक सीमित विभागीय परीक्षा लेने जा रहा है।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा चुने उम्मीदवारों का प्रशिक्षण

5413. श्री तारिक अनवर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जिनकी सूची रेलवे सेवा आयोग द्वारा 26 जनवरी, 1981 को जारी की गई थी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनके प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे शेष उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिनके लिए यह व्यवस्था अभी की जानी है; और

(ग) शेष उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण, और रोजगार की व्यवस्था निश्चित रूप से कब तक कर दी जाएगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उक्त सूची में से किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है । जब कभी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा । प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही नियुक्तियां की जा सकेंगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा छात्र सम्मेलन में किए गए निर्णय

5414. **श्री के० ए० राजन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ महीने पूर्व त्रिवेन्द्रम में अन्तर्राष्ट्रीय युवा छात्र सम्मेलन हुआ था जो हिन्द महासागर को "शांति-क्षेत्र" बनाने के लिए उनके समर्थन को प्रकाश में लाने के लिए था तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय छात्र संघ, अखिल भारतीय युवक परिसंघ तथा अखिल भारतीय छात्र परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अन्य देशों से कितने प्रतिनिधि आये थे और किन-किन देशों से आये थे;

(ग) इस सम्मेलन के क्या निर्णय थे ; और

(घ) इन निर्णयों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) और (ख) बताया जाता है कि अगस्त, 1981 में त्रिवेद्रम में इसी सम्मेल में, सोनियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, वियतनाम, कम्पूचिया, पोलैंड, इथोपिया, यमन, अफगानिस्तान, कोरिया, ईरान, मैडागास्कर, बंगलादेश, सेनेगल सीरिया, श्रीलंका, वहरीन, नेपाल आदि के 26 प्रतिनिधियों ने हिन्द महासागर-शांति का क्षेत्र विषयक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र एवं युवा सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ग) सम्मेलन में स्वीकृत "अन्तिम-विज्ञप्ति" की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है । **[ग्रथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-3271/81]**

(घ) इसके बारे में सरकार की स्थिति चूंकि सुविदित है इसलिए वह आमतौर पर ऐसी विज्ञप्ति पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती।

उंगाडा में छोड़ी गई भारतीयों की सम्पति के दावे

5415. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उंगाडा के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने पिछले शासनकाल में वह देश छोड़ दिया था, से कहा कि वे अपनी आस्तियां रख सकते हैं तथा उनको वापस लेने के लिये दावे कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीयों ने उंगाडा छोड़ दिया था और उस देश में उन्होंने अनुमानतः कितने मूल्य की सम्पति छोड़ी थी;

(ग) क्या भारतीयों की सम्पति के लिए दावों के बारे में ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) भूतपूर्व निवासियों के पुनः उंगाडा लौटने के बारे में नीति का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति ईदी अमीन के इस निर्णय के परिणामस्वरूप कि वहां की अर्थव्यवस्था को देशीयकृत किया जाएगा, 1972 में उगांडा से लगभग 5,000 भारतीय राष्ट्रिक निकाल दिये गये। राष्ट्रपति के इस आदेश के अन्तर्गत, भारतीय नागरिकों का निर्धारित फार्मों में अपनी आस्तियों और देयताओं की घोषणा करनी थी तथा अपनी सम्पति या व्यापार का अन्य विवरण और जानकारी देनी थी। उगांडा सरकार द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने हमारे हाई कमीशन की मार्फत, उगांडा से चले गए भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा पेश किये गए 1535 दावों में से 1038 दावे मंजूर किये। उनमें मूल रूप से भवनों, संयंत्रों और मशीनरी, उगांडा सरकार के स्टॉकों, बीमा पॉलिसियों, निरुध निधियों तथा समाज सुरक्षा निधियों के दावे शामिल थे। एक समझौते के अन्तर्गत उगांडा सरकार ने 628 दावों के सिलसिले में मुआवजे के तौर पर 1,44,88, 792·60 रुपये की रकम अदा की। शेष 410 दावों के बारे में, जोकि मुख्य तौर पर उपदान, पेंशन वेतन, आप्रवासी जमा राशियों के लौटाये जाने, आयकर की वापसी आदि से सम्बन्धित हैं। हमारा हाई कमीशन राजनयिक माध्यम से उगांडा सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

(घ) उगांडा की मौजूदा सरकार ने यह बात फिर कही है कि ईदी अमीन के शासन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रिक उगांडा से चले गए थे वे उगांडा लौट सकते हैं और अपनी सम्पति वापस ले सकते हैं।

कटक-भुवनेश्वर सड़क का चौड़ा किया जाना

5416. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री चिंतामणि जेना } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है;

(ख) क्या उपरोक्त राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटनाएं इस बात के कारण होती हैं कि सड़क बहुत ही संकरी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) चूंकि प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकारें अलग-अलग सड़कों के आंकड़े नहीं रखती हैं, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि विचाराधीन मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है ।

(ख) जी नहीं, यह सड़क पहले से ही दो लेनों की है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर मार्ग के चुने हुए भागों को चार लेनों में चौड़ा करने के काम के लिए जिसमें आवश्यकतानुसार भूमि प्राप्त करने का काम भी शामिल है, 1980-85 की योजना में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसने लिए दागबेल डालने का काम पूरा हो चुका है । इस काम के लिए व्यय का अनुमान मंत्रालय को अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में बीजिंग में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा अंग्रेजी में दिए गए भाषण

5417. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (नवभारत टाइम्स, दिनांक 30 अक्तूबर, 1981) समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार जनसंख्या के बारे में बीजिंग में आयोजित सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा अपने भाषण अंग्रेजी में दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अस्पष्टता और आश्चर्य की स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है ।

(ख) सांसदों और विधायकों का यह प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल की हैसियत से गया था, सरकार की ओर से नहीं ।

'भवानी' तलवार का पता लगाना

5418. **श्री झारखंड़े राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की देश की प्रसिद्ध "भवानी तलवार" का सरकारी तौर पर पता लगाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत सरकार ने इस मामले के बारे में यू० के० सरकार से परामर्श किया है।

महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व विभाग का यह विचार है कि भारत में कोई ऐसी दूसरी तलवार नहीं है, जिसके बारे में यह कहा जा सकता हो कि छत्रपति स्वयं उसका प्रयोग करते थे। लेकिन इसके बारे में ब्रिटिश विशेषज्ञों का मत है कि ब्रिटिश रायल संग्रह में जो तलवार है वह शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, उनके बाद के समय की है।

कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन आयुर्वेद, मद्रास में आयुर्वेद के फिजीशियन की नियुक्ति

5419. श्री रेणुपद दास
श्री भीखा भाई } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दवाओं के मानकीकरण करने के लिए स्थापित कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन आयुर्वेद, मद्रास में इसके शुरू होने से लेकर अब तक, आयुर्वेद के किसी भी फिजीशियन की नियुक्ति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस प्रोजक्ट में आरम्भ से ही आयुर्वेद का एक चिकित्सक रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

"ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, विशाखापत्तनम् में विभिन्न संवर्गों में नियुक्त स्टेनोग्राफर"

5420. श्री रामसिंह शाक्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्रेजिंग कारपोरेशन विशाखापत्तनम् में स्टेनोग्राफर के रूप में कुछ उम्मीदवारों को प्रबंधकों द्वारा विभिन्न संवर्गों में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रबंधकों द्वारा ऐसे कितने स्टेनोग्राफ़र नियुक्त किये गए हैं और इस नियुक्ति का मामलावार, ओचित्य क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति उत्थान संघ विशाखापत्तनम् ने इस नियुक्ति के खिलाफ प्रबंधकों से शिकायत की थी;

(घ) यदि हां, तो इस शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में प्रबंधकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० विशाखापत्तनम के मुख्यालय में कोई स्टेनोग्राफर अलग काडर में नहीं रखा गया है। परन्तु इस उपक्रम के 7 स्टेनोग्राफरों को यांबू (सऊदी अरब) में 1-9-1981 से निगम को समुद्र पारीय परियोजना में काम के हित में कुछ अन्य पदों पर रखना पड़ा। परियोजना के लिए जो ठेका किया था उसमें स्टेनोग्राफरों के पदों की व्यवस्था नहीं थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं होता।

होम्योपैथिक "आई ड्राप्स" का आधार और इसमें प्रयुक्त उत्पादन

श्री मनीराम बागड़ी : क्या स्वाथ्य और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में आयात की गई होम्योपैथिक "आइ० ड्राप्स" को भारी मात्रा में इसके कार्टन पेकिंग पर फार्मुलेशन का ब्यौरा नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस उत्पाद में प्रयुक्त उपादानों की कोई जानकारी नहीं है;

(ग) कानून के किस प्रावधान के अन्तर्गत सरकार इस वस्तु के आयात की अनुमति दे रही है और गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गए सिनरेरिया मेरोटाइम सक्कस की मात्रा क्या है; और

(घ) इस मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) : "होम्योपैथी आई० ड्राप्स-सिनरेरिया मेरीटाइम सक्कस" को जिसका आयात ओ० जी० एल० योजना के अधीन सभी व्यक्ति कर सकते हैं, भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है जिसके आधार पर भारत के विदेश व्यापार सम्बन्धी आंकड़े संकलित किए जाते हैं।

बिहार में नेहरू युवक केन्द्र

5422. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में विशेषकर नालन्दा जिले में नेहरू युवक केन्द्र की कितनी शाखायें शुरू की गई हैं और ऐसी शाखायें किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार, इन शाखाओं के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) क्या ये शाखायें केवल कागज पर हैं और आवंटित की गई राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है; और यदि हां, तो इस राशि का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) बिहार राज्य में, 19 जिलों में नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, नालन्दा स्थित एक नेहरू युवक केन्द्र सहित 13 जिलों के नेहरू युवक केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। जहां पहले से ही नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं, वे हैं–वेतियाह (पश्चिम चम्पारन) भागलपुर, भोजपुर, सरन (छपरा), दरभन्गा, हेहल (रांची) मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (विहार शरीफ) पलामाऊ, पटना, पूर्णिया और सहरसा। नेहरू युवक केन्द्र, जिला मुख्यालयों में स्थित हैं और इनकी कोई शाखा नहीं है।

(ख) 1979-80 और 1980-81 वर्ष के दौरान विहार राज्य के नेहरू युवक केन्द्रों को क्रमश: 12.59 लाख रुपये तथा 14.10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) विहार राज्य के नेहरू युवक केन्द्र ग्रामीण गैर-छात्र युवकों के लाभ के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1980-81 के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा विहार राज्य में आयोजित किए गए मुख्य कार्य-कलापों में बेहत्तर ग्रामीण पर्यावरण के लिए समाज सेवा तथा स्वत: रोजगार के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्य शिविरों का आयोजन शामिल है। नेहरू युवक केन्द्रों ने चेतना संघ/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किए हैं जहां आशा की जाती है कि ग्रामीण युवक आत्मनिर्भरता अध्ययन के लिए साक्षरता और अंक ज्ञान में कुशलता प्राप्त करेंगे तथा अपनी कार्य-क्षमताएं बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाएगें। इन कार्यक्रमों में 40,000 से भी अधिक ग्रामीण युवकों ने भाग लिया। उनसे लाभ उठाया।

एक्सप्रैस ट्रेनों के खान-पान सेवाओं के कर्मचारियों को ऊनी वर्दी

5423. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० के० एक्सप्रैस, जी० टी० एक्सप्रैस और कावेरी एक्सप्रैस के खान-पान सेवाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को शीत ऋतु में ऊनी वर्दी सप्लाई की जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार कब तक निर्णय लेने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) यद्यपि उत्तर दिशा में जाने वाली जी०टी० एक्सप्रैस, के०के० एक्सप्रैस और कावेरी एक्सप्रैस गाड़ियों के कर्मचारियों को वर्तमान वर्दी नियमों के अनुसार वर्दी, संरक्षात्मक कपड़े सप्लाई किए जाते हैं, तथापि कोरोमंडल एक्सप्रैस में कार्यरत दक्षिण रेलवे के कर्मचारी सर्दी की यूनिफार्म के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये गाड़ियां केवल मद्रास और विजयवाड़ा के बीच आती-जाती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राजदूत और उच्चायुक्त

5424. **श्रीएम० थाजाई करूणानिधि :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजदूतों और उच्चायुक्तों की देश वार संख्या क्या है; और

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई प्रतिशतता का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) स्थिति नीचे लिखी अनुसार है :

अनुसूचित जाति

1. अमरीका .....राजदूत, के० आर० नारायणन
2. वेनेजुएला .....राजदूत, शिव कुमार
3. सोमालिया .....राजदूत, जी० एम० जम्मोलकर
4. गुयेना.....राजदूत, वी० पी० सिंह

अनुसूचित जनजाति

1. चिली..... राजदूत, एम० के० खीशा
2. ओमान.....राजदूत, के० सी० लालवुंगा
3. जमैका.....उच्चायुक्त, डी० सी० मैनर्स
4. मलावी..... उच्चायुक्त, जी० डी० अटुक

(ख) जहां तक मिशन प्रमुखों की नियुक्ति का प्रश्न है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है ।

हावड़ा-अमटा लाइन

5425. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत हावड़ा-अमटा रेलवे लाइन बिछाने के प्रथम चरण का निर्माण कब होगा;

(ख) निर्माण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे लाइन के निर्माण का समग्र कार्यक्रम क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सन्तरागाछी वड़गछिया तक हवड़ा-आमता लाइन के निर्माण के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है । प्रथम चरण के कार्य की प्रगति इस प्रकार है:—

मिट्टी डालने का कार्य	=	95%
मुख्य पुल	=	2 पुल पूरे हो चुके हैं, सात पुलों का कार्य चल रहा है ।
छोटे पुल	=	24 छोटे पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, 22 पुलों का निर्माण-कार्य चल रहा है ।

आवासीय क्वार्टरों और स्टेशन भवन के निर्माण के लिए ठेके दिए जा चुके हैं।

(ग) बड़गछिया तक के पहले चरण का कार्य 1982/83 में पूरा होने की आशा है। शेष लम्बाई के कार्य के बारे में अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

दिल्ली में पुरातत्व विभाग के अधीन मस्जिदें

5426. **श्री जैनुल बशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में कितनी मस्जिदें हैं;

(ख) ये मस्जिदें कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इन मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में केन्द्रीय सुरक्षण के अधीन प्राचीन और ऐतिहासिक छब्बीस मस्जिदों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) उन प्राचीन और ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, जो सुरक्षण में लेते समय धार्मिक उपयोग में नहीं थीं अथवा बहुत समय से जहां धार्मिक उपयोग बन्द हो गया था।

विवरण

दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रणाधीन मस्जिदों की सूची

1. पुराना किला के पास खैरुल मनाजिल मस्जिद।
2. बेगमपुर स्थित बेगमपुरी मस्जिद।
3. कोटला फीरोजाशाह के अन्दर पुरानी मस्जिद।
4. कुदसिया बाग में मस्जिद।
5. पुराना किला में शेरशाह की मस्जिद (किला कोहना मस्जिद)
6. लाल किला के पास सुनेहरी मस्जिद।
7. सफदरजंग मदरसा के अन्दर मस्जिद।
8. खैरपुर स्थित मस्जिद।
9. खनेरा स्थित नीली मस्जिद।
10. खिरकी मस्जिद।
11. मेरी मस्जिद।
12. कुतब पुरातत्व क्षेत्र के अन्दर मस्जिद।
13. मस्जिद जो कि शामाशी तालाब महरौली के नाम से जानी जाती है।

14. मोती मस्जिद महरौली ।
15. मौलाना जमाली कमाली मस्जिद ।
16. महरौली स्थित दीवाली मस्जिद ।
17. मोठ मस्जिद ।
18. कोटल मुबारक में मस्जिद ;
19. मुनीरका में नाम रहित मस्जिद ।
20. निजामुद्दीन में जूने शाह की मस्जिद ।
21. ईसा खान के मकबरे के अन्दर मस्जिद, निजामुद्दीन ।
22. मोहमदी वाली मस्जिद, शाहपुर जाट ।
23. मखदूम की मस्जिद, शाहपुर जाट ।
24. वजीरावाद स्थित मस्जिद ।
25. मोती मस्जिद, लाल किला ।
26. मस्जिद के साथ वाग-ए-आलम गुम्बद, हुमायूंपुर ।

ऐसिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम

5427. **आचार्य भगवान देव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने मन्दिरों और एतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव तथा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अधीन कौन-कौन से मन्दिर और ऐतिहासिक स्मारक चुने गए हैं और कौन-कौन से भविष्य में चुने जाएंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मन्दिरों को सम्मिलित करते हुए केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारकों का परिक्षण और रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामान्य कार्यकलाप और अनवरत कार्यक्रम हैं । अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत पुरातात्विक परिरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार मन्दिरों और ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार अनुज्ञेय नहीं है इसलिए उस कार्य के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ।

आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उपाय

5428. **श्री राम अवध** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : सरकार ने देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निम्न-लिखित उपाय किए हैं :—

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के लिए चार अनुसन्धान परिषदें बना दी गई हैं। उनके अन्तर्गत अनुसन्धान का स्वरूप ऐसा रखा गया है ताकि प्राचीन ग्रन्थों, परम्परागत प्रणालियों और लोक प्रचलित उपचार विधियों का सावधानी-पूर्वक अध्ययन करने के बाद रोगों से निपटने की विधियों के बारे में निश्चित सुझाव प्राप्त हो सकें।

(2) सरकार ने आयुर्वेद और होम्योपैथी के राष्ट्रीय संस्थान खोल दिए हैं।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के स्नातक पूर्व कालेजों को प्रयोगशाला उपकरण खरीदने तथा विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए पुस्तक बैंक खोलने के लिए अनावर्ती खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(4) आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों के शिक्षकों के स्तर में सुधार लाने के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी की ऐसी स्नातकोत्तर और अन्य संस्थाओं में एक छः सप्ताह का तथा एक दो सप्ताह का पुनश्चर्या पाठयक्रम लागू कर दिया गया है जिनमें इस प्रशिक्षण के चलाने के लिए सुविधाएं और कार्मिक हैं।

(5) आयुर्वेद तथा होम्योपैथी औषधियों के मानक निर्धारित करने के लिए भारतीय चिकित्सा (जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है) और होम्योपैथी की भेषजसंहिता प्रयोगशालायें खोल दी गई हैं।

(6) अच्छी क्वालिटी की जड़ी-बूटियां एकत्र करने उनकी पर्याप्त मात्रा में खेती करने और अस्पतालों, अनुसन्धान यूनिटों आदि के लिये आयुर्वेद की मानक और क्वालिटी की औषधियों का निर्माण करने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम खोल दिया गया है। इस निगम द्वारा बनाई गई औषधियां यथा समय खुले बाजार में भी उपलब्ध कर दी जायेंगी।

(7) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में औषधालय खोलना इस योजना के अन्तर्गत 1-12-1981 तक देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी की डिस्पैंसरियां/यूनिटें खोली जा चुकी हैं।

(8) स्वास्थ्य गाईड योजना (पहले की जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना) के अन्तर्गत स्वास्थ्य गाइडों को जो किटें सप्लाई की गई हैं। उनमें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की कई औषधियां भी हैं। इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी है कि स्वास्थ्य गाइड योजना को चलाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो तीसरा डाक्टर मन्जूर किया गया है, वह उस इलाके विशेष में प्रचलित पद्धति के अनुसार किसी भी चिकित्सा पद्धति का हो सकता है जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी शामिल है। इस तीसरे डाक्टर की नियुक्ति की बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई हैं।

गैर सरकारी डाक्टरों द्वारा गर्भपात/परिवार नियोजन के किए गए आपरेशनों का रिकार्ड रखना

5429. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी प्रैक्टिशनरों द्वारा गर्भपात/परिवार नियोजन के लिए किए गए आपरेशनों का भी रिकार्ड रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कुल कितने आपरेशन किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन डाक्टरों को इस प्रकार के आपरेशनों से प्राप्त होने वाली आय को आय-कर आदि का निर्धारण करने के उद्देश्य से मुक्त करने का कोई निश्चित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) केन्द्र/राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकार संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं (प्राइवेट प्रैक्टीशरों सहित) द्वारा अलग से गर्भपात और परिवार नियोजन की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनके आंकड़े अथवा रिकार्ड भारत सरकार नहीं रखती है । सभी एजेन्सियों/संस्थाओं के सम्बन्ध में समेकित आंकड़े जिनमें गैर-सरकारी सस्थाओं द्वारा भेजे जाने वाले आंकड़े भी शामिल हैं, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं और उन्हें भारत सरकार संकलित करती है ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भोपाल में कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री

5430. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के पास एक कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री की स्थापना के लिए रेल मंत्री द्वारा अप्रैल, 1981 में इसकी आधारशिला रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक कार्य जैसे सार अनुमान और ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट का काम पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) यह परियोजना 1981-82 के बजट में अनमोदित कर दी गयी है और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है। यह मामला मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा भोपाल विकास प्राधिकरण के साथ मामले पर जोरदार ढंग से विचराधीन है।

स्टेशनों पर बुकस्टाल

5431. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े और मध्यम दर्जे के स्टेशनों पर अनेक बुकस्टालों पर दो प्रमुख प्राईवेट फर्मों का नियंत्रण है और इस प्रकार वहाँ पर बेरोजगार स्नातकों को रोजगार के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि यदि नया प्लेटफार्म 1.1.1976 के बाद बनाया जाना है और बुकस्टाल बेरोजगार स्नातकों की किसी एसोसिएशन/भागीदारी में दिया जाना है तो केवल एक प्लेटफार्म पर ही सभी सदस्यों के लिए जीविका अर्जित करना सम्भव नहीं है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय प्रत्येक प्लेटफार्म पर एक-एक सदस्य को बुकस्टाल दे कर बेरोजगार स्नातकों के ग्रुपों को प्रोत्साहित करने में रुचि नहीं लेता, यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तीन प्रमुख बुक-स्टाल ठेकेदारों अर्थात मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, मैसर्स हिग्गिन बाथम्स (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स गुलाबसिंह एण्ड सन्स (प्रा०) लिमिटेड द्वारा कुछ स्टेशनों पर उनके नाम आवन्टित बुक-स्टाल चलाये जा रहे हैं। ऐसा बेरोजगार स्नातकों और उनके संगठनों को बुक-स्टालों के भावी आवंटन के लिए बनायी गयी योजना से बहुत समय पहले, प्रमाणित और प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेताओं को बुक स्टाल आवंटित करने के सम्बन्ध में उस समय विद्यमान नीति के अनुसार किया गया था।

(ख) उन स्टेशनों पर बुक-स्टालों की व्यवस्था की जाती है जहां पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री के लिए उनकी मांग होती है और ठेकेदारों के जरिये बुक-स्टालों को चलाने का प्रस्ताव वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थ-क्षम होता है।

(ग) बुक स्टालों के सभी भावी आवंटन केवल अलग-अलग बेरोजगार स्नातकों, उनके भागीदारों/एसोशिएशनों/कोआपरेटिवों और रेलों पर बुक स्टालों से सम्बद्ध वास्तविक कार्यकर्त्ताओं/वेंडरों की कोआपरेटिवों के लिए आरक्षित हैं। गत कुछ वर्षों के दौरान इन कोटियों को 159 स्टेशनों पर बुक स्टाल आवंटित किये गये हैं और 100 अन्य स्टेशनों पर बुक-स्टालों का आवंटन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बेरोजगार स्नातकों को प्रोत्साहन देने के लिए इन ठेकों को सफलतापूर्वक चालू रखने के उद्देश्य से उनसे मामूली किराया तथा लाइसेंस फीस वसूल की जाती है। बेरोजगार स्नातकों को उचित कर्ज देने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद भी इस मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं।

बुक स्टालों के आवंटन के प्रयोजन के लिए भागीदारों/एसोसिएशनों/कोआपरेटिवों के अलग-अलग सदस्यों का विलग से कोई अस्तित्व नहीं होना है ।

वरिष्ठ रीडरों की प्रफेसरों के रूप में पदोन्नति

5432. श्री कुंवर राम
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वरिष्ठ रीडरों की प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालयों में ये योजना लागू है; और

(ग) बिहार के विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू करने में क्या कठिनाई अनुभव की जा रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालीय अध्यापकों के लिए योग्यता पदोन्नति की एक योजना तैयार की थी । कालेज अध्यापकों के लिए भी एक ऐसी ही योजना तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है । तथापि, इन योजनाओं को अभी तक अन्तिम रूप अथवा किसी विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया है ।

आल इण्डिया रेलवे इंस्टीट्यूट एम्पलाईज यूनियन से अभ्यावेदन

5433. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संस्थान कर्मचारियों की मांगों के बारे में आल इण्डिया रेलवे इंस्टीट्यूट एम्पलाईज यूनियन आसनसोल से दिनांक 13 जुलाई, 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में किन-किन मांगों को उठाया गया है; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व रेलवे के आसनसोल मण्डल में कुछेक व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मांगें रेलवे इंस्टीट्यूट के कर्मियों को रेल कर्मियों के रूप में माने जाने तथा पात्र कर्मचारियों की रेल सेवाओं में उपयुक्त पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित हैं ।

(ग) रेलवे इंस्टीट्यूट के कर्मियों को सदाशयी रेल कर्मियों के रूप में माने जाने की मांग को स्वीकृत नहीं किया जा सकता । रेल सेवाओं में नियुक्ति के लिए उन्हें सामान्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से आना पड़ेगा ।

जब पति-पत्नी में किसी को मकान मिला हो, तब मकान किराया भत्ता लेने की हकदारी

5434. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों और उनमें से किसी एक को रेलवे क्वार्टर दिया गया तो उनमें से दूसरे को कोई मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब पति-पत्नी दोनों ही रेलवे कर्मचारी हैं तो दोनों को ही रेलवे पास और महंगाई भत्ते आदि मिलते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब पति या पत्नी (रेलवे कर्मचारी) में से किसी को रेलवे क्वार्टर नहीं दिया गया है तो दोनों ही मकान किराया भत्ता लेने के हकदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो जब पति-पत्नी में से किसी एक को रेलवे क्वार्टर मिला हो तो उनमें से दूसरे को मकान किराया भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, यदि पति/पत्नी को रेलवे/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार आदि की ओर से आवास आवंटित किया जाता है और दोनों (पति-पत्नी) उसी शहर में तैनात होते हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, जैसा कि अनुमत नियमों के अन्तर्गत अनुमेय है।

(घ) जहां पति/पत्नी को आवास आवंटित किया गया है, वहां मकान किराया भत्ता स्वीकार न किए जाने का अभिप्राय यह है कि (पति/पत्नी) अपने परिवार सहित उस आवास में रहेंगे और उनमें से दूसरे (पति/पत्नी) को आवास के किराए के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

"दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसों, बस स्टैण्डों के शेडों और किओस्कों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने से अर्जित राजस्व"

5435. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री के० ए० राजन
श्री हरीश कुमार गंगवार
श्री रामसिंह शाक्य : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा गत वर्ष बसों शैलटरों और किआस्कों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन से जब कि यह कार्य विभागीय रूप से किया जाता था, अर्जित राजस्व इस वर्ष

बकाया राशि के अतिरिक्त प्राप्त शुद्ध राजस्व जबकि इस व्यवस्था को बदल कर इसे एक गैर सरकारी पार्टी को दे दिया गया है; बहुत अधिक था।

(ख) यदि हां, तो अर्जित राजस्व से सम्बद्ध आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उक्त प्रचार कार्य को विभागीय रूप से करने की अपेक्षा गैर सरकारी ठेकेदार को देने से उस फर्म को लाभ हुआ है जिसने दिल्ली नगर निगम को लगभग उन्नीस लाख रुपये की की राशि का भुगतान करना था;

(घ) व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने और ठेके को गैर सरकारी फर्म को दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त प्रश्न के उत्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम गैर सरकारी फर्मों का ठेका रद्द करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। जैसा कि विवरण में दिये गये ब्यौरों से स्पष्ट है, पिछले वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक आय नहीं हुई।

(ग) मैसर्स अशोक शर्मा एण्ड एसोसिएट्स को ठेका देने का मुख्य कारण यह था कि मैसर्स अशोक शर्मा एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने खुले टेंडर में जो दरें दी थीं वह टेंडर भरने वाले बाकी सभी पक्षों की दरों की तुलना में सबसे अधिक थीं। जहां तक दिल्ली नगर निगम को देय घनराशि का सम्बन्ध है, इसके बारे में कोई सूचना दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली नगर निगम से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस व्यवस्था में परिवर्तन आय में वृद्धि करने और स्थापना व्यय में कमी करने के लिए किया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में बसों, बस क्यू शेल्टरों और टाइमकीपर बूथों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन से विभागीय व्यवस्था द्वारा हुई आय नीचे दिखाई गई है :—

वर्ष	बसों पर विज्ञापनों द्वारा (लाख रु०)	बसों की संख्या	शेल्टरों/टाइम कीपर बूथों पर विज्ञापन द्वारा (लाख रु०)	बस क्यु शेल्टरों की संख्या
1978-79	25.60 प्रतिवर्ष	1575	2.75 प्रतिवर्ष	212
1979-80	28.53 प्रतिवर्ष	1881	5.99 प्रतिवर्ष	354
1980-81	32.59 प्रतिवर्ष	2006	4.35 प्रतिवर्ष	352

ऊपर सफल आय दिखाई गई है।

(ख) 1.7.1981 से 30.6.1984 तक तीन वर्षों के लिए एक प्राइवेट फर्म को ठेका देने से बसों व टिकटों पर विज्ञापनों द्वारा हुई आय

प्राइवेट फर्म को ठेका देने के बाद बसों टिकटों पर विज्ञापन से आय (लाख रु०)		प्राइवेट फर्म को ठेका देने के बाद आय में वृद्धि (केवल बसों टिकटों पर के विज्ञापन से (लाख रु०)	विभागीय व्यवस्था के द्वारा बस क्यू शेलटरों/टाइम कीपर बूथों पर के विज्ञापन से आय (लाख रु०)
प्रथम वर्ष	38.53 रु०	5.94 रु०	अप्रैल से सितंबर 81 तक
(1.7.81 से	3.50 रु०	3.50 रु०	
30.6.82 तक)	42.03 रु०	9.44 रु०	
द्वितीय वर्ष			
(1.7.82 से	49.33 रु०	16.74 रु०	इस साधन का ठेका
30.6.83 तक)	3.50 रु०	3.50 रु०	किसी को नहीं
	52.83 रु०	20.24 रु०	दिया गया।
तृतीय वर्ष	49.33 रु०	16.74 रु०	
(1.7.83 से	3.50 रु०	3.50 रु०	
30.6.84 तक	52.83 रु०	20.24 रु०	

(लाख रु०)

प्राइवेट फर्म को ठेका देने के बाद आय में वृद्धि	प्रथम वर्ष 9.44 रु० प्रतिवर्ष द्वितीय वर्ष 20.24 रु० प्रतिवर्ष तृतीय वर्ष 20.24 रु० प्रतिवर्ष

इस फर्म ने टिकटों पर विज्ञापन से कम से कम 3.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय की गारन्टी दी है।

दो से तीन वर्षों में टिकटों पर के विज्ञापन से होने वाली आय से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

विभिन्न राज्यों को 1980-81 के दौरान आवंटित किए गए राष्ट्रीय परमिट

5436. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में परिवहन की व्यवस्था करने और यातायात के सुचारू रूप से आवागमन के लिए 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितने राष्ट्रीय परमिट आवंटित किए गए हैं; और

(ख) उन राज्यों के क्या, नाम हैं जिनको इस बीच राष्ट्रीय परमिट आवंटित किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1980-81 से पूर्व और 1980-81 में विभिन्न राज्यों को आवंटित राष्ट्रीय परमिटों की संख्या नीचे दी गई है :–

राज्य का नाम	1980-81 से पूर्व आवंटित रा० परमिटों की संख्या	1980-81 में (4.10.80) बढ़ाए गए रा० परमिटों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	450	450
2. असम	450	450
3. बिहार	450	450
4. गुजरात	450	450
5. हरियाणा	400	400
6. हिमाचल प्रदेश	300	300
7. जम्मू एण्ड काश्मीर	300	300
8. कर्नाटक	400	400
9. केरल	400	400
10. मध्य प्रदेश	450	450
11. महाराष्ट्र	450	450
12. मणीपुर	50	50
13. मेघालय	50	50
14. नागालैण्ड	50	50
15. उड़ीसा	400	400
16. पंजाब	400	400
17. राजस्थान	400	400
18. सिक्किम	50	50
19. तमिलनाडु	400	400
20. त्रिपुरा	200	200
21. उत्तर प्रदेश	450	450
22. प० बंगाल	450	450
23. अरुणाचल प्रदेश	50	50
24. चण्डीगढ़	50	50
25. दादर एण्ड नागर हवेली	50	50
26. दिल्ली	400	400
27. गोवा दमन दीव	250	250
28. मिजोरम	50	50
29. पांडेचेरी	50	50
	8300	8300

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और त्रिपुरा की सरकारों ने अब तक क्रमशः 317, 163, 395 और 42 वैध राष्ट्रीय परमिट जारी किए हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य प्रशासनों में राष्ट्रीय परमिट जारी करने का काम हो रहा है।

नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा खेलों के उत्थान हेतु आदिवासी युवकों का उपयोग

5437. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के आदिवासी युवकों में, देश में खेलों के स्तर के उत्थान में सहयोग देने की अतिशय क्षमतायें हैं और इस क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) क्या नेहरू युवक केन्द्र इस समृद्ध संसाधन का उपयोग करना शुरू करेंगे; और

(ग) क्या प्रत्येक जिले में एक ऐसे एकक की स्थापना करने की सरकार की इच्छा है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार इस तथ्य से पूर्णतः अवगत है कि भारतीय जनजातीय युवकों में देश में खेल के स्तरों को ऊंचा उठाने की दिशा में योगदान करने की विशाल क्षमता है। यद्यपि, इस क्षेत्र में जनजातीय युवकों की क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है, तथापि जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन युवकों की प्रतिभाओं का समुचित रूप से विकास हो सके।

(ख) नेहरू युवक केन्द्र, विभिन्न प्रकार के ऐसे खेलों का आयोजन व विकास कर रहे हैं जिनमें जनजातीय युवकों सहित ग्रामीण युवकों द्वारा बड़े पैमाने पर भाग लेने की गुंजाइश हो। इन कार्यक्रमों को निरन्तर सुदृढ़ बनाया जा रहा है, ताकि हमारे ग्रामीण और जनजातीय युवकों के संसाधनों का दोहन किया जा सके।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक क्रमिक ढंग से देश में प्रत्येक जिले में एक-एक नेहरू युवक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

वैगन-लदान और माल-भाड़े का राजस्व आय का लक्ष्य

5438. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितने वैगनों का लदान करने और उनसे मालभाड़े के रूप में कितना राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान माल भाड़े के जरिये कितना राजस्व अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रलयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चालू वर्ष के लिए राजस्व उपार्जक यातायात के लदान का निर्धारित लक्ष्य 21.5 करोड़ मैट्रिक टन है।

(ख) जी हां। वास्तविक लक्ष्य से बेहतर है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए भाड़ा अर्जन का निर्धारित लक्ष्य 2146.58 करोड़ रुपये है। रेलों को इसकी तुलना में बहुत अधिक अर्जन की आशा है।

बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

5439. **श्री काजी सलीम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के प्रत्येक जिले में विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत कितने स्कूल, केन्द्र और बाल सेविका केन्द्र हैं और उनके क्या नाम हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन राज्यों में 1981-82 के दौरान इस तरह के और अधिक केन्द्र खोलने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) बच्चों की देखभाल करने हेतु महिला अध्यापकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) 1978, 1979 और 1980 के दौरान इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर (एक) संस्थापन (दो) प्रशासन (तीन) वेतन (चार) पारिश्रमिक (पाँच) यात्रा भत्ते (छः) दैनिक भत्ता और (सात) औजार, पौधे आदि पर कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाल कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात और महाराष्ट्र के लिए मंजूर की गई योजनाओं और उनके स्थानों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. **देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमन्द बच्चों के लिए सेवाएं**

गुजरात

1. शिशु मंगल ट्रस्ट, भूनागढ़।
2. श्रेयास फाउन्डेशन, श्रेयांस बालग्राम (एस० ओ० एस), अहमदाबाद।
3. रामरंग सेवा ट्रस्ट, रामरंग आश्रम, लोदरा, मेहसाना।
4. बालिका गृह, द्वारा श्री कान्ता स्त्री विकास गृह, राजकोट।
5. विकास विद्यालय, वधावन, सुरेन्द्रनगर।

6. गुजरात स्टेट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, अहमदाबाद ।
7. डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, अहमदाबाद ।
8. बलराम संघन क्षेत्र समिति, चित्रसनी, बनासकंथा ।
9. श्री कान्ता स्त्री विकास गृह, राजकोट ।
10. विकास गृह, अहमदाबाद ।
11. श्री कस्तूर्बा विकास गृह, जामनगर ।
12. श्री काठियावाड़ निराश्रित बाल आश्रम, राजकोट ।
13. डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, लड़कों के लिए रिमांड होम, बड़ौदा ।
14. श्यामलजी प्रदेश केलवानी मण्डल ।
15. श्रम मन्दिर ट्रस्ट, द्वारा बड़ौदा, सिटिजन काउन्सिल, बड़ौदा ।
16. डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, लड़कियों के लिए गृह, बड़ौदा ।

महाराष्ट्र

1. अनाथ विद्यार्थी गृह, नागपुर ।
2. गोदावली शिक्षा केन्द्र, पंचायती जिला, सतारा ।
3. बालकान-जी-वाड़ी, थाना ।
4. कागल शिक्षा सोसाइटी, श्री दानचन्द शाह छात्रालयपिटपुर संस्थान, कागल, कोल्हापुर ।
5. डिस्ट्रिक्ट एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, अहमदाबाद ।
6. पुणे विद्यार्थी गृह, पुणे ।
7. कस्तूर्बा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट महाराष्ट्र शाखा, पुणे ।
8. इन्वेस्टमेन्ट इन मैन (बालग्राम एस० ओ० एस०) बालग्राम, पुणे ।
9. रूपत शिक्षण संस्था, सतारा ।
10. सामाजिक आर्थिक विकास निगम लिमिटेड, गंगाखेड़, जिला परभानी ।
11. डिस्ट्रिक्ट प्रोवेशन एण्ड आफ्टर केयर एसोसिएशन, चन्द्रपुर ।
12. गुरुदेव गोरोवा स्मारक समिति, उम्रकेंद, जिला यवतमाल ।
13. मानव समाज उन्नत मण्डल, घुले ।
14. विदर्भ महारोगी सेवा मण्डल, तपोवन, जिला अमरावती ।
15. श्री गाडगे महाराज मिशन, बम्बई ।
16. सन्त प्रसाद शिक्षण संस्था, पढरपुर, जिला शोलापुर ।
17. पश्चिम खान्देश भगिनी सेवा मण्डल, घुले ।
18. आनन्द आश्रम ट्रस्ट, वोरली, बम्बई ।
19. बुद्ध प्रशिक्षण संस्थान, दीक्षा भूमि, नागपुर ।
20. बाल जागृति विकास मण्डल, शोलापुर ।
21. श्री विशुद्ध विद्यालय, यवतमाल ।

22. सर्वंशाम सेवा संघ, श्री मंगल सहकारिता आवास सोसाइटी, पुणे ।
23. अशोक शिक्षा सोसाइटी, गोंडिया, जिला भण्डारा ।
24. कैलाशवासी गयाबाई शिक्षा सोसाइटी, एकदारा, नान्देद ।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं-गुजरात

1. छोटा उदयपुर समेकित बाल विकास सेवा आदिवासी परियोजना, बड़ौदा ।
2. छोतिल समेकित बाल विकास सेवा ग्रामीण परियोजना, सुरेन्द्रनगर ।
3. छीकाफली समेकित बाल विकास सेवा आदिवासी परियोजना, बलसर ।
4. अहमदाबाद शहरी समेकित बाल विकास सेवा परियोजना ।
5. टकाला ग्रामीण समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, झूनागढ़ ।
6. देहगाम ग्रामीण समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, अहमदाबाद ।
7. बलिया आदिवासी समेकित बाल विकास परियोजना, बढोंच ।
8. दान्ता स० बा० वि० परियोजना, बाबसकान्था ।
9. वलेद आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, सूरत ।
10. बड़ौदा शहरी स० बा० वि० से० परियोजना, बड़ौदा ।
11. कादी ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, महसाना ।
12. द्वारका ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, जामनगर ।
13. वानकानेर ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, राजकोट ।
14. सौगंध आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, सूरत ।
15. नान्देद आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, बड़ौच ।
16. झालौद आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, पंचमहलस ।

महाराष्ट्र

1. धरनी आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, अमरावती ।
2. बम्बई, शहरी स० बा० वि० से० परियोजना, बम्बई ।
3. तालासरी स० बा० वि० से० परियोजना, थाणे ।
4. जून्नर स० बा० वि० से० परियोजना, पुणे ।
5. पुण शहरी स० बा० वि० से० परियोजना, पुणे ।
6. नागपुर शहरी स० बा० वि० से० परियोजना, नागपुर ।
7. गीरी ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, बीड ।
8. एटापल्ली आदिवासी स० बा० वि० सेवा परियोजना, चन्द्रपुर ।
9. शोलापुर शहरी स० बा० वि० से० परियोजना, शोलापुर ।
10. रामटेक ग्रामीण स० बा० वि० सेवा परियोजना, नागपुर ।
11. क्वाथ महानकल ग्रामीण स० बा० वि० सेवा परियोजना, सांगली ।
12. छिपलुन ग्रामीण स० बा० वि० सेवा परियोजना, रत्नगिरी ।
13. किन्वात आदिवासी स० बा० वि० सेवा परियोजना, नान्देद ।
14. चालीसगांव ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, जलगांव ।
15. अकोला ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, अहमदनगर ।

16. मुखेद ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, नान्देद।
17. पंडरपुर ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, शोलापुर।
18. उदगिर ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, उस्मानबाद।
19. मोटाला ग्रामीण स० बा० वि० से० परियोजना, बुल्दाना।
20. नवापुर आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, धुले।
21. सुरगना आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, नासिक।
22. करजात आदिवासी स० बा० वि० से० परियोजना, रायगढ़।

1981-82 में अब तक स्वीकृत परियोजनाएं उपरोक्त सूची में सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) बाल कल्याण कार्यकर्त्ताओं, जिन्हें बाल सेविकाएं कहा जाता है, को बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में निम्नलिखित बालसेविका प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं :—

गुजरात

1. ग्रामीण बालसेविका प्रशिक्षण संस्थान, नीलगिरी होस्टल, गुजरात बाल कल्याण संघ, वल्लभ विद्यानगर, जिला खेड़ा।
2. बालसेविका प्रशिक्षण संस्थान, श्रमजीवी महिला होस्टल, सरदार चौक, सरदार नगर, भावनगर।

महाराष्ट्र

1. बालसेविका प्रशिक्षण संस्थान, केसबाद, विकासवाड़ी, पो० कोसबाद हिल्स, स्टेशन—छावनवाद (पश्चिमी रेलवे) जिला—थाना।
2. बालसेविका प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा—वनिता समाज, राजकमल चौक, अमरावती।
3. बालसेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय, अपुराद शाहजॉनी, तल, निलगा जिला—उस्मानाबाद।

1978-79, 1979-80 और 1980-81 में उपर्युक्त बालसेविका प्रशिक्षण संस्थानों पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

जब कभी भी आवश्यकता होती है, बाल कल्याण कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु दूसरे चयनित संस्थानों की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

विवरण

गुजरात

भावनगर

एक हैड आफ एकाउंट	1978-79	1979-80	1980-81	टिप्पणी
1	2	3	4	5
वेतन	—	5,456.00	29,530.00	संख्या को 1979-80 में शुरू किया गया था। अत: 1978-79 में कुछ भी व्यय नहीं हुआ।
प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वृतिका	—	3,662.50	22,305.00	
विजिटिंग लैक्चरारों को मानदेय	—	70.00	2,925.00	
परिवहन भत्ता	—	274.50	721.50	
अन्य	—	5,007.85	29,495.42	
	—	14,470.85	84,976.92	
वी० वी० नगर				
वेतन	29,959.80	32,953.50	27,764.04	
प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वृतिका	41,250.00	46,387.50	48,750.00	
विजिटिंग लैक्चरारों को मानदेय	2,075.00	1,235.00	1,590.00	
परिवहन भत्ता	1,341.65	1,339.40	1,056.10	
अन्य, मकान किराया आदि	9,164.73	10,281.65	8,891.10	
	83,791.18	92,197.05	88,051.24	
महाराष्ट्र				
कोसबाद				
वेतन	30,656.04	34,671.81	35,440.25	
प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वृतिका	44,130.84	44,937.80	46,477.15	
विजिटिंग लैक्चरारों को मानदेय	2,970.00	3,000.00	3,000.00	
परिवहन भत्ता	994.20	1,000.00	725.10	
अन्य किराया आदि	11,596.96	14,629.24	11,755.63	
	90,348.04	98,238.85	97,398.13	

1	2	3	4	5
अमरावती				
वेतन	—	29,350.63	—	संस्था को 1979-80 में शुरू
प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वृतिका	—	38,642.10	—	किया गया था अत: 1978-79 में कुछ भी व्यय नहीं हुआ।
विजिटिंग लैक्चरारों को मानदेय	—	1,921.00	—	1980-81 की व्यय विवरणिका अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
परिवहन भत्ता	—	173.25	—	हालांकि 1980-81 के लिए
अन्य मकान किराया आदि	—	14,014.66	—	संस्थान को 1,12,824.18 रुपये का अनुदान उपलब्ध करा दिया
	—	84,101.64	—	गया है।
उस्मानाबाद				
वेतन	—	791.92	—	संस्थान को 1979-80 में शुरू
प्रशिक्षणार्थियों को दी गई वृतिका	—	1,775.00	—	किया गया था। अत: 1978-79 में कुछ भी व्यय नहीं हुआ।
विजिटिंग लैक्चरारों को मानदेय	—	— —	—	1980-81 की व्यय विवरणिका अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
परिवहन भत्ता	—	228.50	—	हालांकि, 1980-81 के लिए
अन्य मकान किराया आदि	—	3,462.44	—	संस्थान को 1,02,533.02 रुपये का अनुदान उपलब्ध करा दिया
	—	6,257.86	—	गया है।

वाल्टेयर तथा नई दिल्ली के बीच एक "सुपरफास्ट" रेलगाड़ी

5440. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की जनता वाल्टेयर तथा नई दिल्ली के बीच एक 'सुपरफ़ास्ट' रेलगाड़ी चलाये जाने के लिये लम्बे समय से मांग कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रेलवे द्वारा ऐसी एक 'सुपरफास्ट' रेलगाड़ी चलाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को चलाये जाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी रेलगाड़ी कब तक चलाई जायेगी; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) वाल्तेरू और नयी दिल्ली के बीच एक तेज गाड़ी चलाने की व्यावहारिकता की जाँच की गयी है किन्तु सवारी डिब्बों और रेल इंजन, मार्गवर्ती अतिरिक्त

लाइन क्षमता तथा दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं की कमी जैसे संसाधनों की कमी के-कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

खाद्य इन्सपेक्टरों की सेवाओं को नियमित करना

5441. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के खाद्य अपमिश्रण निवारक विभाग में काम करने वाले अनेक खाद्य इन्सपेक्टरों, जिन्होंने सेवा के तीन से अधिक वर्ष पूरे कर लिये हैं, को नियमित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें स्थायीवत/स्थायी न करने के क्या कारण हैं जबकि उन्होंने उसके लिये सेवा के आर्हकर वर्ष पूरे कर लिये हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :
(क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पात्र खाद्य निरीक्षकों को स्थायिवत् बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

इन पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को तभी स्थायी घोषित किया जा सकता है जब इन पदों को स्थायी बना दिया जाए। इन अस्थायी पदों को स्थायी बनाने की कार्रवाई पर दिल्ली-प्रशासन विचार कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में डस सैल का गिराया जाना जिसमें महात्मा गांधी को कैद किया गया था

5442. **डा० वसंत कुमार पंण्डित** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1981 के समाचार पत्रों में पी० टी० आई० द्वारा प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में ट्रावोल प्रान्त में विरीनिग में मूल कारावास की, जहां महात्मा गांधी को कैद किया गया था और जहां उन्होंने सत्याग्रह का दर्शन तैयार किया था, गिराया जा रहा है;

(ख) क्या इस ऐतिहासिक जेल सैल को सुरक्षित रखने के लिए अनेक ऐतिहासिकों, नागरिकों और भारतीय लोगों ने कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार किसी मित्र देश अथवा ब्रिटिश उच्च आयोग से अनुरोध करेगी कि वह इस मामले में बातचीत करें और गिराने की प्रक्रिया को रुकवाये और इस जेल का ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण की व्यवस्था करे ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) डर्बन से पी० टी० आई० के सूत्रों से अखबारों में, विरीनिंग के उस बन्दीगृह को ध्वस्त करने की दक्षिण अफ्रीका सरकार की योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखे हैं जहां, इन खबरों के अनुसार, 1914 में गांधीजी को बन्दी रखा गया था। सरकार ने इस मामले की छानबीन करवायी है। भारत सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिनसे यह पता चलता हो कि गांधीजी विरीनिंग में रहे थे। फिर भी इस बात का पक्का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या गांधीजी कभी विरीनिंग में रहे थे।

यह कहना भी ठीक नहीं कि सत्याग्रह का दर्शन गांधीजी ने 1914 में प्रतिपादित किया था। वास्तव में उन्होंने 1908 में इस सत्याग्रह आन्दोलन को शुरू करने से बहुत पहले इस दर्शन को प्रतिपादित किया था।

(ख) कुछ माननीय सदस्यों ने संसद् के दोनों सदनों में इस मामले को उठाया है।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य परीक्षा की अवधि को ड्यूटी के रूप में समझा जाना

5443. **श्री ई० वालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साउथ सेन्ट्रल रेलवे एम्पालाइज यूनियन पूर्णानन्दम्पेट, विजयवाड़ा से स्वास्थ्य परीक्षा की अवधि को ड्यूटी के रूप में समझे जाने के बारे में दिनांक 6 अगस्त, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इसी विषय के बारे में किसी संसद् सदस्य से भी दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हाँ, तो दोनों अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ग) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में लाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि परियोजनाओं पर कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी अनुपस्थिति की छूट अवधि माना जाये, न कि इसे ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों के लिए 20 दिन की अनुमेय प्राधिकृत अनुपस्थिति समझा जाए।

(घ) इस अनुरोध की जांच की जा रही है।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा मेडिकल कालेज की प्रति सीट पर उठाई जाने वाली लागत

5444. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विभिन्न संकायों में विदेशी छात्रों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मेडिकल कालेज की प्रति सीट पर वर्षवार कितनी लागत उठाई जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): उपलब्ध सूचना के अनुसार 1979-80 में विभिन्न संकायों में विदेशी छात्रों की जो संख्या थी वह नीचे दी गई है:—

विषय	छात्रों की संख्या
1. कृषि/वन/ पशुचिकित्सा विज्ञान	538
2. वाणिज्य/व्यापार प्रबन्ध	1184
3. शिक्षा/अध्यापक प्रशिक्षण	73
4. इंजीनियरी तथा टैक्नोलाजी	1985
5. मानविकी/कला	4803
6. विधि	51
7. कायचिकित्सा/दन्त चिकित्सा/नर्सिंग	1443
8. विज्ञान	2401
9. अन्य विषय	281
योग	12759

भारत सरकार प्रतिमेडिकल सीट कितना खर्च करती है उसका निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों से उनकी अखिल भारतीय एसोसिएषन को मान्यता दिलाने के लिए प्राप्त अभ्यावेदन

5445. श्री समर मुकर्जी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों से उनकी अखिल भारतीय एसोसिएशन को मान्यता दिलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अखिल भारतीय एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो मान्यता कब तक दे दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ से उनके संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव मिला है जो सभी वर्गों के कर्मचारियों का एक मात्र संघ बताया जाता है।

(ग) और (घ) नियमों के अनुसार इस प्रस्ताव की जांच की गई है और संघ से कुछ और आवश्यक सूचना माँगी गई है। इस सूचना के मिलने पर इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

नए पद बनाने पर प्रतिबंध

5446. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में नए पद बनाये पर प्रतिबन्ध लगाने जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1979 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर रेलों पर, बढ़ी हुई परिचालनिक और अनुरक्षण गतिविधियों आदि के लिए पदों को छोड़कर पदों के सृजन पर पाबन्दी पहले से ही लगी हुई है। तथापि राजस्व खर्च के सम्बन्ध में बेहतर किफायत और नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए 31·3·1982 तक नए पदों के सृजन पर व्यापक अस्थायी पाबन्दी लगा दी गयी है, सिवाय चालू पदों के तदनुरूपी अभ्यार्पण के मामलों को छोड़कर जिसके परिणामस्वरूप भाप रेल इंजन शेडों और यार्डों में फालतू हो जाने वाले कर्मचारियों को उन पदों पर लगाना पड़ता है।

बांदरा में ऊपरी पुल का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

5447. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बांदरा में ऊपरी पुल का निर्माण कार्य मोडेला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के ठेकेदार द्वारा अप्रैल, 1981 में रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे इस कार्य को विभागीय रूप से पूरा करेगी क्योंकि उपनगरीय रेलवे पर यात्रियों के भारी आवागमन को सुगम बनाने के लिए यह अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ठेकेदार की मूल्य दर में वृद्धि की मांग को माना नहीं जा सका, क्योंकि उक्त ठेका निश्चित दर का ठेका है।

(ग) रेलों का प्रस्ताव शेष काम को किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से पूरा करने का है जिसके लिए 25-11-1981 को टेंडर खोले जा चुके हैं। इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इस काम को 31.3.1983 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

जाली हस्ताक्षरों से पी० टी० ओ० आर्डर का जारी किया जाना

5448- **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिवीजन में ऐसे कितने स्टेशन अधीक्षकों को सेवा से हटाया गया है, जिनकी अनुपस्थिति में पी० टी० ओज जाली हस्ताक्षरों से जारी किए गए थे; और

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने जाली हस्ताक्षरों वाले पी० टी० ओज प्राप्त किए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री(श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इलाहाबाद मण्डल में किसी स्टेशन अधीक्षक के जाली हस्ताक्षरों से पास/सुविधा टिकट आदेश जारी किए जाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

400 नोर्थ जोन परमिट जारी किए जाने के बारे में आवेदन पत्र

5449. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन प्राधिकरण ने हाल में 400 नोर्थ जोन परमिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र किस तिथि को आमंत्रित किए थे और इसके लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को विचार करने से पहले ही नामंजूर कर दिया गया और इन्हें नामंजूर करने के क्या कारण थे ; और

(ग) आवेदकों को परमिट जारी करने के बारे में कब तक विचार किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अभी हाल ही में नार्थ जोन परमिट के आवंटन के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

सोनीपत स्टेशन के पास पुल

5450. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार

का विचार सड़क यातायात की सुविधा के लिए सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास एक ऊपरी पुल निर्माण कराने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): सोनीपत के निकट वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर रेलवे और राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को सहायता

5451· **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को पर्यावरण अनुसंधान जारी रखने के लिए 1981-82 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है;

(ख) क्या सरकार को गत दो वर्षों से कालेज की बिगड़ती हुई प्रबन्ध व्यवस्था की जानकारी है;

(ग) किन कारणों से गत दो वर्षों के दौरान कई सुप्रसिद्ध प्रोफेसरों और परामर्शदाताओं को कालेज से सेवामुक्त किया गया अथवा वे कालेज छोड़ कर चले गये ; और

(घ) पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में इस कालेज के पास इसी प्रकार के अन्य संस्थानों की तुलना में वे कौन से विशेष अनुभव और ज्ञान हैं जिनके आधार उक्त तथ्यों के बावजूद इसे वित्तीय सहायता दी गई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद को 1981-82 के दौरान, पर्यावरण अनुसंधान करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । तथापि, भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा इस कालेज में प्रायोजित की जा रही पर्यावरण प्रबन्ध सम्बन्धी एक कार्यशाला के लिए 50,000/-रु० का एक अनुदान निर्धारित किया गया है ।

(ख) सरकार को इस कालेज की प्रबन्ध व्यवस्था के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) कालेज द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक जिसे उसकी मूल संस्था द्वारा वापिस बुला लिया गया और एक अन्य जिसे गम्भीर कदाचार के कारण बरखास्त कर दिया गया, के अलावा किसी भी सुप्रसिद्ध प्राध्यापक अथवा परामर्शदाता को न तो निकाला गया है और न ही किसी ने कालेज को छोड़ा है ।

(घ) सभी स्तरों पर पर्यावरण सम्बन्धी चेतना पैदा करने के लिए कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद सहित कई संस्थाओं से अनुरोध किया गया है ।

दक्षिण मध्य रेलवे के वेंडरों को स्थायी किया जाना

5452· **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में वेंडरों को स्थाई न किए जाने के क्या कारण हैं जैसाकि दक्षिण रेलवे में किया गया था;

(ख) भेदभाव पूर्ण रवैये के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय श्रमिकों की स्थाई किए जाने की मांग पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) स्थैतिक, विभागीय, खान-पान स्थापनाओं द्वारा कमीशन वेंडरों को स्टेशनों पर मुख्यतया खाद्य वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए तैनात किया जाता है और उनके द्वारा की गयी बिक्री पर कमीशन दिया जाता है, उन्हें वेडिंग स्टाल, ट्रालियां आदि आवंटित की जाती हैं। ये यात्रियों को उस प्रभार की सेवा प्रदान नहीं करते हैं जिस प्रभार की सेवा कमीशन बेयरे, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर रेलवे में समाहित करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है, करते हैं। बहरहाल, कमीशन बेयरों की परिणामी रिक्तियों में वेंडरों को नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

मालिक और एजेन्ट के बीच के विवाद के कारण वाणिज्यिक जहाज का संकटग्रस्ट होना

5453. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलदूत अशोक एक बड़ा वाणिज्यिक जहाज अभी हाल ही में जहाज मालिक और कुवैत में उसके एजेन्ट के बीच हुए कुछ विवाद के कारण उस देश में कई दिनों तक रुका रहा;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस जहाज में कर्मियों और कर्मचारियों को कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप अनेकों व्यक्ति मर गये और रोगग्रस्त हो गये;

(ग) यदि हां तो जहाज मालिक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इस प्रकार की घटनाएं फिर न घटें ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि जहाज कर्मोदल के सदस्यों को कुछ दिन रसद-पानी प्राप्त करने में भारी कठिनाई हुई थी क्योंकि जहाज मालिक ने एजेन्ट को कुछ देनदारी नहीं चुकाई थी। परन्तु यह सच नहीं कि कुछ दिन रसद-पानी की कमी के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ रोगग्रस्त हो गये।

(ग) सरकार ने जहाज मालिक से आग्रह किया है कि वह जहाज कर्मोदल के सदस्यों को रसद-पानी के लिए पर्याप्त धन राशि दे और यह भी कहा है कि वह विदेश (कुवैत) में एजेन्ट का हिसाब चुकता करें ताकि जहाज आगे यात्रा कर सकें।

(घ) नौवहन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कामर्शियल ट्रेड में ऐसी घटनाओं को पहले से ही आशा नहीं की जा सकती। जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं उचित कार्रवाई की जाती है ताकि कामर्शियल विवाद हल किया जा सके जिससे कि कर्मोदल के सदस्यों को कोई कठिनाई न हो और न ही विदेश में जहाज को रोका जा सके।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उपद्रव

5454. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनके परिसरों में शैक्षिक वर्ष 1980-81 के दौरान हिंसक घटनायें हुई थीं;

(ख) ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें उपर्युक्त अवधि के दौरान बंद कर दिया गया था और उन्हें कितनी अवधि के लिए बंद किया गया था;

(ग) विश्वविद्यालयों को बंद किए जाने के फलस्वरूप कितने छात्र दिवसों की हानि हुई; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों मे शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1980-81 के दौरान, निम्नलिखित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके परिसर में हिंसात्मक उपद्रवों के कारण उनके सामने दर्शाई गई अवधि के लिए बन्द करना पड़ा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय छात्रों के हिंसक उपद्रव के कारण 31 जनवरी से 8 मार्च तक और पुनः 12 मई से 21 मई तक (इसके बाद 16.8.1981 तक ग्रीष्मावकाश के कारण) बन्द रहा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

छात्रों के दो वर्गों के बीच हुए हिंसक झगड़ों के कारण विश्वविद्यालय 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बन्द था (इसके बाद 21 जून, 1981 तक ग्रीष्मावकाश के कारण बन्द रहा)।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

छात्रों के आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय 10 से 19 फरवरी, 1981 तक बन्द था।

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय

छात्रों के आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय 6 नवम्बर, 1980 से 2 दिसम्बर, 1980 तक बन्द रहा (इसके बाद 2 जनवरी, 1981 तक शरदावकाश के कारण बन्द रहा)।

(घ) इन सभी घटनाओं के कारण मूल रूप में स्थानीय थे। स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी कार्रवाई करना विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का काम है, वैसे ही उन्होंने किया है।

कालेज लेवल पैनल्स फार बस डिस्प्यूट्स

5455. **श्री भीकू राम जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को हिन्दुस्तान टाइम्स में (कालेज लेवल पैनल्स फार बस डिस्प्यूट्स) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान देने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसों से संबंधित झगड़ों के संबंध में कालेज स्तर पर समितियां स्थापित कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके सदस्य कौन हैं; और

(ग) इन समितियों के मुख्य कार्य और शक्तियां क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हर कालेज के लिए यह कमेटी नीचे लिखे ढंग से गठित की गई हैं—

(क) कालेज

(1) प्रिंसिपल या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति।

(2) कालेज स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष और मंत्री

(ख) दिल्ली परिवहन निगम।

(1) संबंधित डिवीजनल मैनेजर।

(2) डिपो मैनेजर।

(3) वर्कर्स का प्रतिनिधि।

(ग) दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन।

(1) अध्यक्ष

(2) मंत्री।

(घ) पुलिस।

(1) क्षेत्र का सहायक पुलिस आयुक्त।

(2) क्षेत्र का एस० एच० ओ०

(ग) यह कमेटी दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे सभी मामलों को जांच करेगी और शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझायेगी। इसके अलावा इस कमेठी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(क) कालेज के गेट पर सप्ताह में एक बार टिकटों/पासों की चकिंग करना।

(ख) पायदान पर खड़े होकर सफर करने से छात्रों को रोकना।

(ग) कालेज और दिल्ली परिवहन निगम के डिपुओं में कम्प्लेंट बुक रखी जायेगी और यह कमेटी इस कम्प्लेंट बुक को उचित कार्रवाई के लिए जांच किया करेगी।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में प्रगति

5456. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारिक उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) गत वर्ष इस संबंध में हुए कार्य और की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम का प्रसार गांवों में किया जा रहा है जहां इसकी आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में इसके कार्यान्वयन, कोटि और प्रभाव में सुधार करने के लिए, परिवर्तन करने की दृष्टि से कार्यक्रम की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा व्यापक समीक्षा की जानी थी। समीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्णय न लिए जाने के कारण कार्यक्रम को गत वर्ष 1979-81 के स्तर का ही रखा गया था। फिर भी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में 128 करोड़ रुपए के आवंटन सहित न्यूनतम आवश्यकता वाले कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मिर्जापुर जिले में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 300 केन्द्र चल रहे हैं जिनमें कुल नामांकन 8984 हैं। इसके अलावा, नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से कुछ और केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

मेडिकल कोर्सों में विदेशी छात्रों का दाखिला

5457. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी छात्रों की असुविधाओं के बारे में पता है जो विभिन्न मेडिकल कोर्सों में दाखिला लेने के लिए स्वयं भारत आते है;

(ख) क्या शिक्षा, विदेश और स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित मंजूरी और औपचारिकताओं के कारण ये परेशानियां हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो विदेशी छात्रों द्वारा उठायी जा रही इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं;

(घ) क्या उपरोक्त विषय पर सरकार द्वारा अभी हाल में लिए गए अथवा लिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित कोई परिपत्र या सूचना विभिन्न राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों के सभी मेडिकल कालेजों को सूचित किया जायेगा; और

(ङ) उक्त विषय पर लिए जाने वाले निर्णय के बारे में क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए जो विदेशी छात्र स्वयं भारत आते हैं, उनके दाखिलों को नियमित करने और उन्हें किसी निवार्य असुविधा से बचाने की दृष्टि से मेडिकल कालेजों वाले सभी विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया गया है कि अब से देश की विभिन्न मेडिकल संस्थाओं के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल ऐसे विदेशी छात्रों को

दाखिला देने पर विचार किया जाए जिनमें नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्लीयर किए जाते हैं।

विशाखापटनम् इस्पात संयंत्र को लोह अस्यक आदि के परिवहन के लिये लाइन क्षमता को बढ़ाया जाना

5458. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम् इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क मैंगनीज कोकिंग कोयला, चूना, पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि के परिवहन के लिये लाइन क्षमता आदि बढ़ाने के लिये रेलवे ने क्या कार्यवाही की है और प्रत्येक मामले में अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही करने का है जिसमें कि रेल विभाग की देरी के कारण विशाखापटनम् इस्पात संयंत्र के चालू होने में रुकावट न आयें ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र द्वारा उपलब्ध होने वाले यातायात के परिवहन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रेल सुविधाओं का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस्पात संयंत्र से होने वाले यातायात की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इससे मेल खाती अवसंरचना की सुविधाएं समय रहते ही सृजित कर दिये जाने की आशा है। लौह अयस्क यातायात के परिवहन के लिए कोट्टा वलासा-किरन्दूल लाइन को विद्युतीकृत किया जा रहा है। चूने के पत्थर की ढुलाई के लिए मोताभारी और जो गय्यापेट के बीच एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के बारे में विचार किया जा रहा है। प्राइम कोकिंग कोयले के आयात किये जाने की सम्भावना है। जिस समय मीडियम कोकिंग, ब्लेंडेबल कोयला और गैर-कोकिंग कोयले के स्रोतों का पता चल जायेगा, उस समय सुविधाओं का निर्धारण किया जायेगा और कार्रवाई की जायेगी।

तैयार माल के परिवहन के लिए, रायपुर विजयनगरम खण्ड पर कुछ क्षमता का विकास किया जा रहा है।

प्रिविलेज पास जारी किया जाना

5459. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड अथवा उत्तर रेलवे द्वारा कोई इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि श्रेणी 3 के ऐसे रेलवे कर्मचारियों के मामले में जिनके सेवा निवृत्त होने से कुछ पहले प्रिविलेज पासों के दो सेट, रोक दिए जाते हैं, जिनमें से एक सेट दण्ड देने के समय देय हो, और दूसरा सेट जो सेवा निवृत्ति के बाद के वर्ष में कम्प्लीमेंटरी पासों के हक के साथ समन्वित कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे;

(ग) क्या यह आदेश कलंक के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी काफी कठिनाइयां पैदा करता है तथा सेवा अवधि के दौरान दिए गए दण्ड को सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी कैसे वैध कहा जा सकता है; और

(घ) क्या वह इस पहलू पर पुनः विचार करेंगे तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् इस दण्ड को अनुकम्पा के बतौर समाप्त करेंगे जो तीस वर्ष तक रेलवे की सेवा करने के बाद सेवा निवृत्ति होते हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में जगन्नाथ जी मन्दिर का संरक्षण

5460. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जागेश्वर में पुरातत्वीय महत्व के जगन्नाथ जी मन्दिर के भू-कटाव से रक्षा करने के लिये कोई योजना उनके मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जागेश्वर में मंदिरों के सुरक्षण हेतु भू-कटाव के विरुद्ध 1978-79 में रु० 16,590/- की लागत से जटगंगा नदी के किनारे पर एक पुश्ता दीवार पहिले से ही बनवा दी गयी है । प्रयोजन हेतु भूमि चयन और उसके अर्जन के उपरान्त एक मूर्ति शेड बनाने का प्रस्ताव है ।

संयंत्रों की स्थापना के लिए नेपाल को वित्तीय सहायता

5461. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत नेपाल को ''आयोडाइज्ड'' लवण के उत्पादन के लिए दो संयंत्रों की स्थापना में तथा जल वितरण योजना की संस्थापना में सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएँ हैं जिनके लिए भारत नेपाल की सहायता करने हेतु सहमत हुआ है और नेपाल को कुल कितनी धन राशि की सहायता दी जाएगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) इसके बारे में नेपाल की सरकार के साथ कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है ।

(ग) भारत सरकार ने जल-संसाधन और औद्योगिक परियोजना की विभिन्न योजनाओं में नेपाल सरकार को सहायता देना स्वीकार किया है । वर्ष 1981-82 में इस काम के लिए 15.75 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है । एक विवरण संलग्न किया जा रहा है जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के आवंटित राशि बतायी गयी है ।

विवरण

क्र०सं०	योजना/परियोजना का नाम	रुपये
1.	नेपाल गंज और घारन औद्योगिक राज्य	10,500
2.	आयनीकृत नमक की सप्लाई	20,00,000
3.	पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (पूर्वी क्षेत्र)	2,00,000
4.	पूर्व-पश्चिमी राजमार्ग (मध्य क्षेत्र)	5,64,87,500
5.	तकनीकी सहायता	45,00,000
6.	दुलाल घाट-घनकुटा सड़क (हवाई सर्वेक्षण)	3,00,000
7.	कोसी क्षेत्र सड़क (सुधार)	2,50,000
8.	चतरा नहर (दूर संचार कार्य और पुरानी देयताओं की अदायगी)	10,50,000
9.	कोएक्सियल केबिल सम्पर्क	6,78,000
10.	देवीघाट पण्य बिजली परियोजना	9,00,00,000
11.	परोपकार प्रसूति चिकित्सालय का विस्तार	7,99,000
12.	शिक्षा संस्थान को पुस्तकों की सप्लाई	25,000
13.	पोखरा में क्रीड़ा परिसर	2,00,000
14.	औद्योगिक परियोजनाएं	10,00,000
		15,75,00,000

कोटा-देवगढ़ लाइन

5462. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा-देवगढ़ लाइन (लाम्बिया से दो लाइनें बनाना अर्थात् लाम्बिया, करेड़ा देवगढ़ और आसिंद, बदनोर, व्यावर,) को 1981-82 के रेल बजट में स्वीकृत किया गया था और बजट में इसके सर्वेक्षण के लिए 50 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी थी;

(ख) क्या 1981-82 के बजट में टोडारम सिंह नाथ द्वारा लाइन को भी स्वीकृत किया गया था और बजट में इसके सर्वेक्षण के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी;

(ग) क्या इतना समय बीत जाने के बाद भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है;

(घ) यदि सर्वेक्षण नहीं हुआ तो क्या यह धनराशि व्ययगत हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) 1981-82 के बजट में निम्नलिखित सर्वेक्षणों को अनुमोदित किया गया है, इन सर्वेक्षणों की लागत और परिव्यय प्रत्येक के साथ दिये गये हैं :—

(1) लाम्बिया और व्यावर (240 कि० मी०) के बीच एक मीटर लाइन स्पर सहित कोटा और देवगढ़-मदनिया के बीच एक बड़ी लाइन का प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण, । लागत 14 लाख और परिव्यय 5 लाख है ।

(2) भीलवाड़ा और खेकड़ी के रास्ते नाथद्वारा और टोडा रायसिंह के बीच एक मीटर लाइन बिछाने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण । लागत 12.50 लाख और परिव्यय 3 लाख रुपये ।

इन निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण अनुमानों की स्वीकृति दी जा रही है और शीघ्र ही क्षेत्र में कार्य शुरु किया जायेगा । इन सर्वेक्षणों के 1982-83 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

प्रबंध और उत्पादिता अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट डिप्लोमा कोर्स को मान्यता

5463. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा प्रायोजित प्रबंध और उत्पादित अनुसन्धान संस्थान के बिजिनस एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को तकनीकी शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा मान्यता दी जाती है;

(ख) क्या संस्थान ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि इस पाठ्यक्रम को दिल्ली विश्वविद्यालय/शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता दी जाये;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय । शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पाठ्यक्रम को अब तक मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस पाठ्यक्रम के इच्छुक छात्रों की बढ़ती हुई संख्या तो तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में उपलब्ध सीटों की अत्यंत सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस पाठ्यक्रम को शीघ्र मान्यता देने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा प्रायोजित प्रबंध और उत्पादिकता अनुसंधान संस्थान दिल्ली के बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन के दो वर्षीय (अंश कालिका) पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 1981-82 के लिये दिल्ली प्रशासन दिल्ली के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अस्थायी संबंधन दे दिया गया है ।

(ख) दिल्ली प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने प्रबन्ध और उत्पादिकता अनुसंधान, संस्थान दिल्ली के बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मान्यता के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजा है ।

तथापि, संस्थान द्वारा इस पाठ्यक्रम की मान्यता के लिये शिक्षा मंत्रालय से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ग) इस पाठ्यक्रम की मान्यता का मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। क्योंकि मंत्रालय से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है अतः शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पता चला है कि संस्थान के प्रायोजकों का, मान्यता के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव करने का विचार है। जब प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विधिवत् विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संचार माध्यम

5464. **श्री चतुर्भुज :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच तथा दूसरी ओर राष्ट्र-मंडल देशों और अन्य देशों और भारत में उनके मिशनों, भारत राजनयिक मिशनों के अध्यक्षों और विदेशों में अधिकारियों एवं संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के बीच पत्र व्यवहार के बारे में अक्तूबर, 1963 में जारी किए गए अनुदेशों की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें अद्यतन बनाया जा रहा है क्योंकि इनको जारी हुए लगभग दो दशक बीत गये अथवा क्या वे अनुदेश आज भी लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नवीनतम अनुदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) एक ओर भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच और दूसरी ओर भारत सरकार तथा विदेशी तथा राष्ट्रमंडल आदि की सरकारों के बीच पत्र व्यवहार के सबंध में 1963 में जो निर्देश जारी किए गए थे उनमें संशोधन किया जा चुका है।

(ख) और (ग) इन निर्देशों की प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

फेंसिस रोड पर उपरिपुल

5465. **श्री ई० के० इम्बीचीबाधा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में फेंसिस रोड, पर प्रस्तावित उपरिपुल के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो काम कब तक आरम्भ होगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कालीकट में, फेंसिस रोड पर वर्तमान समपार के स्थान पर एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव की जांच रेलवे और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। रेलवे और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा जून, 1981 में संयुक्त रूप से प्रस्ताविक ऊपरी सड़क पुल के स्थल का निरीक्षण किया गया था और राज्य सरकार से ऊपरी सड़क पुल को सड़क संरेखण नक्शा पेश करने के लिए कहा गया था जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस चरण पर प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विदेश सेवा से भिन्न अन्य अधिकारियों को अपने परिवारों को अपने साथ इराक तथा साइप्रस ले जाने की अनुमति न देने के कारण

5466. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इराक तथा साइप्रस में नियुक्त किये गये भारतीय विदेश सेवा से भिन्न अधिकारियों को अपने परिवार साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त दोनों देशों में नियुक्त अधिकारियों को शासित करने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वहां पर नियुक्त विभिन्न वर्गों के अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनको मिलने वाली परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उनको उपलब्ध कराये गये आवास का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) और (ख) जहां तक विदेश स्थित मिशनों में परिवारों को ले जाने का प्रश्न है भारतीय विदेश सेवा के बाहर के अधिकारियों में कोई फर्क नहीं है । इस नियम का अपवाद सिर्फ सुरक्षा गार्ड और ड्राईवर हैं जिन्हें उनके काम को मद्दे नजर रखते हुए और सुरक्षा के कारणों से अकेले ही भेजा जाता है ।

(ग) से (च) समय-समय पर संशोधित भारतीय विदेश सेवा (वेतनमान, अवकाश और क्षतिपूर्ति भत्ता) नियम 1961 में यह विवरण दिया गया है जिसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

19 सितम्बर, 1981 को काली पहाड़ी के नजदीक 305 अप आसन सोल एक्सप्रैस का पटरी से उतरना

5467. **श्री के० एन० मधुकर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1981 की काली पहाड़ी के नजदीक 305 अप आसनसोल एक्सप्रैस के इन्जन के कई पहिये और दो पिछले डिब्बे उलट गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस दुर्घटना के कारण जान और माल का अनुमानित नुकसान कितना हुआ; और

(ग) दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन थे और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 19-9-81 को निमचा ब्लाक हट और काली पहाड़ी स्टेशन के बीच 305 अप एक्सप्रैस के रेल इंजन के अगले दो पहिये तथा दो बोगियां, जो कि गाड़ी के इंजन से दूसरी तथा चौथी बोगी थी पटरी से उतर गयीं ।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार बदमाशों की गतिविधि के कारण पटरी से उतरने की घटना घटित हुई थी । इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेल सम्पत्ति को लगभग 58,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(ग) जांच समिति के अनुसार पटरी से उतर जाने की घटना के लिए रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्ति जिम्मेवार है ।

इस प्रकार की गतिविधियों की रोक-थाम के लिए सामान्यतः निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(1) स्थिति को देखते हुए जब कभी आवश्यक होता है रेल पथ की तोड़ फोड़ की आशंका वाले भेद्य खंडों पर पुलिस कर्मियों तथा इंजीनियरी विभाग के गैंगमैनों द्वारा गश्त लगायी जाती है।

(2) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, वहां फिश प्लेटों के बोल्टों को चपटा किया जा रहा है।

(3) सादे कपड़ों में गुप्तचर विभाग के कर्मचारी संदिग्ध व्यक्तियों की हरकतों तथा गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

उड़ीसा में चल रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाल कल्याण योजनाएं

5468. **श्री के० प्रधानी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से उड़ीसा राज्य में बाल कल्याण के लिए सुविधाएं देने के लिए उनके सहयोग देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में इस समय केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रायोजित बाल कल्याण योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में बच्चों को देखभाल करने वाली प्रशिक्षित महिलाओं की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे बाल सेविका केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित बाल कल्याण योजनाएं उड़ीसा राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं :—

केन्द्रीय (नान-प्लान)

बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

केन्द्रीय (प्लान)

1. समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण—

(1) बालसेविका प्रशिक्षण

(2) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण।

2. श्रमजीवी एवं बीमार महिलाओं के बच्चों हेतु शिशु गृहों की योजना।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित

(1) समेकित बाल विकास सेवा योजना; और

(2) देखभाल और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए योजना।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, विकलांग बच्चों हेतु छात्रवृतियों, समेकित शिक्षा, शिक्षण सामग्री और सहायक यन्त्रों और उपकरणों की सप्लाई इत्यादि कुछ योजनाएँ भी यहाँ हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा में बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता को समझते हुए इंडियन कौंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, नई दिल्ली द्वारा 1981 में भारत सरकार के 100% अनुदान दिए जाने की सहायता से मयूरभंज, जिला बारीपढ़ा में एक बालसेविका प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया जा चुका है। यह 1969 में भुवनेश्वर में खोले गए बालसेविका प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त है।

बिलोरा-बाड़ रेल लाइन का सर्वेक्षण

5469. **श्री अशोक गहलोत : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के बजट में जोधपुर डिविजन में बिलोरा से बाड़ तक एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण करने के लिए कोई प्रावधान था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण में अनुमानित खर्च कितना हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 2.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बिलाड़ा से बड़ तक एक नयी मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

इस सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र शुरू किया जा रहा है और इसको पूरा करने में लगभग 1½ वर्ष लगेंगे।

एम० बी० बी० एस० कोर्स में प्रवेश के लिए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

5470. **श्री डी० ए० शिव प्रकाशम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने एम० बी० बी० एस० कोर्स और पी० जी० कोर्स में प्रवेश के लिए चुनाव करने के बारे में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : भारत सरकार ने स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा कोर्सों में दाखिले के लिए छात्रों के चयन हेतु आवश्यक मानदंड को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन विनियमों के रूप में पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

रूट नं० 500 पर और अधिक बसों का चलाया जाना

5471. **श्री डी० एस० नेगी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साकेत से दूसरे स्थानों के लिए विशेष रूप से रूट नं० 500 में साकेत से सुपर बाजार के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन के बसों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस रूट पर और बस चलाये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रूट नं० 500 की बस सेवा की फ्रिक्वेंसी 23.11-1981 से बढ़ा कर दी गई है। यह फ्रिक्वेंसी चार बसों के स्थान पर पांच बसें लगाकर 26/52 मिनिट के बजाय 21/41 मिनिट की कर दी गई है। इस रूट पर 4-11-81 से एक डीलक्स बस भी चलानी शुरू की गई है।

भारत में महिलाओं को रोजगार अवसरों के लिये संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक निधि से सहायता

5472. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की गंदी बस्ती क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक निधि से कोई सहायता निधि प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

"ए" ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश

5473. **श्री पियूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ए" ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम में पिछले पांच वर्षों के दौरान दाखिल किये गये छात्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान "ए" ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिल किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की संख्या संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित मेडीकल कालेज निर्धारित आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मेडीकल कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जितने छात्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान "ए" ग्रेड नर्सिंग कोर्स में दाखिला दिया गया, उन की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के जो छात्र न्यूनतम अर्हताएं/अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें इस कोर्स में दाखिल किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान "ए" ग्रेड नर्सिंग कोर्स में दाखिल किये गये छात्रों की राज्य-वार और वर्षवार संख्या।

राज्य नर्सिंग परिषद का नाम	1978	1979	1980
आंध्र प्रदेश	1035	977	1389
असम	459	481	470
विहार	1221	1063	1121
गुजरात	1085	1094	1116
हरियाणा	755	733	733
हिमाचल प्रदेश	59	66	63
केरल	1665	2078	2048
मध्य प्रदेश	1578	1256	1217
महाराष्ट्र	4794	4638	4720
मेघालय	135	117	120
कर्नाटक	1074	1236	1081
नागालैण्ड	20	25	54
उड़ीसा	666	599	658
पंजाब	524	570	511
राजस्थान	716	629	694
तमिलनाडु	1357	1291	1276
उत्तर प्रदेश	1292	1339	1235
पश्चिम बंगाल	1068	1217	1176
दिल्ली	750	933	985
गोवा	140	99	99
जम्मू व कश्मीर	139	263	263
पांडिचेरी	77	106	95
मिजोरम	50	55	68
ए० एफ० एम० एस०	439	378	478
योग	21,098	21,243	21,670

अमरीका को भूमि की सुविधाएं देने की पाकिस्तान की पेशकश

5474. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री रशीद मसूद
श्री चिंतामणि जेना } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने एफ 16 लड़ाकू बमवर्षक विमानों की शीघ्र सप्लाई के बदले अमरीका को नव-निर्मित द्रुत तनाती बल के लिए भूमि संबंधी सुविधाओं तथा अपने राज्य क्षेत्र के उपयोग की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस आशय की खबरें सरकार ने अखबारों में देखीं हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इन्कार किया है।

(ख) सरकार किसी देश में विदेशी अड्डों/सुविधाओं की स्थापना के विरुद्ध है।

बाड़मेर रेलवे स्टेशन का आधुनिकी करण तथा विस्तार

5475. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमान्त जिला बाड़मेर के मुख्यालय बाड़मेर नगर के रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण कब हुआ था;

(ख) इस रेलवे स्टेशन के निर्माण के बाद इसमें किए गए सुधारों तथा विस्तार कार्यों का ब्यौरा क्या है, और ये कार्य कब किये गये थे;

(ग) क्या बाड़मेर में रेलवे कर्मचारियों की संख्या तथा वहां पर बढ़ती जनसंख्या और यात्री यातायात को देखते हुए उक्त इमारत बहुत ही छोटी एवं अपर्याप्त सिद्ध हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस इमारत के आधुनिकीकरण एवं आगे विस्तार के लिए कब तककदम उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस इमारत का निर्माण 1929-30 में किया गया था।

(ख) किये गये सुधारों तथा विस्तार कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) 1948-49 में फ्लश टाइप के 6 शौचालयों का निर्माण।

(2) 1953 में बुकिंग कार्यालय, पार्सल कार्यालय तथा बरामदे का विस्तार।

(3) 1953 में प्लेटफार्म पर प्याऊ की व्यवस्था।

(4) 1953 में प्लेटफ़ार्म पर चाय स्टाल।

(5) 1954-55 में प्लेटफार्म पर पुरुषों तथा महिलाओं के लिए क्रमशः 6 तथा 2 वाश रूमों की व्यवस्था।

(6) 1958-59 में 150' × 50' क्षेत्रफल के यात्री शेल्टर का निर्माण।

(7) 1959 में टेलिग्राफ कार्यालय तथा रिकार्ड आफिस में परिवर्धन।

(8) 1959 में प्रतीक्षालय तथा पार्सल शेड का विस्तार।

(9) 1959-60 में गुड्स शेड में व्यापारियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था ।

(10) 1966 में गुड्स शेड में प्याऊ की व्यवस्था ।

(11) 1978-79 में गुड्स शेड के लिए 4 सीटों वाले पेशाब घरों की व्यवस्था ।

(12) 1979-80 में मुन्नावाव वाले छोर की ओर यात्री प्लेटफार्म का 60 फुट तक विस्तार।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

5476. **श्री अजित बेग**
श्री नीरेन घोष } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से हुगली डाकिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी को तुरन्त राष्ट्रीयकरण किए जाने का निर्णय लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता के भविष्य का मामला केन्द्रीय उद्योग मंत्री के साथ 11 नवम्बर, 1981 की बातचीत में उठाया था ।

(ग) और (घ) इस बारे में विभिन्न संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही है ।

द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में अधिक सुविधाएं

5477. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में अधिक सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दूसरे दर्जे की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए दूसरे दर्जे के नये डिब्बों में धीरे-धीरे निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है :—

1. आराम प्रदान करने के लिए गद्दीदार शायिकायें और कमर के पीछे का सहारा ।
2. उन यात्रियों के लाभ के लिए, जो बीमार या वृद्ध हैं अथवा जिन्हें भारतीय ढंग के शौचालय इस्तेमाल करने में कठिनाई होती है, चार में से एक पाश्चात्य ढंग का शौचालय ।
3. पीने के पानी के एक पोर्टेबुल कन्टेनर को रखने के लिए स्थान ।
4. कुछ शायिका सवारी डिब्बों में, निर्धारित प्रभार के भुगतान पर, यात्रियों को सप्लाई किये जाने के लिए लिनन और बिस्तर के लिए स्थान ।

5. विशिष्ट रूप से दूसरे दर्जे के आरक्षित स्थान वाली लम्बी दूरी की गाड़ियां चलाना।

6. अन्तर्नगण्य दिन की गाड़ियों के लिए दिन के सवारी डिब्बों का आरम्भ किया जाना।

भिखारियों की कुल संख्या और उनका पुनर्वास

5478. **श्री अजय विश्वास**
श्री जयपाल सिंह कश्यप } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने भिखारी हैं ;

(ख) क्या भिखारियों के पुनर्वास के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों और आवारों की अनुमानित संख्या 10,11,679 थी। 1981 की जनगणना से सम्बन्धित आंकड़े अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) भिक्षावृत्ति नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यक्रम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इस समय 15 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों ने अपने-अपने भिक्षावृत्ति निरोधक कानूनों के उपबन्धों के अन्तर्गत भिखारियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा भिखारियों के लिए 102 संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिन में 16,575 भिखारियों को रखा जा सकता है।

बरेली कांसगज लाइन पर चोरी और गुण्डागिरी के मामले

5479. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली-कासगंज लाईन पर गत एक वर्ष के दौरान चोरी और गुण्डागिरी की कितनी घटनायें हुईं, कितने मामले दर्ज किए गए और उनमें से कितने मामलों पर अब तक कार्यवाही की गई है; और

(ख) चोरी और गुण्डागिरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कयाण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 के दौरान अभी तक बरेली-कासगंज लाइन पर गुण्डागर्दी के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। यात्रियों के सामान की चोरी के दो मामले, जिन में 5500/-रु० के मूल्य की सम्पत्ति चोरी चली गई थी, की रिपोर्ट की गयी थी। ये मामले सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा पंजीकृत किये गये थे और इनकी जांच-पड़ताल की गयी थी। अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी या चोरी की गयी सम्पत्ति की वसूली नहीं की गयी है। इन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) रात्रि में चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षी भेजे जा रहे हैं।

(2) रेलों पर अपराधों की रोक-थाम करने और उनका पता लगाने के लिए सभी स्तरों पर सिविल और राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से रेलों द्वारा निकट सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(3) अनधिकृत व्यक्तियों को सवारी डिब्बों में घुसने से रोकने के लिए डिब्बों में चल टिकट परीक्षकों और डिब्बा परिचरों की व्यवस्था की जाती है।

(4) अपराधियों को पकड़ने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) जब सवारी गाड़ी अपने मार्ग के मध्य-खण्ड में रुक जाती है तो यात्री गाड़ियों के ड्राइवरों द्वारा मार्ग-रक्षियों को सावधान करने के लिए खतरे की सीटी बजायी जाती है।

दान देने वालों को इंजीनियरी तथा चिकित्सा विज्ञान शिक्षा पर व्यय पर कर से छूट

5480. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ग्रामीण विकास शिक्षा में किये गए व्यय पर दानकर्त्ताओं को सरकार द्वारा कर में छूट दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर में छूट की यह सुविधा इंजीनियरी तथा चिकित्सा विज्ञान शिक्षा पर किए गए व्यय पर दानकर्त्ताओं को कर में छूट नहीं दी जाती है; और

(ग) इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) आय कर अधिनियम की धारा 35 के उपबन्धों में वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संस्थाओं के बीच कोई भेद भाव नहीं रखा गया है। ऐसी संस्थाएं अपने आपको चिकित्सा विज्ञान अथवा इंजीनियरी विज्ञान के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में व्यस्त रख सकती हैं। तथापि, यदि यह दान एक ऐसी संस्था के लिए है जो इंजीनियरी अथवा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का ही कार्य कर रही है तथा जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य नहीं करती हैं, तो ऐसे मामलों में धारा 35 का उपबंध लागू नहीं होगा। आय कर अधिनियम की धारा 80-छ अन्तर्गत ऐसे दानों पर कटौती अनुमत्य होगी जिसके अनुसार उक्त धारा में निर्धारित सम्पूर्ण सीमाओं के अन्दर-अन्दर रहते हुए कुल आय में से इस प्रकार के दानों का 50% घटा देने की व्यवस्था है। यह आवश्यक है कि जिन संस्थाओं को ऐसे दान दिए जाते हैं, वे ऐसी होनी चाहिए, जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा उक्त धारा के अर्थ के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई संस्थाओं के रूप में अनुमोदित हो।

चित्रकूट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करना

5481. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और मानिकपुर के बीच चल रही चित्रकूट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने की मांग क्षेत्र के सभी विधायकों और संसद सदस्यों द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इन जन प्रतिनिधियों की मांग पर विचार नहीं किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और की गई मांगों की तुलना में रेलवे अधिकारियों के सुझावों को अधिक महत्व दिया जाता है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ विधान सभा सदस्यों का संसद सदस्यों ने 109/110 चित्रकूट एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ख) मांग पर सही ढंग से विचार किया गया था परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं, सभी सुझावों की गुणावगुणों के आधार पर सावधानी से जाँच की जाती है।

उत्तर सीमान्त रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे के जेड० आर० यू० सी० सी० के सदस्यों के नाम

5482 **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में मनोनीत की गई उत्तर सीमान्त रेले, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे के जेड० आर० यू० सी० सी० के सदस्यों के नाम और पूरे पते क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1981-82 में रेलवे विभाग द्वारा गठित की गई समितियों के क्या क्या नाम हैं, यदि हां, तो इस प्रकार गठित की गई समितियों का पूरा ब्यौरा क्या है और ऐसी गठित समितियों के सदस्यों का नाम और पूरा पता क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3272/81]

(ख) रेलों द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है और उनका कार्यकाल प्रत्येक के सामने दिया गया है :

	से	तक
1. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति	.....	.....
(प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर एक)	28-1-81	31-3-83
2. रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति	,,	,,
(प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर एक)		
3. समय-सारणी समिति	,,	,,
(प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर एक)		

4. मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (55 समितियां-प्रत्येक मंडल पर एक)	1-1-81	31-12-82
5. मध्य, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे पर उपनगरीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (5)	,,	,,
6, स्टेशन परामर्श समितियां (267 स्टेशनों पर)	,,	,,

इन सभी 354 समितियों के लिए मांगी गयी सूचना को इकट्ठा करना और समेकित करना इतना विस्तृत कार्य है जो उसमें शामिल श्रम और व्यय के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा अलग-अलग रेलों की समय-सारणियों में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के सदस्यों की सूची छापी जाती है।

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, चंण्डीगढ़ के बजट में वृद्धि

5483. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः पोस्ट ग्रेजुएट आफ मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चण्डीगढ़ में कितने वहिरंग और अंतरंग रोगियों की चिकित्सा की गई और उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान वर्षवार औषधियां, प्रशासन और अन्य मदों के लिये कितना बजट प्रावधान किया था और इस वर्ष के बजट में कितना प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि रोगियों की संख्या, औषधियों के मूल्यों में वृद्धि डाक्टरों की कुशलता बनाये रखना और क्षेत्रों की मांगों को देखते हुए बजट में बढ़ा हुआ प्रावधान करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की वृद्धि और इस मामले में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) हां।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में देखा जा सकता है, विभिन्न संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुल उपलब्ध राजस्व के अन्दर-अन्दर हर वर्ष संस्थान के बजट में बढ़ोतरी की जाती है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान बाह्य और अंतरंग रोगी विभागों में उपचार के लिए जितने रोगी आये उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बाह्य रोगी	अन्तरंग रोगी
1978-79	5,61,082	22,762
1979-80	5,31,512	22,742
1980-81	5,66,395	24,674

जहां तक उक्त वर्षों में की गई बजट व्यवस्था तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	मुख्य संस्थान की अनुदान (प्लान तथा नए-प्लान)	सुपर स्पेशलिटीज के विकास की योजना के लिए संस्थान को अनुदान (प्लान)	माडल अध्यापकों की निरन्तर शिक्षा की योजना (प्लान)
		(रुपये लाखों में)	
1978-79	359.40	10.00	—
1979-80	415.00	10.00	—
1980-81	446.59	10.00	—
1981-82	556.60	12.00	1.25

भारत में शिशु आहार की बिक्री, उत्पादन और विपणन के लिए कार्यकारी दल की स्थापना

5484. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने भारत में शिशु-आहार की बिक्री उत्पादन और विपणन को विनियमित करने के लिए एक संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यकारी दल में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या क्या हैं;

(ग) मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्टों और सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सिफारिशों में एक उचित कानून बनाने और लागू करने की बात भी कही गई है; यदि हां, तो आवश्यक विधेयक को संसद में कब पेश किये जाने का विचार है; और

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रारूप संहिता में उल्लिखित सिफारिशों की तुलना में दल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें क्या-क्या हैं।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें कार्यकारी दल में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं; संलग्न है।

(ग) और (घ) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश कर दी है। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें मुख्यतया विश्व स्वास्थ्य संगठन के ड्राफ्ट कोड पर आधारित हैं जिनमें हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार कुछ संशोधन कर दिए गए हैं।

विवरण

समाज कल्याण मंत्रालय

1. श्री एम० एम० राजेन्द्र — अध्यक्ष
   संयुक्त सचिव (एन० सी० डी०)
2. उप सचिव (सी० डब्ल्यू०) — सदस्य-सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

3. डा० पी० सी० सेन, — सदस्य
   सलाहकार (पोषाहार)
4. डा० डी० एस० चड्डा, — सदस्य
   सहायक महानिदेश (पी० एफ० ए०)

खाद्य विभाग, कृषि मंत्रालय

5. डा० एस० एस० फाटक, — सदस्य
   संयुक्त तकनीकी सलाहकार

कृषि विभाग

कृषि मंत्रालय

6. श्री एस० दत्त — सदस्य
   संयुक्त आयुक्त (डेरी विकास)

ग्रामीण पुर्नर्निर्माण मंत्रालय

7. श्री जी० एस० शुक्ला, — सदस्य
   कृषि मार्किटिंग सलाहकार

औद्योगिक विकास मंत्रालय

8. श्री एस० रामास्वामी, — सदस्य
   औद्योगिक सलाहकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

9. श्री एम० सुन्दर राजन — सदस्य
   उप सचिव

यूनिसेफ

10. डा० एस० एच० दलाल, — सदस्य
    कार्यक्रम अधिकारी,
    यूनिसेफ, दक्षिण केन्द्रीय एशिया क्षेत्र
    यूनिसेफ हाउस, 11, जोर-बाग,
    नई दिल्ली-110001

विश्व स्वास्थ्य संगठन

11. डा० ए० जी० प्रादिला, — सदस्य
    क्षेत्रीय पोषाहार सलाहकार,
    विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण
    पूर्व के लिये क्षेत्रीय कार्यालय,
    वर्ड-हेल्थ हाउस, नई दिल्ली-110001.

सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर

12. डा० एम० आर० राघवेन्द्र राव — सदस्य
    प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर

इंडियन काउन्सिल फार मैडिकल, रिसर्च (एन० आई० एन०) हैदराबाद

13. डा० विनोदिनी रेड्डी, — सदस्य
    उप निदेशक, क्लीनिक डिवीजन,
    एन० आई० एन० (आई० सी० एम० आर०)
    जामिया, उसमानिया, हैदरावाद-500007.

भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, नई दिल्ली

14. श्री टी० पूर्णानन्द, — सदस्य
    निदेशक (कृषि और खाद्य)

भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी

15 डा० (कुमारी) सत्या गुप्ता, — सदस्य
   भूतपूर्व अध्यक्ष — (दिसम्बर, 1980 तक)
   डा० एस० पी० घोषाल, — सदस्य
   अध्यक्ष — (जनवरी, 1981 से)

कंज्यूमर गाइडेन्स सोसाइटी आफ इण्डिया

16. डा० पी० के० आनन्द, — सदस्य
    अध्यक्ष,

मैडिकल पैनल, चाइल्ड गाइडेन्स
सोसाइटी आफ इण्डिया पेडिएट्रिशियन हटमेन्ट जे०,
महापालिका मार्ग, बम्बई ।

मैसर्स कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआपोरिटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड

17. श्री वी० एच० शाह, सदस्य
महा प्रबन्धक, मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन,
आनन्द-गुजरात ।

नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल

18. डा० वी० एन० माथुर, सदस्य
वैज्ञानिक (एस० 3),
डिवीजन आफ डेरीटेक्नोलोजी,
नेशनल डेरी रिसर्च संस्थान,
करनाल ।

डिवीजनल रेलवे मैनेजरों की तैनाती

5485. **प्रोफेसर मधु दण्डवते :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हद तक समता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों से 2250-2500-2750 रुपये के ग्रेड में डिवीजनल रेलवे मैनेजरों के रूप में विभिन्न विभागों से अधिकारियों की तैनाती करने में कोई कोटा पद्धति शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समता के इस सिद्धान्त को विभिन्न विभागों में 3000 रुपये और इससे अधिक के ग्रेड के सामान्य प्रशासनिक पदों के लिये कब लागू किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां ।

(ख) ऐसे पदों को भरते समय भारतीय रेल सेवाओं में समानता का सिद्धान्त भी ध्यान में रखा जाता है ।

रेल यातायात में वृद्धि

5486. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 से अक्टूबर, 1981 की अवधि के दौरान रेल यातायात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल से अक्टूबर, 1981 तक ढोया गया राजस्व उपार्जक यातायात 1227.8 लाख मी० टन थी जबकि अप्रैल से अक्टूबर, 1980 तक की अवधि में 1050.9 लाख मी० टन की ढुलाई

की गई थी। चालू वर्ष में अक्टूबर तक लदान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 176.9 लाख मी० टन अधिक है।

मनमाड-आदिलाबाद सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

5487. **श्री उत्तम राठौर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के अन्तर्गत मीटर-गेज के मनमाड-मुडखेड-आदिलाबाद सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ भाग में तो काम शुरू भी हो चुका है शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ग) बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मनमाड-परभनी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने काम का 'मनमाड-औरंगाबाद-पुरली बैजनाथ आमान परिवर्तन परियोजना' जो एक अनुमोदित कार्य है, का एक भाग है। फिलहाल, प्रथम चरण में मनमाड से औरंगाबाद तक के खंड में यह कार्य प्रगति पर है। इस काम में अभी तक 10 प्रतिशत प्रगति हुई है जहां तक परभनी से आदिलाबाद तक के शेष खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में 1982-83 के बजट में सर्वेक्षण कार्य शुरू किये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

जहाजरानी उद्योग में मंदी

5488. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि माल भाड़े की दरों में कमी के कारण तथा ढुलाई के लिए पर्याप्त नौभार न मिलने के कारण जहाजरानी उद्योग इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है;

(ख) क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि सरकारी और परियोजना नौभार माल के लिए राष्ट्रीय भारवाहक जहाजों को ही प्राथमिकता दी जाए, चाहे उनकी दरें कुछ अधिक भी क्यों न हों; और

(ग) क्या भारतीय जहाजरानी उद्योग को इस कठिन समय से उबारने के लिए सरकार कुछ अन्य उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जहां तक लाईनर भाड़े का संबध है, इसमें पिछले कई वर्षों से कोई मंदी नहीं आई। परन्तु, एकदम जो भाड़ा दरें नियत की जाती हैं उनमें कुछ रुकावट आई है। इन भाड़ा दरों में गिरावट के मुख्य कारण हैं—खाद्यान्न, कच्चे लोहे इस्पात उद्योग में मंदी आने से आदि की ढुलाई कम मात्रा में होना, टेंकर मार्केट में भारी मंदी आ जाने से बल्क ट्रेड में कम्बीनेशन कैरियर जहाजों का आ जाना।

(ख) और (ग) सरकार की यह नीति है कि नौवहन पर नियंत्रण रखने और भारतीय जहाजों को अधिकाधिक उपयोग करने के लिए जहां तक संभव हो निर्यात एफ० ओ० वी० आधार पर और निर्यात सी० एण्ड एफ० आधार पर किया जाए। इस नीति का अनुपालन करने के लिए सभी सरकारी विभागों/परियोजनाओं/उपक्रमों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं। भारतीय जहाजों के उपयोग सम्बन्धी स्थिति की आवधिक समीक्षा भी की जाती है। यह समीक्षा एक स्थायी समिति करती है जिसमें भारत सरकार से सम्बन्धित विभागों सरकारी परियोजनाओं और इण्डियन नेशनल शिपओनर्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के माता पिता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्ति करने हेतु आश्रितों के रूप में मानने के लिए आय सीमा का बढ़ाया जाना

5489. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आश्रितों के रूप में मानने के लिए 250 रु० प्रतिमास की आय सीमा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की प्रारम्भ करते समय 25 वर्ष पूर्व निर्धारित की थी;

(ख) क्या सरकार को यह आय सीमा बढ़ाकर 400 रुपये या इससे अधिक करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ हेतु सरकारी कर्मचारी के माता-पिता का आश्रित के रूप में इलाज करने के लिए 250/- रुपये प्रति मास की आय-सीमा 20 मई, 1967 को निर्धारित की गई थी।

(ख) और (ग) इस मामले पर राष्ट्रीय परिषद् समिति की बैठक में 8 दिसम्बर, 1980 को चर्चा की गई और उसके परिणामस्वरूप 30 अक्टूबर, 1981 से 250/- रुपये की आर्थिक सीमा को बढ़ाकर 350/- रुपये प्रति मास कर दिया गया है।

स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धकों को वित्तीय सहायता देना

5490. **श्री राजगोपाल नायडू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों के प्रबंधकों को वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन संगठनों को यह सहायता दी गई थी ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां। समाज कल्याण के क्षेत्र में लगे स्वयंसेवी संगठनों को "प्रमुख स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों को संगठनात्मक की योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3273/81]

रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

5491. **श्री रामलाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को, संसद् सत्र की अवधि के अलावा समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है, जब उन्हें पूरे वर्ष अतिरिक्त घण्टों तक काम करना पड़ता है, जबकि अन्य विभागों में स्थिति भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जाएगा; और

(घ) इस समय देश भर की रेलवे कैंटीनों में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है, और अस्थायी कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

रेल तथा संसदीय कार्य एवं शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) जब कैंटीन कर्मचारियों को कार्य घंटों के बाद/सवेतन छुट्टियों के दिन काम करना पड़ता है, तो उन्हें समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है । संसद् भवन के कैंटीन कर्मचारियों को संसद् सत्र की अवधि के दौरान समयोपरि भत्ता दिया जाता है । पिछले वर्ष के गैर सत्र की अवधि के दौरान भुगतान का प्रश्न उत्तर रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है और उन्हें, यदि वर्तमान नियमों के अनुसार देय हुआ, तो भुगतान किया जायेगा ।

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति

5492. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं कक्षा के बाद पात्र विद्यार्थियों के लिए 1981 में हुए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की परीक्षा में प्रथम तीन सौ उम्मीदवारों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक को कितने अंक प्राप्त हुए;

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के नाम क्या हैं; और

(ग) छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए चयनित उम्मीदवारों के क्या नाम हैं और उन्हें साक्षात्कार में कितने अंक मिले ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) एक विवरण जिसमें 10वीं कक्षा के बाद छात्रों के लिए 1981 में हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रथम तीन सौ उम्मीदवारों के नाम साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के नाम और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम दर्शाए जायेंगे का संकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

नीति के तौर पर परीक्षा में अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक नहीं बताये जाते हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन की प्रगति

5493. **श्री राजेश पाइलट** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए शुरू किए गए जलमार्गों की दृष्टि से अन्तर्देशीय जल परिवहन में क्या प्रगति हुई है और पुराने जलमार्गों के जरिए ढोये गये माल में कितने टन की वृद्धि हुई है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना शुरू की गई है और क्या सफलता मिली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) "यंत्री-कृत स्वचालित जहाजों से अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में नौवहन और नौचालन" का विषय भारत के संविधान के अधीन की 7वीं अनुसूची की सूची 111 (आवर्तीसूची) में मद संख्या 32 के अन्तर्गत आता है। अतः अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। इसलिए अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए उपाय करना मुख्यतः राज्य सरकारों का कर्तव्य है।

केन्द्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए जिम्मेदार है जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ की सूची की मद संख्या 24 के अन्तर्गत आता है। अभी तक कोई भी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। परन्तु, भारत सरकार ने इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप से कर लिया है। इसके लिए कानून का मसौदा शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नदी सेवाएं जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता नामक एक सरकारी उपक्रम चलाती है। पिछले दो वर्षों में निगम से किसी नये रूट पर कोई सेवा शुरू नहीं की है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय गंगा नदी में 1971 से प्रायोगिक और संवर्द्धनात्मक माल सेवा का परिचालन कर रहा है। दिसम्बर, 1980 से पटना-गाजीपुर सेवा का परिचालन निर्धारित समय-सूची के अनुसार किया जा रहा है जो उपरोक्त क्षेत्र में नदी के ऊपर वाले भाग में पर्याप्त जलस्तर पर निर्भर करती है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चलाये जाना ले जाये गये माल का ब्यौरा संलग्न विवरणों (विवरण 1 से 3) में दिखाया गया है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए भारत सरकार ने पहली जून, 1980 से एक ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम चालू की है जिससे अन्तर्देशीय जल परिवहन उद्यमकर्ता राष्ट्रीयकृत बैंकों और ऋण देने वाली सरकारी संस्थाओं से $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर सीधे ऋण ले सकते हैं ताकि अन्तर्देशीय जल परिवहन परिचालन कार्यों के लिए जहाज खरीदे जा

सकें। इस स्कीम के परिचान के आधार पर स्कीम के मुद्दों की वित्त मंत्रालय के परामर्श से संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

विवरण-1

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०, कलकत्ता द्वारा ढोये गये माल का विवरण

(माल टनों में)

अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980	अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981
151,859	114,479

विवरण-2

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना के क्षेत्रीय कार्यालय गंगा नदी पर एल० सी० टी० सेवा द्वारा गंगा कोलगोंग और कारागोला के बीच लाये-ले जाए गये माल का विवरण

अवधि	यात्री	गाड़ी	माल	पशु
नवम्बर, 1979 से अक्टूबर, 1980 तक	1,29,681	173	22,703	4608
नवम्बर, 1980 से अक्टूबर, 1981 तक	1,38,263	1532	12,246	3222

विवरण-3

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पटना और गाजीपुर के बीच गंगा नदी की परिचालन सेवा से लाये ले जाए गए माल का विवरण

(माल टनों में)

अवधि	कोयला	गोला पत्थर/ बालू	सामान्य माल	कुल
नवम्बर, 1979 से अक्टूबर, 1981 तक	1038	1120 (पत्थर)	28	2186
नवम्बर, 1980 से अक्टूबर, 1981 तक	764	2602 (बालू)	2472	5938

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्य को सुचारू बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद की सिफारिशें

5494. **श्री आर० पी० यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया, हैदराबाद द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कौन सी सिफारिशें मान ली गई हैं;

(ग) स्वीकार कर ली गई सिफारिशों में किन्हें किस हद तक क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) क्या स्वीकृत अन्य सिफारिशें लागू करने के लिए कोई समयवद्ध कार्यक्रम है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को परामर्श सहायता प्रदान की और इसके लिए "महत्वपूर्ण लक्ष्य तथा संगठन स्वरूप सम्बन्धी एक रिपोर्ट तैयार की। मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

—महत्वपूर्ण लक्ष्य

—कार्यात्मक वर्गों की स्थापना तथा संगठनात्मक एककों की भूमिका को स्पष्ट करना;

—प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन;

—समन्वय और आयोजना प्रणाली तथा इसके लिए कार्य तंत्र की स्थापना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारी समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया था और सामान्य रूप से इन्हें स्वीकार किया। कार्यकारी समिति के निर्णयों के अनुसरण में, रा० शै० अ० प्र० परि० ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :

—अपने विभागों और एककों का पुनर्गठन।

—प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन।

— समन्वय और आयोजना कार्य तंत्र की स्थापना।

जहां तक महत्वपूर्ण लक्ष्यों का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर समय-समय पर निर्णय लेने होंगे।

सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सरकार ने अब रा० शै० अ० प्र० परि० के कार्यकरण के सम्बन्ध में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज सहित विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक कार्य बल का गठन करने का निर्णय किया है, ताकि परिषद् के भावी विकास के लिए उनकी प्रासंगिकता और महत्व निर्धारित किया जा सके।

इन्स्ट्रक्टर का भत्ता

5495. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग के वे व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति पर रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों/केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं, इन्स्ट्रक्टर भत्ता पाने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों को यह भत्ता दिए जाने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या उक्त भत्ता उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जो प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इसे उन सभी व्यक्तियों पर लागू करने का विचार है जो इन्स्ट्रक्टर का कार्य कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य एवं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (छ) रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में अनुदेशकों के पदों को नियमित वेतनमान में इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों या रेलों के अन्य विभागों से लिये गये कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जाता है। जो कर्मचारी इन पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा भर्ती किये जाते हैं उन्हें उस पर के वेतनमान के लिए स्वीकार्य वेतन और भत्तों के अनुसार वेतन दिया जाता है। जिन कर्मचारियों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है उनका लियन उनके मूल विभाग में बना रहता है और वे इस बात का विकल्प दे सकते हैं कि या तो अपने मूल संवर्ग में अपने वेतन के आधार पर अपना वेतन निर्धारित करायें तथा विशेष वेतन पायें अथवा वे उस पद के लिए आबंटित वेतनमान में वेतन पायें। चूंकि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को पहले ही पद के वेतनमानों के अनुसार वेतन प्राप्त करने की अनुमति है, उन्हें पद के वेतनमान के अतिरिक्त विशेष वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

हावड़ा मण्डल के तार कार्यालय का कार्यकरण

5496. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे लूप सेक्शन के हावड़ा मण्डल में तार कार्यालय के अनियमित कार्यकरण और इसके लगभग बन्द हो जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण बांदेल स्टेशन स्थित तार घर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) इस प्रकार के अनियमित कार्यकरण और बन्द होने के क्या कारण हैं और कर्मचारियों की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस विभाग में पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के लूप खंड पर सभी तार कार्यालयों में दिन-रात नियमित रूप से कार्य होता है, सिवाय साहिबगंज तार कार्यालय को छोड़कर जहां केवल 10-00 बजे से 18-00 बजे तक की एक ही पारी में काम होता है।

(ख) जी हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) रेल सेवा आयोग के माध्यम से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार भर्ती करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 20 सेवा-निवृत्त सिगनलरों को भर्ती करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों में और अधिक आरक्षरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

5497. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलवे विभाग दिल्ली को दक्षिणी राज्यों से जोड़ने वाली गाड़ियों में यात्रियों की आरक्षण की मांग पूरी नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) दिल्ली से दक्षिणी राज्यों के लिए प्रत्येक गाड़ी-वार और गन्तव्य स्थानवार कुल दैनिक मांग कितनी है और कितना स्थान उपलब्ध है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां, कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में बच जाते हैं।

(ख) लाइन क्षमता, टर्मिनल अनुरक्षण सुविधाओं तथा विशेष सवारी गाड़ियां, जिनकी अत्यधिक कमी है, जैसे संसाधनों की तंगी को देखते हुए कुछ उपायों जैसे दोहरे इंजन लगाना तथा पहले दर्जे के सवारी डिब्बों का दूसरी श्रेणी के वातानुकूलित 2-टियर सवारी डिब्बों द्वारा प्रतिस्थापना करके, गाड़ी भार बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से दक्षिण की ओर जाने वाली विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध स्थान निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	गाड़ी का नंबर	वातानुकूलित	वातानुकूलित 2-टियर	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शयन-यान	वातानु-कूलित सीटें	दूसरे दर्जे की सीटें
1.	16 अप जी. टी. एक्सप्रैस	10	—	142	589	34	200
2.	22 अप दक्षिण एक्सप्रैस	—	—	114	450	—	160
×3.	122 अप तमिलनाडु एक्सप्रैस	18	92	14	825	126	--
=4.	124 अप ए. पी. एक्स०	10	46	66	900	34	80
=5.	126 अप के. के. एक्स०	—	184	44	940	—	—
*6.	132 अप जे. जे. एक्स०	—	—	—	849	—	160

×सप्ताह में तीन बार, =सप्ताह में दो बार, *सप्ताह में पांच दिन।

तथापि, मांग उपलब्ध स्थान से अधिक होती है, तथा व्यस्त अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची गाड़ियों में पहले दर्जे/वातानुकूलित 2-टियर, दूसरे दर्जे तथा कुर्सी यान में लगभग 75 बर्थ/सीटों के बराबर होती हैं।

पटना-गया एकल लाइन को दोहरी लाइन में बदला जाना

5498. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना-गया एकल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने तथा लाइन का विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार का विचार राज्य में नई रेल लाइनों को बिछाने और एकल रेल लाइनों को दोहरी लाइनों में बदलने के लिये अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने का है और रेलवे को उस भूमि के लिये अदायगी नहीं करनी होगी;

(ग) क्या यह सच है कि पटना के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों की राजधानियों में दोहरी रेल लाइनें हैं तथा गया-पटना लाइन ही एक मात्र एकल लाइन है; और

(घ) यदि हां, तो पटना-गया लाइन को कब तक दोहरी लाइन में बदले जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह नई रेल लाइनें बिछाने/आमान परिवर्त्तन करने/वर्तमान लाइनों का विस्तार करने के लिए भूमि के अधिग्रहण की लागत वहन करेगी।

(ग) जी नहीं। पटना हावड़ा से दिल्ली की मुख्य लाइन (दोहरी) पर स्थित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

5499. **श्री रशीद मशूद** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक केन्द्रीय तथा राज्यीय विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशियाँ आवंटित की गईं और उनमें प्रति व्यक्ति प्रति छात्र हिस्सा क्या बैठता है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3274/81]

ये अनुदान निरीक्षण समितियों की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद आयोग द्वारा संस्वीकृत किए जाते हैं जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास की विद्यमान स्थिति, इसके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के प्रकार और स्वरूप, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा विकसित की गई अनुसंधान क्षमता के संबन्ध में विचार करती हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान, उच्च अध्ययन केन्द्रों, विशेष सहायता विभागों आदि के लिए सहायता जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान प्रत्येक विश्वविद्यालय में संबन्धित विभागों द्वारा प्राप्त स्तरों के आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं। अतः प्रति व्यक्ति हिस्से के आधार पर दिए गए अनुदानों की तुलना न तो व्यवहार्य है और न ही उपयुक्त।

उत्तरी बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा

5500. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों में प्रौढ़ शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : ग्रामकार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चार परियोजनाओं और ग्राम कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की पद्धति के अन्तर्गत पाँच परियोजनाओं सहित उत्तर बंगाल के सभी पांच जिलों में नौ प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं में से अधिकांश का पहला पाठ्यक्रम पूरा हो गया है और दूसरा पठ्यक्रम चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन जिलों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी चल रहे हैं।

दिल्ली के सहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के पदों को भरा जाना

5501. **श्री एस. बी. सिदनाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन सहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक स्कूलों के नाम क्या हैं जिनके सहायक अध्यापकों के स्थायी रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र तीन माह से अधिक समय से दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय (इस्टैब्लिशमैंट शाखा) के पास निलम्बित पड़े हैं;

(ख) ऐसे स्कूलों को इस प्रकार की स्वीकृति किस तारीख तक दिए जाने की संभावना है ताकि इन पदों को विद्यार्थियों की पढ़ाई को और अधिक हानि पहुंचाए बिना भरा जा सके; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब न होने देने के क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके पास ऐसा कोई मामला निलम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे" के कार्यकारण के सम्बन्ध में रामैय्या समिति

5502. **श्री ए. बी. सिदनाल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामैय्या समिति ने बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के कार्यकरण के संबन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के बारे में रामैय्या कमेटी ने चेअरमैन, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को 31.8.1981 को अपनी रिपोर्ट दी है।

(ख) इस कमेटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

1. डॉक की चहारदीवारी के बहार बम्बई पोर्ट रेलवे।

(i) प्रथम चरण में, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को चाहिए कि वह ट्रेन डिपो और विक्टोरिया डिपो स्टेशन के बीच डाक की चहारदीवारी के बाहर रावली जंकशन से डाक की दीवाल तक की रेलवे व्यवस्था को सेंट्रल रेलवे को सौंप दे।

(ii) द्वितीय चरण में, भूमि और गोदाम आदि जैसी अन्य परिसंपत्तियां (जो पत्तन के कामकाज के लिए आवश्यक नहीं है) सेंट्रल रेलवे को सौंप दी जानी चाहिए।

(iii) डॉक की चहारदीवारी के बाहर के क्षेत्र में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले स्टाफ और अधिकारियों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे चाहें तो सेंट्रल रेलवे में शामिल हो जाएं या बम्बई पोर्ट में ही बने रहें।

२. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे व्यवस्था।

डॉक में रेलवे व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए और डाक के बाहर रेलवे में माल लादने के स्थान से या इस स्थान से या इस स्थान तक माल का सारा यातायात सड़क से होना चाहिए।

(ग) इस कमेटी की रिपोर्ट पर बम्बई पोर्ट ट्रस्ट विचार कर रहा है।

330-560. रुपए के वेतनमान में सहायक नक्शानवीश (ड्राफ्ट्समेंन)

5503. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 330-560 रुपए (संशोधन वेतनमान) के वेतनमान में कार्य कर रहे सहायक नक्शानवीशों एस्टीमेटर्स/(आगणकों) डिजाइन सहायकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों ने अपने ग्रेड में सेवा के 10 वर्ष, 15 वर्ष तथा 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और

(ग) कितने कर्मचारी अपनी श्रेणी के अधिकतम वेतनमान 560 रुपए पर पहुंच गए हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग)

सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण पूर्व रेलवे में ड्राफ्ट्समैनों आदि के रिक्त पद

5504. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ड्राफ्ट्समैनों, एस्टीमेटरों तथा ट्रेसरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय सहित डिविजनवार उक्त श्रेणियों में ऐसे कितने रिक्त पद उपलब्ध हैं और किस तारीख तक हैं;

(ग) क्या उक्त श्रेणियों के पदों के लिये उम्मीदवारों का चुनाव करने हेतु रेलवे सेवा आयोग, कलकत्ता के पास कोई आवश्यकता पत्र भेजा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे सेवा आयोग को कब उक्त आवश्यकता पत्र भेजा गया और क्या रेलवे सेवा आयोग ने उक्त श्रेणियों के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये कोई रोजगार सूचना जारी की है;

(ङ) यदि हाँ तो उक्त रोजगार सूचनायें कब जारी की गईं और उन्हें किन किन समाचार पत्रों में तथा किस किस तारीख को प्रकाशित किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) रेल सेवा आयोग, कलकत्ता को मांग २. २. १९८० को भेजी थी परन्तु उन्होंने इन कोटियों के लिए अभी तक कोई नियोजन सूचना जारी नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रेल सेवा आयोग, कलकत्ता गैर-तकनीकी प्रचलित कोटियों को अन्तिम रूप देने में अत्यन्त व्यस्त था।

रेलवे अस्पताल में रोगियों को मुफ्त पका भोजन देना

5505. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के पैरा 635 में व्यवस्था है कि रेलवे प्रशासन को, नियमों के अधीन, रेलवे अस्पतालों में दाखिल रोगियों को मुफ्त पका हुआ भोजन दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो कौन से कर्मचारी रेलवे के अस्पतालों में मुफ्त भोजन पाने के पात्र हैं;

(ग) क्या रोगियों के लिए भोजन में कैलोरी की मात्रा की नहीं बल्कि प्रत्येक रोगी की दशा के अनुसार उसके लिये चिकित्सा की दृष्टि से निर्धारित भोजन का महत्व होता है और इस तरह भोजन भी चिकित्सीय उपचार का एक अंग होता है जो रोगी के रोग के अनुरूप भिन्न-भिन्न होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह रोगियों को निःशुल्क चिकित्सीय उपचार के एक अंश के रूप में निःशुल्क योजना दें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) 400 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारी मुफ्त भोजन पाने के पात्र हैं और 640 रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारी, जो अस्पताल में क्षय रोग, कुष्ट रोग अथवा मानसिक रोगों के उपचार के लिए भर्ती होते हैं, तथा ड्यूटी पर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नैमित्तिक श्रमिक भी मुफ्त भोजन पाने के पात्र हैं।

(ग) भोजन की किस्म स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तथा रोगियों के लिए अपेक्षित कैलोरी की मात्रा के अनुसार निर्धारित की जाती है, उपचार के अंग के रूप में नहीं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। अस्पताल में उपचार के दौरान रोगियों के लिए अमतौर पर भोजन की मात्रा सीमित होती है ताकि रोगी शीघ्र स्वस्थ हो सकें। जैसाकि ऊपर "ख" के उत्तर में बताया गया है, रेल कर्मचारियों की कुछ कोटियां मुफ्त भोजन पाने के पात्र हैं जबकि अन्य कोटियों के "विना लाभ हानि" के आधार पर पैसे वसूल किये जाते हैं। गैर पात्र रोगियों को निर्धारित भोजन अपने घर से मंगवाने अथवा पैसे देकर अस्पताल से प्राप्त करने की छूट दी जाती है।

सी० एण्ड डब्ल्यू० डिपुओं में आच्छादित आवास

5506. **श्री ईरा अनबरासु** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में दैनिक रख-रखाव संबन्धी मरम्मत कार्य के लिये खुली लाइन में सी० एण्ड डब्ल्यू डिपुओं में आच्छादित आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे में वर्षाकाल में रख-रखाव संबन्धी मरम्मत कार्य किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या वर्षाकाल में अधिकारीगण चल रहे कार्य का निरीक्षण करने जाते हैं; और

(घ) क्या भारतीय रेलवे में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण यही नहीं है?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) आच्छादित स्थान की व्यवस्था केवल कुछ सवारी व माल डिब्बा डिपुओं में की जाती है न कि सभी सवारी व माल डिब्बा डिपुओं में।

(ख) मरम्मत कार्य मौसम की परिस्थिति के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

विद्युतीकरण के कारण मेकेनिकल विभाग के फालतू हुये कर्मचारी

5507. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजगति से हो रहे डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण के कारण मैकेनिकल विभाग में "ए" तथा "बी" श्रेणी के कर्मचारी फालतू होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें विद्युतीय तथा डीजल विभागों में इस बदले हुए वर्ष का (कन्वर्सनल) प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें से कितने लोगों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लोको वर्कशापों में कर्मचारियों की घटती हुई संख्या

5508. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 में डीजलीकरण आरंभ किये जाने के समय नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन रेलवे मैंन तथा रेल मंत्रालय के मध्य यह करार हुआ था कि कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की जायेगी और पदोन्नतियों के अवसरों में रुकावट नहीं पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलों के लोको वर्कशापों में यह संख्या क्यों घटी है और कर्मचारियों की पदोन्नतियां क्यों नहीं हो रही हैं; और

(ग) भारतीय रलों में कर्मचारियों संख्या बनाये रखने के लिए मंत्रालय के पास क्या प्रस्ताव है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अब इतनी अवधि बीत जाने के बाद यह बता पाना संभव नहीं है कि 1961 में सरकार नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैंन के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ था या नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल यात्रियों के लिए बीमा योजना

5509. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं के बार-बार होने के कारण वित्त मंत्रालय की सहमति से रेल यात्रियों के लिए एक बीमा योजना चालू करने संबन्धी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माल ढोने का लक्ष्य

5510. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में रेलों द्वारा माल ढोने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना माल परिवहन हुआ;

(ख) इसी अवधि में रेलवे के लिए कुल कितनी पूंजी बढ़ाई गई;

(ग) क्या यह सच है कि यातायात से हुई आय बढ़ाई गई ब्याज देय पूंजी के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) रेलों ने पांचवीं योजना के अन्त तक प्रतिवर्ष 2500 लाख टन माल यातायात ढोने का लक्ष्य रखा था। इस अवधि में सबसे अधिक ढोया गया यातायात 1976-77 में 2390 लाख टन था जब संपूर्ण यातायात की ढुलाई की गई थी। शुद्ध टन किलोमीटर के अनुसार 1977-78 में सर्वाधिक ढोया गया यातायात 162.7 अरब शुद्ध टन किलोमीटर था। इन दो वर्षों (1976-77, 1977-78) में यातायात में गिरावट यातायात कम प्राप्त होने के कारण आई थी। इन वर्षों के बाद देश में सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में आम गिरावट के कारण यातायात में गिरावट आई थी।

(ख) पांचवीं योजना अवधि के दौरान रेलों की कुल पूंजी में 903.74 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

(ग) और (घ) यातायात से हुई आमदनी तथा परिवर्धित ब्याज देय पूंजी के बीच सीधी अन्योन्य सम्बन्ध, विशेषकर रेलवे परियोजनाओं की लम्बी अवधि को देखते हुए, व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, यह सच है कि प्राप्त यातायात तथा ढोये गये यातायात के निम्न स्तरों के कारण यातायात से आमदनी उस स्तर से कम प्राप्त हुई थी। जिस स्तर तक यह होनी चाहिए थी।

क्षेत्रीय रेलों का पुनर्गठन

5511. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेहतर प्रचालन कुशलता सुनिश्चत करने के लिए क्षेत्रीय रेलों और मंडलों के पुनर्गठन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या उत्तरी रेलवे में मंडलीय प्रणाली का पुनर्गठन करते समय रेलवे बोर्ड का विचार फिरोजपुर मंडल के वर्तमान मुख्यालय को पंजाब के किसी अन्य उचित स्थान पर ले जाने का है, यदि हां, तो कहां ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) 1951-52 में भारतीय रेलों के आम पुनर्गठन के बाद, भारत में संपूर्ण रेल प्रणाली को 6 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस समय 9 क्षेत्रीय रेलें तथा 54 मंडल हैं। पिछले पांच वर्षों में रेलवे के प्रशासनिक तंत्र में 5 नये मडल, अर्थात् हैदराबाद (मी० ला०), मुगलसराय, सोनपुर, तिरुवनन्तपुरम तथा बेंगलूरु मंडल और जोड़े गये हैं। इस समयावधि के दौरान, वर्तमान 9 क्षेत्रों में कोई और नया क्षेत्र नहीं जोड़ा गया है। सरकार द्वारा रेल सुधार समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। अन्य बातों के साथ-साथ यह समिति भारतीय रेलों पर क्षेत्रों तथा मंडलों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है। क्षेत्रों/मंडलों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद की जायेंगी।

लेखा, सामान्य और इंजीनियरी कोडों की पुनरीक्षा

5512. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने लेखा, सामान्य और इंजीनियरी कोडों में दिए गए विभिन्न उपबन्धों की पुनरीक्षा करने तथा उनमें रेलवे के कुशल कार्यकरण हेतु संशोधन करने के लिए रेल अधिकारियों की विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की है, और क्या सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित सामान्य और इंजीनियरी कोड प्रकाशित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कोडों के पुनरीक्षण के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंजीनियरी और सामान्य संहिता दोनों का (नया नाम वित्त संहिता) संशोधन किया जा चुका है और ये आजकल क्रमशः शकूरबस्ती-दिल्ली और गोरखपुर स्थित रेलवे मुद्रणालय में छप रही है।

ड्राफ्ट्समैनों का वेतनमान

5513. **श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्ययन के पैरा 80 में ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों और उनके स्तर के बारे में सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने मान ली है,

(ग) यदि हां, तो ड्राफ्ट्समैनों/एस्टिमेटरों को वेतनमान दिए जाने के बारे में रेलवे बोर्ड ने अनुदेश कब जारी किए थे; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने ड्राफ्ट्समैन/एस्टिमेटर के पदनाम को ड्राफ्ट्समैन/एस्टिमेटर के स्तर-i, स्तर-ii, स्तर-iii, स्तर-ii/, स्तर-i/के रूप में परिवर्तित किये जाने के उत्तर के बारे में कोई अनुदेश जारी किए हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में अनुदेश रेल मन्त्रालय द्वारा 31-12-73 को जारी किये गये थे।

(घ) जी नहीं।

रेलवे चिकित्सा नियम पुस्तिका के पैरा 945 के अनुसार स्कूल बच्चों की डाक्टरी जाँच

5514. **श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे चिकित्सा नियम पुस्तिका के पैरा 945 के अनुसार रेलवे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की डाक्टरी जांच स्कूल में दाखिले के समय तथा बाद में वर्ष में एक बार की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन एककों सहित जोनल रेलों द्वारा उपरोक्त अनुदेश का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या कोई रजिस्टर रखा जा रहा है जिसमें स्कूली बच्चों की डाक्टरी जांच की तारीख और प्रत्येक बच्चे के बारे में अनुवर्त कार्रवाई को दर्ज किया जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) जी हां, जहां तक सम्भव होता है।

(ग) जी हां। अधिकांश रेलों और संबंधित उत्पादन यूनिटों द्वारा उचित रिकार्ड रखा जा रहा है और प्रत्येक बच्चे के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(घ) अनुदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलें और संबंधित उत्पादन यूनिट संगठित प्रयास करते रहते हैं।

रेल कर्मचारियों के वृद्धि एवं बेरोजगार माता-पिता के लिए प्रिविलेज पासों की मांग

5515. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के इन्दौर में 1978 में हुए 53वें वार्षिक सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि रेल कर्मचारियों के ऐसे वृद्ध पिता तथा माता के लिए जो साठ वर्ष से अधिक आयु के हैं और किसी रोजगार में नहीं हैं; तथा मृतक रेलवे कर्मचारियों के अवयस्क बच्चों व उसकी विधवा को और नैमित्तिक श्रमिकों तथा प्रतिस्थापक कर्मचारियों को "प्रिविलेज" पास दिये जाने चाहियें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संकल्प में उल्लिखित भोगों को प्रिविलेज पास देने के लिए कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो आदेश कब जारी किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) फेडरेशन की ओर से भेजा गया इस प्रकार का कोई संकल्प का सरकारी तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु 21-12-81 को अनौपचारिक रूप से इसकी एक प्रति प्राप्त की गई है। इस मामले की जांच की जायेगी।

के० के० एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

5516. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के० के० एक्सप्रेस द्वारा जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1981 तक अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय का ब्यौरा क्या है और क्या वह रेलगाड़ी अपने गन्तव्य स्थान पर निर्धारित समय में पहुंची है अथवा विलम्ब से पहुंची है और यदि विलम्ब से पहुंची है तो प्रत्येक दिन यह कितनी देरी से पहुंची;

(ख) प्रत्येक दिन विलम्ब से चलने के क्या कारण थे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) जनवरी, 80 से नवम्बर, 81 तक की अवधि के दौरान 125/126 तिरुवनन्तपुरम्-नई दिल्ली के० के० एक्सप्रैस कुल 399 बार चली, जिनमें से यह 209 बार गन्तव्य स्थान पर पहुंची। देरी से चलने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ?

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-3275/81]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वृद्धावस्था पेंशन

5517. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग का प्रस्ताव संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसे लोगों के लिए, जो अक्षम हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने पर विचार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो संघ शासित क्षेत्र अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में चल रही समाज कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप केन्द्र-शासित प्रदेश में ऐसे वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों जो कि निर्धारित पात्रता की सीमा में आते हैं, को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना को सम्मिलित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में अन्तर द्वीपीय सेवाओं के लिए जहाज

5518. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर-द्वीपीय सेवाओं के लिए ए० वी० अण्डमान्स के स्थान पर एक पुराना जहाज तथा एक और पुराना जहाज खरीदने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों की खरीद हेतु क्या कार्यवाही की गई है और इन जहाजों के कब तक चलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि ये मामले अभी तक विचाराधीन हैं, वैसे वे किस स्तर पर हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पोटिल): (क) अण्डमान प्रशासन द्वारा एम० वी० "अण्डमान्स" के स्थान पर एक सेकेंड हैंड जहाज की खरीद किये जाने के लिए भारतीय नौहवन निगम को उपयुक्त जहाज की खोज करने के लिए कहा गया है। सरकार अन्तर-द्वीपीय सेवाओं में इस्तेमाल के लिए दो पैसेंजर व माल वाही जहाजों की खरीद का पहले ही अनुमोदन

कर चुकी है। ये जहाज अण्डमान व नीकोबार प्रशासन मंझगांव डाक लिमिटेड में पूर्ति व निबटान महानिदेशालय के माध्यम से खरीद रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय जहाज एम० वी० "अंडमान्स" को बदलने के लिए बाजार में उपलब्ध 100 से अधिक जहाजों की जांच कर चुका है। इस बारे में अन्तिम निर्णय उपयुक्त जहाज मिलने पर भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा लिया जाएगा।

वाल्व आपरेटरों के लिए वर्दियां

5519. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्दी दिये जाने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सिविल इन्जीनियरिंग विभाग में वाल्व आपरेटर गर्मी और सर्दी की वर्दी पाने के पात्र हैं क्योंकि उन्हें अपने कार्य के दौरान प्रतिकूल मौसम और जलवायु का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि वे वर्दी पाने के पात्र हैं तो क्या वाल्व आपरेटरों को उक्त वर्दियां सप्लाई किए जाने के बारे में रेलवे बोर्ड ने कोई आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) वर्ष 1982-83 से वर्दियों/संरक्षात्मक कपड़ों की सप्लाई के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जा रहा है :—

(i) उन कर्मचारियों को, जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान जनता के निकट संपर्क में आना पड़ता है और जिन्हें यात्रियों तथा ड्यूटी पर अन्य रेल कर्मचारियों द्वारा पहचाना जाना अपेक्षित होता है।

(ii) उन कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटियों के दौरान अनुचित रूप से उनके कपड़े फट जाते हों, उन्हें क्षति पहुंचती हो अथवा उन पर धब्बे आदि पड़ जाते हों और जिन्हें आमतौर पर काम शुरू करने से पहले अपने आप कपड़े बदलने पड़ते हों।

(iii) उन कर्मचारियों को, जिन्हें ड्यूटी के दौरान प्रतिकूल मौसम अथवा उत्कट जलवायु का सामना करना पड़ता हो।

(ख) सिविल इन्जीनियरी विभाग के वाल्व आपरेटरों को 1982-83 से संरक्षात्मक कपड़ों की सप्लाई के लिए पात्र बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए संशोधित वर्दी विनियम जारी किये जा रहे हैं।

खुर्दा रोड डिवीजन में मोटर गाड़ियों के चालकों को स्थायी किया जाना

5520. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन के ओपन लाइन आरगेनाइजेशन में कितनी मोटर गाड़ियां चल रही हैं;

(ख) खुर्दा रोड डिवीजन में ओपन लाइन आरगेनाइजेशन के अंतर्गत कितने मोटर गाड़ी चालक काम कर रहे हैं;

(ग) ये मोटर गाड़ी परिचालक कितने वर्षों से काम कर रहे हैं; और

(घ) उनमें से मोटर गाड़ी चालकों के तौर पर कितने आदमियों को स्थायी किया गया है और कितने आदमियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 15।

(ख) 15

(ग) 2 वर्ष से 22 वर्ष।

(घ) 3 व्यक्तियों को मोटर वाहन ड्राइवरों के रूप में स्थायी कर दिया गया है। वाहन ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची के संबंध में विवाद और इस मामले के उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण स्थाई करने हेतु आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी बहरहाल, ग्रुप "डी" की कोटियों में सभी कर्मचारियों को स्थाई कर दिया गया है।

ड्राफ्ट्समैन, इस्टीमेटरों इत्यादि को स्थायी किया जाना

5521. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने ड्राफ्ट्समैनों, इस्टीमेटरों और ट्रेसरों को (जोनवार) स्थायी किया गया है और कितने अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं;

(ख) ड्राफ्ट्समैनों, इस्टीमेटरों और ट्रेसरों के कितने स्थायी पर (जोनवार) उपलब्ध हैं;

(ग) ड्राफ्ट्समैनों, इस्टीमेटरों और ट्रेसरों के स्थायी पदों का सृजन करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(घ) क्या इन श्रेणी के कर्मचारियों के स्थायीकरण को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट्समैनों, इस्टीमेटरों, ट्रेसरों के और अधिक स्थायी पदों का सृजन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मकारियों को क्वार्टरों का आवंटन

5522. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस आशय के कोई आदेश जारी किए हैं कि ऐसे कर्मचारी, जिनके तैनाती के स्थल पर अपने मकान हैं, वे किसी रेल क्वार्टर के आवंटन के पात्र नहीं होंगे;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड का विचार ऐसे कर्मचारियों को, जिनके पास उनके तैनाती के स्थान पर कोई मकान नहीं है, क्वार्टरों का आवंटन करने हेतु आदेश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने ऐसे कर्मचारियों को, जिनके पास उनके तैनाती के स्थान पर कोई मकान नहीं है, प्राथमिकता देने की दृष्टि से कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन करने से पूर्व उनकी सेवा पंजिकाओं से उनके स्थायी पतों की जांच के आदेश जारी किए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1975 में रेलवे बोर्ड ने इस आशय के आदेश जारी किये कि जिन कर्मचारियों के पास, उनके तैनाती के स्थानों पर या उसके आस-पास अपने मकान हैं, वे 1-1-1976 से रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड ने 1977 में एक दूसरा आदेश यह जारी किया कि जिन कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं, वे 1-6-1977 से रेलवे क्वार्टरों के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेल मन्त्रालय, इस सम्बन्ध में निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन करता है।

मंगलौर से बड़ी लाइन का उत्तर की ओर (नार्थ वार्ड) विस्तार किया जाना

5523. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ी रेलवे लाइन को पश्चिम तट पर मंगलौर से उत्तर की ओर (नार्थ वार्ड) विस्तार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक प्राक्कन तैयार कर लिए गए हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है और इसके किस तिथि तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1980 और 1981 के दौरान विज्ञापनों से कमाया गया राजस्व

5524. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्ष, 1980 और चालू वर्ष के दौरान विज्ञापनों द्वारा कुल कितना राजस्व कमाया गया है;

(ख) क्या विज्ञापनों को प्राप्त करने के लिए दिल्ली परिवहन ने कोई एजेण्ट नियुक्त किया है अथवा वह सीधे विज्ञापन लेती है;

(ग) क्या एजेंट की नियुक्ति करने के लिए कोटेशन आमन्त्रित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एजेंट की नियुक्ति करने के लिए क्या मान-दण्ड अपनाये गये थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) वर्ष, 1980-81 में 36.94 लाख रुपये और चालू वर्ष में (अर्थात् 31-10-81 तक) 23.70 लाख रुपये की आय हुई ।

(ख) जी, हां । दिल्ली परिवहन निगम ने बसों पर विज्ञापन प्राप्त करने के लिए एजेंट की नियुक्ति की है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा विज्ञापन की सुविधा के लिए एकमात्र वितरक की नियुक्ति के लिए सभी मुख्य-मुख्य विज्ञापन एजेंसियों से प्रमुख दैनिक पत्रों में सूचना प्रकाशित कर टेंडर आमंत्रित किये गये थे । सूचना के संदर्भ में छः पार्टियों से टेंडर प्राप्त हुए जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता ।

विवरण

दिल्ली परिवहन निगम ने निम्नलिखित स्थानों पर विज्ञापन के लिए मुख्य विज्ञापन एजेंसियों से विज्ञापन के एक मात्र वितरक की नियुक्ति के लिए टेंडर मांगे :—

1. बसें
2. बस क्यू शेल्टर/टाइमकीपर बूथ
3. होर्डिंग्स
4. टिकट के पीछे ।

विभिन्न पक्षों में इन सभी के लिए या इनमें से एक पर विज्ञापन के लिए एक वर्ष/तीन वर्षों के लिए दरें मांगी गई थीं । छह पार्टियों ने टेंडर भरे । इनकी दरों के बारे में तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :—

1. वासुदेव पब्लिसिटी (प्राइवेट) लिमिटेड

इस एजेंसी ने तीन वर्षों के लिए एकमुश्त रकम 1,73,40,334.00 रुपये निर्धारित की। इसके द्वारा टेंडर में अलग-अलग दरें नहीं बताई गई ।

2. मैसर्ज अशोक शर्मा एंड एसोसिएट (प्राइवेट) लिमिटेड

इस एजेंसी ने केवल दो साधनों के लिए अर्थात् बसों पर विज्ञापन और टिकट के पीछे विज्ञापन के प्रकाशन के लिए दरें बताईं । बसों पर विज्ञापन के लिए 1,37,20,356 रुपये (38,53,452 रुपये प्रथम वर्ष, 49,33,452 रुपये द्वितीय वर्ष और 49,33,452 रुपये तृतीय वर्ष)

बताए गए। टिकट के पीछे विज्ञापन के लिए इन्होंने 70%-30% के शेयर सहित 5 लाख रुपये के न्यूनतम कारोबार की गारंटी दी।

3. मेसर्ज क्लासिक एडवर्टिजमेंट (कलकत्ता)

इस एजेंसी ने तीन वर्षों के लिए एक मुश्त रकम 1,12,50,000 रुपये बताई। अलग-अलग आंकड़े नहीं दिए गए।

4. एडवेल एडवर्टाईजिंग सर्विस

इस एजेंसी ने केवल बसों पर विज्ञापन के बारे में दरें बताईं। यह धनराशि तीन वर्षों के लिए 1,20,61,015 रुपये बताई गई।

5. मेसर्ज एड सिने

इस एजेंसी ने तीन वर्षों के लिए 36,36,636.36 रुपये बताए (12,12,212.12 रुपये प्रति-वर्ष) यह दर केवल बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों के लिए बनाई गई।

6. मेसर्ज कनारा एडवरटाइजिंग

इस एजेंसी ने केवल तीन वर्षों तक केवल बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों पर विज्ञापन के लिए 16,80,000 रुपये (प्रथम वर्ष में 3.80 लाख रुपये, द्वितीय वर्ष में 5.6 लाख रुपये और तृतीय वर्ष में 7.40 लाख रुपये) बताये।

मेरठ जिला उत्तर प्रदेश की मध्य गंग नहर का सर्वेक्षण

5525. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र में मध्य गंग नहर की खुदाई करते समय कौरव और पाण्डवों के समय की शीशे की दीवारों तथा अन्य सामग्री के पाए जाने के बारे में रिपोर्टों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्राचीन परीक्षतगढ़ किले के अवशेष आदि मेरठ जिले में अब भी उपलब्ध हैं और क्या सरकार का विचार और आगे खुदाई कराने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ग्लाश की दीवार प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ खंडित ग्लास के टुकड़े, पिघले हुए ग्लास के धातुमल और ईंट के रोड़ों से चिपका हुआ द्रवित ग्लास एक मीटर लम्बाई तक उपलब्ध हुए थे। वहां पर उपलब्ध ग्लाश आधुनिक ग्लास के सदृश है। एक मीटर की गहराई पर एक पकी मिट्टी का मंडल कूप प्रकट हुआ था, जिसमें केवल चार घेरे थे।

(ग) मेरठ जिले में परीक्षितगढ़ का एक टीला है। सतही उपलब्धियों से मध्यकालीन और पूर्ववर्ती कालों के चिह्न मिलते हैं। उस टीले पर खुदाई कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डीजल इंजन सप्लाई करने वाली फर्में

5528. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन से रेलवे बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों में डीजल इंजन खरीदे जाते रहे हैं और इस प्रकार खदीदे गये प्रत्येक डीजल इंजन की कीमत क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड ने किसी भी फर्म से कोई डीजल रेल इंजन नहीं खरीदा है। डीजल रेल इंजन वाराणसी और चितरंजन स्थित रेल कारखानों में बनाये जा रहे हैं।

वेदों के अध्ययन को लोकप्रिय बनाना

5527. **श्री के० मालन्ना**
श्रीमती संयोगिता राणे] : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में वेदों के अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिये काई प्रयास किये हैं;

(ख) क्या इस बारे में दिल्ली में हाल में कोई गोष्ठी हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सहयोग मांगा गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शंकर संस्कृत, संस्कृति तथा शास्त्रीय कला अकादमी ने, जो देश में वैदिक अध्ययनों के लिए संस्थाएं चलाने वाला एक स्वैच्छिक संगठन है, ऐसी ही कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से दिल्ली में 15 से 17 नवम्बर. 1981 तक एक अखिल भारतीय वैदिक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए एक संकल्प में भारत सरकार से निम्न-लिखित अनुरोध किया गया है :

(i) इन पाठशालाओं के लिए सहायता को मौजूदा 75 प्रतिशत के स्तर से 95 प्रतिशत तक बढ़ाना;

(ii) शिक्षकों और छात्रों के वेतनमानों और छात्रवृत्तियों के स्तर को बढ़ाना, जिसके आधार पर क्रमशः 1,000 रु० और 150 रु० प्रति मास की सहायता प्रदान की जा रही है।

पल्लियाडि रेलवे स्टेशन का सुधार

5528. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों एवं खतरे की जानकारी है जो त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन पर पल्ली ऐडी रेलवे स्टेशन के पुल पर उतरना चाहते हैं, क्योंकि उनको पुल के तंग होने और दोषपूर्ण निर्माण के कारण 20 फुट नीचे पानी में कूदना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को पल्ली ऐडी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग न होने, शौचालय तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का पता है;

(ग) सरकार द्वारा इन दिक्कतों को दूर करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पल्लियाडि एक हाल्ट स्टेशन है। इस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, पहुंच सड़क और 183 मीटर लम्बे पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म जैसी सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। हाल्ट स्टेशनों पर शौचालयों की व्यवस्था करने की नीति नहीं है। जिस पुल का हवाला दिया गया है, वह तिरुवनन्तपुरम् सेन्ट्रल की तरफ प्लेट फार्म के छोर से परे लगभग 9 मीटर पर है। यह प्लेट फार्म केवल 8 बोगियों को सम्हालने के लिए है। हाल में 15 बोगियों वाली गाड़ियों चालू की गयी हैं। प्लेटफार्म को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है। तिरुवनन्तपुरम् छोर पर पुल के मुखों को और चौड़ा करने के लिए प्रीकास्ट स्लैबों की व्यवस्था करने का काम पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। पुल के इधर या उधर गाड़ियों को रोकने के लिए अनुदेश भी जारी किये गये हैं।

छंटनी किए गए नैमित्तिक कर्मचारियों का खपाया जाना

5529. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रमकन्याकुमारी रेलवे निर्माण कार्य में काम करने वाले कितने नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी से मुक्त किया गया;

(ख) नगरकोइल-तिरैनेलवेली रेलवे निर्माण कार्य से ऐसे कितने नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी से हटाया गया;

(ग) क्या नौकरी से हटाये गये इन नैमित्तिक मजदूरों को करुर, डिन्डीगुल-तूतिकोरिन रेलवे निर्माण कार्यों में खपाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) क्या नये निर्माण कार्यों में तथा नये पदों में भर्ती करते समय काम पर से हटाये गये इन नैमित्तिक मजदूरों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 4800

(ख) 687

(ग) और (घ) जी हां।

विजयनगरम जंक्शन पर "टर्न टेबल" सुविधा

5530. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के विजयनगरम रेलवे जंक्शन पर "टर्न-टेबल" सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो "टर्न-टेबल" सुविधा उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं कि रेलवे प्रशासन द्वारा वाल्टयर डिवीजन के अधीन इस महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन की इस आवश्यक सुविधा के लिये उपेक्षा की गई है;

(ग) क्या विजयनगरम में "टर्न-टेबल" सुविधा के लिये कोई इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है और वाल्टेयर डिवीजन द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे को पेश किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्य को अगले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1982-83 में सम्मिलित किया जायगा;

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) विजयनगरम पर कोई टर्न टेबुल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) विगत में विजयनगरम में इंजनों के मुड़ने के लिए 75 फुट व्यास वाले टर्न टेबुल की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी, ताकि तत्कालीन 5 अप/6 डाउन, पुरी-वालतेरु एक्सप्रैस गाड़ी को विजयनगरम से टिटलागढ़ तथा वापिस मोड़ा जा सके। 89 अप/90 डाउन कोकारो स्टील सिटी मद्रास एक्सप्रैस के डीजलीकरण के कारण ईस्ट कोस्ट से सम्भलपुर/झारसुगुका/राउरकेला तक सीधी गाड़ी की आवश्यकता मूलतः पूरी हो गयी थी, जिसके लिए 5 अप/6 डाउन गाड़ी के मार्ग परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया था, अतः इस समम टर्न-टेबुल का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे देखते हुए, उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1975 में स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया गया था तथा इंजीनियरी विभाग द्वारा एक योजना तैयार की गयी थी।

(घ) फिलहाल, विजयनगरम में 75 फुट व्यास वाले टर्न-टेबुल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम में बसों के आरम्भ होने के स्थान से ड्राइवर की सीट की तरफ से टिकटें बांटा जाना

5531. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम ने इस बात के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं कि बसों की विशेष रूप से प्राइवेट बसों को सभी स्टापों पर रोका जाये और बसों के आरम्भ होने के ऐसे स्थानों पर जहां पर अग्रिम टिकट न दिये गये हों कंडक्टरों द्वारा टिकटें ड्राइवर, की तरफ से दी जायें, चूंकि प्राइवेट बसों में कंडक्टर के सीट पर बैठने से दरवाजे के पास भीड़ हो जाती है और यात्री पीछे छूट जाते हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : इस बात के स्थायी आदेश है कि टर्मिनल स्टेशन पर सभी बसों के (प्राइवेट बसों के भी) कंडक्टर बस के चलने से पहले सभी यात्रियों को टिकट उनकी सीट पर दिया करेंगे। खास-खास टर्मिनल स्टेशनों पर अधिक यातायात के समय दिल्ली परिवहन निगम ने निरीक्षण कर्मचारियों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर रखा है कि यात्रियों की एडवांस बुकिंग की जाए।

ठीक-ठीक शिकायत प्राप्त होने पर गल्ती करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। फिर भी, इन निर्देशों को खास तौर से प्राइवेट बसों के मामले में फिर से जारी किया जा रहा है।

भाड़ा दरों को युक्ति-संगत बनाए जाने का रेलवे राजस्व पर प्रभाव

5532. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि। अक्तूबर, 1981 से भाड़े की दरों को युक्तियुक्त संगत करके पूर्ण आंकड़े तक ले जाने का रेलवे राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : पूर्णांकन के कारण एक वर्ष में 7 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है जिसमें से रेले तीर्थ-यात्री/सीमाकर और पथ-कर के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करेंगी, जिसे अब यात्रियों से नहीं लिया जा रहा है।

'अमनेस्ती इन्टरनेशनल" द्वारा चलाया गया अभियान

5533. **श्री चित्त महाटा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमनेस्ती इन्टरनेशनल ने 4000 से अधिक प्रिजनर्ज आफ कनसाइंस (अन्तःकरण के कैदी) के मामलों को उजागर करने के लिए 9 अक्तूबर, से 16 अक्तूबर, 1981 तक एक सप्ताह का अभियान चलाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" प्रतिवर्ष "प्रिजनर्ज आफ कानशन्स" सप्ताह मनाता है, जिसमें इन कैदियों को रिहाई के लिए विशेष प्रयास किया जाता है।

(ख) इस सप्ताह में इन कैदियों के विषय में सभायें की जाती हैं, अर्जियां और पत्र तैयार किए जाते हैं ताकि इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। भारत सरकार का कहना है कि विभिन्न भारतीय कानूनों में मानवाधिकारों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है।

रेल लाइन (ट्रेक) नवीकरण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम

5534. **श्री सनत कुमार मण्डल**
श्री वासुदेव आचार्य } : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाईन नवीकरण का कार्य दशकों से बकाया पड़ा है;

(ख) भारतीय रेलवे की लाइनें कुल कितने किलोमीटर लम्बी हैं और इसमें से कितनी रेल लाइन का नवीकरण कर दिया गया है और वर्ष 1981-82 के अन्त तक कितनी रेल लाइन के नवीकरण की सम्भावना है;

(ग) क्या अनेक नई सुपर फास्ट रेलों के चलाये जाने को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने शेष रेल मार्ग के नवीकरण का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1-4-1981 तक स्वीकृत रेल पथ के नवीकरण की मदें बकाया थीं :—

प्राथमिक 5482 कि० मी०

गौण 1534 कि० मी०

(ख) 1-4-80 तक भारतीय रेलवे का कुल मार्ग किलोमीटर 60,933 कि० मी० था। नवीकरणों की योजना आयु एवं स्थिति के आधार पर तथा निर्माण-कार्य धन और साधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है। आशा की जाती है कि 1981-82 तक प्राथमिक नवीकरण का लगभग 1200 कि० मी० और गौण नवीकरण का 300 कि० मी० कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

(ग) रेल पथ का नवीकरण आयु एवं स्थिति के आधार पर तथा यातायात की आवश्यकता में परिवर्तन से प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह व्यवस्था रेलों पर चली आ रही है।

(घ) छठी योजना (1980-85) के अंतर्गत रेल पथों के नवीकरण के लिए 500 करोड़ रुपयों (शुद्ध) की व्यवस्था की गयी है। अभी तक प्रगति निम्नलिखित है :—

1980-81	70 करोड़ रुपये (शुद्ध) की व्यवस्था
	—प्राथमिक 880 मि० मी०, और
	—गौण 216 कि० मी०
1981-82	—110 करोड़ रुपये (शुद्ध) की व्यवस्था
	—प्राथमिक 1200 कि० मी० और
	—गौण 320 कि० मी० (अनुमानित)

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मेडिकल रिकार्ड विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना

5535. **श्री कमलनाथ झा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में मेडीकल रिकार्ड विभागों में काम कर रहे कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने मात्र इस कारण से अपनी नौकरी छोड़ दी है कि वहां पर उनकी पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है और उनके दर्जे को मान्यता भी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान नौकरी छोड़ दी है;

(ग) क्या अस्पतालों में मरीजों की देखभाल तथा चिकित्सा अनुसन्धान के लिये आवश्यक चिकित्सा रिकार्ड विभाग के महत्व को पर्याप्त मान्यता दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि स्वास्थ्य चिकित्सा अनुसन्धान विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के लिए अलग से सलाहकार सैल बने हुए हैं; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य रिकार्ड सेवा की स्थिति में सुधार करने तथा अनुभवी व्यक्तियों की उपर्युक्त क्षति को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटनायें नहीं हुई हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य रिकार्ड सेवा की स्थिति प्रायः संतोषजनक ही है।

भारत और युगांडा के बीच समझौता

5536. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगाडा ने चार समझौते किए हैं जो उनके आर्थिक और तकनीकी सहयोग को संस्था का रूप देंगें और दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार को बढ़ायेंगे;

(ख) यदि हां, तो समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार युगांडा को तकनीकी सहयोग और भारतीय पूंजीगत सामान के निर्यात के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत और युगांडा ने निम्नलिखित विषयों पर करार किए हैं :—

(i) आर्थिक और तकनीकी सहयोग;

(ii) व्यापार;

(iii) सांस्कृतिक सहयोग; और

(iv) कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन।

(ख) (1) आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर 24-11-1981 को हस्ताक्षर किए गये थे और यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इस करार की परिधि में उद्योग, संचार, परिवहन, कृषि के क्षेत्रों में सहयोग आता है। इसके अतिरिक्त इस करार में तकनीकी कार्मिकों की अदला-बदली, विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में पारस्परिक दायित्वों को निर्धारित किया गया है।

(2) व्यापार समझौते पर 24-11-1981 को हस्ताक्षर हुए थे और यह दो वर्ष के लिए वैध है लेकिन दो-दो वर्ष बाद नवीकरणीय है। इस समझौते में पारस्परिक वाणिज्यिक सम्बन्धों के विषय में और मुक्त विदेशी मुद्रा में अदा किये जाने वाले पारस्परिक भुगतान के सम्बन्ध में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के समान व्यवहार की व्यवस्था है।

(3) सांस्कृतिक करार में, जिस पर 24-11-81 को ही हस्ताक्षर हुए थे, शिक्षा और संस्कृति के मामलों में सहयोग की व्यवस्था है।

(4) कृषि सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन में, जिस पर 24-11-81 को हस्ताक्षर हुए थे, सिंचाई, कतिपय फसलों के सम्बन्ध में कृषि तकनीक, कृषि आधारित उद्योग, बागावनी और वन्य-विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।

(ग) भारत सरकार ने पहले भी (1979-80) में युगांडा को 7.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया था लेकिन इस ऋण का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। भारत सरकार ने अब युगांडा को 12 करोड़ रुपये का एक और ऋण देना सिद्धान्ततः स्वीकार किया है। इस ऋण का उपयोग पहले ऋण का पूर्ण उपयोग हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैशनल स्कूल आफ ड्रामा के शीर्षस्थ अधिकारी का पद काफी अर्से से खाली पड़ा हुआ है;

(ख) क्या छात्रों ने एक ऐसा ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने लम्बे समय से चली आ रही अपनी कई समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो छात्रों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो उसके रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के निदेशक का पद केवल 15 अगस्त, 1981 को रिक्त हुआ था जबकि श्री बी० वी० करैथ का त्याग-पत्र स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय सोसायटी द्वारा पद के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति के चुने जाने तक वरिष्ठ-तम प्रोफेसर विद्यालय के अध्यक्ष का कार्यभार देख रहे हैं।

(ख) से (घ) 5-12-1981 को प्राप्त एक ज्ञापन में छात्रों ने यह मांग की है कि एक सक्षम व्यक्ति को तुरन्त राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का निदेशक नियुक्त किया जाए। इस संबंध में कार्रवाई करना विद्यालय का काम है।

विकलांग बच्चों के लिए कल्याण कारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता

5538. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को 1980-81 और 1981-82 में अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिस समाज कल्याण

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों (जिनमें विकलांग बच्चे शामिल हैं) के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु प्रत्येक राज्य को वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है ।

[ग्रंथालय में रख गया । देखिए संख्या एल० टी०-3276/81]

(ख) एक विवरण जिस में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति दर्शाई गई है, सभा के पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3276/81]

मनकपुर-कटरा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

5539. **श्री जयराम वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनसे मनकपुर कटरा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की गई है और इस बारे में एक अभ्यावेदन भी दिया गया है;

(ख) क्या यह भी मांग की गई है कि सरयू नदी पर एक रेलवे पुल बनाया जाये तथा इसे अयोध्या तक बढ़ाया जाये तथा मनकपुर से चलने वाली रेल गाड़ी को इलाहाबाद तक ले जाया जाये जिससे बस्ती और अन्य जिलों के यात्रियों को सीधे इलाहाबाद पहुंचने की सुविधा मिल सके; और

(ग) आवश्यक कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मनकापुर-कटरा शाखा लाइन को मीटर आमान से बड़े आमान में बदलने और घाघरा नदी पर एक रेल पुल का निर्माण करने, उसे कटरा से अयोध्या तक बढ़ाने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

मनकापुर-कटरा शाखा लाइन (29.54 कि० मी०) को मीटर आमान से बड़े आमान में बदलने के लिए 1979 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था । इस सर्वेक्षण से यह पता चला था कि इस परियोजना से ऋणात्मक प्रतिफल प्राप्त होगा । अतएव, इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी ।

घाघरा नदी पर नये रेल पुल सहित कटरा से अयोध्या स्टेशन तक की प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लम्बाई लगभग 7.25 कि० मी० है । चूंकि इस खण्ड पर आने-जाने प्रारम्भ होने वाला यात्री यातायात मुख्यतः कम दूरी का है और अधिकतर मौसमी किस्म का है, जो घाघरा नदी पर स्थित सड़क पुल पर से सुविधाजनक ढंग से हो रहा है, इसलिए कटरा को फैजाबाद/अयोध्या से मिलाने/बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

रेलवे में रूट किलोमीटर का विस्तार

5540. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में किलोमीटर में रेल मार्ग का स्वतंत्रता के समय से पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है और यह देश विभिन्न क्षेत्रों की विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश में रेल मार्ग में कुल कितनी वृद्धि की गई है और वृद्धि की

प्रतिशतता क्या है और चीन तथा अन्य अग्रणी एशियाई देशों में किलोमीटर में रेल मार्ग में वृद्धि की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना सहित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में नई लाइनों को मिला कर रेल मार्ग विस्तार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त उपबंध सुनिश्चित करने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा नई लाइनों के लिए कुल कितना नियर्तन किया गया है और प्रत्येक योजना में कुल परिव्यय के नियतन की प्रतिशतता क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) स्वतन्त्रता के बाद से, देश में लगभग 8500 किलोमीटर लम्बी नयी रेल लाइन बनायी गयी है।

विस्तार का काम संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हुआ है।

(ख) स्वतन्त्रता के समय भारतीय रेलों का मार्ग किलोमीटर लगभग 54,690 कि० मी० था। तबसे लगभग 8500 कि० मी० और जोड़े गये हैं। यह, स्वतन्त्रता के समय विद्यमान रेल लाइनों की कुल लम्बाई से 15.5 प्रतिशत अधिक बनता है। चीन और अन्य एशियाई देशों के सम्बन्ध में तदनुरूपी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) नयी लाइनों का विस्तार योजना आयोग द्वारा आवंटित निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में रेलवे योजना के परिव्यय और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए परिव्यय अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका में दिया गया है :—

योजना	रेलवे परिव्यय		नयी लाइनों के निर्माण के लिए परिव्यय			
	अनुमोदित	वास्तविक	अनुमोदित	वास्तविक व्यय	कुल का प्रतिशत अनुमोदित योजना परिव्यय	वास्तविक खर्च
i	432.07	423.73	33.20*	33.35	7.68	7.87
ii	1125.00	1043.69	66.00	77.83	5.87	7.46
iii	1581.50	1685.83	206.00	211.96	13.03	12.57
अंतर्योजना अवधि (66-67 से 68-69)	855.44	762.71	59.92	56.21	7.00	7.37
iv	1420.00	1428.32**	86.00	66.68	6.06	4.67
v***	2202.00	1523.00	97.00	80.22	4.40	5.27
चल योजना (1978-79 से 79-80)	3400.00	1184.76	120.00	71.21	3.53	6.01
vi	5100.00	उपलब्ध नहीं	380.00	98.00 (दो वर्षों के लिए आक्कलित)	—	—

* विद्युतीकरण और उखाड़ी गयी लाइनों के पुनः स्थापन सहित।

** म० प० परि० सहित।

***पांचवीं योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी

श्री रशीद मसूद : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से इसके अविर्भाव से लेकर अब तक कितनी पुस्तकें चुराई गई हैं और पुस्तकों के नाम, उनके लेखक का नाम क्या है और उनका मूल्य कितना है;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के तीन विद्यार्थियों की हाल ही में चुराई गई पुस्तकों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने इस मामले में आगे और जांच के लिए इसे पुलिस को सौंपा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इक्के-दुक्के मामलों में ही समय-समय पर पुस्तकालय से पुस्तकें खोई हैं। अधिकांश मामलों में ये पुस्तकें छात्रों के पास थीं और उनसे वापिस ले ली गईं।

हाल ही में, तीन छात्रों के पास उनके छात्रावास के कमरों में गैर-कानूनी तौर पर 160 पुस्तकें उनके अधिकार में पाई गईं। इन पुस्तकों को उनसे अब वापिस ले लिया गया है। इन पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-3277/81].

(ग) विश्वविद्यालय ने एक वरिष्ठ संकाय सदस्य के द्वारा इस मामले की जांच कराई थी और उनके निष्कर्षों के आधार पर इन तीन छात्रों को अब विश्वविद्यालय से निष्काषित कर दिया गया है। और आगे जांच के लिए यह मामला अभी तक पुलिस को सौंपा नहीं गया है।

श्रेणी एक के अधिकारियों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

5542. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार के श्रेणी एक के अधिकारियों को ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त अथवा निदेश जारी किये गये हैं जिनमें तीन महीने से अधिक समय के लिये मेडिकल आधार पर छुट्टी/मेडिकल सर्टिफिकेट पर कम्युटिड छुट्टी अथवा मेडिकल सर्टिफिकेट पर अन्य नियमित छुट्टी की सिफारिश की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) जी, हां। प्रथम श्रेणी (ग्रुप "ए") अधिकारियों को छुट्टी देने के प्रयोजनार्थ

चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में अनुदेश "स्वास्थ्य परीक्षा की पुस्तिका" के दूसरे अध्याय में दिये हुए हैं।

इलाहाबाद में पार्सल हेन्डल करने का ठेका

5543. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में पार्सल हेन्डल करने का ठेका मैं० रेलवे साईकल स्टेन्ड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि० इलाहाबाद को दिया गया था;

(ख) क्या मैं० रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लि० की ओर से कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था जिसके पास पहले यह ठेका था तथा जिसने सन्तोषजनक कार्य किया था;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित समिति के अनुरोध पर विचार क्यों नहीं किया गया और उसके कारण क्या थे; और

(घ) 1 अगस्त, 1981 से दिए गए ठेके की मासिक एक मुस्त दर क्या है तथा अत्याधिक दर मंजूर किये जाने का विस्तृत औचित्य क्या है जबकि ढूंडला सोसाइटी की ओर से वर्तमान शर्तों और दरों पर ठेका लेने की पेशकश की गई थी?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) लिमिटिड टेंडरों को अंतिम रूप दिये जाने तक, मैसर्स रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद, को 28-8-1978 से 28-2-1979 तक इलाहाबाद में सर्वथा अस्थायी आधार पर पार्सल सम्हलाई कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। 1-3-1979 से 28-2-1981 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए ठेका मैसर्स रेलवे श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, टूण्डला, को आवटित किया गया, क्योंकि उक्त फर्म ने सबसे कम दर का टेंडर दिया था। चूंकि इस ठेके की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए बहुत सी समितियों ने, जिनमें रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद, भी शामिल है, इस ठेके के आवंटन के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन किया। सभी अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद यह ठेका मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैण्ड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को, उसके साथ दरों के बारे में बातचीत करके, आवटित किया गया। दर 32,077.50 रु० निश्चित की गयी है। टूण्डला वाली सोसायटी ने मजदूरी की बढ़ी हुई दरों पर तीन पारियों में ठेका जारी रखने की पेशकश की थी। उसकी पेशकश मौजूदा शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

फारवर्ड सी-मैन यूनियन आफ इण्डिया द्वारा दिए गए सुझाव

5544. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारवर्ड सी-मैन यूनियन आफ इंडिया द्वारा भारतीय नाविकों की बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति 1981 के अध्यक्ष के पास पेश किए गए सुझावों के प्वाइंट क्या हैं; और

(ख) सुझाव दिए गए प्रत्येक प्वाइंट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फारवर्ड सीमेन्ज युनियन आफ इंडिया ने विशेषज्ञ समिति के सामने जो अन्य बातों के साथ भारतीय नाविकों में बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए गठित की गई थी, निम्नलिखित सुझाव रखे :—

1. यात्री जहाजों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं ।

2. एक स्कीम तैयार की जाए जिससे कि सभी नाविकों को नौकरियां देने की गारंटी दी जा सके ।

3. सामान्य रोस्टरों के और कम्पनी के नाविकों के लिए रोजगार अवसरों में मौजूदा भेद-भाव के कारण एक साथ रोस्टर बनाना आवश्यक है ।

4. अगली नौकरी के लिए वरिष्ठता निर्धारण करने के लिये पहले की गई यात्रा की दूरी मापदंड होना चाहिए न कि पिछले डिस्चार्ज की तारीख ।

5. नाविकों को न्यूनतम वेतन का आश्वासन दिया जाए जिससे बेरोजगारी कम करने में सहायता मिलेगी ।

6. कम प्रतिपूर्ति देकर जहाजों पर कम संख्या में नाविक, रखने का यूनियन विरोध करती है ।

7. कुछ प्रशिक्षार्थियों का, जो 18 महीने से भी अधिक समय से बेरोजगार रहे, कहना है कि उन्हें काम देने के लिए कुछ कारगर उपाय किए जाएं, वरना सरकारी खर्च पर उन्होंने जो प्रशिक्षण पाया है, वह बेकार जाएगा ।

8. मर्चेन्ट नेवी फ्रिन्सी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाए ।

9. अनुभवी नाविकों को रखने वाले तट-स्थित संगठनों से कहा जाए कि वे उन्हीं रजिस्टर्ड नाविकों को भर्ती करे जो स्थायी आधार पर काम करने के इच्छुक हों ।

10. नौवहन कम्पनियों को कुछ शुल्क लगा कर नाविकों को न्यूनतम गारंटी शुदा वेतन दिया जाए । एक बार यदि यह कर दिया तो, नवागन्तुकों की सेवा निवृति आयु 58 वर्ष नियत की जा सकेगी ।

11. जनरल परपज कार्मिक प्रणाली समाप्त की जाए और उतने ही अनुभव वाले योग्य नाविक अप्रमाणित अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किए जाए ।

(ख) समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

विभिन्न रेल मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या

5545. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री मधु दंडवते, श्री कमलापति त्रिपाठी (वर्ष 1980 के बाद) और श्री केदार पाण्डेय के कार्यकाल के दौरान कितनी-कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) उपरोक्त मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान कितने-कितने व्यक्ति इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में से कितनी-कितनी दुर्घटनाएं किस-किस मंत्री के कार्यकाल के दौरान मानवीय चूकों, तोड़-फोड़ की कार्यवाही और अन्य कारणों की वजह से घटित हुई ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़े मंत्रीवार नहीं रखे जाते ।

भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ

5546. **श्री निहाल सिंह**
श्री हरीश कुमार गंगवार
श्री जी० वाई० कृष्णन् } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वचालित हथियारों से लैस अनेक चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश तथा अपना झंडा फहराये जाने के आशय का दिनांक 13 सितम्बर, 1981 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की सत्यता क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को इस घटना की जानकारी है जबकि चीनी प्राधिकारियों ने उस रेखा से हमारी ओर के इलाके में झंडा गाड़ दिया था जिसे चीनी पश्चिमी-क्षेत्र में "वास्तविक नियंत्रण रेखा" कहते हैं । इस मामले को चीनी प्राधिकारियों के साथ उचित रूप में उठाया गया था ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खरीदे गये अतिरिक्त पुर्जे

5547. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली परिवहन निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, बसों के लिए कितने मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों की खरीद की और जिन फर्मों से इनकी खरीद की गई उन फर्मों के नाम-पते क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : पिछले तीन वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम ने जो स्पेयर-पार्ट्स और विविध मठ खरीदे उनकी कीमत इस प्रकार है ।

1979-80	305 लाख रुपये
1980-81	499.78 लाख रुपये
1981-82	425.46 लाख रुपये

जिन फर्मों से यह सामान खरीदा गया, उनके नाम और पते अनुबन्ध 1 में दिए गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3278/81]

रेलवे सेवा आयोग के चेयरमैन की सेवा अवधि को 4 वर्षों की निर्धारित अवधि को आगे बढ़ाना

5548. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** रेलवे सेवा आयोग के सम्बन्ध में 9 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7123 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग के किसी चेयरमैन का कार्यकाल जिसका इस उत्तर के संलग्नक में उल्लेख किया गया है, जो आगामी वर्ष में समाप्त होने वाला है, 4 वर्ष की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाया गया है अथवा बढ़ाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो वे कौन हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी मामले में किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है यदि हां, तो किसने और किसके मामले में और निर्धारित कार्यकाल बढ़ाये जाने के लिए क्या आधार बताये हैं;

(घ) क्या अगले वर्ष के प्रारम्भ में रिक्त होने वाले पदों को विभिन्न रेलवे जोनों और सरकारी विभागों से नाम आमंत्रित करके समय पर भरने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है, यदि हां, तो क्या; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों का सेवाकाल, इस प्रयोजन के लिए बनाये गये भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों की रिक्तियों को अधिसूचित नहीं किया जाता और गैर सरकारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाते। किसी आयोग विशेष में रिक्त होने पर, राज्य सरकारों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के लिए सीटें

5549. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस के जनरल मैनेजर के अधिकार में दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों से चलने वाली विभिन्न मेल, सुपर-फास्ट और एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में अनेक सीटों का कोटा रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सीटों को किस प्रकार से जारी किया जाता है और इन सीटों को जारी करने के लिए उत्तर रेलवे मुख्यालय में, कौन सा अधिकारी सक्षम है;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्राइवेट कम्पनियों के संपर्क अधिकारियों को बड़ौदा हाउस के रेल अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ से प्राइवेट कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों को भी इन सीटों का आवंटन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार सीटों के दुरुपयोग को रोकने के लिये, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को कठिनाई होती है, जिनके नाम विशेषकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की लम्बी यात्रा वाली गाड़ियों के लिये प्रतीक्षा-सूची में रहते हैं उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में केवल सीमित संख्या में

शायिकाएं/सीटें निर्धारित की गयी हैं। इस प्रकार की शायिकाओं/सीटों की संख्या उच्च श्रेणियों में 2 से 12 शायिकाएं तथा दूसरे दर्जे में 3 से 28 हैं। ये शायिकाएं/सीटें आरक्षण के इंचार्ज अधिकारियों द्वारा विभिन्न सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, मंत्रियों, प्रैस प्रतिनिधियों तथा उनके द्वारा संस्तुत व्यक्तियों की यात्रा सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिचालित की जाती हैं। इसके अलावा जब भी इस कोटे में स्थान उपलब्ध होता है, विपदग्रस्त तथा मृत्यु अथवा निकट सम्बन्धियों की बीमारी जैसी तात्कालिक जरूरत के मामलों में भी यात्रियों की मदद की जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नैनी में समाज की ढुला-ढुलाई (हैंडलिंग) का ठेका।

5550. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी में सामान की ढुला-ढुलाई का ठेका मैसर्ज रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लि०,इलाहाबाद को 1 अगस्त,1981 से दो वर्षों की अवधि के लिए दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस संविदा के लिए एक वर्ष की विशिष्ट अवधि के लिए टेण्डर आमंत्रित किए गए थे और इस संविदा की अवधि तक पक्षीय रूप से किस प्रकार बदली गई;

(ग) क्या संविदा दिए जाने के पत्र में यह कहा गया था कि दर सूची सहित करार की चार प्रतियां संलग्न हैं परन्तु उन्हें संलग्न नहीं किया गया था;

(घ) क्या इस प्रकार की अनिमितताएं कई अन्य मामलों में भी की गई क्योंकि समिति सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को अवैध धन का भुगतान करने पर सहमत नहीं हुई थी; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सीमित निविदाएं एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गयी थीं, लेकिन निविदा समिति ने दो वर्षों के लिए ठेके देने की सिफारिश की थी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ग) कोरे करार फार्म की चार प्रतियां, दर-अनुसूची के साथ आवंटन-पत्र के साथ सही ढंग से भेजी गयी थीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में सामान की ढुला-ढुलाई (हैंडलिंग) का ठेका

5551. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में सामान की ढुला-ढुलाई (हैंडलिंग) का ठेका मैसर्ज रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड इलाहाबाद को 1-8-81 से दिया गया था और संविदा दिए जाने के पत्र में यह कहा गया था कि करार की चार प्रतियां दरों की सूची के साथ संलग्न है;

(ख) यदि हां, तो करार और दर सूची की प्रतियां सोसाइटी को क्यों नहीं दी गई थीं;

(ग) क्या उस समिति, जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, से अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात् वरिष्ठ डी० सी० एस० ने अपने ही निर्णय की भर्त्सना की और रेलवे के लिए सोसाइटी द्वारा किए गए कार्य का भुगतान किए बिना ठेका रद्द करने के आदेश जारी किए; और

(घ) क्या मामले की विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस ने इसे अपने हाथ में लिया है?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां; करार के खाली फार्म और दरों की सूची को आवंटन पत्र के साथ सोसाइटी को ठीक ही भेजा गया था।

(ग) मैसर्स रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को ठेका दिये जाने के पत्र के जारी किये जाने के बाद निवर्तमान सोसाइटी ने ठेके के आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन दे दिया। चूंकि यह मामला जांच के अधीन रहा, करार के निष्पादन में कुछ विलम्ब हो गया जिसके परिणामस्वरूप रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को भुगतान में कुछ विलम्ब हो गया।

(घ) जी नहीं, बहरहाल, रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा भेजी गयी शिकायत की रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

द्वितीय श्रेणी के पी० टी० ओ० टिकट

5552. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कर्मचारी की पत्नी अपने पति की अनुपस्थिति में किसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी की पी० टी० ओ० टिकट जारी करा लेती है और प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हुए पकड़ी जाती है और जुर्माने के साथ किराये का भुगतान भी करती है, तो क्या उस कर्मचारी को दोषी माना जाएगा।

(ख) इस संबंध में उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल द्वारा कितने स्टेशन अधिक्षकों को रेलवे सेवा से निकाल दिया गया है; और

(ग) यदि ये कर्मचारी दोषी नहीं हैं, तो क्या सरकार उन्हें नौकरी पर पुनः बहाल करने के लिए उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस मामले की जांच की जा रही है और सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इलाहाबाद में रेलवे साईकिल स्टेण्ड द्वारा माल हैंडलिंग करने का ठेका

5553. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे साइकिल स्टैंड ठेकेदार द्वारा माल हैंडलिंग करने का ठेका कार्य ठेके की अवधि के दौरान सदा असंतोषजनक रहता है;

(ख) ठेके के अवधि के दौरान महीनेवार कितते बार डिब्बे रुके रहे तथा महीनेवार कितना विलम्ब शुल्क बना;

(ग) क्या यह सच है कि सोसाइटी का कार्यकरण असन्तोषजनक रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इलाहाबाद में पार्सल हैंडलिंग ठेका अधिक ऊंची दरों पर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, मेसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद का माल यातायात सम्हलाई ठेका, ठेके की अवधि के दौरान संतोषजनक नहीं था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां ।

(घ) दरें सोसायटी के साथ बात-चीत करने के बाद एक समिति द्वारा निर्धारित की गयीं थीं ।

विवरण

मैं० रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लि०, इलाहाबाद द्वारा 5-6-1979 से 4-7-1981 तक रोके गये माल-डिब्बों की मास-वार संख्या और उन पर लगाया गया विलम्ब शुल्क

मास	रोके गये माल डिब्बों की संख्या	लगाया गया विलम्ब शुल्क
5 जून से 30 जून, 1979 तक	13	330.50
जुलाई, 1979	4	87.00 638.00
अगस्त, 1979	24	486.50
सितम्बर, 1979	5	81.00 128.00
अक्तूबर, 1979	9	202.00
नवम्बर, 1979	24	302.50 277.00
दिसम्बर, 1979	26	82.00 165.50
जनवरी, 1980	9	420.00
फरवरी, 1980	33	389.00
मार्च, 1980	13	387.50 545.00
अप्रैल, 1980	21	285.00
मई, 1980	35	1237.00 479.50
जून, 1980	56	2640.00 1664.50

जुलाई, 1980	62	1253.35
अगस्त, 1980	91	2329.75
सितम्बर, 1980	38	598.00
अक्तूबर, 1980	57	1514.50
नवम्बर, 1980	37	537.00
1-12-1980 से 18-12-1980	14	210.00
19-12-1980 से 7-1-1981 तक 8 कार्य रेलवे श्रमिकों द्वारा प्रबन्धित		
8-1-1981 से 31-1-1981 तक कुछ नहीं		—
फरवरी, 1981	2	—
मार्च, 1981	16	217.00
अप्रैल, 1981	77	808.00
मई, 1981	135	3781.00
1-6-1981 से 4-7-1981 32	179	5181.50

वर्ष 1980 और 1981 के दौरान गुजरात में बुक स्टालों आदि का आवंटन

5554. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान पश्चिम रेलवे के अधीन गुजरात में विभिन्न स्थानों पर, श्रेणी वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध लोगों, आदिवासियों, बेरोजगार स्नातकों, नेत्रहीनों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं आदि को आवंटित, किए गए रेलवे बुक स्टालों, तथा अन्य स्टालों, दुकानों, जलपान गृहों आदि की संख्या और ब्यौरा क्या;

(ख) इससे सम्बन्धित नीति, नियम, विनियम और मानदण्ड क्या है; और

(ग) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान विभिन्न श्रेणियों को इन स्टालों आदि आवंटन करने से सम्बन्धित कार्यक्रम क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 1981 में बलसाड स्टेशन पर एक विकलांग व्यक्ति को एक फल ट्राली आवंटित की गई ;

(ख) आमतौर पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा समाचार पत्रों में अधिसूचनाएँ जारी करके तथा/अथवा स्टेशन नोटिस बोर्डों पर विज्ञापन लगाकर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के बाद खान-पान/वेंडिंग ठेके आवंटित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली कसौटी, खान-पान के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव, यात्री जनता की संतोषजनक सेवा करने की क्षमता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्य के आधार पर ठेके चलाने के लिए उम्मीदवारों के पर्याप्त वित्तीय स्तर है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के मामले में वित्तीय स्तर से सम्बद्ध कसौटी पर जोर नहीं दिया जाता।

खान-पान/वेंडिंग ठेके के आवंटन की तरजीह का क्रम इस प्रकार है :

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति;

(ii) वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेंडरों की सहकारी समितियाँ;

(iii) महिला समितियाँ;

(iv) 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के अकेले बेरोजगार स्नातक;

(v) स्वतंत्रता सेनानी और

(vi) अन्य ।

बहरहाल, $\frac{1}{2}$ यूनिट मूल्य वाले ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं । अन्य कोटियों के उम्मीदवारों अर्थात् शारीरिक रूप से विकलांग, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व कर्मचारियों आदि के अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

इसी प्रकार, पात्र कोटियों को पुस्तक-स्टालों का आवंटन क्षेत्रीय रेलों द्वारा समाचार-पत्रों आदि के माध्यम से आवेदन-पत्र मंगाकर किया जाता है । सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, पुस्तक स्टालों के सभी आगामी आवंटन नीचे दिये गये क्रम में केवल निम्नलिखित कोटियों के लिए आरक्षित हैं : —

(i) वास्तविक कर्मचारी/वेंडरों की सहकारी समितियाँ तथा बेरोजगार स्नातकों की समितियाँ ।

(ii) बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी/एसोसिएशनें ।

(iii) रेल कर्मचारियों (सेवारत/सेवा-निवृत्त) के पुत्र/बच्चे जो अकेले बेरोजगार स्नातक हैं ।

(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा अन्य अकेले बेरोजगार स्नातक ।

(ग) खान-पान/वेंडिंग तथा पुस्तक स्टालों के ठेकों की रिक्तियाँ होने पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करके आवेदन मांगे जाते हैं ।

दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 का उल्लंघन करने के लिए अबनेर मैमोरियल स्कूल की प्रबन्धक समिति के विरुद्ध की गई कार्रवाई

5555. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री दिनांक 10 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 की अवहेलना करने के लिए अब मैमोरियल स्कूल, 26, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या प्रबन्ध समिति ने स्कूल की जगह की कमी को दूर कर दिया और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन दिल्ली के नोटिस में यह बात लाई गई है कि अबनेर मैमोरियल स्कूल में पर्याप्त स्थान और सफाई सम्बन्धी सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं जैसा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 4(18) (ग) के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है। स्कूल के प्रबंधकों से इन कमियों को दूर करने के लिए कहा है। प्रबंधकों ने यह आश्वासन दिया है कि उन्होंने नए भवन के लिए भूमि के आवंटन के वास्ते आवेदन किया है और कमियों को दूर कर दिया जाएगा।

पैरा मेडिकल प्रशिक्षुओं को स्टडी लेक्चर

5556. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने मेडिकल तथा नान-मेडिकल अधिकारियों को ऐसे पैरा मेडिकल प्रशिक्षुओं को स्टडी लेक्चर न देने को कहा है जो दिल्ली में कुछ पैरा-मेडिकल संस्थाओं में व्यवसायिक मार्गदर्शी प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किये गये परिपत्र का पाठ क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य प्रबन्ध करने का है ताकि दिल्ली में उपर्युक्त परिपत्र के कारण पैरा मेडिकल शिक्षा को हानि न हो और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गूटी डीजल शेड

5557. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंताकल मंडल को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल किये जाने के समय जिन खलासियों ने दक्षिण रेलवे के लिए विकल्प दिया था, उनसे कुछ खलासी अभी भी गूटी डीजल शेड में हैं और उन्हें स्थानान्तरण आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) थोड़े से जो लोग बाकी रह गये हैं उनको दक्षिणी रेलवे के किसी भी शेड में लगाये जाने में क्या कठिनाई है ?

रेल तथा संसदीय कार्य एवं शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जब गुन्ताकल मण्डल को दक्षिण-मध्य रेलवे में जोड़ा गया था, उस समय गुत्ती डीजल शेड के खलासियों से कोई विकल्प नहीं लिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठाता।

बंजारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार

5558. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अक्तूबर, 1981 को रेलवे प्लेटफार्म पर एक बंजारा स्त्री के साथ दुर्व्यवहार के एक मामले के कारण हजारों यात्रियों को जामापुर, बतियापुर, और अन्य नौ रेलवे स्टेशनों पर घंटों इन्तजार करना पड़ा और गाड़ियों का आवागमन ठप्प हो गया;

(ख) क्या गर्भवती बंजारा स्त्री गर्भ-स्राव के कारण मर गई;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(घ) रेलवे प्लेटफार्म पर किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15/16-10-81 को जमालपुर रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना, जिसके लिए पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, के कारण, कुछ गाड़ियां लेट हो गई थीं।

(ख) एक गर्भवती बंजारिन संयोगवश इन्जन के नीचे आ कर मारी गई थी।

(ग) पुलिस द्वारा एक नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी छान-बीन की जा रही है।

(घ) मामले की छान-बीन हो चुकने पर, इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

उड़ीसा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

5559. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत और उड़ीसा के पुरातत्वीय मानचित्र में कोरापुट, गंजम, फुलपानी और कालाडोही जिलों को सम्मिलित करने के लिए राज्य पुरातत्वीय विभाग द्वारा इन जिलों का सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुरातत्वीय खंडरों के नाम और स्थान क्या हैं जिनका अब तक पता चला है और जिनका संरक्षण भारत सरकार के राज्य तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या प्राचीन काल की नदी घाटी सभ्यता का पता लगाने के लिए कोटापुट जिले की वंशधारा, नागवरी, झंझावती, इन्द्रावती, मच्छकुण्ड, सबरी और कोलान नदियों की घाटियों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस जिले के पुरातत्वीय खंडरों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1980-81 व 1981-82 में पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए चुना गया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुरातत्व विभाग उड़ीसा राज्य ने इन जिलों का आंशिक रूप से सर्वेक्षण किया है।

(ख) इन जिलों में पिछले वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण के दौरान उल्लेख किए गए स्मारकों/स्थलों की सूचियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

राज्य के पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य के पुरातत्व विभाग ने नागवली घाटी में अवस्थित थेरुवल्ली के पास मंदिरों के समूह का सर्वेक्षण किया है। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण न कराने का यह कारण है कि राज्य का पुरातत्व विभाग इस समय वास्तव में चित्रोत्पला और दया की घाटियों के सर्वेक्षण कार्य में व्यस्त है।

राज्य के पुरातत्व विभाग ने कोरापुट जिले में बोरीगुमा में भैरव मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा कर लिया है और वह कालाहांडी जिले खरिआर में दधिबाबन मंदिर का मरम्मत कार्य करवा रहा है। कोरापुट जिले के नंदपुर में बत्तीससिंहासन का संरक्षण कार्य उस विभाग द्वारा शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

विवरण

राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा उल्लेख किए गए स्मारकों/स्थलों की सूची

कोरापुट जिला

गुनुपुर में जगन्नाथ मंदिर।
पद्मपुर में मल्लिकेश्वर मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर।
पैकापाड़ा में पातालेश्वर मंदिर समूह।
नन्दपुर में मंदिर समूह।
बोरीगुमा में भैरव मंदिर।
पापदाहांडी में नीलकंठेश्वर मंदिर।
रामनगुडा में शिव मंदिर।
जयपुर कस्बे में जैन पुरावशेष।

कालाहांडी जिला

नरूला के पास असुरगढ़।
मारागोदा घाटी में पुरातन अवशेष।
बुधिकोम्ना में पातालेश्वर मंदिर।
कोम्ना में जगन्नाथ मंदिर।
खरिआर में दधिबाबन मंदिर।
खरिआर के पास गुहा रंगचित्र।

फुलबनी जिला

मनमुंडा में असुरगढ़।
परागलपुर में बुद्ध पुरावशेष।
फुलबनी के पास चकपाड़ा।
बौध में बुद्ध मूर्ति।

गंजाम जिला

गंजाम किला ।
जीराबाड़ी में रामपाड़ा मंदिर ।
बड़ागांव में नृसिंह स्वामी मंदिर ।
कुराला में जगन्नाथ मंदिर ।
कुराला में नारायण मंदिर ।
बेलागुंठा में मंदिर समूह ।
पुरुषोत्तमपुर के पास तारा तरिणी मंदिर ।
पारलाखेमुड़ी में हनुमान और अन्य मन्दिर समूह ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोरापुट में उल्लेख किए गए स्मारक/स्थलों की सूची

1. गुदरी का प्राचीन स्थल ।
2. कोलाब नदी के किनारे पर कोचला में प्राचीन स्थल ।
3. झंझावती नदी की घाटी में अलमन्दा में प्राचीन ईंटों का चबूतरा ।
4. नौरंगपुर में जगन्नाथ मन्दिर ।
5. भैरवसिंहपुर के पास मन्दिर ।
6. नन्दपुर के पास सर्वेश्वर मन्दिर ।
7. जयपुर के पास गुप्तेश्वर गुफा ।
8. सुआई में मध्यकालीन जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों वाला स्थल ।
9. रायगढ़ में एक किले का स्थल ।
10. पापदाहांडी में नीलकंठेश्वर मन्दिर ।
11. नारायणपटन में एक ध्वस्त मन्दिर और मकबरों का स्थल ।
12. बालाजीनाथ गुनुपुर।
13. देवगिरि पहाड़ी का स्थल ।
14. बोरीगुमा में मन्दिर स्थल ।
15. पद्मपुर के पास जोगमुंडा पहाड़ी पर नीलकंठेश्वर मन्दिर ।
16. जामुंडा में तीर्थंकर मूर्तियां ।

उड़ीसा सरकार द्वारा सुरक्षित स्मारकों की सूची

गंजाम जिला

गंजाम में कब्रिस्तान ।
गंजाम किला ।
हनुमान मंदिर, पारलाखेमुंडी ।
जीराबाड़ी में रामपाड़ा मन्दिर ।
शिव मन्दिर, बड़ा गांव ।

कोरापुट जिला

पातालेश्वर मन्दिर समूह, पैकापाड़ा ।
पद्मपुर के पास जोगमुंडा पहाड़ी पर मल्लिकेश्वर और नीलकठेश्वर मन्दिर ।
भैरव मन्दिर, बोरीगुमा ।
जगन्नाथ मन्दिर, गुनुपुर ।
नीलकंठेश्वर मन्दिर, पापदाहांडी ।
गुप्तेश्वर गुफाएं ।

फुलबनी जिला

बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, बौध ।
असुरगढ़, मनमुंडा ।

कालाहांडी जिला

दधिबाबन मन्दिर, खरिआर ।
पातालेश्वर मन्दिर, बुधि कोम्ना ।
मारागोदा में असुरगढ़ ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित स्मारकों की सूची

गंजाम जिला

1. कोट्टाकोला में गंगाधर स्वामी मन्दिर ।
2. कोट्टाकोला में जगदीश्वर स्वामी मन्दिर ।
3. महेन्द्रगिरि में भीम मन्दिर ।
4. महेन्द्रगिरि में कुन्ती मन्दिर ।
5. महेन्द्रगिरि में युधिष्ठिर मन्दिर ।
6. जोगड़ा में अशोक के शिलालेख ।

फुलबनी जिला

1. गंधराड़ि में नीलकंठेश्वर और सिद्धेश्वर मन्दिर ।
2. पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर और बौध कस्बे में कपिलेश्वर मन्दिर ।

भारत पाक सीमा पर स्थापित की जाने वाली अमरीका की विमान निगरानी चौकियां

5560. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और अमरीका की गुप्त एजेंसियां भारतीय क्षेत्र की विमान से टीह लेने सहित पाकिस्तानी क्षेत्र में मिलकर अनेक संयुक्त कार्यों में लगी है; और

(ख) हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) और (ख) सरकार ऐसे सभी मामलों व घटनाओं के बारे में बराबरा जानकारी हासिल करती रहती है तथा सतर्क रहती है जिसका हमारी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है ।

नारी शिक्षा के लिए योजना

5561. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में नारी शिक्षा का विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस केन्द्रीय योजना का नाम क्या है और उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न राज्यों इन योजनाओं को शुरू किया है;

(ग) क्या अविकसित जिलों में "ओपन वीमेन कालेजों" को विशेष अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन विश्वविद्यालयों को दिए गए मार्गदर्शी निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष योजना प्रारम्भ नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए कालेज, जिनमें महिला कालेज भी शामिल हैं, खोलने के लिए न तो केन्द्रीय सरकार द्वारा और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, महिला कालेजों के मामले में विकास अनुदान स्वीकृत करने की पात्रता की शर्तों में छूट प्रदान की है। 300 छात्रों के दाखिले की सामान्य आवश्यकता के विपरीत, 200 छात्रों के दाखिले वाले महिला कालेजों को छठी योजना के दौरान चार लाख रुपये तक की सहायता देने के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए आयोग अनुमोदित लागत का 75% तक प्रदान करता है जबकि लड़कों के छात्रावास के मामले में यह 50% होता है। छठी योजना में कालेजों को सहायता प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं जुलाई, 1981 में परिचालित कर दी गई थी।

जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली

5562. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली ने "सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक का डिप्लोमा" कम्यूनिटी हैल्थ वर्कर्स डिप्लोमा शुरू किया है और वह उसके लिए नियमित कक्षाएं आयोजित कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि संस्थान के उक्त डिप्लोमा कोर्स का पाठ्यक्रम भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी हैल्थ वलन्टीयर्स, हैल्थ असिस्टेंट, डिप्लोमा इन हैल्थ एजूकेशन, डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ, फर्स्टऐड एण्ड होम नर्सिंग आदि के लिए स्वीकृत और सुझाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और क्या संस्थान अथवा इसकी प्रबन्ध कारिणी समिति, अखिल

भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद् (पंजीकृत) नई दिल्ली ने देश में विभिन्न पेरा-मेडिकल पदों के लिए इस डिप्लोमे को मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस संस्थान ने सूचित किया है कि वह जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता डिप्लोमा कोर्स की नियमित कक्षायें चला रहे हैं।

(ख) और (ग) जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान से अनुरोध मिला था कि देश में विभिन्न पेराचिकित्सा पदों के लिये इस डिप्लोमा को मान्यता दी जाये। उस संस्थान को सूचना दी गई कि सैद्धान्तिक तौर पर भारत सरकार ऐसे कोर्स को मान्यता नहीं देती है। जो विश्वविद्यालय/नर्सिग परिषदें या राज्य सरकारें स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त करती हैं उन्ही द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे कार्यकर्त्ताओं के विभिन्न वर्गों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों सम्बन्धी सुझाव देती है। अतः, इस संस्थान को तदनुसार सलाह दे दी गई थी।

फीचर फिल्में दिखाने की सुविधा प्राप्त विदेशी मिशन

5563. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे विदेशी मिशनों की संख्या कितनी है जिनमें वित्त चित्र तथा फीचर फिल्में दिखाने की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या इन विदेशी मिशनों को फिल्में दिखाने के लिए अपनी ओर से पारिश्रमिक देकर भारतीय प्राइवेट एजेंसियों/व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति है ?

विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) भारत स्थित सभी विदेशी राजनयिक और कोंसली मिशनों को वृत तथा फीचर फिल्में दिखाने की सुविधायें प्राप्त करने का हक है। सामान्य राजनयिक प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में प्रायः सभी महत्वपूर्ण राजनयिक और कोंसली मिशनों को ये सुविधायें प्राप्त हैं।

(ख) जी हां। भारत स्थित विदेशी मिशनों को, वाणिज्यिक आधार पर पारिश्रमिक देकर, अपनी ओर से फिल्में दिखाने के लिए स्थानीय एजेंसियों/व्यक्तियों को नियुक्ति करने की आजादी है।

परन्तु यदि फिल्म दिखाने की इन सुविधाओं से या ऐसी पारिश्रमिक व्यवस्था से भारत के हितों पर किसी तरह का बुरा असर पड़ता हो तो सरकार के पास सम्बन्धित राजनयिक मिशन और ऐसी एजेंसियों/व्यक्तियों को ऐसा करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक साधन मौजूद हैं।

राज्यों को अपनी नीजी जहाजरानी कम्पनियाँ शुरु करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना

5564. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन व्यापार के बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी जहाजरानी कम्पनियों के हाथ में होने को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्यों को अपनी योजना के जरिए अपनी निजी जहाजरानी कम्पनियां शुरु करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के स्वामित्व वाली वर्तमान कंपनियां अपने नौवहन उद्योग में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता प्राप्त कर रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जहाज खरीदना एक वाणज्यिक निर्णय है, जो नौवहन कम्पनियों द्वारा लिया जाता है चाहे वे सरकारी कम्पनियां हों या प्राइवेट। जब कभी जहाज खरीदने के प्रस्ताव नौवहन विकास निधि समिति को प्राप्त होते हैं उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हानि होने पर विचार कर जांच की जाती है और उसके बाद नौवहन विकास निधि समिति को सिफारिश को सरकार जाँच कर अपना निर्णय सूचित कर देती है।

(ख) कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन और केरल शिपिंग कारपोरेशन को वित्तीय सहायता स्वीकृति की गई है।

कोच निर्माता ईकाइयां

5565. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ नई रेल कार्य निर्माता यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान ऐसी कुल कितनी रेल कोच निर्माण यूनिटों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इन कोच निर्माण यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल तथा संसदीय कार्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) छठी पंच वर्षीय योजना अवधि में नयी रेल कोच निर्माण यूनिट की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की योजना आयोग की अग्रेषित किया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग को स्वीकृति मिल जाने पर प्रस्तावित नयी रेल कोच यूनिट के कार्यक्षेत्र, उसकी लागत अब स्थिति आदि को शामिल करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

रेलवे अभिसमय समिति, 1971 और 1973 की उपनगरीय गाड़ियों सम्बन्धी सिफारिशें

5566. **श्री एस० एम० हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय गाड़ियों विषयक रेलवे अभिसमय समिति, 1971 में सिफारिश की थी कि उप नगरीय गाड़ियों में केवल एक ही दर्जा होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो समिति को सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उपनगरीय गाड़ियों विषयक रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की थी कि महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए अलग डिब्बे जोड़कर उनके लिए डिब्बों की व्यवस्था करने के बारे में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या उपनगरीय गाड़ियों विषयक रेलवे अभिसमय समिति, 1973 ने सिफारिश की थी कि रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के तीन नगरों में सभी व्यस्त सैक्शनों पर 9 डिब्बों वाले रेक चलाये जाने चाहिए ताकि इन स्थानों पर भीड़भाड़ को कम किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो इन नगरों में 9 डिब्बों वाले रैक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल तथा संसदीय कार्य, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस सिफारिश को इस बात को ध्यान में रखकर स्वीकार नहीं किया था, कि उपनगरीय गाड़ियों में पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में उपलब्ध स्थान दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में उपलब्ध स्थान के अनुरूप ही है तथा इन्हें दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में बदलने से वास्तविक रूप से अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी ओर, पहले दर्जे की यात्रा समाप्त करने से रेलवे के राजस्व में हानि होने की संभावना है, क्योंकि पहले दर्जे के किराये दूसरे दर्जे के किरायों से अधिक हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक गाड़ी में कम से कम दूसरे दर्जे का एक डिब्बा केवल महिला यात्रियों के लिए अलग रखा जाता है। जहां ऐसे स्थान की मांग बहुत अधिक होती है, एक से अधिक डिब्बों की व्यवस्था कर दी जाती है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को महिलाओं के लिए अलग रखे गये डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति है।

(ङ) जी हां।

(च) बम्बई में उपनगरीय गाड़ियों में पहले से ही 9 डिब्बे चलाये जा रहे हैं। कलकत्ता में भी बहुत सी उपनगरीय गाड़ियों में 9 डिब्बों का रेक चलाया जा रहा है। शेष गाड़ियों में 9 डिब्बे लगाने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब अतिरिक्त उपनगरीय बिजली गाड़ी डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे।

बहरहाल, मद्रास में 9 डिब्बों वाली उपनगरीय गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप के चिकित्सा विभाग में रिक्त पद और उन्हें भरने के लिए की गई कार्यवाही

5567. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के चिकित्सा विभाग के डिस्पेंसरियों/अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में श्रेणी-वार कितने पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या फार्मेसिस्ट इत्यादि जैसे कुछ विशेष पदों के मामले में सरकार ने उनकी सेवाओं को नियमित करने का मामला शुरू किया है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चलाई गई नई गाड़ियां

5568. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रेल मंत्री तथा उनसे पहले के चार रेल मंत्रियों द्वारा चलाई गई नई गाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन नई गाड़ियों से रेल विभाग को किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई है, गाड़ियों के चालू होने से अब तक का गाड़ी-वार ब्यौरा दिया जाये ?

रेल तथा संसदीय कार्य शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नयी सवारी गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में रेल मंत्रियों के कार्य काल के अनुसार रिकार्ड नहीं रखतीं । बहरहाल, गत पांच वर्षों के दौरान चलाई गयी नयी गाड़ियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1976-77	—133
1977-78	—108
1978-79	—64
1979-80	—53
1980-81	—84

(ख) आमदनी के आंकड़े गाड़ी-वार नहीं रखे जाते ।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति (आयुर्वेदिक) की बैठक

5569. **श्री रेणु पद दास** : क्या **स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक सलाहकार समिति (आयुर्वेदिक) की बैठक 23 अक्तूबर, 1981 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान प्रतिष्ठानों के विस्तार की योजना के प्रश्न पर इस बैठक में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख)

भारत सरकार के स्वशासी निकाय आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति (आयुर्वेद) ने 23 अक्तूबर, 1981 को अपनी बैठक में अन्य बातों के

साथ-साथ इस परिषद के अधीन अनुसंधान कार्यालयों के विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया।

(ग) वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर परिषद की वित्त समिति ने विचार किया और बाद में शासी निकाय ने संलग्न विवरण में दी गई विस्तार योजनाओं को मंजूरी दे दी।

विवरण

योजना की सूची

(1) अजमेर के पास मंगलियावास गार्डन में गुग्गुलु के पौधों की संघन खेती।

(2) विस्तरित गतिविधियों के लिए निर्माण कार्यक्रमों के सहित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी में औषधीय पौधों की बड़े पैमाने पर खेती।

(3) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य चलाने के बाद जवाहरलाल नेहरु आयुर्वेदिक मेडिकल प्लांट्स और गार्डन, पुणे में औषधीय पौधों की व्यापक रूप से खेती !

(4) मैदान की चहारदीवारी आदि का निर्माण कर भारतीय पंचकर्मी संस्थान, चरूथु-रूथी में खाली भूमि की खेती आदि करने के लिए उपयोग।

(5) अस्पताल के ब्लाक तथा आवश्यक स्टाफ क्वार्टर बनाने के पश्चात् क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, ईटानगर को आई० पी० सम्बन्धी सुविधाएं देना।

(6) जड़ी बूटी नमूनों को एक स्थान पर एकत्र करना।

(7) मलेरिया रोधी आयुर्वेदिक कोडिड दवा का व्यापक क्लिनिकल परीक्षण।

(8) ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के लिए 5 मार्गदर्शी परियोजनाएं चलाना।

परिवार नियोजन के लिए होम्योपैथिक दवाइयों की उपयोगिता

5570. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक डाक्टर द्वारा होम्योपैथिक एक दवाई गर्भपात के लिए बड़ी प्रभावशाली पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दवाई का परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस दवाई को लोकप्रिय बनाने केलिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

छठी योजना अवधि के दौरान लाइनों को परिवर्तित किया जाना

5571. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान मीटर गेज की लाइनों को बड़ी लाइनों में और छोटी लाइनों को मीटर गेज/बड़ी लाइनों में परिवर्तित किये जाने का कोई प्रस्ताव है और क्या इन लाइनों का तकनीकी—आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों के नाम क्या हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) छठी योजना के दौरान अभी तक निम्नलिखित परियोजनाओं को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए अनुमोदित किया गया है :—

(1) बरेली—काठगोदाम।

(2) गुवाहाटी-डिब्रूगढ़, तिनसुकिया के रास्ते।

(3) कटिहार-बारसोई-सिलीगुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी।

कर्नाटक में जनसंख्या वृद्धि पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कोई प्रभाव न होना

5572. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में जनसंख्या में वृद्धि पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का कोई प्रभाव नहीं हुआ जिसमें 1.6 प्रतिशत प्रति वर्ष तक की कमी—होने की आशा थी परन्तु जो 2.8 प्रतिशत पर ही रुकी रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) (ग) कर्नाटक में मार्च, 1981 के अन्त तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.11 लाख पात्र दम्पत्तियों को सुरक्षित किया गया ताकि उनके बच्चे न हों। यह संख्या कुल अनुमानित दम्पत्तियों की 23.2 प्रतिशत बैठती है।

भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने यह अनुमान लगाया था कि पहली मार्च, 1981 को कर्नाटक की जनसंख्या 3 करोड़ 56 लाख हो जायेगी। इसका अर्थ यह है कि इसकी वार्षिक औसत वृद्धि दर 1.97 प्रतिशत बैठती है। इसके मुकाबले में 1981 की जनगणना में पहली मार्च, 1981 को 3.704 करोड़ की जनसंख्या की गणना की थी। 1971-81 के दशक में वास्तविक वृद्धि दर प्रतिवर्ष 2.36 प्रतिशत (घातीय) होगी। जनगणना के आयुवार आंकड़ों के उपलब्ध न होने के कारण बता पाना सम्भव नहीं है कि क्या जनसंख्या की वृद्धि परिवार कल्याण कार्यक्रम का काम कम होने के कारण हुई है अथका मृत्यु दर

तेजी से कमी होने के कारण हुई है या इन दोनों कारणों से हुई है। वैसे, सरकार इस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिये पूर्णरूप से जागरूक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को समय-समय पर सलाह/सहायता दी जा रही है।

विदेशों में भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के माल भाड़ा एजेंटों द्वारा विदेशी पोतों पर माल बुक कराया जाना

5573. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारतीय जहाज रानी कम्पनियों के माल भाड़ा एजेंट भारतीय कम्पनियों के पास पर्याप्त माल बुक नहीं कराती और विदेशी पोतों पर अधिक निर्भर करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

गोरखपुर-लखनऊ लाइन पर चलने वाली पैसेंजर तथा माल गाड़ियां

5574. **श्री अशफाक हुसैन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ससय सारणी में परिवर्तन किये जाने से पहले गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन पर कितनी और कौन-कौन सी पैसेंजर तथा माल गाड़ियां चल रही थीं और उन गाड़ियों की क्षमता क्या थी;

(ख) 15 नवम्बर, 1981 से समय सारणी में परिवर्तन किये जाने के बाद से इस लाइन पर कितनी और कौन-कौन सी पैसेंजर तथा माल गाड़ियां चल रही हैं तथा उनकी माल तथा यात्री क्षमता क्या है;

(ग) इस लाइन पर गाड़ियों का चलना सामान्य कब से होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता से दिल्ली के लिए बरास्ता गोरखपुर एक सीधी गाड़ी चलाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे नियमित रूप से कब तक चलाया जायेगा;

(च) यदि नहीं, तो इस गाड़ी को चलाने में क्या दिक्कत है;

(छ) क्या सरकार का विचार गोरखपुर, गोमती एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है;

(ज) यदि हां, तो कब तक; और

(झ) सरकार द्वारा इस लाइन पर चलाई जाने वाली गाड़ियों के ब्यौरे क्या हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बड़ी लाइन में आपेक्षित परिवर्तन करने से पूर्व लखनऊ और गोरखपुर के बीच निम्नलिखित यात्री गाड़ियां चलती थीं :

	डिब्बों की संख्या गो०ला०	
i. 1/2 ए० टी० मेल (गुवाहाटी-लखनऊ)	21	सवारी डिब्बे
9/10 कानपुर एक्सप्रेस	16	,,
iii. 15/16 लखनऊ-गुवाहाटी एक्सप्रेस	20	,,
iv. 17/18 वैशाली एक्सप्रेस (सिलीगुड़ी कासगंज)	20	,,
v. 31/32 कानपुर-बरौनी एक्सप्रेस	14	,,
vi. 47/48 शाने अवध एक्सप्रेस (गोरख-लखनऊ)	10	,,
vii. 601/602 गोरखपुर-लखनऊ पार्सल एवं सवारी गाड़ी	9	,,

लखनऊ-गोरखपुर खंड के एक भाग पर इनके अतिरिक्त 11 सवारी डिब्बों के साथ 211/212 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ियां, 13 सवारी डिब्बों के साथ 185/186 सवारी गाड़ियां, 9 सवारी डिब्बों के साथ 209/210 गोंडा-बुढ़वल-सीतापुर तेज सवारी गाड़ियां और 9 सवारी डिब्बों के साथ 204/295 गोंडा-कटरा सवारी गाड़ियां भी चल रही थीं।

लखनऊ-गोरखपुर खंड के बड़ी लाइन में परिवर्तन होने से पहले गोरखपुर-गोंडा खंड पर 5 मालगाड़ियां, गोंडा-बुढ़वल खंड पर 5.7 गाड़ियां, बुढ़वल-बाराबंकी खंड पर 4.9 गाड़ियां और बाराबंकी-लखनऊ खंड पर 3.9 गाड़ियां प्रति गाड़ी चौपहिया डिब्बों के हिसाब से मीटर लाइन के 55 सवारी डिब्बों के औसत भार के साथ चला करती थीं।

(ख) आमान परिवर्तन के बाद गोरखपुर-लखनऊ खंड पर बड़ी लाइन की 5 जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं :—

	डिब्बी की संख्या ब०ला०	
i. 501/502 राप्ती-गोमती एक्सप्रेस (गोरखपुर-लखनऊ)	12	सवारी डिब्बे
ii. 505/506 समस्तीपुर-कानपुर एक्सप्रेस	13	,,
iii. 503/504 गोरखपुर-झांसी मेल	12	,,
iv. 539/540 गोरखपुर-लखनऊ सवारी गाड़ी	12	,,
v. 541/542 गोरखपुर-लखनऊ सवारी	12	,,

बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के बाद गोरखपुर-गोंडा खंड पर प्रतिदिन 2.4 माल गाड़ियां और गोंडा-लखनऊ खंड पर प्रतिदिन औसतन 1.8 गाड़ियां जो कि प्रति गाड़ी बड़ी लाइन के चौपहियों के हिसाब से क्रमशः 65 और 68 डिब्बों के साथ चल रही हैं। इससे मीटर आमान प्रणाली की तुलना में अधिक सवारी एवं माल गातायात ढोया जा रहा है।

(ग) इस लाइन पर गाड़ियों का परिचालन 1982 के दौरान, जबकि रेलपथ में पूरी गिट्टी बिछा दी जायेगी, पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पूर्वोत्तर और क्षेत्रीय रेल प्रणालियों पर मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कमी तथा कोचिंग स्टाक की बेहद कमी।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) इस खंड पर अतिरिक्त रेल गाड़ियों का चलाया जाना कोचिंग स्टाक, रेल इंजनों और रेल अनुरक्षण की सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इन संसाधनों की कमी के कारण इस समय इस खंड पर कोई अतिरिक्त गाड़ी के चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नही है।

बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, मैसरा (रांची) के लेक्चरारों को यू०जी०सी० वेतनमान के भुगतान के लिये केन्द्रीय अंश का रिलीज किया जाना

5575. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बिहार के कालेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को यू० जी० सी वेतनमान देने के लिए अपना 80 प्रतिशत अंश वर्षों पहले रिलीज कर दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, मैसरा (रांची) के प्राध्यापकों को यू० जी० सी वेतनमान दिये जाने के लिए केन्द्रीय सहायता देना 1976 में स्वीकार कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, मैसरा के प्राध्यापकों को केन्द्रीय सरकार के 80 प्रतिशत अंश के भुगतानन में इतना विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों को लागू करने के कारण केन्द्रीय सरकार के 80% अंश की प्रतिपूर्ति, संबंधित संस्थाओं के संबंध में राज्य सरकारों से मांग प्राप्त होने पर की जाती है। बी० आई० टी० मैसरा, राँची के संबंध में बिहार राज्य सरकार से अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाया जाना

5576. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्यापकों (पी० जी० टी० को 10+2 कक्षाओं अर्थात् 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने को विवश किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों तथा सहायता प्राप्त स्कूलों दोनों में अध्यापकों के वेतनमानों में उपयुक्त वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जमा दो स्तर पर कक्षाएं पढ़ाने के लिए स्नातकोत्तर अध्यापकों की भर्ती की जाती है। दिल्ली प्रशासन, अन्य संघीय क्षेत्रों तथा केन्द्रीय वेतनमानों के समान वेतन वाले संगठनों के सभी श्रेणियों के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने की मांग

कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार के अन्य वर्गों के कर्मचारियों द्वारा वेतनमानों में संशोधन की मांगें उत्पन्न हो जाएंगी।

होम्योपैथी-फिजीशियनों का चयन

5577. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में होम्योपैथी फिजीशियनों के पद के भर्ती नियमों में राज्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त चार वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव होना अपेक्षित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य-सेवा ने हाल ही में ऐसे कुछ पद भरें हैं और भविष्य की नियुक्तियों के लिए पैनल बनाने तुल्य होम्योपैथी फिजीशियनों का चयन भी किया है, जिनके लिए समाचार-पत्रों अथवा रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रिक्त पदों को उचित रूप से विज्ञापित नहीं कराया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना अनिवार्य अर्हता की शर्त का उल्लंघन भी किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे सभी चयन अनियमित हैं और रद्द माने जाने योग्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उपचारात्मक उपाय के रूप में, सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) नियमित आधार पर न तो कोई रिक्त पद भरा गया है और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई नामावली (पेनल) तैयार की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किए जाने तक केवल तदर्थ नियुक्तियां ही की गई हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में उच्च शिक्षा का विकास

5578. **श्री गिरधर गोमांगो** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई समिति की शिफारिश को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकासपुरी से तथा विकासपुरी के लिए दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा

5579. **श्री केशवराव पारथी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी संख्या में मकानों के निर्माण के कारण पिछले 2-3 वर्षों में विकास पुरी का बहुत अधिक विस्तार हुआ है परन्तु कालोनी से चलने वाली तथा वहां के लिए चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा अनियमित हो गई है;

(ख) क्या समस्या को हल करने के लिए सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विकास पुरी का जी० डी० डी० की कालोनी है, विकास किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम को रूट नं० 860 की बसें विकास पुरी और रीगल, कनाट प्लेश के बीच चलती हैं जो मोती नगर और केन्द्रीय सचिवालय होकर जाती है। इस रूट पर नियमित रूप से बसें चलाई जाती हैं। रूट नं० 805 एक अन्य रूट भी है जिस को बसें मेजर भूमिन्दर सिंह नगर और विकास पुरी के बीच चलती है अभी हाल ही में इस रूट की सेवा, मोतीनगर से आगे सड़कों पर भीड़ होने के कारण कुछ नियमित नहीं पाई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) विकासपुरी के निवासियों की मांग पर रूट नं० 805 की सेवा जो मोती नगर तक थी 11.10.81 से अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तक बढ़ा दी गई है। एक बस और लगा कर 1.12.81 से बस सेवाओं को 34/68 मिनिट की फ्रीक्वेंन्सी तेज कर के 20/40 मिनिट कर दी गई है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर—टाटा नगर सैक्शन में गाड़ी सेवाओं में बाधा

5580. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर-टाटानगर सैक्शन पर जून और अक्तूबर, 1981 के बीच कुल कितनी बार गाड़ियों की सेवाओं में बाधाएं उपस्थित हुई;

(ख) उसके क्या कारण थे; और

(ग) उनके मन्त्रालय का दक्षिण पूर्वी रेलवे के उस व्यस्त सैक्शन पर गाड़ी सेवाओं में ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जून से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान, खड़गपुर टाटानगर खण्ड पर गाड़ी सेवा छः बार ठप्प/रद्द की गयी-चार बार गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारण, एक बार बंगला बन्द के कारण और एक बार कोयले की कमी की वजह से 134/133 हवड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रैस के रद्द किये जाने के कारण।

(ग) रेलवे का संरक्षण संगठन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए निरन्तर अभियान चला रहा है। इन्जन में इस्तेमाल के लिये कोयले की सप्लाई वरकरार रखने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

हुगली डाकिंग एड इन्जीनियरिंग कम्पनी के मासिक वेतन बिलों के लिये धनराशि की व्यवस्था

5581. **श्री अजित बाग**
श्री नीरेन घोष } : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हुगली डाकिंग एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के मासिक वेतन बलों के लिए कम से कम 15 लाख रुपये की अदायगी हेतु तत्काल व्यवस्था करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से दिनांक 9 नवम्बर, 1981 का टैलेक्स संदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय वित्त मन्त्री को राज्य के वाणिज्य और उद्योग से एक टेलेक्स प्राप्त हुआ था जिसमें हुगली डाकिंग एन्ड इंजीनीयरिंग कम्पनी को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने, सामान की खरीद करने आदि के लिए धन देने की मांग की गई है ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

गंगटोक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू करने के बारे में अभ्यावेदन

5582. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से गंगटोक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्लाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां ! सिक्किम की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और कार्यकर्त्ता यूनियन और एसोसिएशन की समन्वय समिति से इस आशय का एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें गंगटोक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चलाने की बात कही गई थी क्योंकि जिन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं वहां पर चिकित्सा सुविधाएं कम हैं और सरकारी अस्पताल भी वहाँ से दूर हैं ।

(ग) और (घ) सीमित वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए इस प्रस्ताव को मानना सम्भव नहीं था । उपर्युक्त समिति को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित झा-समिति के निष्कर्ष

5583. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की जांच करने के लिए झा-समिति की नियुक्ति के क्या कारण हैं और उसके विचारणीय विषय क्या-क्या हैं;

(ख) जांच के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या ऐसी कोई शिकायत है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की बैठक के कार्यवृत्त में हेराफेरी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह कब की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा इसके कार्यकरण का मूल्यांकन करने और भविष्य में इसके संवर्द्धन और विकास के लिए निर्देशों की सिफारिश करने के लिए मार्च, 1980 में झा समिति नियुक्त की गई थी। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे:—

(i) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से अब तक के इसके कायकरण की समीक्षा करना;

(ii) इन उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और ऐसे उपाय सुझाना जो उन्हें सुदृढ़ बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं;

(iii) विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य-कलापों में बाधाओं, कमियों और असफलताओं की ओर ध्यान देना, उनके कारणों का पता लगाना और भविष्य में विश्वविद्यालय के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक उपाय सुझाना; और

(iv) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप अगले दशक में विश्वविद्यालय के संवर्द्धन और विकास की रूपरेखाओं की सिफारिश करना।

(ख) मई, 1981 में समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे "स्टेटस रिपोर्ट" की आज्ञा दी जाती है। समिति ने यह बताया है कि उसने कुछ सामग्री एकत्र की और कुछ अध्ययनों की योजना बनाई लेकिन वह इसके लिए दिए गए समय के अन्दर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देने और सिफारिशें प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा समिति की "स्टेटस रिपोर्ट" पर अभी विचार किया जाना है।

(ग) राष्ट्रपति को सम्बोधित एक पत्र में जिस पर कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे, यह कहा गया था कि कार्यकारी परिषद की 13 मार्च, 1981 को हुई 84वीं बैठक के कार्यवृत्त में हेर-फेर किया गया।

(घ) यह मामला विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया। विश्वविद्यालय के अनुसार यह कुल सचिव के स्थायीकरण से सम्बन्धित था। 3/4 फरवरी, 1981 को हुई अपनी बैठक में कार्यकारी परिषद् ने कुल सचिव की नियुक्ति की पुष्टि कर दी। बाद में 30 मार्च, 1981 को हुई इसकी बैठक में, कुल सचिव के अनुरोध पर, कार्यकारी परिषद को सूचित किया गया कि उनके स्थायीकरण को आस्थगित कर दिया जाए। तदनुसार कार्यकारी परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि स्थायीकरण के आदेश को आस्थगित कर दिया जाय। कार्यकारी परिषद के दो सदस्यों ने यह कहा कि इस मामले में लिया गया निर्णय सही रिकार्ड नहीं किया गया। बाद में, जून, 1981 में हुई बैठक में दोनों सदस्यों की उपस्थिति में इस मामले पर पुनः विचार किया गया और पारित प्रस्ताव संशोधित किया गया जिसके अनुसार कार्यकारी परिषद् ने कुल सचिव को स्थायी करने, लेकिन स्थायीकरण के आदेश के आस्थगित रखने के अपने पूर्व निर्णय की पुनः पुष्टि की।

इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सीय सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में खपाया जाना

5584. **श्री एन० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सीय, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में खपाने सम्बन्धी कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपममन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने का यन्त्र

5585. **श्री सुब्रह्मणयम् स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) दिल्ली ने एक ऐसा यन्त्र विकसित किया है जो रेल दुर्घटनाएं रोक सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन यन्त्रों का उपयोग भारतीय रेलवे में कब तक किया जाएगा ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपसन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली ने अभी तक ऐसे विश्वसनीय और प्रामाणिक यन्त्र का विकास नहीं किया है जिससे गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।

फिर भी, वे गाड़ियों के बहुत ज्यादा गर्म हो जाने वाले धुरा बक्सों को घटनाओं का पता लगाने के लिए, गर्म बोक्स ससूचक, (हाट बोक्स डिटेक्टर) के नाम से ज्ञात एक यन्त्र को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं यदि समय पर इन गर्म धुरा बक्सों का पता न चले तो जर्नल के टूट जाने और परिणामस्वरूप गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की सम्भावना रहती है, इस प्रकार इस यन्त्र से गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं की रोकथाम में मदद मिल सकती है। यह यन्त्र अभी भी परीक्षण के प्रारम्भिक चरणों में है और भारतीय रेलों पर उसका अपनाया जाना, उसके सफल विकास और क्षेत्र परीक्षणों के दौरान उसके कार्य पर निर्भर करता है।

"इन्डिसक्रिमिनेट यूज आफ ड्रग्स फार मलेरिया" शीर्षक से समाचार

5586. **डा० ए० यू० आजामी** क्या स्वास्थ्य और परिवारे कल्याण मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 सितम्बर, 1981 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में इन्डिसक्रिमिनेट यूज आफ ड्रग्स फार मलेरिया" (मलेरिया की दवाओं का अन्धाधुन्ध प्रयोग) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राइवेट डाक्टर रोग का उचित निदान किए बिना खून की जांच कराए बिना "क्लोरोकुइन" और "प्रिमाकुइन" दवाओं का अन्धाधुन्ध प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण अनेक मामलों को अस्पताल भेजा जाता है और यदि हां। तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मच्छरों का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण मलेरिया के मामलों में भी वृद्धि हो रही है, समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह बात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मलेरिया स्टाफ इन व्यक्तियों की खून की जांच के नमूने लेने, उनके घरों में ही विशेष रूप से सरकारी कालोनियों में जाते हैं जो मलेरिया स्टाफ के पास स्वयं नहीं आते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) स्थानीय निकायों ने मच्छरों और लार्वों को मारने, उन्हें पैदा होने से रोकने, रासायनिक लार्वानाशी दवाइयों का उपयोग करने, मैलेथियन का धुआं छोड़ने और वी० एच० सी० का छिड़काव करने के उपायों को तेज कर दिया है जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 10.3 प्रतिशत घटनाएं कम हुई हैं। दिल्ली प्रशासन बहुत सी एजेंसियों द्वारा किये जा रहे मलेरिया रोधी और मच्छर-रोधी कार्यों की समीक्षा करने तथा उनमें ताल-मेल के लिये पाक्षिक बैठकें बुलाता रहता है।

(घ) इस समय दिल्ली नगर निगम के इलाकों में 105 और नई दिल्ली नगर पालिका के इलाकों में 10 मलेरिया केन्द्र कार्यरत हैं। कई इलाकों में तो मलेरिया केन्द्र 2 कि० मी० की दूरी

के अन्दर-अन्दर ही हैं। आपाती मामलों में इन केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी अधिकारी निगरानी कार्यकर्त्ताओं को लोगों के घरों से रक्त आलेप के लिए भेजते हैं।

सेवारत नाविकों के वेतन में से आयकर के रूप में की जाने वाली कटौतियों को रोकना

5587. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवारत नाविकों के वेतन में से आयकर के रूप में की जाने वाली कटौतियों को रोकने के संबन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : नौवहन महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई सामान्य निर्णय या आदेश नहीं है जिसके अनुसार नाविकों के वेतन में आयकर की कटौती करना मना हो। हाईकोर्ट ने कुछ निर्दिष्ट नाविकों के मामलों में आदेश दिए थे। इसलिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाही करने का प्रश्न नहीं होता।

आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में "बोध अवशेषों" के विकास की योजना

5588. **श्री चित्त बसु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर के आस-पास के स्थानों पर बोध अवशेषों को सुरक्षित बनाए रखने की कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): नागार्जुन सागर के संनिकट पड़ौस में उत्खनित बुद्ध क देहावशेष संरचनात्मक अवशेषों के साथ अनुपु में प्रत्यारोपित कर दिये गये हैं, जिनकी आवश्यकता के अनुसार दीवारों की ढीली ईंटों को दुवारा लगाकर, दीवारों के खुले सिरों को जलरोधी बनाकर और स्थल को स्वच्छ तथा सुथरा रखकर समय-समय पर परिरक्षण किया जात है।

"स्टडीज इन हिस्ट्री" नामक पत्रिका को राज-सहायता दिया जाना

5589. **की दौलत राम सारन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र (सेन्टर फार हिस्टोरिकल स्टडीज) द्वारा प्रकाशित पत्रिका "स्टडीज इन हिस्ट्री" के ग्राहकों की संख्या एक हजार है;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा पत्रिका को प्रतिवर्ष 500 रुपये तक की राज-सहायता दी जाती है और एक अनुसंधान सहायक की नियुक्ति अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ पत्रिका के प्रकाशन में सहायता दिये जाने के लिए की गई है; और

(ग) क्या सीमित ग्राहकों वाले इस प्रकाशन को राज-सहायता जारी रखने का विचार है जो कि सार्वजनिक धन का अपव्यय है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह पत्रिका ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र की ओरसे, एक निजी प्रकाशन सदन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके ग्राहकों की संख्या एक हजार से कम है।

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय द्वारा, इस पत्रिका की निश्चित प्रतियां खरीद कर इस पत्रिका के लिए 5000-रुपये की सीमा तक वार्षिक आर्थिक सहायता की जाती है। इस पत्रिका का ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र द्वारा सम्पादन किया जाता है और केन्द्र का एक अनुसंधान सहायक आंशिक रूप में इस कार्य में लगा हुआ है। पत्रिका के शैक्षणिक महत्व तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इसके प्रकाशन तथा वित्त पोषण की जिम्मेदारी एक निजी प्रकाशक की है, विश्वविद्यालय का इस पत्रिका को अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के मौजूदा प्रबन्ध को जारी रखने का प्रस्ताव है।

कांचरापारा रेलवे वर्कशाप द्वारा बेरोजगार युवकों का शोषण

5590. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांचरापारा रेलवे वर्कशाप के रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित श्रम प्रणाली तथा बेरोजगार युवकों के शोषण के बारे में दिनांक 5 नवम्बर, 1981 और 16 नवम्बर, 1981 के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) वर्ष 1977-78 के दौरान रेलवे कालोनियों में, मच्छरों की परेशानी से बचने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने की दृष्टि से, निकटस्थ 'बागेरखाल' नामक पानी की नाली सहित, काड़ियों को साफ करने और रुके हुए पानी को निकासी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। यह कार्य मुख्यतः स्टेशन समिति, जो इस प्रकार के कार्य के लिए एक सरकारी संगठन के द्वारा किया गया था। तथापि, कुछ स्थानीय युवक भी, स्वेच्छा से इस अभियान में शामिल हो गये। इनमें से कुछ स्वयं सेवकों ने श्रेणी-iv के इस पेनल में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया था जो कि बाद में 1978-79-80 में बनाया गया था। उनमें से कुछ को उनके गुणदोषों के आधार पर भरती किया गया था।

इस प्रकार के 9 स्वयं सेवकों की ओर से, अपर मुख्य बिजली इंजीनियर, कंचरापाड़ा को दिसम्बर, 1980 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसके साथ श्री जे० सी० दास, विधान सभा सदस्य, पश्चिम बंगाल, का एक अग्रेषण पत्र था, जिसमें स्वैच्छिक सेवाओं के आधार पर उनको श्रेणीiv के पेनल में शामिल कर लिये जाने की सिफारिश की गई थी। चूंकि iv में नौकरी दिये जाने का कोई बचन नहीं दिला गया था, अतः पेनल में उनको शामिल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को पेंशन

5591. **श्री टी० आर० समन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 के पूर्व अथवा उसके पश्चात् भर्ती हुए रेल कर्मचारियों को पेंशन किस प्रकार निर्धारित की जाती है;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1969 से 14 जुलाई, 1972 के बीच सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को दिये गए विकल्प को वापस लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जून, 1972 में संसद में यह आश्वासन दिया था कि एक कर्मचारी के मामले पर वेतन आयोग द्वारा अनुकूल विचार किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की पुनः जांच करने के लिये तथा न्याय करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सेवा-निवृत्ति के समय प्रचलित मानक नियमों के अनुसार रेल कर्मचारियों की पेंशन निर्धारित की जाती है।

(ख) और (ग) 1957 से रेलों पर पेंशन योजना लागू करते समय जब कभी पेंशन योजना में संशोधन किये गये अथवा वेतन लाभ के उदारोकरण का पेंशन की राशि पर प्रभाव पड़ा, रेल कर्मचारियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत आने के लिए समय-समय पर अनेक विकल्प स्वीकार किये गये। 1-4-69 से 14-7-72 तक की अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया, अतः विकल्प लेना आवश्यक नहीं था। अतएव, उपर्युक्त अवधि में विकल्प को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता। वेतन आयोग को विचार-विमर्श अवधि से विकल्पों का कोई परोक्ष संबंध नहीं होता। यदि दोनों योजनाओं के पक्ष-विपक्ष को तोलने के बाद भी कर्मचारियों ने जान-बूझ कर सेवा निवृत्ति पूर्व पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना, इसलिए उनका निपटान अंशदायी भविष्य-निधि नियमों के अन्तर्गत कर दिया गया था।

(घ) अतएव, किसी प्रकार की समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनी में माल की ढुलाई/उतराई (हैंडलिंग) के ठेके

5592. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनी में 21 सितम्बर, 1968 से 20 सितम्बर, 1971 तक माल की ढुलाई/उतराई (हैंडलिंग) के बारे में उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा क्या निर्णय दिया गया था और उसे किस तारीख को प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या मंडल अधीक्षक इलाहाबाद द्वारा मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार किया गया था;

(ग) क्या पंचाट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि पंचाट की घोषणा की तिथि के चार सप्ताह के भीतर धनराशि का भुगतान कर दिया जाय, जिसका भुगतान न किये जाने पर दावे के भुगतान किये जाने तक रेलवे को 6 प्र०श० वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर रेलवे अपने अधिकारी जिसे उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा एकमात्र मध्यस्थ मनोनीत किया गया था, के पंचाट को पूरा किये जाने में विफलता के क्या कारण हैं और अनावश्यक मुकदमें बाजी तथा दावेदार पक्ष की परेशानी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्यस्थ द्वारा प्रतिभूति की वापसी के संबंध में 9,560/- रु० और 2,500/-रु० देने का निर्णय किया गया था और 20 जनवरी, 1978 को उसे प्रकाशित किया गया था।

(ख) मंडल रेल प्रबंधक इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) एक मात्र मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में आपत्तियां दायर की गयी हैं और मामला अभी न्यायाधीन है।

टोंड रेलवे शेड में रिक्तियां

5593. **श्री एस० मुरुगैयन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोंड रेलवे शेड (मध्य रेलवे-पूना शोल्हापुर लाईन) महाराष्ट्र में अभी तक रिक्त पदों को भरने के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों के लिये अपेक्षित शैक्षिक योग्यतायें क्या है;

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिये अब तक विशेषकर गत तीन महीनों के दौरान क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) टौंड लोको शेड में रिक्तियों को स्थिति के आंकड़े नहीं रखे गये हैं और समय-समय पर जितना भी आवश्यक और संभव होता है इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की जाती है। अप्रैल, 1981 में बायलर मेकर कुशल को 14, फिटर कुशल को 6 और मशीन शाप मिस्त्री को 1 रिक्त को भरा गया।

24-11-81 को इस लोको शेड में बायलर मेकर कुशल की 7 और फिटर कुशल की 8 रिक्तियां थीं। इन पदों को निम्नलिखित के अनुसार भरा जाता है (i) 50% वरिष्ठता के आधार पर निचले शेड में कार्यरत कर्मचारियों में से, बशर्ते कि वे व्यवसाय परीक्षा पास कर लें। (ii) 25% पद एक्ट अप्रेंटिसेस/आई० टी० आई० कोर्स पूरा कर लेने और पास अभ्यर्थियों में से सलेक्शन के द्वारा और बाहरी मैट्रिक परीक्षा पास अभ्यर्थियों में से, और (iii) 25% पद कार्यरत अर्द्ध कुशल और अकुशल कर्मचारियों में से, जिनको निम्नतम शैक्षिक अर्हता 8 वाँ कक्षा हो बशर्ते कि अभ्यर्थी ने 6 मास का प्रशिक्षण पूरा किया हो और अर्हता व्यवसाय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसके लिए ट्रेड टैस्ट लिये जा रहे हैं, किन्तु इसी के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या की भी समीक्षा की जा रही है क्योंकि दौंड टोंड में 8 रेल इंजन कम हो गये हैं और पूना डीजल रेल इंजन शेड ने कार्य शुरू कर दिया है।

पुरानी रोहतक रोड और आजाद मार्केट के बीच एक ऊपरी पुल (फ्लाई ओवर) का निर्माण

5594. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से

पुरानी रोहतक रोड और आजाद मार्केट के बीच यातायात की सुविधा के लिए एक उपरि पुल बनाने तथा चौराहे/क्रासिंग में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक पूरा किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस फ्लाई-ओवर के लिए संरक्षण नक्शा अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना है। संरेखन के अनुमोदन के बाद, अनुमान तैयार करने, धनराशि की व्यवस्था करने आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी करने की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाएंगी। प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है, और इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह काम कब तक पूरा होगा।

हाकी टैस्ट देखने हेतु पाकिस्तान द्वारा वीजा दिये गये व्यक्तियों की संख्या

5595. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
श्री अशफाक हुसैन } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "थाऊजैण्ड्स वेट इन वेन फार पाक वीजास" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने नवम्बर 1981 में पाकिस्तान में खेले गये हाकी टैस्ट को देखने के लिए कितने व्यक्तियों को वीजा दिया;

(ग) इस प्रयोजन हेतु पाकिस्तान द्वारा लगभग कितने व्यक्तियों को वीजा नहीं दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; यदि हां, तो उनका उत्तर क्या था; और

(ङ) भारत में ऐसे मैच देखने हेतु पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार की एक घोषणा के अनुसार नवम्बर, 1981 में पाकिस्तान में भारत-पाकिस्तान हाकी टैस्ट देखने के लिए भारतीयों को 500 वीजा जारी किये गये थे।

(ग) जो भारतीय राष्ट्रिक अमृतसर में वीजा की प्रतीक्षा में थे उन्हें वीजा नहीं मिल सका। चूंकि भारतीय राष्ट्रिकों को यह वीजा पाकिस्तान प्राधिकारियों में द्वारा जारी किया गया था अत: इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

(घ) पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया था लेकिन उन्होंने आखिरी मौके पर इस संख्या में वृद्धि करने पर अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

(ङ) इस मामले में सरकार की नीति उदार है तथा हाकी टैस्ट देखने के लिए भारत आने वाले पाकिस्तान राष्ट्रिकों की संख्या पर कोई पावन्दी नहीं रखी गयी थी।

थाण के लाइसेंसशुदा कुलियों की ओर से अभ्यावेदन

5596. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाणे के स्टेशन मास्टर को (मध्य रेलवे, महाराष्ट्र) महाराष्ट्र से एक पत्र संख्या टी० के० 6/9/81 दिनांक 12 सितम्बर, 1981 प्राप्त हुआ है जिसके साथ वहां कार्य कर रहे लाइसेंस प्राप्त कुलियों द्वारा अभ्यावेदन किया गया है;

(ख) उक्त लाइसेंस प्राप्त कुलियों के अभ्यावेदन में क्या मांगें की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारी क्या कार्यवाही कर रहे हैं/करने का विचार है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां ।

(ख) मांगों का सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

1. लाइसेंसधारी भारिकों की नियमित भुगतान ।
2. अतिरिक्त लाइसेंसधारी भारिकों की नियुक्ति ।
3. अनधिकृत-भारिकों की व्यवस्था ।
4. विश्राम कक्ष की व्यवस्था ।
5. पार्सल भारिकों के रिक्त स्थानों को लाइसेंसधारी भारिकों द्वारा भरा जाना ।
6. घायलों और मृतकों को उठाने के लिए प्रभारों का तुरन्त भुगतान ।
7. निःशुल्क चिकित्सा ।
8. लाइन बक्सों का एक यार्ड से दूसरे यार्ड तक ले जाना ।
9. प्लेटफार्मों से पैदल-मार्गों की व्यवस्था ।
10. गर्म वर्दियों को सप्लाई ।

(ग) वर्तमान नीति की परिधि के अन्तर्गत इन पर विचार किया गया है और जहां व्यावहारिक पाया जाता है, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

पूसा रोड औषधालय में एक सी० जी० एच० एस० लाभप्राप्तकर्ता श्री शिव लाल की मृत्यु

5597. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० जी० एच० एस० टोकन सं० 95615 लाभ प्राप्तकर्ता 22 वर्षीय श्री शिवलाल सुपुत्र श्री गंगाराम जो सी० जी० एच० एस० (सं० 18) से उपचार प्राप्त कर रहा था, की 25 जून, 1981 को मृत्यु हो गई है;

(ख) क्या मृतक के पिता ने यह आरोप लगाया था कि डाक्टरों की लापरवाही के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है और उसने उस सम्बन्ध में मन्त्री को भी एक लिखित शिकायत भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध का गई कार्यवाही सहित इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई है और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

इलाहबाद में साइकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग का ठेका

5598. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० रेलवे मजदूर संघ श्रम संविदा सहकारी समिति लि० इलाहाबाद ने दि० 15 अक्तूबर, 1981 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था तथा इलाहाबाद में (सिटी साइड) साइकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग के लिये टेण्डर भेजा था; और

(ख) यदि हां तो उक्त अभ्यावेदन में क्या-क्या मामले उठाए गए थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केवल निविदाओं पर, न कि उनके साथ भेजे गये अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया जाता है।

पाकिस्तान की सहायता के लिए हिन्द महासागर से पांचवें बेड़े को रखना

5599. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री बी० वी० देसाई
श्री के० पी० सिंह देव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका हिन्द महासागर में पांचवें नौसैनिक बेड़े को स्थाई तौर से रखने और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिका सुरक्षा व्यवस्था के साथ पाकिस्तान को भागीदार बनाने का विकल्प देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत के लिए और समस्याएं खड़ी होंगी और यह पाकिस्तान के लिए सहायक होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका हिन्द महासागर में एक स्थायी नौसैनिक बेड़ा रखने का विचार कर रहा है। अखबार में तो इस प्रकार की खबरें छपी हैं कि अमरीका पाकिस्तान में नौसैनिक सुविधायें प्राप्त करने की कोशिश करेगा लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसे मानने से इन्कार किया है।

(ख) और (ग) हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति के विरुद्ध सरकार की नीति सर्वविदित है। इसके खिलाफ हमने संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों

पर भी अपनी आवाज उठाई है क्योंकि बाहरी शक्तियों की उपस्थिति से हमारे पड़ोस में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है जो कि शांति और स्थायित्व के लिए खतरनाक है।

श्रम मन्त्रालय के एक दल द्वारा उत्तर प्रदेश में पोलि-टेकनीकों का ब्यौरा

5600. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्रलय के विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने वाणिज्यिक एवं सचिवालयीय व्यवहार में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के पोलिटेकनीकों के कार्यकरण की जांच के लिए उनका दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण के बारे में इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या स्टेनोग्राफी के क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को इस समिति के साथ सम्बद्ध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है और वे किस क्षेत्र के थे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान अपहरणकर्ताओं की वापसी

5601. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री सूरज भान
श्री अटलबिहारी वाजपेयी
श्री निहाल सिंह } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर, में इण्डियन एयर लाइन्स के बोइंग विमान का अपहरण कर उसे पाकिस्तान ले जाने वाले पांच व्यक्तियों को भारत वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से इन विमान अपहरणकर्त्ताओं की वापसी की मांग की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कई बार इस्लामाबाद में हमारे राजदूत को यह आश्वासन दिया है कि ये अपहरणकर्ता भारत को लौटा दिए जाएंगे। अब इस आश्वासन के पूरा किए जाने की प्रतीक्षा है।

अधिक होलीडे होम बनाना

5602. **श्री ए० नीलालोहिया वसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने होली-डे होम हैं;

(ख) क्या सरकार के पास नये होली डे होम बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कन्याकुमारी में एक होली डे होम बनाने का प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 28

(ख) जी हां।

(ग) 1. दार्जिलिंग

2. मडगांव (गोवा का संघ क्षेत्र) में गोलवा बीच।

3. तिरुमलै पहाड़ियां, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)

4. पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)

(घ) कन्यकुमारी में अवकाश-गृह का निर्माण किया गया है और 29-11-79 से इसका उपयोग शुरू कर दिया गया है।

"रेड लाइट रिटायरिंग रूम्स" शीर्षक से समाचार

5603. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1981 के 'प्रोब' समाचार पत्रिका में 'रेड लाइट रिटायरिंग रूम्स' शीर्षक से प्रकाशित लेख के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्टेशन सुपरिन्टेंन्ट ने बहुत समय पहिले सितम्बर, 1981 में इस बारे में उत्तरी रेलवे के डिवीजनल रेलवे मैनेजर को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य शिकायतों पर रेलवे सतर्कता विभाग ने भी इन रिटायरिंग रूम्स पर छापे मारे थे;

(घ) इन छापों के क्या परिणाम निकले;

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की और अपराधियों के नाम क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि इसमें कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं;

(छ) क्या रेलवे ने पुलिस में कोई प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाई; और

(ज) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है, यदि हां, तोप्रथम सूचना प्रतिवेदन का सारांश क्या है ?

रेल तथा संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। नेमी और अचानक जांच की जाती है और किन्हीं प्रकार की

कमियों की ओर ध्यान दिलाये जाने पर कार्रवाई की जाती है ।

(च) जी नहीं ।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में पदों को निर्धारित किया जाना

5604. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जिले के दिल्ली प्रशासन से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा सत्र 1981-82 के लिए पदों के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और स्कूलों को यह सूचना दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो पदों के निर्धारण को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा;

(ग) पिछले दो सालों से पदों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने में होने वाले आवश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) पदों के निर्धारण में हुए अनावश्यक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या इस शर्त में ढील देने का प्रस्ताव किया गया था कि अध्यापकों की नियुक्ति फरवरी के बाद नहीं करनी चाहिए ?

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जिला (पूर्व) के अन्तर्गत 91 सहायता-प्राप्त स्कूलों में से, 4 स्कूलों को छोड़कर सभी के मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । शेष 4 स्कूलों के मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) सहायता-प्राप्त स्कूलों के लिए पद निर्धारण का कार्य प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक के वास्तविक दाखिले के आधार पर किया जाता है । तत्पश्चात्, क्षेत्रीय अधिकारी प्रस्तावों को शिक्षा निदेशालय के पास भेजता है जहां उनकी जांच की जाती है और मंजूरी जारी की जाती है । इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने तक का समय लग जाता है ।

(घ) जी, नहीं ।

विशेष पोषक आहार योजना

5605. **श्री ए० नीलालोहिया दसन नाडार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सरकार की कोई विशेष पोषक आहार योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वित्तीय वर्ष में समूचे देश में योजना पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) उस अवधि के दौरान केरल द्वारा इस पर कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विशेष पोषाहार कार्यक्रम और मध्य दैनिक भोजन कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय योजनाओं के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) 100% केन्द्रीय सहायता के साथ 1970-71 में विशेष पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया गया था। पांचवीं योजना में इसे राज्य स्तरीय योजना के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। इसका उद्देश्य एक वर्ष में 300 दिनों तक 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रति बालक 300 कैलोरी और 10-12 ग्राम प्रोटीन तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में प्रति माता 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन का पूरक पोषाहार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का शहरी गन्दी बस्तियों, आदिवासी और पिछड़ हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। पूरक पोषाहार का संशोधित अनुमोदित मूल्य 25 पैं० प्रतिदिन प्रति बच्चे और 50 पैं० प्रतिदिन प्रति माता है। गत वर्ष की, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या लगभग 80 लाख है।

मध्य दैनिक भोजन कार्यक्रम को 1962-63 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रथम से पाँचवीं कक्षा तक के स्कूलों के बच्चों को मध्य-दैनिक भोजन और एक वर्ष में 200 दिन प्रति दिन प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन का पूरक पोषाहार प्रदान करना है। पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। पूरक भोजन का अनुमोदित मूल्य 25 पैं० प्रतिदिन प्रति बच्चा है। गत वर्ष की इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्त कर्त्ताओं की संख्या लगभग 170 लाख है।

(ग) 1980-81 के दौरान योजनाओं पर हुआ व्यय लगभग 32.11 करोड़ रुपए था।

(घ) 1980-81 के दौरान, विशेष पोषाहार कार्यक्रम और मध्य दैनिक भोजन कार्यक्रम हेतु केरल द्वारा खर्च की गई धनराशि क्रमशः 86.00 लाख रु० और 16.50 लाख रु० है।

बाल विकास

5605क. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाल विकास के लिए कोई भावी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) बाल विकास के लिए परिप्रेक्षा योजना 1980-2000 तैयार

करने के वास्ते एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। कार्यकारी दल ने परिप्रेक्ष योजना तैयार कर रहा है, और उसने काफी हद तक उसे तैयार कर लिया है।

बाल अपचारी और उपेक्षित बच्चों के लिए "रिसैप्शन हाउस"

5605ख. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अपचारी तथा ऐसे उपेक्षित बच्चों, को, जिन पर किसी अपराध का दोष नहीं था, शास्त्रीय तथा व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए "रिलैप्शन हाउस" और सुधारक विद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सरकारों द्वारा "माडल" के रूप में स्थापित किए गए सुधारक स्कूलों के कार्यकरण से सन्तुष्ट हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों एवं संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बाल अपचारियों और उपेक्षित बच्चों के लिए कानून लागू करना राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। विभिन्न राज्यों में बाल अधिनियमों के अधिनियमन से पूर्व रिफोर्मेटरी स्कूल एक्ट, 1897 में विवेकाधीन आधार पर जेलों को भेजे गए 15 वर्ष से कम आयु के अपचारी बच्चों की विशेष देखभाल, शिक्षा और उपचार के लिए सुधारात्मक स्कूलों को स्थापित करने के लिए उपबन्ध था। जांच के दौरान बच्चों को स्थायी रूप से रखने के लिए बाल अधिनियमों में रिमान्ड/आबजरवेशन होम्स को स्थापित करने का उपबंध है। संस्थागत उपचार के प्रयोजनों के लिए अपचारी बच्चों के लिए विशेष/स्वीकृत/प्रमापित स्कूल स्थापित किए गए हैं तथा उपेक्षित बच्चों के लिए बाल गृहों को बाल अधिनियमों के क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। इस समय उड़ीसा, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने बाल अधिनियम अधिनियमित कर लिए हैं जबकि बिहार ने भी आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है।

(ख) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बाल अधिनियम लागू होने से रिफार्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, जिसमें रिफार्मेटरी स्कूल को स्थापित करने का उपबंध किया गया था, अब रद्द हो गया है। बाल अधिनियमों के अधीन स्थापित की गई संस्थाओं के संतोषजनक कार्य के संबंध में उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के कारण भारत सरकार की इस संबंध में कोई योजना नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आज, कम से कम अन्तिम दिन तो यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं विनम्र तथा विनती निवेदन करूँ । कल आप ने कहा था कि आप को महाराष्ट्र विधान मण्डल से एक पत्र प्राप्त हुआ है । आपने कहा था कि वह मुझे भेज दिया गया है । प्रथम बात यह है कि मैं अपने वक्तव्य में शुद्धि करना चाहता हूं ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सचिवालय ने वह प्रति मुझे भेज दी है । यह मेरी गलती थी कि वह कहीं खो गयी । मैंने इसे देख लिया है उस पत्र के सम्बन्ध में मैंने अपना स्पष्टीकरण आपको भेज दिया है । मैंने कहा है कि महाराष्ट्र विधान मण्डल मुख्यमन्त्री को महाराष्ट्र विधान मण्डल के साथ बराबर मानने का प्रयास कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है । नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मुख्य मन्त्री की निन्दा का अर्थ विधान मण्डल अपनी निन्दा से लगा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस बात से सहमत होंगे कि मैंने आपको स्पष्टीकरण भेज दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्टीकरण मुझे भेज दिया है मैं इसका अध्ययन करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह सोच रहा था कि आप ने उसका अध्ययन कर लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययत करने जा रहा हूं । मैं उन सभी का अनुवाद करा रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी एक कठिनाई है । कृपया उसे ध्यान में रखिये । मैंने···के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया है । मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि आपको इस बारे में अवश्य ही शीघ्र निर्णय ले लेना चाहिए । मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री ए० आर० अन्तुले के विरुद्ध ऋण याचिका दायर की है । वह विशेषाधिकार के इस साधन का उपयोग इसे ध्याय से कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पड़े । बचाव पक्ष का वकील न्यायालय में खड़ा होकर कहेगा कि मधु दण्डवते की याचिका ही दोषयुक्त है और कि इसे इस विशेषाधिकार भंग के मामले के माध्यम से चुनौती दी गई है और इस प्रकार वे इस अन्तुले सम्बन्धी मुकदमे के स्थगत का प्रयास करेंगे जा रहे हैं । अत: मैं यह मांग करता हूं कि आप अपना विनिर्णय शीघ्र देने का प्रयास करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भरसक प्रयास करूगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : अन्तर्सत्रावधि में आप विनिर्णय कैसे दे सकते हैं ?

अन्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । मुझे इस पर विचार करना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक तुच्छ मामला है । आप सीधे ही क्यों नहीं कह देते कि "मैं इसे नां मंजूर करता हूं और आप को अनुमति नहीं देता"!

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो कल आप कहेंगे "आप ऐसा कर रहे हैं।"

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मैं आपके स्थान पर होता, तो मैं इसे विशेषाधिकार का एक तुच्छ मामला समझता। मैंने इसे एक सैकंड में ही नामंजूर कर दिया होता। मैंने अपने स्पष्टीकरण में अपना मामला स्पष्टतया बना रहता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही चीज श्री जेठमलानी को भी भेजी है। वह भी मेरे पास आनी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने आप को बता दिया है। प्रधान मन्त्री विरुद्ध याचिका पर भी (व्यवधान) विचार नहीं किया जाता····(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। जो कुछ भी आपने कहा है उस पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इसे सीधा ही नामंजूर किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर यथा शीघ्र विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आप से सलाह लेना चाहता हूं। मैं अपने वकील से क्या कहूं? उदाहरणार्थ न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। आपकी क्या सलाह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वकील नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु आप मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मुझे यह अपने कर्त्तव्य के रूप में करना है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यह करना है।

प्रो० मधु दण्डवते : विनिर्णय देने में विलम्ब करके आप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। आप यह चाहते हैं। केवल अन्तुले ही ऐसा चाहते हैं। किन्तु आप भी···बाधा डाल रहे है। (व्यवधान)।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर): महोदय, उन्होंने यह कहा हैं : आप न्यायिक कार्य में बाधक बन रहे हैं। इस बात को नोट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : उनकी अंग्रजी कमजोर लगती है।

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक दूसरा नोटिस भी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विधि मन्त्री ने वादविवाद के दौरान कहा है कि पुलिस को तैनात करने के बारे में गृह मन्त्रालय और चुनाव आयोग के बीच कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि

विचार विमर्श हुआ था। मैंने कुछ पेश किया था जो 23 दिसम्बर को सभा पटल पर रखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज फिर पत्र भेजा है। मैंने उनको लिखा गया पत्र आप को फिर भेजा है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसके सम्बन्ध अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने यह पत्र पुनः भेजा है

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। मैं इस पर आपत्ति नहीं करूंगा। किन्तु आज "इंडियन एक्प्रेस" .....मैं श्री वी० के० नेहरू ने कहा है कि बहुत से मन्त्री भ्रष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का स्थगत प्रस्ताव देखा है। हमने इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया था। उन्होंने यह कहा था कि कोई विशेष मामला होना चाहिए। अब समय नहीं रहा है। अगली बार यदि आप इसे देंगे, तो हम इस बारे में निर्णय कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि मैं अगले सत्र में प्रस्ताव देता हूं, तो क्या उसे स्वीकार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हमने कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय किया था, उसके अनुसार आप हमें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखें।

श्री सतीश अग्रवाल : आज सत्र का अन्तिम दिन है। आप कृपा करके यह याद रखें कि मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हूं। मैं एक मिनट भी इसे नहीं भूला हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : वह पार्टी आपको उत्तर भेज रही होगी।

अध्यक्ष महोदय : वहां कितना समय लगा सकता है ? मुझे यह देखने दीजिये।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्ततः उन्हें उत्तर देना ही होगा।

नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। किन्तु बात यह है कि भारतीय बैंक ने भारी कमी कर दी है .....।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी नहीं।

श्री नीरेन घोष : उसने कमी कर दी है.....

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगत प्रस्ताव के निमित्त एक गम्भीर मामला नहीं है। कोई प्रश्न न किया जाये। इसकी अनुमति नहीं है.....(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप तो पुराने संसद विद हैं। आप ऐसा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है कि अधिकांश मंत्री भ्रष्ट हैं.....ऐसा कहा गया है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात 'संडे' पत्रिका में भी कही गयी है। इसका कुछ उत्तर तो दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कोई दूसरा कुछ बोले, उसका भी हिसाब होना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वास्तव में सारी सरकार ही भ्रष्ट है।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना): अध्यक्ष जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी और प्रोफेसर आंदोलन चला रहे हैं। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय इस पर अपना बयान दे दें कि क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका 377 का स्टेटमेंट कर दिया। इस विषय पर हमने यह कर दिया है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है। आज सवेरे टेलीग्राम मिला है कि इलाहाबाद के चार हरिजनों को पुलिस पकड़ कर ले गई...(**व्यवधान**).....उनको फर्जी.....(**व्यवधान**).....इलाहबाद के चार हरिजनों को जिला अधिकारी के.....(**व्यवधान**).....

अध्यक्ष महोदय : कभी तो सुन लिया करो मेरी बात। आपने कभी सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। आपने सुना होगा कि उपवास कभी-कभी सेहत के लिए अच्छा होता है, कभी तो आप उपवास कर लिया करो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है, मैं क्या करूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अननैसेसरिली इस बात को कर रहे हैं। आप हाउस की मर्यादा को नहीं चलायेंगे, तो कौन चलायेगा। मैंने बताया है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आदमी तो आदमी होता है। अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवास (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है–एक तो प्रीवलैंज नोटिस दिया है–मैनपुरी, देवली के एस० पी० के सम्बन्ध में और·····

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी उसका ऐसा था; मैंने पूछा था, उसमें स्पैसिफिकली नहीं बुलाया गया था।

श्री राम विलास पासवान : कौन नहीं बुलाया गया ? उसमें होम मिनिस्ट्री की जवाबदेही है, कमेटी की जवाबदेही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कमेटी ने नहीं बुलाया था, अच्छा होता यदि अपने आप होता।

श्री राम विलास पासवान : हमने फाइंड- आउट किया है, कमेटी की जवाबदेही नहीं होती है, आफिसर को बुलाने की, होम मिनिस्ट्री की जवाबदेही होती है कि पार्लियामैंट्री कमेटी शैड्यूल्ड कास्ट्स शड्यूल्डट्राइब्स के सामने आए। उसको सम्मन करे।

दूसरा, मैंने एक एडजॉर्नमिट मोशन दिया है। वादली क्षेत्र के किसान लोग प्रधानमन्त्री के निवास स्थान पर लैण्ड के सम्बन्ध में अनशन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी वात सुनिए। हाउस ने डिसकशन किया, कॉलिंग एटैंशन हुआ और सर्वसम्मत से इस हाउस का मत था कि उन किसानों को मुआवजा पूरा ठीक ढंग से दिया जाए, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। यह किसानों की जमीन, जमीन नहीं माँ है। उस समय हाउस में एक आदमी ने विरोध नहीं किया था। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इम्प्रैस हो गई है। अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर नया कानून ला रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : कहां ला रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री राम विलास पासवान : वे तो अनशन पर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हाउस की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से इस हाउस ने सर्वसम्मत व्यक्त की, इनका घर पूरा होना चाहिए, चाहे रिट्रास-पैक्टिव इफक्ट हो, चाहे उसका नोटिफिकेशन कैन्सिल करके हो, लेकिन हो, उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए—ऐसा हाउस का मत था और सारा व्यक्त कर दिया गया। इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : सरकार को आप डायरैक्शन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कहा हुआ है। हाउस की सबसे बड़ी डायरैक्शन है या मेरी डायरक्शन है।

श्री राम विलास पासवान : इसके बाद सरकार काम नहीं करेगी, तो क्या कीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप और हम यहीं मौजूद हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : हरिजनों की निर्मम हत्या····

अध्यक्ष महोदय : कहां ?

श्री मनीराम बागड़ी : देवली काण्ड···

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आज डिसकशन हो रहा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : राष्ट्रीय नेता राज नारायण श्रीमती इन्दिरा गांधी को हराने वाला नेता भूख हड़ताल पर बैठा हो···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज देवली के बारे में डिसकशन शाम को करवा दिया है। ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : वह इलैक्शन कमीशन करेगा, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है । सरकार का कोई वास्ता नहीं है । (**व्यवधान**)

मैं यह नहीं करूंगा । यह चुनाव-आयोग का काम है । इसकी अनुमति नहीं है । उनको जाकर बोलिए, बन्द करें, छोड़ दें ।···(**व्यवधान**) ··

अध्यक्ष महोदय : जयपाल सिंह जी आप क्यों बोलते हैं ? आप रोज नजायज तौर पर बोलते हैं, यह ठीक बात नहीं है ।

कुछ प्रासंगिकता भी तो होनी चाहिये । यह बहुत ही असंगत और उत्तरदायित्वविहीन बात है ।····(**व्यवधान**)···

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मेरे ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्तावों को एक-एक करके रद्द कर दिया गया है । आप यह कहकर मेरा समाधान करना चाहते थे कि जो विषय उठाया जाना है वह समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है । हमने इस बारे में समाधान किया कि यह विषय अनुसूची vii की मद संख्या 28 के अनुसार समवर्ती सूची में आता है । अत: आपको दोनों ही प्रस्तावों को चर्चा के लिए स्वीकृत करना चाहिये । आपने उन्हें स्वीकृत नहीं किया । तिरुचन्दूर मन्दिर हत्याकाण्ड तथा पाल आयोग के प्रतिवेदन और अन्ना द्रविड़ मुनेज कष्गम के नेता द्वारा उसकी घोषणा के बारे में तथा उसके परिणाम से सम्बद्ध यह एक गम्भीर मामला है । चूंकि यह तमिलनाडु से सम्बद्ध बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है तो आप इसे नियम 377 के अधीन मेरे दल के माध्यम से उठाने की हमें अनुमति दीजिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मैंने नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दे दी है। (व्यवधान)

श्री के० मायातेवर : आप हमारी सहायता कतई नहीं करते हैं । यह सब क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री बी० डी० सिंह : देश में···

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, छोड़िए । फिजूल की बात मत करिए । ·····(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल कहा था कि देवली का मामला आज आ रहा है । आप उनको बोलिये कि अनशन छोड़ दें । ·····(व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, उनको मेरी तरफ से कह दीजिये । ·····(व्यवधान)·····

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठ कर चले गये ।)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) पोत परिवहन विकास निधि समिति (लेखाकार) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1030 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पोत परिवहन विकास निधि समिति (स्टाफ कार ड्राइवर और ग्रुप 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1031 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी०–3216/82]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956

की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—3217/82]

भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—3218/82]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग बम्बई की वर्ष 1979-80 समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी, और ग्रामोद्योग, आयोग बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और सांख्यिकीय विवरण ।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3219/82]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचना

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 620 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो मैसर्स एंजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाये जाने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3220/81]

मुख्य सिंचाई योजनाओं में विलम्ब के बारे में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में दिनांक 30.11.81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के उत्तरों को शुद्ध करने वाले विवरण

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मुख्य सिंचाई योजनाओं में विलम्ब के बारे में श्री हरिनाथ मिश्र के 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3221/81]

(2) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में सर्वश्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति और जी० नरसिम्हा रेड्डी के 30 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1191 के उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3222/81]

चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम लि०, चण्डीगढ़ की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं श्री चरणजीत चानना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षक लेखे ।

(2) चण्डीगढ़ लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3223/81]

दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसे सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची, की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, कश्मीर की वर्ष 1980-82 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि-आदि

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन—खण्ड I और II (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण तथा प्रतिवेदन के खण्ड III को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3224/81]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाऊंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी, रांची के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाऊंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालाजी रांची के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3225/81]

*दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्ष 1979 का वार्षिक प्रतिवेदन—खण्ड I से III का अंग्रेजी संस्करण 23 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(3) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3226/81]

(4) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, कश्मीर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, कश्मीर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3227/81]

(5) (एक) भारत प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3228/81]

(6) (एक) कर्नाटक क्षत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इजीनियरी कालेज, सूरतकल के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3229/81]

(8) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(9) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3230/81]

(10) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3231/81]

(11) (एक) विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) विश्वेश्वरया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3232/81]

(12) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3233/81]

(13) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर (असम) के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर (असम) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3234/81]

(14) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरुक्षेत्र के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3335/81]

(15) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3336/81]

(16) (एक) शिशु प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र) बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) शिशु प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र) बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3237/81]

(17) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(18) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3338/81]

(19) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3239/81]

(21) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(22) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3240/81]

(23) (एक) सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत (गुजरात के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) सरदार बल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत (गुजरात) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3241/81)

(24) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र) मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास की वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3242/81)

(25) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, दिल्ली बंगलौर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3243/81)

(26) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त मद (26) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त मद (27) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 3244/81)

(28) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(29) उपर्युक्त मद (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3245/81)

(30) (एक) बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालय के 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—खंड-एक और दो।

(दो) उपर्युक्त मद (30) के (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3246/81]

(31) (एक) बाल भवन सोसाइटी (इंडियन), नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) बाल भवन सोसाइटी (इंडियन), नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3247/81)

(32) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 मास की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3248/81]

(33) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 19880-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3249/81]

रसायन तथा संवर्गी उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कलकत्ता की वर्ष 1980/81, व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 और भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता की वर्ष 1980-81 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं श्री खुर्शीद आलम खान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रसायन तथा संवर्गी उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन तथा संवर्गी उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3050/81]

(2) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3451/81]

(3) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3252/81]

यूनानी औषधि अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का वर्ष 1977-79 का प्रतिवेदन और उसके सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अधिसूचना, भारतीय चिकित्सा शिक्षा उन्नयन संस्था, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण, आदि-आदि ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : मैं श्री निहार रंजन लास्कर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) यूनानी औषधि अनुसंधान केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखा और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(2) उक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–3353/81]

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 13 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 290 (ङ) में प्रकाशित हुए थे और उनका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 891 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 503 (ङ) में प्रकाशित हुए थे और उनका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 5

5 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1056 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सख्या एल० टी०3354/81]

(4) भारतीय चिकित्सा शिक्षा उन्नयन संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय चिकित्सा शिक्षा उन्नयन संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०3255/81]

मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन अधिसूचनाएं और उनके सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाले पाँच विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति—

(एक) दिल्ली मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 1980, जो दिनांक 18 सितम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (26)/80–टी० पी० टी०/9014 में प्रकाशित हुए थे,

(दो) दिल्ली मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 1980, जो दिनांक 16 जनवरी, 1981 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (19)/80–टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 31 मार्च, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (16)/80–टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (34)/80 टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) दिल्ली मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनाँक 29 अप्रैल, 1981 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (33)/80–टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(छ) दिल्ली मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (12)/81–टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपरोक्त मद (1) की मद (एक) से (पांच) तक में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले पांच विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०3256/81]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवाँ संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 642 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) सा० का० नि० 643 (ङ) जो 7 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा मुर्गी पालन में लगी हुई स्थापनाओं पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का विस्तारण किया गया है।

(3) सा० का० नि० 644 (ङ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा "पशु चारे" के विनिर्माण में लगी हुई स्थापनाओं पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का विस्तारण किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०–3257/81]

वर्ष 1981 के सम्बंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग–तीन, भिलाई इस्पात संयन्त्र और भाग–चार, राउरकेला इस्पात संयन्त्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं श्री मगनभाई बरोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(1) वर्ष 1981 के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग–तीन—भिलाई इस्पात संयन्त्र ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3258/81]

(2) वर्ष 1981 के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग-चार–राउरकेला इस्पात संयन्त्र ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3259/81]

टैलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री विजय एन० पाटिल की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) टैलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) टैलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3260/81]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आइटम 10 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो निकल गया । अब नहीं कह सकते, आप रूल पढ़िये ।

श्री रामविलास पासवान : आपने उस दिन कहा था कि हिन्दी-अंग्रेजी साथ-साथ आना चाहिये । आप देखिए इसमें अंग्रेजी नहीं है·····

अध्यक्ष महोदय : अब इसको छोड़िये ।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
कार्यवाही सारांश

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई तीसवीं से चौतीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सरांश

श्री डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूं ।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 22 दिसम्बर, 1981 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

———

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही तथा सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले समिति के विवरणों के (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) प्रत्यक्ष करों के बारे में 89वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) ।

(2) दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में 94वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) ।

(3) दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालों के बारे में 103वां प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) ।

(4) टेलीफोन सर्किटों आदि के किराये की बकाया राशि और लीड स्लीव्स को खरीद के बारे में 11वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) ।

(5) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन स्कीम, 1975 के बारे में 12वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) ।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में 30वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरे के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) समिति के अध्ययन दल-1 के अक्तूबर, 1981 के दौरान पुणे, इटारसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और हरिद्वार के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल-2 के अक्तूबर, 1981 के दौरान श्रीनगर, जम्मू, जालन्धर, अमृतसर, नांगल और चण्डीगढ़ के अध्ययन-दौरे का प्रतिवेदन ।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण

श्री आर० आर० भोले : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबन्धी समिति के निम्नलिखित विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) —

(एक) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनका नियोजन, और (दो) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की एजेन्सी के माध्यम से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों नियोजन तथा प्रशिक्षण के बारे में अनुसूचित जातियों का तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति (छठी लोक सभा) के की गई कार्यवाही संबन्धी छत्तीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-5 के बारे में सरकार के अन्तिम उत्तरों और अध्याय-1/4 के संबन्ध में दी गई अतिरिक्त जानकारी का विवरण ।

(2) पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)-भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबन्धी समिति (सातवीं लोक सभा) के की गई कार्यवाही संबन्धी तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय-5 के बारे में सरकार के अन्तिम उत्तरों और अध्याय-1/4 के संबन्ध में दी गई अतिरिक्त जानकारी का विवरण।

———

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : गढ़वाल के चुनाव को लेकर राज नारायण जी भूख-हड़ताल कर रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

.....(व्यवधान)**.....

(श्री रामलाल राही तथा श्री हरिकेश बहादुर सदन से उठ कर चले गये।)

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 दिसम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे केरल विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

———

विधेयक पर अनुमति

सचिव : महोदय, 18 दिसम्बर, 1981 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गये तथा अनुमति प्राप्त चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981 को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

———

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

नवां प्रतिवेदन

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : मैं सभा पटल रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं—

———

याचिका समिति

सातवाँ प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं—

(1) सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) पहली से पन्द्रहवीं, सत्रहवीं से उन्नीसवीं और इक्कीसवीं से तेईसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

———

लोक लेखा समिति

सड़सठवाँ प्रतिवेदन तथा असंख्या प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं—

(क) संघ उत्पादन-शुल्कों के बारे में सड़सठवां प्रतिवेदन ।

(2) मध्य रेल—आयातित प्रतीपकों (इन्वर्टर्स) का बेकार पड़ा रहना और के डिपाजिट निर्माण कार्य के बारे में अड़सठवां प्रतिवेदन ।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी-समिति

अट्ठाइसवें और उन्ततीसवें प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं—

(एक) एच० एम० टी० लिमिटेड-ट्रैक्टर डिवीजन के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ।

(दो) जेसप एंड कम्पेन्ट लिमिटेड—नियोजना तथा ऊपरि व्यय के बारे में उन्ततीसवां प्रतिवेदन ।

(तीन) उपर्युक्त दोनों प्रतिवेदनों सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

———

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान संबन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं—

———

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं—

———

संसदीय कार्य निर्माण और आवस मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय हमें सरकारी कार्य समाप्त करना है । हमें देहोली पर भी चर्चा करनी है । यदि हम भोजनावधि को भी दे सकें तो हमारे पास समय होगा अन्यथा हम कार्य पूरा नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : भोजनकाल के लिए सभा स्थापित नहीं होगी यह अन्तिम दिन है । यदि आप अब भोजन नहीं करेंगे तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पटना-हाजीपुर गंगा पुल को पूरा करने में विलम्ब

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं नौवहन और परिवार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

"पटना-हाजीपुर गंगा पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने में अधिकारियों की उदासीनता के कारण हुए अत्यधिक विलम्ब का समाचार"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : स्पष्टतः माननीय सदस्य पटना में गंगा नदी के पुल का जिक्र कर रहे हैं । यह एक राज्य परियोजना है । चूंकि संविधान के तहत भारत सरकार मुख्यतः उन राजमार्गों के लिए उत्तरदायी है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित

होते हैं इस लिए इस परियोजना का संबन्ध मुख्य रूप से बिहार सरकार से है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा बाकी सभी सड़कों को जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबन्धित राज्य सरकारों को होती है ।

2. हालाँकि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यह पुल राज्य की परियोजना है लेकिन भारत सरकार ने इस पुल के निर्माण में जो 1972 में शुरू हुआ था, आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से चौथी पंचवर्षीय योजना में 4 5 करोड़ रुपये तक का गैर-योजना ऋण देना स्वीकार किया था । यह राशि उक्त योजना में पुल पर व्यय होने वाली राशि का आधा भाग होती थी और बाकी व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने ही संसाधानों से पूरा किया जाना था । चूंकि बाद की योजनाओं में इस पुल के लिए सहायता का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए राज्य सरकार तब से इस पुल का खर्च अपने ही संसाधानों से पूरा करती आई है ।

3. इस पुल पर दो लेन का सुपर स्ट्रक्चर और चार लेन की फाउंडेशन है । इसके मार्च 1982 तक बन जाने की संभावना है । अनुमान है कि इस पुल के पूरी तरह तैयार होने तक लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

4. बिहार सरकार इस पुल को चार लेन के यानमार्ग में विस्तार करने के लिए जोर दे रही है हाल में यह निर्णय किया गया गया है कि उक्त विस्तार कार्य के लिए बिहार सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर 18 करोड़ रुपये तक विशेष सहायता देने पर विचार किया जाय जिससे चुंगी कर से होने वाली आय शामिल नहीं होगी । अनुमान है कि चुंगी कर कम से कम 3 करोड़ रुपये तक की आय अवश्य होगी । यह सहायता बिहार सरकार को तभी उपलब्ध हो सकेगी जब राज्य सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना का कुल खर्च 3225 करोड़ रुपये से बढ़ जाए और यह वृद्धि इस पुल पर होने वाले व्यय के कारण न हो ।

5. लेकिन प्रत्येक स्थिति यह एक बुनियादी तथ्य है कि यह पुल राज्य की परियोजना है और इसका संबन्ध मुख्यतः राज्य सरकार से है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य सुना । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है जिसका राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । इस सभा में 25 नवम्बर, 1980 को चर्चा हुई थी जब माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री, जो यहां बैठे थे तथा जो अभी-अभी सभा से उठकर गये हैं, ने बताया कि इस पुल को दिसम्बर, 1981 तक पूरा कर दिया जायेगा । यह वर्ष 5-6 दिनों के बाद समाप्त हो जायेगा तथा नव वर्ष प्रारम्भ हो जायेगा । उस समय उन्होंने कहा था कि मूल उत्तरदायित्व राज्य सरकार का हैं । यही बात आज भी दोहराई जा रही है । हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं परन्तु बात यह है कि गत वर्ष मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि के बारे में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बात करूंगा । अब एक और ही कारण बताया जा रहा है जो छठी योजना से सम्बन्धित है । यदि यही स्थिति है तो मैं नहीं जानता कि पुल के पूरा होने में कितना समय और लगेगा । आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा पुल के निर्माण का ठेका 5 जून 1972 को गैमन इंडिया लिमिटेड को दिया गया था । यह ठेका 5.6.1972 को दिया गया था । इसे 1979 तक पूरा किया जाना था । गत वर्ष मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार के अनुसार

इसे दिसम्बर, 1981 तक पूरा कर दिया जायेगा । वर्ष 1981 समाप्त होने वाला है परन्तु पुल अनेक अन्य कारणों से पूरा नहीं हुआ है। इस विलम्ब के लिए भ्रष्टाचार मूल कारण है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि सीमेंट नहीं मिल रहा है। यदि सीमेंट दे दिया जाता है तो वे कहते हैं कि यह सीमेंट बेकार है और इसे रद्द कर दिया जाता है। कभी-कभी वे कहते हैं कि क्रेन ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। इस बारे में ऐसी ही अनेक बातें रोजाना कही जाती हैं गत वर्ष जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने वर्ष 1979 में पुल का निर्माण पूरा न होने के पांच कारण बताये :—

1. सामग्री की कमी
2. विद्युत की कमी
3. श्रमिक हड़ताल
4. अप्रैल, 1979 का समुद्री-तूफान
5. दिसम्बर, 1979 से उपयुक्त प्रकार के सीमेंट की कमी

कुछ समस्याएं प्राकृतिक थी इसलिए ये सरकार कुछ नहीं कर सकी। जहां तक सीमेंट की किस्म, क्रेनों की किस्म, मशीनों के परिचालन आदि का सम्बन्ध है, ये समास्याएं सरकार द्वारा सुलझाई जा सकती है इन समास्याओं का सावधान करने के लिए सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ? कौनसी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि देने में सरकार असमर्थ है?

ऐसा कहा जाता है कि स्टीमरों के मालिक भी हैं। उनके भी इसमें हित है। वे नहीं चाहते कि यह पुल पूरा हो। यदि यह पुल पूरा हो जाता है तो उनकी आय समाप्त हो जायेगी। उन्होंने शायद ऐसे कुछ लोगों को रिश्वत दी है जो बड़े-बड़े पदों पर हैं ताकि यह पुल पूरा न हो पाये और इसीलिए काम नहीं हो रहा है ।

पुल के दोनों ओर की सड़कें पूरी हो गई हैं । वहां जो सड़कें थीं उनको भी तोड़ा जा रहा है। पुल के निर्माण के बाद वे कहेंगे कि हमें सड़कों के लिए और धन चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उन समस्याओं की जांच करेंगे जिनके कारण पुल के निर्माण में असामान्य विलम्ब हो रहा है ? क्या वह राज्य सरकार को उतनी पर्याप्त धनराशि दे पायेंगे जितनी राशि की उसने मांग की है ? ताकि इस पुल को निर्दिष्ट समय में पूरा किया जा सकें ? क्या वह इसके निर्माण की कोई निश्चित तारीख बतायेंगे ? क्या उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार से सम्पर्क किया है ?

श्री बूटा सिंह : यह सही है कि गत सत्र में मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में कतिपम टिप्पणियां की थीं जिनको माननीय सदस्य ने अभी-अभी दोहराया है। वे सभी टिप्पणियां वास्तविक हैं। यह भी सही है कि इस पुल को 1976 तक पूरा होना था। इसमें विलम्ब हुआ है और इस विलम्ब के वही पांच कारण हैं जो माननीय सदस्य ने बताये हैं अर्थात् समाग्री की कमी विद्युत की कमी, श्रमिक हड़ताल, 1979 में आया समुद्री-तूफान और तत्पश्चात् उपयुक्त प्रकार के सीमेंट की कमी आदि ।

जैसा कि मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में बताया कि भारत सरकार की पहली चिंता राज्य सरकार को उतनी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की है जिसकी वह जोरदार मांग कर रही है।

जैसा कि मैंने तथा माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम योजना आयोग से अनुरोध करेंगे, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि योजना आयोग को अनुरोध करने के परिणामस्वरूप हम यह वैकल्पिक व्यवस्था कर सके हैं। हमने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि चार लेन के पुल के लिए 18 करोड़ रुपये की यह कुल अधिकतम सीमा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल संयुक्त निधि के रूप में बिहार सरकार को मंजूर की गई उस सीमा से अधिक न हो।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा की सही-सही तारीक तक यह पुल पूरा हो जायेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मार्च, 1982 तक पूरा हो जायेगा और यातायात के लिए खुल जायेगा।

श्री हीरालाल आर० परमार (पटना) : उपाध्यक्ष जी, इस पुल के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। उस समय इसका बजट 9 करोड़ का था और आज 46 करोड़ का हो गया है। जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा, बजट भी बढ़ता जाएगा। यह किसानों का एरिया है और उनको आने-जाने में मुश्किल होती है। इसलिए इस पुल को जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 18 करोड़ रुपया जो बिहार को केन्द्र से दिया गया है, इसमें से कितना इस पुल पर खर्च किया जाएगा ?

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, यह सही है कि यह बहुत बड़ा ब्रिज है। इसकी स्पेन लैंथ 5.6 किलोमीटर है और बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन है। एसक्लेशन कास्ट हुई है, ओरिजनल कास्ट 23... कुछ थी और बाद में 25.3 करोड़ हुई, अब 46 करोड़ है। ऐसा समय के कारण हो रहा है। परन्तु जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के उत्तर में बताया कि यह पुल दो लेन वाले परिवहन मार्ग के रूप में मार्च, 1982 तक तैयार हो जाएगा। यदि बिहार सरकार इसे चार लेन वाला परिवहन मार्ग बनाना चाहती है तो अपेक्षित प्रावधान पहले से ही विद्यमान है जिनका मैं वक्तव्य में उल्लेख कर चुका हूं। वित्त मन्त्रालय तथा योजना आयोग द्वारा इसकी जांच की जानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि यह पुल मार्च, 1982 तक तैयार हो जायेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरे ही क्षेत्र से सम्बन्धित है। आपको याद होगा, पिछली बार आप ही चेयर पर थे जब सरकार ने जवाब दिया था, श्री पाटिल साहब ने जवाब दिया था कि दिसम्बर, 1981 तक यह पुल बन कर तैयार हो जाएगा। तब मैंने कहा था कि यह पुल 2000 ईस्वी तक भी नहीं बनेगा, उन्होंने कहा था बन जाएगा। मैंने कहा था कि सोच-समझ कर जवाब दीजिए। बूटा सिंह जी बहुत अच्छे

आदमी हैं और मेरे मित्र हैं, इसलिए बिहार सरकार इनके मुंह से गलत बात कहलवाए, यह मैं नहीं चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मार्च, 1982 तक यह पूरा हो जाएगा।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : पूरा हो जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : मुझे बहुत अफसोस होता है जब श्रीमती राम दुलारी सिन्हा भी विश्वास करती हैं कि यह कार्य इस अवधि में पूरा हो जायेगा। अभी तक जिस प्रकार से कार्य चल रहा है और जितना काम बाकी है, उसे देखने पर यहां पर बैठे लोग स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह तैयार हो जाएगा या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुल 46 खम्बे हैं और अभी तक मुश्किल से 20 खम्बे एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। पौने 6 किलोमीटर लम्बा यह पुल है, शायद संसार का यह सबसे बड़ा पुल हो, नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा पुल तो है ही। 46 में से मात्र 20 खम्बे जुड़ पाए हैं और बाकी के खम्बे जुड़ने बाकी हैं। यह काम पूरा होने के बाद इसके साथ 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ, लोगों के आने जाने के लिए बनाना होगा। इसके बाद 24 फुट चौड़ी सड़क पर कन्क्रीट का काम करना होगा। इसके बाद खम्बे लगेंगे, बिजली देनी पड़ेगी तब जाकर यह पुल शुरू होगा। यह बात या तो कोई सिरफिरा ही कर सकता है या फिर भगवान ही कर सकता है। दिसम्बर समाप्त होने जा रहा है और तीन महीने में यह कार्य कैसे हो जाएगा। हां जिस प्रकार से बूटा सिंह जी एशियाई खेलों का काम करवा रहे हैं, उसी तरीके से यदि दिन-रात यह कार्य शुरू करवा दिया जाए तो यह पूरा हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वही पुराना जवाब दिया जा रहा है कि यह राज्य सरकार का मामला है और वहां के मुख्य मन्त्री जी चले आएंगे और कहेंगे कि प्रधानमन्त्री ने 18 करोड़ रुपया हमको दे दिया है। उस रुपए के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं कि वह रुपया कहां है—इस सम्बन्ध में एक कटिंग पढ़कर सुना सकता हूं। बिहार में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी कि केन्द्र सरकार ने, प्रधानमन्त्री ने इस कार्य में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि उनके हाथ से ही इस पुल का फाउंडेशन हुआ था। पुल की दो साल के बाद शुरूआत होती है। इस पुल के सम्बन्ध में कहा गया है कि इससे नेपाल की दूरी 120 किलोमीटर कम हो जायेगी। जब मोकामा का पुल नहीं था तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता नाव का था। नाव के द्वारा ही इस पार से उस पार आया जाया जा सकता था। यह पुल बनने के बाद वहां इण्डस्ट्री का डिवेलेपमेंट हुआ। बरौनी का, बेगुसराय का और पूरे इण्डस्ट्रियल एरिया का वहां डिवेलेपमेंट हुआ। यह पुल बन जाए तो बहुत सुविधा हो जाए। दिल्ली पटना जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी पटना से गंगा को पार करने में होती है। वहां बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आप कहते हैं कि अगले साल मार्च तक यह पूरा हो जाएगा। मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि मन्त्री महोदय को इस मामले में मिसगाइड किया गया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अब उत्तर सोच समझ कर दें। अगले साल 15 अगस्त तक भी यदि इसका उद्घाटन हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। लोग तो वहां इतने निराश हो गए हैं कि वे कहते हैं कि दो हजार ई० तक भी यह तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सोने का अण्डा देने वाला यह पुल है।

अगर मार्च तक यह बन कर तैयार हो जाए तो मैं आपको भरपेट मिठाई खिला दूंगा। यह सोने का अण्डा देने वाला पुल है।

अभी हरिकेश बहादुर जी ने एक बात कही है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां बगल में स्टीमर का प्राइवेट मालिक जो है वह जानता है कि जब यह पुल शुरू हो जाएगा तो उसका स्टीमर बन्द हो जायेगा। बिहार में जितने मन्त्री हैं सबकी जेब भरने का काम भी वह करता है। रेल मन्त्रालय हो या कोई भी मन्त्रालय हो। सीधी सी बात है कि जब वह पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके स्टीमर भी बन्द हो जाएंगे, सारा कारोबार उसका बन्द हो जाएगा। वह इस चक्कर में है कि किसी दिन.....

श्री राम प्यारे मनिका (राबर्ट्सगंज) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। ध्यानाकर्षण में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इनको बात पूरी करने दीजिए। इसका उत्तर देना मन्त्री का काम है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वह इस चक्कर में हैं कि किसी दिन बरसात के समय डायनामाइट लगाकर इस पुल को ही ध्वस्त कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इस पुल का फाउंडेशन ही गलत जगह पर हुआ था।

पिछले साल उड़ीसा से वहां हजारों टन सीमेंट आया.....(इन्टरप्शंज) मनिका जी मैं जानता हूं क्या कहने जा रहे थे। मैंने जो मन्त्रियों के बारे में कहा है उसको मैं वापिस ले लेता हूं। लेकिन वह आदमी इतना बड़ा आदमी है कि वह किसी को भी खरीद सकता है, इतनी बात आप समझ लें। मुझे दुःख होता है जब आप सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको भी बिहार जाना होगा तो उसी पुल से जाएंगे। पिछले साल उड़ीसा से हजारों टन सीमेंट वहां आया। चीफ इंजीनियर ने कह दिया कि यह खराब है और सारा सीमेंट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सारी जो वहां उस पुल में घपलेबाजी हो रही है उसके लिए क्या मन्त्री महोदय कोई कमेटी नियुक्त करेंगे और क्या कोई डैड लाइन फिक्स करेंगे कि इस तिथि तक पुल बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री बूटा सिंह : पुल की तामीर के सिलसिले में माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उसके सम्बन्ध में मैंने एक बार चार्ट देखा है और उसके मुताबिक जो बुनियादी काम है वह पूरा हो गया है, वैल सिंकिंग, वैल स्टीनिंग, लांच कनक्रीटिंग, बाटम प्लगिंग, इण्टरमिडिएट प्लगिंग आदि सब पूरा हो गया है। बहुत सा काम फिनिशिंग का है जो अधूरा है। बिहार सरकार ने जो हमें सूचना दी वह हमने सदन को दे दी है। फिर भी मैंने यह फैसला किया है माननीय सदस्य के प्रश्न को

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुनकर कि मैं स्वयं इस ब्रिज को देखने के लिए भी जाऊं चाहे यह हमारी रिसपांसिबिलिटी नहीं है लेकिन चूंकि सदन में कुछ जानकारी दी गई है इस वास्ते मैं स्वयं देखने के लिए जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो विहार सरकार ने निर्धारित समय दिया है मार्च, 1982 का उसमें इसकी कमप्लीट कर पायेंगे। उनको अगर हमसे टेक्नीकल सहायता चाहिये तो वह भी हम देंगे।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने सीमेंट के वारे में कही। इसमें तथ्य है कि जो सीमेंट एक खास जॉब के लिये चाहिये वही होना चाहिये। जो सीमेंट इसमें इस्तेमाल होता है वह आर्डिनरी पार्टलैण्ड होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप का सीमेंट चाहिये। अव अगर वैसा सीमेंट नहीं आया होगा तो रिजेक्ट किया गया होगा। लेकिन मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि कितने सीमेंट बेग्स रिजेक्ट हुए। मैं जव निरीक्षण करूंगा तो देखूंगा।

यह भी कहा गया किसी प्राइवेट कम्पनी का मालिक है जो वहां के आफिसर्स और मिनिस्टर्स को अपने हाथ में करते हैं और काम नहीं होने देते। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हम किसी भी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के प्रोजेक्ट में किसी भी प्राइवेट कम्पनी को ऐसा दखल देने की आज्ञा नहीं देंगे।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री जी, जव आप जायेंगे तो हमें भी खवर देंगे ? आप जव जायें तो हमें भी ले लेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हमारी भी कांस्टीट्यूऐंसी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जव आप जायें तो श्री पासवान जी को भी आने दें।

श्री बूटा सिंह : यह केवल तथ्यों का पता लगाने और परियोजना की प्रगति में बारे में जानने के लिये होगी।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला विहार के समस्तीपुर एरिया का है, और जैसा माननीय पासवान जी ने वताया है 1970 में इसका शिलान्यास प्रधानमन्त्री जी के द्वारा हुआ था और 1972 में इसका काम शुरू किया गया और आज 1982 आने वाला है जव यह मामला पार्लियामेंट में उठा है। तो मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी 1972 का मसला 1982 में पार्लियामेंट में आया है तो मुझे तो विश्वास नहीं पड़ता कि यह काम समय पर पूरा होगा। हालांकि मन्त्री जी कह रहे हैं कि 1982 में कम्प्लीट हो जायेगा। कहीं मन्त्री जी 1992 की तो बात नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई गड़वड़ की बात तो नहीं है, आप इसको जरा सही कर दें। क्योंकि यही एक मसला ऐसा आया है जिसमें यह कहने का मौका नहीं मिला कि यह चीज हमें वरासत में मिली। क्योंकि कांग्रेस सरकार ही रही है लगातार, बीच में 3 साल का ही समय था जो काम होना था वही हो गया।

श्री राम प्यारे मनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, इनकी पार्टी की सरकार के मन्त्री ने हमारे यहाँ फर्जी शिलान्यास किया मिर्जापुर जिले में दुद्दी में कनहर नदी पर पुल का। बिना पैसे के शिलान्यास कर दिया लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे । आप यह उत्तरदायित्व क्यों लेते हैं ?

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पुल का कांट्रेक्ट कब दिया गया है और उसके टर्म्स क्या हैं और क्या-क्या खास बातें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री बूटा सिंह : मेरा इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि यह परियोजना 1972 में मंजूर की गई थी और इसे 1982 में पूरा किया जायेगा परन्तु महोदय, केवल विलम्ब के बारे में ही बार-बार कहने का कोई फायदा नहीं है । माननीय सदस्य के दल को 3 वर्षों का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था जब वह अपने शासन काल के हस्तक्षेप करके काम पूरा कर सकते थे, इसे 1978 तक पूरा होना था परन्तु वे कुछ नहीं कर सके और उन्होंने इसे इस हालत में हमें सौंप दिया है । अब स्थिति यह है कि जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है कि मार्च, 1982 तक कार्य पूरा हो जायेगा और मुझे विश्वास है कि तब तक इस पुल का निर्माण पूरा हो जायेगा । इसका कार्य एक सुप्रसिद्ध फर्म गैमॉन को सौंपा गया है जो विश्वव्यापी टेंडर जारी करके सौंपा गया था तथा उनको सर्वोत्तम निर्माता (बिल्डर) माना गया था ।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । मन्त्री महोदय ने बताया है कि यह कंट्रेक्ट गेमन को दिया गया है । गैमन को जो काम दिया गया, वह तो उसने किया नहीं, अपना एक कारखाना खोल लिया । उसने एक दूसरा पुल बना दिया है और इसको छोड़ दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कंट्रेक्ट की टर्म्ज एण्ड कन्डीशन्ज क्या हैं ।

श्री बूटा सिंह : यह कंट्रेक्ट बिहार गवर्नमेंट ने दिया है, हमने नहीं दिया है । मगर कंट्रेक्ट की जो टर्म्ज एण्ड कन्डीशन्ज हैं, उनके मुताबिक गैमन काम कर रहा है ।

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित अवधियों के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

1. श्री के० कुन्हम्बू —17 अगस्त से 8 सितम्बर, 1981 (छठा सत्र)
2. श्री आर० के० महालगी —23 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1981 (सातवां सत्र)
3. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति —23 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1981 (सातवां सत्र)
4. श्री आनन्द सिंह —23 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1981 (सातवां सत्र)
5. श्री बाला साहिब बिखे पाटिल —1 से 16 दिसम्बर, 1981 (सातवां सत्र)

क्या सभा चाहती है कि समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई अनुमति दी जाये ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है । सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

———

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के बारे में याचिका

याचिका प्रस्तुत की जाना

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की बिक्री, खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों के लिये जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी, बेरोजगारी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करने, छंटनी और प्रतिष्ठानों को बन्द करने पर प्रतिबन्ध तथा कार्मिक संघों के अधिकारों की गारन्टी के बारे में श्री बृज मोहन तूफान और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बूटा सिंह : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

श्री चिंतामणि जैना (बालासोर) : बालासोर-जलेश्वर-खड़गपुर सड़क बालासोर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 से प्रारम्भ होती है और खड़गपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को जोड़ती है। बालासोर से खड़गपुर तक सड़क की लम्बाई 126 किलोमीटर है। लेकिन जमासोला के रास्ते से होकर बालासोर से खड़गपुर तक की दूरी 190 किलोमीटर है। अतः 65 किलोमीटर दूरी की बचत होगी और बालासोर से कलकत्ता तक न केवल लगभग 1½ से 2 घण्टे के परिवहन के समय में बचत होगी अपितु बालासोर–जलेश्वर–खड़गपुर सड़क में सुधार होने से दक्षिणी राज्यों से कलकत्ता तक समय में बचत होगी। परिवहन में किफायत के बारे में ईंधन और अन्य खर्चों में प्रति वर्ष लगभग 15.87 करोड़ रुपये की बचत होगी, जिसे उड़ीसा सरकार के अन्तर्गत विशेषज्ञों द्वारा आंका गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात गणना के प्रतिवेदन से पता चलता है कि 1000 ट्रक, 125 यात्री बसें और 850 कारें तथा जीपें औसतन प्रतिदिन बरास्ता जायसोला चलती है। इनमें से अधिकांश वाहन 65 किलोमीटर की दूरी और अत्याधिक खर्चों को बचाने के लिए खड़गपुर–बालासोर के प्रस्तावित राजमार्ग का उपयोग करना चाहेंगे। 65 किलोमीटर की इस अतिरिक्त दूरी को खत्म करके प्रत्येक ट्रक को 21 लीटर डीजल की बचत होगी। (लगभग 65,500/- की लागत पर 21,000 लीटर की खपत और बसों, कारों तथा जीपों के मामले में 45,500/- रुपये की लागत और इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर प्रतिदिन 1,10,000/- रुपये की कुल बचत और और वार्षिक बचत 4 करोड़ रुपये की होगी)। इससे प्रति ट्रक 250/- रुपए की परिवहन लागत में भी कमी होगी, और 8 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक बचत होगी। जहां प्रस्तावित बालासोर और खड़गपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण—कार्य पर 12 करोड़ रुपए का व्यय होगा, वहां इससे प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि की राष्ट्रीय सम्पत्ति की बचत होगी। जब तक प्रस्तावित सड़क शुरू नहीं की जाती तब तक इस वर्ष सुवर्णरेखा पुल के पूरा होने पर भारी गाड़ियों के आवागमन के कारण विद्यमान जगन्नाथ सड़क और इसके पुलों को असहनीय क्षति होगी।

उपरोक्त सड़क की समग्र महत्व को देखते हुए भारत सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वह इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक लाये। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि वह अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु अपने प्रस्ताव में कुछ निर्माण—कार्यों को शामिल करें जिसमें इस परियोजना को शामिल किये जानें की मांग है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक विकसित करने के लिये अनुमानतया 6.52 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिये राज्य योजना से इस भारी राशि की व्यवस्था करना राज्य सरकार के लिए अत्यन्त असम्भव है। राज्य सरकार ने केन्द्र से केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु 'ई० एण्ड आई स्कीम' के अन्तर्गत इस परियोजना को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है और यह राशि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक लाने के लिए खर्च की जायेगी। अतः भारत सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सीमा तक हमारे राज्य के पक्ष में केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत प्रावधान में वृद्धि करे।

इन पहलुओं पर विचार करते हुए मैं बहुत विनम्रता से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार द्वारा मांगे गये ऋण को शीघ्र मंजूरी दे और माननीय मन्त्री महोदय, जो इस सभा में मौजूद हैं, द्वारा सभा में कृपया इस बारे में एक वक्तव्य भी दिया जाये।

(दो) कोचीन पत्तन के कर्मचारियों का पंजीकरण करने तथा उन्हें काम में लगाने के लिए कदम

श्री एम० एम० लोरेंस (इडुक्की): कोचीन पत्तन के पत्तन श्रमिकों द्वारा स्टेवेडोर फोरमैन, एसिस्टेंट फोरमैन, शिप सुपरवाइजर्स, एसिस्टेंट सुपरवाइजर्स और नान-डी० एल० बी० स्टेवेडोर लेबर के कोचीन डाक बोर्ड में पंजीकरण और उन्हें खपाये जाने का मामला लम्बे अर्से से चल रहा

है और निरंतर मांग की गई है। तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्री ने श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि वे सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करें। इस बीच पर्याप्त अवधि बीत गई है लेकिन सरकार ने अभी तक इन अभागे पत्तन श्रमिकों के भविष्य के बारे में निर्णय नहीं किया है। इस मामले पर विचार करने के लिये बहुत सी समितियां, जैसे सुधाकरण समिति, गठित की गई थीं जिन्होंने अपने प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत कर दिये हैं लेकिन मामला वहीं पर अटका हुआ है। ऐसा दिखाई देता है कि स्टीपर एजेंट्स और स्टेवेडोर्स इस मामले में सरकार के अनुकूल निर्णय के रास्ते में आ रहे हैं। सरकार द्वारा कोई साहसिक कार्यवाही न किये बिना यह मामले तेजी से नहीं निपटाये जायेंगे। अत: मैं संबंधित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सदन में एक वक्तव्य दें जिसमें इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण बताया जाये और इस सभा को आश्वासन दें कि पत्तन श्रमिकों को दिया गया वचन बिना और किसी विलम्ब के पूरा किया जायेगा और सरकार इस मामले में दबाव सम्बन्धी किन्हीं हथकंडों पर काबू पाने के लिये कृत संकल्प है।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश में पेय जल की सप्लाई सम्बन्धी कार्यक्रम तेज गति से नहीं चल रहा है क्योंकि राज्य के लिये मंजूर की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के लिये धनराशि का आवंटन अपर्याप्त है। हांलाकि चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों से अधिक की अवधि बीत चुकी है तथापि अब तक रिलीज की गई राशियां अत्यन्त अपर्याप्त हैं। कुछ उदाहरण लें, बाता-चोरु भुम्पल नौंघी और हमीरपुर जिले में देवतसिद्धा के लिये पेयजल सप्लाई योजना को धनराशि की कमी के कारण तेज गति से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। बिलासपुर, कांगड़ा और उन्ना जिलों तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में स्थिति समान रूप से असन्तोषजनक है।

पेय जल सप्लाई और स्वच्छता दशक (1980-90) के शुरू किये ज़ाने से उत्पन्न हुई आशाओं को देखते हुए लोग अपने घर में पेयजल की शीघ्र सप्लाई आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित प्रत्येक जल सप्लाई योजना के निर्माण-कार्य और उसे पूरा करने के लिये तत्काल पूरी राशि रिलीज करे।

(चार) उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए हरिजनों और कमजोर वर्गों का कथित शोषण

श्री रामलाल राही (मिसरिख): अंग्रेज भारत से चला गया और 35 वर्ष आजादी के भी बीत गए, हमारे राष्ट्रनेताओं ने कहा गुलामी गयी आजादी आई, पर आज भी देश में दूर-दराज तक गांवों के आदि-निवासी शोषित, पीड़ित निम्न वर्गीय एवं अल्प संख्यक लोग सामन्ती शोषकों के शिकार गुलामी की गंध में जी रहे हैं। आज भी देश में जगह-जगह सामन्ती लूट, गरीबों का शोषण साम्प्रदायिक एवं जातिय संघर्ष निरंतर बढ़ रहे है। गरीब इंसान भूख गरीबी एवं बीमारी का शिकार होता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हरिजनों से जबरिया बेगार लेना व बेगार न करने पर पीटना व पुलिस से पिटवाना, उनकी सम्पत्ति का अपहरण करना इस समय जोर पकड़े है। कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें एक भयानक एवं दर्दभरी घटना थाना मेहौली के पुन्नापुर एवं सेमरावां गांव में हुई है। सामन्ती लोगों ने जिनका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की सरकार के उच्च अधिकारियों से है, करीब ग्यारह अल्पसंख्यकों के परिवारों व कई हरिजनों के परिवारों को उनकी सम्पत्ति, सीलिंग और गाँव समाज की मिली भूमि को छीन लिया है और गांव से भगा दिया है। जब कुछ खाते पीते भले व हरिजन लोगों ने विरोध किया तो उनके ट्यूब वेल, चक्की आदि कारखानों में रात में आग लगा कर पचासों हजार की सम्पत्ति जला कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के बारे में सरकार को लिखा गया पर कोई जाँच तक नहीं हुई।

कुछ अल्प-संख्यक हरिजन एवं अन्य वर्गों के लोग भय व आतंक के कारण अपनी सम्पत्ति को छोड़ कर भाग गये हैं और दाने दाने को मोहताज हैं और ठण्डक में सर छिपाने को भटक रहे हैं।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाते हुए माँग करता हूं कि सामन्ती तत्वों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्यवाही करें एवं भगाये गये अल्पसंख्यकों एवं हरिजनों को पुनः उनकी सम्पत्ति दिला कर गांवों में बसाये जाने की व्यवस्था करें और उनकी जान माल की हिफाजत के समुचित उपाय करें।

(पांच) गुजरात के भावनगर सेक्शन पर रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़): मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अकस्मात रेल गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और यात्रियों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं विशेष रूप से गुजरात के भावनगर क्षेत्र में नित्यप्रति ऐसा ही हो रहा है। अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए तो यह बहुत बड़ा आघात है। भावनगर जैसे क्षेत्र में पहले ही यातायात के साधन कम हैं, गाड़ियां रद्द करने का कारण बताया जाता है कोयले की कमी परन्तु इसके विपरीत ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। निष्कर्ष यह हुआ कि मंत्रालयों के परस्पर तालमेल में न होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों की गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और उनके पिछड़ेपन में सुधार आने की अपेक्षा उन्हें और पीछे धकेल दिया जाता है।

(छः) बम्बई पत्तनन्यास में चोरी की कथित घटनाएं

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : शक्तिशाली अपराधियों द्वारा समर्थित चोरों के सशस्त्र गिरोह पुलिस, पत्तन और सीमा-शुल्क के अधिकारियों की सांठ-गांठ से बम्बई पत्तन में अधिक मूल्य के माल के लिए पोतों, घाटों और भांडागरों की व्यवस्थित ढंग से चोरी कर रहे हैं।

ये गिरोह एक महीने में अनुमानतया 1.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये मूल्य के सामान की चोरी करते हैं और इस प्रकार सीमा राजस्व में राष्ट्रीय राजकोष को एक वर्ष में लगभग 20 करोड़ से 35 करोड़ रुपये घाटा पहुंचा रहे हैं। इनके पास सभी प्रकार के हथियार हैं जिसके परिणामस्वरूप 60,000 गोदी श्रमिक असुरक्षा और बेबसी अनुभव कर रहे हैं जिससे पत्तन सुरक्षा जो पहले ही कमजोर और ढीली है, वास्तव में विघटित हो गई है। बम्बई पत्तन में सुरक्षा और चौकसी के खत्म हो जाने से आयातकर्ताओं और नौवहन कम्पनियों में भय उत्पन्न हो गया है। जब तक कुछ कठोर कदम नहीं उठाये जाते और सुरक्षा की पद्धति को पूरी तरह से नया रूप नहीं दिया जाता तब तक चोरी घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी।

पुलिस रिकार्ड के अनुसार बम्बई पत्तन से चुराये गये माल के मूल्य में गत चार वर्षों की तुलना में दस गुना और 1½ वर्षों की तुलना में चार गुना और गत एक वर्ष की तुलना में 78.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूरोप में कुछ समुद्री व्यापार और बीमा-फर्मों ने बम्बई पत्तन में सुरक्षा पद्धति की कटु आलोचनायें की हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए छिद्रण उपकरण और आणविक बिजली घरों में प्रयुक्त पंपों के लिए कल-पुर्जे और टर्बो मेजर कल-पुर्जे भी इस वर्ष चुरा लिये गये थे।

(सात) कानपुर के निकट गंगा नदी के पानी का कथित प्रदूषण

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : वायु और जल प्रदूषण की निरन्तर बढ़ती हुई समस्या के प्रति केन्द्रीय सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया है। यदि शीघ्र ही उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो कानपुर जैसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इस समस्या के कारण लोगों के स्वास्थ्य संबन्धी खतरों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

इस संबन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान गंगा नदी के प्रदूषण के बारे में किये गये हाल ही में अध्ययन की ओर दिलाता हूं। इससे पता चलता है कि कानपुर में गंगा नदी का जल पीने योग्य नहीं है क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित है। मुझे यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि गत एक सप्ताह से एक औद्योगिक क्षेत्र दादानगर में एक अत्यन्त खराब दुर्गन्ध वाला धुआं निकल रहा है जिससे वातावरण और दूषित हो रहा है।

डा० आर० के० गुप्ता के अन्तर्गत एक दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट अत्यन्त क्षुब्ध करने वाली है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कानपुर के अस्पतालों में संक्रमण की अधिकतम दर है और एक अस्पताल में ही 96 प्रतिशत रोगियों को बिस्तरों में रहते हुए संक्रमण हो जाता है। आम तौर पर इस प्रकार की संक्रमण दर अन्य स्थानों पर 15 प्रतिशत से कम है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर विचार करे और जन स्वास्थ्य के हित में प्रदूषण और कानपुर के अस्पतालों में संक्रमण की अधिक दर को रोकने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करें।

(आठ) बिहार शरीफ के पीड़ितों के लिये आश्रय को व्यवस्था

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : आठ महीने नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में हुई साम्प्रदायिक हत्याओं से देश स्तब्ध रह गया था। लेकिन अभी भी बिहार शरीफ मदरसा के

शरणार्थी शिविर में पांच सौ से अधिक पुरुष, महिलाऐं और बच्चे सड़ रहे हैं, वास्तव में बिना पर्याप्त वस्त्रों और कम्बलों वर्तमान भयनाक सर्दी का मौसम उनके लिए बहुत दुखद समय है।

उनके पास या तो कहीं जाने के लिए कोई स्थान नहीं है या वे मानसिक रूप से भयभीत हो गए हैं कि अपने गांव घरों को लौटने का साहस उनमें नहीं रहा।

सरकार उन्हें आलू, सरसों के तेल और जलाने की लकड़ी के अलावा 500 ग्राम चावल या गेहूं प्रतिदिन प्रति बालिग व्यक्ति और 250 ग्राम प्रति नाबालिग की दर से भोजन के लिए सप्लाई कर रही है लेकिन लगता है सम्बन्धित अधिकारियों की दृष्टि से भीषण सर्दी और ठंडी रातें ओझल हो गयी हैं, शरणार्थियों के पास कम्बल नहीं हैं और वे सीमेंट के फर्श पर सोते हैं, दुर्भाग्य से अधिकारी भी यह सोचते हैं कि उन्हें कम्बल देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है यहां तक कि घन लगाने के मौसम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने वाला पुम्पाल जो कि ठंड से काफी बचाव कर सकता है, भी उन्हें नहीं दिया गया है।

ये शरणार्थी नौ गांवों के हैं, गुलानी गांव में कम से कम सात व्यक्ति जिन्दा जलाये गए लेकिन उनके रिस्तेदारों को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है।

घन की कोई कमी नहीं है लेकिन अधिकारियों ने शरणार्थियों को कम्बलों से क्यों बंचित रखा ?

इस दृष्टि से मैं राज्य सरकार और जिला अधिकारियों से शरणार्थियों की सभी आवश्यकताओं के बारे में सहायता देने का अनुरोध करता हूं ताकि इस भीषण सर्दी में कोई न मरे।

(नौ) छोटे पैमाने की इकाइयों द्वारा उत्पादित कतिपय औषाधियों पर मिलने वाली सीमा-शुल्क से आंशिक छूट को समाप्त करने वाली हाल की अधिसूचना को वापस लेने की आवश्यकता

प्रोफेसर के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान सार्वजनिक महत्व के एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सूचना मिली है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के द्वारा 27 नवम्बर, 1981 को जारी की गयी सीमा-शुल्क अधिसूचना में दवाई सामग्रियों को सीमा-शुल्क में दी जाने वाली छूट को 1979-80 के बजट में वापस ले लेने के कारण विभिन्न दवाई सामग्रियों से जीवन दायी दवाओं के निर्माण में लगे लघु क्षेत्र के 150 एककों के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। उस समय 17 दवाई सामग्रियों पर आयात शुल्क की दर 75 प्रतिशत यथामूल्य से घटाकर 25 प्रतिशत यथा मूल्य कर दी गयी थी। 1981-82 के बजट में यह छूट 9 अन्य मदों पर भी दी गयी थी। यह आंशिक छूट परिष्कृत दवाओं के स्थान पर दवाई सामग्रियों के आयात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी ताकि देश के दवा उद्योग को सहायता मिले।

जो भी हो 4 दवा समाग्रियों पर से 27. 11. 81 से आयात शुल्क में दी जाने वाली यह आंशिक छूट, दवाओं का प्रारम्भिक स्तर से निर्माण करने के आधार पर वापस ले ली गयी है।

सीमा शुल्क पर मिलने वाली इस आंशिक छूट को वापस लेने के कारण क्लोरम फिनेकोल की कीमत 510/- रु० से 550/- रु० प्रति किलोग्राम से बढ़कर 622/- रु० प्रति किलोग्राम हो जायेगी जिस मूल्य पर ये छोटे एकक बड़े एककों को अब तक बेच रहे थे। जिसके फलस्वरूप परिष्कृत उत्पाद 700/- रु० प्रति किलोग्राम हो जायेगा।

मेरे विचार से यह कदम शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय लाबी ने लघु क्षेत्र के एककों का गला घोंटने, और उन्हें सी० पी० सी० जैसी सारणीकरण एजेन्सी से दवा सामग्री खरीदने को बाध्य करने के लिए उठाया है।

महोदय, यहां पर उस बात का उल्लेख करना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि एल० वेस को क्षमताओं का क्लोरम फिनेकोल में परिवर्तन करने से लघु क्षेत्र बेकार पड़ जायेगा और पड़ोसी देशों में नगण्य सीमा-शुल्क के कारण देश में इस भय की तस्करी के लिए तस्करों को बढ़ावा मिलेगा।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 28.11.1981 को जारी की गयी सीमा-शुल्क अधिसूचना को वापस लें ताकि इन 150 दवाइयों को एककों को और उनमें कार्यरत हजारों कामगारों को हमारे देश के लाखों बीमार लोगों के लिए जीवनदायी दवाओं का निर्माण करने में मदद मिले।

(दस) डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : अन्तराष्ट्रीय विकास शोध केन्द्र द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 1961 से 1972 के बीच भारत से अमेरिका, कनाडा और इंग्लेड में बसने वाले डाक्टरों के कारण भारत को 144 मिलियन रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। यदि 1972 से 1981 तक के दसक की गणना भी की जाय तो यह नुकसान और बढ़ जायेगा, हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया के तेल के धनी देशों में काफी संख्या में डाक्टरों को नौकरियां मिली हैं जिससे हमारे नुकसान में और वृद्धि हुई है।

हर साल देश के मेडिकल कालेजों से सैकड़ों स्नातक डाक्टर निकलते हैं जिन पर राजकोष से पर्याप्त खर्च होता है यह बड़ी दुखद बात है कि उन सभी डाक्टरों की योग्यता और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए देश में उचित प्रबन्ध नहीं है अधिकांश मेडिकल स्नातक केवल शहरी क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां कड़ी प्रतियोगिता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में दर्दनाक जिन्दगी जी रहे हैं। और रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले आंकड़ों के अनुसार डाक्टरों में काफी बेरोजगारी फैली है।

ऐसी परिस्थितियों में पश्चिम के विकसित देशों और मध्य पूर्व के तेल के धनी देशों द्वारा रोजगार के अवसरों से डाक्टर आकर्षित होते हैं सरकार को चिकित्सा क्षेत्र में 'प्रतिभा पलायन' को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मेडिकल प्रोफेसरों को आकर्षित करने के लिए उपाय और साधनों को जुटाना चाहिए।

इस दिशा में हाल में देश के 24 प्रमुख बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मेडिकल प्रेक्टिस की इच्छा रखने वाले लोगों को आर्थिक सहायता देने की घोषण करने का हार्दिक स्वागत है। इन बैंकों को विदेशों से लौटने वाले डाक्टरों को उपयुक्त उपकरणों सहित अपने क्लिनिक खोलने में आर्थिक मदद करनी चाहिए। भारत में और विदेशों में ऐसी सभी योजनाओं का बहुत अधिक प्रचार होना चाहिए ताकि इससे काफी डाक्टर लाभ उठा सकें।

(ग्यारह) बुरहानपुर के रोशन साइजिंग मिल्स तथा अन्य मिलों को कोयले की सप्लाई में की गयी कथित कमी

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा): उपाध्यक्ष महोदय, दी इंडियन काटन मिल्स फडरेशन बम्बई द्वारा बुरहानपुर की रोशन सायजिंग मिल सहित अन्य सायजिंग फैक्ट्रीज के कोयले की मासिक कोटे में 3-3 वैगन के बदले 1-1 वैगन कर दी है। इससे 28 सायजिंग बंद हो गई हैं 18,000 पावरलूम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बुरहानपुर में बेरोजगारी फैल रही है अतः मंत्री जी शीघ्र आदेश पारित करके पूर्व में दिए जा रहे कोयले के मासिक कोटे को पुनः चालू रखें।

(बारह) दिल्ली दूरदर्शन पर महर्षि बाल्मीकि के विरुद्ध कही गयी कथित अपमानजनक बातें

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 15-9-81 को देहली बाल्मीकि समाज विकास परिषद् की ओर से दिल्ली दूरदर्शन के स्टेशन निदेशक को पत्र द्वारा लिखा गया कि महर्षि बाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर प्रसारित होने वाली वार्ता अथवा कार्यक्रमों में महर्षि जी के बारे में अपमानजनक एंव बेबुनियाद शब्दों का प्रयोग न किया जाये परन्तु उसके बावजूद पत्रिका कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 12-10-81 को दिल्ली दूरदर्शन पर महर्षि बाल्मीकि जी के प्रति बहुत घिनोनी, द्वेषभरी, असत्य और भ्रांति पैदा करने वाली कहानी पेश की। बहुत से लोगों ने दिल्ली दूरदर्शन के इस कार्यक्रम की निन्दा एवं भर्त्सना की परन्तु बजाय इसके कि दिल्ली दूरदर्शन अपनी इस पहाड़ जैसी गलती के लिये क्षमा मांगता 18 नवम्बर को इसके योगाभ्यास कार्यक्रम में फिर महर्षि जी के प्रति ऐसी ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना 1970 में हुई थी जब भारत सरकार ने महर्षि बाल्मीकि जी के सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी करते हुए ऐसी ही निराधार और नफरत भरी कहानी अपने फोल्डर द्वारा प्रसारित की थी।

मैं इस सदन के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मन्त्री से मांग करता हूं कि वह अपने विभाग की इस दुर्भाग्यपूर्ण गलती के लिये पूरे हिन्दु समाज से क्षमा मांगें और जो अधिकारी व कलाकार इस धृरता के लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे।

(तेरह) बिहार में डेरी विकास कार्यक्रम के लिये धन का दिया जाना

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दो विशाल गव्य परियोजनाओं ओपरेशन फ्लड प्रथम और ओपरेशन फ्लड द्वितीय में कुव्यवस्था के कारण सार्वदेशिक स्तर पर सामान्यतः और बिहार में विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन में ह्रास हुआ है। बिहार की जनसंख्या लगभग 5.5 करोड़ है और दुधारू भैंसों की संख्या 1.9 करोड़ है, जबकि भारत भर में 24 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ है और दुधारू भैंसों की संख्या 1.9 करोड़ है, जबकि है। फिर भी दूसरे राज्यों की आवंटित राशि की तुलना में इसे ऋण सह-अनुदान के तहत बहुत ही छोटी राशि आवंटित होती रही है। ओपरेशन फ्लड प्रथम में बिहार को केवल 3.18 करोड़ मिला। सारे भारत में लगाये जाने वाले 67 केटल फीड प्लांट में से बिहार को केवल एक मिला है। बिहार परम्परा से पश्चिम बंगाल को दूध की आपूर्ति करता रहा है, किन्तु परियोजना जनित इस असंतुलन के कारण ऊर्जा संकट के बावजूद कलकत्ता में सुदूर गुजरात से दूध लाया जाता है। डेयरी बोर्ड की इस नीति के कारण देश में दुग्ध उत्पादन में भारी कमी हो गई है और विदेशों से दूध की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।

अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस स्थिति पर पुनर्विचार कर डेयरी बोर्ड को पुनः संगठित करें, जिससे किसी राज्य विशेष के पक्ष में क्षेत्रीय असंतुलन न हो और बोर्ड में सब का उचित प्रतिनिधित्व हो।

(चौदह) तमिलनाडु के एक मन्दिर में सत्यापन अधिकारी की हत्या की केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोलाची) : महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसका सामान्य लोगों विशेष रूप से तमिलनाडु के लोगों से सम्बन्ध है।

संविधान के अन्तर्गत 'धार्मिक संस्थान' संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुवर्ती सूची में आते हैं और ऐसे संस्थानों के बारे में केन्द्र कानून लागू कर सकता है। कभी-कभी धार्मिक संस्थानों में कुप्रबन्ध पाया गया है और वहां अनपेक्षित गतिविधियां हुई हैं यहां तक कि कत्ल भी किए गए हैं जैसा कि तमिलनाडु में एक मामले में हुआ है।

ऐसा मालूम पड़ता है कि तमिलनाडु में हाल में हुई एक हत्या के मामले में बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस लिए मैं केन्द्र सरकार से केन्द्रीय जांचब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग करता हूं ताकि मामलेके सारे तथ्य सामने आएं और अपराधियों को सजा हो और सभी सम्बन्धित लोगों के प्रति कठोर कार्यवाही की जा सके।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस घृणित कत्ल के मामले को प्रकाश में लाने वाले जिम्मेदार समाचार पत्र को अधिकारी गण परेशान कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है, मैं केन्द्र सरकार से अविलम्ब इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

मैं भारत सरकार से यह देखने का पुनः अनुरोध करता हूं कि तथ्यों में धार्मिक संस्थानाजित उद्देश्यों के लिए चलाए जायें तथा वे उन उद्देश्यों पर उचित ढंग से चलें।

(पन्द्रह) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रेल यात्रा

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं रेलवे मंत्री का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से फसल के समय हर साल काम की तलाश में पंजाब आने वाले गरीब मजदूरों और उनके परिवारों की अमानवीय और खतरनाक परिस्थितियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक सामान्य दृश्य है कि फसल के समय उत्तर प्रदेश और बिहार से हजारों लोग औरतें और बच्चे पंजाब की तरफ जाने वाली रेलों की छतों पर प्रतिदिन यात्रा करते हैं गर्मियों में जब सूर्य तप रहा होता है और लू के थपेड़े चलते हैं या बरसात में जब मूसलाधार वर्षा हो रही होती है या आजकल की तरह भयंकर सर्दी पड़ रही है तीव्र गति से चलने वाली रेल की छतों पर यात्रा करते हुए इन लोगों को देखा जा सकता है। उनमें से अनेक लोग प्रतिकूल मौसम के कारण बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोगों की रेलों में जगह न मिलने के कारण बिजली लगने से मृत्यु हो जाती है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि पंजाब आने-जाने वाले मजदूरों की भीड़ केवल फसल के समय ही होती है। इसलिए माननीय रेल मंत्री महोदय को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पंजाब के लिए फसल के समय हजारों मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष प्रबन्ध करने चाहिए जिनकी जिन्दगी के लिए वर्तमान रेलों में पर्याप्त स्थान न होने के कारण लगातार खतरा बना हुआ है।

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० ए० राजन खड़े हो रहे हैं। इस विधेयक के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हमने एक घंटा पहले ही गंवा दिया है। इस चर्चा का उत्तर मंत्री महोदय 2 बजे या इससे पहले देंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : कल मैं मंत्री महोदय से इस बात पर जोर दे रहा था कि हम चाहे कोई कानून पास करें, या इस उद्योग की विशेष स्थिति के कारण और इस उद्योग की पिछड़ी स्थितियों के कारण ये उपाय हितकारी हो या नहीं, कानून लागू करना एक महत्वपूर्ण समस्या है। बागान मजदूरों के लिए अनेक कानून बनाये गए हैं, यह न्यूनतम मजदूरी का मामला हो या समान कार्य के लिए समान वेतन हो या कोई और कल्याणकारी उपाय, इन्हें लागू करने में बहुत अधिक ढिलाई हो रही है। इस कानून को लाने के पीछे आपका कितना ही हितकारी दृष्टिकोण हो मुख्य मुद्दा इसे लागू करने के लिए बार-बार जोर दिया जाना चाहिए ताकि इसका कड़ाई से पालन हो, कामगारों को केवल इसी प्रकार लाभ होगा अन्यथा नहीं।

संशोधन के सम्बन्ध में मैं दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं और एक विशेष प्रावधान के बारे में चिंता प्रकट करना चाहता हूं। रबर बागानों का विखण्डन जारी है। 1956 का पूर्ववर्ती विधेयक वहां पर लागू था जिसमें इन बागानों के लिए 11.1. हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया था। अधिकांश रबर बागानों के मालिकों ने इस प्राविधान से बचने के लिए अपने सारे

संयमों का विखण्डन शुरू कर दिया है। और अधिकांश मजदूरों को जीवन यापन की सुविधाऐं नहीं दी गयी है। ये बागान काफी या चाय बागानों की तरह नहीं है। रबर बागानों को बहुत आसानी से विखंडित किया जा सकता है। अनेकों मजदूरों को काम से निकाला जा रहा है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी गयी है। विशेषरूप से रबड़ बागानों के टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप कामगारों को उन सबसे वे लाभ नहीं मिल सकेंगे। अतः इस विषय के बारे में मेरी चिंता यह है कि मंत्री जी को इस की जानकारी होनी चाहिए।

दूसरी बात जिसे मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा, कामगारों की संख्या के साथ एकड़ों अथवा हेक्टेयरों की कुल संख्या से सम्बन्धित समीकरण का है। कामगारों की प्रति संख्या से हेक्टेयरों की संख्या प्रति बागान भिन्न-भिन्न है। चाय बागानों में समीकरण भिन्न की हो सकती है। इसी प्रकार कहवा (काफी) बागानों तथा रबड़ बागानों में भी यह भिन्न-भिन्न है। मेरा नम्र निवेदन है कि एकड़ों अथवा क्षेत्र की संख्या तथा कामगारों की संख्या का समीकरण चाय बागान की विभिन्न, भिन्न-भिन्न तथा विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के बाद निश्चित किया जाना चाहिए। अतएव, मेरा सुझाव है कि जैसा कि विभिन्न संशोधनों में सुझाया गया है कामगारों की संख्या को कम किया जा सकता है।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, घनराशि से सम्बन्धित है। यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट से बहुत दूर चला गया है जिसने 500 रु० की घनराशि के लिए सुझाव दिया था। अब इसे उन कामगारों जो इस लाभ को पाने के पात्र है के लिए 750 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। यह घनराशि काफी अपर्याप्त है। आप जानते हैं, इन बागानों से सम्बन्धित खेत पर काम करने वाले कामगारों के अलावा कुछ ऐसे अन्य कामगार भी हैं जो उद्योग से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ ऐसे कुशल, अकुशल तथा अर्द्ध कुशल कामगार हैं जो केवल एक हजार रुपए से भी अधिक पारिश्रमिक अथवा वेतन ले रहे हैं। सामान्यतौर पर, विद्यमान परिस्थिति तथा बागान कार्य में निहित श्रम की मात्रा को देखते हुए 750 रुपये की घनराशि पर्याप्त नहीं है। अतएव, मेरा नम्र निवेदन है कि उसी उद्योग के दूसरे हिस्से से सम्बन्धित कामगारों की पर्याप्त संख्या तथा जो अच्छे किस्म का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वेतन पा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए 750 रुपये की घनराशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को यह घनराशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर देनी चाहिए और इसके लिए इस मामले में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

एक अन्य बात मुआवजे के बारे में है जिसके बारे में इस विधेयक में बताया गया है जो एक घर के ढ़ह जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। यह बहुत ही कम घनराशि है। भवन बनाने में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा दूसरी लागतें काफी महंगी हो गई हैं। अतएव यह घनराशि कामगारों द्वारा कुछ घटिया किस्म का मकान बनाने में खर्च की जा रही ऊंची लागत के अनुरूप नहीं है। मुआवजे के लिए निर्धारित की गई घनराशि काफी अपर्याप्त है अतएव कम से कम भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री तथा निर्माण कार्य की वर्तमान लागत को पूरा करने के लिए इस घनराशि में वृद्धि की जाए।

किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा चोट लगने के मामले में कामगार मुआवजा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से धनराशि में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगा ताकि इससे कामगारों के साथ न्याय किया जा सके।

दूसरी चीज इस अधिनियम को लागू करने के बारे में है। यह बताया गया है कि यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके निश्चित करना चाहेगी। लेकिन जब तक अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक, जैसा कि मैंने पहले बताया है, रबड़ उद्योग की विशेष स्थिति के कारण विशेषरूप से रबड़ बागानों को विभाजित किए जाने का हरसम्भव खतरा है। बागानों के मालिक यहाँ तक कि बागानों के दो हिस्से कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप कामगारों की काफी बड़ी संख्या ये लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाएगी।

इन तीन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल विरोधी पक्ष से बोलने के लिए कहा है। आपका नाम सूची में है। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में तो मैं सदन तथा माननीय श्रम मंत्री महोदय की जानकारी में इस बात को लाना चाहता हूं कि दावा, जो उन्होने विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करते समय किया है कि विधेयक बागान कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, मेरा नम्र निवेदन है कि यह न्यायोचित नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री राजन यह सिद्ध करते हुए कि जो दावा माननीय मंत्री महोदय ने किया है न्यायोचित नहीं है, मेरी समस्या पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह विधेयक बागान कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। मेरी इस बारे में टिप्पणी है कि यदि आप विधेयक तथा संयुक्त समिति की रिपोर्ट को पढ़ लें तो इसे ठीक तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इस सदन को अखिल भारतीय बागान कामगार संघ की सचिव श्रीमती विमला रनादीव द्वारा वर्ष 1976 में प्रस्तुत की गई एक याचिका पर विचार करने का अधिकार था; उनके द्वारा बागान कामगारों की हालातों के बारे में, एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और याचिका (पेटीशन्स) समिति द्वारा इस पर विचार किया गया था और उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी थीं। मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा।

इस विधेयक में बागानों का पंजीकरण करने, अतिरिक्त निरीक्षकों की नियुक्ति करने, स्त्री कामगारों के बच्चों के लिए आवास प्रदान करने के लिए कर्मचारियों का कर्त्तव्य, घरों के ढह जाने के कारण चोट लगने तथा मृत्यु हो जाने पर मुआवजे का भुगतान करने तथा समयोपरि भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था है। ये विधेयक के प्रमुख उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें कतिपय कमियां हैं। मैं उनके बारे में बता रहा हूं। पहली कमी यह है कि इस विधेयक में एकड़ों की संख्या की सीमा को 5 हेक्टेयर तक कम करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस संशोधन के अन्तर्गत अनेक बागान आ जाएंगे, लेकिन इससे सभी बागानों को लाभ नहीं पहुंचेगा। अधिकांश

बागान इस विधेयक की परिधि से बाहर रह जाएंगे। फिर इसके गम्भीर परिणाम भी होंगे। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं क्योंकि मैं पश्चिमी बंगाल का हूं जहां चाय बागान एक महत्वपूर्ण उद्योग है। अधिकांश बागान मालिक अब बागान समूहों के आकार को कम करना चाहेंगे ताकि उन्हें विधान की परिधि से बाहर रखा जा सके। अतएव, इसका केवल एक ही उपाय है कि इसके आकारों पर ध्यान दिए बिना सभी बागानों को इसके अन्तर्गत लाया जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ ऐसी कमियां रह जाएंगी जिनके आधार पर बागान मालिक अपने बागानों को इस कानून की परिधि से बाहर रखने में समर्थ रहेंगे। एक दूसरी कमी यह है कि आपने महिला कामगारों के लिए क्रेचों (शिशु गृहों) की व्यवस्था न करके कमरों की व्यवस्था की है। 'क्रेच' (शिशु गृह) का विचार तथा 'कमरे' का विचार बिल्कुल एक जैसा नहीं है। आप एक ट्रेड यूनियन नेता हैं। आप महिला कामगारों की परेशानियों को जानती हैं। इस विधेयक में बच्चों की देख-भाल करने के लिए कमरे देने की व्यवस्था की गई हैं। वह कमरा केवल वहीं दिया जाएगा जहाँ 20 से अधिक बच्चे होंगे। यदि संख्या कम हुई तब नियोक्ता के लिए कमरा दिया जाना जरूरी नहीं हैं, आधुनिक क्रेच (शिशु गृह) के प्रश्न की तो बात ही छोड़िए।

अब मैं आवास के प्रश्न के बारे में बताना चाहूंगा। किन्तु, उसके बारे में बताने से पहले मैं केवल संयुक्त समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बच्चे कम हैं तो यह अच्छा है क्योंकि हम जनसंख्या में वृद्धि को रोकना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : आप ऐसा अपने घर में कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि 20 बच्चे होंगे तो वे इसकी व्यवस्था करेंगे। यदि बच्चे कम हुए तब तो उन्हें इसकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं यही कहना चाहता था। व्यवस्था यह है कि यदि सम्पदा में 20 बच्चे होते हैं तो कमरे की व्यवस्था की जायेगी। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को सुविधा प्रदान की जाये। चाहे उनकी संख्या 20 से भी कम हो, तो भी यह सुविधा दी जानी चाहिये। मैं केवल अपने ही अनुभव से नहीं कह रहा हूं अपितु संयुक्त चुनाव समिति की रिपोर्ट में जो अनुभूत किया गया है, उसके अनुरूप है। मैं उनकी रिपोर्ट से हवाला दे रहा हूं—

"समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते समय बागानों में नियुक्त कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह कहा था कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में की गई व्यवस्था का कार्यान्वयन विशेषकर श्रमिकों के लिये किये गये विभिन्न कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था, बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं था।"

संयुक्त चुनाव समिति द्वारा यह टिप्पणी दी गई है।

"उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि उन उपबंधों का पालन करने के बजाय उनका उल्लंघन ही अधिक किया गया हैं।"

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था का पालन करने के बजाये उसका उल्लंघन अधिक किया गया है।

"अधिनियम में की गई व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त किये गये राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि निरीक्षण-कर्मचारियों एवं परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण वे उन बागानों का जो उनके सर्वेक्षण में थे, निरीक्षक का उतना प्रबन्ध नहीं कर सके जितनी उनसे अपेक्षा की गई थी। बागान क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान समिति ने यह भी देखा कि अनेकों बगीचों में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई, शौच घरों और पेशाव-घरों का प्रबन्ध, योग्य चिकित्सकों और औषधियों की व्यवस्था जैसी आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी, यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ताओं द्वारा ये सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये थीं।"

वस्तुतः, मेरे विचार से सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि जब इस बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जा रहा है, तो संशोधन का उद्देश्य संयुक्त चुनाव समिति द्वारा दर्शायी गई कमियों को दूर करने के प्रति होनी चाहिये। सम्भवतः आप इस बात से सहमत होंगे—मेरे विचार से आप निश्चित रूप से सहमत होंगे—कि विधेयक में संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों अथवा उनकी सिफारिशों के तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये, मैं कहता हूं कि संयुक्त चयन समिति की सिफारिशें आवश्यक हैं, इतने भर से वे स्वीकृत नहीं हो जातीं अपितु विधेयक में उनका स्वरूप परिलाक्षित होना चाहिये। संयुक्त चयन समिति का विचार पूर्णतः स्पष्ट था कि विधेयक में संशोधन करने का मूल उद्देश्य कमियों और त्रुटियां दूर करने का था तथा इस बात को सुनिश्चित करना होना चाहिये कि 1951 के अधिनियम का कार्यान्वयन, जो अब तक नहीं हो पाया है, समुचित रूप से किया जाना चाहिये। 1951 के अधिनियम की आधारभूत और मौखिक कमियों को दूर करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। इसलिये, ऐसा दावा करना समुचित नहीं है अपितु यह बागान मन्त्रियों के हित में हैं। जब तक बागान-मालिकों को दण्ड देने की व्यवस्था नहीं कर दी जाती, तब विधेयक पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें इस बात की अनुमति होगी कि वे जो 1951 से करते आ रहे हैं, करते रहें।

याचिका समिति के कुछ प्रेक्षणों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्ष 1976 में याचिका सं० 7 पर सदन की याचिका समिति द्वारा इस पर विचार-विमर्श भी किया गया था। यह उल्लेखनीय है और सदन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह हमारे देश के बागान श्रमिकों से सम्बन्धित है, और सदन इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकता क्योंकि बागान उद्योग में 9 लाख से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। यह उद्योग 400 करोड़ रु० से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अपने देश की उन्नति तथा विदेशी बाजार में आयात को बढ़ावा देने में उनका योगदान रहा है। किन्तु, दुर्भाग्य बागानों में नियुक्त कर्मचारी आज नितान्त उपेक्षित हैं। इसलिये, याचिका समिति ने कुछ वश, टिप्पणियां दी हैं, मेरे विचार से, जिनके बारे में सदन को अवगत होना चाहिये।

मैं हवाला दे रहा हूं—

"समिति के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें देखते हुए समिति कर्मचारियों की इस शिकायत से सहमत हैं कि यद्यपि देशी और विदेशी दोनों बाजारों में, विशेषकर चाय और काफी आदि के सम्बन्ध में, बागानों द्वारा पर्याप्त लाभ अर्जित किया गया है, तथापि नियोक्ता कर्मचारियों को, अपनी रहन-सहन की स्थिति सुधारने के लिये सुविधायें प्रदान करने के प्रति उतने उदार नहीं हैं। वास्तव में, बागानों का दौरा कर स्थल अध्ययन करने वाले समिति के अध्ययन ग्रुप को कर्मचारियों की ओर से कम-वेतन, वेतन भुगतान में देरी करने, और बागान श्रम अधिनियम, 1951 में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी की गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने के बारे में अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अध्ययन ग्रुप ने जो कुछ देखा, उससे इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों को लागू करने के प्रति प्राधिकारियों की अक्षम्य उदासीनता, लापरवाही और तत्कालिनता की कमी नहीं रही है। समिति का विचार है कि केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकती है.....

क्या आप अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो रहे हैं ?

याचिका समिति का विचार है कि आप अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते।

मैं आगे उद्धृत करता हूं—

"समिति का विचार है कि जहाँ तक बागान श्रम अधिनियम, 1951 के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को समुचित और समयानुकूल मार्गदर्शन देने के उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकती।"

आवास के बारे में, संयुक्त समिति ने जो कुछ कहा है, मैं केवल उसका उल्लेख और करना चाहता हूं :

"बागान में आवासों के निर्माण की प्रगति की अत्याधिक असन्तोषजनक रही है और वास्तव में आवासों के निर्माण की दर शनैः-शनैः कम होती गई है।"

महोदया, मन्त्री जी, क्या आप संयुक्त समिति ने जो कुछ कहा है, उसकी ओर ध्यान देने की कृपा करेंगी ?

"आवासों के निर्माण की दर धीरे-धीरे गिरती गई है। नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि आवासों के निर्माण का उत्तरदायित्व उठाने के प्रति उनकी रुचि नहीं है।"

महोदय, मेरा विचार है कि आप मुझे और अधिक समय नहीं देना चाहेंगे।

मूल समस्या तो मौलिक अधिनियम के कार्यान्वयन न करने की है। इसके प्रति जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। बागान मालिकों का हित साधन हो रहा है। बल्कि स्थिति यथावत है।

यथावत स्थिति का मतलब है कि बागान मालिकों का हित साधन किया जा रहा है।

इसलिये, मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार का दावा उचित नहीं है। विधेयक मौलिक अधिनियम की आधारभूत त्रुटियों को दूर नहीं करता। इस विधेयक से बागान-पत्तियों का हित साधन होता है न कि बागान-श्रमिकों का।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : यह बिल्कुल गलत है।

श्री चित्त बसु : महोदय, कर्मचारियों के साथ कार्य करते हुए मुझे व्यावसायिक संघ के कार्यों के बारे में पता है। जैसी स्थिति है, उसे आप स्वीकार कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : और उसमें आगे सुधार कीजिये।

श्री चित्त बसु : ठीक है महोदय। इसलिये मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। जो प्राप्त हो गया है उसे हम स्वीकार करते है और जो प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिये संघर्ष करते हैं।

मैं चाहता था कि जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, उसे प्राप्त करने में सरकार कर्मचारियों के संघर्ष में उनका साथ दे। क्या मुझे पता चल सकेगा कि सरकार कर्मचारियों का साथ देगी अथवा बागान-मालिकों का ? मेरा कहना उचित है कि मन्त्री जी ने जो दावा किया है वह ठीक नहीं है। इसलिये इस विधेयक को देश के श्रमिकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो सकता। किन्तु, इस समय, मेरे विचार से यह एक उचित कदम है और किसी हद तक इसका समर्थन किया जा सकता है। किन्तु हम लोग जो कुछ चाहते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। बागान श्रमिकों के लिये विस्तृत कानून होने में ही आधारभूत हित है। श्रम क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, अन्य सुविधायें, अन्य कानूनों द्वारा प्रदान कराई जा सकती है।

इस मामले में, आप पायेंगे.....मामले आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें आप देखेंगे कि मूल अधिनियम में आवास, पेय जल, चिकित्सा सुविधाएं आदि सभी चीजें शामिल हैं। परन्तु 1951 के अधिनियम में निहित ये अनुषंगी लाभ पटसन व्यवसाय के श्रमिकों के लिए अन्य अधिनियमों में निहित लाभों के समान नहीं हैं।

महोदय, बागान हमारी अर्थ-व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : महोदय मेरी अन्तिम बात यह है कि बागान की महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं दी जाती यद्यपि हमारे पास समान मजदूरी अधिनियम है। अब तक भी उस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। 1976 के इस समान मजदूरी अधिनियम के अनुपालन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

महोदय, हमें समाचार-पत्रों से पता लगा है कि वैकल्पिक मजदूरी सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि यह सभा पटल पर रखी जाएगी। हमें बताया गया है कि यह मई, 1980 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि :—

(एक) "यह पाया गया है कि श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई है परन्तु यह वृद्धि केवल पुरुष श्रमिकों की मजदूरी में हुई और महिला श्रमिकों की मजदूरी में नहीं हुई है;

(दो) सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि तीन बागानों में महिला श्रमिकों की कमाई पुरुष श्रमिकों से कम है। चाय बागानों में यह अन्तर 11 पैसे से 98 पैसे, काफी बागानों में 46 से 117 पैसे और रबड़ बागानों में 28 पैसे से 142 पैसे तक है।"

महोदय, लिंग-भेद का ध्यान रखे बिना पुरुषों तथा महिलाओं समान नागरिकता का अधिकार है परन्तु हमारे यहां एक महिला श्रम मन्त्री होते हुए भी वह महिला श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करतीं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय, माननीय मन्त्री को पता होना चाहिए कि श्रम मन्त्रालय तथा मैंने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरे विचार में मन्त्री जी को कुछ और तेजी से कार्य करना चाहिए। वह कुछ धीरे कार्य करती है। उन्हें तेजी से कार्य करना चाहिए।

महोदय यह कह कर समाप्त करता हूं कि सरकार को मेरे बताए अनुसार बागान श्रमिकों के लिए एक विस्तृत विधेयक लाने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि बागान श्रमिकों की समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने के लिए बागान श्रमिकों, सरकार के प्रतिनिधियों और बागानों के मालिकों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। मुझे आशा है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण स्रोत बागान के श्रमिकों की ओर सरकार तथा सभा उचित ध्यान देगी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान बनने के 32 साल के बाद भी अगर इस देश में शोषण और दमन पर टिकी व्यवस्था कायम रहे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, (38) और (39) का अनुपालन नहीं हो रहा है और 32 साल के बाद आप यहां पर यह बिल ला रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि आज भी इस देश में आदमी का आदमी के द्वारा शोषण होता है। आप इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे ? हम दुनिया में आवाज करते हैं कि शोषण-विहीन समाज की स्थापना करेंगे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ी काबिल और योग्य एक महिला मन्त्री इस बिल को पायलट कर रही है। स्त्री के हृदय में बड़ी करुणा और दया होती है। स्त्री में सभी गुण होते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में अगर कोई बहुमूल्य रत्न है तो वह स्त्री है। उन्होंने आज यहां 32 साल के बाद रखा है कि मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्था की जायेगी। उधर के नेता कह रहे थे कि क्या व्यवस्थायें करना चाहते हैं। व्यवस्था यह करना चाहते हैं कि जो बागान के मालिक हैं वे बड़े बंगले में रहें, आराम करें और गरीब मजदूर लोग कहें कि हमें दवाई के लिए पैसे दो, हमें हमारी-तनख्वाह दो। आखिर यह बिल क्या है ? नौकरशाही ने यह बिल बना दिया है। क्या इंसान-इंसान में कोई फर्क है ? मेहनत मजदूर करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, भरी धूप में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं और प्लान्टेशन

के मालिक किस प्रकार से अपनी रंगीन रातें बिताते हैं और कहां-कहां घूमते हैं ? आप यह क्यों नहीं कहते कि उसको, उनका जो हिस्सा मजदूरी का है वह दे दिया जायेगा और यह उनका अधिकार होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। आप देखें, जब बीस आदमी होंगे तभी यह कानून लागू होगा और अब आपने इसको 15 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इस देश में एक आदमी का, सात आदमियों का या 14 आदमियों का शोषण हो सकता है और उसको कानून नहीं रोकेगा। मैं नहीं समझता यह कैसा कानून है ? मैं समझता हूं सन् 1981 में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि किसी आदमी का शोषण हो सकता है। कानून तो हर आदमी के लिए होना चाहिए और तभी शोषण-विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है।

यह आपका सन् 1951 का ऐक्ट है, इसमें सेक्शन (39) और (40) हैं—मैं जानना चाहूंगा कि इनके अन्तर्गत आपने कितने आदमियों को प्राजीक्यूट किया है और उनको क्या सजा मिली है ? सेक्शन (40) कहता है :

इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय एक दण्डनीन अपराध में जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि इस अपराध की शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। यह अपराध निरीक्षक को पता लगने की तारीख से तीन महीने के भीतर यह शिकायत नहीं की जाती। अगर किसी एक आदमी को भी आपने सजा दी हो तो उसके आंकड़े देने की कृपा करें।

अब मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर दिलाना चाहता हूं :

इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती या मुख्य निरीक्षक की लिखित रूप से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती और प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करेगा।

मैं एक दुःखी व्यक्ति हूं। मैं सीधे न्यायालय में नहीं जा सकता। मैं मुख्य निरीक्षक के माध्यम से जाऊंगा।

इस एक्ट को भी अमेंड नहीं किया। क्या गरीब मजदूर की हिम्मत है चीफ इंसपैक्टर के पास जाने की ? इस नौकरशाही ने और धनी लोगों ने अपना गठबन्धन कर दिया और उस गठबन्धन के कारण हिन्दुस्तान की आजादी का मजाक, कुछ नेताओं ने और कुछ पूंजीपतियों ने किया। गरीबों की दुनिया नहीं है, यह दुनिया इस प्रकार के कानून—वैलफेयर मेजर—लाती है। आप इस प्रकार कोई दया करते हैं, कोई आपकी मेहरबानी है। जब क्रांति आ जाएगी, वैलफेयर मैंजर, क्या आप वैलफेयर मेजर का नाम लेते हैं, यह बात हम नहीं मानते हैं। मजदूर नही जा सकता है, चीफ इंसपैक्टर ही कर सकता है, यह मैं अभी तक नहीं समझा। फिर आप कहते हैं कि उसका सजा तो

हो ही नहीं सकती है, दो रुपया या चार सौ रुपया जुर्माना। हम लोग जब बगीचे में जाते हैं, तो मजदूर लोग बगैर कपड़े पहने नंगे खड़े रहते हैं। हम लोग खूब ज्यादा खाते हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाते हैं और ऐश करते हैं—यह प्लानटेशन की हालत। आपने फिर कहा है कि पांच एकड़ कर दिया। जब एक एकड़ में आदमी मजदूर रखता है, तो वहीं अधिकार होना चाहिए। श्री मनोरंजन राय ने डिसैंटिंग नोट दिया है—

"हमारे विचार में भूमि सीमा घटाकर पांच हेक्टेयर कर देने से कुछ और अधिक भूमि पर रोपण हो सकेगा। यद्यपि इस विधेयक से काफी भूमि, विशेषकर दक्षिण में, विना रोपण के रह जाएगी। इस अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ रोपण करने वाले रोपण का आकार घटा देंगे। अतः हमारा प्रस्ताव है कि बागानों में रोजगार पर विचार किए विना भूमि सीमा घटाकर 2.5 हेक्टेयर की जाए।"

उसने कहा है कि नहीं होना चाहिए और आज आप कह रहे है कि नहीं, हम तो यह कानून बनाना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : प्लानटेशन को नेशनलाइज कर दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो कहता हूं, नेशनलाइज करने के बाद आखिर में मालिक मजदूर को बना देना चाहिए। हमारे मन्त्री जी कानून पास करते हैं और कानून पास करने के बाद सदन में बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। मैं एक बात कहता हूं, लेबर डिपार्टमेंट का काम कानून बनाना है···

श्रीमती राम दुलारी सिंहा : कानून बनाते हैं, और कार्यान्वयन करते और कराते हैं।

श्री मूलचंद डागा : इम्पलीमेंटिंग बाडी अलग है। हम बात करते हैं कि आसमान जमीन पर ले आयेंगे····· (व्यवधान) ·····आप सिद्धान्त बतायेंगे। भाषण देने आप जायेंगे। काम नहीं, करेंगे, हम सुनेगें।

श्री रामदुलारी सिन्हा : हम काम करते रहेंगे और फिर भी आप हमको गालियां सुनाते रहेंगे।

मूलचन्द डागा : गालियां नहीं सुनायेंगे। हम तो कहेंगे कि भगवान करे, आप अच्छे-अच्छे भाषण दें और काम कुछ न हो। 32 साल की आजादी के बाद भी ये बातें होती रहीं कि हम आपकी भलाई करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप क्या भलाई करेंगे। वह मजदूर बेचारा मेहनत कर के सोना पैदा करता है और वह सोना ले जाते हैं बागान वाले। आप कानून बना रहे हैं—"वैल-फेयर मेजर—झोपड़ी देंगे।" यह कानून अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है, यह कानून क्या बना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 10 मि० का समय ले चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है। मुझे पता है कि आपका दिल गरीबों की तरफ है, लेकिन यहां ये गरीबों के मसीहा बैठे हुए हैं।

आप देखिये–16 मई, 1973 को यह बिल ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी को रेफर किया गया। ज्वाइन्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी और 1975 के बाद 1981 में डिस्कशन हो रहा है। इस से मजदूर का क्या भला होगा ? जो चीज आप 1973 में शुरू करते हैं, 1981 तक उनके हितों की ही बात करते रहे, 8 साल तक कुछ नहीं किया।

इसमें जो वैलफेयर-मेजर्ज की बात है, वह तो हमारा अधिकार है, जो हम से छीन लिया गया है और उन एक्सप्लायटर्स ने छीना है जो हमारे खून का शोषण करते हैं। यह तो मेन्डेटरी होना चाहिये कि उनके लिये मकान बनाये जाये। वहां क्या है–बागान के बीच में एक बंगला बना हुआ है, नौकर खड़े हैं, लेकिन मजदूरों के लिए क्या है ? इसमें आप ने प्रावधान किया है कि बागान में अगर 20 औरतें काम करती हैं, हालांकि पहले 50 औरतों के लिए था जो आप ने अब 20 कर दिया है, तो उनके लिये नर्सरी होम का इन्तजाम किया जायगा। मैं पूछता हूं—अगर 19 औरतें होंगी तो क्या होगा ? यह क्या तरीका है–अगर हिन्दुस्तान का बच्चा रोता है तो देश रोता है। आप के ये वैलफेयर-मेजर्ज कैसे काम में आयेंगे ? आप इसको हर आदमी के लिये लागू कीजिए, इसमें लिमिटेशन मत कीजिए, 5 हेक्टेअर्स की बात मत कीजिये और कुछ सजा भी मिलनी चाहिए।

मंत्री महोदय को यह कहना चाहिये कि हम इस को वापस लेते हैं और मैं नया बिल पेश करूंगी।

श्री रामप्यारे पानिका (रावर्टगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया श्रम राज्य मंत्री जी के बागान सम्बन्धी अधिनियम का पुरजोर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो इस बिल को पेश तथा उद्देश्य के सम्बन्ध में माननीया मंत्री जी ने विस्तार से बतलाया है और इस बिल का आम तौर पर सभी ने स्वागत किया है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि केवल यह बिल ही नहीं, 1980 से, जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी हैं, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है कि देश का औद्योगिक उत्पादन, जो जनता रिजीम में बढ़ने के बजाय घट गया था, तभी से बढ़ना शुरू हुआ। 1980-81 में हमारा उत्पादन साढ़े तीन प्रतिशत बढ़ा और कल ही पं० नारायण दत्त तिवारी, श्रम मंत्री जी ने बतलाया कि इस वर्ष 10 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है। इस का मुख्य कारण क्या है ? जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऐसी श्रम नीति अपनाई है जिस से औद्योगिक क्षेत्र में सब जगह शान्ति रही है और यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है यह भी उसी कड़ी का भाग है। कई सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि यह सरकार देर से इस बिल को लाई है, तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, तो आप जो ढाई-तीन साल तक रहें, तो उस समय क्या करते रहे। क्या आप उस समय सोते रहे थे। इसलिए यह आरोप लगाना कि यह बिल देर से आया है, ठीक नहीं है। दो-ढाई साल तक आप ने कुछ नहीं किया, उस का आपने ध्यान नहीं रखा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल यह नहीं कि ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी ने जो अनुशंसाएं दी हैं उन को माना है बल्कि सरकार और ज्यादा उदार बन गई है और उनकी अनुशंसाओं से भी आगे बढ़ गई है। आप यह देखें कि ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी ने 18 हजार रुपये कम्पेंसेशन देने की

रिकमंडेशन की थी लेकिन हमारी सरकार ने उदारता दिखाते हुए, उसे 24 हजार रुपये कर दिया और अपंगों के लिए जो उन्होंने 20 हजार रुपये कम्पेंसेशन देने की बात कही थी, सरकार ने उसे बढ़ाकर 33,600 रुपये कर दिया। ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी में विरोधी पक्ष के सदस्य भी होते हैं और हमारे पक्ष के सदस्य भी होते हैं और उस की जो रिपोर्ट थी, उस को और उदार बनाया गया है। 1951 का जो एक्ट था और जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल लाया गया है, आप यह देखें कि हम ने हर क्षेत्र में इस में सुधार किया है।

जहां तक प्लान्टेशन के रजिस्ट्रेशन की बात है, उस में भी सुधार किया गया है। पहले जहां 10.117 हेक्टेयर की लिमिट थी, उस को अब 5 हेक्टेयर कर दिया है हालांकि मैं चाहता हूं कि इस को तीन या ढाई हेक्टेयर कर देना चाहिए क्योंकि लेबर्स की संख्या 30 से घटा कर अब 15 कर दी है। तीन और ढाई हेक्टेयर में अगर 15 मजदूर काम करते हैं, तो उसे आप रजिस्टर करें। चित्त बसु साहब और राजन साहब ने जो यह कहा है कि मजदूरों की संख्या 10 होनी चाहिए, अगर इस को कर दिया जाए, तो यह एक अच्छी बात होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में जो एक नया प्रावधान किया गया है कि अगर मकान किसी मालिक ने दिया हुआ है और वह गिर जाता है और उसके गिरने के कारण किसी की डैथ हो जाती है, तो वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट, 1923 के अनुसार उसको कम्पेंसेशन दिया जाएगा। इसमें यह भी किया गया है कि पहले मजदूरों के वेतन की सीलिंग 300 रुपये थी। अब उसको बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस तरह से आप देखें कि हमारी सरकार ने जो ये प्रावधान इस बिल में किये हैं, वे निश्चित तौर पर प्लान्टेशन वर्कर्स के हित में हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि एक काम्प्रीहैंसिव बिल होना चाहिए, मैं मानता हूं कि यदि कोई काम्प्रीहैंसिव बिल अलग से आए, तो अच्छा होगा। आप जानते होंगे कि कई कान्फ्रेंसेज हमारे श्रम मन्त्री जी ने की हैं। उन्होंने लेबर मिनिस्टर्स की भी कान्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें कुछ निर्णय लिये हैं और जो मिनीमम वेजेज की बात है, वह होने ही वाली है लेकिन जो कई सदस्यों ने इसमें शंका प्रकट की है, वह मैं उचित नहीं समझता। वे हर बात पर शंका प्रकट करते हैं और मेरा यह कहना है कि उनकी शंका निराधार है। बात यह है कि जैसा चश्मा वे लगाते हैं, दूसरों को भी वैसा हम समझते हैं। इनका जो निकम्मापन था, वह दो-ढाई साल में सामने आ गया।

मैं एक बार पुन: अपनी सरकार को और खास तौर पर लेबर मन्त्रालय को और श्रम राज्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इस तरह का एक क्रान्तिकारी बिल लाई और विरोधी दल के सदस्य जो इसको देर से लाने का आरोप लगा रहे हैं, वह सही नहीं है। दो सालों में लेबर एक्ट में यह सरकार संशोधन लाई है और यह सब जानते हैं कि यह सरकार मजदूरों के हितों के लिए, कृषि मजदूरों और किसानों के हितों के लिए काम करती है और कई कार्यक्रम वह इनके लिए लाई है। 34 बिल पिछले सेशन में हमने पास किये हैं और इस सेशन में भी काफी बिल हम पास कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष से कहता हूं कि वे सर्वसम्पति से इसका अनुमोदन करें और इसको पास करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय मैं बागान श्रम (संशोधन) विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करने वाले श्री आनन्द पाठक, श्री बी० के० नायर, श्री ऐरा मोहन, श्री गिरिधारी लाल व्यास, श्री के० के० राजन, श्री चित्त वसु तथा अन्य उन माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बागान श्रमिकों की हालात को सुधारने के लिए काफी कार्य किया है । मैं श्री चित्त वसु का बहुत आभार प्रकट करती हूं और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं । परन्तु वे विरोध पक्ष में बैठे हैं इसलिए उन्हें सरकार के कार्यों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है यदि ऐसा करना उचित है और मजदूरों के हितों की सुरक्षा तथा उनके कल्याण के लिए है ।

जहां तक समान मजदूरी का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अधिनियम 1976 में लागू हो गया था । माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिए । परन्तु इसकी व्याख्या 1974-75 में की गई थी । सरकार और मैं इस अधिनियम को पूरी तरह लागू करने के इच्छुक हैं । अगली बार जब यह प्रश्न सभा में उठेगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने और मेरे मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ।

जहां तक श्री डागा का सम्बन्ध है मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं कहना है कि मेरे प्रश्नों और मेरे विधेयकों की आलोचना करना उनकी आदत है । मैं श्री डागा के दो पंक्तियां सुनाती हूं ।

डागा मुझे मालूम है बुलबुल तेरी हकीकत
एक मुश्त उस्तुख्वा दो पर लगे हुए ।

काफी सदस्यों ने कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपबन्धों को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है, बहुत से सुझाव दिए हैं । और कुछ सुझाव बागानों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में दिए गए हैं । यद्यपि मैं केवल अधिनियम 1951 में संशोधन के बारे में ही बात करूंगी ।

माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अधिनियम को 2.5 हेक्टेयर तक लागू किया जाए—जैसा कि श्री चित्त बसु और श्री डागा ने कहा है । मैं यह बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे अधिनियम के उपबन्धों भूमि सीमा और इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या पर विचार किए बिना किसी भी बागान पर लागू कर सकती हैं । परन्तु छोटे बागानों की आर्थिक हालात तथा इनके सामने आने वाली कठिनाइयों को भी हमें ध्यान में रखना होगा ।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

माननीय सदस्यों ने पीने के पानी की सप्लाई, सफाई की न्यूनतम सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाओं आदि के अभाव की ओर भी ध्यान दिलाया है । सरकार श्रमिकों के कल्याण तथा कानूनों को लागू करने के लिए भी उतनी ही उत्सुक है ।

मैं माननीय सदस्यों को अधिनियम 1951 में वर्तमान दण्ड उपबन्धों में संशोधन की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । यह प्रस्ताव किया गया है कि यह अधिकार न्यायालयों को दिया जाए कि नियोक्ता इन उपबन्धों का उल्लंघन कब तक बन्द कर देंगे । इन आदेशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय छः महीने तक की अनिवार्य दण्ड और इन आदेशों का पालन न करने के लिए प्रति-दिन 300/ रुपये का जुर्माना कर सकेंगे ।

मैंने पहले ही इस बात की उस समय कह दिया था जब मैं कल सदन के समक्ष यह विधेयक पुनःस्थापित कर रहा था । इस प्रकार, पहली बार समय वृद्ध कार्यान्वयन होना और निदेशों के उल्लंघन के लिए और अनिवार्य सजा दी जायेगी । मुझे विश्वास है कि इन सख्त दंडात्मक प्रावधानों से, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सुधार होगा ।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि अधिनियम में श्रमिकों की संख्या अथवा बच्चों की संख्या का कोई उल्लेख किए बिना शिशुगृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं बता सकता हूं कि संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों को उन स्थानों पर भी शिशुगृहों की व्यवस्था करने के अधिकार दिए गये हैं जहां कि महिला श्रमिकों अथवा बच्चों की संख्या, अधिनियम में दी गई संख्या की तुलना में कम है । श्री चित्त बसु को यह बात नोट कर लेनी चाहिए । इससे बच्चों के लिए शिशुगृहों की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी होंगी । इस प्रयोजन के लिए बनाए जाए जाने वाले नियमों में इस बात की ओर ध्यान दिया जाएगा कि शिशुगृहों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखा जाए ।

श्रमिकों को मुहैया किए जा रहे आवासों की संख्या में कमी की मुझे जानकारी है । नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि आवास प्राप्त करने के हकदार श्रमिकों की कुल संख्या 5.31 लाख में से 3.72 लाख श्रमिकों को पहले ही आवास दिए जा चुके हैं । यह इस प्रयोजन के लिए ऋण और अनुदान देने के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक प्लान योजना है । मुझे आशा है कि निकट आवास की कमी निकट भविष्य में घटेगी । मैंने पहले ही बता दिया है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने में पहले ही विलम्ब हो गया है । जैसा कि माननीय सदस्यगण देखेंगे, सरकार ने संसद की संयुक्त प्रवर समिति की प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । बागानों द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध कराये गए आवासों के गिर जाने के कारण हुई मृत्यु अथवा चोट के मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति कर भुगतान कर दिया जाएगा । मैं माननीय सदस्यों की इस चिंता से पूरी सहमत हूं कि सरकार को अधिक सुविधाओं युक्त एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए । मैं माननीय सदस्यों से इस बात की अपील करूंगा कि वे श्रमिकों के कल्याण के हित में इस प्रगतिशील उपाय का तहदिल से समर्थन करें ।

श्री चिन्त बसु : उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मजदूरी के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मुझे उस बात की चिंता है । मैंने काफी कुछ किया है । यदि कोई मामला आप के सामने आया है तो उसे आप मेरे नोटिस में ला सकते हैं और मैं अपेक्षित कार्यवाही करूंगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर "राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाएगा ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार, विचार करेंगे ।

खण्ड 2

श्री मूल चन्द डागा (पाली) मैं प्रस्ताव करता हूं कि

प्रश्न 1, पंक्ति 12

"पन्द्रह" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए ।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 1 पंक्ति 11,

"5 हेक्टर" के स्थान पर "2.5 हैक्टर"

प्रतिस्थापित किया जाय ।

पृष्ठ 1 पंक्ति 12,

"पन्द्रह" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2,

'या सिनकोना "शब्दों के स्थान पर "सिनकोना या इलायची" शब्द रखे जायेंगे'— के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय:—

" चाय, काफी, रबड़, या सिनकोना" शब्दों के स्थान पर "भाड़े पर कर्मकार नियोजित करके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए चाय, काफी, रबड़, सिनकोना औषधीय पौधे, इलालची, नारियल और अन्य कृषि वस्तुएं" शब्द रखे जायेंगे "

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,

"5 हैक्टर" के स्थान पर, " 2.5 हैक्टर" प्रतिस्थापित किया जाय ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 12,

"5, हैक्टर" के स्थान पर, " 2.5 हैक्टर" प्रतिस्थापित किया जाय । (13)

श्री सुबोधसेन (जलपाई गुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2,

"या सिनकोना" शब्दों के स्थान पर "सिनकोना या इलायची" शब्द रखे जायेंगे'—के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"चाय काफी, रबड़, या सिनकोना," शब्दों के स्थान पर "वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए चाय, काफी, रबड़, सिनकोना, औषधीय पौधे, इलायची, नारियल, सुपारी और अन्य कृषि वस्तुएं" शब्द रखे जायेंगे "'

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जहां तक खण्ड 2 का सम्बन्ध है। मैंने अपने संशोधन में कहा है : 'पन्द्रह' के स्थान पर 'दस' प्रतिस्थापित किया जाए।

आपने जब एरिया छोटा कर दिया है, 5 एकड़ कर दिया है तो 10 वर्कर भी हों तब भी यह कानून होना चाहिए ।

यहां पर जो डिसेंटिंग रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है, उसमें डिसेंटिंग नोट यह भी है

"इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि बागानों में रोजगार का ध्यान किए बिना क्षेत्र को और कम कर के 2.5 हेक्टेयर तक लाया जाए।"

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि क्या 5 या 10 आदमी हैं तो उनका शोषण होगा, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा ? कानून का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी आदमी का शोषण न करे। शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं और संविधान की मुख्य धारा है।

संविधान में कहा है कि हमारे देश के अंदर मीनार में बैठने वाले को नीचे और जमीन में बैठने वाले को ऊपर उठाया जाएगा और मंत्री महोदय जो यह कानून ला रहे हैं 1981 में उस में कहा गया है कि 10 आदमियों का शोषण कर सकते हैं। वह आर्गनरइज लेवर नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकता।

मेरा कहना है कि नंबर बहुत कम होना चाहिए। कई बार बागान के जो मालिक होते हैं वे चीफ इंस्पेक्टर से मिल लेते हैं। श्रम विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वे लेवर कमिश्नर बनने के बजाए लेवर इंस्पेक्टर बनना ज्यादा पसंद करते हैं।

सभापति महोदय : आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : मुझे इसलिए मालूम हुआ कि लेबर में थोड़ा बहुत काम करता हूं। मुझे मालूम है कि फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, शाप-इंस्पेक्टर, एस० एच० ओ०, रहने में बड़ा आनंद है। सभापति जी, क्यों कि वह सीधा संबंध अपना जोड़ देता है।

वे अटेंडेंस गलत लगाते है। जो नम्बर रखा जाए वह मिनीमम रखा जाना चाहिये। पंद्रह क्यों रखे हैं ? आज भी हमारे समाज में एक आदमी दूसरे का एक्सप्लावटेशन कर सकता है तो

कानून का क्या मतलब ? दो आदमी हों चार आदमी हों और चाहे एक आदमी भी हो अगर उसका शोषण होता है तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे ? इस वास्ते मेरा निवेदन है कि नम्बर को आप रिड्यूस करें ।इस विभाग की महिला मंत्री हैं। उनके हृदय में करूणा है। मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन को वह मंजूर करेंगी। श्रीमान आप बिहार के हैं और बड़े लर्निड आदमी हैं। इनको कहिये कि इस मामूली से संशोधन को मान लें।

सभापति महोदय : महिला मिनिस्टर को भी क्लीन बोल्ड नहीं करने दिया आपने।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा: मैंने जो देना था दे दिया। आप एक ही बात बार-बार कहेंगे तो मैं क्या करूँ ?

श्री आनंद पाठक : सर्वप्रथम, मैंने अपने संशोधन में कह दिया है कि 5 हेक्टेयर के स्थान पर यह 2.5 हेक्टर होना चाहिए। मैंने पहले ही यह बात बता दी है कि जब बागान मालिकों को यह पता चला कि संयुक्त समिति, श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ सिफारिश करने वाली है, तो उन्होंने बागानों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। इसलिए, मशीनीकरण से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए यह क्षेत्र 2.5 हेक्टेर किया जाना चाहिए।

दूसरे, मैंने सुझाव दिया है कि 15 श्रमिकों के स्थान पर वहां 5 श्रमिक होने चाहिए क्योंकि वहाँ ऐसा आम चलन है कि बागानों में प्रति एकड़ एक श्रमिक है। उसके अनुसार 2.5 हेक्टेयर के लिए 5 श्रमिक होने चाहिए।

इसी तरह, पृष्ठ 2 पर, विधेयक में सिनकोना अथवा इलायची के बारे में विचार किया गया है। यहां पर मैंने सिनकोना, औषधीय पौधे, इलायची, नारियल और अन्य कृषि वस्तुएं जोड़ कर क्षेत्र को विस्तृत किया है। मैं नहीं, समझता कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी। ये बागान वाणिज्यिक उपभोग के लिए हैं। और यह भाड़े पर कर्मकार नियोजित करके किया जाता है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय को मेरे संशोधनों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री सुबोध सेन : मैं संशोधन संख्या 29 के सम्बन्ध में बात करूंगा। आजकल, नई कृषि फसल आती रही है। पहले, इसका प्रयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता था। लेकिन अब इसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। अनन्नास, केट्रोनेला घास तथा अन्य वस्तुएं भारी मात्रा में आ रही हैं और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अथवा उपयोग किया जा रहा है। अब यह संशोधनकारी विधेयक, मूल अधिनियम के 20 वर्ष बाद आया है। कौन जानता है कि अगला संशोधन विधेयक कल आएगा ? इस बीच में, अन्य फसलें भी आ जाएंगी।

अत: मैंने "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अन्य कृषि उत्पादों" शब्दावली पर विशेष बल दिया है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रही हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्यों कि मंत्री महोदय ने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया अतः मैं उसे वापस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आनन्द पाठक द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 9 से 13 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 9 से 13 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुबोध सेन द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत किया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,

"साढ़े सात सौ रुपए" **के स्थान पर** "प्रतिस्थापित किया जाए (2)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21,

"साढ़े सात सौ रुपए" **के स्थान पर** "एक हजार पांच सौ रुपये अनुसंगी लाभ छोड़ कर "प्रतिस्थापित किया जाय" (14)

श्री सुबोध सेन (जलपाई गुड़ी) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय।

(ii) खण्ड (ट) के उपखण्ड (ii) और (iii) में "मजदूरी तीन सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "मूल मजदूरी एक हजार पांच सौ रुपए (अनुषंगी लाभ छोड़कर)" शब्द रखे जाएंगे।" (32)

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, डायरेक्टिव प्रिन्सिपल आफ स्टेट मौलिकी का आप आर्टिकल 39 देखें। आप चाहते हैं कि एक आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे घर में रहे, उसको 2,400 कैलारीज फूड मिले, अच्छा स्वास्थ्य बने ताकि देश का एक अच्छा नागरिक बने। तो क्या आप सोचते हैं कि 750 रु० में यह सब हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि उसे आप 1,000 रु० से कम न दीजिए क्योंकि 750 रु० से कुछ नहीं होता। अब काफी प्लान्टेशन वाले तो इंगलैंड और अमरिका की सैर करें और जो मजदूर धन पैदा करता है वह गरीबी में रहे जो एक अभिशाप है। तो आप 1,000 रु० क्यों नहीं करते बजाय 750 रु० के? श्रीमन्, आप चेयरमैन हैं पैनल के, आप भी चाहते हैं।

सभापति महोदय: यहां जो बैठता है वह कुछ अपना नहीं चाहता।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने मंत्री जी से अपील की है अगर मान लें तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। 250 रु० और बढा दें।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: मैं उसे स्वीकार नहीं करती।

श्री आनंद पाठक : मेरे संशोधन का उद्देश्य सीमा को 1500 रुपए तक बढ़ाना है। एक समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन दिया है कि बागान फसलों के मूल्य दो अथवा तीन बार बढ़े हैं। मुख्य बात यह है कि लिपिकीय तथा चिकित्सा कर्मचारियों के बारे में 1500 रुपया के मूल तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री महोदय को इस स्थापित तथ्य को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है।

मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सीमान्त लाभों को छोड़कर मेरे 1500 रुपये के संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री सुबोध सेन : मेरा संशोधन स्वतः स्पष्ट है अतः मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी।

सभापति महोदय : श्री डागा क्या आप खण्ड 3 पर अपने संशोधन संख्या 2 को वापस लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा को खण्ड 3 पर अपने संशोधन संख्या 2 को वापस लेने की अनुमति देती है।

सभा की अनुमति द्वारा संशोधन संख्या 2 वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आनन्द पाठक द्वारा रखे गये खण्ड 3 पर संशोधन संख्या 14 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुबोध सेन द्वारा रखे गये खण्ड 3 पर संशोधन संख्या 32 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 और 28,

"जिन्हें वह ठीक समझे" के स्थान पर "और जो डिप्टी क्लेक्टर के दर्जे से नीचे के नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 3, पंक्ति 8, (3)

"प्राप्ति के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात जैसी रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी आवश्यक समझे" (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 36

"यथासंभव शीघ्र करेगा" के स्थान पर "तीन मास के भीतर करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 3, पंक्ति 36

"यथासभव शीघ्र करेगा" के स्थान पर "साठ दिन के भीतर करेगा" प्रतिस्थापित किया जाय। (15)

सभापति महोदय: श्री डागा क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: जी हां, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बता रहा था कि विधेयक में व्यवस्था है "कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त करे।" किस स्तर के राजपत्रित अधिकारी ? अत: मैंने कहा है कि ये अधिकारी डिप्टी कलेक्टर" के स्तर से नीचे के नहीं होने चाहिए। जब आप

नियुक्त ही करना चाहते हैं तो वह "डिप्टीकलेक्टर" के पद से छोटा नहीं होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी से आपका अभिप्राय क्या है । एक पुलिस अधिकारी भी राजपत्रित अधिकारी होता है । यह बात मेरी समझ में नही आई । अतः अधिकारी को कम से कम "डिप्टी-कलेक्टर " के स्तर का तो होना ही चाहिए । आप उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना तथा पंजीकरण करने का अधिकार देते हैं । वह उन्हें किसी भी धारा के अंतर्गत बुक कर सकता है । आपने यह कभी नहीं कहा कि यह निर्धारित है । और नहीं यह यथा निर्धारित प्रकाशित किया है । अतः मेरा कहना है कि उसे "डिप्टी कलेक्टर" के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए ।

श्री ए० के० राय (धनवाद) यह अत्यन्त संगत प्रतीत होता है ।

श्री आनन्द पाठक मेरा संशोधन केवल इतना ही है "यथा संभव शीघ्र" के स्थान पर "साठ दिन के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाये । खंड 4 में मेरा यही संशोधन है ।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इन संशोधनों को वापस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या श्री डागा को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

श्री ए० के० रायः नहीं ।

सभापति महोदय : मैं श्री डागा द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 3, 4 और 5 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 और 28,

"जिन्हें वह ठीक समझें" **के स्थान पर** "और जो डिप्टी कलेक्टर के दर्जे से नीचे के नहीं हैं" **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

पृष्ठ 3, पंक्ति 8, (3)

"प्राप्ति के पश्चात्" **के पश्चात्** निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाए ।

"तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात जैसी रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी आवश्यक समझे" (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 36

"यथा शीघ्र करेगा" **के स्थान पर** "तीन मास के भीतर करेगा **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 6

[14.34 बजे

पक्ष में

चौधरी, श्री सैफुद्दीन,

दास, श्री रेणुपद
घोष गोस्वमी, श्रीमती विभा
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
झारखण्डे राय, श्री
महता, श्री चित्त
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोहम्मद इस्माइल,
मुखर्जी, श्री समर
राजन, श्री के० ए०
राय, श्री ए० के०
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजीत कुमार
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
सूरज भान, श्री
वर्मा श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार

विपक्ष में

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी श्री चित्तुरी सुब्बा राव
डागा, श्री मूलचन्द
दलवीर सिंह, श्री

दास, श्री अनादि चरण
देव, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
ईरा अनाबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गधावी, श्री भेरावदन के०
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
जमीलुर्रहमान, श्री
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कोसलराम, श्री के० टी०
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
मल्लिकार्जुन, श्री
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री उमा कान्त
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुरुगैयन, श्री एस०
नगीना राय, श्री
नन्दी येल्लेया, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नेताम, श्री अरविन्द
नीखरा, श्री रामेश्वर
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
परमार, श्री हीरालाल आर०
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री उत्तमराव
पटनायक, श्रीमती जयन्ती
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
रवाणी, श्री नवीन
समीनुद्दीन, श्री
सत्येदेव सिंह, प्रो०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्यावार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तैयब हुसन, श्री
तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश
वैरोले, श्री मधुसूदन
वैंकटसुब्बय्या, श्री पी०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
डा० प्रताप वाघ
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
जैनुल वशर, श्री

सभापति महोदय शुद्धि के अध्यादीन मत-विभाजन का परिणाम निम्नलिखित रहा।

पक्ष में 19

विपक्ष में 68

निम्न सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया।

पक्ष में : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, सर्व श्री शिबू सोरन सुनील मैत्रा, आनन्द पाठक, मतिलाल हसदा, लहनासिंह तुर, तथा अजित बाग।

विपक्ष में : डा० कृपा सिन्धु भोई, सर्व श्री झीखा भाई, डूमर लाल बैठा, मनोरंजन भक्त, जगन्नाथ कौहाल, के० प्रधानी, डूंगर सिंह, तथा फतेहभान सिंह चौहान।

संशोधन संख्या 3 4 और 5 अस्वीकृत हुए
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब में श्री आन्द पाठक द्वारा किए गए संशोधन संख्या, 15 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

सभापति महोदय : श्री डागा द्वारा इस खण्ड पर संशोधनों की सूचना दी गई है। श्री डागा···वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 20,

"पचास, के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 4 पंक्ति 23 से 25,

"स्त्री कर्मचारियों के (जिनके अन्तर्गत किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकार भी हैं) बालकों की संख्या बीस या इससे अधिक हैं" के स्थान पर "स्त्री कर्मकारों के (जिनके अन्तर्गत किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकार भी हैं) बालकों को कोई संख्या है"

प्रतिस्थापित किया जाय।(17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33,

"पचास" के स्थान पर "पांच"

प्रतिस्थापित किया जाय। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 36,

"ऐसे स्त्री कर्मकारों के बालकों की संख्या बीस से कम है" के स्थान पर "ऐसे स्त्री कर्मकारों के बालकों की कोई भी संख्या है" प्रतिस्थापित किया जाय। (19)

श्री सुबोध सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 36,

"ऐसे स्त्री कर्मकारों के बालकों की संख्या बीस से कम है" के स्थान पर "ऐसे स्त्री कर्मकारों के बालकों की कोई भी संख्या है" प्रतिस्थापित किया जाये। (37)

श्री आनन्द पाठक : मेरा संशोधन बिल्कुल सरल है। मैंने "पचास कर्मकारों के स्थान पर पांच कर्मकारों" करने का प्रस्ताव किया है। इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

मेरा संशोधन संख्या 17 भी बहुत सरल है। "बीस बच्चों" के स्थान पर मैंने "कोई भी संख्या" का प्रस्ताव किया है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा इसे स्वीकार करेंगे। 15 के स्थान पर पांच का प्रस्ताव किया है और बीस बच्चों के स्थान पर कोई भी संख्या का प्रस्ताव किया है। आशा है मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप को कुछ करना है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं इन्हें स्वीकार नहीं करती।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं संशोधन संख्या 16,17,18 और 19 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 16, 17, 18 और 19 मतदान के लिए रखे गये तथा स्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुबोध सेन द्वारा पेश किए गये संशोधन संख्या 37 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 37 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 25 से 28,

"और गृह का ढह जाना गृह के किसी अधिभोगी की ओर से हुई त्रुटि या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण मात्र और प्रत्यक्षत: उससे हुआ नहीं माना जा सकता है" का लोप किया जाय। (20)

पृष्ठ 6, पंक्ति 17,

"छह मास" के स्थान पर "बारह मास" प्रतिस्थापित किया जाय (21)

पृष्ठ 6 पंक्ति 20,

"ऐसी अवधि" के स्थान पर "बारह मास" प्रतिस्थापित किया जाय। (22)

पृष्ठ 6, पंक्ति 18,

"छह मास" के स्थान पर "बारह मास" प्रतिस्थापित किया जाय। (23)

सभापति महोदय : श्री सुबोध सेन द्वारा दिये गये संशोधन, श्री आनन्द पाठक द्वारा दिये गये संशोधनों के अन्तर्गत आ गये हैं।

श्री आनन्द पाठक अब अपने संशोधनों पर बोलें।

श्री आनन्द पाठक : मैं संशोधन संख्या 20 "और गृह का ढह जाना गृह के किसी अधिकारी की ओर से हुई त्रुटि या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण मात्र और प्रत्यक्षतः उससे हुआ नहीं माना जा सकता है" का लोप करने के लिये दिया है। इन शब्दों का लोप किया जाना चाहिये यदि इन शब्दों को रहने दिया जाये तो श्रमिकों को कार्य का मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि नियोजक किसी न किसी बहाने श्रमिकों को मुआवजा नहीं देगा अतः मैंने संशोधन इन शब्दों का लोप करने के लिये दिया है ताकि श्रमिकों को मुआवजा मिल सके।

सभापति महोदय : मंत्री को इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है मैं जी आनन्द पाठक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 20,21,22 तथा 23 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 20, 21, 22 और 23 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वकृित हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंण्ड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 13

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 8,

"छह मास" के स्थान पर "बारह मास" प्रतिस्थापित किया जाय। (24)

पृष्ठ 10, पंक्ति 9,

"तीन" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाय। (25)

मेरे संशोधन बहुत सरल हैं। मेरे विचार में यह 6 महीने के बजाय 12 महीने होना चाहिये जैसे कि विधेयक में प्रस्तावित है। अब विधेयक में 3000 रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गयी है।

मेरा संशोधन यह है कि जुर्माना 500 रुपये होना चाहिये। ये संशोधन बहुत सरल हैं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधनों से सहमत होंगे।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं स्वीकार नहीं करती।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आनन्द पाठक के संशोधन संख्या 24 तथा 25 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 24 और 25 सभा में मतदान के लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

कि खंड 13 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता कि हूं

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 और 6,

"उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।" **के स्थान पर** "तुरन्त प्रवृत्त होगा" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (8)

अधिनियम 1951 में पारित किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश इसे उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसे त्याग दिया गया तथा इसमें ढील डाली गयी। यदि सरकार इस मामले में गम्भीर है और बागान श्रमिकों का कल्याण चाहती है तो मुझे आशा है कि सरकार मेरे इस संशोधन से सहमत होगी।

"राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें के स्थान पर "तुरंत प्रवृत्त होगा" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगी।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आनन्द पाठक के संशोधन संख्या 8 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8 सभा में मतदान के लिये
रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए एक-दो बातें कहना मैं उचित समझता हूं। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रम-जीवियों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है और इन्हें सुविधाएं देने की बात है तो इसका तो कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग समर्थन ही करेंगे, लेकिन अच्छा होता है कि जितने बागान हैं, चाय-बागान हैं या और कोई निजी बागान हैं, अगर सरकार उन्हें अपने कब्जे में करके चले तो श्रम-जीवियों का ज्यादा भला हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है।

इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूं, जिसे मैंने स्वयं देखा है। अभी अगस्त महीने में सभापति जी, मुझे नया अलीपुर द्वार जाने का मौका मिला था। वहां एन० एफ० रेलवे वर्कर्स यूनियन कान्फ्रेंस थी। उस की रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय-बागानों के श्रम-जीवी आए थे। झण्डे-पताका लेकर आए थे, औरतें थीं, बच्चे थे, मर्द थे। उन लोगों ने वहां शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से चाय-बागानों में काम करने वाले लोग हिन्दी स्पीकिंग इलाके के हैं, लेकिन स्कूलों में हिन्दी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि अगर इस तरह से काफी सख्या में लोग हैं तो जिस भाषा को भी वे बोलते-जानते हों, उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, इसका पता लगाएं। यदि सही है तो उन बच्चों को मूर्ख रखने से क्या फायदा। जो भाषा वे नहीं जानते, उसमें पढ़ना उनके लिए संभव नहीं होगा।

इसलिए आप देखिए कि जहां भी जिस भाषा के जानने वाले मजदूर काम करते हैं, उनके बाल-बच्चों की शिक्षा उनकी ही भाषा में होनी चाहिए, चाहे वह हिन्दी हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। उस भाषा में शिक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए। मजदूरों के कल्याण से इस

बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा इस लिए उनकी इस शिकायत को दूर कीजिए, ताकि उनका असंतोष दूर हो सके।

दूसरी बात, दुर्घटना की चर्चा की गई है। दुर्घटनाएं बागानों में बहुत होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं के लिए जो मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए, यह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि आप देखिए कि जहां इस तरह की बात है, आपके कानून का उल्लंघन होता है, वहां इस पर रोक लगाइए। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून का उल्लंघन नहीं करते। जब सरकार स्वयं अपने कानूनों का उल्लंघन करती है तो निजी मालिकों के बारे में कहना और उनकी जवाब-देही लेना मुश्किल है। वे उल्लंघन करते हैं। आप जो कानून बना रहे हैं, उन कानूनों का पालन हो, इसकी देख-रेख करना सरकार का कर्त्तव्य है, तभी सही माने में चाय-बागानों के श्रम-जीवियों की मदद आप कर सकेंगे, सरकार मदद कर सकेगी और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी।

आम तौर से उनकी कल्याण, सम्बन्धी सभी बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। अच्छा होता अगर आप कम्प्रिहैंसिव बिल लाए होते जिस में और भी बातों को शामिल किया जाता। लेकिन जितना भी आप लाए हैं यह भी सही है, और इसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान खींचा है उनकी तरफ आप ध्यान देंगी।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : चाय बागान श्रम विधेयक जो आया है यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। फिर भी श्रम हितकारी होने के कारण मैं इसका समर्थन करता हूं। उनके कल्याण और जीवन उपयोगी व्यवस्थाओं का जो प्रावधान इस में किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। चाय बागानों को देश के लिए बहुत ही उपयोगी समझा जाता है। व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि कार्य की दृष्टि से इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस विधेयक में चाय, काफी, रबड़, सिचोना आदि को ही शामिल किया गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो खेती चल रही है, जो बागान हैं, उन सब को इसमें शामिल किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। इस कारण से खेतिहार मजदूर या बागानों में काम करने वाले मजदूर जो हैं और उनका जो कल्याण होना चाहिये था वह नहीं हो पाएगा। इलायची, केला, सेब, जड़ीबूटियां, पाइन एपल, मूंगफली, तम्बाकु, ईख, कपास, काजू, औलिम, कोका, नारियल आदि को भी इस में शामिल करना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान जाएगा।

इन चाय बागानों की आमदानी से देश को पांच सौ करोड़ से भी अधिक की आय होती है। लेकिन सारी व्यवस्था को नियोजकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। वही आवास की व्यवस्था करें, मजदूरों के कल्याण कार्यों की व्यवस्था करेंगे। यह सब उन से नहीं होगा। उपनिवेशवादी दिनों से हम देखते आ रहे है लिपटन, ब्रुक बांड या देशी चाय के मालिकन सभी मजदूरों का किसी न किसी तरह से शोषण करते आ रहे हैं, सैकड़ों बरसों से करते आ रहे हैं। 1951 में कानून बना कर जिसको लागू नहीं किया गया,। ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी ने कहा था कि सरकार को लगातार इस का निरीक्षण करते रहना चाहिये लेकिन सरकार ने नहीं किया।

समिति ने रिपोर्ट दी थी जिस में उसने कहा था कि मजदूरों को कोई राइट नहीं है, सिविल राइट नहीं है, बाहरी लोगों से वे मिक्स नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। वहां पेय जल की व्यवस्था नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि नियोजक आवास की व्यवस्था करेंगे। कौलैप्स होने पर मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन वे देते लेते नहीं हैं। कानूनी पाबन्दी भी नहीं लगाई गई है। जो अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उनका प्रबन्ध भी नहीं किया जाता है। स्कूल आदि का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वैलफेयर के कोई काम नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से माइका माइंज वैलफैयर आगेनाइजेशन है, कोलफील्ड में आर्गनाइजेशन है उसी तरह की वैलफैयर आर्गनाइजेशन की और बैलफैयर की यहां भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि बागान मजदूरों को उचित लाभ मिल सके।

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुड़ी) : यद्यपि हमारे संशोधन अस्वीकार हो गये हैं; फिर भी मैं अब विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह मूल अधिनियम में सुधार लाने वाला है। साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि मूल अधिनियम की कुछ धायनों में कुछ सीमायें हैं जिन्हें मैंने इस संशोधन द्वारा दूर करना चाहा था। वास्तव में, मूल अधिनियम में, नियोजक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। चाय बागानों में क्या होता है ? जाइंट स्टाक कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशक बोर्ड ही अन्तिम प्राधिकारी है, लेकिन चाय बागान के मामलों में, प्रबन्धक ही श्रमिकों को रोजगार पर लगता है। अतः यदि पेयजल, आवास, चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने के मामले में यदि अधिनियम का उल्लंघन होता है तो उस वेतन भोगी प्रबन्धक पर अभियोग चलाया जाता है। लेकिन बजट बनाने वाला अन्तिम अधिकारी, जो चिकित्सा व्यय, तथा पेयजल सप्लाई हेतु ट्यूबवैल लगाने सम्बन्धी निर्णय लेता है। निदेशक बोर्ड ही है। लेकिन बागान स्तर पर नियुक्ति पत्र निदेशक बोर्ड अथवा प्रबन्धक निदेशक नहीं बल्कि प्रबन्धक जारी करता है। अभियोग उस पर चलता है। मैंने सोचा था कि इस स्थिति का स्पष्टीकरण इस संशोधन विधेयक द्वारा होगा, लेकिन उस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं है। यद्यपि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि मन्त्री कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे स्पष्ट परिभाषा हो सके। मैं ऐसा न कहता लेकिन कल कुछ माननीय सदस्यों ने पश्चिम बंगाल की चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की चर्चा क्यों की थी ? पश्चिम बंगाल का जिक्र इस मामले में कैसे आया ? लेकिन सभा की सूचनार्थ मुझे कहना चाहिये कि पिछले चार वर्षों से वामपंथी सरकार के शासनकाल के दौरान श्रमिक नियोजकों के हाथों से वह पैसा ले सके हैं, जिसे पिछले 100 वर्षों से नहीं लिया जा सका।

1977 आरम्भ होने से पूर्व द्वार, पश्चिम बंगाल

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

में, श्रमिकों को 4 रुपये 20 पैसे मिलते थे और 1977 से 1981 के बीच की अवधि के दौरान श्रमिकों की मजदूरी में 4 रुपये 80 पैसे की दूसरी वृद्धि हो गई, जो पिछले 100 वर्षों के दौरान न मिल सकी। यह वृद्धि उन्हें चार वर्षों के अन्दर मिली, जिसका कारण इनटक सहित श्रमिक वर्ग की एकता तथा वामपंथी सरकार का सहयोग है। इन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। इन्होंने आवश्यक रूप से वह प्रश्न उठाया है, जो यहां उठाया नहीं जाना चाहिये था।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सभापति जी, मैं सर्वश्री रामावतार शास्त्री, आर० एल० पी० वर्मा सुबोध सेन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन एक आश्चर्य भी प्रकट करना चाहती हूं कि कल मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में जिन बातों का तजकिया किया था और व्यान दिया था तथा माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये और जो कुछ राय जाहिर की उसके सम्बन्ध में भी मैंने अपना विस्तृत उत्तर दिया। उसके बावजूद भी वही बातें माननीय सदस्यों ने अभी कहीं। मैं कहना चाहती हूं जहां तक शास्त्री जी की प्लान्टेशन लेबर से सम्बन्धित हर राज्य की शिक्षा से सम्बन्धित सुझाव है उन्हें मैं शिक्षा विभाग को विचार करने के लिए भेज दूंगी।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूं 1951 का बिल तरमीम के लिए 1973 में आया और संयुक्त प्रवर समिति को सुपुद्र किया गया जिसकी रिकमन्डेशन्स 1975 में आयीं और इमप्रूव्ड तरीके से उस विल को आज सदन में रखा गया है। इसके पहले ही यह बिल पिछले महीने राज्य सभा में पारित हो चुका है इसलिए माननीय सदस्य एक मत से इसे अपनी स्वीकृति दे दें। ताकि मजदूरों का भला हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक पर विचार करेंगे। इसके लिए निर्धारित समय एक घंटा है। मैं इस विधेयक पर चर्चा को आज पूरा करने के लिए सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुकर्जी): मैं चाहता हूं कि लोक सभा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर में विचार करे। इससे वास्तविक भूतपूर्व अशंधारियों की, जो कि समय पर दावे नहीं कर सके, मुश्किलें कम हो जायेंगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्रबन्ध 14 जुलाई 1972 से लोक हित में पहले दो वर्ष के लिए तथा कम्पनी के उचित प्रबन्ध कार्य को सुनिश्चित करने के लिए और अप्रभावी तथा गैर-जिम्मेदार प्रबन्ध कार्य के कारण उत्पादन में होने वाली तीव्र गिरावट को रोकने के विचार से सरकार ने अपने हाथ में लिया था। इस अवधि को 14 जुलाई 1974 से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

सरकार द्वारा प्रबन्ध कार्य अपने हाथ में लेने के दौरान कम्पनी के कार्य को सुधारने के कई प्रयास किए गये परन्तु जब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया तो राज्यों सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को छोड़ कर अन्य सभी अंशधारियों के अंश ले लेने का निर्णय किया गया। ऐसा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन), अधिनियम 1976 के अधीन किया गया था। तत्पश्चात् इण्यिन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बचे हुए अंश भी, जो कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों और राज्य सरकारों के पास थे खरीद लिए गए और स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० के नाम 30 मार्च, 1979 से हस्तांतरित कर दिए गए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजा दी जाये। अब गणपूर्ति है। मंत्री महोदय जारी रख सकते है।

श्री प्रणब मुकर्जी : इस अधिनियम की धारा 7 (i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अंशधारी जिसका इस अधिनियम के अन्तर्गत हस्तांतरित किए गये अंश के सम्बन्ध में कोई दावा हो, अपना दावा भुगतान आयुक्त के सामने,30 नवम्बर, 1977 को,अथवा उससे पहले पेश करेगा। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि भुगतान आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाये कि दावेदार तर्क संगत कारणों से अपना दावा 30 नवम्बर, 1977 तक पेश नहीं कर सका तो वह अपना दावा अगले 30 दिनों में अर्थात् 30 दिसम्बर, 1977 तक पेश कर सकता है परन्तु उसके पश्चात् नहीं।

इस अधिनियम धारा में यह प्रावधान है कि आयुक्त को अदा की गई ऐसी राशि जिसका अदायगी की अन्तिम तिथि से तीन वर्षों तक भुगतान न किया गया हो अथवा दावा न किया हो, को आयुक्त द्वारा भारत सरकार के सामान्य राजस्व खाते में स्थानांतरित कर दिया जायेगा, परन्तु इस प्रकार की राशि का दावा भारत सरकार से ही किया जायेगा।

इन दोनों धाराओं का निचोड़ यह है कि ऐसा कोई दावेदार जो कि अपना दावा निर्धारित तिथि तक पेश नहीं कर सका, उसे केन्द्रीय सरकार के पास दावा करने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। माननीय सदस्य देखेंगे कि भुगतान आयुक्त द्वारा अदायगी को पूरा करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसमें काफी समय लग सकता है इस तिथि के पश्चात् भी वास्तविक दावेदार को केन्द्रीय सरकार से दावा पेश करने में 3 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सरकार का वास्तविक अंशधारियों को निर्धारित दरों पर भुगतान न करने का इरादा कभी नहीं रहा। यह बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि इस अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित तिथि तक कुल देय राशि 7, 23, 95, 137, 15 रुपए भुगतान आयुक्त को हस्तांतरित कर देने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार के अंशधारियों से जिनका दावा भुगतान आयुक्त द्वारा समयाविधि समाप्त होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह अधिनियम सरकार को दावे पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करने या उस पर विचार करने का अधिकार नहीं देता और इस प्रकार के अंशधारियों को कोई राहत देना सम्भव नहीं हुआ है।

ऐसे 793 अंशधारियों के जिनके दावे अस्वीकार कर दिए गए है सर्वेक्षण से पता चला कि 258 अंशधारियों के 100 इक्विटी शेयर थे और 441 अंशधारियों के 100 से 500 तक इक्विटी शेयर थे। ये छोटे-छोटे भूतपूर्व अन्शधारी वास्तव में महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार से अपील करने के लिए प्रतीक्षा की यह अवधि अत्याधिक लंबी है और इससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि उन अंशधारियों को, जो कि निर्धारित समय तक आयुक्त के पास दावे पेश नहीं कर सके, समयाविधि बढ़ा कर सुअवसर प्रदान किया जाये, ताकि इस प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के लागू होंने से 120 दिन की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों पर विचार किया जा सके और भुगतान आयुक्त को, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि दावेदार तर्क संगत कारणों से इस संशोधन अधिनियम में निर्धारित किए जाने वाले समय में दावा नहीं कर सका, तो 120 दिन की अवधि के भीतर दावा-दाखिल करने का अधिकार दिया जाये। ऐसा प्रावधान करने का भी सुझाव है कि इस प्रस्तावित विधि के लागू होने से पहले और एक निर्दिष्ट समयावधि के बाद पेश किए जाने वाले प्रत्येक दावे को प्रावधानों के प्रस्तावित संशोधनों के आधीन पेश किया माना जाये ताकि ऐसे सभी दावों पर जिन्हें की समयाविधि समाप्त होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, भूतपूर्व अशधारियों द्वारा नए सिरे से दावे दाखिल किए बिना ही विचार किया जा सके।

इस अधिनियम की धारा 11 को भी संशोधित किया जा रहा है ताकि केन्द्रीय सरकार से अपील करने की तीन वर्ष की अवधि को छह मास किया जाये ताकि आयुक्त ऐसी राशि को जिसका दावा अथवा भुगतान न किया गया हो केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व में स्थानांतरित कर दें क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि तीन वर्ष की यह अवधि अनावश्यक रूप से लम्बी है और उन दावेदारों के लिए, जो कि अवसर प्रदान करने के पश्चात्, भी दावे पेश नहीं कर सकते, समस्यायें उत्पन्न करती है।

इस संशोधन विधेयक के कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन), अधिनियम 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मंत्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का प्रबंध कार्य भारत सरकार द्वारा आरम्भ में 14 जुलाई 1972 से दो वर्ष के लिए अपने हाथ में ले लिया गया था और बाद में 14 जुलाई 1974 से इसे और तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1976 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन), अधिनियम पास किया था।

मंत्री महोदय ने कहा है कि पहले अधिनियम के आधीन अंशधारी अपने दावे 30 नवम्बर, 1977 तक कर सकते थे परन्तु यदि दावा आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि किन्हीं वास्तविक कारणों से अंशधारी अपना दावा निर्धारित अवधि में पेश नहीं कर सका तो वह इस अवधि को 30 दिन तक अर्थात् 30 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि अंशधारियों द्वारा पेश किए गए दावे की समय सीमा समाप्त हो गई थी और तीन वर्ष पश्चात् वह अपनी मांग केन्द्रीय सरकार के सामने पुनः रख सकते हैं।

उन्होंने कहा है कि वर्ष 1979 में सरकार ने सार्वजनिक संस्थाओं और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की राष्ट्रीय बीमा कम्पनी के अंश खरीद लिए थे। अब वह ये संशोधन विधेयक लाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार बार-बार संशोधन करने से कुछ संशय उत्पन्न होते हैं। 1976 में यह विधेयक अधिनियम के रूप में आया। अंशधारियों के पास 30 दिसम्बर 1977 तक दावे पेश करने का समय था। मन्त्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि :

> "यद्यपि संदाय आयुक्त द्वारा इस बात का व्यापक प्रचार किया गया था और कम्पनी के सभी पंजीकृत अंशधारियों को पृथक्-पृथक् नोटिस भेजे गये थे।"

फिर वह कहते हैं कि बड़ी संख्या में अंशधारियों ने अपने दावे पेश नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं कि जबकि इस बात का व्यापक प्रचार किया गया था और अंशधारियों को पृथक-पृथक नोटिस भेजे गए थे तो भी वह अपने दावे संदाय आयुक्त के समक्ष पेश न कर सके। यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की थी यह कम्पनी रुग्ण हो गई। इस कम्पनी में अनियमितताओं के बारे में हमने कई कहानियां सुनी हैं। इसलिए यह कम्पनी रुग्ण हुई। मैं दुर्गापुर में समेकित इस्पात संयंत्र और एलांय इस्पात संयंत्र के बारे में कहना चाहूंगा इन संयंत्रों में कोई रक्षित कोयला खान नहीं है। परन्तु इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की तो अपनी रक्षित कोयला खान और रक्षित लौह-अयस्क खान थी तब भी यह रुग्ण हो गई। उसमें कुप्रबन्ध था और कुछ अन्य कारणों से भी कम्पनी रुग्ण हुई। असली शेयरधारी अपने दावों का आयुक्त के समक्ष पेश क्यों नहीं कर सके? मुझे इस बात में हर तरफ से संदेह है कि क्या वे शेयरधारी जिन्होंने अपने दावे पेश नहीं किये थे, असली शेयरधारी हैं अथवा नहीं। शेयर बाजार कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। हमने यह देखना है कि ये दावेदार बेनामी हिस्सेदार हैं अथवा नहीं। उन लोगों के द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है? कानून के अनुसार उन्हें दावा दायर न करने का क्या कारण था? उन्हें 30 नवम्बर, 1977 और तब 30 दिसम्बर, 1977 तक अपने दावे दायर कर देने थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् क्या आपने यह पता लगाया कि कौन-कौन से हिस्सेदार बेनामी हैं और कौन-कौन से हिस्सेदार असली हैं? आपने किस प्रकार की जांच पड़ताल की? मैं यह जानना चाहता हूं। जब यह विधेयक पास हो जायेगा, तो इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। मैं यह कहता हूं कि यह बिना सोचे-विचारे और तदर्थ ढंग से किया जा रहा है और इसे शेयरों के रखे थे, पूर्वाधिकार देने के लिये भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यही मेरी आपत्ति है और मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं।

इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि बेनामी और असली शेयरधारियों का निर्धारण करने के निमित्त जांच करने का क्या तरीका होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। किंतु इस बात को मान लिया जाना चाहिए। इस संशोधन के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 11 में छः महीने के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि को लाया गया है। यह अच्छी बात है। जिस आदूरदर्शिता से यह विधेयक लाया गया है और इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि किस प्रकार बेनामी व्यक्तियों ने कपटपूर्ण ढंग से शेयरों को प्राप्त किया था। मैं इसका विरोध करता हूं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में नित्य प्रकार के काम ठेके के मजदूरों तथा नैमित्तिक मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। इससे कई बार औद्योगिक समस्या पैदा हो जाती है। मेरी मांग है कि समेकित इस्पात संयंत्रों में ठेके की पद्धति को भंग कर दिया जाना चाहिए और ठेके मजदूरों तथा नैमित्तिक मजदूरों द्वारा नित्य प्रकार के कार्य को नियमित किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 126.5 करोड़ रुपये की लागत वाला एक सिंटरिंग संयन्त्र लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। किन्तु मुझे यह पता चला है कि इसे सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। यदि यह बात सही है तो इसे कब चालू किया जायेगा।

अब मैं संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के सम्बन्ध में कहूंगा। मन्त्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे कि चूंकि पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ है, इसलिए इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी अथवा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या एलाय इस्पात संयंत्र में औद्योगिक समस्या में सुधार किया गया है। अतः, इन संयंत्रों को व्यवहार्य बनाने के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार आवश्यक है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा एलाय इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो आप इसे कब शुरू कर रहे हैं? वह कब इस मामले पर विचार करेंगे?

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कई इन्जीनियरी उद्योग हैं। बिहार में कोयला तथा लौह अयस्क उपलब्ध हैं। अतः, तट पर आधारित लौह तथा इस्पात संयंत्र के लिए हल्दिया तक सर्वोत्तम स्थान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हल्दिया में ऐसा एक संयंत्र स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० आर० शमन्ना—यहां नहीं हैं। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री प्रणब मुकर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत सीधा-साधा विधेयक है क्योंकि संशोधन करने वाले विधेयक में यह एक समर्थकारी उपबन्ध किया गया जिससे सरकार को उन व्यक्तियों के दावों को समायोजित करने का अधिकार दिया जा सके जिन्होंने 30 नवम्बर, 1977 तक अपने दावे दायर नहीं किये है। यही तर्क संगत अंश है।

माननीय सदस्य, श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दावेदार असली हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम दावेदारों को मुआवजा पहली बार नहीं देने जा रहे है। पहले भी दावेदारों ने अपने दावे दायर किये हैं और उन्हें मुआवजा दिया गया है। उनके बारे में अब भी सतर्कता बरती जायेगी।

दूसरी बात यह है जैसा कि मैं शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं कि अधिकांश छोटे दावेदार हैं। उनमें से कुछ के 100 हिस्से हैं और कुछ के 100 से अधिक हिस्से हैं। यही कारण है कि हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि स्वयं कानून में निर्धारित अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करने वाले किसी व्यक्ति से दावों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल यही बात कहती है।

अन्य बातों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा है, अर्थात् दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र, इंडियन आयरन स्टील एण्ड कंपनी, एलाय इस्पात संयन्त्र, ठेका मजदूर के विभागीकरण आदि-आदि के बारे में कहा है, इन सभी मामलों पर कई बार चर्चा की जा चुकी है। मुझे आशा है कि हम इस्पात मंत्रालय के बारे में आखिरी बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें इसके बारे में भविष्य में भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा। महोदय अब 3-30 बजे का समय होने वाला है जब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करने वाले हैं।

महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य तथा सारी सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारी धन का निवेश करने तथा इस कंपनी की तकनीकी दशा को सुधारने के लिए उपाय करने के बावजूद तथ्य यह है कि प्रतिवर्ष हमें हानि हो रही है, कई बार यह हानि 30 करोड़ रुपये की होती है और कई बार 35 करोड़ रुपये की हानि होती है और आदि-आदि। क्षमता का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है। यह भी एक मुख्य कारण है।

शायद, माननीय सदस्य मेरे अनुभव के साथ सहमत होंगे कि जहां तक इस एकक का संबंध है, इसमें हमारी आवश्यकता से अधिक जनशक्ति है। अतः, यदि केवल हम नित्य प्रकार के सभी कार्यों का विभागीकरण ही कर दें, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहेगा और स्वयं संयन्त्र को ही बन्द करना पड़ेगा। हमें वैसा नहीं करना चाहिये।

जहां तक इस उद्योग का संबंध है, माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी यहां एक ऐसी पद्धति प्रचलित है जिसके द्वारा औद्योगिक सम्बन्ध बेहतर है—ऐसा केवल कर्नपुर अथवा दुर्गापुर में ही नहीं है। अधिकांशतः, सारे इस्पात उद्योगों में हम तन्त्र को संस्थागत करने में समर्थ हुए हैं ताकि मिल-बैठ कर बकाया मामलों को निपटाया जा सकें। अतः, जहां तक इस्पात उद्योग का सम्बन्ध है, यहां औद्योगिक सम्बन्ध सन्तोषजनक हैं। उस दृष्टिकोण से भी हमने यह किया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में मैंने दुर्गापुर संयन्त्र में ऐसा एक मामला निपटाया है। धीरे-धीरे हम यह कर रहे हैं और इसलिये इसका ध्यान रखा जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 4 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री प्रणब मुकर्जी : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधयक को पारित किया जाये ।"

श्री रामावतार शास्त्री । वह केवल तीन मिनट लेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं तो प्रथम वाचन में बोलना चाहता था, लेकिन आपने कहा कि तीसरे वाचन में बोलें तो मैं सिर्फ एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि विधेयक बहुत सीमित है ।

मंत्री जी जानते हैं कि पिछले साल से "टिस्को" ने जमशेदपुर में 10 हजार कंट्रेक्ट लेवर को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें 7 हजार आदिवासी हैं और उसमें आधे से ज्यादा औरतें हैं । हरिजन-आदिवासियों की बात सरकार करती है । समझौता हो चुका था कि जो लोग पेरेनियल नेचर का काम करते हैं, उनको रेगुलर बना लिया जाएगा । टाटा के प्रतिनिधि राजी हो गए थे, बिहार सरकार भी राजी हो गई थी, यूनियन के लोग भी राजी थे, सबने मिलकर यह फैसला किया था, लेकिन जब यूनियन की तरफ से यह मांग की गई तो मजदूरों पर हमला किया गया और इस आंदोलन में उस समय वहां के बड़े लोकप्रिय नेता केदार दास पर लाठी से प्रहार हुए और दो-तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई । इतना गंभीर मामला है । आप टाटा से इतने डरते क्यों हैं, आप कम से कम उन पर दवाव तो डाल सकते हैं कि इस महंगाई में लोगों को बेकार बनाना ठीक नहीं है । जहां सरकार बेकारों को काम देने की बात कह रही है वहीं जिनके पास काम है उनको बेकार बनाया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि कोई रास्ता निकाल कर इन

10 हजार आदिवासी और दूसरे मजदूरों को काम पर लिया जाए तथा उन्हें दर-दर का भिखारी न बनाया जाए। कई बार यह सवाल उठा, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया। अतः मैं चाहता हूं कि कोई रास्ता निकालिए।

श्री प्रणब मुकर्जी : मुझे टाटा का डर नहीं है, किन्तु वास्तव में मुझे इस बात का डर है कि क्या मैं दो मिनट में कर्नपुर से यात्रा करके जमशेदपुर पहुंच सकता हूं। यही मेरी वास्तविक कठिनाई है।

जहां तक नित्य रहने वाले कार्यों को विभागीकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम इसके बारे में पूरी तरह जानते हैं और हम धीरे-धीरे इसे कर रहे हैं। किन्तु टाटा के सम्बन्ध में आप वैसी आशा नहीं कर सकते हैं कि मैं इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में एक विधेयक को रखते समय मैं इस टिस्कों के बारे में कहने लगूं। इसे अगली बार के लिये रहने दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौतीसवाँ प्रतिवेदन

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से, जो 22 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से, जो 22 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या मैं कुछ कह सकता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। अभी बोट-क्लब पर 2000 लोग, 4 संसद-सदस्य और 5-6 सौ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बारे में कुछ···।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह बहुत गंभीर नहीं है तो आप इसको यहां पर नहीं उठा सकते मैं इसको जानता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रधान मन्त्री जी कुछ कहेंगी? (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधान मन्त्री भी सभा में उपस्थित हो गई हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : प्रधान मन्त्री जी कुछ कहने की इच्छा रखती हैं क्या? वहां महिला पुलिस नहीं है। लेडीज को मर्द पुलिस गिरफ्तार कर रही है। प्रधान मन्त्री के राज्य में आदमी गिरफ्तार कर रहे है औरतों को। बचाओ किसी तरह।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या मैं भी बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। केवल विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे।

विधेयक—पुरःस्थापित

(1) राज-दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरण कर्मचारी (सेवा-शर्त) विधेयक, 1981

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी राजदूतावासों वाणिज्यिक दूतावासों तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के अधीन कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कतिपय सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विदेशी राज्यदूतावसों, वाणिज्यिक दूतावासों तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के अधीन कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कतिपय सेवा-शर्तों का विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(2) छोटा परिवार (वृद्धि तथा अभिप्रेरण) विधेयक, 1981

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में छोटे परिवारों की संकल्पना की अभिवृद्धि करने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने के उपाय करने और परिवार नियोजन संबंधी उपायों की कानूनी मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने और तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में छोटे परिवारों की संकल्पना की अभिवृद्धि करने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने के उपाय करने और परिवार नियोजन सम्बन्धी उपायों को कानूनी मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने और तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(3) पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर सेवाओं में (समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए) पदों का आरक्षण विधेयक, 1981

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की सेवाओं में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की सेवाओं में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(4) राजनैतिक दल (वित्तीय सहायता) विधेयक, 1981

श्री बाला साहिल विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हू कि राजनैतिक दलों का प्रभावी कार्यक्रम सुनिश्चित करने और सुदृढ़ लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा तत्संसगत और तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनैतिक दलों का प्रभावी कार्यक्रम सुनिश्चित करने और सुदृढ़ लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपने उम्मीदवारों के निर्वाचन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा तत्संसगत और तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(5) मजदूरी (असमानता को दूर करना) विधेयक, 1981

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी स्थापनाओं में कर्मचारियों की मजदूरी में असमानता को दूर करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी स्थापनाओं में कर्मचारियों की मजदूरी में असमानता को दूर करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जार्ज फर्नांडीज । अनुपस्थित । इसके बाद श्री रामस्वरूप राम ।

(6) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (युवा नियोजन) विधेयक, 1981

श्री राम स्वरूप राम (गया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन करने के प्रयोजन के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह वर्मा । अनुपस्थित ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन । अनुपस्थित ।

प्रो० मधु दण्डवते ।

(7) मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन विधेयक, 1981

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मन्त्रियों और संसद् सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों और संसद सदस्यों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक छानबीन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981
(अनुच्छेद 37 आदि का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981
(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1981
(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

(11) छावनी (संशोधन) विधेयक, 1981
(धारा 15 आदि का संशोधन)

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक जारी
(धारा 3,6 ख आदि का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मूलचन्द डागा द्वारा 18 सितम्बर, 1981 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात्—

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन विधेयक, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस समय हमारे पास चर्चा तथा मतदान के लिए एक घंटा 56 मिनट हैं। इस विधेयक के लिए समय पहले ही 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे किया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान्, इस विधेयक को और समय दिया जाना चाहिए। यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी, बहुत से सदस्य पहले ही इस विधेयक पर अपने मत व्यक्त कर चुके हैं। चार घंटे से अधिक समय हम पहले ही ले चुके हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, चर्चा जारी रह सकती है। इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए 20 सदस्यों ने नाम दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं यह बात कह रहा था कि आजादी के 34 साल बाद हम लोगों को इस बात को तय करना है कि जो भी सुविधायें मेम्बर्स पार्लियामेंट, जनप्रतिनिधियों को मिलती हैं वह चीजें उनको काम करने के लिये काफी हैं या नहीं ? यह केवल तनख्वाह देने वाली बात नहीं है, या एलाउन्स देने वाली बात नहीं है । बल्कि सोचना होगा कि 34 साल के बाद हम इस हालत में पहुंचे हैं जहां हमें पब्लिक लाइफ में जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके रहने की, काम करने की क्या सुविधा है, जिन लोगों ने चुन कर भेजा है उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह हम ठीक तरह से निभा सकते हैं कि नहीं, या ठीक तरह से निभाया है कि नहीं ? या जो कुछ भी सुविधायें मिलती हैं उससे सब लोगों की पूरी सेवा वह कर सकते हैं कि नहीं ? इस सवाल को सोचना है । इसमें सिर्फ कुछ तनख्वाह बढ़ाने वाली बात नहीं है ।

मुझे इस बात का खेद है जब मैंने देखा कि हमारे मार्क्सवादी साथी श्री गिरि साहब ने अपने भाषण में कहा कि यह सुविधा नहीं चाहिये और वह इस बिल का विरोध कर रहे थे । मुझे यह बात समझ में नहीं आती । अगर इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान रखा जाये, ऐसा कोई औप्शन रखा जाये कि जिनको इस सुविधा की जरूरत नहीं है, वर्तमान सुविधाओं में उनका काम पूरा हो जाता है तो वह पुराने रेट से ही लें और जिनको बढ़ी हुई सुविधाओं की जरूरत है तो वह अपना औप्शन देकर उन्हें लें । अगर ऐसा होता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है ।

यह मैं इसलिये दौहरा रहा हूं कि हम जैसे जो साधारण लोगों के बीच में से चुनकर आते हैं,उन लोगों के लिये अगर इस हाउस का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में ख्याल करना होगा नहीं तो साधारण जनता के बीच में से चुनकर आने वाले यहां नहीं आयेंगे । जिन लोगों को हजारों लाखों की कमाई है, जो पार्लियामेंट के सदस्य बनकर आते हैं, वह अपनी प्रतिष्ठा के लिये आते हैं, उन्हीं लोगों को अगर आप लाना चाहते हैं, तो बात दूसरी है वरना यह बहुत जरूरी है कि जो वर्वमान व्यवस्थाएं कम हैं, उन्हें बढ़ाया जायें ।

अगर यह नहीं भी बढ़ाया जायेगा तो जो लोग साधारण लोगों के बीच से आते हैं, उनके लिये आना मुश्किल होगा और दूसरे लोग यहां ज्यादा आ जायेंगे । हम लोग जो गरीबों के बीच में काम करते-करते आते हैं, उन लोगों के लिये रास्ता बन्द हो जायेगा ।

यह अफसोस की बात है कि हमारे देश की जो पत्रिकाएं हैं और पत्रकार हैं वह भी इस बारे में काफी लिखते हैं कि जो पार्लियामैंट के एम० पी० हैं और सरकार में मंत्री हैं, उनको बहुत सुविधाएं मिलती हैं । देश के लोगों को इस बात का पता होना चाहिये कि उन लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं । 1952 में जो सुविधा एक मंत्री को मिलती थी, वही आज भी मिल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । आज भी अगर एक मंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में जाना चाहता है तो, उनका परिवार भी उनके साथ रेलवे में जा नहीं सकता । यह सुविधा भी उसमें नहीं है । इसी तरह अगर कोई सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिये भी ऐसी सुविधा नहीं है ।

गिरी साहब ने इसका विरोध तो किया लेकिन उनको शायद इस बात का भी पता है कि उनके बंगाल में जो असेम्बला है उसके मेम्बर के साथ रेलवे में जो कंपेनियन जाता है वह भी फर्स्ट

क्लास में जाता है, जब कि यहां एम० पी० के साथ जो कम्पेनियन है वह सैकिंड क्लास में जाता है। अगर यह गलत है तो वह यहां पर कहें। वह यह बतायें कि उनकी लैफ्ट गवर्नमेंट आने के बाद वहां पर क्या सुविधाएं बढ़ाई गई हैं? उन्होंने जो कुछ यहां कहा वह सिर्फ लोगों को यह बताने के लिये कहा कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है और इसको मानती नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। इसलिये उन्होंने इसका विरोध किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देश की आर्थिक हालत खराब है तो वह सब के लिये ही खराब होगी। अगर उनका दल इस बात को मानता है तो आइये हम सब इस बात को तय करें कि आने वाले 5 साल में किसी व्यक्ति की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या कोई हो। अगर ऐसा वह मानते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, हम सब खुशी से इससे सहमत होंगे, और आपका साथ देते हैं लेकिन आप रोजाना यहां तनख्वाह बढ़ाओ का नारा लगाते हैं और लोगों को इसके लिये भड़काते हैं कि वह कहें कि तनख्वाह बढ़ाओ, सुविधाएं बढ़ाओ और यह चीज लेकर सरकार के पास आते हैं। आपकी खुद पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, जब और लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की आप मांग करते हैं तो 700, 750 एम० पीज की सुविधा बढ़ाने से कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। इससे देश की आर्थिक हालत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह की बातें केवल प्रापेएण्डा करने के लिए और लोगों को विभ्रांति में डालने के लिए कही जाती हैं।

मेरा चुनाव-क्षेत्र अंडमान-निकोबार है। मैं पोर्ट ब्लेयर तो पहुंच जाता हूं, लेकिन उसके बाद बहुत से द्वीपों तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं हैं। कई द्वीपों में थोड़े से लोग रहते हैं। वहां जाने के लिए रेगुलर फेरी सर्विस की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती। वह कहती है कि आपको इसका हक नहीं है। अगर मैं लोगों से मिलने के लिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप नहीं जा पाऊंगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकूंगा? वहां पर ऐसे भी द्वीप हैं, जहां सरकारी व्हीकल को छोड़ कर कोई पब्लिक कन्वेयेंस नहीं है। अगर वहां पर यह सुविधा न मिले, तो एक एक द्वीप तक जाने में एक महीना लग जाएगा।

आज एक पटवारी का जो स्टेट्स है, सरकार वह भी संसद-सदस्यों को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद कई लोग एम० पीज के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि हमारे चन्द साथियों को अपना मकान किराये पर देने की बुरी आदत है। उससे हम सब को शर्म लगती है। लेकिन इसकी वजह यह है कि देश ने उन्हें रहने के लिए उचित सुविधाएं नहीं दी हैं, इसलिए वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर जाते हैं, जिससे सदन के सब सदस्य बदनाम होते हैं।

अगर हम देश की पब्लिक लाइफ में मारेलिटी कायम करना चाहते हैं, अगर हम पब्लिक के नुमाइंदों के आदर्श ऊंचे रखना चाहते हैं, तो एम०पीज की कम से कम जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। मुझे रोज 30-35 चिट्ठियां भेजनी पड़ती हैं। अगर में चिट्ठियों का जवाब न दूं, तो मेरे चुनाव-क्षेत्र के लोग कहेंगे कि एम०पी को चिट्ठी लिखी, मगर वह जवाब नहीं देता है। इन चिट्ठियों के लिए जितने पोस्टल स्टेप्स की जरूरत है, वह खर्च करना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो हम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पायेंगे।

एक मन्त्री को 1400 रुपये दिए जाते हैं। एम पी को तो सेशन के टाइम में 51 रुपये रोज मिल जाते हैं। जो आदमी मन्त्री बनता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लोग उससे ज्यादा उम्मीद करते हैं। अगर कांस्टीट्युएन्सी के किसी गरीब की लड़की की शादी हो, तो वह आशा करता है कि उसे तीन, चार, पांच सौ रुपये मिल जाएंगे। दस आदमी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लौट कर घर कैसे जाएं, हमें टिकट ले दीजिए। जब मन्त्री को 1400 रुपये के अलावा और कोई सुविधा नहीं दी जाती, तो वे लोग किस तरह अपना काम कर सकेंगे ? इस विषय पर गंभीरतापूर्वक डिसकशन होना चाहिए और कोई उपाय निकालना चाहिए।

अपनी कांस्टीट्युएन्सी से आने-जाने के लिए जो सुविधाएं स्टेट्स में मिलती हैं, वे भी हम लोगों को नहीं मिलती हैं। सेशन में वाइफ के एक दफा आने की सुविधा दी गई है, लेकिन बच्चों को लाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। इस लिए बच्चों को छोड़ कर आना पड़ता है। जब तक इन एनामोलीज को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक संसद-सदस्यों को अपना काम करने के लिए पूरी सुविधा नहीं मिलेगी।

सवाल केवल एम०पीज की तन्ख्वाह बढ़ाने का नहीं है। देश के नैतिक चरित्र और पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों के आदर्श को ऊंचा रखने के लिए सरकार को उन्हें जरूरत की सब चीजें और सुविधायें देनी पड़ेंगी। वह जब नहीं होगा तब यह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और उन को विभ्रान्ति में डालने के लिए दो चार बातें ऐसी कह देना और फिर यह कहना कि मैंने तो विरोध किया लेकिन जब हो जायेगा तो सभी को मिलेगा और उस टाइम में लेने से हम इन्कार करेंगे, इस तरह की बात तो अच्छी नहीं है मुझे एक बात अच्छी लगी जो शास्त्री जी ने कही। उन्होंने कहा कि तनख्वाह बढ़ाने को बात तो अच्छी नहीं हैं, चालाक आदमी हैं, और पुराने आदमी हैं, सब कुछ समझते हैं, उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से बात रखी। उन्होंने कहा कि पोस्टल स्टाम्प मिलना चाहिए, आने जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, एक स्टेनोग्राफर मिलना चाहिए क्योंकि उस के बिना काम कैसे होगा, यह सारी चीजें मिलनी चाहिए काइंड में, यह शास्त्री जी मान गए, सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने में शास्त्री जी को इन्कार है। वह कहते हैं उस से वह सहमत नहीं हैं। यह भी शास्त्री जी ने एक अच्छे ढंग से अपनी बात रखी।

एक माननीय सदस्य : और ज्यादा मांग रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : जी हां, उस में और ज्यादा सुविधा वह मांग रहे हैं। वह भी ठीक है। ज्यादा सुविधा मांगना खराब बात नहीं हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए उस तरह की सुविधा तो होनी ही चाहिए।

एक बात की जानकारी कर के आप देख लीजिएगा, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं एक रुपया प्रति किलोमीटर हम लोगों को मिलता है कार से चलने के लिए। संसद के जितने सदस्य हैं चाहे वह इधर के हों या उधर के, सब से मैं पूछता हूं कि आप लोग जाने के टाइम में टैक्सी से जाते हैं तो किराया देते हैं, वह बता दीजिए। कितने किलोमीटर जाते हैं और कितना किराया देते हैं, यह बता दीजिए। मैं कोई ज्यादा मांगने के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन जितना हकीकत में जाते समय हम देते हैं उतना मांगने में कौन सी बुराई है, कौन सा गुनाह है ? देश के लोगों के अन्दर उस से कौन सी भावना पैदा हो जायगी ? इस तरह की बात तो कुछ मेरी समझ में नहीं आती। मेरा यह कहना है कि इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए।

फिर मैंने उस दिन एक बात का जिक्र किया था कि देश के लोगों के अंदर एक भावना क्या है कि वह समझते हैं कि हम लोग दिल्ली में जिस क्वार्टर में रहते हैं वह सारा फ्री है, वह यह नहीं जानते कि यह फ्री नहीं है बल्कि हम लोगों को उसका किराया देना पड़ता है जब लोग आते हैं किसी एम० पी० के घर और वहां जा कर वह देखते हैं कि सोफा है, टेबल है, कुर्सी है बैठने के लिए, तो वह सोचते हैं कि बहुत अच्छा इनका रहने का इंतजाम है, एम० पी० लोग तो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। उन को यह पता नहीं है कि हम लोगों से उसका किराया काटा जाता है। लोग आ जाते हैं कई बार, पूछिए क्या बात है तो कहेंगे कि ट्रंक काल करना है आप के यहां से। उनसे कहिए कि यहां से क्यों करते हैं, सी० टी० ओ० में जाकर करिए तो बोलेंगे कि नहीं, आप का तो फ्री है। मैंने उनसे कहा कि आप को किसने बोला कि मेरा टेलीफोन फ्री है? यह तो फ्री नहीं है। इसके लिए मेरा भी पैसा कटता है और जितना ट्रंक काल होता है उसका सारे का हिसाब जोड़ कर देना पड़ता है और क्योंकि हम लोग एम० पी० हैं, हम लोगों के नाम पर एम० पी० की छाप लगी हुई है तो टेलीफोन एक्सचेंज से जो दूसरे लोग कनेक्ट कराते हैं, उसका बिल भी हम लोगों के ऊपर आ जाता है, वजह यह है कि हम एम० पी० हैं। पांच हजार, सात हजार या दस हजार का टेलीफोन बिल आ जाता है। मैंने भी 5 हजार का बिल थोड़े दिन पहले दिया है। अभी मैंने एस०टी०डी० कटवा दिया है क्योंकि एस०टी०डी० में पता नहीं चलता, लोग आते हैं, कहते है एक टेलीफोन करना है, अब वह घुमाते घुमाते मद्रास, कलकत्ता या बम्बई पता नहीं कहां कहां घुमा कर घंटे घंटे बात करके चले जाते हैं, उसके बाद बिल हमारे पास इतनी मोटी रकम का आ जाता है। इन बातों को कोई समझता नहीं। तो देश के लोगों को यह गलतफहमी है, पानी, बिजली, टेलीफोन, ट्रंककाल, सोफा, टेबल, कुर्सी जो कुछ भी है वह समझते हैं सारा फ्री है। यह जो इधर मिनी बस चलती है पार्लियामेंट हाउस आने के लिए, मैं एक दिन हमारी कांस्टीच्यूएंसी से कुछ लोग आए थे, उनको लेकर चला उससे क्योंकि उनको पार्लियामेंट दिखाना था। जब मैंने पैसा दिया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, हम लोग समझते थे यह सब फ्री है, मुफ्त है। मैंने कहा आप लोग समझते हैं कि हमारे लिए सब मुफ्त है, लेकिन कोई चीज मुफ्त नहीं है। हमें जब तनख्वाह का चैक मिलता है, इसके पहले छः-सात सौ मिलता था, अब ग्यारह सौ कुछ मिलता है और बाकी हम को उसके ऊपर पे करना पड़ता है, चाहे पानी हो, बिजली हो या टेलीफोन हो। हम यह नहीं पूछते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे पास कागज आ जाएगा, उसमें कहा जाता है कि आपकी तनख्वाह "निल" है, जो आप का टेलीफोन का बिल है, उसमें कट गई। उसके बाद क्या खाएगा, नहीं खाएगा, भूखा रहेगा; सदन से भाग जाएगा या क्या करेगा, किसी को पता नहीं हैं। इस प्रकार की हालत हम लोगों की है। इस बारे में देश के लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन लोग देखेंगे श्री सोमनाथ चटर्जी को, देखेंगे श्री जेठमलानी को या अशोक सैन साहब को, जो कि फ्रीफैशनल्स हैं, जिनकी हजारों लाखों रुपयों की कमाई है। इन लोगों को हिसाब सामने रख कर हम लोग, जो कि 75-80 प्रतिशत लोग हैं, जिन लोगों की हालत अच्छी नहीं है, उन लोगों को भी उसी नम्बर पर रखते हैं।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामैंट्री विभाग के जो मंत्री हैं, श्री भीष्म बाबू, वे हम लोगों की हालत को जानते हैं कि हम लोग क्या चीज खाकर आते हैं। इस बारे में भी खबर रखते हैं। इनको मंत्री होने के बाद भी इनको कितना नुकसान हुआ है, वह भी इनको पता

है। उसके बावजूद भी यदि भीष्म बाबू नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा। देश के लोगों ने हम लोगों को चुनकर यहाँ सदन में भेजा है, देश के लोगों के सामने सही जो बात है, जो असलियत है, उसको देश के लोगों के सामने रखा जाना चाहिए और रखकर जिन-जिन सुविधाओं की जरूरत है, मैं मिनिस्टर को भी इसके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि उन लोगों की हालत हम लोगों से भी ज्यादा खराब है, वे दी जानी चाहिए। यहां पर मधुदण्डवते जी बैठे हुए हैं, वे तीन साल तक मंत्री रह चुके हैं, उनको खुद पता है कि उनको कितनी तनख्वाह मिलती थी, कितना खर्च किया और क्या पोजीशन है—इनको खुद पता है।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मैंने सब प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है।

श्री मनोरंजन भक्त : इसीलिए मैं ने कहा कि इनको पता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : दण्डवते जी को तो अच्छा है, क्योंकि उनके घर में दो तनख्वाहें आती हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : क्योंकि मियां-बीवी दोनों काम करते हैं, इसलिए उनका गुजारा चलता है।

हमारे माननीय सदस्य, श्री डी०पी० यादव, ने उस दिन बहुत अच्छे तरीके से बातें सदन के सामने रखीं। वे मंत्री रहे हैं और मंत्री से जाने के बाद उनको मालूम है कि उनकी क्या हालत है। हमको भी उनको सुनने का मौका मिला। हम सब लोग परेशान हैं, चिन्तित हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। तनख्वाह बढ़ाने या एलाउन्स की बात नहीं है, यह असूल की बात है, सोचने की बात है कि देश की पार्लियामैंट सबसे बड़ी संस्था है, जहां पर कि इसे देश की तरक्की, इस देश का सब कुछ, जो कुछ भी हो, इस संस्था ने विचार करना है। इसलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज संसद में जायें या नहीं जायें या घर में खाने को तो कुछ नहीं है और जो वकालत करते है, वे सोचेंगे कि चलो कोर्ट में जायेंगे, देखेंगे कि अगर 100 रुपया मिलता है, तो कोशिश करेंगे। यदि हम इस चिन्ता में रहेंगे तो हम देश के लोगों के बारे में और इस देश की तरक्की के बारे में कैसे सोचेंगे। इस वजह से जो फुल टाइम इस काम के लिए पड़े रहते हैं, चौबीसों घण्टे, उनको सुविधाओं की जितनी जरूरत है, उससे अगर दस फीसदी ज्यादा देते हैं, तो उससे देश का नुकसान होने वाला नहीं है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कि हम लोगों की किस तरह की पब्लिक लाइफ है। यह बात छिपी हुई नहीं है कि कुछ करप्शन की बात आती है, कुछ झूठे इल्जाम भी लगते हैं करेक्टर एसेसीनेशन के लिए। उनमें से कुछ बात सही भी हो सकती हैं लेकिन एक बात तो देखनी चाहिए कि अगर संसद् सदस्यों को पूरी सुविधाए नहीं देंगे, तो आप उनको गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करते हैं और खास तौर पर उन लोगों को जो आम लोगों में से आते हैं···(**व्यवधान**)···

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : ये सुविधाएं देने से क्या गलत रास्ते पर जाना रुक जाएगा ?

श्री मनोरंजन भक्त : रुकेगा क्यों नहीं और मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता है, तो उसे सख्त सजा दीजिए। उसके लिए 20 साल, 25 साल और जिन्दगी भर पब्लिक लाइफ में न आने के लिए कानून बना दीजिए लेकिन मैं यह कहूंगा कि पेट में कुछ

देकर बाद में पीठ में मारिये और दोनों बातें एक साथ न करें। एक दफा पेट में दीजिए फिर पीठ में मारिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने सब लोगों की भावनाओं को देख लिया होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बहुत जायदाद है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरी कमाई है। उन को यह बात अच्छी न लगे और वे कहते होंगे कि यह बिल्कुल बकवास करते हैं लेकिन हम जैसे लोग आम आदमियों के बीच चुनकर आते हैं और यहां पर काम करते हैं और जिनका दूसरा सोर्स आफ इन्कम नहीं है और 24 घंटे इसी काम में पड़े रहते हैं, पब्लिक लाइफ में ठीक तरीके से रहने के लिए यह जरूरी है कि उनको ज्यादा सुविधाएं मिलें।

मैं डागा साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक अच्छा मौका हम लोगों को दिया, जिससे लोगों को यह जानने का मौका मिला कि एम० पीज को, संसद् सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं और उन की क्या कठिनाइयां हैं।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भीष्म नारायण जी इस पर जरूर विचार करेंगे और हम सबों की जो इच्छा है, सदन की जो इच्छा है, उसको पूरा करेंगे।

श्री भेरावदन के० गधावी (नवासकांठा) : श्रीमान् मैं श्री ड गा द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को इस सभा में तथा इस सभा से बाहर कुछ लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया परन्तु मेरे विचार में इस विधेयक पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब कि हमें कोई जिम्मेदारियों की भावना को त्याग देना चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति की अन्तर वेदनाओं को अनुभव करें तो आपको अनुभव होगा कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपना कर्त्तव्य कर रहे हैं तथा अपने मतदाताओं के प्रांत जिनकी निष्ठा है उन्हें गरीबी से तो नहीं तंगी से जीवन-यापन करना पड़ता है और यह तंगी अत्यन्त व्यापक है।

यदि आप आज संसद के गठन पर विचार करें तो आप अनुभव करेंगे कि इसमें परिवर्तन आ गया है। दोनों पक्षों में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो श्रम से अपनी आजीविका अर्पित करते हैं। उनका संबंध साधारण वर्ग से है। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। जब मैं यहां आया तो मैंने आवास के बारे में पूछा मुझे बताया गया कि मैं एक फ्लैट, एक गैरेज तथा एक सर्वेन्ट क्वार्टर का हकदार हूं। उस समय जब फ्लैट, गैरेज और सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे तब यह समझा गया था कि संसद सदस्य दिल्ली में गाड़ी तथा नौकर रख सकते हैं अन्यथा उन्होंने गैरेज तथा सर्वेंट क्वार्टर क्यों बनाये होते। आज यदि बढ़ते हुए मूल्यों तथा जीवन की कठिन परिस्थितियों के संदर्भ में आप विचार करेंगे तो आप पायेंगे कि क्या कोई भी मध्यम दर्जे का व्यक्ति ईमानदारी से यह कह सकता है कि वह दिल्ली में कार रख सकता है ? क्या वह दिल्ली में नौकर रख सकता है ? हमारे पास नौकर नहीं हैं। हमें सुबह उठकर दूध लाना पड़ता है। कार का तो प्रश्न ही नहीं है। इन गैरेजों का क्या उपयोग है। मेरा सभा में सरकार के समक्ष यह साधारण सा प्रश्न है—

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपकी अपनी कार के रखने के लिए है।

श्री भेरावदन के० गधावी : उन्होंने इसका निर्माण क्यों किया ? उनका अनुमान था कि जो संसद सदस्य चुनकर आ रहे हैं वे कार रख सकेंगे। पुराने दिनों में भी संसद् सदस्य समाज में अग्रणी थे। वे लोग वित्तीय दृष्टि से तथा अन्यथा भी सम्पन्न थे। हम यह संसद सदस्यों की पुरानी सूची को देखकर अनुभव कर सकते हैं। स्वभावतः उन्हें कोई तंगी नहीं थी।

आज सत्र का अंतिम दिन है। आज टेबल आफिस तथा बैंक में भी लाइनें लगी हुई हैं। सभी सदस्य दिल्ली से बाहर जाने के लिए रुपया निकलवाने बैंक जा रहे हैं। उन्हें धन की आवश्यकता है इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझना है। हमें सादगी की ढोंग की भावना को त्याग देना होगा। हर कोई यही बात करता है कि हमारा जीवन अत्यन्त साधा होना चाहिए। हर व्यक्ति को कर्त्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कोई भी कर्त्तव्यनिष्ठ संसद सदस्य मतदाताओं के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है।

मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है। बहुत शोर-शराबा किया गया है। बहुत सी कमियां तथा गलत फहमियां हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जीवन की वास्तविक स्थिति की ओर भली प्रकार ध्यान आकृष्ट किया है। हम यह नहीं कहते हैं कि यह धन के वेतन के तथा अन्य परिलब्धियों के लोभ के कारण लाया गया है। हमारा केवल यही कहना है कि यह केवल इसीलिए है कि संसद सदस्य अपना कर्त्तव्य भली प्रकार निभा सकें। वे सारे समाज तथा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समाज के मुख्य अंग हैं। वे एक लोकतंत्रीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, यदि हम लोकतंत्रीय परम्पराओं को बनाये रखना चाहते हैं यदि हम चाहते हैं कि हरेक सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य को भली भांति ढंग से निभाये तो उन्हें सुविधापूर्वक इस ढंग से रहने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना कर्त्तव्य सही रूप से निभा सकें।

लोकतंत्र को बनाये रखना होगा। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। इस निरन्तर प्रक्रिया का अभिप्राय है कि जन-प्रतिनिधियों एवं जनता के बीच सामंजस्य बना रहना चाहिए, इसे न तो कमजोर होने देना चाहिए न ही समाप्त होने देना चाहिए। संसद सदस्यों की पूरी अवधि तक उनमें तथा जनता के बीच समन्वय बना रहना चाहिए। यह समन्वय बनाये रखने के लिए यह समझने के लिए कि राष्ट्र का शासन कैसे चलता है, राष्ट्र किस दिशा में चल रहा है, राष्ट्र को किस उद्देश्य को प्राप्त करना है, इसके लिए समन्वय बनाये रखना चाहिए। इसे किस प्रकार बनाये रखा जा सकता है। ऐसे हालात पैदा किये जाने चाहिए कि वह जनता के पास बार-बार जा सके तथा उन लोगों की मांगों तथा कठिनाइयों की ओर ध्यान दे सकें।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब बाढ़ अथवा सूखा, बवंडर अथवा तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब जनता को कष्ट उठाना पड़ता है। स्वभावतः संसद सदस्य अपने क्षेत्र में जाना चाहेगा। परन्तु उसे जाने से रोका गया है। वह अधिकारियों के पास जाकर कहता है "कि क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे ? मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूं जो कि कष्ट उठा रहे हैं।" यह स्थिति है। अतः उसकी स्वतंत्र कर्त्तव्य परायणता में बाधा आती है। अतः इस देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों के साथ निकट का सामंजस्य बनाये रखने के लिए संसद सदस्य को इन मामलो में सहायता दी जानी चाहिए।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि इसमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि "यह धन किन को दिया जा रहा है ? सार्वजनिक जीवन उनका शौक हो सकता है अथवा उनके जीवन का एक मनोरंजक पहलू हो सकता है। परन्तु बहुत से सदस्यों के लिए, जोकि यहां पर बैठे हैं, सार्वजनिक जीवन एक धार्मिक कर्त्तव्य है जाकि उन्होंने अपनाया है। वे समझते हैं कि यह उनका नैतिक दायित्व बील के नाते मैं स्वयं जानता हूं कि क्योंकि मैं संसद में हूं

मैं एक भी मुकदमे की वकालत नहीं कर सकता। न ही मैं उन लोगों के प्रति अपने दायित्व को निभाता हूं जिन्होंने मत देकर मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। निःसन्देह कई मित्रों ने मत व्यक्त किया है कि वेतन भत्तों सुविधाओं की वृद्धि से आलोचना होगी। संभवतः मुझे कहना पड़ेगा कि विना किसी आधार के नैतिकता पर प्रश्न उठाया गया है। परन्तु साफ वात यह है "कि हम अत्यन्त कठिनाई में हैं और हमें कुछ वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। संसद सदस्य कुछ नहीं कहते परन्तु जिस उच्च नैतिकता का वे सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे वढ़-चढ़ कर वात कर रहे हैं। वे मन की वात को व्यक्त कर रहे हैं वास्तव में इस सभा में वे अपने भाइयों से वात कर रहे होते हैं। अतः श्री डागा द्वारा वेतन भत्ता के वारे में प्रस्तुत किए गये इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मात्र सादगी तथा मितव्ययता के नाम पर जीवन की वस्तुस्थिति की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। संसद सदस्य वनकर एक समाज के घटक नहीं रहते, यह वात नहीं है। क्या आप समाज से अलग हैं ? आज सवसे निर्धन तथा सवसे धनी वर्ग सभी लोग उच्च स्वर से यह कह रहे हैं कि वे सभी मूल्य वृद्धि आदि से भारी कष्ट उठा रहे हैं। यह एक फैशन वन गया है कि लखपति, करोड़पति व्यक्ति भी जीवन की कठिनाइयों विशेषतः मूल्य-वृद्धि तथा जीवन की हालात की चर्चा करते हैं। परन्तु हम इसे ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे सामाजिक दायित्व भी हैं। हमारे जीवन का अपना तरीका है। हम लोगों के भी परिवार हैं उनका हमें पालन-पोषण करना होता है। मैं उन सदस्यों की वात नहीं करता जो दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों के हैं। परन्तु जो सदस्य दूर के क्षेत्रों के हैं "क्या वे अपने परिवारों को दिल्ली में रख सकते हैं।" नहीं, क्यों ? यह आर्थिक पहलुओं तथा सुविधाओं के न होने के कारण है। वर्तमान सुविधाओं के सम्वन्ध में मैं विशेष रूप से टेलीफोन की वात करना चाहता हूं जिसकी वात कई वार सभा में उठ चुकी है।

जो सदस्य देश के किसी पिछड़े अथवा अविकसित क्षेत्र के हैं वे सीधी टेलीफोन सुविधाओं का तथा स्थानीय टेलीफोन सेवाओं का उपयोग नही कर पाते।

वंवई, कलकत्ता अथवा मद्रास तथा अन्य वड़े नगरों के संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सीधी टेलीफोन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें स्थानीय टेलीफोन काल में परिवर्तित कर दिया जाता है जवकि 15000 तक स्थानीय काल विना शुल्क के किए जा सकते हैं। परन्तु हम उन सदस्यों को सहायता देने की सोच रहे हैं जो कि भीतरी क्षेत्रों से आते हैं। क्या उनके लिए कोई सीधी टेलीफोन सेवाएं हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ सम्पर्क नहीं कर सकते। अपने निर्वाचन क्षेत्र से वे अपने राज्य के मुख्यालयों के अपने निवास स्थान से जिला मुख्यालयों के साथ सम्पर्क नहीं कर सकते। यदि वे ट्रंक काल करते हैं उन्हें उसके लिए व्यय करना पड़ता है और कई वार टेलीफान विभाग की अव्यवस्था के कारण उन्हें भारी व्यय करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरे स्थानीय टेलीफोनों की संख्या प्रति वर्ष 5000 से अधिक नहीं होगी। सीधी टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण मेरी 10,000 स्थानीय कालें व्यर्थ जाती है।

अतः वास्तविकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वंवई अथवा कलकत्ता अथवा मद्रास तथा वैसे ही वड़े नगरों वाले सदस्यों को वेहतर सुविधाएं, वेहतर रेल सेवायें, आदि उपलब्ध हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों को वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

जैसा कि वताया गया है हमें हवाई अड्डे जाने के लिए 30 से 35 रुपए देने पड़ते हैं। हमें प्रति कि० मी० 1 रुपया मिलता है। पैट्रोल की कीमत वढ़ने से दरें वढ़ गई हैं। परन्तु वर्तमान

अधिनियम में तदानुसार वृद्धि की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हम व्यवहारिकता की बात करते हैं तब हम वस्तुस्थिति की बात क्यों नहीं करते। अधिकारी-गण वास्तविकता पर ध्यान नहीं देते।

इन शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से श्री डागा द्वारा पेश किए गये विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा संसद सदस्यों के श्रमिक संघ के नेता हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, वास्तव में मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं था। परन्तु एक के बाद एक सदस्यों को संसद सदस्यों के वेतन तथा सुविधाओं में वृद्धि पर ध्यान पूर्वक सुनने के बाद मैं कुछ बातें कहने के लिए विवश हुआ हूं।

पहले ही मेरी पार्टी की ओर से श्री सुधीर गिरि निवेदन कर चुके हैं। वह पहले ही बता चुके हैं कि हम श्री डागा द्वारा पेश किए गये विधेयक के सर्वथा विरुद्ध हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने उससे अधिक सुविधाएं मांगी हैं जितनी कि मैंने मांगी थी। कृपया आप अपनी पार्टी के नेता के भाषण को पढ़ें। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूर्णकालिक माहालिपिक की आवश्यकता है।

उन्होंने यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधाओं की भी मांग की है। आप कृपया उनका भाषण पढ़े।

श्री सुनील मैत्रा : उन्होंने कोई यात्रा व्यय की मांग नहीं की है। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी पार्टी का नाम बताना चाहता हूं। मेरी पार्टी भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) है। मेरी पार्टी की ओर से श्री सुधीर गिरि पहले ही निवेदन कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से विधेयक का समग्र रूपेण विरोध किया है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : यदि विधेयक पारित हो। जाता है तो आप सुविधाओं से लाभ उठायेंगे।

श्री सुनील मैत्रा : यदि आप इसके पक्ष में हैं तो आप इसे समर्थन दें। दोहरी नीति का कोई लाभ नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यदि वेतन भत्तों में वृद्धि होती है तो आप उसे लेने को तैयार है। यह हम जानते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : यदि हम उसे लेते हैं तो हम उसे अपनी पार्टी को देते हैं। हमारी पार्टी के सदस्यों तथा आपकी पार्टी के सदस्यों में यही अंतर है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : परन्तु सच्चाई यह है कि आप उसे ले लेगें। आप उसे अपनी पार्टी को देते हैं अथवा नहीं यह अलग बात है।

श्री सुनील मैत्री : वृद्धि करने के बाद भी क्या आप हमें वेतन तथा भत्ते वर्तमान दरों पर देते रहेंगे ? हम उन्हें लेने को तैयार हैं। क्या आप ऐसा करेंगे। पर मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूं।

एक मामला बनाने की चेष्टा की जा रही है। दोनों सभाओं को यह बताना मेरा कार्य नहीं है कि मूल्य नहीं बढ़े हैं। यह कहना भी मेरा कार्य नहीं है कि संसद सदस्यों को कोई कठिनाई

नहीं है। न यह कहना मेरा वक्तव्य है कि संसद सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों को भली प्रकार निभाने के लिए प्राथमिक सुविधाएं दी जायें।

[श्री गुलहोर अहमद पीठासीन हुए]

परन्तु बात यह है कि आज केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते की दो किस्तों के हकदार हैं। आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते ? आप उस बारे में चुप क्यों हैं। वे महंगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी के लिए शोर मचाते रहे हैं और जब हम इस पक्ष के सदस्य उसकी अदायगी के लिए कहते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। परन्तु जब आपकी अपनी बात उठती है तब अपनी कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन करते हैं। आपके रवैये में यह विरोधाभास है। इसे मैं पसंद नहीं करता। आज देश संकट में है। आज आपकी सरकार कह रही है कि आपके लिए इस व्यय का भार वहन करना संभव नहीं है। तब क्या यह उचित है कि आप यह मांग करें कि संसद सदस्यों को यह वेतन वृद्धि दी जाये। यह अनुचित तथा पक्षपातपूर्ण है। जब भी कार्मिक वर्ग, मेहनत कश लोग अथवा अन्य वर्ग कोई मांग करते हैं तब आप आवश्यक सेवा अधिनियम को उपयोग में लाने का भय दिखाते हैं, तथा उनके संघर्ष अथवा हड़तालों को इस आधार पर इस दलील पर भंग कर देते हैं कि देश तीव्र आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यदि संकट का भार पूरे देश द्वारा सहन किया जाना है तब संसद सदस्यों को भी, जोकि देश का अभिन्न अंग है उस भार का वहन करना चाहिए परन्तु ऐसा लगता है कि इस बारे में उन्हें संकोच है। जहां तक हमारे पक्ष के सदस्यों का प्रश्न है हम इस तरह के जीवन के अभ्यस्त हैं, हम शान और शौकत के आदी नहीं है। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, हम उसमें अपना निर्वाह कर पाते हैं, हम अपने बजट के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। जिस ढंग से इस मामले को उठाया जा रहा है जिस प्रकार के तर्क दिये जा रहे हैं उससे जनता में यह धारणा पैदा की जाये कि इस विशेष मामले पर सहमति है। ऐसी कोई सहमति नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी, साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी का सम्बन्ध है हम पूरी तरह से इसके विरुद्ध हैं तथा हम इसके विरुद्ध मतदान करेंगे।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डागा साहब ने जो बिल पेश किया है इसमें कोई शक शुबहा की गुंजायश नहीं है कि उन्होंने पार्लियामेंट के मैम्बरान की जिन्दगी की जो तल्ख हकीकतें हैं, जो जिन्दगी की समस्यायें और कठिनाइयां हैं उनकी तरफ सदन का और पूरे देश का ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैं समझता हूं दूसरी सरकार भी प्रभावित होगी और इस मामले में कोई न कोई ठीक फैसला करेगी। इस सदन में संसद सदस्यों की तकलीफों और दिक्कतों के बारे में बताया गया। मैं आप से कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य सेवा की भावना से जनता द्वारा चुनकर यहां आये हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वह भी समाज के अंग हैं, प्राणी हैं, और वह कोई साधु, सन्यासी नहीं हैं।

उनकी भी अपनी जिन्दगी है, उनका भी अपना परिवार है, अपनी आवश्यकताएं हैं। उसके लिये भी उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है, लेकिन हम इस सारी चीज को छोड़ देते हैं, उनके परिवार और सामाजिक बोझ-भार को भी छोड़ देते हैं, हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी पार्लियामेंट के मेम्बर्स को मिलता है, क्या वह उनकी हैसियत से उनके कर्तव्य पालनकरने के लिये ठीक है या नहीं ?

अपने आधे जीवन को तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो आधा जीवन हम अपने देश की सेवा के लिये कर्त्तव्य-भावना से करने आये हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, क्या उससे हम अपने कर्तव्य का ठीक तरह से निर्वाह कर सकते हैं या नहीं ?

हम लोग चुनकर आते हैं, हमको कोई एप्वाइन्ट नहीं करता है, लोग हमको वोट देकर भेजते हैं। जो लोग चुनकर भेजते हैं, उनकी यह आशा होती है कि हम अपने क्षेत्र में जायें, उन लोगों की बातें सुनें, समस्याएं सुनें, अपनी कांस्टीटुएन्सी का दौरा करें और जो कुछ उनकी समस्याएं हों, उन्हें निपटाने की कोशिश करें।

आजकल पार्लियामैंट की जितनी बड़ी कांस्टीटुएन्सी होती है, उसमें दौरा करने के लिये एक दिन में कितना गाड़ी का किराया लगेगा, कितना डीजल या पैट्रोल का दाम लगेगा, इसका सभापति महोदय आप भी आसानी से अन्दाज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी चुनकर आये हुए सदस्य हैं। किसी भी हालत में 250 रुपये से कम खर्चा एक दिन में संसद्-सदस्य को कांस्टीटुएन्सी में घूमने का नहीं लग सकता।

जब भी पार्टी की मीटिंग होती है, तो हमारी प्रधान मंत्री हम लोगों से कहती हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइये, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सम्पर्क कीजिये, उनकी कठिनाइयों को देखिये और दूर करने की कोशिश कीजिये। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जाने का मतलब यह है कि, 2, ढाई महीने का इंटर-सैशन पीरियड होता है अगर उसमें से एक-डेढ़ महीना हम अपने क्षेत्र में घूमें तो उसमें कम-से-कम आधे गांव में घूमा जा सकता है। इसके लिये कितना पैसा लग जायेगा और वह कहां से आयेगा ?

जो लोग इस काबिल हैं जिनके पास गाड़ी है, हो सकता है कि वह यह खर्चा कर सकें, लेकिन कितने पार्लियामैंट के मेम्बर ऐसे हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी है और जो इतना पैसा अपनी कांस्टीटुएन्सी में घूमने के लिये खर्च कर सकते हैं ?

मैं सिर्फ कर्त्तव्य की बात करता हूं, खाने पीने की बात छोड़ दीजिये। खाना-पीना तो सभी को मिल जाता है, किसी न किसी तरह पेट भर जाता है, लेकिन पार्लियामैंट के सदस्य की हैसियत से कर्त्तव्य के निर्वाह की बात है। उसके बाद जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अपने प्रार्थना-पत्र हमको देते हैं एप्लीकेशन्स देते हैं। वह बहुत बड़ी संख्या में होती हैं। जब हम दिल्ली आते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में प्रार्थना-पत्र होते हैं और जब दिल्ली आकर अपना दरवाजा खोलते हैं तो उतनी ही संख्या में चिट्ठियां हमारे पास आई हुई होती हैं। दूर-दूर से क्षेत्र के लोग चिट्ठियां भेजते हैं। क्या हमसे यह आशा की जाती है कि उन चिट्ठियों को हम कूड़े की बाल्टी या टोकरी में फेंकें ? उन पर कोई कार्यवाही न करें ?

उन चिट्ठियों पर कार्यवाही करने के लिये हमें आवश्यकता होती है, स्टैनोग्राफर्स की, टाइपिस्ट्स की। यहां जो स्टैनोग्राफर्स का पूल, पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिये है यह काफी नहीं है। यहां पर जब जाइये तो भीड़ लगी रहती है, 20,25 स्टैनोग्राफर हैं और 540 संसद-सदस्य लोक-सभा के हैं। वहां पूरा पार्लियामैंटरी काम भी नहीं करा पाते। पूरी तरह जो नोटिस हम लोग देते हैं, उनको भी वह पूरी तरह नहीं छाप पाते हैं और जो हमारे प्रार्थना-पत्र लोगों के होते हैं, उनको मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट में भेजने के पत्र या किसी को इन्फार्मेशन देने के पत्र आदि करने का काम उनके बस का नहीं है।

सभापति महोदय : आप यह क्यों नहीं बताते कि कांस्टीट्युएन्सी से जो लोग यहां आते हैं, उन पर भी खर्च करना पड़ता है ?

श्री जैनुल बशर : मैं उस पर भी आता हूं।

हमारे पास स्टेनोग्राफर की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम अपने हाथ से कितना लिखेंगे ? हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम स्टेनोग्राफर रख सकें, टाइपराइटर खरीद सकें और दफ्तर मेनटेन कर सकें। एक एम. पी. को ईमानदारी के साथ जो काम करना चाहिए, वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं हैं।

मैं अपना तजुर्बा बताता हूं कि जब हम दिल्ली में रहते हैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बीस से लेकर पचास तक आदमी हमारे यहां न होते हों। मैं समझता हूं कि सब के साथ यही बात होगी। जो आदमी दिल्ली में आता है, वह हमारा मेहमान है, उसको ठहराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। बहुत से बेकार नौजवान कांस्टीट्युएन्सी से चले आते हैं कि हमको नौकरी दिलवा दीजिए। अगर हम बहानाबाजी करके उन्हें समझाते हैं कि दिल्ली में नौकरी नहीं मिल सकती, वहां देखेंगे, तो वे कहते हैं कि हमारे पास किराया नहीं है, जाएं कैसे। इस लिए उनको टिकट लेकर देना पड़ता है। अगर ऐसा न करें, तो वे और चार दिन ठहर जाएं, जिससे टिकट से भी ज्यादा खर्च हो जाएगा। यह सारा बोझ एक एम. पी. पर पड़ता है, जिससे उसके दिमाग पर हमेशा टेन्शन रहता है।

हमारे दोस्त ने यह बात सही कही है कि ऐसे टी डी की पंद्रह हजार काल्ज फ्री होने की फैसिलिटी बम्बई, कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों के पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिए ठीक हो सकती है, क्योंकि वे दिल्ली से अपने घर तक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर असरीयत उन्हीं लोगों की है, जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से चुन कर आते हैं। अगर हम वहां तक सम्पर्क स्थापित करना चाहें, तो बारह घंटे तक तो काल ही नहीं हो पायेगा और अगर उसमें कामयाब हो भी गए, तो सौ रुपये का बिल बन जाएगा। किसी परेशानी या मुसीबत के वक्त अगर हम अपने घर या कांस्टीट्युएन्सी से जानकारी लेना चाहें, तो टेलीफोन से बात करने पर हमको पैसा देना पड़ेगा, वह फ्री नहीं है। हमको उसकी भी चपत पड़ती है।

हमारे सी पी एम के साथी आदर्श की बात करते हैं। पता नहीं वह कैसे इन्तजाम करते हैं और वे कितने बड़े साधु, संन्यासी और त्यागी हैं। वे भी हमारी तरह पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। पता नहीं, कैसे उन लोगों का काम चलता है। उनकी पार्टी देती है, ट्रेड यूनियन से चन्दा मिलता है, कैसे करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आज एम०पीज की लाइफ की हार्ड रीएलिटीज, जीवन की तल्ख हकीकतों, से आंख मूंद कर चलना ठीक नहीं है। श्री मनोरंजन भक्त ने बहुत सी समस्याओं के बारे में ठीक तरह से बता दिया है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

मैं श्री डागा के बिल की पूरी तरह से ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट पर इस बिल का और इस हाउस में दिए गए सुझावों का असर पड़ेगा और एम०पीज की तन्स्वाह और सहूलियतों को कुछ न कुछ बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : जब कोई व्यक्ति चुनकर संसद अथवा विधान मंडल में आता है तो उससे यह आशा रखी जानी चाहिये कि वह वहां अपने लिये किसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं आये। यदि कोई संसद या विधान सभा में आने से पहले अच्छी स्थिति में हो तो उसे आर्थिक दृष्टि से त्याग के लिये भी तैयार रहना चाहिये। बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद या विधान सभा में अपने परिश्रम का पारिश्रमिक लेने आता है।

मुझे आशा है कि लोग इस बात को जानते हैं कि एक आम संसद सदस्य कितना मेहनती तथा कठिनाई में होता है। उसके पास समय की बहुत कमी होती है। एक मेहनती संसद सदस्य के पास कोई अवकाश छुट्टी तथा समय अपने परिवार के लिये नहीं होता। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यदि हम ऐसे रूढ़िवादी समाज में न रहते तो राजनीतिज्ञों में तलाक के मामले में बहुत वृद्धि होती। हमारे पारिवारिक जीवन की ऐसी दशा है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि क्या हमें उतना मिल रहा है जितना कि हमें मिलना चाहिये। मैं अपने मित्रों की इस बात से सहमत हूं कि देश एक कठिन समय के दौर से गुजर रहा है और हमें कुरबानी के लिये आगे आना चाहिये। प्रश्न यह भी नहीं है कि हमें अपने बच्चों और बीवियों के लिये अधिक पैसा चाहिये। बल्कि प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान सुविधायें हमारे लिये मतदाताओं की आशाओं के अनुसार प्रभावशाली ढंग तथा परिश्रम से काम करने के लिये पर्याप्त हैं। प्रश्न यही है। अतः श्री डागा के विधेयक पर सारी चर्चा यह सारी आलोचना जिससे बहुत उत्तेजना उत्पन्न हुई, मेरे विचार में इस बारे में गलत अर्थ लगाया गया है। यह प्रश्न बार बार आता आता है; विश्व भर में संसद सदस्य वेतन वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमारे वेतन में वृद्धि होनी चाहिये अथवा क्या इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या वर्तमान वेतन और सुविधाओं द्वारा भी हम प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं।

साधारणतः यह आलोचना सुनने को मिलती है कि संसद सदस्य का स्तर गिर गया है और कहा जाता है कि वे दिन कितने अच्छे थे जब बड़ी बड़ी हस्तियां वकील तथा बुद्धिजीवी संसद में आया करते थे। निश्चित ही अब वे दिन नहीं रहे। अब साधारण लोग संसद में आते हैं। मुझे खुशी है कि अब वे दिन नहीं रहे। फिर भी चाहे वे लोग कितने ही बड़े क्यों न हों। चाहे वे लोगों के कल्याणार्थ कितनी भी जानकारी क्यों न रखते हों। फिर भी वे इस बात का सही दावा नहीं कर सकते थे कि वे जैसा लोग चाहते थे, वैसा ही प्रतिनिधित्व करते थे। हमारे पास उन जैसी बौद्धिक योग्यता बेशक न हो लेकिन यह भी निश्चित है कि हमारा आर्थिक स्तर उनके बराबर नहीं है। फिर भी हम लोगों का अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं।

ख्याति प्राप्त वकीलों को उदाहरण दिये गये हैं। संसद का कार्य इतना जटिल तथा इतना पेचीदा हो गया है कि एक अंशकालिक सदस्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। यहां पूरे समय तक रहना पड़ता है। सारे कामों और धन्धों को छोड़ना पड़ता है। यदि किसी सदस्य को प्रभावशाली ढंग से काम करना हो तो उसे उसी पर निर्भर करना पड़ता है जो संसद से मिले। हमारे कर्त्तव्य क्या हैं ? हमारे कर्त्तव्य दो प्रकार के हैं। संसद के प्रति कर्त्तव्य और चुनाव क्षेत्र के प्रति कर्त्तव्य प्रेरणा तथा सभा में गणपूर्ति के बारे में बहुत शोर होता रहता है। मैं कहूंगा तथा यह मेरा व्यक्तिगत पक्का विचार है कि गणपूर्ति के इस समूचे प्रश्न को समाप्त किया जाना चाहिये। यदि कोई संसद सदस्य किसी चर्चा में दिलचस्पी नहीं रखता तो उसे अपना समय बर्बाद नहीं

करना चाहिये और उसे अपना समय अपने चुनाव क्षेत्र राष्ट्र तथा संसद के हित में लगाना चाहिये। उसके यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वह चर्चा में दिलचस्पी रखता है और अपना योगदान देना चाहता है तो उसे यहां आना चाहिये अन्यथा यहां चुपचाप बैठने से वह किसी की अथवा संसद की सेवा नहीं करता। इस बात को कभी भी जोरदार ढंग से सामने नहीं लाया गया है कि यह प्रश्न उसकी उपस्थिति का नहीं है। यह प्रश्न उसके संसद के प्रति प्रभावशाली शिक्षाप्रद तथा सुविदित योगदान का है। क्या एक संसद सदस्य वर्तमान सीमाओं के साथ वास्तव में इस सभा के लिये प्रभावशाली ढंग से योगदान दे सकता है। मैं कहूंगा कि यह बहुत कठिन है। इस देश को एक साधारण नागरिक के नाते हमें एक अच्छी अनुसन्धान प्रणाली की आवश्यकता है। हमारे ग्रन्थालय में एक अच्छी सन्दर्भ प्रणाली है। मैं कहूंगा कि हमारे ग्रन्थालय में कुछ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसके लिये मैं संसद सदस्य के उन सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जो बहुत शिष्ट, कार्यकुशल तथा परिश्रमी हैं। फिर भी हमारा ग्रन्थालय केवल एक संदर्भ प्रभाग है। हमें वहां की सुविधायें जो हम चाहते हैं प्राप्त नहीं हैं। यदि हम पूरी जानकारी से चर्चा करना चाहते हैं तो अनुसंधान की सुविधाओं का होना जरूरी है जो अभी उपलब्ध नहीं हैं। यदि चर्चा आर्थिक विषय पर है। तो हमारे पास उसकी पृष्ठभूमि सम्बन्धी पत्र होने चाहिये; यदि चर्चा अन्य विषयों पर है तो उन विषयों पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञ होने चाहिये और केवल अखबारों की कतरने ही देना पर्याप्त नहीं है। ग्रन्थालय को केवल संदर्भ ग्रंथालय न होकर अनुसन्धान तथा परिष्कृत सूचना की एक सक्रिय कार्यशाला होना चाहिये। आवश्यकता इसी बात की है।

जहां तक चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध है। हमें इसके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। हम वैसा किस प्रकार कर सकते हैं ? हम यहां साल छः या आठ महिने रहते हैं। अपने मतदाताओं को पत्र लिखना मात्र पर्याप्त नहीं है। अधिकांश लोग हमें पत्र नहीं लिख सकते। वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। कोइ ऐसा व्यक्ति होना चाहिये। जिसके पास सदस्य की ओर से किसी भी समय लोग जा सकें। क्योकि संसद सदस्य के लिये हमेशा चुनाव क्षेत्र में उपस्थित रहना संभव नहीं है। वहां कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिये जो लोगों को बता सके कि संसद सदस्य क्या कर रहा है और वह किस समय कहां है।

संसद सदस्यों के लिए चुनाव क्षेत्र में एक कार्यालय तथा स्टाफ की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वहां ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सामाजिक कार्य का अनुभव हो तथा एक क्लर्क होना चाहिए जो टाईपिस्ट भी हो। तथा क्लर्क का काम भी करे। हमें इन सुविधाओं की आवश्यता है।

जहां तक टेलीफोन सुविधाओं का सम्बन्ध हैं। संसद सदस्यों की निजी जरूरतों के लिये निःशुल्क काल्ज जो अभी ही जा रही हैं, वे पर्याप्त हैं; लेकिन टेलीफोन का उपयोग मतदाओं के साथ सम्पर्क करने के लिए किया जाता है। इस हेतु निशुल्क कालों जो अभी दी जा रही हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। टेलीफोन कालों की किसी अधिक सीमा के बिना निःशुल्क टेलीफोन सुविधायें प्रदान करना जरूरी है।

जहां तक डाक सुविधाओं का सम्बन्ध है हमारे लिये यहां आकर वेतन अथवा अधिक वेतन के बारे में शिकायत करने से हमें बहुत परेशानी होती है। लोगों के मन में यह धारणा है कि संसद सदस्य भगवान के ही स्वरूप हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : श्री वाजपेयी व्यवधान डाल रहे हैं। श्री डागा ने विधेयक की जिन बातों का उल्लेख किया है मैं उन सब से सहमत नहीं हूं लेकिन इस विधेयक से चर्चा के लिये जो अवसर मिला है। मैं उसका स्वागत करता हूं।

हम जानने हैं कि हमें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है यदि गैर-संसद सदस्यों की एक समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिये गठित की जाये कि क्या हमें जो सुविधायें मिल रही हैं वे पर्याप्त हैं; और यदि नहीं तो अन्य क्या सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि हम अपने कर्त्तव्यों का पालन कार्यकुशलत से कर सकें।

मैं यह भी कहूंगा कि सभी सदस्यों को ये सुविधायें नहीं मिलनी चाहिये। जिन पूर्णकालिक संसद सदस्यों के पास कोई अन्य धन्धा नहीं है, उन्हें ये सुविधायें मिलनी चाहिये न कि अंशकालिक संसद सदस्यों को। यदि ये सुविधायें उपलब्ध की जायें। तो संसदीय कार्य प्रभावशाली ढंग से होगा और संसद के कार्य में सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री रामगोपाल रेड्डी निजामाबाद : विपदा में दो बड़ी हस्तियां हैं। एक प्रो० मधु दंडवते हैं, जिन्हें दो वेतन मिलते हैं। दूसरे श्री वाजपेयी जो अविवाहित हैं और उनके लिये आधा वेतन ही पर्याप्त है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी क्या बच्चों के हिसाब से सेलरी बढ़ती जायेगी।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, जो बिल माननीय सदस्य श्री डागा जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए दो-एक बातें जो उनके बिल में नहीं आई हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक संसद सदस्य से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी कान्स्टीचूयेंसी से पूरा सम्पर्क रखे। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं, आप सब का भी इस बारे में अनुभव रहा है। लोग यह कहते रहे हैं कि वोट लेने तो आ गए, लेकिन आगे पांच साल तक शक्ल नहीं दिखायेंगे। कौन सी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिस में एम० पी० से यह कमिटमेंट नहीं ले लिया जाता है कि आप समय समय पर सम्पर्क करते रहेंगे और स्थिति को संभालते रहेंगें। सम्पर्क करने के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंटरी कांस्टीटुएन्सी में 8-8 एसेम्बली कांस्टीटुयेन्सी होती हैं और एक-एक एसेम्बली कांस्टीटुयेन्सी में 35 पंचायत हैडक्वार्टर होते हैं। इस तरह से करीब 300 पंचायत हैडक्वार्टर और म्यूनिसिपल टाउन्स हो जाते हैं और उन को कवर करने के लिए अगर एक एम० पी दौरे पर निकलता है, तो कुल मिला कर एक महीना लगता है। तब कहीं जा कर वह पूरी कांस्टीटुयेन्सी को कवर कर सकता है और अगर वह डीजल जीप किराए पर लेता है, तो करीब 250 रुपये रोज और पैट्रोल जीप लेता है, तो 300 रुपये रोज खर्च करने पड़ते हैं। डीजल जीप से दौरा करने पर करीब 7500 रुपये में अपनी पूरी कांस्टीटुयेन्सी का दौरा कर सकता है और पेट्रोल जीप से अगर वह दौरा करे, तो उस में 10 हजार रुपये के करीब खर्च होंगे।··· (**व्यवधान**)··· मैं कुछ कम ही बता रहा हूं। मैं रेगिस्तान के इलाके से आता हूं। और हमारे यहां पंचायतों का डिस्टेंन्स काफी ज्यादा है, वे दूर दूर पर हैं और सुबह को अगर निकलें तो शाम तक 3 पंचायतें मुश्किल से कवर कर पाते है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सेशन स्टार्ट होता है, तो लोग हम से यह उम्मीद करते हैं कि सेशन में जाने से पहले एक बार हमारे क्षेत्र का दौरा करें, ताकि जो उन की तकलीफें हैं, जो उनकी प्राब्लम्स हैं, जो उन की परेशानियां हैं, उन को यहां आ कर सामने रख सकें। आम तौर पर सेशन के तीन पीरियड निकलते हैं। इसलिए एक साल में तीन दौरे होने चाहिए और उन में एम० पी० को कम से कस 30 हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर वह एम० पी ईमानदारी से काम करना चाहे, अपनी कांस्टीट्युएन्सी को कवर करना चाहे, तो नहीं कर सकता। या तो किसी बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट पर उसे निर्भर होना पड़ेगा और उस के लिए उस को उसके चार काम लेने पड़ेंगे और यह कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें परमिट दिलवा दूंगा, तुम्हें लाइसेंस दिलवा दूंगा और इस तरह से वह अपने को कैपिटलिस्ट की शरण में भेजता है अन्यथा उसे अपनी ड्यूटी अंजाम देने से विमुख होना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि एक एम०.पी० पूंजिपतियों और इंडस्ट्रियलिस्टों का गुलाम बने। अगर आप को उसे गुलाम बनाने से बचाना है, तो उस को पूरी सुविधाएं कीजिए। आप यह देखें कि एक बी० डी० ओ० जो होता है या पी० डब्लू० डी का जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उस की फैमिली तो पान लेने के लिए भी जीप में बाजार जाती है और अगर उन की फैमिली को सिनेमा जाना होता है, तो जीप ले जा कर वहां जा सकती है और इस तरह से गवर्नमेंट के अफसर कितना इस का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कभी आप ने इस का तखमीना लगाया है, अन्दाज लगाया है। दूसरी तरफ एक एम० पी० जो पब्लिक सर्विस के लिए टूर करने के लिए जीप चाहता है, तो उसको जीप नहीं मिलती है। उसको विभागीय मीटिंग को अटैंड करने के लिए तांगे में जाना पड़ता है क्योंकि थ्री-व्हीलर और स्कूटर तो सब जगहों पर होते नहीं हैं। उस को तांगे में बैठ कर जाना होता है और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस मीटिंग में जीप में बैठ कर जाता है, तो क्या यह संसद सदस्य का अपमान नहीं है ? आप उस की हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं।

एक दूसरा यह निवेदन करना है कि जो बड़ी पालिटीकल पार्टीज हैं, वे अपने एम० पीज को जीप का साधन मुहयया कर सकती हैं और वे बड़ी पालिटीकल पार्टीज भी इन रिटर्न बड़े कैपीटलिस्टों और इंडस्ट्रियलिस्टों पर डिपेन्ड करती हैं। इस तरह से क्या हम लोगों की ह्यूमीलियेशन नहीं होती है क्योंकि हर हालत में इंडस्ट्रियलिस्टों और कैपीटलिस्टों की शरण में जाना पड़ता है।

एक बात यह और कहना चाहूंगा कि आप ने जो पासेज का सिस्टम रखा है, उस को भी मैं सही नहीं समझता। फर्स्ट क्लास का पास आप ने हमारे लिए रखा है। जब सेशन होता है, तो एक दफा मिसेज को भी पास दिया जाता है लेकिन दोबारा अगर कोई जाना चाहे, तो फिर उस को सैकेन्ड क्लास में जाना होता है। आज कल ला एण्ड आर्डर की जो पोजीशन है उस को देखते हुए मिसेज सेपरेटली ट्रेविल नहीं कर सकती और जो एम० पी० होता है, उस को भी सैकेन्ड क्लास में अपनी मिसेज के साथ जाना होता है। मेरा कहना यह है कि आप मिसेज के लिए भी फर्स्ट क्लास पास करें और यदि नहीं कर सकते तो फिर एम० पीज को भी सैकेन्ड क्लास का पास दो। क्यों फर्स्ट क्लास का पास दे कर आप हमारी बदनामी कर रहे हैं क्योंकि हमें मिसेज के साथ सैकेन्ड में जाना पड़ता है।

तीसरे में टेलीफोन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बड़ा घपला हो रहा है। पिछले महीने मेरे टेलीफोन में बिल्कुल भी काल नहीं हुई थी क्योंकि मैं मानसून के सेसन के बाद दिल्ली में नहीं था और मेरे टेलीफोन में लौक लगा हुआ था। अब विन्टर सेसन में जब मैं दिल्ली आया तो दो हजार काल का बिल आया। जब मेरा टेलीफोन लोक्ड था उसके बाद इतना बिल आया। मुझे मालूम हुआ है कि एक्सचेंज में जो क्लर्क वगैरह: होते हैं वे एम० पी० का टेलीफोन लावारिस समझ कर और यह समझ कर कि यह तो फ्री होता है, उसमें प्लग लगा कर अपने मित्रों को उस पर बात कराया करते हैं। एक हमारी पार्टी के मेम्बर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनका तीस हजार रुपये का टेलीफोन का बिल है। तीस हजार रुपया तो उन्हें पांच साल तक तनख्वाह का मिलेगा। उन्होंने एस० टी० डी० काट रखा है तब यह हालत है। मेरा टेलीफोन लोक्ड था, मैं दिल्ली में नहीं था फिर दो हजार रुपये का बिल आ गया। यह स्थिति हमारे टेलीफोन विभाग में है जिसको कि हमारी मिनिस्ट्री को देखना चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई जो हमारे मित्र कहते हैं कि हमारी सेलरी बहुत है। मैं आपको बताता हूं कि आप दिल्ली में अपना फ्लेट रखते हैं तो उसमें आपको कम से कम एक नौकर तो रखना होगा। वह नौकर दो सौ रुपये माहवार से कम में नहीं मिलता है। फिर उसे आप खाना कपड़ा दोगे जिस पर कि कम से कम डेढ़ सौ रुपये माहवार खर्च आयेगा। इस तरह से साढ़े तीन सौ रुपये नौकर का हो गया। फिर आप चिट्ठी-पत्री का जवाब देने के लिए अगर कोई पार्ट टाइम बाबू भी रखते हैं तो डेढ़ सौ रुपये महीने से कम में वह भी नहीं मिलेगा। इस तरह से दिल्ली के फ्लेट में पांच सौ रुपये महीना तो आपका सर्वेंट रखने पर खर्च हो जाता है। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर में या कांस्टीच्युएंसी हेडक्वार्टर में भी एक अटेन्डेन्ट रखना पड़ेगा जो कि वहां के लोगों को अटेंड करेगा। वहां के हेडक्वार्टर में अगर कोई अटेन्ड करने का नहीं होगा तो वहां लोगों को कौन अटेंड करेगा ? वहां भी आपको एक छोटा-मोटा कार्यालय खोल कर रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग कहेंगे कि पांच साल तक कोई सुनने वाला ही नहीं था। आप हमें तनख्वाह मत दीजिए, बस इतना कर दीजिए जिससे कि हम दिल्ली में और कांस्टीच्युएंसी में अपना खर्च चला सकें और वहां का दौरा कर लोगों की सेवा कर सकें। अगर हम यह नहीं करते हैं तो पांच साल बाद हमें कौन वोट देगा। बस हमारे लिए कांस्टीच्युएंसी के लोगों की सेवा करने का इन्तजाम कर दीजिए, यही मेरा कहना है।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरिम चेअरमैन साहब, मैंने अपने सारे साथियों के भाषणों को सुना और अपने सी० पी० एम० के भाइयों के भाषणों को भी सुना। अब मैं अपनी बात अर्ज करता हूं कि एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट की क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या मजबूरियां हैं।

किसी भी पार्लियामेन्ट के हल्के में 12-13 ब्लाक्स होते हैं और हर ब्लाक्स में कम से कम 22-23 पंचायत होती हैं। इन सब को आप जोड़ लीजिए। एवरेज तीन सौ पंचायत के करीब एक पार्लियामेंट के हल्के में होती हैं।

सभापति महोदय : भाई, मेरे यहां तो 600 पंचायत हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : होंगी। मैंने एवरेज कहा है कि तीन सौ पंचायत होती हैं। एक-एक पंचायत की पांच से दस हजार की पापुलेशन होती है। 1971 के बाद से जब से मुल्क में मेम्बर आफ पार्लियामेंट का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तब से एक एम० पी० की जिन्दगी चों-चों का मुरब्बा

बन कर रह गयी। वाजपेयी जी मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। उन्हें तो शायद यह महसूस न होता हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो 1971 से पहले भी मेम्बर था। आप 1971 की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : अभी 1971 के बाद से असेंबलियों का इलेक्शन अलग से होने लगा है, लोकसभा का अलग होने लगा है, यह मेरे कहने का मकसद था। अब आप मुलाहिजा फर्माइए, और बातों को छोड़ दिया जाए। अपने पार्टी मेनीफेस्टो के मुताबिक सारे सदस्य यह चाहते है कि अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाकर शासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्रामों को देखें, ताकि वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उसके लिए उन्हें जाने-आने में जो मुश्किलें आती हैं वे सुन लीजिए।

पहली बात तो यह है कि आप गए और डाक बंगले में कोई हाकिम साहब ठहरे हुए हैं तो आपको वहां जगह नहीं मिल सकती। अब कोई छोटा-मोटा होटल मिल गया तब भी 30 रुपये से कम में नहीं मिलने वाला है और अगर 10 दिन रहना पड़ जाए तो हिसाब लगा लीजिए।

इसी प्रकार कन्वेंस को ले लीजिए। बी० डी० ओ० साहब के पास, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के पास गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं। उनका काम डेवलपमेंट के काम को देखना है और एक सदस्य का काम भी यही है। अभी शाह साहब साइकिल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए साइकिल पर चले गए तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक पंचायत पर आप जा पाएंगे। हिली एरिया में वह भी संभव नहीं है। इस प्रकार अगर 600 पंचायतें हैं तो 600 दिन तो उसमें लग गए तो पार्लियामेंट में कब आएंगे ? इसलिए मजबूरन तेज से तेज वाहन का इंतजाम करना होगा। डीजल की जीप पर 300 रुपए पर डे आपको लगेगा और पेट्रोल की जीप या कार पर भी 350 रुपए के करीब खर्च पर डे आएगा। अगर वहां पर कोई मीटिंग बुला ली तो आप समझ जाइए कि माइक, वर्कर्स का खाना, चाय पानी का इंतजाम, सब करना होगा। मैं एक नक्शा आप को बता रहा हूं।

पिछले दिनों एक अखबार के एडीटोरियल में मैंने पढ़ा था कि सदस्यों को बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। एम० पी० तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई फरिश्ता हो। आंख बंद की और सारी सुविधाएं हाजिर हो जाती हैं। यह तो मैंने कंस्टीट्युएंसी के बारे में बताया। अब जब दिल्ली आते हैं, उसके बारे में बता दूं।

दिल्ली में जब होते हैं तो रोज 70-80 पत्र वोटर्स के बड़ी आशाओं के साथ आते हैं। अब उनका जवाब अगर पोस्टकार्ड से भी दिया तो देख लीजिए कि कितना खर्च आता है। आप रुपए न बढ़ाइए-पोस्टकार्ड फ्री कर दीजिए, लिफाफा फ्री कर दीजिए।

उस अखबार में हवाला दिया गया था कि सदस्यों को टाइपराइटर की सुविधा है। क्या सुविधा है, अगर 2-4 लैटर आज दिए हैं तो वे अगले दिन मिलेंगे और अगर अगले दिन कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना हो, किसी सोशल सर्विस में जाना हो तो फिर दो-चार दिन बाद मिलेंगे। कहने का मकसद यह है कि मौजूदा स्टाफ से यह काम नहीं हो सकता। आप रुपए न बढ़ाइए, एक टाइपराइटर और एक स्टेनोग्राफर सेशन भर के लिए सदस्यों के घर पर रखवा दीजिए।

इसी प्रकार एक दिन मेरे क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ थे। सेल्स काउंटर पर मैंने दो पैड, दो लिफाफे बड़े और दो लिफाफे छोटे मांगे। मैंने बीस रुपये का नोट दिया। वे कहने लगे, अच्छा आपको पैसा भी देना पड़ता है? मैंने कहा मुफ्त कोई चीज नहीं मिलती है। हम संसद वाली गाड़ी पर चढ़ कर घर गए। मैंने पांच का नोट दिया। तीन वोटर मेरे साथ थे। कंडक्टर ने एक रुपया वापिस किया। तब वे कहने लगे कि इसका भी पैसा लगता है? और आप ध्यान दें। मुझे याद है एक किस्सा। श्री शिव चंडिका जी बांका से चुन कर आए थे 1971 से 1977 तक के लिए। तब के सैशन की यह बात है। मैं यहां से पानी पीने के लिए लाबी में बाहर निकला। मैंने चंडिका मरहूम के हाथ में कोई बड़ा सा कागज देखा। वह जरा ऊंचा सुनते थे। मैंने कहा हजूर यह क्या है? उन्होंने दिखाया और कहा कि यह 8700 रुपये का बिल हमारे ऊपर टेलीफोन का आया है। पानी पीते-पीते ही लोक सभा की लाबी में और बोलते-बोलते वह गिर गए और अस्पताल जाते-जाते वह शख्स इंतकाल कर गए। वह जो शाक लगा था उसको टालरेट नहीं कर सके। यह इसी जगह इसी लाबी की बात है।

पैसा टेलीफोन का आप न बढ़ाएं। लेकिन बम्बई, कलकत्ता, पटना, मद्रास वगैरह जहां एस टी डी टेलीफोन करना चाहें, वे खबर कर देंगे और उसका चार्ज न लगे।

बिहार की रिपोर्ट के मुताबिक 35 लोग जाड़े में मरे हैं। और सर्दी में भी मरे हैं। नैचुरली जा कर देखेंगे कि हमारी कंस्टीट्युएंसी में किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ है। अगर गए तो खबर हो जाएगी एम. पी. साहब आ गए हैं, फलां आदमी की मौत की खबर सुन कर आए हैं। नैचुरल बात है जो आएगा इस उम्मीद से आएगा कि कुछ ठंड का इंतजाम एम. पी. साहब जरूर करेंगे। आप सोचें उस वक्त कैसी प्रिकेरियस पोजिशन एम. पी. की हो सकती है। कहीं बाढ़ आ गई, आग लग गई, नैचुरल क्लेमेटी हो गई, नैचुरली आपको वहां जाना ही होगा और आप जाएंगे ही। अब उसका भी हिसाब-किताब आप लगा लें।

दस बीस लोग अपनी कंस्टिट्युएंसी से आते ही हैं। अब उनके खाने का इंतजाम तो आपको करना ही है। सुबह की चाय का भी करना ही है। जाने के दिन आप तीसरी मंजिल पर उनका टिकट कटाने जाएंगे। उनके पास जो पैसे हैं वे घट गए तो आप अपने आपको खुश किस्मत समझिये। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो 59-60 तो पटना के और किशनगज हुआ तो 74 रुपये आपको देने होंगे। मैं मुश्किलात बता रहा हूं।

1964 में एक्ट बना था। तब पांच सौ मुकर्रर किए गये थे। आज भी इतने ही हैं। अब आप हाउस की ड्यूटी को देखें। कितना फ्रीली, कितना माइंड में टेंशन रख कर वह काम करता है इसको आप देखें। कितने जोरदार तरीके से अपने कंस्टीट्युएंट्स की बात वह कह सकता है, वोटर की खिदमत कर सकता है एक तो यह चीज है। दूसरा उसका टैस्ट यह है कि अपनी कंस्टीट्युएंसी में जाकर लोगों की वह कितनी खिदमत कर सकता है। ये दो स्टैंडर्ड देखने के हैं। टैंशन इस बात का हो कि आज कहीं बच्चा बीमार है, तो कैसे काम होगा। सी० जी० एच० एस० के बारे में मैंने नहीं कहा है। दवा लेने के लिए भेजते हैं तो पता लगता है कि दवा ही नहीं है अस्पताल में। सब बातों को आपको सामने रखना होगा। पैसे आप न बढ़ाएं, डी० ए० आप बढ़ा सकते हैं।

एक और बात मैं कहता हूं। ट्रेन की बात भी सुन लीजिए आप। मैं पिछले शुक्रवार को अपने बच्चों के साथ पटना गया उनको छोड़ आऊं। मजबूरी मेरे साथ आप समझते हैं परिवार के सब लोग थे नौकर वगैरह मिलाकर इसलिये मजबूरन 3 टायर में गया। घर से भी मेरे बी और बच्चे थे, कुल मिला कर 9 मेम्बर थे। आप यकीन माननीये मैं बाथरूम नहीं जा सका। और जब गया तो पैसेंजर्स की पीठ पर हाथ रख कर गया। तो यह पास का हाल है। स्पाउज के लिए रोशन में एक दफा आप पास देते हैं। बाकी दिन वह मेम्बर क्या करे? अगर हमारे दिमाग में टेंशन हो और उसका कोई सहारा न हो तो कैसे हम अपना काम कर सकते हैं? हमारे वोटर का जहन है, वह तो गरीब है, मैं अच्छे लोगों की बात करता हूं जो पढ़े लिखे अपने को कहते हैं, उनका कहना है कि आपका फोन फ्री, मकान फ्री, बिजली, पानी फ्री, कन्वेंस फ्री, ट्रेन का पास फ्री। हमने कहा भाई अगस्त से लेकर अब तक आप मंगा लीजिये मेरा ही बिल और देख लीजिये बिजली, पानी का बिल कितना दिया? करीब-करीब 900 रु० का बिजली, पानी का दिया है। अगर कहीं गलती से अपना कोई गेस्ट आ गया और इनक्वायरी से चारपाई मंगा ली तो उसका किराया अलग, फिर ढोने और उठाकर ले जाने का चार्ज अलग। अगर आप अपनी फैसिलिटी के लिए चश्मा लगा लें तो उस ऐनक का अलग से चार्ज होगा। नहीं हम चाहते आपसे बहुत। केवल इतना तो कर दीजिये कि वह अमन चैन से अपना काम कर सके। जिस पार्टी के मेनीफैस्टो के मातहत हम आते हैं, जो वायदे अपने वोटर्स से करते हैं उस बात को पूरा कराने में, जिस काम के लिए चुने गये हैं उसमें पूरी मदद और सहयोग करें और जो वोटर्स के प्रति अकाउन्टेबिलिटी है कि पांच साल में क्या किया है, उसके लिये कितना काम किया है कांस्टीटुऐंसी में, इसके लिये फेसिलिटी दे दीजिये। आप गाड़ी प्रोवाइड कर दीजिये मेम्बर पार्लियामैंट जितने दिन अपनी कांस्टीटुऐंसी में घूमे उसको गाड़ी मिल जाय। इतना अगर आप कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है, फिर आप चाहें तो हमें इतना ही देते रहें जो अभी मिलता है। कांस्टीटुऐंसी में अगर 20 दिन घूमें हमें गाड़ी फ्री दे दीजिये ताकि सही माने में लोगों की खिदमत कर सकें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : समापति जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका समय 2 घंटे और बढ़ा दिया जाय क्योंकि 20 सदस्य कम से कम बोलने वाले हैं। यह हमारी प्रार्थना है।

श्री जमीलुर्रहमान : अभी 20 पाईंट इकोनामिक प्रोग्राम के मातहत गरीबों में जमीन बटवाने का सवाल है, उनको परची देने का सवाल है, डिस्ट्रिब्यूशन चैनल की कितनी दुकानें हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है.....वह सब कुछ देखभाल करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। आप ही बताइये, हमारी कांस्टीटुएन्सी 85 मील पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और 60 मील नेपाल से लेकर दक्षिण की ओर है। अगर सब जगह न भी जाये, सिर्फ हेड-क्वार्टर्स पर भी जाया जाये तो भी 50 मील से कम नहीं बैठता है। यह सब ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिये।

हमारे डागा जी जो बिल लाये हैं, यह बहुत कमजोर है, थोड़ा मजबूत बिल उनको लाना चाहिये था जिसमें इन सब फैसिल्टिीज का जिक्र होना चाहिये था। मेम्बर लोक-सभा को जो तकलीफ हैं, उनका जिक्र होना चाहिये था कि प्रापर फंक्शनिंग हम नहीं कर सकते हैं चाहे वह कांस्टीटुएन्सी में यात्रा के लिये हो, 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये हो या गरीबों को जमीन बंटवाने के लिये हो। मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल कमजोर ही है, लेकिन मैं इस बात की ताइद करता हूं कि कमजोर ही सही, उन्होंने एक बिल लाने की हिम्मत तो की है।

श्री मूलचंद डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"की विधेयक पर चर्चा का समय दो घंटे और बढ़ाया जाये"

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि समय दो घंटे और बढ़ाया जाये ?

एक माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : अतः समय दो घंटे बढ़ाया जाता है ।

श्री झारखंडे राय ।

श्री झारखंडे राय : मैं इस विधेयक पर नहीं बोलना चाहता । मैं देहोली पर बोलना चाहता था ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

श्री राम गोपाल रेड्डी ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, यह देश का सदन है,

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से कहूंगा कि जरा बुजुर्ग सदस्य की बात सुनिये ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : यह देश का सदन है, डिवेटिंग सोसाइटी नहीं है । हमारे कम्युनिस्ट पार्टी (सी० पी० एम०) वाले यहां डिवेटिंग प्वाइन्ट कहना चाहते हैं और सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के मेम्बर्स ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग की है । वह यह जानते हैं कि जब यह पास हो जायेगा तो उनको भी खुद मिल जायेगा, मगर हम अपनी जबान से क्यों माँगें ?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 10, 12 साल से 1977 से जो पार्लियामेंट चल रही है, हर मेम्बर को क्या तनख्वाह मिली है, उसमें निल कितने वक्त आया है ? उसमें से टेलीफोन ड्यूज कितने कटे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज कितने हैं, यह सब मिलाये जायें तो लाखों के बिल यह बन जाते हैं । मेरा कहना यह है कि जो भी ड्यूज आउट-स्टैंडिंग हैं, उनको माफ कर दिया जाये । जो फैसिलिटीज मांगी जा रही हैं, वह देनी चाहियें ।

आपको मालूम है कि मैं थोड़ी जमीन रखने वाला हूं और हमारी कांस्टीट्युएन्सी बहुत डैवलप्ड है, आप उसमें अम्बेसेडर कार में जा सकते हैं, गांव वगैरह में जा सकते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से पिछड़े हुए इलाके हैं, यू० पी० में, बिहार में और बंगाल का थोड़ा हिस्सा भी आप उसमें ले सकते में । कितनी तकलीफ होती है वहां जाने में ? यह एक आदमी का सवाल नहीं है, पार्लियामेंट का अगर एक मेम्बर भी फंक्शन नहीं करता तो उसका पूरा धब्बा पार्लियामेंट के ऊपर लगता है । उसका ख्याल होना चाहिये । पार्लियामेंट के मेम्बर को अपना सम्बन्ध कांस्टीट्युएन्सी के साथ जोड़ने की जरूरत ज्यादा होनी चाहिये । जहां तक पास का ताल्लुक है, स्पाउस को फर्स्ट क्लास पास देना चाहिए । मुझे उसकी जरूरत नहीं है । मेरी बीवी तो यहां आती ही नहीं । इतने सालों में वह चार पांच मर्तबा भी नहीं आई है । वह सिर्फ तीर्थ-यात्रा पर आती है ।

सभापति महोदय : अगर पास मिल जाएगा, तब तो वह आयेंगी न ?

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : मैं नौजवान लोगों की बात कर रहा हूं । मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं ।

पार्लियामेंट के मेम्बरों की डिग्निटी को मेनटेन किए बिना वे इफेक्टिव काम नहीं कर सकते। जैसा कि बताया गया है, एक गजेटिड आफिसर को जो कई तरह की फैसिलिटीज मिली हुई हैं, वे एक पार्लियामेंट के मेम्बर को नहीं मिलतीं।

अखबार वाले हमेशा लिखते हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर जिस मकान में रहते हैं, उसका मार्केट रेन्ट चार हजार रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर मकान न ले, तो क्या गवर्नमेंट उसको चार हजार रुपये की पेमेंट करेगी। पार्लियामेंट के मेम्बरों को रहने के लिए जो सहूलियत दी गई है, पेपर्ज उसके बारे में भी नुक्ताचीनी करते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर किसी फारेन कन्ट्री में मर जाए, तो उसकी बाडी को हवाई जहाज से उसके घर ले जाया जाता है, इस बात को भी पेपर्ज एक फैसिलिटी समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वाले हमेशा लिखते रहते हैं कि एक पार्लियामेंट के मेम्बर की आमदनी पच्चीस तीस हजार रुपये महीना है। हमारे यहां से जो मजदूर गल्फ कन्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं, उनके साथ किए गए कन्ट्रेक्ट में लिखा होता है कि अगर वहां पर कोई मजदूर मर गया, तो उसकी बाडी को वाई एयर उसके विलेज ले जाया जायेगा। लेकिन अगर यह फैसिलिटी पार्लियामेंट के मेम्बरों को दी जाती है, तो कुछ लोगों से वह भी नहीं देखी जाती। इस तरह पार्लियामेंट के मेम्बरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

कांस्टीट्युएन्सी में घूमने के बारे में कहा जाता है कि वे साइकिल से घूमें। जिस कांस्टीट्युएन्सी में सात आठ सौ गांव है, वहां साइकिल से कैसे घूमा जा सकता है? कार के बगैर पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं घूम सकता है। एक कार की कीमत 60-70 हजार रुपये है और डीजल की गाड़ी की कीमत 80-90 हजार रुपये तक है। क्या इस सदन में कोई सदस्य ऐसा है, जो गाड़ीं खरीद सकता है? पुराने जमाने में जब बड़े बड़े लोग यहां थे, वे गाड़ी रख सकते थे। उस वक्त इतना काम भी नहीं था। 1971 से, जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राज सम्भाला है, ज्यादातर गरीब लोग पार्लियामेंट में आने शुरू हो गए हैं। खुशकिस्मती से पार्लियामेंट में कांग्रेस की साइड में जितने गरीब लोग हैं, अपोजीशन में उतने गरीब नहीं हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : यह गलत बात है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अगर यह गलत बात है, तो आप भी हमारे साथ आइए। अगर आप जैसे पुराने और सीनियर आदमी कहें कि हमारे पास और आमदनी नहीं है, तो हमारे साथ आ जाइए। यह कोई लूट नहीं हो रही है। यहां से कानून पास करके एम० पीज के लिए पैसा लेना है। एक आदमी को अपना खर्च चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उससे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पैसा बनाने के लिए नहीं आते हैं।

प्रीवियस गवर्नमेंट के समय पार्लियामेंट के दो मेम्बर स्कूटर पर आ रहे थे और टक्कर से जनता पार्टी का एक मेम्बर मर गया। पार्लियामेंट के दो मेम्बर एक स्कूटर पर बैठ कर आ रहे थे, इसका मतलब है कि उनके पास टैक्सी या कार में आने के लिए पैसा नहीं था। इस वास्ते ऐसी चीज होती है तो इस से हमें अन्दाजा लगाना चाहिए कि पार्लियामेंट के लोग बहुत से गरीब हैं जो टैक्सी में बैठ कर नहीं आ जा सकते, आटो में भी नहीं बैठ सकते। हम देखते हैं, कई बार हमारे समर मुखर्जी साहब चल कर आते हैं, शायद वह सेहत अच्छा रखने के लिए ऐसा करते हों,

लेकिन ऐसे बहुत से मेम्बर हैं जो रोजाना चल कर पार्लियामेंट हाउस आते हैं। बहुत कम मेम्बर ऐसे होते हैं जो टैक्सी में बैठ कर आते हैं। तो इन सब बातों पर मुनासिब ध्यान देना चाहिए।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सन् 52 में भी मैं लोक सभा का सदस्य था। आज उसमें से केवल 11 आदमी ऐसे रह गए हैं जो सन् 52 में थे। मैंने देखा, उस वक्त हमें इतना नहीं मिलता था लेकिन मैं आपको बता रहा हूं···

सभापति महोदय : मैं भी था 52 में। मुझको लेकर 12 जोड़ लीजिए।

श्री दिगम्बर सिंह : आपको शामिल करके 11 हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस वक्त मैं एक जीप रखता था और एक कार रखता था। उस समय 90 पैसे में एक लिटर पेट्रोल मिल जाता था एक और समस्या सामने रहती है, लोग आते हैं कि मथुरा के पेड़े लाइए। तो उस वक्त पेड़े सस्ते थे, एक रुपये में एक किलो आ जाते थे, आज वह 25 रुपये में आते हैं। अब समस्याएं ऐसी सामने आ गई हैं। आज मेरे पास कार नहीं है न जीप है। एक दिन एक मीटिंग में जाना था, मैंने सोचा टैक्सी में नहीं जा सकता, साइकिल में जाता हूं तो लड़के ने कहा कि लोग हमसे यह कहेंगे कि साइकल वाले एम० पी० का लड़का है। अब आप बताइए क्या करें ? इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं पर गंभीरता से आपको विचार करना चाहिए।

मैं यह जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे फिल्म कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वह जैसा आदेश देते हैं ऐक्टर को कि तुम्हें संन्यासी का पार्ट करना है तो दिल में भावना कुछ है, उससे पहले कुछ रहे हैं, बाद में कुछ करेंगे, वहां संन्यासी का पार्ट करते हैं। मुझे वह नहीं करना है। मेरे तो जो दिल में है, जो मैं सोच रहा हूं वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं नम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि हम यह कहते हैं कि समाजवाद लाना चाहते हैं, वर्ग-विहीन समाज बनाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के मेम्बर्स में तो वर्ग-विहीन समाज बना दीजिए। कुछ कार वाले हैं कुछ बेकार वाले। जब कार वाले आते हैं तो उनके लिए आवाज लगायी जाती हैं कि अमुक साहब की कार लाइए और वह जब यहां आते हैं तो विरोध करते हैं कि भत्ता नहीं बढ़ाना चाहिए। हम वहां खड़े रहते हैं। अब आप से ही मैं पूछना चाहता हूं कि हमें मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है, और मैटाडोर आई नहीं, आधे घंटे से खड़े हुए हैं, क्या करें ? आपने कहा कि लंच के लिए सेशन खत्म हो गया। मैटाडोर चली गई, दो बजे हमें लौट करके आना है और आप देखिए कि दो-दो घण्टे, एक-एक घण्टे जब पार्लियामेंट का मेम्बर इन्तजार करे तो क्या वह ठीक है ?

इसके बाद मैं निवेदन करूं कि जब हम लौट कर अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो बी० डी० ओ० आए, थानेदार आए, छोटे से अधिकारी आए, जीप खड़ी है उनको ले जाने के लिए और हम रिक्सा वाले को देखते हैं। उस वक्त, हमें संकोच होता है कहते हुए, माफ करेंगे आप मुझे, उस वक्त हम कोकिश करते हैं कि देर में जाये, अन्धेरा हो जाय जिससे पता न लगे कि हम रिक्से से जा रहे हैं। मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां। सब अधिकारी जीप में बैठकर जाते हैं।

एक और समस्या हमारे जैसे लोगों के सामने आ गई है कि पहले हम जीप में जाते थे, तो आप देखिए कि हम मीटिंग में जाने के लिए एवायड करते हैं कि जायं तो कैसे जायं ? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह करें।

दूसरी बात मैं प्रजातंत्र की कहना चाहता हूं। सब लोग आक्षेप लगाते हैं कि कांग्रेस शासन में प्रजातंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो आज उसका टैस्ट होने जा रहा है कि प्रजातन्त्र है कि नहीं। आज यह देखा जायगा कि संसद सदस्य क्या चाहते हैं, माननीय मन्त्री जी और प्रधान मंत्री जी वही करती हैं या उसके विपरीत ?

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एक ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है जो इसी काम के लिए है। उस कमेटी की दो रिपोर्ट हैं। एक रिपोर्ट जनता शासन के समय की है। उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। एक कमेटी अब है। उस कमेटी ने उस पिछली कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया। तो क्षमा करें मुझे यह कहने के लिए कि जनता पार्टी ने जितनी सुविधाओं के लिए सिफारिश की थी, उससे कम इस ज्वाइट कमेटी ने सिफारिश की है।

लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा, इस लोकसभा द्वारा, विरोधी पार्टियों के साथ से जो कमेटी बनी, उसके जो निर्णय थे, उस पर विचार न किया जाए, उसको मान्यता न दी जाए। मुझे मालूम है, पहले एक समय था, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया गया और संसद सदस्यों की राय जानी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जाकर कहा गया, तो उन्होंने इस बात को माना कि इस काम को संसद सदस्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए, और लोकसभा तय कर देगी, वही मान लिया जाएगा। लेकिन अब समय बदल गया है, अब यह देखा जाता है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की क्या राय है। प्राइम मिनिस्टर की राय जान लेने के बाद, फिर अपनी राय रखी जाए। उस वक्त हम एक कमेटी बना कर प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और उनके सामने सारी बातें रखी। मैं आपको एसेम्लीज के मैम्बर्स को क्या मिलता है, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। वहां पर सदस्य अपनी पत्नी को फर्स्ट क्लास में बैठा कर ले जाता है, लेकिन पार्लियामेंट का मैम्बर नहीं ले जा सकता है। मैं सत्ताधारी पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को पार्टी मीटिंग में उठावें। मैं जब कांग्रेस में था, मेरे जैसा आदमी भी पंडित जी के सामने बोल सकता था और अपनी राय रख सकता था। पहले कमेटी बना करती थी, पार्टी कमेटी बनती थी और पंडित जी को अधिकार दे दिया जाता था कि कमेटी बना दो। मेरे जैसे आदमी ने खड़े होकर पंडित जी से कहा कि यह नौमीनेशन है। पंडित जी आप उन्हीं का नाम ले सकते हैं, जिनको जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं, वे नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चुनाव होंगे और नौमीनेशन नहीं होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी के पास जाइए और कहिए कि जब चुने हुए प्रतिनिधि अपनी आज राय दे रहे हैं और बहुमत के आधार पर राय दे रहे हैं, तो उनको मान लेना चाहिए।

आपकी सैलरी एलाउंस की जो ज्वाइंट कमेटी ने जो तय किया है, वह बताना चाहता हूं। नॉर्थ एवेन्यू के छोटा फ्लैट फर्नीचर बिजली और पानी के साथ मकान मुफ्त मिलना चाहिए। इससे पहले जो जनता पार्टी की कमेटी ने तय किया था, उसमें से आठ सुविधाओं को हटा दिया गया था। तय यह हुआ है कि 15 हजार से 20 हजार की टेलीफोन कॉल्स फ्री कर दी जायें और

यदि यह पूरी न हो तो ट्रंक-कॉल में एड कर दी जायें, 50 रु० के टिकट और लिफाफे प्रतिमाह दिये जायें। मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि एम० पी० या अधिकारी जा रहे हैं, यदि अधिकारी ए० सी० में जाता है और एम० पी० फर्स्ट क्लास में जाता है ठीक नहीं यदि उस गाड़ी में स्थान हो तो एम० पी० को उस ए० सी० में जाने का मौका दिया जाये।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मन्त्री जी बैठे हुए हैं, आज अनाउन्स कर दीजिए।

श्री दिगम्बर सिंह : मन्त्री जी के लिये कठिनाई होगी, पहले मन्त्रियों को अधिकार होता था, लेकिन जब तक पी० एम० की राय नहीं लेंगे, तब तक नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। यह तय हुआ है कि पत्नी के लिए फर्स्ट क्लास होना चाहिए लेकिन यदि पत्नी न हो तो फर्स्ट क्लास में एक आदमी को ले जा सकता है। इसी प्रकार हवाई जहाज की यात्रा सेशन में कर सकते हैं, तो बाद में भी करने का अधिकार हो। यह तय हुआ है कि सैलरी 500 से 750 रु० कर दी जाए और दैनिक भत्ता 51 रु० से 101 रु० कर दिया जाए और सड़क का भाड़ा एक रुपया से दो रुपये किलोमीटर कर दिया जाए। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में या और कई अन्य प्रान्तों में स्वतन्त्रता सेनानी को जो पेंशन मिलती है, वह स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन एम० एल० ए० की पेंशन से नहीं काटी जाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि संसद सदस्य अगर एक्स एम०पी० है और एक्स एम० पी० को जो पेंशन मिलती है, और यदि स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन भी मिलती है, तो उसमें से उतनी काट ली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम यह तो नहीं होना चाहिए। सम्मान की स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन न काटी जाए ज्वाइंट कमेटी ने पास कर दिया है। हमारी लोकसभा और राज्य सभा की ज्वाइंट कमेटी है। उसकी राय है, और लोक सभा की भी राय है फिर सरकार क्यों नहीं मानती और मैं इससे आगे जाना चाहता हूं कि मुझ से किसी ने कहा कि विरोधी दल के लोग इसका विरोध करते हैं। मैंने पासवान साहब से लिखवा कर और विरोधी दल के बहुत से लोगों से दस्तखत करा कर चैयरमैन साहब को दिया कि हम विरोध नहीं करते हैं। तो फिर कौन सी समस्या रह जाती है ? मैं ऐसा समझता हूं कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होती, तो ऐसा न होता। होता क्या है कि जो लोग सरकार में हैं, वे सरकारी साधनों को प्राप्त करते हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वे पार्टी की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं और जो पूंजीपति हैं, उनके पास पूंजीपति होने के नाते सब सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं लेकिन जो लाइसेन्स लेने में शर्म महसूस करते हैं, जो परमिट नहीं लेते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनको परेशानी होती है। अगर एक परमिट ले लिया जाए और कोई इण्डस्ट्री लगा ली जाए, तो उससे उसका काम काफी अच्छी तरह से चलता रहेगा लेकिन समस्या तो उनके सामने आती है, जो ऐसा नहीं कर सकते और जिनके लड़के हैं, उनसे मांगने में भी शर्म आती है कि हमें खर्चा दो। जब यह समस्या है, तो फिर ऐसे लोगों का खर्चा कैसे चल सकता है।

मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे साथियों ने सुविधाएं देने की बात कही, मैं चाहूंगा कि आप हमें मकान दे दें, बिजली दे दें, खाने की व्यवस्था करें, बीमारी में इलाज की व्यवस्था करें और कुछ पहिनने को दे दें, बढ़िया न दें बल्कि खादी का कपड़ा ही हमें पहिनने को दे दें और वेतन एक पैसा न दें।

सभापति महोदय : जिनके 7-7 बच्चे हैं, उनका क्या होगा।

श्री दिगम्बर सिंह : आजकल तो किसी के अगर दो बच्चे हैं, उनको पढ़ा लें, तो इतनी भी आमदनी संसद सदस्य की नहीं है।···(व्यवधान)—

मैं आपको बताऊं कि दुर्गापुर में जब ए० आई० सी० सी० का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय मैं उसका मेम्बर था और मैंने वहां पर यह कहा था कि जो मोस्ट इंटेलीजेन्ट होता है, वह या तो कैपीटलिस्ट बन जाता है या फिर ऊंची सर्विस में चला जाता है और वे ही लोग हुकूमत करते हैं। जो नम्बर 1 का है, वह हुकूमत नहीं करता बल्कि नं० 2 वाला ही हुकूमत करता है। मुसलमानों की जब हुकूमत थी, तब भी उनकी चलती थी, अंग्रेजों की जब हुकूमत आई, तब भी उनकी चली, कांग्रेस की हुकूमत आई, तब उनकी चली है और जब जनता पार्टी की हुकूमत आई थी, तब भी उनकी चलती थी और अब भी उनकी चलती है। वो नहीं चाहते संसद सदस्य की पेंशन बढ़े।

मैं आपको बताऊं कि मैं इस्टीमेंट्स कमेटी की एक मीटिंग में बाहर गया और वहां पर एक होटल में खाना खाया, तो मेरे हाथ में 75 रुपये का बिल थमा दिया।

सभापति महोदय : अकेले एक आदमी का 75 रुपये का बिल था ?

श्री दिगम्बर सिंह : मैं अकेला ही था और उसका बिल वह था। मैं पूछना चाहता हूं कि जो रुपया हमें सरकार से मिलता है, उससे 5 स्टार होटल में क्या हम ठहर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो यह जो मामला हमारे सामने है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ लोगों को ईर्ष्या है, जेलेसी है, तो वे इसका विरोध करेंगे। बहुत से लोगों के अखबार हैं। वे सोचते हैं कि लोक सभा के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की बातें निकलेंगी, तो उनके अखबार ज्याद बिकेंगे। उनको आप छोड़िये और वास्तविकता को देखिये।

एक बात और कहूंगा। यदि वास्तव में ऐसी बात न होती, तो क्या हम ये बातें यहां कहते। हम कोई भिखारी नहीं हैं कि इस तरह से मांगें लेकिन जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनको आपके सामने रखना चाहते हैं। एक मजबूरी है, जिसमें हमें यह करना पड़ रहा है। लोक सभा के सदस्य होने के नाते हमें कुछ काम करने होते हैं। मैं आपको बताऊं कि सन् 1952 में मेरे चुनाव पर 12 हजार रुपये का खर्च हुआ था। उस वक्त एक जीप खरीदते थे, तो 8 हजार रुपये में आ जाती थी और अब कितने में आती है।

उपसभापति महोदय : 75 हजार रुपये में।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो आपने कायदा बना रखा है कि अगर महंगाई बढ़ती है, तो उसके हिसाब से उनका डियरनेस एलाउन्स भी बढ़ जाता है। उसी तरीके से आप यहां भी कर दीजिए कि जब ये सेलरी और एलाऊंसेज दिये गये थे, उस वक्त जो भाव चीजों का था, वह अब अगर बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से इनको भी बढ़ा दिया जाए और अगर वह कम हो जाता है तो इनको भी कम कर दिया जाए। हम और ज्यादा नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन यही है कि डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है। जो सदन का बहुमत कहता है और ज्वाइन्ट कमेटी ने

सर्व सम्मति से जो निर्णय किया है, उसको मैं समझता हूं कि सरकार को अविलम्ब मानना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैं डागा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस सदन के अन्दर यह बिल लाए।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे देश का सवाल है, अगर इस देश में सबसे कमजोर वर्ग है, सब से गरीब वर्ग है तो वह इस हाउस का सदस्य है। हम यहां बैठ कर किसी भी आदमी के बारे में कुछ भी बोल लें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूं, कि यहां अण्डर सेक्रेटरी जब जाता है तो अपनी कार में बैठ कर चला जाता है और उसे अपनी फाइल नहीं ले जानी पड़ती लेकिन यहां का सदस्य अपनी फाइलें खुद ले कर जाता है।

सभापति महोदय, मैंने ब्रिटेन के बारे में देखा, अमेरिका के बारे में देखा और भी दुनिया के देशों के बारे में देखा है। मैंने सब की स्टडी की है। अगर आपको इस पार्लियामेंट का स्टेण्डर्ड सुधारना है तो आपको इसके मेम्बर की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। अगर इस देश में उसको ऐसे ही गाड़ी चलाते रहना है, और आपको उसकी ऐसे ही गाड़ी चलाते रहने देना है तो इस देश के अंदर कोई तरक्की होने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग यहां पर चुन कर आते हैं अगर आप उनको सुख-सुविधा नहीं दोगे तो ये लोग कैसे अपना काम करेंगे। आप कहते हैं कि घोड़े की सवारी करो, उसकी लगाम पकड़ो लेकिन उसको आप शक्ति नहीं देते हैं तो वह कैसे घोड़े की सवारी करेगा। इस तरह यह बिचारा सदस्य पैदल ही चलता रहेगा। जब तक आप इस मामले में विचार नहीं करते तब तक काम नहीं चलने वाला है।

सभापति महोदय, आप भी विधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उस वक्त सदस्य रहा हूं। उस वक्त हमको 12 आने रोज में कितना ही पानी, कितनी ही बिजली और कितने ही बिस्तर मिलते थे। उस 12 आने रोज से एक महीने में साढ़े बाईस रुपये खर्च होते थे। आज हमको पांच सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अगर हमारे यहां टेलीफोन से किसी ने एस०टी०डी० घुमा दिया तो हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। जब तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम लड़ने जाते हैं। यहां स्टीफन साहब से कहते हैं। उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि लिख कर शिकायत करो। लेकिन सबसे पहले हमारी तनख्वाह कट जाती है।

अगर हम यहां दिल्ली में किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो 20-22 रुपये टैक्सी का लग जाता है। नई दिल्ली स्टेशन से जब हम अपने फ्लेट में आते हैं, नार्थ एवेन्यू या साऊथ एवेन्यू तो सबसे पहले थ्री-व्हीलर वाला या टैक्सीवाला आने को तैयार नहीं होता, और होता भी है तो कहता है कि 15 रुपये लगेंगे। ऐसी स्थिति में आपका जो यह सर्वोच्च माननीय सदस्य है वह किस हैसियत से रहता है, यह आपको पता होगा।

कुछ दूसरे सदस्य आरोप लगाते हैं। लेकिन वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। अगर आप एक सदस्य को पूरी सुख-सुविधाएं नहीं देंगे तो वह दूसरे काम करने की कोशिश करेगा। आप जानबूझ कर उसे इतना बड़ा आदमी बना देते हैं और उसके बाद उसे खाने को कुछ नहीं देते तो वह कैसे अपना काम चला सकेगा।

एक सदस्य अपनी मिसिज को एक ही वार फर्स्ट क्लास में ला सकता है। उसके वाद उसको उसका फर्स्ट क्लास का टिकट लेना होगा। अगर वह कहीं और जाता है तो अपनी फेमिली को नहीं ले जा सकता। अगर वह ले जाता है तो वह किसी डिब्बे में होगा और फेमिली किसी डिब्बें में होगी। अगर आपको अपना अटेन्डेन्ट भी साथ ले जाना है तो उसकी रिजर्वेशन किसी डिब्बे में होगी, आपकी किसी डिब्बे में होगी। कभी-कभी तो आपका अटेन्डेन्ट आपके डिब्बे से दस-बारह डिब्बे दूर होता है। दिल्ली के स्टेशन पर मुझे अपने अटेन्डेन्ट को ढूंढ़ना पड़ता है इसलिए कि कहीं वह गुम न हो जाए। दूसरे माननीय सदस्यों को भी ऐसा अनुभव होगा।

सभापति महोदय, अगर ईमानदारी से इस देश को चलाना है तो आपको कुछ-न-कुछ निर्णय इस सम्वन्ध में करना होगा। हमारे मध्यप्रदेश में एक एम० एल० ए० को 12 सौ रुपये मिलते हैं और दो फर्स्ट क्लास के पास मिलते हैं जिनसे वह अपनी पत्नी को हमेशा साथ ले कर घूम सकता है। ऐसी हालत में हमारी क्या स्थिति है यह आप जानते हैं। हमारे डागा जी वनिये है वे आंकड़ों को ज्यादा समझते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है, उस पर हम सवको विचार करना चाहिए। मंत्री जी को सारी पार्टियों के सदस्यों को बुलाकर, एक साथ वैठकर वात करनी चाहिए। इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। कुछ सदस्य विरोध करते हैं और समाजवाद के नाम पर इसको लेने को तैयार नहीं होते, लेकिन कुछ दिन वाद ले लेते हैं। ऐसी वात नहीं होनी चाहिए। एक क्लीयर बात होनी चाहिए। यह एक ईमानदारी की बात है और सारा सदन इस वात से सहमत है कि दिल्ली का और अपने क्षेत्र का खर्च सदस्य वहन नहीं कर सकता। कांस्टीट्युएंसी में कहीं जाने पर यदि किसी की गाड़ी ले भी ली तो पेट्रोल तो आपको डलवाना ही होगा। 50 किलोमीटर भी गए तो 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। यदि किसी अधिकारी से गाड़ी ली, उसके खिलाफ यदि भ्रष्टाचार का मामला है, तो आप क्या निर्णय देंगे। मॉरल डाउन हो जाएगा। जव तक सदस्यों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तव तक कुछ काम नहीं हो सकता। सदस्य का मॉरल ऊंचा नहीं हो सकता, ठीक तरह से राज नहीं किया जा सकता। अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां पर हम आएंगे, भाषण करके चले जाएंगे, पेपर वाले कुछ छाप देंगे, काम कुछ नहीं होगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सवको बैठकर विचार करना चाहिए और सभी सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हू।

श्री राम नाथ दुबे (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने संसद-सदस्यों के वारे में जो समस्याएं बयान की हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन पर कार्य करना वहुत जरूरी है।

हमारे संसद-सदस्य को 500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या 500 रुपए से एक सदस्य अपना गुजारा कर सकता है ? अपना स्टेंडर्ड मेंटेन कर सकता है। जो इन बातों का अपोज करता है, मैं तो यही कहूंगा। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इस तरह की वात आप नहीं बोल सकते।

[श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

आप बैठ जाइए।

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते।**

सभापति महोदय : आप दूसरे मेम्बरों से बात मत कीजिए। आई विलसी मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा। यदि कोई बात असंसदीय हो तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकाल दूंगा। (व्यवधान)

मेरी बात सुनिए, आप व्यक्तिगत बात में मत जाइए, आप अपनी बात कहिए।

सभापति महोदय : कृपया टिप्पणी न करें।

श्री रामनाथ दुबे : मैंने व्यक्तिगत बात नहीं कही है। मैं वस्तुस्थिति सामने रखना चाहता हूं।

एक गर्म सूट की सिलाई 200 रुपए होती है। अगर कोई गर्म सूट पहनता है तो या तो कोई दूसरी आमदनी का साधन होगा या वह बेईमानी से काम करके जीवन बसर करते हैं। यह स्थिति हमारे सदस्यों की है।

लैजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और ज्यूडिशरी देश के संविधान के तीन महत्त्वपूर्ण अंग हैं। हमारा लैजिस्लेटिव विंग है जो देश के निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। हमारा यह फर्ज है कि जिस को करने के लिए हम चुनकर आए हैं उस काम को हम ईमानदारी, निष्ठा से लगन से करें और देश के निर्माण में सहयोग दें। लेकिन पूरा खर्चा, पूरा गुजर बसर तो हमारा होना चाहिये। हमको किसी के ऊपर आश्रित रहने की नौबत नहीं आनी चाहिये। दायें बायें हमने देखें, इस बात की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में एम. एल. एज. को फर्स्ट क्लास का पास मिला हुआ है। उनके साथ जो सहयोगी जाता है उसके लिए भी उनको कूपन मिले हुए हैं और कूपन दिखा कर वह उनके साथ जा सकता है। देश की यात्रा करने के लिए भी उनके पास कूपन हैं। दूसरी जगह भी वे आ जा सकते हैं। कुछ राज्यों में एम एल एज को कार की सहूलियत मिली हुई है। वहां बहुत ज्यादा उनको सुविधायें मिली हुई हैं। एम एल एज को अधिक सुविधायें और एम पीज को कम, वह जो इनइक्वेलेटी है, यह नहीं रहनी चाहिये।

आप यह भी देखें कि जजेज को तीन-चार और पांच हजार तनख्वाह मिलती है। उनको इतनी तनख्वाह देने का उद्देश्य यह भी है कि वे ईमानदारी से नैतिकता से अपना काम करें, अपना गुजर बसर आसानी से कर सके और सही-सही न्याय दे सकें। हाई सैलेरी उनको देने का एक उद्देश्य यह भी है। इस सावरेन बाडी का जो मैम्बर है उसको केवल पांच सौ रुपया ही सैलेरी मिलती है। आप यह भी देखें कि लोक सभा में ही जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी कम से कम सैलेलरी नौ सौ रुपया है। यह जो असमानता है इस पर आप गौर करें।

हमारे सामने दो चीजें हैं। या तो हम पांच सौ रुपये में ही निर्वाह करने का व्रत लें वर्ना जो फैसिलिटीज हैं वे पूरी हमें मिलनी चाहिये ताकि हम आसानी से अपना गुजर बसर कर सकें।

**अध्यक्षापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

बहुत पुरानी मसल है, लिव लाइक एहमिट एंड वर्क लाइक एर हार्स । हम इसके लिए भी तैयार हैं । अगर यह महान संसद इस बात का निर्णय लेती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं । लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो फ्लैट्स एम पीज को दिये गये हैं वे उनसे छीन लिए जाने चाहिये और मंत्रियों के पास जो आउट हाउसिस है उनमें सब एम पीज को रख दिया जाना चाहिये । हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन तभी जब सब लोग मिलकर इस बात का निर्णय लें । कोई जरूरत नहीं है एम पीज को कोकाज देने की, ईजी चेयर्ज देने की, पानी गर्म करने के लिए हीटर वगैरह देने की और दुनिया भर की सुविधायें जो इस तरह की दी गई हैं उनको देने की । दो ही रास्ते हैं । पहला यह है कि अगर सुविधायें देनी हैं तो ऐसी दी जाएं कि हमारा गुजर हो सके वर्ना जो मिली हुई हैं उनको भी छीन लिया जाए । हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बहुत शोर कर रहे हैं । जब पांच सौ रुपये हुये तब लिख कर दे देते कि हम नहीं लेंगे । तब तो ले लिए । अब क्यों हल्ला कर रहे हैं । उस वक्त कह देते कि हमें स्वीकार नहीं हैं, हम वापिस करते हैं ।

शास्त्री जी जैसे विद्वान वक्ता ने बड़ा घुमा फिरा करके अपनी मांग पेश की है । चीज वही है । लेकिन घुमा फिरा करके उन्होंने कान को पकड़ा है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री डागा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी योग्यता के साथ इस बिल को पायलट किया है ।

***श्री एस० मुरुगेयन** (तिरूपत्तूर) : सभापति महोदय हमारे माननीय सहयोगी, श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किये गये संसद सदस्य वेतन भत्ता तथा पेन्शन (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं अपनी ओर से तथा अपने दल द्रमुक की ओर से कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ ।

श्री डागा ने सुझाव दिया है कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में बृद्धि की जाये । मैं चाहता हूँ कि वे एक संशोधन को स्वीकार करें । मेरा सुझाव है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते में भी वृद्धि की जाये । मेरे विचार में वर्तमान वेतन तथा भत्ते से मंत्री भी दो समय का भोजन प्राप्त नहीं कर सकते । वे अपने परिवार का गुजारा नहीं चला सकते और न ही वर्तमान वेतन और भत्ते से अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं । यह बात ठीक नहीं है कि हम अपने वेतन में वृद्धि की मांग करें । मंत्रियों के वेतन और भत्तों में भी वृद्धि की जानी चाहिए ।

मेरे से पहले बोलने वाले कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है । मेरे माननीय मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने कहा है कि वे हमारे वेतन और भत्ते में वृद्धि के विरुद्ध है । कोई पांच या छः महीने पहले संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में क्रमशः 500 रुपये की वृद्धि की गयी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री रामावतार शास्त्री ने इस वृद्धि को स्वीकार किया है या नहीं । यदि उन्होंने इस वृद्धि को स्वीकार करने से इन्कार किया हो तो हम उनके वर्तमान तर्क को स्वीकारकर सकते हैं ।इस वृद्धि को स्वीकार करने के बाद यदि ये इस बढ़ी हुई राशि सरकार को वापिस करते तो फिर भी हम उनके इस तर्क को स्वीकार करते । यदि ये बढ़ी हुई राशि को श्रमिक कल्याण निधि में जमा करते तो भी हम इनके तर्क का स्वागत करते । उन्हें सभा को बताना चाहिये कि उन्होंने क्या किया है ? कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा तर्क दे सकता है, लेकिन हमें पूरी सच्चाई और न्याय के साथ यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान वेत्तन और भत्ते संसद सदस्यों द्वारा

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। वेतन और भत्ते में वृद्धि की मांग करके तथा इसे स्वीकार करके 5 साल की अवधि के दौरान एक संसद सदस्य समृद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र के अन्दर 6, 7, 8 विधान सभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। यदि हम निर्णय लें कि चुनाव के बाद हम अपने मतदादाओं को न मिले तो शायद हम इस वेतन से काम चला सकते हैं। लेकिन आजकल मतदाता जागरूक होते हैं और उनमें राजनैतिक चेतना होती है। वे अपने प्रतिनिधियों को मिलना चाहते हैं और प्रतिनिधि उनको मिलना चाहते हैं। हमें उन्हें बार-बार मिलना पड़ता है। आप जानते हैं कि यदि हम गाड़ी में अपने चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मिलने जायें तो परिवहन व्यय कितना होगा। यदि हम केवल मजदूर संघों तथा किसानों के प्रतिनिधियों को मिलें तो शायद हम वर्तमान वेतन के साथ काम चला सकते हैं। यदि हम चुनाव क्षेत्र में अपने मतदाताओं को मिलना चाहें तो वर्तमान वेतन तथा भत्ते पर्याप्त नहीं हैं।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वहां कोई भी पंचायत संघ तथा पंचायतें नहीं हैं। वहां पंचायत संघों पंचायतों के कोई भी अध्यक्ष नहीं हैं। ग्राम स्तर के सभी कामों को विधायकों तथा संसद सदस्यों को करना पड़ता है। तमिलनाडु में पिछले 4, 5 वर्षों से यही स्थिति चल रही है। लोक सभा सत्र के बाद यदि हम अपने चुनाव क्षेत्र में 25 दिन दौरा करें तो तभी हम अपने सभी मतदाताओं को मिल सकते हैं। उन्हें मिलने के बाद हमें उनके आवेदन पत्रों शिकायतों तथा कठिनाईयों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। हमें उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करनी पड़ती है। यदि हम वैसा न करें, तो सदस्य बदनाम हो जाता है और उसकी पार्टी भी बदनाम हो जाती है। 25-30 वर्ष पहले मतदाताओं को मिले बिना ही जीतना शायद सम्भव होता होगा लेकिन अब स्थिति यह नहीं है और यह वेतन पर्याप्त नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सदस्यों के वेतन तथा भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिये।

कपड़ा मिल के एक कर्मचारी को प्रति मास कम से कम 1000 रुपये मिलते हैं। बुनाई तथा कताई कारखाने के एक कर्मचारी को प्रति मास कम से कम 1000 रूपये मिलते हैं। 300 से 400 पंचायतों वाले चुनाव क्षेत्र में हम वर्तमान वेतन तथा भत्ते के साथ कैसे खर्च पूरा कर सकते हैं। एक संसद सदस्य का अपने मतदाताओं की शिकायतों की ओर ध्यान देना एक अनिवार्य कर्तव्य है। यदि हमें बिना बाहरी प्रभाव के प्रभावशाली ढंग से काम करना है, यदि हमें अपनी निष्ठा को खोए बिना निर्भीक ढंग से काम करना है तो संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिये। मंत्रियों के वेतन में भी वृद्धि की जानी चाहिये। मेरी मांग है कि इस विधेयक को समूची सभा का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिये। वास्तव में इससे हम सब की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के लिये अपने दल द्र० मु० क० का समर्थन प्रदान करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दीपेट) : सभापति जी, आज इस सदन में हमारे माननीय सदस्यों की फैसिलिटीज के बारे में जो चर्चा हो रही है, आप तो जानते हैं कि आज हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे फारेन कंट्रीज में भी जहां हमारे जैसा पार्लियामैंटरी सिस्टम है, उनके बारे में भी मैंने तेलुगु अखबार में पढ़ा है कि हिन्दुतान और दूसरे कंट्रीज में मिलने वाली फैसिलिटीज में काफी अन्तर है आज हमारे लोक-सभा के सदस्य या राज्य-सभा के सदस्य पब्लिक अफेयर्स में हमारा देश का जो समाज-वाद का ढांचा है, उसके हिसाब से अवाम के काम करने के लिये चुनाव क्षेत्रों से चुनकर इस सदन में आते हैं। विधान-सभा की जो कांस्टीटुएन्सी होती है, लोक-सभा के

मुकाबले में उसका क्षेत्र बहुत मुक्तसर होता है। आज हमारे आंध्र प्रदेश को आप लें या दूसरे प्रदेश को लें वहां पर जो एम० एल० एज को फैसिलिटीज मिलती हैं और मंथली फैसिलिटीज मिलती हैं, उनमें और लोक-सभा से मिलने वाली फैसिलिटीज में काफी अन्तर है।

आज हमारे सरकारी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाले लोग जो एल० डी० सी० की पोस्ट पर होते हैं, उनके वेतन को भी कम्पेयर करें तो उसमें काफी अन्तर है। हमें इसमें काफी कठिनाई होती है। हमारे क्षेत्रों में जाने के बाद वहां पर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वह बहुत होते हैं, उसके हिसाब से यह काफी कम है। हमरे माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो फिगर्स और फैक्ट्स यहां पेश किये हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रेल यात्रा, किलो मीटर्स तथा जो हमारी फैसिलिटीज हैं, वह माननीय सदस्यों के काम करने का जो ढंग होता है, जो फर्ज होता है, उसके मुताबिक रैस्पैक्टेबली होना चाहिये। फैसिलिटीज ज्यादा होनी चाहिये। यह हमारे एक पार्टी के बेसिस पर बात नहीं है जैसा कि विरोधी दल वाले माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है। यह मसला पार्टी बेसिस का नहीं है, पूरी सभा के सभी माननीय सदस्यों का सवाल है और एम० पी० का जो महान दर्जा है, उसके हिसाब से हमारी फैसिलिटीज भी होना जरूरी है। जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन इन्क्रीज करने के लिये कमीशन वगैरा बनते हैं, वह तरीका माननीय सदस्यों के लिये नहीं सोचना चाहिये, लेकिन एक जगह बैठकर हमारे श्री मूलचन्द डागा ने जो यह बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तिथियों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग संख्या (2) विधेयक 1981, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 दिसम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, उसे वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा के उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) असम सरकार अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 334/80/220 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1981 के असम सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन

सेवाओं सहित जल और विद्युत के उत्पादन, प्रदाय और विवरण से संबंधित सेवाओं को आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है ।

(दो) असम सरकार अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 583/81/10 जो दिनांक 14 अगस्त, 1981 के असम सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित असम राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सेवाओं सहित विद्युत के उत्पादन, प्रदाय और वितरण से संबंधित सेवाओं को आवश्यक सेवा अध्यादेश, 1981 द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ असम राज्य में आवश्यक सेवाएं घोषित किया गया है ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3261/81]**

नियम 193 के अधीन चर्चा
उत्तर प्रदेश के देवली गाँव में हरिजनों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

सभापति महोदय : सभा देवली गांव में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेगी । इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमने कई सदस्यों ने अनुरोध किया है । इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समय का ध्यान रखें ताकि अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग ले सकें और वे अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें ।

इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । सभा कितनी देर तक बैठ कर चर्चा करना चाहेगी यह उस पर निर्भर है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री का यह सुझाव है कि आरम्भ में यह दो घंटे के लिए हो । यदि आवश्यक हुआ तो बैठक को बढ़ाया जा सकता है ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, देवली कांड का जिक्र आते ही मेरी जुबान से बेसाख्ता उर्दू का एक शेर निकलता है :—

"क्यों उदास उदास हैं मंजिलें,
क्यों उदास उदास हैं रास्ते,
मेरे हमसफर ज़रा देखना,
कोई काफिला तो लुटा नहीं ।"

सभापति महोदय, आज इस सत्र का आखिरी दिन है और हम देवली कांड पर डिसकशन कर रहे हैं । जिस दिन यह सेशन शुरू हुआ था, उस दिन भी देवली कांड की चर्चा हुई थी । इस पूरे सेशन पर, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर, देवली कांड की काली छाया है । मैं इस बारे में कुछ तफसील से बताना चाहूंगा ।

एक साल पहले देवली गांव में एक डाका पड़ा और यही लोग, राघे, संतोपा वगैरह, उस डाके के जिम्मेदार ठहराए गए। उनको गिरफ्तार किया गया और उनके घरों से नाजायज हथियार बरामद किए गए। इत्तिफाक से उस केस में उसी गांव के कुछ गरीब हरिजन, मिट्ठू, अंगनलाल, महाराओ और बालाशाह, को गवाहों के तौर पर पेश किया गया। यहां से शुरुआत होती है इस खूनी कहानी की।

उन बेगुनाहों को झूठे केसों में उलझाया गया गलत तौर पर कई जगह उलझाया गया और आखिर में नाजायज हथियारों के केस उन गरीबों पर बनाए गये। यही राघे, संतोपा पुलिस अफसरों के साथ गांव में आकर उन गरीबों को पिटवाते थे। आखिर पिछले नवम्बर का महीना आ गया। 17 नवम्बर को उसी गांव के एक जमींदार के घर पर कुछ खाने की तैयारी होती है। 18 नवम्बर की सुबह गांव के कुछ लोग जमींदार से पूछते हैं कि क्या बात है कि शराब की बोतलें मंगाई जा रही हैं, मांस मंगवाया गया है। वह कहता है कि मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। और वे मेहमान शाम के 4 बजे आ गये —वही डाकू, जिन्होंने यह खूनी कार्रवाई की।

वे लोग तीन ग्रुप में आये। मुझे पता नहीं कि कितने माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि उनमें से एक ग्रुप ये नारे लगाता हुआ आया कि "विश्वनाथ प्रतापसिंह जिन्दाबाद" दूसरे ग्रुप ने उसको मना किया कि नारे मत लगाओ। लेकिन एक ग्रुप ने नारे लगाये। और 4 बजे से लेकर रात के $8\frac{1}{2}$ बजे तक यह खूनी कांड होता रहा।

सभापति महोदय, इस खतरे की सूचना महीनों पहले दे दी गई थी। गरीब हरिजनों ने हिफाजत मांगी, नहीं दी गई। उन्होंने हथियार के लाइसेंस मांगे, नहीं दिये गये। पी०ए०सी० की एक टुकड़ी वहां थी, वह भी हटा ली गई और उसके बाद जब 18 नवम्बर को वह गांव में आ गये, फिर वह कहानी शुरू होती है। उसमें नौ मर्द, छः औरतें और नौ बच्चे मरे हैं। यह सरकारी तौर पर बताया गया है; ज्ञानी जी के अपने बयान में है। केवल इतना ही नहीं, मुझे बताया गया, नहीं मालूम कहां तक दुरुस्त है कहां तक गलत है कि जो सात जख्मी हुये थे उन में से बाद में एक की मौत हुई है। लेकिन अभी यह बात ठीक तरह मालूम नहीं है, यह तो ज्ञानी जी बतायेंगे कि कोई जख्मी भी मरा है या नहीं। लेकिन कम से कम एक बात तो सही है कि मरने वाली एक महिला प्रेग्नेन्ट थी, जब उसका पोस्ट मार्डम हुआ तो उसके पेट से 8 महीने का एक लड़का और लड़की भी निकली। वे मासूम बच्चे आंखें खोलने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए, हमेशा के लिए उनकी आंखें बन्द हो गईं।

इसी ग्राम की पहले शीला नाम की एक हरिजन लड़की थी, 16 साल की उसकी उम्र थी। उन डाकुओं के पास कितना समय था वे कितने निडर थे कि एक ड्रामा रचाया गया, शीला के साथ शादी की गई, उसके बाद उस के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद उसे गोली से उड़ा दिया गया। एक दूसरी महिला जिसका नाम राजिन्द्री था, 18 साल उसकी उम्र थी। इत्तफाक से उसके पास दो बच्चे भी थे। एक बच्चा शायद दो साल का था और एक एक साल का ही था। वे डाकू गोली चलाते हैं, नीचे पास खड़ा हुआ बच्चा गोली से मरता है, दूसरे बच्चे को भी गोली लगती है, दोनों बच्चों का खून वह रहा है, वे मर चुके हैं। उसके बाद वे हैवान उस राजिन्द्री नाम की महिला से खून बहते हुए उन बच्चों की लाशों के सामने बलात्कार करते हैं और फिर उसे भी गोली से उड़ा दिया जाता है।

सभापति महोदय, ठीक नवम्बर के महीने में 25 साल पहले केरल में तूतीकोरन एक्सप्रेस का कोई ऐक्सीडेंट हुआ था। किसी को ड्राइवर का नाम याद नहीं है, आज किसी को कांटा बदलने वाले का नाम भी याद नहीं है लेकिन लालबहादुर शास्त्रीजी का नाम सबको याद है। वह रेल मंत्री थे। वह रेल के ड्राइवर नहीं थे, बस कांटा बदलने वाले भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास करते हुये कि मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ा जाय, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं पूछना चाहूंगा ज्ञानी जी से कि क्या इस वक्त मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ने की जरूरत नहीं है ? आज इस बात की जरूरत है कि देवली कांड की खूनी होली के बाद आप इस्तीफा दें ताकि इस मुल्क के निजाम को कुछ झिंझोड़ा जाय। नहीं तो, यह लम्बी कहानी है, पिपरा है, कफल्टा है, किल्वनमनी है, बेलची है, नारायनपुर है, ये होते रहेंगे। और मैं तो ज्ञानी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि—

तेरे रहते लुटा है चमन बागवां
कैसे कह दूं कि तेरा इशारा नहीं॥

आज गवर्नमेंट नाम की कोई हुकूमत यू० पी० में नहीं है। चार हजार से ऊपर शख्स केवल इस साल में कत्ल किए जा चुके हैं। उनमें कुछ पुलिस के आदमी भी शामिल हैं। डकैतियों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता। डिवेट को वहीं देवली तक महदूद रखना चाहता हूं। जैसा मैंने अर्ज किया शुरू में, आठ साढ़े आठ बजे रात तक यह खूनी कांड होता रहा। उसी वक्त शुरू में ही पांच बजे के करीब एक असगर नाम का मुसलमान नौजवान भी कहीं वहीं खड़ा था। उसको भी गोली लगी हाथ पर, उसने चीख कर कहा कि मैं तो हरिजन नहीं हूं। उसके बाद उसको कहा कि तुम चले जाओ, भाग जाओ यहां से। वह था भी दूसरे गांव का। उस गांव में गया। वहां से एक आदमी को साथ लिया और केवल 8 किलोमीटर फासले पर पुलिस स्टेशन है जसराना नाम का, उस आठ किलोमीटर के फासले पर रात को चलती हुई गोलियां भी सुनाई दे जायेंगी। उस आदमी ने थाने में जाकर कहा कि यह घटना हो रही है। थाने के सिपाही ने कहा कि थानेदार बी० डी० ओ० के घर पर गए हैं, क्योंकि बी० डी० ओ० बीमार हैं। वहां के एस० एच० ओ० का नाम खान है। चुनानचे वह जख्मी मुसलमान नौजवान बी०डी०ओ० के घर पर जाता है और बी० डी० ओ० की मौजूदगी में एस०एच०ओ० से कहता है कि यह घटना हो रही है। उसके बाद एस० एच० ओ० आकर कन्ट्रोल का वयरलैस मैसेज देता है, राणा नाम के पुलिस इन्सपैक्टर को इत्तला दी जाती है। यह इत्तला 18 तारीख को 6.30 और 7 बजे के दरमियान हो चुकी थी, लेकिन पुलिस अगले दिन 11 बजे आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप यह तो कह सकते हो कि गोली मारने आ गया तो क्या करें उसका। हालांकि, उसके पहले भी मैंने कहा है कि इत्तला दी गई थी कि हमें गोली मारी जाने वाली है, फिर भी बन्दोवस्त नहीं किया गया और इत्तला देने के बाद भी बन्दोबस्त नहीं किया गया गया।

सभापति महोदय, उन डाकुओं ने यह सब कुछ करने के बाद गांव के ही एक मन्दिर में रंग-रलियां मनाईं, शराब उडाई, मांस खाया और इस बात की इन्तजार करते रहे, उनको डर तो था नहीं कि पुलिस आ जाएगी, यह उनको पहले से पता था, कि जो हरिजन बाहर गये हुये हैं, रह गये हैं, अभी वापिस आ जायें तो उनको भी मार दें।

ज्ञानी जी ने 23 तारीख को बयान देकर यह सावित करने की कोशिश की है कि यह कोई हरिजन या गैर-हरिजन का सवाल नहीं है। उनकी यह रिपोर्ट है—ठाकुर ने रहनुमाई की; उसमें एक मुसलमान, एक नाई और एक तेली था, डाके को डालने में। 23 नवम्बर तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया था। मैं अब ज्ञानी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह स्टेटमेंट किस आधार पर दिया है ? किसने आपको वताया कि एक नाई, एक मुसलमान और एक तेली था ? यह भी वताइये कि क्या मरने वाले सिर्फ हरिजन नहीं थे ? कोई पकड़ा नहीं गया था, किसी ने बताया न था कि हमारे साथ कौन था, फिर आपने कैसे कह दिया कि उनके ग्रुप में ये शामिल थे ?

कल देश की प्रधान मंत्री, मुझे हैरानी होती है इस वात को कहते हुये, ने अपनी पार्टी को एड्रस करते हुये कहा कि—इट इज एन आर्डिनरी रिइवलरी। कोई कास्ट का सवाल नहीं है, हरिजन होने के नाते···(**व्यवधान**)···आप उसको कन्ट्राडिक्ट कर दीजिये, आज अखवार में छपा है।

एक माननीय सदस्य : यह एक इन्टर नेशनल फिनोमिना है।

श्री सूरजभान : मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि क्या ये एक किस्म की थोथी दलीलें नहीं हैं। किसी आदमी को कहा जाय कि यह भूख से मरा नहीं है। उसका पोस्ट-मार्टम किया गया कि इसके पेट में चावल के दाने निकले थे। यह सर्दी से नहीं मरा, निमोनिया नहीं किसी और बीमारी से मरा है। इसलिए उसकी गुरवत का कारण न बताते हुये और कुछ कारण वताये जाते हैं आज हरिजन के खून के लिये हरिजन के वजाय कुछ और कारण देने की कोशिश की जा रही है।

सभापति महोदय, एक ड्रामा दिखाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एलान किया था कि एक महीने के अन्दर-अन्दर मैं इन सबको गिरफ्तार नहीं कर लूंगा, इनका सफाया नहीं कर दूंगा, तो इस्तीफा दे दूंगा। उसके वाद बताया गया कि सन्तोषा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा कन्ट्राडिक्ट्री बयान अखबारों में छपा, 14 दिसम्बर को संतोषा को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि कानपुर में पैट्रोल पम्प के पास गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने बताया कि वह स्कूटर पर था और उसके साथ एक और नौजवान था।

जब यू० पी के होम मिनिस्टर से पूछा गया, अखबार वालों ने पूछा कि वह स्कूटर कहां है अब और वह नौजवान कौन था, तो उन्होंने अखबार वालों की मौजूदगी में आई० पी० पुलिस से पूछा कि वह स्कूटर कहां हैं और वह नौजवान कौन है ? अखबारात में यह खबर पहले छप चुकी थी और यह अन्दाजा लगाया जा चुका था और वह असलियत भी है कि वह नौजवान यू० पी० के एक बड़े राजनेता का लड़का है।

एक माननीय सदस्य : कौन सा राजनेता ?

श्री सूरज भान : यह तो आप अखबार वालों से पूछ लीजिए, अखवारों में आया है। स्कूटर का कोई पता नहीं है और आई. जी. साहब से सुनने के बाद मिसेज बख्शी, वहां की होम मिनिस्टर कहती हैं कि उसको पेट्रोल पम्प से गिरफ्तार नहीं किया गया। उस को तो उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया न उसके साथ कोई और था और न कोई स्कूटर वहां था। इस तरह से मामला

ही बदल दिया गया । संतोषा की बीवी से अखबार वालों ने पूछा, तो उसने कहा कि वे तो सुबह से खाना खाकर बाहर गये हुए हैं और अखबार वालों ने खुद संतोषा से पूछा, वह जेल में था, तो उसने कहा कि घर से नहीं, घर के पास से नहीं बल्कि उसी पेट्रोल पम्प के पास से उसे पकड़ा था और उसने यह भी कहा कि वह स्कूटर कानपुर के एक दैनिक हिन्दी अखबार के कोरसपोडेंट का है और जब अखबार वालों ने यह पूछा कि वह नौजवान कौन था । आप के साथ स्कूटर पर, तो उसने कहा कि यह मैं हरगिज नहीं बताऊंगा । उसने यह भी कहा कि मैंने एक प्लान बना रखी थी कि 20 दिसम्बर को मुख्य मंत्री के सामने अपने आप को पेश करूंगा और यू० पी० के बड़े राजनेताओं से बातचीत हो चुकी थी और यह तय हो चुका था लेकिन इत्तिफाक से मैं पहले ही आड़े हाथ आ गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया । वह यह भी कहता है कि 18 नवम्बर को जो कुछ हुआ, उसके बाद 21 नवम्बर से लगातार मैं कानपुर के अपने मकान में हूं । फिर अखबार वालों ने पूछा कि आपको मकान पर पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा, तो उसने कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है । वह पहले कह चुका था कि नेताओं से उसकी बात हो चुकी थी कि मैं 20 नवम्बर को अपने आपको आफर करूंगा, अपने को सरन्डर करूंगा, तो फिर पकड़ने कौन जाता । उसने अफसरों के नाम लिए हैं और डैजिनेसन्स दिये हैं कि ये मेरे पैं-रोल्स पर हैं । जसराना का एस० एच. ओ. मेरे पैं-रोल्स पर है और कुछ लोगों के नाम उसने लिये । तो इन हालात में हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा । मैं तो यह समझता हूं कि संतोषा को यह कहा गया है कि तुम घबराओं मत, अपने को आफर कर दो और तुम्हें अदालत से छुड़वा दिया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य : वह आप से मिला होगा और आप को बताया होगा ।

श्री सूरज भान : मुझ से वह नहीं मिला । कांग्रेसी नेताओं से मिलता है । जब आप बोलें तो जवाब दे दें ।···(**व्यवधान**)···किलवेनमनी नाम के एक गांव में 1968 में 35 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया और जब मुल्जिमों के खिलाफ केस चला, तो वहां की हाई कोर्ट का यह फैसला है कि ये ऊंची जाति के आदमी हैं, अमीर आदमी हैं और ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते । तो क्या 35 हरिजनों ने अपने आप खुद को आग लगा ली थी ? कुफल्टा में जहां हरिजनों को कत्ल किया गया था, उसमें जो मुजरिम थे, उन सबको बरी कर दिया गया और दिहुली में भी यही होने वाला है । वहां के खून में लथपथ कपड़े मेरे साथी राकेश जी ने यहां पेश किये थे । वे कपड़े ही पुलिस के अपने कब्जे में नहीं रहे, तो एविडेंस क्या है ? डाकुओं के जूते वहां मौजूद हैं, खून से लथपथ चारपाइयां मौजूद हैं, तो फिर आप के पास एविडेंस क्या है । संतोषा ने यह कहा है और यह अखबार में आया है कि अगर रंगा-बिल्ला को फांसी नहीं होगी, तो मुझे कैसे होगी ।···(**व्यवधान**)···अखबारों में यह छपा है, मुझ से पूछने की जरूरत नहीं है । उसने यह साफ लफ्जों में कहा है ।

केन्द्र अगर यह कहता है कि ला एण्ड आर्डर का मामला स्टेट का मामला है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान के मुताबिक हरिजनों, आदिवासियों की हिफाजत केन्द्र की जिम्मेदारी है । इसलिए केंद्र इस मामले में खामोश नहीं बैठ सकता ।

सभापति महोदय, डा० अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि छुआछूत एक ऐसा कलंक का टीका है, अगर उसे मिटाने के लिए कुछ जानें भी कुर्बान की जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये लगातार कुर्बानी हो रही है । चाहे वह कुर्बानी मैंराठवाडा में, बलछी में कफाल्टा में, पिपरा में,

धर्मपुरा में, गुजरात में कहीं भी हो रही हों, वे कुर्बानियां होती जा रही हैं। मुझे पता नहीं ये कुर्बानियां कितने दिन बाद रंग लायेंगी।

सभापति महोदय, वह वक्त जरूर आ सकता है जब हिन्दुस्तान के हजारों साल से बेइंसाफी और गुरबत की चक्की में पिसे हुए आदिवासी और हरिजन समाज और हकूमत के ठेकेदारों से कहेंगे हमारे बेगुनाह मरने वालों के मिटे अरमानों, टूटी हुई उम्मीदों, जख्मी दिलों और बिगड़े हुए नसीबों की कीमत अदा करो और एक-एक जख्म गिन लो जो कि तुमने लगाया है। यह देश एक खूनी तूफान की तरफ बढ़ रहा है।

मराठवाड़ा खिलवन में, देवली में खेली खूनी होली।

मीनाक्षीपुरम् रामानाथापुरम् की घटना इसका आसार है। आज हरिजन हिन्दू समाज और सरकार से तंग आ कर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। कल वह जम्हूरियत के ढांचे को तहस नहस करने की भी बात कर सकता है।

देवली और दिल्ली के नाम मिलते-जुलते हैं। बहुत फर्क नहीं है। देवली में जो चिंगारी भड़की है, यह चिंगारी देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश में फैल सकती है। मैं इस सदन के जरिये देश को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश में हरिजन और आदिवासियों के साथ अमानवीय और इन्सानियत से गिरा हुआ सलूक बन्द कीजिए, वरना पंजाब और असम ही नहीं, पूरा देश अशांति की लपेट में आ सकता है।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं, कोई मांग नहीं करना चाहता। पहली बात तो यह है कि जनता पार्टी के शासन में यह हिदायत जारी की गयी थी कि जहां कहीं हरिजनों और आदिवासियों पर ज्यादती होती हैं, उस जगह के कलेक्टर और एस०पी० को जिम्मेदार ठहराया जाएगा; क्या वह इंस्ट्रक्शंस वापिस ले ली गयी हैं ? अगर वे वापिस नहीं ली गयी हैं तो वे कहां हैं ? यहां की पार्लियामेंटरी कमेटी वहां जाती है, शेड्युल्ड कास्ट्स, शेड्युल्ड ट्राइब्स की कमेटी जाती है तो उस गांव में वहाँ का एस० पी० उस कमेटी के सामने नहीं आता है। मिनिस्ट्री आफ होम की तरफ से उसको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं लेकिन एस० पी० नहीं आता है। वहां वह एस० पी० क्यों नहीं आया, एक असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस जो कि हरिजन था वह आया। वह कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं ? चूंकि वह कमेटी हरिजनों की थी इसलिए वहां के एस० पी० का यह व्यवहार रहा। उज्जैन में श्री सत्यनारायण जटिया के साथ क्या व्यवहार हुआ, वह तो कोई बड़ी बात नहीं है ? उज्जैन के एस० पी० ने कहा—तुम हरिजन संसद सदस्य बनने के बाद अपनी औकात भूल गए हो।

जहां मैंने कुछ ज्ञानी जी से कहा है, वहां मैं आदरणीय मकवाना जी से और वेंकट सुब्बया जी से भी कहना चाहता हूं कि बेशक आपने सत्ता में आने के बाद कुछ अच्छे काम किये हैं लेकिन आपके माथे पर देवली और कफल्ता कांडों का भी कलंक का टीका रहेगा और आने वाली जेनरेशन आप से पूछेगी कि आपने क्या किया ? मकवाना जी अगर आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपकी कलम रोक दी गई है आप इधर आ जाइये, यहां आकर आपकी जुबान तो खुलेगी।

वहां के बारे में मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि जो एसे सेन्सेटिव एरियाज हैं, उन एरियाज में हथियारों के सबके लाइसेंस केंसिल कर दिए जाएं और जिनके पास नाजायज हथियार हैं वे उनसे निकलवा लिये जाएं। अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो फिर उन एरियाज

के हरिजनों को भी लाइसेंस दिये जाएं, वे स्वयं अपनी रक्षा करेंगे, सरकार तो नाकाम रही है उनकी रक्षा करने में ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस हरिजन परिवार का बड़ा आदमी मर जाता है, या कमाने वाला मर जाता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं । एक बड़ा आदमी जो होता है, अगर उसको अदालत सजा दे भी दे तो भी उस पर कोई असर नहीं होता । जैसा कि प्रेस में आया है कि संतोषा ने कहा है कि अगर मुझे दस लाख रुपये भी खर्च करने पड़े तो भी मुझे कोई कमी नहीं होगी ।

उसको अपने बच्चों की कुछ परवाह नहीं है, उसके पीछे हजारों बीघा जमीन है, जायदाद है । ऐसे कातिलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनको सजा के अलावा उनकी जायदाद भी जब्त कर लेनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों को भी कुछ भूख महसूस हो सके ।

यू० पी० गवर्नमेंट को डिसमिस होना चाहिए । यह कोई कम जुर्म नहीं है जो देवली में हुआ है ।

मैं आखिर में यह बात कह कर बैठना चाहता हूं कि भविष्य में इस किस्म की चीजें न हों, इसके लिए मुल्क को कुछ झटका देना पड़ेगा । इस किस्म के बयान कि एक नाई था, एक तेली था, एक मुसलमान था और प्रधानमंत्री कहें कि यह एक आर्डनरी रायवलरी थी, इससे गुजारा नहीं होगा । इसीलिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिएं, ताकि हरिजनों के मन में विश्वास पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : माननीय सभापति जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि केवल इस सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि हर हिन्दुस्तानी जिसके अंदर थोड़ी सी भी राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्र-एकता की भावना है, वह इस काण्ड से इतना दुखी है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता ।

श्री सूरजभान जी ने जो कुछ भी कहा है, उन मासूमों के प्रति, उन बेकुसूरों के प्रति, जिनका नरसंहार किया गया, उससे मैं अपने आपको पूरी तरह से संबद्ध करता हूं और केवल मैं ही नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूं कि इस सदन का हर माननीय सदस्य अपने आपको संबद्ध करेगा ।

लेकिन श्रीमान्, जहां एक ऐसी दुखद घटना है, ऐसी मार्मिक घटना है, उसमें अगर राजनीतिक पुट जोड़ने की कोशिश की जाए वहां चन्द बातों का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा ।

मैं हरिजन समाज की आज की केवल स्थिति नहीं कहता, बल्कि अगर हम पीछे की तरफ नजर डालें तो जो ज्यादतियां हुई हैं; जिस तरह से ना—बराबरी की गई है, उसके नतीजे में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी प्रगति और विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें किसी को शुबहा नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, बल्कि यह कहें कि कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय नेता थे, उनके दिमाग में शुरू से ही यह बात पूरी तरह से उजागर रही और मैं यह मानता हूं कि अगर निष्पक्ष होकर, ठंडे दिल के साथ 1947 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना की जाए तो कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है । निश्चित ही परिवर्तन आया है, लेकिन हजारों साल की ये बेड़ियां जो पड़ी हुई थीं,

जो सामाजिक और आर्थिक ना-बराबरी थी वह एक दिन में दूर नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, उसके बारे में खुशी है, जितनी नहीं हुई है, उसके बारे में चिंता है और मैं यह समझता हूं कि हम में से हर सदस्य के मन में यह बात होगी, मैं केवल अपनी पार्टी की बात ही नहीं करता, इस दिशा में और तेजी से काम किया जाना चाहिए। लेकिन आम तौर से यह होता है, यह केवल हिन्दुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी देश पर नजर डालिए, जब कभी कमजोर और गिरे हुए सब को ऊंचा उठाने की कोशिश होगी तो निहित स्वार्थ में पड़े कुछ लोगों के स्वार्थों पर इसका असर पड़ेगा।

निहित स्वार्थ वाले ऐसे मौकों पर प्रतिक्रिया भी दिखाया करते हैं। मैंने यह बात श्री सूरज भान जी की बात के परिपेक्ष्य में कही है। देवली की घटना को मैं इस० कहीं मिली हुई नहीं पाता हूं। मैंने शुरू में कहा कि उन लोगों के प्रति जिन के साथ ज्यादती हुई है, जो मासूम थे, बेगुनाह थे मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं। अगर ये मरने वाले 24 हरिजन न हो कर किसी दूसरी बिरादरी के रहे होते तो क्या अपराध की जघन्यता में कोई कमी आ जाती? तब भी यह अपराध उतना ही जघन्य होता, उतना ही खराब होता जितना आज है। इस प्रश्न को हरिजनों और ठाकुरों के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह से इस प्रश्न को जो जोड़ते हैं मैं समझता हूं कि वे न हरिजनों के साथ कोई हमदर्दी दिखा रहे हैं, न देश की एकता को मजबूत करने की तरफ ही कोई कदम उठा रहे हैं। केवल यह प्रश्न इस हद तक जाता है कि कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उन लोगों ने अपने हितों की सिद्धि के लिए चाहे वह किसी कारण भी झगड़ा हुआ हो—

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : दिल की बातें कहें। वेलची में क्या हुआ था?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने शुरू में कहा कि मरने वालों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि मरने वाले मासूम थे, बेगुनाह थे और मारने वालों की खता को माफ नहीं किया जा सकता है। न समाज की दृष्टि से और न ही कानून की दृष्टि से। उसे विरादरी का नाम देना ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि इस मामले में थोड़ा सोच समझ कर किसी बात को कहना चाहिये। केवल आवेश में आकर कोई बात कह देना अच्छा नहीं होता है। जो मैं कहना नहीं चाहता हूं वह आप मुझसे कहलवा रहे हैं—

सभापति महोदय : जो नहीं कहना चाहते न कहें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस वास्ते मुझे कहना पड़ रहा है कि राजनीतिक पुट जोड़ा जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : डीरेलमेंट नहीं होना चाहिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा कहना इतना ही है कि किसी मासूम, बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हुई है तो उसके विरादरी का प्रश्न बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिये। आम तौर से मरने वालों के बारे में यह समाज का तरीका है कि कोई बात नहीं कही जाती। लेकिन अगर मेनपुरी जिले का खास तौर से उन थाने का नम्बर 8 का रजिस्टर और उनमें अंकित नामों की सूची माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में रख दें तो मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत सी भ्रान्तियां समाप्त हो जायेंगी। आगे मैं कुछ नहीं कहता। यह सच है कि मरने वालों में ऐसे लोग

रहे जैसा कि अखबारों की रिपोर्ट में भी आया है जो मासूम थे। लेकिन यह भी अखबारों में आया है कि उस गांव के कई एक हरिजन सन्तोषा और राधे के गिरोह में वाकायदा शामिल थे। हो सकता है कि ऐसे कई लोग रहे ही जिनमें माल के बटवारे या और किसी कारण से झगड़ा हुआ हो। इसके बावजूद मरने वालों में कई ऐसे लोग रहे और महिलायें भी रहीं जिनका माल के बटवारे का कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन शुरूआत जरूर वहां से हो सकती है। लेकिन मैं उसे अपनी बात का बेसिस नहीं बनाना चाह रहा हूं। मैं केवल इस बात को कह रहा हूं कि इस मामले में इसी परिपेक्ष्य में देखें कि चन्द्र लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का काम किया। राजनीतिक आरोप लगाकर मैं यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि यकीन के साथ कह रहा हूं। शुरू में मैंने कहा कि इसे सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों की प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिये जो काम किये हैं, कांग्रेस शासन में जो कुछ किया गया है, वह सब किसी और के शासन में नहीं किया गया है। निहित स्वार्थों ने, प्रतिक्रियावादी तत्त्वों ने हरिजनों के हित के खिलाफ काम किया है। माननीय सूरज भान जी कह रहे थे मकवाना जी को कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इधर उठ कर आ जाइये, कम से कम जबान ही खुल जाएगी। मेरा ख्याल है कि शायद खुद भी वह अपने दिल से यह बात नहीं कह रहे होंगे। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि 1977 तक जितनी भी जमीनें बेजमीन हरिजनों को बांटी गई थी, या हरिजनों के उत्थान के लिये भी कार्यक्रम किये गये थे, माननीय त्रिलोक सिंह जी उत्तर प्रदेश असेम्बली में सदस्य थे और बाद में मंत्री भी थे, और मैं भी सदस्य था, वह जानते हैं यह प्रश्न कितनी बार वहां के सदन में उठा ? मैं एक बार पहले भी यहां मांग कर चुका हूं सरकार क्या यह आंकड़े रखेगी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1977 से पहले जितने हरिजनों को जमीन दी गई थी, 1977 से लेकर 1979 के आखिर तक, उसके कितने हरिजनों को कब्जे नहीं लेने दिये गये उन जमीनों पर ? और कहीं की तो छोड़िये दिल्ली में ही इतने नजदीक गांव कंझावाला में प्रतिक्रिया वादी यह हिम्मत कर सकते हैं कुछ राजनीतिज्ञों के पनाह पर कि हरिजनों को दी गई जमीन पर कब्जा भी नहीं लेने देंगे, और हरिजन कब्जा नहीं लेने पायें इसके लिये बोट क्लब पर बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करेंगे और एक विशेष राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले माननीय सदस्य किसानों के नाम पर उनके फायदे की बात भी नहीं सोचेंगे, हरिजनों को दबाने की सोचेंगे, वह किस मुंह से इस सरकार पर लांछन लगाते हैं यह देख कर मुझे हैरानी होती है। उसके बाद हरिजनों को जमीन देने से इन्कार करने वाले सदस्यों की बात भी करेंगे यह और भी आश्चर्य की बात है। मान्यवर, बुनियादी तौर यह मानसिकता का प्रश्न है, सोच का प्रश्न है। मैं यकीन से कहता हूं कि 1977 के बाद उन निहित स्वार्थों की, प्रतिक्रियावादी ताकतों को जो बढ़ते हुए हरिजनों के उत्थान से परेशान थे कि उन्हें एक नई जिन्दगी मिले, 1977 में उस मानसिकता को बढ़ावा मिला। और 1977 से 1979 तक उस मानसिकता को खूब बढ़ाया गया। उसको कंट्रोल करने में, यकीनन मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारी सरकार बहस कर रही है। थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसा में उचित नहीं समझता हैं। हमारे सूरज भान जी बहुत उर्दू शेरों का इस्तेमाल कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं:

चमन की पत्ती पत्ती मुन्तशर कर दी जिहोंने,
गजब देखो वही नज्मे चमन की बात करते हैं।

यह स्थिति पैदा ही इसलिये हुई है, ऐसे लोगों की हिम्मत इसीलिये बढ़ रही है कि 3 साल तक उनकी मानसिकता को खूब मजबूत किया है। लेकिन मैं पूछूं, देवली कांड शर्मनाक है, इस सरकार का कोई मंत्री ऐसा नहीं है, चाहे केन्द्र का हो या प्रान्त का, जो देवली गया हो और उन गरीबों की मजबूरी को देख कर न रोया हो। खुद प्रधान मंत्री वहां गयी थीं। मैं पूछता हूं कि बेलची कांड के साथ कौन सा प्रधान मंत्री वहां गया था; बाबू जगजीवन राम भी वहां नहीं गये, चौधरी चरण सिंह नहीं गये। इसके अलावा और जितते भी इस किस्म के कांड हुए कोई बड़ा नेता तत्कालीन शासक दल से संबंधित क्या वहां गया ?

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री कफाल्टा नहीं गयी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर प्रधान मंत्री देवली न जातीं तो आप खुद कहते कि प्रधान मंत्री वहां गयी भी नहीं। जहां तक आपने कफालटा की बात कही, तो मेरी आपसे निवेदन है कि यहाँ इस समय चर्चा देवली पर हो रही है, कफालटा पर नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज यह देवली कांड हुआ है.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, उनकी बातों का जवाब न दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मुझे केवल इतना कहना है कि यह बदकिस्मत वाक्या...शर्मनाक वाका हुआ, इस पर जितना दुःख का प्रदर्शन किया जाये, वह कम है लेकिन केवल हर मामले से राजनीतिक चीजों को जोड़ देना, उत्तर प्रदेश की सरकार को डिस्मिस किया जाना चाहिये, कहा गया है मारते वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये गये, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं समझता हूं कि ना यह हरिजनों के साथ हमदर्दी है ना समस्या के समाधान की कोशिश है, बल्कि समस्या को जटिल बनाने में इससे मदद मिल सकती है, समाधान में मदद नहीं मिल सकती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आदर्श का और अपने कर्तव्य को पहचानने का परिचय है— वह देवली गये, वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता, यह जिम्मेदारी मेरी है। खुद उस वक्त उन्होंने कहा कि इस वक्त एक तरीका तो यह है कि मैं सरकार से हट जाऊं और दूसरा तरीका यह है कि आप को कुछ समय दूं और दस्यू समस्या का या यह जो समस्या है जहां बेगुनाह लोगों को मारा गया है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूं और उसके लिये उन्होंने अपने आप को एक महीने का समय दिया, यह एक आदर्श की बात है। अगर उस बीच में वह स्थिति पर काबू न पा सके तो उन्होंने खुद कहा कि मैं शासन से अलग हो जाऊंगा।

एक महीने के अन्दर, मैं अकेले सन्तोषा को पकड़ने की बात कहीं कर रहा हूं, केवल सन्तोषा को ही नहीं, 4 आदमियों को देवली कांड से संबंधित पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नाम मेरे पास हैं, मैं बताता हूं।

श्री राम विलास पासवान : पूरे देश में जो मर रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके नाम प्रथम सूचना में दिये गये हैं। ऐसे 4 आदमी मारे जा चुके हैं, आप नाम जानना चाहता हैं, उनके नाम हैं—मुन्ना.....

श्री राम विलास पासवान : अखबार में पढ लिये हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पढ़ लिया है। बड़ी मुसीबत यह है कि अखबार में जो चीज आपके मतलब की छप जाये, वह सब सच, अगर हम उसी बात को कहेंगे तो वह आप कहेंगे कि अखबार में पढ़ लिया है। अखबार में तो बहुत सी बातें रोज पढ़ लेते हैं; फिर आप रोजाना 12 बजे हंगाम क्यों करते हैं ?

केवल अखबार में ही नहीं, सूरज भान जी ने संतोषा द्वारा कही गई, अखबार में छपी हुई बातों पर भरोसा कर के जिस तरह से एक एक आदमी पर आरोप लगाये हैं, लगता है जैसे संतोषा नहीं, साक्षात्.....मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता कि कौन बोल रहा है।

क्या सन्तोषा इतना ही विश्वास लायक है कि उसके दिये गये हर वक्तव्य को इस सदन में सुनाया जाये ? क्या उसकी हर बात इस लायक है, तो उसकी दूसरी बातों पर भी यकीन कर लीजिये, जो कि मैं नहीं करूंगा। ना मैं उसकी उस बात पर यकीन करूंगा जहां उसने अपने मारने को सही ठहराने के लिये कारण बताया है, ना उसके उस आरोप पर यकीन करूंगा जहां वह कुछ लोगों पर झूठे आरोप लगाता है या झूठे आरोप उसके द्वारा लगवाये जाते हैं। मैं दोनों में से किसी बात पर भी यकीन करने के लिये तैयार नहीं हूं।

यह भी कहना बड़ा आसान है कि यू० पी० के किसी राजनेता का बेटा संतोषा के साथ है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। उत्तरप्रदेश की बात करूं, जरा याद कीजिये 1978 "रविवार" ने छापा—मंत्री मवेशी चोर, उत्तरप्रदेश के कृषि मंत्री अपने कालेज के प्रिंसिपल के हत्यारे। आज आप समझते हैं कि अगर यह आरोप—प्रत्यारोप का सिलसिला चले तो असली समस्या की तरफ से हम हट जायेंगे।

मैं समझता हूं कि दोनों बातें गलत हैं। न किसी पर आरोप लगाइए और न कोई दूसरा जवाबी आरोप लगाए। (**व्यवधान**) अगर मैं दोनों को सही मान लूंगा, तो फिर जैसा कि मैंने पहले कहा है, उन बेगुनाहों के साथ इन्साफ नहीं हो सकता, जिनके साथ देवली में ज्यादती हुई है। सन्तोषा की बात आप मान सकते हैं, मगर कांग्रेस दल का कोई सदस्य नहीं मान सकता। वह आपके लिए विश्वास करने लायक हो सकता है, हमारे लिये वह बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं हो सकता। जिस आदमी के हाथ गरीबों के खून से रंगे हुए हैं, हम उसकी बात नहीं मानने वाले हैं।

यह एक जातिगत संघर्ष तो नहीं था, लेकिन एक विशेष बिरादरी के लोग इसमें मारे गए हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। उस ज्यादती को हम कैसे अपने शब्दों में कह सकते हैं ? मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का वह फोटो, जिसमें वह देवली के एक गरीब हरिजन परिवार के सदस्यों के साथ बात कर रही हैं, और अखबारों में छपा वह वर्णन कि किस तरह श्रीमती गांधी रो दीं, लोगों का दिल हिलाने के लिए काफी है। उसको जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। (**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : वे अखबारी आंसू थे ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप तो अखबारी आंसू भी नहीं दिखा सकते ।

मैं समझता हूं कि वह काफी है और उसने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासनिक मशीनरी को इतना प्रेरित किया कि आज उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासनिक मशीनरी दस्यु समस्या को पहल करने और हरिजनों पर अत्याचार की प्रवृत्तियों और निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष की भूमिका बहुत जोरों से निभा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकेगी—वह दस्यु समस्या को भी निपटा सकेगी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी सक्षम कार्रवाई कर सकेगी, जिनके मन और मस्तिष्क में यह अपराधी विचार आता है कि वे हरिजनों का उत्पीड़न कर सकें ।

सरकार से मेरा आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि इस मामले में और भी ज्यादा चुस्ती आनी चाहिए, सरकारी मशीनरी और राज्य सरकारों को और ज्यादा सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए कि भले ही विरादरी के नाम पर यह घटना न हुई हो, तो भी अव्वल तो अपराध रोके जाने चाहिए, लेकिन जहां कहीं अपराध गरीब, कमजोर और हरिजन वर्ग पर होते हैं, वहां सख्त से सख्त कार्यवाही यथाशीघ्र होनी चाहिए और जो कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में सुस्ती करता हुआ पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ।

इसके अलावा आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिये, कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिये, जो राजनीति से ऊपर हो । मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन गांव में एक मिसाल है कि अपने बिल में तो कीड़ा-मकोड़ा भी सीधा जाता है । (**व्यवधान**) मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कहीं उसे अनपार्लियामेंटरी न कह दिया जाए । किसी का दर्द तो ऐसा होना चाहिए, जो सही तौर पर महसूस किया जाए । सिर्फ राजनैतिक प्रहार करने के लिए हरिजनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे मजदूरों की लाशों को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके मन्त्रिमण्डल में बैठ जाने वाले लोग हरिजनों की लाशों को मन्त्रिमण्डल में बैठने के लिए इस्तेमाल करें ।

हरिजनों, गरीबों, कमजोर और पिछड़े हुए लोगों के दर्द को समझ कर ठीक तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए । इस प्रकार की बातें करने से जाति-संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा । क्या इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें इस समस्या का समाधान हैं ? जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर बैठें···(**व्यवधान**)।

श्री राम विलास पासवान : अगर हरिजनों की हत्या होगी तो इससे ज्यादा उत्तेजनात्मक बातें होंगी । संघर्ष का परिणाम चाहे जो निकले लेकिन हरिजनों की हत्या होगी तो इससे भी ज्यादा उत्तेजनात्मक बातें होंगी और इस देश में यदि गुजारा नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं है कि जब दूसरे देश की मांग होगी ।···(**व्यवधान**)···आप कहते हैं उत्तेजनात्मक बात ?

सभापति महोदय : शांत रहिए ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, ऐसे लोगों को बुलवाइए जिनके दिल में हरिजनों के प्रति दर्द हो ।···(**व्यवधान**)···आप क्या समझते हैं, 24 आदमी मारे गये हैं और उसके बाद यहां पर मोलम्मा चढ़ाया जा रहा है,।

सभापति महोदय : ठीक है, बैठिए आप ।

श्री राम विलास पासवान : हरिजनों पर जुल्म होगा तो दूसरे देश की मांग होगी ।

सभापति महोदय : प्लीज, रामविलास जी, आप बैठिये । आपने अपनी बात कह दी ।

श्री राम विलास पासवान : यहीं तक मामला नहीं रहेगा । और यह सिर्फ मेरे ही पास नहीं है, आपके ही जो लोग देवली में गए हैं वह बोलेंगे तो आपके मुंह पर तमांचा लगेगा ।

सभापति महोदय : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी । अब आरिफ जी, आप अपनी बात खत्म करें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अब मुझे दो मिनट तो जरूर दीजिएगा ।

सभापति महोदय : नहीं, कोई यहां सवाल जवाब की बात नहीं है । आप बोल लिये, मैं आपको 26 मिनट दे चुका हूं । आपकी पार्टी के और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, सिर्फ दो मिनट ।

सभापति महोदय : अच्छा ठीक है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ऐसे आदमी को बुलाइए जिसके दिल में हरिजनों के प्रति दर्द हो । मैं आपसे केवल एक बात कहता हूं, किस मां के पेट से पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई यह समझे कि हरिजनों का किसी ने ठेका लिया हुआ है तो यह गलत है । आपसे कम दर्द किसी के दिल में नहीं है । अगर आपके दिल में दर्द है तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं··· (व्यवधान)···

सभापति महोदय : राम विलास जी, आपने एक बात उनको कही, उनको अपनी बात कहने दीजिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा निश्चित मत है कि अगर हरिजनों के लिए किसी के दिल में दर्द है तो वह चौधरी चरण सिंह को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकता है जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश··· (व्यवधान)···

सभापति महोदय : अब आप फिनिश कीजिये ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब मेरे ऊपर आरोप लगाया तो···

सभापति महोदय : आपने जवाब दे दिया । बस ठीक है ।

श्री संतोष मोहन देव : वह हमारा समय ले रहे हैं ।

सभापति महोदय : ऐसी बात मत कहिये ।

श्री संतोष मोहन देव : वह हमारे दल का समय ले रहे हैं (व्यवधान) आपकी निष्पक्ष होना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं समय-सीमा के बाहर किसी भी सदस्य को बोलने नहीं दूंगा । यहां कई सदस्य हैं । उन्होंने दो मिनट का समय मांगा था, मैंने उन्हें दो मिनट दिये हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति जी, आपका आदेश मेरे लिये मान्य है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इस विश्वास के साथ कि सरकार हरिजनों की सुरक्षा और अपराधों को रोकने के लिये सख्त कार्यवाही करेगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी जिन लोगों ने कहीं भी हरिजनों के प्रति उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने में कहीं कोई कमी छोड़ी है। उनके खिलाफ यह सरकार सख्त कार्यवाही करेगी, राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि हरिजनों के उत्थान, उनके विकास और उनकी प्रगति के लिए समुचित कदम उठाए जायं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : झारखंडे राय जी ने एक अनुरोध किया है कि उनका लड़का दुर्घटना-ग्रस्त है और अस्पताल में है। वह अभी बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको टाइम दे रहा हूं।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : सभापति महोदय, जहां तक घटनाओं के विस्तार का, उनके वर्णन का प्रश्न है पिछली बार भी और इस बार भी वह आ चुका है। प्रथम वक्ता महोदय ने जितने विस्तार से अपनी जानकारी पेश की है उससे अधिक कुछ पेश करना भी संभव नहीं है। इस तरह की घटनाएं आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर हुई हैं। इसमें यह कहना कि कांग्रेस राज में नहीं हुईं या जनता राज में नहीं हुईं या लोक दल के 6 माह के शासन में नही हुई आज दो वर्ष के कांग्रेस शासन में नहीं हुई हैं, ऐसी बात नहीं हुई है। घटनाएं कमोवेश आजादी के बाद बराबर हो रही हैं। कभी बढ़ जाती हैं कभी थोड़ी कम हो जाती हैं।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर है। इसके बाद मुझे टाइम देना है। मैं पासवान को कहूंगा कि सबको बोलने दें, उससे पता लग जायगा कि कौन हरिजनों के हक में है कौन उनके बरखिलाफ हैं।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सुन्दर सिंह : इस तरफ भी पता लगेगा कि कौन हरिजनों के हक में है और उस तरफ भी पता लगेगा कि कौन हक में है।

सभापति महोदय : आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा।

झारखंडे राय : मान्यवर, मैं बता रहा था कि ऐसी घटनायें बराबर हो रही हैं, जिनके मूल कारणों पर, घटना विशेष पर विचार होना चाहिए, यदि संभव हो तो प्रशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। उसके बारे में किसी प्रकार की कोताही सरकार को नहीं करनी चाहिए—न भारत सरकार को और संबंधित सूबे की सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी घटनायें आजादी के बाद बढ़ रही हैं या नहीं ? मेरा अनुमान है कि आजादी से बाद ऐसी घटनायें बढ़ रही हैं। क्यों ? मान्यवर, मैं क्यों पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। कारण यह है कि हरिजन पहले बर्दाश्त करता था, चुपचाप सह लेता था, रोता भी नहीं था अगर रोता भी था तो घर में बैठकर चुपचाप रोता था। आज स्थिति बदल गई है, आजादी के बाद जो आजादी की भावना फैली, तरह-तरह के जन संगठन उनके बीच में काम करने लगे हैं। उनके प्रोत्साहन की भावना आई है, उत्साह की भावना आई है, हिम्मत आई है और साहस आया है, प्रतिरोध करने की भावना उनके अन्दर आई है, जो कि स्वागत योग्य है। जब ऐसी घटनायें होती हैं, तो उनका प्रचार

भी होता है और प्रसार भी होता है। विधान सभाओं में उनका वर्णन किया जाता है और उसकी धमक लोकसभा तक पहुंचती है और पहुंचेगी। यह बदलता हुआ जमाना, प्रगतिशील क्रांतिकारी जमाने की पहचान है, इसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।

हरिजन प्राचीन काल से कहा जाता है कि चले आ रहे हैं, हरिजन या उसी तरह की कोई जाति। दास-दास का वर्णन हमारे पुराणों में है, वेदों तक में हैं और दुनिया के हर हिस्से में समय-समय पर दास की प्रथा रही है। हरिजन उसी दास की प्रथा के अवशेष हैं। आज समाज में कोई है, तो वे वही हैं। शुरू से, प्राचीन काल से इस हिस्से को दबाया गया है और दबाया जा रहा था। सामंती युग में भी दबाया गया और आज के युग में भी दबाया जा रहा है। उनके अन्दर विद्रोह की भावना पैदा करना, रजिसटेंस की भावना पैदा करना, टकराव की भावना पैदा करना, क्रान्तिकारी चेतना पैदा करने की आज जरूरत है, लेकिन सिर्फ आंसू बहाने की जरूरत नहीं है।

देश के समाज सुधारकों ने, यदि भगवान बुद्ध से लिया जाए, तो किसने हरिजनोद्धार, हरिजन-सेवा, हरिजन उदारता की बात नहीं कही है। कौन सा हमारे देश का मनिषी है, समाज सुधारक है, राजाराम मोहन राय से लेकर विद्या सागर और महात्मा गांधी तक, जिसने इस बात की चर्चा नहीं की है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अपेक्षित बात तो नहीं हुई। क्यों ? क्योंकि समाज को बदलने की बात नहीं की गई, केवल समाज को यथास्थिति कायम रखकर उसमें थोड़ा सुधार, थोड़ी उदारता, थोड़ी दया और दयालुता के भाव से ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। इसीलिए थोड़े समय तक थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता रहा, लेकिन आज भी वह चल रहा है।

आइसोलेशन की राजनीति भी हरिजनों के लिये खतरनाक होगी। हरिजनों के माने हुए नेता श्री जगजीवन राम जी यहां बैठे हुए हैं। मैं जो हरिजन बिरादरी में पैदा हुए हैं, उनकी बात करता हूं। यदि यह भावना हरिजनों में, उनके नेताओं में, घर कर गई कि हरिजनों को आइसोलेटेड तरीके से रखकर ही उनका उद्धार किया जा सकता है, तो उससे भी नुक्सान हो जाएगा। क्योंकि हरिजनों के ही समान अन्य जातियों में भी लोग गरीब हैं और सभी गरीब हैं, तो उन गरीबों का एक मोर्चा हो, एक संगठन बने, एक वर्ग संघर्ष हो, तो उद्धार की बात हो सकती है। यदि यह भावना हरिजनों में पैदा होती है, तो उसको रोका जाना चाहिए, वरना अगर स्वर्ण जातियों के साथ-साथ गरीब भी इकट्ठे हो गए, तो कहर हो जायेगा, प्रलय हो जाएगी, एक सिविल वार हो जाएगी। और जातिवाद युद्ध हो गया, कास्ट वार हो ग ई, तो सारा सत्यानाश हो जाएगा और सारा देश खंडित हो जाएगा। इसलिए में विनम्र शब्दों में एक चेतावनी अपने सारे साथियों को देना चाहता हूं कि इस को रोका न गया, तो हमारे देश के सामने बहुत मुसीबत आ जाएगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरी निश्चित राय है कि इस समस्या का समाधान यह भी है कि पुलिस और तमाम आर्म्ड फोर्सेज में हरिजनों को उन की जनसंख्या के आधार पर सेवाओं का मौका देना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज में जब वे काफी संख्या में चले जाऐंगें तो देश में इस चीज को रोकने का काम वह कर सकेंगें और एक रुकावट इस में आएगी।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि भूमि सुधारों का काम होना चाहिए। यह काम आजादी के बाद से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इस से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता और शासक पार्टी के लोग भी यह नहीं कह सकते कि भूमि-सुधारों का काम सम्पन्न हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। भूमि-सुधारों में जमीन बांटना एक महत्वपूर्ण काम है और सही तरीके से इस पर सीलिंग हो। अगर जमीन बांटी जाती, तो सब से पहले हरिजनों को मिलती। अगर कहीं पर उन को जमीन मिली भी है, तो उस पर उन का दखल नहीं है और अगर कहीं दखल भी हो गया है तो बेदखली की तमाम घटनाएं हो रही हैं। यहां दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई हैं और देश के कोने-कोने में हुई हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों को जमीनें दी जाएं और उन को इस लायक बनाया जाए कि वे दो रोटी से महरूम न रहें। यह इस समस्या का सब से बड़ा समाधान है।

मजदूरी कानून तो बहुत बने हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता छोटे-छोटे फार्म या बड़े-बड़े खेत वाले हरिजनों, खेत मजदूर और दूसरे पिछड़े हुए लोगों को इस तरह से शोषण करते हैं, जिसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता। दो-दो और चार-चार अपने पर उन से काम कराते हैं। यह सामाजिक उत्पीड़न केवल कानून के बल पर नहीं जाएगी, यह मैं मानता हूं और हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी भी इस बात को कहेंगे कि सामाजिक उत्पीड़न केवल कानून के बल पर नहीं जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस को दूर करने के लिए सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक क्रान्ति की जरूरत है और उस के लिए क्रान्ति का मंत्र हरिजनों में, गरीब लोगों में, खेत-मजदूरों में और गरीब किसानों में फूंकना होगा और जब वर्ग संघर्ष की ज्वाला भड़केगी, तो जाति-संघर्ष भी पीछे हटेगा। अगर दमन किया जाएगा और कोई हमला सामंती और पूंजीवादी द्वारा होगा, तो बिना सहायता के वे प्रतिरोध करेंगे और उस प्रतिरोध में मुट्ठी भर लोगों को पीछे हटा देंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो वर्तमान वर्ण-व्यवस्था है और वर्तमान वर्ग समाज है, यही सारा जिम्मेदार है हरिजनों की आज की दुर्गति का। मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है और मैं अधिक समय न लेते हुए एक दो बातें कह कर अपनी बात खत्म करूंगा।

सुझाव के रूप में मेरी राय है कि हमारे जो यहां पर माननीय सदस्य और जो खास कर हरिजन बिरादरी के हैं चाहे इधर के लोग हों और चाहे उधर के हों, उन को अगर मेरा सुझाव मान्य हो, तो मानें और वह यह है कि हरिजनों और सभी गरीबों को सामूहिक, मिला-जुला एक संगठन बनाना चाहिए और उन्हें अपने को हथियारबन्द करना चाहिए। जो हथियार कानून कायदे से मिले हुए हों और जिन में लाइसेंस की जरूरत न हो, उन हथियारों से उन्हें अपने को सुसज्जित करना चाहिये और उन का एक ऐसा जत्था बने जो सामंती और गुन्डई हमले का जम कर मुकाबला करे और अगर उन के 24 आदमी गिरते हैं, तो दूसरों के 48-50 आदमी गिरा दे। जब ऐसा होगा, तो ये चीजें अपने आप बन्द हो जाएंगी। अपनी रक्षा करने का काम उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा, केवल सरकार के भरोसे पर काम नहीं चल सकता। मैं नाम नहीं लूंगा वरना मंत्री जी कहीं कुछ न कह दें, मुझे एक जिले के एक कलक्टर ने-जिस के यहां हम डेपूटेशन ले कर प्रदर्शन के बाद मिलने गये थे, यह कहा कि आप ही यह बताइए कि क्या मेरे लिए यह मुमकिन है कि एक कलक्टर की थोड़ी सी पुलिस हर हरिजन गांव में, गरीबों के गांव में हर हरिजन के पीछे

बन्दूक ले कर घूमें और उस की रक्षा करे। उस ने हम को वहां से हटाने के लिए यह बात कह दी हो, यह हो सकता है लेकिन बहुत हद तक यह बात सही है कि जब तक स्वतन्त्र तरीके से एक भाव अपने अन्दर पैदा नहीं किया जाएगा और संगठन बना कर ऐसी चीजों का प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, तब तक हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि निन्दा तो इस घटना की सारे देश ने की है, सारी पार्टियों ने इस सदन ने और उस सदन ने की है और सभी ने इसका विरोध किया है और इस पर थूका है लेकिन अंत में यही कहूंगा माननीय ज्ञानी जैल सिंह से कि जो कुछ भी प्रशासनिक तरीका है, उसको जरूर अपनावें और अगर कहीं ऐसी घटना होती है और उसमें पुलिस के वहां पहुंचने में ढील होती है या इंक्वायरी कराने में, जांच कराने में और कार्यवाही करने में कोई ढील होती है, तो जो अधिकारी सम्बन्धित हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर इसके लिए सत्ता में या कानून में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो तो वह भी करना चाहिए तब जाकर हरिजनों में विश्वास पैदा होगा और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारी रक्षा के लिए खड़ी है, जमकर खड़ी है। जब उनमें विश्वास जमता जाएगा तो धीरे-धीरे इस प्रकार की घटनाएं खत्म होती जाएंगी और ये ज्यादतियां भी समाप्त हो जाएंगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति महोदय, देवली की घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। यह एक ऐसी शर्मनाक घटना है कि हम सब का तथा इस देश के हर नागरिक का सिर शर्म से झुक जाता है।

जैसा कि हमारे अभी पूर्ववक्ताओं ने इस घटना के बारे में विस्तार से विवरण दिये हैं और अपने-अपने ढंग से इस घटना को बताने का प्रयास किया है; यह बात सही है कि इस घटना में 24 हरिजन मारे गये। परन्तु आज जो बुनियादी प्रश्न इस देश के सामने है उसके बारे में हम सब को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इसके लिए अब वक्त आ गया है। यह सवाल हमारी गवर्नमेंट का या किसी और की गवर्नमेंट का नहीं है। सवाल इस देश में अमीरी और गरीबी, सबल और निर्बल और बलवान और कमजोर के बीच जो लड़ाई है उस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, यह महत्वपूर्ण समस्या है।

अभी हमारे भाई सूरज भान साहब ने प्राइम मिनिस्टर के किसी स्टेटमेंट के बारे में कहा। पता नहीं वह किस अखबार में आया था, मैं नहीं कह सकता। परन्तु इस घटना के बाद ही हमारे बहुत से संसद् सदस्य उनसे मिलने गए थे। हमने उनसे केवल पांच मिनट मिलने का समय मांगा था लेकिन हमारी करीब आधे घंटे तक प्रधान मंत्री जी से चर्चा हुई। यह बात कहने में मुझे आज भी कोई सन्देह नहीं है कि आज भी इस देश का जो कमजोर वर्ग है, उसकी प्रधान मंत्री जी और उनके नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था है।

झारखण्डे राय जी ने जैसा कहा, बुनियादी समस्या है कि जो हमारे देश में वर्णव्यवस्था है इसको कौन खत्म करेगा। हमारे देश में जो सामाजिक बुराई और दोष है, इसको अगर आप कहें कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ही इसको दूर करे, यह तो मैं नहीं मान सकता। जब तक इस देश का समाज मिल कर आगे नहीं आयेगा, चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे

सभी वर्गों के लोग हों जब तक वे आगे नहीं आयेंगे तब तक यह संभव नहीं है। यह ठीक है कि आज देवली में यह हुआ, लेकिन पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और आने वाले समय में भी ये हो सकती हैं। हम सब यह सोच कर बैठें कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही उसे दूर करेगी तो में समझता हूं कि यह संभव नहीं है। सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार साधन हो सकती है लेकिन वह साध्य नहीं हो सकती है। उसके लिए तो इस देश के समाज को ही आगे आना होगा। नहीं तो कभी भी इसका अन्जाम बुरा हो सकता है।

हमारे सूरजभान जी ने मीनाक्षीपुरम् और रामानाथापुरम् का नाम लिया यह भी उस अन्जाम का एक इशारा है। हमारी सरकार को इस देश से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के बारे में गंभीरता से सोच कर रास्ता निकालना चाहिए। सारे राजनीतिक दल इसको सोचें कि किस ढंग से स्थिति से निपटना चाहिए।

देवली की घटना बहुत दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। तीन-तीन घंटे तक वारदात होती रही, यह समझ के परे है। पुलिस की सहायता 16-17 घंटे बाद पहुंची, यह भी समझ में नहीं आता। इसलिए इस संबंध में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। खास करके पुलिस की स्थिति को देखें। एक अखबार वाले ने जब एक कांस्टेबल से पूछा तो उसका जवाब था कि "यहां तो हर गांव देवली है।" आज थाने की स्थिति देखिए और नहीं तो गृह मंत्री जी से निवेदन है कि दिल्ली के थानों की स्थिति को हम देख लें। आज सिपाही, हवलदार और थानेदार की क्या हालत है। उनके वेतन-मान और सुविधाएं क्या हैं, इन बातों पर गौर करने का वक्त भी आ गया है। जो समाज के रक्षक हैं, उनकी आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों के बारे में भी सोचना होगा। इसके बगैर समाज की रक्षा नहीं हो सकती। आज सबसे कम वेतन पाने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं। देवली में सिपाही ने कहा कि थानेदार ही सस्पेंड क्यों हुआ। कोई भी बात होती है तो सबसे ज्यादा हम लोगों को ही भुगतना होता है। इस बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। उनकी भावनाओं को भी समझना होगा। मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनको दी जाने वाली सुविधाएं और वेतनमान आदि के संबंध में विचार कियां जाए।

खासकर जो बुनियादी समस्याएं हैं, जितने भी अत्याचार हुए हैं, उनको अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आर्थिक पक्ष जरूर सामने आता है। देवली में सवर्ण वर्ग इसलिये हरिजनों से नाराज हुआ क्योंकि हरिजनों को जमीन दी गई।

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लैण्ड रिफार्म हैं, उनके बारे में भी फिर से सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी आरिफ भाई ने कहा कि जमीन दे दी गई पर कब्जा नहीं मिला। इसके लिए सरकार को यह करना चाहिए कि पहले कब्जा स्वयं ले और फिर दो-तीन साल बाद वह जमीन हरिजनों को दी जाए। इसलिये लैण्ड रिफार्म के बारे में भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। केवल पेपर ट्रांजिक्शन से काम नहीं चल सकता, समस्याएं बनी रहेंगी। मूल समस्या गरीबी हमारे बीच बनी रहेगी।

[श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए]

दूसरी बात माननीय गृह मंत्री महोदय ने हथियार देने के बारे में कहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 है, उसके संबंध में फिर से विचार करने की आवश्यकता

है। जो हरिजन क्षेत्र हैं या जो अत्याचार पीड़ित क्षत्र हैं उनका सर्वे करा कर हथियार देने के बारे में कंट्रोल करें और हरिजनों को हथियार देने के बारे में उदारता की नीति अपनाएं। इंडियन आर्म्ज एक्ट में अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वह भी किया जाना चाहिये।

मैं श्री आरिफ मोहम्मद से सहमत हूं कि किसी न किसी के ऊपर इस लापरवाही का उत्तर-दायित्व डाला जाना चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे इस समस्या को कंट्रोल करने में, इसको जीवित करने में आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। जिले के कलक्टर, या एम०पी० या किसी दूसरे पुलिस के अफसर के ऊपर आपको जिम्मेदारी डालनी होगी। ऐसा आपने किया तो आगे के लिये दूसरे लोग बिजिलेंट रहेंगे, सतर्क रहेंगे इन क्षेत्रों की ओर देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

हमारे विरोधी दल के साथियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक नाटक किया है। मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे कि कम से कम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती है कि वह नाटक करते हैं। उन्होंने सरकार से बाहर जाने की जो बात कही है वह नाटक नहीं है। बहुत सोच समझ कर उन्होंने यह बात कही है और उसका नतीजा भी निकला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। राज्य सरकार और खासकर प्रधान मंत्री जी के दौरे के बाद तो कम से कम तत्काल रिलीफ देने की बात की गई है। हर पीड़ित सरकार को वह दिया गया है। इसके लिये हम सभी को प्रधान मंत्री और राज्य सरकार का आभार-मानना चाहिये कि उन्होंने तत्काल रिलीफ का पैसा दिया है।

उत्तर प्रदेश की समस्यायें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सूरज भान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ठाकुर हैं और इस वजह से ठाकुरों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे में भी लगाये गए थे। मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में से केवल दो में डी० एम० ठाकुर हैं और नौ डी० एम० हरिजन और आदिवासी हैं। बारह कमिशनरों में से एक भी ठाकुर नहीं है और पांच शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के हैं। 57 एम० पीज में से पांच ठाकुर हैं और नौ हरिजन और आदिवासी हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत बुरी यह घटना हुई है। मैं समझता हूं कि इन लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। यह आत्मविश्वास उनमें पैदा नहीं हुआ है। इस घटना के बाद वहां आप कुछ अफसर लाए हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्ज के हैं। लेकिन जब घटना घट जाती है उसके बाद लाने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो पीड़ित क्षेत्र हैं उनका आप सर्वे करवाएं और ऐसे चुने हुए शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के तथा दूसरे भी अफसर आप भेजें जो वहां इन लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर सके और इनकी रक्षा कर सकें। यह आरोप लगाना कि एक विशेष वर्ग का चीफ मिनिस्टर होने की वजह से अत्याचार बढ़ रहे हैं सही नहीं है।

श्री सूरज भान : आरोप नहीं लगाया है। डाकुओं ने नारा लगाया था। यह मैंने कहा था।

श्री अरविन्द नेताम : हो सकता है, मैं इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन जिनका यह कहना है कि इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, यह गलत है। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देंगे।

अन्त में मैं गृह मंत्री जी से कुछ कहना चाहूंगा । अभी तक जितनी भी वारदातें हुई है उसकी फिगर्स मेरे पास हैं, 1976 में 6197. 1977 में 10,879; 1978 में 15,053; 1979 में 16,014, और 1980 में 16,0091 यह अपराध हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ हुए हैं । इनमें कोई कभी नहीं हुई है । हालांकि पिछले दो, तीन साल में बढ़ोत्तरी भी नहीं हुई है, परन्तु साथ ही कभी भी नहीं हुई है । जितने भी अपराध अदालत में जाते हैं मैं जानना चाहूंगा क्या आज तक कितने अफसरों को पनिशमेंट मिला है, खास कर आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अफसरों को इतने जो अपराध हुए हैं, कितने ट्रायल हुए हैं और कितनो को सजा मिली है, और कितने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सजा मिली है ?

जो शर्मनाक घटना हुई पूरा सदन इसके प्रति शरमिन्दा है । और ऐसी घटना न हो और देश में पिछड़े समाज में आत्मविश्वास हो उसके लिये आप कौन से कदम उठाने जा रहे हैं । कम्पोनेंट प्लान इस देश में बहुत देर से आया । उसके अलावा आज भी कम्पोनेंट प्लान को जो राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट कर रही हैं मुझे कम से कम उस बारे में संतोष नहीं है, आपको भले ही हो सकता है । उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाय इस बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों से पिछड़े समाज का धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है और सब लोग केन्द्र की और ही देख रहे हैं । यह जो आत्म विश्वास कम हो रहा है इसके लिये आप कोई रास्ता निकालें ताकि राज्य सरकार के प्रति पिछड़े समाज का विश्वास बढ़े और विश्वास पैदा हो । इस बात के लिये कोईठोस कदम उठायें ।

श्री रणवीर सिंह (केशरगंज) : माननीय सभापति जी, आज यह सदन एक बड़े ही जघन्य अपराध के विषय में चर्चा करने बैठा है । ऐसा अपराध जिससे राष्ट्र का सिर शर्म से झुक गया है उसकी जितनी भी कठोर शब्दों में निन्दा की जाय थोड़ा होगा । कुछ दिन पहले बेलची, नरायनपुर, कफालटा और आज यह इतने निन्दनीय अपराधों के वातावरण में हम अपने को पाते हैं । वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि न मालूम इन अपराधों का अन्त कब होगा । माननीय दंडवते जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि जब हम लोगों को इस बात की चर्चा करनी पड़ती है तो उस समय राजनीति को कहीं दूर रखना चाहिये । बड़ा अच्छा उपदेश है । लेकिन जब इसकी चर्चा उठती है तो राजनीति से ही शुरू की जाती है और उसी में इसका अन्त हो जाता है । अभी हमारा सदन जो इतने दिन चला उसका शून्य प्रहर इस बात का साक्षी है कि एक ग्रुप विशेष या जाति विशेष ने अपना अधिकार समझ रखा है कि हमारे ही शोर से सारे जघन्य अपराध बन्द हो जायेंगे । मैं उनसे कुछ विनम्र प्रश्न करना चाहता हूं ।.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): जाति विशेष से क्या मतलब है?...(**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जाति से मतलब जन्म जाति नहीं है ।

श्री रणवीर सिंह : मेरा मतलब ग्रुप विशेष से है ।...(**व्यवधान**)

मैंने कह दिया ग्रुप विशेष । (**व्यवधान**)

श्री रणवीर सिंह : सभापति महोदय, आज फिर देख रहे हैं कि कितनी शांति है इस सदन में, कितनी चिन्ता लोगों को इस विषय पर चर्चा के लिये है और कितनी उतावली है ? जो मूल

समस्या है, वह पीछे रह जायेगी । हमारे दोनों के आपस के जो आदान-प्रदान विचारों के हैं, उसमें समस्या खो जायेगी । (व्यवधान)

सही का ठेका आपने ही ले रखा है, हमने नहीं ले रखा है ।

सभापति जी, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं । आपने जब बात शुरु की तो 3,4 प्रश्न आपने किये, उनका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा । आपने पहली बात यह कही कि आप हरिजनों के प्रति क्या कर रहे हैं ?

क्या बेलची के समय आपने अपने प्रधान मंत्री को या अपने उस हरिजन नेता मसीहा को बेलची जाने के लिये प्रेरित किया था ? क्या आपने उस प्रदेश के मुख्य मंत्री से त्याग-पत्र की मांग की थी ? क्या आपने उस गृह-मंत्री से जो उस समय था, उससे यह कहा था कि हरिजनों पर अत्याचार हुआ है ? आप यह कुछ नहीं कह सके थे । उस समय के गृह-मंत्री ने आपकी सारी मांग को दो टूक जवाब देकर वर्खास्त कर दिया था और कहा था—

यह डाकुओं के दो गिरोहों का झगड़ा है ।

उन्होंने आपकी सारी मांग को खत्म कर दिया था । आज एक बात मैं और पूछना चाहता हूं । आपने तमाम साधारण नियमों को बालाए-ताक रख दिया था, जब हमारी अध्यक्ष श्रीमती इ दिरा गांधी वहां जाना चाहती थीं, तो आपने वह सुविधा भी उन्हें प्रदान नहीं की थी जो कि एक मामूली नागरिक को दी जाती है, जो कि वहां हरिजनों की कराह को सुनतीं, उनके आंसुओं को पोंछतीं । लेकिन आपने वह भी नहीं किया । उसके बाद भी हमारी नेता का वह साहस था कि वह वहां पर गई ।

आपकी हरिजनों की नीति के विषय में परिवर्तन होता रहता है, जब वि हमारी नीति इस बात का प्रमाण है कि हमारी नीति में निरन्तरता है, हम चाहे शासन में रहें और चाहे शासन के बाहर । हमारा पक्ष हमेशा गरीवों का पक्ष है, निर्बलों का पक्ष है । आपने कब इसका उदाहरण दिया है ?

मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूं, मैं दंडवते जी की बात अक्षरश: मानता हूं, मैं केवल इसलिये नहीं कह रहा हूं कि आप यह समझें कि मैं वेलची की बड़ी सराहना कर रहा हूं, उसकी निन्दा नहीं कर रहा हूं । मैं उसकी निन्दा करता हूं और आज के कांड की भी निन्दा करता हूं । लेकिन कह सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि आप जान लें कि आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है । आपके स्टैंडर्ड क्या होते हैं जब आप कुर्सी से चिपके होते हैं और उस वक्त क्या स्टैंडर्ड होते हैं जब आप कुर्सी से अलग हो जाते हैं ? क्या हो जाता है, उन हृदयों को जो हमेशा पिघलते दिखाई देते हैं । बड़े-बड़े नेताओं को मैं देखता हूं कि भारत की सरिता के जल में आग लगा देने की वाणी बोलते हैं ।

मैं नहीं जानता था कि उनकी वाणी का आक्रोश कहां था, उनकी वाणी में सत्य कहां था, उनके हृदय का पिघलना कहां था, जब वह शासन में थे । अगर मैं यह समझूं कि उनके शासन में यह जादू था कि जब वह शासन में रहते हैं तो उनकी नीति कुछ दूसरी होती है और जब बाहर आ जाते हैं तो नीति कुछ और हो जाती है ?

देवली का कांड हुआ, फिर एक मौका मिला। मैं सोच रहा था कि सारे लोग बैठेंगे, टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगे, जिन गुटों में कुछ भिन्नता है, उनको एक साथ लायेंगे, लेकिन देवली का उत्तर, जानते हैं कहां दिया जा रहा है, एक भूतपूर्व मंत्री के घर में। यह फिर इकट्ठे हो रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि कुर्सी करीब है, इसको हथियाने का टाइम आ गया है, फिर एक हो जाओ। हरिजनों के लिये नहीं कुर्सी के लिये।

मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में मृग-मरीचिका मृग-तृष्णा बड़े-बड़े साधुओं, नेताओं और भगवान को भी पीड़ित करती रही है। आप अगर फिर मृग-मरीचिका की तरफ दौड़ेंगे।

सीता के साथ क्या हुआ था राम के दौड़ जाने पर? आज एक नेता फिर वोट-क्लब के पास पड़ें हुए हैं केकैयी हट के साथ। उनका हृदय पिघल रहा है हरिजनों पर दया से, दुनिया भर की परेशानियों से पीड़ित हैं। कितने दिनों तक पिघलता रहेगा उनका हृदय, वोट-क्लब के नेता का हृदय कितना द्रवति होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब उसी की एक कड़ी वह हैं कि अगर तमाम मोती बिखर गये हैं तो फिर हम एक होकर निपटा डालें, हरिजन कहीं जायें, कुर्सी हमारी होनी चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि देवली कांड की सबसे पहली प्रतिक्रिया विरोधी दल पर यह हुई है कि उनके द्वारा टूटे हुये दिलों को मिलाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने अपने स्वार्थ और कुर्सी की बात हो रही है। यह है जवाब उस ज्वलंत प्रश्न का, जो आज भारत के सामने है!

सभापति जी, अभाग्य से मैं जाति का क्षत्रिय हूं, इसलिये कुछ कष्ट हो रहा है यह बात कहने में। श्री सूरजभान को देवली में एक अजीब बात सुनाई दी। उनकी श्रवण शक्ति तीव्र है। मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें ऐसी श्रवण-शक्ति भी दे, जिससे वह कोई ऐसी भी बात सुन लें, जिससे राष्ट्र-हित हो।

श्री सूरजभान : वहां के हरिजनों ने बताया है।

श्री रणवीर सिंह : माननीय सदस्य धैर्य रखें। मैंने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी है।

अगर वह यह सुनते रहे कि वहां ठाकुर नेता की जय बोली जा रही थी, तो क्या वह मुझ से यह अपेक्षा करेंगे कि वेहमई में जहां ठाकुर मारे जा रहे थे, मैं दूसरी जाति की जय बोलते हुये सुनता? क्या वह मुझसे अपेक्षा करेंगे कि अगर बिहार में महतो मारे जा रहे थे, तो मैं चौधरी की जय बोलते हुये सुनता? मैं ऐसे शब्द न सुनता हूं और न सुनने का आदी हूं। मैं विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसी बात सुनी भी है, तो उनको इसका निराकरण करना चाहिये, वहां जाकर स्थिति को निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिये और लोगों से पूछना चाहिये कि जो आरोप वे लगा रहे हैं, क्या वह सही है।

जहां तक हमारे मुख्य मंत्री का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि भारत में वह एक धवल-कीर्ति का व्यक्ति है। इतने दिनों के कार्य-कलापों में उसके दामन पर कोई कालिख का धब्बा नहीं लगा सकता। क्या विपक्षी दल के सदस्य अपने मुख्यमंत्री से यह वादा ले सके थे कि अगर सरकार कोई काम नहीं कर सकी, तो हम शासन से इस्तीफा दे देंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना

सब कुछ, अपना सर्वस्व, दांव पर लगा दिया। वहां की गृह मंत्री दिन-रात दौड़ रही हैं हमारे जवान जूझ रहे हैं और काफी तत्परता के साथ हमने इस समस्या का निराकरण दिया है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का निराकरण हमारी आने वाली सरकारें करती रहीं, तो यह कुकृत्य करने वाले लोगों को साहस नहीं होगा कि वे इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सदस्य ने कहा कि वहां ठाकुर की जय बोली गई। सब कुछ ठाकुर के मत्थे मढ़ दिया गया। अब तक क्षत्रियों की जितनी उपलब्धि थी, वह सब शायद राधे और संतोषा के आवरण में घुल जानी चाहिये ! राणा सांगा, राणा प्रताप और शिवाजी आदि सब को भुला देना चाहिये, क्योंकि क्षत्रियों ने देवली में कुछ किया है।

श्री आर०एन० राकेश (चैल) : जयचन्द भी तो हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री रणवीर सिंह : जब आप बोलेंगे, तो मैं आपकी बात सुन लूंगा।

मैं यह सोचता हूं कि विरोधी पक्ष का दृष्णिकोण दूसरा होना चाहिये था। उन्हें यह कहना चाहिये था कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती—न वह ठाकुर होता है, न हरिजन होता है, न मुसलमान होता है, बल्कि वह शैतान होता है। अगर उन्हें सचमुच समस्या का समाधान करना है, तो उन्हें कहना चाहिये था कि कोई ठाकुर नहीं मरता है, कोई हरिजन नहीं मरता है, कोई ब्राह्मण नहीं मरता है, मात्र इन्सान मरता है। क्या इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता? वे वर्ग-संघर्ष की बात क्यों उठा रहे हैं ? मैं कहता हूं कि उनकी वाणी में शक्ति है, वे संसद्-सदस्य हैं, वे शक्तिशाली वक्ता हैं, अगर वे इस तरह की बात करते रहे, तो उनके हर प्रहार से हमारे राष्ट्र और समाज पर ऐसे घाव हो जायेंगे, जिनका उपचार हमारे पास नहीं होगा। इसलिए उन्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये।

हसारे एक वयोवृद्ध नेता ने बड़ा जोरदार भाषण दिया और शायद उन्हें यह वहम हो गया कि मैं फिर देश का नेता हो गया हूं। उन्होंने चुन लिया आलोचना से लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को। मैं अपने क्षेत्र में गया। वहां मुझ से कुछ प्रश्न किये कये। उन प्रश्नों के उत्तर उन वयोवृद्ध नेता से जानने का साहस तो मुझें नहीं होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। वे केवल तीन प्रश्न हैं और बहुत साधारण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जब हरिजन जल रहा था, उसकी आहुति हो रही थी, तब कुर्सी पर बैठे रहने वाले मसीहा ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। दूसरा प्रश्न था कि क्या कभी उन्होंने यह सोचा है कि हरिजन वर्ग अपने समाज के अन्य वर्गों से अलग-थलग होकर जीवित रह सकता है ? कोई भी वर्ग जीवित नहीं रह सकता। समाज का जो अंग अलग जायगा उसको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। समाज हमारा एक बड़ी भारी सरिता की धारा की भांति है, उसके साथ जब तक सब जुड़कर नहीं चलेंगे तब तक देश नहीं चल सकेगा। बाद में एक प्रश्न और किया उन्होंने बड़ा मसखरा सा कि हमारे हरिजन नेता से पूछियेगा, हरिजन नेता उन्होंने कहा, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हरिजन नेता वहां बैठते हैं उनसे एक प्रश्न का जवाब और लेते आइयेगा कि जब बड़े नेता हो जाते हैं तो क्या वह हरिजनों से घृणा करने लग जाते हैं ? हमारे परिवार में शादी ब्याह क्यों नहीं

करते हैं, अन्यत्र क्यों करने लगते हैं ? क्या हम घिनौना लगने लगते हैं ? इस प्रश्न का जवाब भी मैं चाहूंगा ।

दो बातें और कहूंगा । मैं यह समझता हूं कि इस समस्या का निदान असमानता को दूर करने से हो सकता है । अगर हमने असमानता नहीं दूर की तो बार बार इस तरह के कांड होते रहेंगे । एक बात और साफ कर देना चाहता हूं, आप हमारे ऊपर आरोप कुछ भी लगायें लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज का हरिजन मात्र आपसे सहयोग चाहता है, आपकी दया नहीं चाहता । आप उसको दया का पात्र न समझें । वह केवल आपका सहयोग चाहता है । आप उसके पथ-प्रदर्शक बन सकते हैं लेकिन यह न भूलें कि उसके भी अपने ज्ञान-चक्षु हैं, वह भी अपना मार्ग सही सही देखता है ।

एक बात और कहना चाहता हूं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को तत्परता से काम करने के लिए बधाई देते हुए अपने उन तमाम जवानों के लिए जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये हैं हमारे आन्दोलन को सफल बनाने के लिये, हरिजनों में आस्था जगाने के लिये, उनके विश्वास को अडिग करने के लिये, उन जवानों के प्रति नतमस्तक होता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं । लेकिन यहीं एक बात कहना चाहता हूं अपने तमाम प्रेस वालों से कि जब प्रेस वाले अपनी तमाम शक्ति लगा देते हैं किसी एक डकैत को हीरो बनाने के लिए तो उनको समय मिलना चाहिये कि दो लाइन उन जवानों के लिये भी लिख दें जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किये इस तमाम अभियान में ।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि हम में अदम्य शक्ति है, हमने तमाम नरसंहार देखे हैं, छोटी घटनायें भी और बड़ी घटनायें भी लेकिन हम में अदम्य शक्ति है उन घावों के भरने की और मुझे पूरी आशा है कि ये छोटी छोटी घटनायें हमारे देश को अलग थलग न करके उसे एक अखण्ड धारा में चलने देंगी और वह बुद्ध जिसके पास हम लोग आज जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और जो कहता है कि हमें जाति नहीं, जल चाहिये उसकी शक्ति से इस भारत की अखण्ड सरिता फिर एक शक्तिशाली सरिता में परिणत होकर बहेगी ।

सभापति महोदय : श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ।

श्री सुन्दर सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे ठीक मौके पर टाइम दिया...

सभापति महोदय : अभी आप तशरीफ रखिए ।···(**व्यवधान**)···
सुन्दर सिंह जी आप बैठ जाइये । इनके बाद आप बोलियेगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) सभापति महोदय आज हम उत्तर प्रदेश में अभागे हरिजनों पर हुये अत्याचारों के मामले पर चर्चा कर रहे हैं । सभापति महोदय शायद आपको याद होगा कि पहले दिन ही, अर्थात 23 नवम्बर को ही सभा ने इन्हीं अत्याचारों पर चर्चा की थी और हमने अपने गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान इन घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहा था जिनके कारण मुझे यकीन है कि सभी सदस्य चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों शर्मिन्दा हैं ।

यह हमारे समाज के लिये शर्म की बात है । आप इस बारे में मुझसे सहमत होंगे कि पिछले दो वर्षों में हमने इस मामले पर अर्थात् समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार दलित वर्ग और हरिजनों पर अत्याचार के मामलों पर अनेक बार चर्चा की है । इससे प्रदर्शित होता है कि हमारा

समाज पहले से ही रुग्ण है। इन बातों की जड़े हमारे समाज में काफी गहरी हैं। जब भी ऐसी बातें होती हैं सत्तारूढ़ दल यह कह देता है कि हम पहली सरकार से अच्छे हैं। इस प्रकार से वह वास्तविक कारणों का विश्लेषण नहीं कर सकेंगे और उचित कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

सत्य यह है कि देवली गांव में बहुत से लोग मारे गए। यदि आप कहते हैं कि अपराधी अपराधी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, परन्तु जब तक आप यह नहीं मानते कि इन झगड़ों में मरने वाले आम तौर पर हरिजन होते हैं तब तक आप वास्तविक कारण नहीं ढूंढ़ सकते। मान लीजिये कि बिहार शरीफ में दंगा होता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मरते हैं और उन्हें मारने वाले अपराधी हैं, नीचतम अपराधी, तब क्या आप यह बात नहीं मानेंगे कि अल्पसंख्यक लोग असुरक्षित हैं, उनकी जिंदगी और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं हैं ? जब तक आप यह नहीं मानते, तब तक आप सही नीति नहीं बना सकते।

इन घटनाओं से दो पक्ष उजागर होते हैं। पहले यह उत्तर-प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति असंतोषजनक है। जब मैं यह कहता हूं तो अपने दिमाग में यह बात नहीं रखता कि वहां यह सरकार है या वह सरकार है। किसी भी दशा में, क्या यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह लोगों के जीवन और सम्पति की रक्षा करे। हम सब मानते हैं कि इन लोगों को क्रूरतापूर्वक मारने के पश्चात् अपराधी मंदिर के प्रांगण में चले जाते हैं। कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जिम्मेदार लोग कहां चले गये थे ? मुझे यह बताया गया है, और मैं गृह मंत्री से इस बात की जांच करने का अनुरोध करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में अंधेरा होने के बाद हथियारों से लैस व्यक्ति भी पुलिस स्टेशन से बाहर जाने से डरते हैं। हम कानून और व्यवस्था की किस स्थिति में हैं ?

दूसरे इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि "यदि मैं अपराधियों को नहीं पकड़ पाया तो त्यागपत्र दे दूंगा," और उन्होंने एक माह का समय लिया। हुआ क्या है ? एक व्यक्ति जो कि अपराधियों के दल का नेता है, गिरफ्तार किया गया है; बहुत अच्छी बात है। मुठभेड़ में बहुत से लोग मारे गये हैं। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से पूछता हूं कि क्या इस सब की अनुमति है ? क्या पुलिस केवल संदेह के आधार पर लोगों को मार सकती है ? क्या उन्हें विश्वास था कि वह अपराधी था ? अथवा क्या यह सम्भव है कि अपने बचाव के लिए झूठे मुठभेड़ में निर्दोष लोगों को पुलिस ने यह सावित करने के लिए मारा है कि वह कुछ कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा किया है। परन्तु मैं यह कहता हू कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी मुठभेड़ें हो रही हैं। आप अखबार में देखेंगे कि बिहार में प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग दलित वर्ग के हैं विशेषकर ऐसे हरिजन और कृषि मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है। क्या यह मुठभेड़ वास्तविक हैं ? क्या हम पुलिस का कथन मान लें, यह प्रश्न है ? खतरा तो यह है कि यदि आप इस संबंध में जांच नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि स्थिति का लाभ उठाते हुए पुलिस निर्दोष लोगों को मार दे और कहे कि यह मुठभेड़ में हुआ।

मैं एक अखबार पढ़ रहा था। उसमें यह बात कही गई थी। मैं नहीं जानता यह कहां तक सत्य है। यह देखना गृह मंत्री का काम है कि यह सत्य है अथवा नहीं परन्तु ऐसा भी कहा जाता है कि आपको पुलिस वाले भी डाकुओं को देखकर उनसे नहीं उलझते। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर-प्रदेश के कुछ भागों में अपराधी दल

वायरलैस सेट मशीन गन और स्टेन गन का प्रयोग करते हैं । मेरा प्रश्न यह है कि यह वस्तुऐं कहां से आती हैं ? वह किस प्रकार सरे आम वायरलैस सेट का प्रयोग कर रहे हैं ? वह किस प्रकार वायरलैस सेट लेकर ट्रकों में घूम रहे हैं ? यह कुछ गम्भीर बातें हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार, विशेषकर गृह मंत्री को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अपने मुख्य प्रश्न पर आता हूं यह हरिजन अनुसूचित जाति के लोग और दूसरे लोग कौन हैं ? वे हमारे बहन भाई हैं । परन्तु शताब्दियों पूर्व हमारे वर्गीकृत समाज में इस प्रकार के वर्गीकरण को धर्म ने मान्यता दी थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र इसे मान्यता दी गई थी। बहुत से जाने माने समाज सुधारकों ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी ने भी किया। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता याद आती है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप इन लोगों को पीछे रखते हैं तो ये लोग आपको भी पीछे खींच ले जायेंगे। आप आगे नहीं बढ़ सकते। वे हमारे भाई बहन हैं। वे किस प्रकार का काम करते हैं ? वह वे सारे काम करते हैं जिनसे दूसरे लोग सामान्यतः घृणा करते हैं ऐसा क्यों है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान रखा ? क्या यह उनके पिछड़ेपन के कारण है ? ऐसा उनके आर्थिक रूप से लाचार होने के कारण है। वे आर्थिक रूप से लाचार क्यों हैं ? क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं है । आप किसी भी गांव में चले जाइए। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, आप किसी हरिजन के घर चले जाइए और देखिए कि उसकी क्या सम्पत्ति है। यह पांच-छः रुपये से अधिक की नहीं होगी। आप कई परिवारों में निर्धनता की दशा देखते हैं। उनकी जीविका का स्त्रोत क्या है ? उनके पास अपनी भूमि नहीं है परन्तु वे हमारे लिए भोजन उत्पन्न करते हैं उनमें से अधिकांश ऐसा करते हैं और अपने जीवन-यापन के लिए उन्हें भूमि के मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। भू-स्वामी सामान्यतः ऊंची जाती के लोग होते हैं। आपके विचार में बलात्कारों के कितने किस्से अखबारों में आते हैं ? कमजोर वर्ग के कितने लोग इतने साहसी हैं कि वे इन बातों को प्रकाश में ला सकें ? उनमें से अधिकांश चुपचाप कष्ट सहते हैं। वे नहीं बोलते क्योंकि वे जानते हैं कि साहसपूर्वक बोलने से कल वह अपनी रोजी-रोटी खो बैठेंगें। हमारे देश में यह दशा है। हमने राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह स्वीकार किया है कि हमारे देश में आर्थिक समानता होगी धन दौलत की जमाखोरी नहीं होगी, निरक्षरता समाप्त की जायेगी और समान-समाज का आधार बनाया जायेगा। अब क्या दशा है ? मैं सत्तारूढ़ दल से चाहूंगा। आप स्वयं से पूछिए। पंडित नेहरू ने दल के एक अधिवेशन में कहा था कि भारत में 99 प्रतिशत समस्याएं भूमि से सम्बन्धित हैं। और इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधार भूत भूमि सुधारों का पक्षपोषण किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप रेकार्ड और योजना आयोग की उपलब्धियों की ओर देखें। भूमि सुधारों का क्या हुआ ? भू-स्वामियों ने कानून को निषिद्ध किया है और उसका उल्लंघन किया है। वह अपनी भूमि का एक बड़ा भाग अपने पास ही रखने में सफल रहे हैं। ये वह लोग हैं जिन्होंने सहकारी बैंक स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य संस्था में कृषि हेतु लगाये गए धन का पूरा-पूरा लाभ उठाया है। ग्रामीण लोगों के इस वर्ग ने इस पर एकाधिकार प्राप्त कर रखा है। इसको भी किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है। आप गांव में जाइए। आप देखेंगे कि जिनके पास अपनी भूमि है जिनके पास धन है और जो खाते-पीते लोग हैं वह अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आप गाँव में जाइए और देखिए कि कितने हरिजन अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं ? आपने आरक्षण का प्रावधान किया है। उनमें से कितने लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया है ?

उनमें से कितनों ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है और मेडिकल कालेज अथवा विश्व-विद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन किया है ? आप जाइए और आंकड़े एकत्रित कीजिए। वे लोग अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ऐसा नहीं कर पाये हैं। मैं जानता हूं कि सभी दल इस बात से सहमत हैं। यहां तक कि सत्तारूढ़ दल भी मानता है कि भूमि सुधारों की आववश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता उनका उत्थान नहीं होगा। यदि भूमिहीन हरिजनों को भूमि नहीं मिलती, जो काम वह करते हैं उसके बदले पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती, उनके बच्चे शिक्षा संस्थाओं में नहीं आ पाते तो कोई उत्थान नहीं होगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। आप योजना आयोग के छठी योजना के दस्तावेज देखें, पिछली योजनाओं के दस्तावेज देखें तो आप पायेंगे कि अधिक से अधिक लोग भूमि गंवा चुके हैं। उन्हें बेदखल कर दिया गया है। भूमि का अधिक एकत्रीकरण हो रहा है और आप पायेंगे कि जिन्हें भूमि से बेदखल किया गया है वह कमजोर और दलित वर्ग के हैं।

हम इस पर कब तक चर्चा करते रहेंगे ? ये बातें दोबारा होगी। फिर से अत्याचार होंगे। क्यों ? क्योंकि ये लोग न केवल गरीब हैं बल्कि उनकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। उनकी रक्षा के लिए कोई क्यों नहीं है। क्योंकि पुलिस अधिकारी और प्रशासन में लगे हुए लोग, अपने प्रशिक्षण, समाज में स्थान और सम्बन्धों के कारण उनकी रक्षा नहीं करते। जो लोग मारते हैं उनका कानून और व्यवस्था लागू करने वाली मशीनरी पर इन लोगों से अधिक प्रभाव होता है। इसी कारण वह खुले आम कानून की अवज्ञा करते हैं। वे यह जानते हैं कि हमारी न्याय-प्रणाली गरीब लोगों के विरुद्ध हैं। वे जानते हैं कि स्थानीय थानों में किस आसानी से रिश्वत दे कर काम करवाया जा सकता है। वे प्रशासन को जानते हैं। वे नियन्त्रित कर सकते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। सरकार को सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया। और जो सुझाव स्वीकार किए गए हैं उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया। हमारी कई आशायें हैं। हम वर्षों तक आंसू भी बहा सकते हैं परन्तु हममें ऐसे सुझावों का कार्यान्वयन करने की शक्ति होनी चाहिए जिनसे लोगों की दशा में सुधार हो सकता है। हम लोगों में वह राजनीतिक शक्ति नहीं हैं क्योंकि वे लोग जो ये अपराध कर रहे हैं बहुत से राजनीतिक दलों की शक्ति का आधार है। यही मुख्य प्रश्न है।

क्या मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में हरिजनों को क्यों नहीं उत्पीड़ित किया जाता ? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने घोषणा कर रखी है कि यदि एक भी अल्पसंख्यक या हरिजन को उत्पीड़ित किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस वाले को निलम्बित किया जायेगा और सरकार कार्यवाही करेगी। हम भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की कोशिश कर रहे हैं, वर्गेदारों को विश्वास दिला रहे हैं और यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इन गरीब लोगों का वास्तव में उत्थान हो सके। यह हमारी इच्छा है।

जब तक ये गरीब लोग अपने आपको संगठित नहीं करते वे मुक्त नही हो सकते। मैं इसे बहुत गलत बात मानता हूं कि केवल एक जाति के लोग संगठित हों। क्योंकि ऐसा करने से आप केवल अपने मित्रों में और समाज में कृत्रिम विभाजन कर देगें। सभी गरीब लोगों को जो उत्पीड़ित हैं, संगठित होना चाहिए क्योंकि मूल प्रश्न आर्थिक शोषण और इसके विरुद्ध का संघर्ष है।

अंत में मैं कहूंगा कि आपने हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए धन खर्च किया है। परन्तु उनमें से कितनों को लाभ पहुंचा है ? क्या गरीब हरिजनों को यह लाभ मिला है ? दलित लोगों में जिन्हें आपने अल्पसंख्यक माना है और जो आपके द्वारा खर्च किए धन का लाभ उठा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जिस प्रकार अंग्रेजों के राज में भारतीय लोगों के एक भाग ने खर्च किए गए धन का लाभ उठाया और अंग्रेजों से सहयोग किया उसी प्रकार आज भी आप हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नाम पर जो धन व्यय कर रहे हैं उसका लाभ केवल एक वर्ग विशेष उठा रहा है। उनमें से 90 प्रतिशत को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आपको यह लाभ सभी गरीब हरिजनों तक पहुंचाने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिये और इसके लिये प्रशासन का सचेत रहना आवश्यक है।

क्या आपको यकीन है कि सभी राज्यों में जहां कि हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण भी है वहां इसे पूरा किया जा रहा है ? नहीं। क्या आपको विश्वास है कि आप जो कुछ कर रहे हैं या करने कि कोशिश कर रहे हैं, राज्य उसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वे ऐसा करते तो हैं परन्तु इससे विश्वास नहीं रखते। यह समस्या है।

आज शीतकालीन अधिवेशन का अन्तिम दिन है। आइये हम इस विषय की जड़ों पर आएं। एक दूसरे पर कीचड़ न उछालते हुए हम इन अत्याचारों के कारणों का विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। परन्तु मुझे यकीन है कि मेरी आवाज नक्कारे में तूती की आवाज है। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भारत में राज्यों में आप अपनी राजनीतिक शक्ति के लिये जमीदारों अत्याचार करने वाले लोगों और बड़े-बड़े किसानों, गांव-कुलकों पर निर्भर हैं। जब तक आप उन पर निर्भर रहेंगे ? तब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। धन्यवाद।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : देवली कांड पर बहस हो रही है। इस में भाग लेते हुए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं और उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे लगा कि विपक्ष के साथियों में से माननीय झारखंडे राय और श्री चक्रवर्ती साहब ने कुछ रचनात्मक सुझाव इस सदन के सामने रखे हैं जबकि और कुछ विपक्षी सदस्यों ने कीचड़ उछालने के अलावा जो मूलभूत समस्या है वह कैसे हल हो, उसके बारे में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है। यह मामला पूरे राष्ट्र से सम्बन्ध रखता है। श्री सूरज भान जी ने कहा कि वहां मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे जब देवली में कत्ले आम हो रहा था। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह उत्तर प्रदेश के वह मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने राजनीति में आने के पहले 1957 में इलाहाबाद में अपनी समस्त सम्पत्ति भूमिदान में दान कर दी थी और आज उस पर हरिजनों और आदिवासियों का कब्जा है। उनके पास एक मकान के अलावा कोई भी लैंडिड प्रापर्टी नाम की एक भी बीघा जमीन नहीं है (व्यवधान) मैं चैलेंज करता हूं कि सदन के अपोजीशन मैम्बरों की एक कमेटी बना दी जाए और अगर वह पाए उनके पास जमीन है और उन्होंने भूदान में दान नहीं की है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

वर्तमान सरकार के वहां 1980 में बनने के पहले 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार थी। तब हरिजन कल्याण विभाग पर इनके राज में 29 करोड़ सालाना खर्च होता था जबकि वर्तमान सरकार ने एक अरब 29 करोड़ रुपया एक साल में हरिजन कल्याण विभाग पर खर्च करने का फैसला किया है और वह हो रहा है।

चक्रवर्ती साहब ने भूमि सुधारों की बात कही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश·····शायद हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों से आगे है जहां 18 एकड़ की सीलिंग लागू की गई है और आज भी उत्तर-प्रदेश की सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि जिन हरिजनों को पट्टा मिला हुआ है और जनता शासन में जिन हरिजनों को बेदखल कर दिया गया था उनको फिर से क़बजा दिया जाए और जिन्होंने अनुधिकृत क़ब्जे किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। उत्तर-प्रदेश सरकार हरिजनों, गरीब पिछड़े वर्गों, मजदूरों के लिये जितनी चेष्ट है उतनी शायद बहुत कम सरकारें हैं और शायद बंगाल की सरकार भी उतनी नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक और बात आप देखें। उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं। उन में नौ में हरिजन कलैक्टर हैं। बारह कमिश्नर हैं जिस में से पांच हरिजन हैं। 57 एस पी हैं जिन में से नौ हरिजन हैं। यह जो कहा जाता है कि हरिजनों को उत्तर प्रदेश में नजरंदाज किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है।

देवली कांड को आप लें। सभी इस कांड की भर्त्सना कर रहे हैं और करनी भी चाहिये। उससे राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जाना चाहिये। 1977 से 1980 तक जो सत्ता में थे और जो आज विभिन्न गुटों में बंट कर विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके शासनकाल में तथा हो रहा था। 1977 के पहले जिन हरिजनों को, गरीबों को, भूमिहीनों को पट्टा मिला था 1977 के बाद उनको बेदखल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और तब लैंडिड लोगों ने कहा था कि तुम्हारी नेता इंदिरा गांधी अब सत्ता में नहीं हैं। और उस समय के लोग यहां बैठे हुए हैं जो उस समय सरकार में थे, उनके कान पर जूं नहीं रेंगी थी। और जब 1930 में कांग्रेस सरकार बनी तब कांग्रेस सरकार ने उनको पुरस्थापित करने का प्रयत्न किया।

आज विरोधी दल के लोग, कुछ विरोधी दल के, सब नहीं, और खास तौर से दो विरोधी दल के लोग जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह दुमुही राजनीति कर रहे हैं। 1980 में लोक सभा के चुनावों की जब घोषणा हुई थी तो इटावा जिले में, उस समय उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे, वह सभा कर रहे थे। उससे पहले जिस गांव में डकैती पड़ी थी उस घर की एक लड़की उस सभा में बैठी थी और उस लड़की ने कहा कि नेताजी के पास जो मंच पर बैठा हुआ है वह डकैत है। 4 महीने पहले एक दल के नेता इटावा गये थे और पौथी तथा महावीरा गैंग का अंगनू नामक डकैत उनके साथ जीप में बैठा था। यह खबर नवभारत टाइम्स "में छपी है। यह दुमुही" राजनीति करने वाले विरोधी दल के लोग, एक तरफ़ कहते हैं कि अराजकता है, और दूसरी तरफ जब उन अराजकता तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो शोर मचाते हैं कि उनके साथ ज्यदाती हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पक्ड़े जा रहे हैं। यह दोनों चीजें नहीं मिलेंगी।

उत्तर प्रदेश में इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि 200, 300 वर्ष पहले से यह एक अशान्त क्षेत्र रहा है जहां भिंडारी रहे हैं और चाहे

जो भी सरकार रही हो वहां उत्पात होता रहा है, उन लोगों को प्रत्रय मिलता रहा है। यही 5 जिले इससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिये, और मैं बधाई देना चाहता हूं सदन के माध्यम से वहां के मुख्य मंत्री को जिसने यह हिम्मत की कहने की कि अगर 24 दिसम्बर तक यह लोग नहीं पकड़े जायेंगे तो वह इस्तीफा दे देंगे। यह कैलकुलेटड रिस्क था। अगर वह लोग न पकड़े जाते तो इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन जितने नामजद लोग थे, एक राधे को छोड़कर, सबके सब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी सचेत है मुख्य मंत्री जी के इस बयान और झटके के बाद। और यह हिम्मत विरले लोगों में होती है। एक मित्र ने लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण का जिक्र किया। लेकिन उदाहरण का जिन मित्र महोदय ने कहा उसका न उनके दल और न नेता ने पालन किया। जब जनता पार्टी में झगड़ा चल रहा था तो नेता जी ने कहा था कि अगर 6 महीने में एकता न करा सका तो मैं सरकार छोड़ दूंगा। लेकिन झगड़ा नहीं मिटा, जनता पार्टी टूटी और उनके नेता जी सरकार में रहे। तो वचन भंगी लोग, दुमुही राजनीति करने वाले लोगों से, इस देश का भला नहीं होने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः भर्त्सना करता हूं। और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी सचेत है गरीबों की रक्षा करने में उतनी कोई नहीं है। वहां हरिजनों और आदि वासियों के लिये सरकार ने 18 परसेंट रिजर्वेशन किया हुआ है। और अगर उस क्लास के लोग नहीं मिलते तो जब तक नहीं लोग मिलते वह जगह खाली रखी जायगी। और क्लास 3 और 4 में जितनी भी वैकेन्सी हैं उनको कैरी फार्वर्ड करके फिर से नौकरी दी जाएगी। कहीं कहीं तो सर्विसेज में उत्तर प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों को 40 50 परसेंट नौकरी मिल रही है क्योंकि उनका कोटा बाकी है। मैं फिर भर्त्सना करता हूं उस आक्षेप का और विरोध पक्ष से कहता हूं कि इसको राजनीति का मुद्दा न बनायें तथा इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी साहब ने गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ की है। बात यह है कि सत्य का मार्ग अपनाओ चाहे वह आपको कहीं भी ले जाये। अपने विचारों से तर्क संगत निष्कर्ष निकालिए। डरपोक और बहाने बाज मत बनिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

यू० पी० के प्रताप सिंह की आपने बड़ी तारीफ की है, मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह काफला लुटा कैसे, इधर उधर की बातें ना कर के यह बताया जाये। मुझे राहजनों से गर्ज नहीं, पूरी रहबरी का सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि आदमी 24 कैसे मारे गये ? यह मैं नहीं कहता कि इसमें पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल है जैसे अपोजिशन के मेम्बर श्री चक्रवर्ती ने लैंड रिफार्म का नारा लगाते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। वह क्रैडिट की बात नहीं, जो अपने आप को ठीक करेगा—प्रसन्न कहिए और इस पर विश्वास कीजिए कि हमें भगवान ने अच्छे कर्म करने के लिए चुना है और हम सद्कर्म करेंगे। स्वयं को सद्कर्मों के लिए तैयार रखो अर्थात् पवित्र बनो गरीबों से प्रेम करो मुसीबतें उठाओ, भगवान आपका भला करेगा।

यह बात क्या हुई कि योंही झूठ बोलते जायें और जो जुल्म हुआ है, उसे अपने ऊपर नहीं लेना है, यह कैसे हो सकता है ? जब आप शोशा ठीक रखोगे तो पता लगेगा कि कौन आदमी हरिजन के हक में है।

जम्मू कश्मीर में लैंड रिफार्म हुई है। किस वजह से हुई थी, पं० जवाहर लाल नेहरू के वक्त 95 फीसदी बगैर मुआवजे के दे दी गई। हमारे डोगरा साहब कहते हैं कि लैंड रिफार्म होनी चाहिये। इसमें कोई सवाल छूतछात का नहीं है, गरीब का सवाल नहीं है। हरेक को गरीब को बांट दो।

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेरे दोस्त थे। पंजाब से जो मेम्बर हो गये, उनको वह इस तरह काबू रखते थे कि वह डिवाईड एंड रुल करते थे। वह कहते हैं बहुत अच्छा किया, चाहे मर जायें जाते ही। एक बार पं० जवाहर लाल जी से मैंने कहा—

वहां मंत्री बने रहने में कोई औचित्य नहीं है वह मेरे पीछे पड़ गये और कहने लगे कि क्या बात है चौधरी साहब। मैंने कहा कुछ नहीं है, तो कहने लगे नहीं है तो ख्वामाख्वाह आपकी नाराजगी से कुछ नहीं हो रहा है।

जमीन मिली थोड़ी बहुत हरयाणा में और पंजाब में भी। कोई जाट आकर बतलाये, हम उसको उसी वक्त ठीक कर दें। वहां मार खाते हैं और दुहाई देते हैं, सारे आंसु बहाते हैं, हैं, लड़ाई कोई करता नहीं है। कहते हैं हरिजन को दे दो। कौन देगा ? ताकत उनके हाथ में है, क्या हरिजन के हाथ में है ? क्लेक्टर, रवेन्यु आफिसर, तहसीलदार वगैरा सब उनके हैं, जमीन कौन देगा ? यह प्रचार जरूर करते हैं कि जमीन दे दो, मगर देता कोई नहीं।

मीरसिंह जी ने कहा है कि ठाकुरों की जांत-पांत का सवाल ही नहीं है। ठाकुर का सवाल केड़ा सवाल है। जमींदार जो हैं, वह बैकवर्ड बन रहे हैं, हरियाणा में भी और यहां भी हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जो जमीन दी, उनको बैकवर्ड बना दिया। हमारी तरफ भी बैकवर्ड बनते हैं।

को-आपरेटिव बैंकों से पैसा भी यही लोग लेते हैं। कहते हैं कि लैंड रिफार्म की बात न करो। जिनके पास जमीन है, वही लैंड रिफार्म करने वाले हैं ! उनके हाथ में सब कुछ है। सब बडे बड़े जमींदार बैकवर्ड बन रहे हैं। हरिजनों के मरने पर वे जाहिरा तौर पर अफसोस करते हैं और आंसू बाहते हैं। अगर उनके 24 आदमी मर जाते, तो पता चलता। आज हमें पता लग रहा है कि कौन हमारे हक में है। जिस आदमी में जान है, हरिजनों पर होने वाले जुल्म को देख कर उसका खून उवलता है। सिर्फ हरिजनों का सवाल नहीं है, अगर किसी भी इनोसेंट आदमी को मारा जाता है, तो आदमी को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बड़े बड़े लैक्चर किए जाते हैं, लेकिन गरीवों के लिए कुछ नहीं किया जाता। इन लोगों की कानशंस कहां चली गई है ? आदमी को अपनी कानशंस के मुताबिक चलना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हरिजनों पर जुल्म हुआ है।

क्या यू पी में कोई ला एंड आर्डर है ? ज्ञानी जी पंजाब में पांच साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या वहां हरिजनों पर कभी जुल्म हुआ है ? यहां आकर उनको क्या हो गया है ? उन्होंने जिस तरह पंजाब में काम किया था, उसी तरह वहां भी करें। विहार में हरिजन एम एल एज को जूते पहन कर नहीं जाने दिया जाता। श्री तिवारी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह जनता पार्टी की हुकूमत का नतीजा है। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। रीएलिटी को देखना चाहिए। जनता पार्टी ने सिर्फ ढाई साल हुकूमत की है। फिर भी कहा जाता है कि सारी गलती उसी की है। कांग्रेस तो 34 साल तक हुकूमत करती रही है।

मेरे हमेशा जीतने की वजह यह रही है कि मैं अपने हल्के में अपनी सारी कमजोरी बताता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं, आप कैसे बेवकूफ हैं कि आप मुझे वोट देते हैं। इस पर वे कहते हैं "चौधरी सुन्दर सिंह जिन्दाबाद।" हमारे लोगों की यह कमी है कि वे अपनी बहुत तारीफ करते हैं। अगर हमने मजबूत बनना है, तो हमें अपनी गलतियां मालूम करनी चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है। मुझे कोई लैंड रिफार्म नहीं करने देता था। उस वक्त प्रताप सिंह गवर्नमेंट में था। मैं पंडित जी से मिलने के लिए गया। मैंने उन्हें लोगों की हालत बताई। मैंने कहा कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, एक कमरे में बारह बारह आदमी रहते हैं, क्या यह डेवेलपमेंट है। मैंने कहा कि इस हालत में मेरे मिनिस्टर बने रहने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वह मुझसे नाराज हुए। मैंने कहा कि प्रताप सिंह लैंड रिफार्म्ज नहीं करने देता है। उसके बाद लैंड रिफार्म्ज हुई थीं। हरिजनों को थोड़ी बहुत जमीन मिली थी। दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको छीनना शुरू कर दिया। जम्मू-काश्मीर में 95 फीसदी लैंड रिफार्म्ज हुई हैं। वे जवाहरलाल नेहरू ने की है।

जो गरीब हैं उनका नाम लेकर आप पैसा जमा कराते जायं और जमीन उनकी मिले नहीं। कहां लैंड रिफार्म हो रहा है? यह कहते थे कि सबको 18-18 एकड़ दे दी गई है। मैं बताऊं आप क्योंकि यहां जो बैठे हुए हैं उनमें से कितनों के पास दो दो हजार एकड़ जमीन है जिसके फार्म उनके बने हुए हैं। दो दो हजार एकड़ जमीन उनके पास है। परमात्मा यह देखता है, वह सब को देखता है। इसको भी आपको ठीक करना चाहिए। यहां जो बड़े बड़े लैंड लार्ड बने हुए हैं हमें उनसे खतरा है, शहर से हमें खतरा नहीं है। उनका हम मुकाबला कर लेंगे। ज्ञानी जी, आप को पता ही है, मैं कहता हूं कि ये बड़े चोर हैं, ये मार देंगे हमें। आपको सख्ती से काम करना चाहिए। गिड़गिड़ाने से अधिकार नहीं मिलता। अधिकार छीना जाता है।

मैं तो हरिजनों से कहता हूं, यहां ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें तो टी ए, डी ए मिलता है, हमारी तरफ से चाहे सब मर जायं। उनकी आपको कोई फिक्र ही नहीं है। चाहे वह मर जायं चाहे रहें। देवली में मरे, और जगहों में मरे। अब हम बाकी हैं। अब हमारी बारी है। इसलिए मैं आपको कहूंगा यह जो है हरयाना, यू पी, बिहार इन सब में पूरा हाल है। वहां इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हरिजनों का बुरा हाल हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए कोई आदमी का बच्चा हो वह आगे आवे। कोई अच्छा आदमी होना चाहिए जिसकी फीलिंग हो। बताइए, 24-24 आदमी मर जाते हैं और आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि पकड़ लिया है, यह कर लिया है, यह कोई बात हुई? यह बहुत बुरी बात है। यह तो किसी का अपना लड़का या लड़की मरे तो वह समझ सकता है कि क्या बात हुई। मैं देवली नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि वहां जा कर रोना पीटना है और क्या है? कई जाएंगे उनसे सुन लूंगा। इसलिए मैं वहां गया ही नहीं। जैसा इन्होंने बताया है कि सामने लड़के लड़की सभी मार दिए जायं, यह कोई गवर्नमेंट होती है? कहते हैं मुख्य मंत्री कि इस्तीफा पर देते देंगे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं और यह जो मैंने काम किया था पंजाब में लैंड रिफार्म का वही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वहां कर दिया। नहीं तो ये मेरी कोई लीडरशिप नहीं बनने देते हरिजनों की क्यों कि इनको खतरा होता है कि कहीं इनसे आगे कोई न निकल जाय। यह सारा सिलसिला जो खराब हो रहा है, हमें तो पता है कि हरिजनों का

क्या हाल है। और किसी को क्या पता हो सकता है ? सब जवानी बात करते हैं। कोई सच तो बोलता नहीं है। सब गलत बात करते हैं। ये कहते हैं कि कर दो जी। ठीक कर दो। कर दो क्यों ? करो। तुम्हारे आदमी हैं ये सब, तुम, करो। यहां हरिजनों के तीन चार फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर होने चाहिए जिससे गांवों में लोग डरें कि वह फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर बैठे हैं, वह मारेंगे। यहाँ क्या आपने बैठा रखे हैं ? यह कोई यतीमखाना है क्या ? इससे क्या बनेगा ?

देखिए, मैं आपको बता दूं, खुद ही अपना नुकसान आप कर रहे हैं। हरिजनों को आप तगड़ा करेंगे तो उनके वोट मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो भट्ठा बैठ जायेगा। यह मैं आपको बतला देता हूं। इसलिए जवानी जमा खर्च, से काम नहीं चलेगा। यह करना पड़ेगा। लैंड रिफार्म करता कोई नहीं है, सारे उसकी बातें करते हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं हर एक का जबाव देना चाहता हूं। यह जो हैं आरिफ मोहम्मद, यह भी हमारे आदमी हैं, इनका जवाब मैं दूंगा। यह भी बहुत अच्छे आदमी हैं। यह कहते हैं कि कोई मामला नहीं है, सब लोगों का भला होना चाहिए। चाहे कोई अंधे कुएं में गिर जाय, सब का भला होना चाहिए। कतल तो हम होते हैं तो भला किन लोगों का बता रहे हैं ? कत्ल तो हम हों, वोट हम दें और भला किन का हो ? वोट भी हम दें और कतल भी हम हों, यह बड़े हैरानी की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बात बड़ी वार्निंग की है। यह कोई न समझ ले कि मैं मखौल कर रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। जो सीधी बात है उसको मान लेना चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे उनकी हो या हमारी हो, आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिस पर हमें चलना है। क्या उनका मुंह रहेगा ? कहते हैं बड़ी कुर्बानी की है, कुर्बानी की तो यह दशा है ? उसको पकड़ा क्यों नहीं अब तक ? 66 का नाम लेते हैं तो उसको पकड़ा क्यों नहीं अब तक। कई जगह नहीं पकड़े हैं और जब नहीं पकड़े जाते हैं तो मिनिस्टर को बदल दो। कोई और मिनिस्टर लगा दो। चाहे अपना लगा दो चाहे मैं कहता हूं कि जनता का लगा दो। अब मैं आपको और क्या कहूं ? कई आदमी बोले हैं। एक एक आदमी का नाम मैंने लिखा हुआ है जो बोले हैं। कई लोगों ने बहुत गलत बात कही है।

जिन आदमियों ने बोला हैं, मैंने एक-एक आदमी के नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने बहुत सी गलत बातें कही हैं। यहां पर जो कुछ मिल रहा है, जमीदारों को मिल रहा है, चाहे को-आपरेटिव हो, चाहे कोई फार्म हो। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 95 फीसदी प्राब्लमलैण्ड के मुताल्लिक है। यह उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, आपने कहां करना है। पंडित जवाहर लाल नेहरू से मैंने पहले भी कहा था कि हर एक स्टेट में हमारा होम मिनिस्टर होना चाहिए, अगर होम मिनिस्टर न हो तो आई० जी० होना चाहिए, जो सबको कन्ट्रोल करे। पुलिस पर हमारा कब्जा हो, लेकिन पुलिस में हम अपने आदमी लाते हैं। आप जानते हैं कि पंजाब में लड़ाई की क्या वजह है—वहां 90 फीसदी दूसरे आदमी हैं। दूसरे मारने वाले उनको मारते हैं उनको कौन पकड़ेगा। वहां हरिजनों को बना दो। 50 फीसदी हिन्दु और हरिजन हो जाए तो मसला हल हो जाता है। पहले यूनाइटेड पंजाब में यह हालत थी, तमाम मुसलमान थे, उन्होंने हिन्दुओं को निकाल दिया था। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं लैण्ड रिफार्म का मसला पहले हल करो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस समय रात के साढ़े आठ बज गये हैं इसलिये हमें इसे समाप्त करना चाहिये। हम कब तक चर्चा करते रहेंगे ?

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : 12 बजे तक।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय को उत्तर देना है। अन्यथा इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। बोलने के पश्चात हर सदस्य चला जाता है और इस प्रकार बहुत ही कम सदस्य सभा में रह जायेंगे। अतः, मैं प्रार्थना करूँगा कि कोई भी वक्ता 7-10 मिनट से अधिक न बोलें। यदि एक बात को बार-बार न कहा जाये, तो आप अपने भाषण को 7-10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ज्यों ही 7 मिनट हो जायेंगे, त्यों ही मैं घंटी बजा दूंगा। श्री डी० पी० यादव।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली कांड, बहमाई कांड या बेलछी कांड – ये सारे के सारे कांड जो हुए हैं, यदि इन पर सन्जीदगी से विचार करें, तो ऐसा लगता है कि समाज में एक नई उथलपुथल आई है। इस नई उथलपुथल की प्रक्रिया में जो वर्ग अपने को शासक समझते थे, वे शासन करने की प्रवृत्ति के लिए लड़ रहे हैं और जो वर्ग शासित है, वह इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि अब हम शासित रूप से नहीं रहेंगे—मेरा इसी पर निष्कर्ष है।

मैं ज्ञानी जी से निवेदन करूंगा, श्री मकवाना जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, इन सारी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और असलियत के दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल इस पक्ष ने उस पक्ष पर या उस पक्ष ने इस पक्ष पर कोई आरोप-प्रत्यारोप कर दिया, तो इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि देवली कांड में हरिजन मारे गए हैं, बहमाई कांड में ठाकुर मारे गये हैं और कुछ गांव के पिछड़ी जातियों के लोग मारे गये हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी तहकीकात करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात और नोट करने की यह है कि जियोलाजीकल जोन्स से बन गये हैं, जहां पर ऐसी बातें होती हैं और इसके बारे में हमें कुछ सोचना होगा। इटा, इटावा, मैनपुरी होते हुए मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना तक एक जोन है और दूसरा इलाका आप का गंगा के किनारे का है और यह हमारे रोहतास जिला, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों का है। इस जोन में काफी सोशल एवैकनिंग हुई हैं। जो क्लास आपरेस करना चाहता है शासक वर्ग उसको तरजीह देकर कुछ क्रिमिनल्स को, कुछ असामाजिक तत्वों को उभार रहा है और कहता है कि तुम इस सामाजिक व्यवस्था को चलाते रहो और इसमें हम शासन की ओर से मदद करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात कहूं। कुछ बातें हैं जो सच हैं, जिनको मैं यहां कहना चाहता हूं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वे मेरे साथ डिप्टी मिनिस्टर थे। वे एक भले आदमी हैं, इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्य मंत्री बनने के बाद, इटावा, एटा और मैनपुरी में जो निर्दोष लोग हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, उनको उनकी बिरादरी के लोगों ने मारा है, उनके मारने में कुछ लोगों ने हिस्सा लिया है। यदि ऐसी बात है, तो क्या यह कोई शासन चलाने की बात है। मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि आपके दल के श्री विजेन्द्र पाल जी जो सदस्य हैं, वे आज सुबह मुझ से यह कह रहे थे कि केवल इटावा जिले में करीब-करीब 250 नौजवानों को चुनकर दिन में पकड़ लिया, रात को

थाने में उनको रखा जाता है और सुबह होते ही उनकी हत्या की जाती है और कहा यह जाता है कि एकाऊन्टर में मारे गये हैं। यह अखबार में निकला है और मेरा लिखा हुआ अखबार नहीं है। नीरज राय ने कुछ आर्टीकिल्स लिखे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है :—

"उत्तर प्रदेश में डाकुओं का अड्डा I—मेनपुरी जाति युद्ध के लिये तैयार।

उत्तर प्रदेश में डाकुओं का अड्डा II—सरकार द्वारा यादवों पर अत्याचार।

उत्तर प्रदेश में डाकुओं का अड्डा III—बन्दूकें खरीदने के लिये पत्नियों को बेचा।"

ये सारे के सारे समाचार अखबारों में अक्तूबर महीने से निकल रहे थे और दिहुली में नवम्बर में यह घटना हुई। इसका मतलब यह है कि अक्तूबर से पहले यह सब हो रहा था जिससे इस प्रकार का कुकर्म हुआ। सामाजिक रचना के कारण यह अन्याय हो रहा है और एक वर्ग संघर्ष करने को तैयार है। आज मान लीजिये कि एक जाति का आदमी मुख्य मंत्री हो गया, तो मुख्य मंत्री होने के कारण, उनके व्यक्तिगत कारण से नहीं, उसकी जात-विरादरी होने के कारण, एस०पी० उसी जात-विरादरी का, दारोगा उसकी जात-विरादरी का, अगर लोग यह सोच लें कि किसी को परसीक्यूट कर देंगे और जात-विरादरी के नाम पर किसी का सर्वनाश कर देंगे, तो यह सही बात नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और इसको कोई चुनौती न समझे कि कोई आदमी जिन्दा होता है तो उसे एक बार ही मरना है और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति रही कि पिछड़े हुए लोगों को दबाया जाए, उनको मारा जाए, तो एक ऐसा रेवोलू न होगा, जिसको बहुत देर तक आप रोक नहीं सकते। आपकी बन्दूकों से वे डरने वाले नहीं हैं। जितने आपके पास लाइसैन्स्ड आर्म्स हैं, अब उनके पास गैर-लाइसैन्स्ड आर्म्स हो गये हैं। आर्म्स कहां से आ रहे हैं, यह पता नहीं लेकिन कहीं न कहीं से तो मंगा रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए। दिखाने के लिये तो कहा जाता है कि अब कोई बात नहीं है और समाजवाद आएगा और लैंड रिफार्म्स होंगे, लोगों को जमीनें दी जायेंगी और पूरा विकास होगा लेकिन मैं यहां पर कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि अब तक क्या हुआ है। मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में यह बताया गया है। मैंने पूछा था कि पिछले दस साल के दरम्यान देश में सिंचाई की कितनी योजनाएं सैंक्शन हुई हैं और कितनी लागू हुई हैं। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा :—

"(क) उन बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें गत दस वर्षों के दौरान योजना आयोग की टी० ई० सी० द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना किस तारीख को स्वीकृत की गई तथा प्रत्येक के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई; विलम्ब हो जाने के कारण कितनी लागत अधिक आई है और प्रत्येक मामले में कितना काम हुआ है ?"

किसी मित्र ने कहा कि योजना की राशि आ रही है, गरीबों के, हरिजनों के पास नहीं, वह बड़े अधिकारियों की खीर-भोजन के लिए जा रही है। उसमें इंजीनियरों का खीर भोजन होता है, दूसरे लोगों का खीर भोजन होता है। मुझे क्षमा कीजिए, हमारे यहां कहा जाता है कि पहले यू०एस० डालर था, उसके बाद मेट्रो डालर आया और अब सिंचाई की योजना में हाइड्रो डालर आ गया है। यह हाइड्रो डालर कहां जा रहा है ? यह न हरिजन के पास और न गरीब के पास जा रहा है।

एक बरनार स्कीम थी जो 16-5-75 को 8 करोड़ 3 लाख की स्वीकृत हुई थी, वह बढ़ कर अब 16 करोड़ की हो गयी है और अब तक काम कुछ नहीं हुआ। दूसरी दुर्गावती स्कीम 16-5-75 को 25 करोड़ की मंजूर हुई थी, अब वह 50 करोड़ की हो गयी है और उसमें भी काम कुछ नहीं हुआ। इनमें काम सारे का सारा निल है।

अगर आप हरिजन को और आदिवासी को सिंचाई की सुविधा नहीं दीजिएगा, सड़क नहीं दीजिएगा तो वे क्या करेंगे ? आप हरिजन और आदिवासी को खाने को भोजन नहीं दीजिएगा, रहने को जमीन नहीं दीजिएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? पटना के इलाके में नक्सलाइट्स के नाम पर एनकाउंटर किये जा रहे हैं। उनमें असल क्रिमिनल्स के साथ एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। आप वहां से नक्सलाइट्स की लिस्ट मंगवा लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि मरने वालों में कितने नाम नक्सलाइट्स के हैं। मरने वालों में एक-दो आदमी ऊंची जाति के हो सकते हैं, अधिकतर मरने वालों में हरिजन और आदिवासी लोग हैं।

वालेश्वर राम जी आप तो रूरल रिफार्म्स और रूरल डवलपमेंट विभागों को देखते हैं। कृपा करके वहां जाइये। वहां जाकर आपको पता चलेगा कि वे औरतें जिनके घर में दाल नहीं है, कच्चा अरहर की फल्ली तोड़ने के लिए खेत में जाती हैं, पेट की ज्वाला मिटाने के लिए जाती हैं। अगर खेत वाला कोई मनचला युवक है तो वह औरत के साथ बलात्कार करता है, उस औरत के साथ करता है जो भूख की ज्वाला मिटाने जा रही है। आज आप विकास की बात कर रहे हैं।

आपकी सारी की सारी योजनाएं, लैण्ड रिफार्म्स की योजनायें छपी पड़ी हैं लेकिन उनसे गरीब लोगों का भला नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है। एक हरिजन और आदिवासी को अगर आप काम नहीं देंगे, खाने को भोजन नहीं देंगे, रहने को जमीन नहीं देंगे तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। अगर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, या किसी और चीज की आवश्यकता है तो सरकार को पक्का इरादा करना होगा, संजीदगी से सोचना होगा।

मैं इस दल में या उस दल में, या इस राज में या उस राज में क्या हुआ, इसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि इस नेता ने या उस नेता ने क्या कहा था ? जब तक तन की और मन की भूख नहीं मिटायी जायेगी तब तक शांति नहीं होगी। जब तक दरिद्र की भूख नहीं मिटेगी तब तक शांति नहीं होगी। ज्ञानी जी किसी भी हालत में उस भूख को दबा नहीं सकेंगे। यह होगा कि कभी यह मारा जाएगा, कभी वह मारा जायेगा। कभी जाति के लोग मारे जायेंगे कभी दरिद्र लोग मारे जायेंगे। इस सब को रोकने के लिये समाज के बड़े लोगों को सोचना होगा और अपने-अपने मन को बदलना होगा। जब तक आप मन को नहीं बदलियेगा तब तक समता नहीं होगी। अगर आप बन्दूक की नोक पर या किसी मुख्य मंत्री की ताकत पर शासन करने की बात सोचते हैं तो आने वाले समय में काम नहीं चलने वाला है।

धन्यवाद।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनपुरी का देउली गांव मेरे क्षेत्र में आता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जिला मैनपुरी है। देउली में हुई इस घटना से पूरी मानवता का सिर शर्म से झुक जाता है। वहां जो अत्याचार और अन्याय हुआ है वह मानव जाति के माथे पर एक कलंक है।

मैं माननीय ज्ञानी जी को खास तौर से बतलाना चाहता हूं कि 17 नवम्बर को मैं लखनऊ गया था और मैंने वहां के मुख्य मंत्री को पत्र दिया था कि देउली गांव के आसपास बदमाश रह रहे हैं, वहां पी० ए० सी० को लगाया जाए।

लोअर गंगा केनाल के किनारे-किनारे बबूल की झाड़ियां खड़ी हैं। उनमें डाकू छिपे रहते हैं। परंतु मेरे उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे पहले 4 नवंबर को डी. आई. जी. हैड-क्वार्टर इलाहाबाद को एक पत्र लिखा, उसमें जसराना एस. एच. ओ. के संबंध में लिखा और जो गुण्डागर्दी बढ़ रही थी, उसके संबंध में जिक्र किया था और इसके पहले जुलाई या अगस्त के महीने में मुख्य-मंत्री को एक पत्र लिखा, उसमें एस. एच. ओ. जसराना, श्री एम. एम. खान के विरुद्ध लिखा था और उसका उत्तर भी उन्होंने दिया है और जो गुण्डागर्दी और डाकुओं का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके क्षेत्र में कभी शांति रहती ही नहीं है तो मैंने कहा कि कम से कम जिन्दा रहने लायक स्थिति तो बनाइये। स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। रसैनी ग्राम जो वहां से एक मील दूर है वहां डाकू रहते हैं, इसलिये पी. एस. सी. की एक प्लाटून तैनात करवा दीजिये, परंतु मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया नहीं तो यह घटना रुक सकती थी। 17 नवंबर को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चार बजे लैटर दिया था और मुख्यमंत्री से बात भी हुई थी, परंतु हम लोग अपोजीशन के हैं, इसलिए हमारी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

मैं संतोषा डाकू के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। यह कहा जा रहा है कि यह कोई बड़ा डाकू नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूं। सन्तोषा ठाकुर का ससुर पदमवीर डाकू है, इसीलिये अपनी लड़की की शादी इसके साथ की है। पदमवीर ग्राम नवादा, थाना जसराना का रहने वाला है। संतोषा की जमीन ग्राम जाख थाना ओंछा, जहां इसकी ननिहाल है वहां पर भी है और देवली में भी इसकी जमीन है। सन्तोषा डाकू ने ग्राम विक्रमपुर थाना ओंछा के कुंवरलाल यादव को दंगल में गोली मार दी थी। वह बहुत कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इसने उसको मार दिया। इसके बाद नाटकीय ढंग से गायब हो गया। इसके गिरोह में सभी ठाकुर हैं। ये लोग जगह-जगह हरिजनों को लूटते और मार-पीट करते हैं। इसके गिरोह में राघे, बहादुरा, कप्तान, युधिष्ठर आदि हैं और दो-चार लोग देवली के भी हैं। इनको पूरे जिले के कांग्रेसी ठाकुरों का संरक्षण प्राप्त है।

इन सबका समर्थन इनको मिला हुआ है। इनकी योजना मेरे कत्ल कराने की भी थी, लेकिन मैं तो सावधानी के साथ रहता हूं, इसलिये ये कामयाब नहीं हो सके। बेचारे गरीब और साधनहीन जाटवों को इन्होंने मार डाला।

वहां के ठाकुर जमींदारों के बारे में बतलाना चाहता हूं। ये पंजाब या हरियाण जैसे जमींदार नहीं हैं। ये लार्ड कार्नवालिस के जमाने के जमींदार हैं। ये सब अपराधी हैं। हम लोग भी जब वोट मांगने जाते हैं तो हमारे साथ भी मिस-विहेव करते हैं और जीप पर धूल आदि फेंकते हैं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सन् 1961 में ठाकुर फतेह सिंह प्रधान का चुनाव जीते थे। उसके बाद जाटवों के सहयोग से नाहरसिंह लोधी 1971 में प्रधान का चुनाव जीते। तभी से ये जाटवों से रंजिश मानने लगे। नाहर सिंह ने हरिजनों को जमीनों के पट्टे भी दे दिये, इससे रंजिश और अधिक बढ़ गई।

1969 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय जसराना थाने के थानेदार लालसिंह से वहां के ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मिलकर जाटवों के बी० ए० एम० ए० में पढ़ने वाले लड़कों को थाने में बंद करा लिया। जब मैं जाजूमई के पुल से पार हुआ तो मुझे इस घटना के सम्बन्ध में उस दिन करीब 12 बजे बतलाया। मैं चार बजे जसराना कस्बे में पहुंचा। तब अंगनलाल, जो शिवदयाल मारा गया, उसका पिता है वह मेरे पास आया। मैं शाम को चार बजे थाने पहुंचा। मैंने अगनलाल जाटव को बी० डी० सी० का मैम्बर बनवाया था, ब्लाक समिति का मैम्बर बनवाया था। इन्होंने मुझे कहा कि थाने में चार पांच लड़के बन्द हैं। मैं थाने गया। उनको खाना खिलाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन जज की कोर्ट में केस गया। मैंने एम० एल० ए० की हैसियत से सफाई पक्ष की तरफ से बयान दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रिहा करवाया। ठाकुर और ब्राह्मण बुरी तरह से परेशान कर रहे थे। जगदीश, रामभरोसे, लीलाधर करधम का साला छुटनलाल आदि को मैंने छुड़वाया। जगदीश आगरा की तहसील एतमादपुर में टाउन एरिया में नौकरी करता था। तब उसने शिवदयाल को भी तहसील में चपरासी लगा लिया था। दीवाली के अवसर पर शिवदयाल घर दीवाली मनाने के लिए आया, मौत उसको भी वहां ले आई। ज्ञानी जी वहां का करुण दृश्य देख कर आए हैं। उसको देख कर आंसू बहने लगते हैं। शिवदयाल को भी किवाड़ तोड़कर मार डाला गया। मौत उसको यहां ले आई थी। दो-दो साल के बच्चों को मार डाला गया। उन कुत्तों को जिन्होंने बन्दूक की आवाज सुन कर भौंकना शुरू किया था, उनको भी डाकुओं ने नहीं छोड़ा और जान से मार दिया। सन्तोषा ने 16 तारीख को फरीदपुर गांव से पांच बन्दूकें लोधियों के यहां डाका डाल कर चुराई और पांच सौ कारतूस भी ले गये। 18 तारीख को इन्हीं बन्दूकों से उन्होंने गरीब जाटवों को मारा। पंचम सिंह के पुत्र मुन्शीसिंह के यहां उन्होंने खाना खाया। उसी दिन पंचायत की। यह एक कास्ट वार थी। मारने वाले भी ठाकुर और प्रश्रय देने वाले भी ठाकुर थे। मारने वालों में एक दो तैली, धानव आदि भी शामिल हो गये थे। उनको इन्होंने अपने गैंग में मिला लिया था। जबर्दस्ती उनको गांव में रहना था तो उनके गैंग में मिलना पड़ा। 1980 का चुनाव हुआ। तब एटा, मेनपुरी और इटावा में तीन जगह जाटव या शैड्यूल्ड कास्ट के एस० पी० थे। आज उनमें से एक भी नहीं है। बुद्धचन्द को मेनपुरी से**

इन लोगों ने ट्रांसफर करवा दिया। वह गरीबों और हरिजनों और पिछड़े वर्गों की मदद करता था। इसलिये उसको वहां से हटा दिया गया। उनके वक्त में जिले में काफी शान्ति थी। वह गरीबों की सुनता था। किसी तरह का आतंक तब नहीं था—

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है। कृपया अपने भाषण को पूरा कीजिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री आर० एन० राकेश : महोदय, हमें रात के 12 बजे तक चर्चा करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। कृपया इस बात को मेरे ऊपर छोड़िये। प्रत्येक सदस्य बोलता और चला जाता है। इस प्रकार पर्याप्त गणपूर्ति नहीं रहेगी।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : यह मेरे क्षेत्र का मामला है। अगस्त का महीना था। उत्तर दक्षिण में तो नहर बहती है और पूर्व पश्चिम में नदी और बिल्कुल किनारे देवली गांव स्थित है। तब अगस्त में थनसिंह ने पुलिस का जो मुखबिर था पुलिस को सूचना दी कि सन्तोषा, राधे, कप्तान वगैरह का गैंग देवली गांव में डेरा डाले हुए है। पुलिस मौके पर पहुंची। राधे तब टट्टी करने गया हुआ था। तब बरसात का मौसम होने के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी। राधे भी टट्टी करने गया हुआ था। जब इन दोनों को पता लगा तो ये नदी क्रास करके निजामपुर की तरफ भाग गये। इस केस में अगनलाल मिट्ठू, आदि जाटवों को पुलिस ने गवाह बना लिया। तब से वे लोग बहुत रंजिश मानने लगे और इन्होंने प्रण कर लिया कि हम सबूत खत्म करने के लिये उनको जान से मार देंगे। जब इनकी राइफलें आदि छीन ली गई पुलिस द्वारा तो** निवासी घाघऊ थाना जसराना के यहां कांग्रेसी ठाकुरों—की मीटिंग हुई जहां पर चन्दा करके सैमी आटोमेटिक, आटोमेटिक राइफलें खरीद कर उनको दी गई और इनसे उन्होंने देवली पर हमला किया और हरिजनों को मारा।

ठा० शिवराज सिंह जो मेरा कार्यकर्ता है उसके भाई साहब सिंह को पंचायत में बुलाकर और शराब पिला कर 1,000 रु० तय करा लिया। पिछले शनिवार 2 3 दिसम्बर को बदमाशों ने हथियार खरीदने के लिये थाना जसराना के अधिकारियों की सहायता के शिवराज सिंह को पकड़ लिया और डराया धमकाया। उसने कहा बदमाशों को हथियार खरीदने के लिये पैसा नहीं देंगे, ठाकुर जायें भाड़ में। ठाकुरों में सबसे ज्यादा पैसे वाले शिवराज सिंह और साहब सिंह हैं इसलिये उसको पकड़ कर ले आये। आप इन तथ्यों की जांच करायें। सन्तोषा, कुंवरलाल को मारने के बाद करीब 6 महीने गायाब रहा, ठाकुरों ने कहा कि सन्तोषा मारा गया, जबकि वास्तव में बहादुरा मारा गया था, और लाल जी**

करहल के यहां शैल्टर पाता रहा क्योंकि जसराना में ठाकुर कम हैं और करहल क्षेत्र में ज्यादा हैं।** ग्राम भदाना तहसील करहल के रहने वाले हैं। वहां खटिक ज्यादा हैं। सन्तोषा को नाटकीय ढंग से सरेंडर कराया गया** वर्तमान आई० जी० इसको पकड़ कर ले गये और मलखान सिंह के गैंग को जमुना किनारे ले जा कर इसको सरेन्डर कराया जब यह आया कि मुख्यमन्त्री का इस्तीफा हो जायेगा।** गरीबों के प्रति गलत व्यवहार के और अत्याचारी बड़ा जमींदार रहा है। एक खटिक के लड़के को हथकड़ी लगा लीं। वह शराब की दुकान करता है, 90,000 रु० उस लड़के के छुड़ाने के लिये इन्होंने लिखे हैं, ऐसी आम चर्चा है।

पुतूलाल लोधी, निवासी टोडापुर चौधरी, थाना जसराना के लड़के को सन्तोषा गैंग पकड़ कर ले गया और इनके दलालों ने 20,000 रु० लेकर छोड़ा। सन्तोषा हमेशा पिछड़े वर्ग और हरिजनों की पकड़ और डकैती करता है। हमारे मैनपुरी जिले में इस समय 4 सर्किल अफसर हैं

**अध्यक्षपीठ के आदेनुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया।

जिनमें 3 ब्राह्मण हैं। मैंने कई बार लिखकर दिया कि इतने ब्राह्मण नहीं रहने चाहियें। जानबूझ कर हरिजनों को एनकान्टर्स में पिछड़े वर्ग के लोगों को मार रहे हैं। पूरे प्रदेश जहां-जहां भी एन्काउन्टर्स पुलिस के हो रहे हैं वहां पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मारा जा रहा है। एक** सी० ओ० हैं, वह चरित्रहीन आदमी है उसने एक के भाई को पकड़ कर ले जाकर मार दिया जो पुलिस में इंस्पेक्टर का लड़का है। आप देखें इन एन्काउन्टर्स में अहीरों, लोधियों, जाटवों, काछियों और गड़रियों को ही मारा जा रहा है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक गरीब शोषित और पीड़ित लोग परेशान रहेंगे और यह सरकार उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। लगता है कि जाटव भाइयों को तो निकाल ही दिया जायेगा देवली गांव से।

जब गृह मन्त्री जी देवली गये थे उस समय दो, ढाई मील की दूरी पर ग्राम दनहौली गोरबा में जहां राधे की साली ब्याही हुई है वहीं पर सन्तोषा ठहरा हुआ था और वहां के पढ़े लिखे लड़कों को धौंस दे रहे हैं कि देवली जैसा तुम्हारा भी हाल कर देंगे। जब राधे की ससुराल वालों को पकड़ा गया तो**

वह रात घर वालों को छुड़वा गए राधे के।

इसी तरह से असगर अली जो प्यारे जाटव के यहां जूतों की मरम्मत करवाने आया था, उसको घायल कर दिया। आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करवायें खास तौर से क्योंकि गुण्डे और बदमाश तथा पुलिस दोनों उस पर दबाव दे रहे हैं कि वह अपना बयान बदले। और वह बयान नहीं बतला रहा है। उसको मारने के चक्कर में है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था यहां से करायें, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई विश्वास नहीं है और वह सबूत न दे सके, इसलिये उसे मार डालेंगे। उसके बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं।

जो 4 मरे हुए बतलाये जा रहे हैं—मुन्ना कल्लू वगैरह, इस समय एन-काउन्टर कर रहे हैं। जो मिल जाता है, उसी को दिखला देते हैं। कुतुबुद्दीन उसमें है, एफ० आई० आर० में है। पहले रिपोर्ट ही सही नहीं लिखी गई, 20, 25 आदमी डकैती डालने आये, उसमें लिखा गया। कुतुबुद्दीन उसमें नामजद है। अजीज जो कि बगिया का है जहां वह असगर अली है, उसके गांव का है, उसको छोटा सा बदमाश कह दिया और मार दिया और कहा कि यह भी देवली कांड में है। पुलिस जिसको पकड़ रही है, उसे बतलाती है कि यह देहुली कांड में हैं। जो असली मुल्जिम हैं, वह बचे हुए हैं और उनको शैल्टर देने वाले ठाकुर हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहे वह किसी भी कौम के हों।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि जब कोई ठाकुर मर जाये बहमई में तो एक-एक को 50,50 हजार रुपये दिये जायें और अगर कोई जाटव मर जाये तो 5,5 हजार यानी एक-दसवां भाग, कोई हरिजन मर जाये तो एक-दसवां भाग। 9 आदमी जायमई में मर गये, 9 आदमी फाजिलपुर जरैली में लोधी मारे गये। मेरा कहना है कि शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को भी उतना ही दीजिये जितना ठाकुरों को दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको 50,000 कैसे दिया गया है।

जो सूचना आई, खबर भी है जसराना थाना, आपने जो पिछले बयान में कहा था कि देवली गांव रेल-सड़क से बहुत दुर है। यह हमारे घर से 3 मील दूर है, 4 मील पर जसराना

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

थाना है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थाना और सड़क 4,5 मील पर है। उस वक्त पी०ए०सी० मुस्तफाबाद के पुल पर पड़ी थी, उसको भी खबर थी, जसराना थाने को भी थी। शाम के 6 बजे थे लेकिन कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस के दो सिपाही और एक थानेदार को गश्त के लिये भेजा गया। जब इतनी बड़ी घटना थी तो यह योजनाबद्ध थी। पुलिस के एम० ओ० खां एस० ओ० हैं, उनकी सलाह से सब हुआ है, यह नहीं, बदमाशों ने जाटवों के घरों से घी और आटा लेकर पूड़ियां बनवाई और खाई और तब गये। क्योंकि पुलिस और जसराना थाने के लोग उनसे मिल लिये थे। अपराध के बाद बदमाश फौरन भागते हैं, लेकिन वहां पर वे वहीं रहे, जाटवों के घी और आटे से पूड़ियां बनवाकर खाकर गये हैं। दारू तो सबने पी ही है।

यह जाति संघर्ष है, इस बात को जगह-जगह यहां भी कहा है और जगह भी कहा है। अपराध सन्तोषा डाकू और राधे ने किया है। जो माननीय प्रधान मन्त्री का कथन है वह गलत है। वह कहती हैं, क्लासवार है कास्टवार नहीं है। यह सब मारने वाले ठाकुर हैं और मरने वाले जाटव हैं। चीफ मिनिस्टर महोदय भी ठाकुर हैं। पूरे क्षेत्र में आतंक छाया हुआ है। गरीबों को, पिछड़ों को, हरिजनों को ही जानबूझकर मार रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि यहां के लिये देवली के लिये सड़क जसराना थाने से जो कच्ची है, उसको पक्का कराया जाये जिससे वह जीपेवल एरिया हो जाये और पुलिस वहां जा आ सके। दिनौली गौरवा में पढ़े-लिखे जाटव हैं और इस गांव के भी पढ़े-लिखे लड़के सी० ओ० डी० में नौकरी में लग गये हैं, वहां के ठाकुर यह नहीं चाहते कि लोग हमारी बराबरी कर सकें, कपड़े साफ पहन सकें और घूमें। वहां पर सन्तोषा राधे जब रुके, दिनौली कोरवा में तो वहां भी धौंस दे गये हैं, वहां भी खतरा है। वहां की भी व्यवस्था करें जिससे वह सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिये और सरकार को डिस्मिस किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को संक्षेप में बोलने की प्रार्थना करूंगा, चूंकि उनकी संख्या अधिक है, उन्हें केवल पांच मिनट की अनुमति दी जायेगी। श्री पनिका आपको मेरी सहायता अवश्य करनी चाहिये। कृपया आप अपने भाषण को 5 मिनट के अन्दर समाप्त कीजिये।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले आपने एक रिमार्क किया था कि हम लोगो को पालिसी पर बोलना चाहिये। मैं प्रयास करूंगा उन बिंदुओं और नीतियों पर चर्चा करने की, जिनके कारण देवली जैसी शर्मनाक और हृदय-विदारक घटनाएं घटती हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले सदस्यों और सारे देश की जनता को इस लोमहर्षक हत्या-कांड पर दुःख है। मैं समझता हूं कि यदि किसी को इस पर दुख नहीं है, तो शायद वह इन्सान नहीं होगा।

मैंने श्री रघुनाथ सिंह वर्मा के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है। उनके भाषण से साबित है कि उन लोगों और हत्यारों में काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। सरकारी वर्शन से भी वह पता लगता है कि उन दोनों में दुश्मनी चली आ रही थी। यह कोई ऐसी घटना नहीं है, जो

शासन-व्यवस्था की किसी कमी के कारण घटी है, बल्कि वर्षों से आपस में जो दुश्मनी चली आ रही है, उसकी वजह से घटना घटी है। लेकिन उसके बाद देश की सरकार और विशेषकर राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो कार्यवाही की, हम उसको जरूर आंकें। मुख्यमन्त्री वहां जाते हैं और करुणा की अनुभूति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह अपने मुख्यमन्त्रित्व को भी दांव पर लगा देते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं तत्काल इस्तीफा दे दूं। लेकिन उनके दिमाग में उनके कर्त्तव्य की बात थी, इसलिए उन्होंने कहा कि 24 दिसम्बर तक इन हत्यारों को पकड़ने और उस इलाके के मुख्य दस्यु गैंग्ज को खत्म करने में सफलता न मिली, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने जो दृढ़ संकल्प और व्रत लिया, उसका नतीजा क्या हुआ ? आपने देखा कि 19 दस्यु प्रकाश में आए थे, जिनमें से 5 पकड़े गए, 3 ने समर्पण किया और 4 मार दिए गए, अर्थात् 19 में से 12 को सरकार ने किसी न किसी रूप में अपने कब्जे में करने में सफलता प्राप्त की।

जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, इस प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि देवली कांड के सम्बन्ध में सरकार की असफलता पर चर्चा की जाए। भूतकाल में भी ऐसे बहुत से कांड हुए हैं : बेलछी, नारायणपुर, बाबू जगजीवन राम के क्षत्र में, जो हरिजनों के नेता हैं, ऐसा कांड हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि तत्कालीन सरकार ने हरिजनों की सुरक्षा के लिए क्या किया था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर, श्री मोरारजी भाई, बेलछी नहीं गए। जगजीवन बाबू के क्षेत्र में हरिजनों को जलाया गया था। वह मन्त्री थे, लेकिन वह भी नहीं गए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम गए थे।

श्री राम प्यारे पनिका : आप बाद में गए होंगे।

जैसे ही वह घटना घटी, मुख्य मन्त्री मौके पर पहुंचे। माननीया प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री, संसद-सदस्य श्री राजीव गांधी और बहुत से अन्य संसद-सदस्य मौके पर पहुंचे।

कहा गया है कि बेहमई कांड के मृतकों के परिवार को पचास हजार रुपये दिए गए थे, जबकि देवली कांड में मरे लोगों के परिवारों को कम रकम दी गई है। यह सत्य से परे है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने मरने वालों के परिवारों को दस दस हजार रुपये दिये इसके अलावा प्रधान मंत्री के कोष से पांच हजार रुपये दिये गये। क्या यह तारीफ के काबिल नहीं है ? बेहमई की घटना में मुख्य मंत्री की अपनी बिरादरी के लोग मारे गये थे। तब उन्होंने इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी। लेकिन जब देवली में 24 हरिजन मारे गये, जिनमें 9 पुरुष, 6 महिलाएं और 9 बच्चे थे, तब द्रवित होकर उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

संकल्प लेते हैं उनकी सहायता करने के लिए। क्या यह सही बात नहीं है ? हमारे बहुत से साथी मौके पर गये थे, वह जानते हैं कि इधर उनके पुनर्वास के लिए हमारी प्रदेशीय सरकार ने व्यवस्था की है। आज वहां बिजली लग गई, पेय जल की व्यवस्था हो गई, जो कच्ची सड़क थी वहां ईंटों से पक्की सड़क बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। जो व्यवस्था सामने है वह आप देखें। यही

नहीं, जिनको चोट आई थी उनको चार हजार रुपया प्रदेशीय सरकार ने दिया और प्रधान मंत्री कोष से उनको दो दो हजार रुपया दिया गया। तो इस घटना के बाद जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वह व्यवस्था सरकार ने की है। क्या ऐसी व्यवस्था पहले हुई है ? यदि ऐसी व्यवस्था पहले नहीं हुई है तो निश्चित तौर से हमारी सरकार और मुख्यमंत्री प्रशंसा के पात्र हैं।

बहुत से लोगों ने ला ऐंड आर्डर की बात की। क्या यह बात सही नहीं है कि विभिन्न अपराधों के यदि आप तीन चार सालों के आंकड़े देखें तो उसमें गिरावट आई है। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं। डकैतियों में देखें तीन वर्षों में 20.69 प्रतिशत की कमी हुई है। राबरी में 18.4 प्रतिशत की कमी हुई है, रायट में 12.03 प्रतिशत की कमी हुई है। बरगलरी में 18.25 प्रतिशत की कमी हुई है और टोटल में 5.7 परसेंट की कमी हुई है। इस तरह से हर क्षेत्र में गिरावट आई है। क्या यह वहां की ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था में सुधार होने की बात नहीं है ?

आप दो साल के अंदर देखें किस तरह से लोग साम्प्रदायिक दंगे फैला रहे थे, उस पर हम ने कब्जा पाया किस तरह से विद्यार्थियों को बहकाया जा रहा था, उनसे हमने परीक्षाएं दिलवायीं। प्रदेश भर में इस प्रकार से यह बात हुई है।

एक बात मैं मंत्री जी से जरूर कहना चाहता हू कि जो विकास के काम हैं जिनके न होने के कारण ये घटनाएं घटती हैं उन कारणों को दूर करना होगा। आपको जमीन के रिफार्म के काम करने होंगे। अभी बावजूद तमाम प्रयासों के 25-30 साल में जितनी 15-16 लाल हेक्टेयर जमीन प्राप्त हुई थी उसका केवल आधा वांट सके हैं और वह ऐसी जमीन बंटी है बहुत से लोगों के कब्जे जिन पर नहीं हो पाए हैं। इसलिए यह काम आपको करना होगा। आपको देखना होगा कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की जो नीति है उसका पालन हो। बैंकों से जो सुविधायें मिलनी चाहिए अगर आप रेकार्ड उठाकर देखें तो हरिजन आदिवासी खेतिहर मजदूर और गरीबों को उस में बहुत कम प्रतिशत में हिस्सा मिला है, केवल तीन चार प्रतिशत ही वह सुविधायें उनको मिलती हैं। बाकी समाज के जो बड़े लोग हैं वे उसको हड़प लेते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जो छोटे और बड़े की लड़ाई है उसको समाप्त करने के लिए निश्चित तौर से आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया जाय। यह आपको करना होगा। साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी यही नहीं हर एक स्टेट को डायरेक्टिव दिये थे जैसे ही दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली थी किस किस तरह से हरिजनों के उत्पीड़न को रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये, उसको देखना होगा, कि हर स्टेट उसका पालन करे और जमीन के वितरण की व्यवस्था हरिजनों में हो। इस में भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अनुकरणीय काम किया है। आज जमीनों के आबंटन के लिये हर स्टेट में अलग अलग कानून बने हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा किये हुये हैं उनके सजा की व्यवस्था पिछले वर्ष कानून के अंदर कर दी गई है। यही नहीं, आदिवासी और हरिजनों के बारे में अभी केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है लेकिन अपने स्तर से ही विश्वनाथ प्रतापसिंह ने उत्तर प्रदेश के 13 आदिवासियों को आदिवासी मानकर उनके विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया है। यही नहीं, अभी भाई तिवारी जी 1957 की बात बता रहे थे, वह जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी किस घराने के हैं, उस समय वह भूदान मूवमेंट में आए, गरीबों के प्रति

उनकी क्या भावना है उसका पता इसी से चलता है कि अपनी जो सबसे अच्छी जमीन थी उसे उन्होंने गरीबों में बंटवा दिया। इसके अलावा ललिता शास्त्री जी का जो गरीबों और हरिजनों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है उसके लिये उन्होंने अपने महल का आधा हिस्सा दे दिया। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि केवल एक बिरादरी का नाम लेकर इस तरह से सदन में बात करना ठीक नहीं है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसे देखने की बात होनी चाहिए। लेकिन जब भी कभी उसके बारे में यहां बात होती है तो उसे राजनैतिक पुट दिया जाता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीया प्रधान मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में और हरिजनों के उत्पीड़न को समाप्त करने के सम्बन्ध में डायरेक्टिव दिये हैं उनका पालन किया जाना चाहिये और उसके लिए चाहे वह कम्पोनेंट प्लान हों चाहे आदिवासियों के सब प्लान हों इन सभी को कार्यान्वित करना चाहिये अन्यथा, पचास प्रतिशत से ऊपर जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको ऊपर उठाने की जो बात छठी योजना में आपने रखी है वह पूरी नहीं हो पायेगी। उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाने होंगे और उनको कार्यान्वित करना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसे देखना होगा। विभिन्न स्तरों पर इम्पलीमेंटेशन कमेटी बनानी पड़ेगी। चाहे उत्पीड़न की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो और चाहे कुरीतियों को दूर करने की बात हो।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में विचार होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सफल हुए हैं, अपने कार्यक्रमों में, आपको इस्तीफा देने की वी बात नहीं करनी चाहिये। एक कर्मठ और एक योगी की तरह आप प्रदेश का कल्याण करें, जिससे कि गरीबों का उत्थान हो सके।

सभापति महोदय : श्री जगजीवनराम।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं भी काफी समय से अध्यक्ष पीठ के पास बोलने के लिये पर्चियां भेज रहा हूं।

समापति महोदय : आप एक युवा सदस्य हैं आप प्रतीक्षा कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे पहले से इस बारे में बताया जाना चाहिये था ताकि मैं उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाता।

सभापति महोदय : क्या आप आज रात की गाड़ी से जा रहे हैं?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे पास पहले ही कम समय है। मैं बैठ जाऊँगा क्योंकि आप श्री जगजीवन राम को बोलने के लिए पहले से कह चुके हैं, किन्तु मुझे अवश्य ही विरोध व्यक्त करना चाहिये।

सभापति महोदय : विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जो कुछ आपने कहा है मैं उसे ध्यान में रखूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल ध्यान देना ही प्रर्याप्त नहीं है, इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री जगजीवनराम ।

श्री जगजीवनराम (सासाराम) : सभापति महोदय, देवली कांड के बारे में वहुत से विस्तार के विषय आ चुके है, मैं उस विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा । वहुत वड़ी समस्या आज हिन्दुस्तान के अनुसूचित जातियों की हैं, उसको भी उठाना नहीं चाहूंगा । वह समस्या धार्मिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है । कुछ लोगों ने कहा कि उनको आइसोलेशन में दूसरों से पृथक नहीं जाना चाहिये । दुर्भाग्य यह है कि उनको आइसोलेशन में ही रखा गया है । उनके जाने का प्रश्न नहीं है, उनको अइसोलेशन में पृथक रखा गया है । वे मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दिया जाता है ।

दिल्ली शहर से कोई अनुसूचित जाति वाला हिन्दू के मकान में किराये पर नहीं रह सकता है । उसको या तो मुसलमान के मकान में रहना पड़ता है या गैर हिन्दू के मकान में रहना पड़ता है । इस प्रकार वह मुख्य धारा में आवे कैसे । यह दल का सवाल नहीं है । मैं यह नहीं मानता हूं कि डाकू जब आक्रमण करता है, तो सोच लेता है कि गैर-कांग्रेसी है और इसके ऊपर करना चाहिये । सबके लिये मिली-जुली समस्या है ।

इसमें सन्देह नहीं कि आजादी के वाद उनके (अनुसूचित जातियों) अन्दर जागृति आई है । शिक्षा का फैलाव हुआ है । इसमें सरकार का अंशदान रहा है । साथ ही साथ समय के साथ भी परिवर्तन हुआ है । उनमें आत्मसम्मान की भावना आई है । अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध करने की भावना आई है और जैसे-जैसे यह भावना जागृत होगी, उनके ऊपर अत्याचार वढ़ेगा । मैं यह आशा नहीं कर सकता हूं कि ज्ञानी जैलसिंह कह सकेंगे कि अब देवली जैसा काण्ड नहीं होगा । मैं मानता हूं कि ऐसे कांड होंगे और होना मैं मानता हूं कि सामाजिक क्रांति का एक अंग होगा । सामाजिक क्रान्ति आने वाली है और आ रही है । सवाल यह हो जाता है कि सरकार की तरफ से क्या किया जाये । मैं आरोप और प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के व्यक्तित्व को भी मैं वहस में नहीं डालना चाहता हूं—कहा जाता है कि वे सरल और सज्जन व्यक्ति हैं । इसलिए मैं उनके बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा यदि ऐसा कहा जाय कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ठाकुरवाद को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके साथ अन्याय करना होगा । लेकिन ठाकुर मुख्यमंत्री बन जाए, तो ठाकुरों के अन्दर ऐसी भावना आ जाती है। इसको कौन रोक सकता है । इसके लिए सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोषी नहीं कहा जा सकता है ।

ताज्जुब यह होता है जब लोग कहते हैं कि हम इस को (देवली कांड को) मान लिया जाए कि यह अपराधियों का काम है । मेरे सामने एक ज्वलन्त समस्या है, प्रधान जी, कि अब हिन्दू-मुसलमानों का दंगा हो, तो उसे कम्युनल रायट कहा जाएगा, साम्प्रदायिक दंगा कहा जाएगा, जब पूंजीपतियों और श्रमिकों का संघर्ष हो, तो उसे वर्ग संघर्ष कहा जाएगा लेकिन जब बेचारे अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ ऐसी घटना हो, इसे अपराधियों का काम कहा जाएगा । यह

एक विडम्बना है इस का अर्थ यह है कि आप वस्तु-स्थिति का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं। वस्तु-स्थिति का मुकाबला करना चाहिये। ज्ञानी जैल सिंह जी से मैं कहूंगा कि मुझे बताया गया कि उन लोगों को (देवली वालों को) डर था, उन को खतरा था और पुलिस को सचना दे दी गई थी और बंदूकों के लिये वे लाइसेन्स मांगते थे और थाने वालों ने उस को ऊपर भेज दिया था और यह आप को देखना चाहिये कि किस ने उसको रिजेक्ट (नामंजूर) किया।

एक माननीय सदस्य : कलेक्टर ने रिजेक्ट किया।

श्री जगजीवन राम : मैंने जब कहा कि अनुसूचित जातियों के लोगों को हथियार देने चाहिये, तो लोगों ने कहा कि इस से सिविल वार (गृह युद्ध) हो जाएगी। ठाकुरों और यादवों को दिया जाये, तो सिविल वार नहीं होगा। अगर बंदूकों के लाइसेन्स देने से सिविल वार होने को हो, तो सब के (बदूक) जब्त कर लेने चाहिये। साधारण बुद्धि का तकाजा यही है।

मैंने एक सुझाव और दिया था कि अवैध हथियार जितने लोगों के पास हैं, उन को जब्त करना चाहिये। आप कहेंगे कि जब्त नहीं होंगे और मैं कहुंगा कि पुलिस की जानकारी के बिना किसी के पास अवैध हथियार नहीं रहता है। जहां हथियार बनाए जा रहे हैं, उन कारखाने वालों को पकड़िये। आप कहेंगे कि पकड़ना आसान नहीं है। बहुत चीजें आप के लिए आसान हैं। आप का खुफिया विभाग है। आखिर उस में कुछ दक्षता लाने की जरूरत है। देश में शान्ति और व्यवस्था रखना है तो ऐसा करना जरूरी है। अवैध हथियारों को आप नहीं रोकेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए जो आप से लाइसेन्स मांगता है, उस को आप लाइसेन्स नहीं देंगे, तो उस के सामने रास्ता क्या है। वह भी अवैध हथियार हासिल करेगा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि शारीरिक शान्ति के दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति का कोई जवान किसी दूसरे से कमजोर है। जब वह देखेंगे कि मरना ही है, तो वह मारने के लिए तैयार होगा। वह स्थिति न आवे, इस का आप को इन्तजाम करना होगा।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। इशारतन कहा गया कि यहां जाटव भी डाकुओं के गिरोह में शामिल थे। डाकुओं के गिरोह बहुत हैं लेकिन कोई यह बता सकता है कि किसी गिरोह में सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं? दूसरे भी रहते हैं और दिहुली के बारे में यह कहा गया कि एक तेली था और एक नाई था। तो क्या एक साधारण बुद्धि वाला आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि जब डाकू एक तेली से, एक नाई से कहेंगे कि आओ हमारे साथ चलो और जाटवों के घर का पता बताओ, तो क्या उनकी हिम्मत होगी कि वे वहां न जाएं। क्या वे उस घर को नहीं बताएंगे? यह एक साधारण बुद्धि की बात है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था लेकिन वस्तु-स्थिति वही है कि यह ठाकुर और जाटव संघर्ष था। एक कास्ट वार (जाति सम्पर्क) हिन्दुस्तान में चल रही है और ना कह देने से वह बन्द नहीं होगी। मैनपुरी की स्थिति यह है कि वहां कमजोर वर्गों की बात कौन कहे, वहां के ब्राह्मण भी देहात के मकान छोड़ कर शहरों में आ चुके हैं। शायद इस की आप को जानकारी होगी। तो शान्ति और व्यवस्था की स्थिति वहां बिगड़ी है। बहुत से कांग्रेसी मेम्बरों के लिए जनता पार्टी आदर्श है लेकिन मैं यह नहीं

कहता कि जनता पार्टी में सब अच्छा कुछ हो गया था। यह तो अनुसूचित जातियों पर अत्याचार, सामाजिक संघर्ष है। यह चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, या आपकी सरकार में रहे या किसी और की सरकार रहे, इस दोष से किसी को मुक्त किया नहीं जा सकता। किसी को यह संतोष हो सकता है कि अत्याचार किसी साल कम हो गया, किसी साल ज्यादा हो गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कम हो रहा है। मैं यह नहीं मानने वाला हूं कि यह कम होने वाला है। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से भी एक बड़ा वर्ग सर्वहारा समुदाय है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं। उन पर भी आज उत्पीड़न है। जिस स्थिति में वे रखे गये हैं, उस स्थिति से वे निकलना चाहते हैं। अगर आसानी से निकल सके तो आसानी से निकलेंगे, संघर्ष कर के निकल सके तो संघर्ष कर के निकलेंगे।

जब सर्वहारा वर्ग उठने लगता है तो निहित स्वार्थ उसको दबाता है। यह दुनिया का नियम है। यह हरेक मुल्क में हुआ है, यहां भी होगा और वह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उसका विश्लेषण आपको करना चाहिए। आपके सचिवालय को उसके लिए एक महकमा खोलना चाहिए।

यह सिर्फ अनुसूचित जातियों का ही सवाल नहीं है। माइनोरिटीज (मुसलमानों, इसाइयों, सिक्खों) के साथ क्या हो रहा है? आज वे अपने मन की बात कहने का साहस नहीं कर रहे हैं। वह आपके लोक तंत्र के लिए चिन्ता का विषय है।

मैं फिर कहता हूं कि मैं आरोप, प्रत्यारोप करना नहीं चाहता। आपकी कांग्रेस की कुछ नीतियां रही हैं। आपने सेक्युलर नीति को अपनाया, आपने जातिपांति को मिटाने का यत्न किया। मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई अन्तर्जातीय विवाह करे तो आपके दल से तानाकशी की जाए, यह आपके मौलिक सिद्धांतों पर आघात है। (**व्यवधान**) आप अगर करना चाहते हैं तो करिये, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह मान लेना पड़ेगा कि आपका आचरण सेक्युलरिज्म और एन्टी कास्ट प्रक्रिया से हट चुका है। यह आपके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए, देश के लिए भी चिन्ता का विषय होना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता था कि यह कहा गया कि लाटूरी का बेटा जिसके खानदान को समाप्त कर दिया गया, डाकुओं के गिरोह में था। यह भी कहा गया कि चोरी के माल के बंटवारे पर झगड़ा हो गया। बहुत से लोग लाटूरी के घर गए होंगे। उसका घर विपन्नता का प्रतीक है। उसके यहां कितनी गरीबी है। डाकुओं के गिरोह में रहने से कुछ तो आमदनी होती। यह छोटी बात नहीं है, मैं चाहूंगा ज्ञानी जी इसके लिए सुप्रीमकोर्ट के जज के मातहत न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लाटूरी का बेटा डाकुओं के गिरोह में शामिल था या नहीं था। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि आई० जी० ने कह दिया। यह मारकाट पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ। यह न्यायालय तब करेगा कि पुरानी दुश्मनी से हुआ है या नहीं। पुलिस अधिकारी यह कह दें वह क्षम्य नहीं है। यह तो न्यायालय को तब करना है। अगर यह न्यायालय के सामने सिद्ध होता है तो अपराधी की सजा कम हो जाती है। यह किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से कहा जाए

तो शुबहा होने लगता है कि शायद देवली के अपराधियों का भी वही होगा जो कफल्ता वालों का हुआ। सभी के सभी अपराधी छोड़ दिये गये। फिर गरीबों के लिए रास्ता क्यों रह जाता है ? आपकी पुलिस से उनकी सुरक्षा नहीं। आपकी हथियार देने की नीति में कहीं-कहीं यह पूछा जाता है कि आपका मकान पक्का है या नहीं जिसमें कि बन्दूक सुरक्षित रह सके। कितने अनुसूचित जातियों के मकान पक्के हैं ? इस तरह तो उनको हथियार ही नहीं मिलेंगे। मैं वहां (देवली) गया तो लोगों ने कहा कि हमारे पास बन्दूक होती तो हम भी आपके बचाव में लड़ते। मैं यह मानता हूं कि किसी की भी हत्या हो, यह निंदनीय है, उसके लिए हमको अफसोस करना चाहिए, लेकिन एक कमजोर वर्ग की होती है और एक मजबूत वर्ग की होती है—इसमें अन्तर है। मजबूत वर्ग की होती है तो उसमें रीटेलिएशन (बदला लेने) की शक्ति है। यहां कहां रीटेलिएशन (बदला लेने) की शक्ति है ? इसलिए यह कह देना कि सभी अपराधों को बराबर मानना चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समानता का अर्थ इक्विटी (न्यायपूर्ण समानता) होती है, हर मामले में सिमिलेरिटी (एक रूपता) नहीं होती। इस अन्तर को समझने की आवश्यकता होती है।

बेहमई में भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं और ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं, सबके बारे में कह रहा हूं। सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं, ठाकुरों और ब्राह्मणों के लिए भी, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तय कर लिया जाए कि जिस परिवार में सीमित साधन हों, उन सभी बच्चों के लिए आप एक पब्लिक स्कूल शुरू कीजिए। बच्चों का कोई अपराध नहीं है। यह काम आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं होगी और होगी तो किसी के परिवार की रकम खर्च नहीं होगी, हिन्दुस्तान की जनता की रकम होगी। यहां (देवली में) आपने भी देखा होगा कि जिस व्यक्ति के दो जवान बेटे मारे गये, वह टी. बी. का मरीज है। कोई भाई गिना रहे थे कि 10 हजार उन्होंने दिए, 5 हजार उन्होंने दिये, 2 हजार उन्होंने दिये तो आप हिसाब कर लीजिए कि इस पैसे को फिक्स डिपाजिट में रख दिया जाये तो कितनी आमदनी होगी और क्या उसके परिवार का गुजारा हो जाएगा ? क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि उनकी इतनी आमदनी बना दी जाय कि जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो सके और क्या हिन्दुस्तान की जनता उसके लिये एतराज करेगी कि हमसे जो रेवेन्यू (टेक्स और कर) लेकर खजाने में रखी है उसका गलत उपयोग कर रहे हैं।

एक हवाई-जहाज का पैसेंजर मरता है तो उसको एक लाख मुआवजा देते हैं और इस तरह के लोग मर जाते हैं, जिनका अर्जन करने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है, उनके लिए इतना तो कीजिए कि उसका गुजारा हो सके।

एक बात और कहूंगा कि यह वर्ग-संघर्ष नहीं है, यह जाति संघर्ष है। झारखण्डे जी ने कहा कि अनुसूचित जातियों के साथ सभी गरीबों को आना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि सभी गरीब साथ आएं, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन दोहरी चाल, दुरंगी है। कारखाने में काम करने वाला ब्राह्मण मजदूर के साथ जाता है, लेकिन गांव में आकर वह मजदूर के साथ नहीं

जा सकता। इस चीज को आप कैसे भुला सकते हैं। जब गांव में संघर्ष होगा तो ऊपर की जाति वालों के साथ और नीचे की जाति वाला नीचे की जाति वालों के साथ जाएगा। अनुसूचित-जाति वाले आइसोलेट (अकेले) नहीं हैं। सर्वहारा का एक बड़ा समुदाय उनके साथ रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। सर्वहारा में हिन्दू होंगे, मुसलमान होंगें, ईसाई होंगे और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चल रही है और इसको समझने की आप कोशिश करें। इसको रेशमी रूमाल से बांध देने की कोशिश मत कीजिए नहीं तो कैंसर बढ़ता जाएगा। उसको खोलकर देखिये। देवली उस श्रृंखला की एक कड़ी है जो श्रृंखला आरम्भ हो चुकी है।

शोषितों का, लांछितों का, पददलितों की मुक्ति का जो श्रीगणेश हो चुका है आप अगर इस में मदद करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जिस बात का दावा करते नहीं थकती है उसकी पूर्ति होगी। अगर इस में आप घबरा गए अगर आपने यह समझ लिया कि कमजोर वर्ग को शक्ति देने से संघर्ष होगा तो आप हिन्दुस्तान में कोई सामाजिक क्रान्ति नहीं ला सकेंगे, हिन्दुस्तान की समाज को आप आधुनिक समाज नहीं बना सकेंगे। तब यह वही परम्परावादी समाज रह जाएगा जिस के कारण हमारा पतन हुआ है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। तब बहुत सी कड़वी बातें कहनी पड़ेंगी जो मैं कहना नहीं चाहता। कम से कम जो अनुसूचित जाति के लोग मारे गए हैं, उनके परिवार पर जो लांछन लगाया जा रहा है, उस लांकन की सफाई तो आप कर दें। उस लांछन की सफाई उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन (सरकार) की जांच से नहीं होगी क्योंकि वह पुलिस द्वारा कराई जाएगी। पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए न्यायिक जाँच होनी चाहिये।

आप लाइसेंस देने की नीति को देखें। मैं नहीं कहता हूं कि सभी अनुसूचित जाति के लोगों को आप हथियार दे दें। लेकिन जहां जहां इस तरह के कांड हो रहे हैं, या होने की सम्भावना है क्या वहां उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना आपका कर्त्तव्य नहीं है ? क्या वे इसी तरह से निरीह मरते रहें ? एक तरफ लाठी और दूसरी तरफ आटोमैटिक राइफलें, दोनों की समानता नहीं हो सकती है। इसलिए जिन के पास लाठी है उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा।

यहां आंकड़े दिखाए गए हैं। यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के इतने डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं। मैं आप से इतना ही पूछना चाहता हूं कि छः महीने पहले कितने थे और आज कितने हैं, इतना तो आप बता दें। आपने यह बता दिया तब असली मामला खुल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और एक कदम नीचे उतर कर अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति स्टेशन हाउस अफसर जो होता है या थानेदार जो होता है, उन में कितने इन जातियों के लोग छः महीने पहले थे और आज कितने हैं, इतना भर ही आप बता दें और साथ ही साथ यह भी बता दें कि जनरल लाइन से हटा कर साइड में कितनों को लगा दिया गया है इस बीच। आंकड़े मैं देना नहीं चाहता। लेकिन जिस का कोई औचित्य नहीं हैं, वे आकड़े यहां दिए हैं। मेरे पास भी कुछ आंकड़े आ जाते हैं। यह आंकड़ा आप ही देदें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी तरफ से मैं देना नहीं चाहता।

मैंने दो तीन सुझाव दिए हैं। जिन के परिवार के लोग मारे गए हैं आपने देखा होगा, आप मुझे से पहले वहां पहुंचे थे—उनको इन लोगों ने मारा ही नहीं उनके घरों में जो कुछ भी था उस को भी वे लूटकर ले गए और जो आटा नहीं भी ले गए उस में भूसा मिला दिया ताकि उसको ये खा न सकें। सरकार प्रक्रिया के अनुसार मदद मिलने में कुछ समय लग जाता है। मदद आप उसी को दे रहे है जिस के परिवार में कोई मरा है। लूटे वे भी गए हैं जिन के परिवार में कोई मरा नहीं है या सौभाग्य उस वक्त वे घर में नहीं थे। तीन दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिल सका था। आपके अधिकारी वहां लिस्टें तैयार कर रहे थे। लिस्टें तैयार हों और फिर मदद आवे, इस में समय लग जाता है। आप तो जानते ही हैं कि क्षुधा की ज्वाला मानती नहीं है। आगे से आप यह भी इन्तजाम करें कि ऐसी घटना हो जाए चाहे किसी के साथ भी हो, मानवता का यह तकाजा है कि समय पर उनको कुछ राहत पहुंच जाए। ऐसा प्रबन्ध आपकी तरफ से होना चाहिये

बच्चों की पढ़ाई की बात भी मैंने आप से ही कही है। इस पर जरा सहानुभूति से सोचें क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनको आप इस लायक बनाएं कि वे समझें कि हमारा पिता मारा गया लेकिन हम किसी लायक बन गए। आप क्यों नहीं उनके लिए पब्लिक स्कूल शुरू कर करते है ?

आप मुआवजा भी ठीक तय करें। हवाई जहाज की दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को एक लाख दिया जाता है। डकैतों द्वारा निरीह मारे जाएं तो उनके परिवार वालों को भी एकलाख मुआवजा नहीं मिलना चाहिये ? यह आप दें।

हथियारों के मामले में दुरंगी नीति को आप समाप्त करें। क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर जिस तरह से बैंकों से कर्ज मिलता है उसी तरह से क्रेडिट वर्दिनस के ऊपर आपके हथियार भी मिलने लगें तो गरीबों का फिर समाज में गुजर नहीं होगा। देश में गरीबी ज्यादा है।

मैं किसी के ऊपर लांछन लगाना नहीं चाहता। लेकिन आपके मातहत खुफिया विभाग है। उत्तर प्रदेश में आम चर्चा क्या है, इसका भी पता आप लगा लें खासकर इस एनकाउन्टर (पुलिस डाकू मुठभेड़) के बारे में। आम धारणा है कि यह सब बनावटी एनकाउंटर्ज (मुठभेड़) हैं। इसकी भी आप जांच न्यायिक कराइये। अगर आप बुरा न मानें तो एक लिस्ट दे दीजिए कि किन-किन जातियों के लोग इन एनकाउण्टर (मुठभेड़) में मारे गए हैं। मामला साफ हो जायगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहता, कीचड़ भी नहीं उछालना चाहता हूं। जिनका दिमाग छोटा होता है वह कीचड़ उछाला करते हैं, उनका दिमाग उनको मुबारक रहे, इतना ही मैं कहूंगा। जो देवली में चला गया वह तो चला गया, आगे से इस तरह की घटनायें रुक जायें, यह तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर आक्रमण हो वह कुछ मुकाबला करने की स्थिति में हो जायें इसके लिए आप कुछ कदम उठा सकें तो देश का सर्वहारा समुदाय आपको धन्यवाद देगा।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी करीब 6 बजे से यहां दिहुली जैसे शर्मनाक कांड पर बहस प्रारम्भ हुई है। मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों के बहुत से साथियों के विचार सुनने को मिले हैं। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसके मुताबिक यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत से साथी इस घटना पर भी विचार करते समय पार्टी पौलिटिक्स से ऊपर नहीं उठा पाये। यह सही है कि दिहुली कांड एक अत्यन्त ही गम्भीर और दिल दहला देने वाली घटना है। जैसा कि सरकार ने पता लगाया है और बहुत से निष्पक्ष लोग जो राजनीति के आवरण को उतार कर वहां गये हैं उससे एक बात सही सामने आती है कि इसके पीछे कारण कुछ और भी रहे हों लेकिन यह सही है कि इसके पीछे आपसी रंजिश ही एक प्रमुख कारण थी। मैं केवल दिहुली की बात नहीं करता हूं, जब से देश आजाद हुआ है तब से करोड़ों की तादाद में रहने वाले अनुसूचित जातियों और उनकी समस्याओं के संबन्ध में दो मिनट लेना चाहता हूं। देश की 35 वर्ष की आजादी के बाद भी इस देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अमानवीय अत्याचार होते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों पर जुल्म होते हैं तो इस पर हमको गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

चलिये, दिहुली कांड तो रंजिश का कारण है, यह मैं मान सकता हूं, लेकिन आये दिन यह देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि अछूतों की स्त्रियों को नंगा कर के हल में चलाया जाता है, नौजवानों को पेड़ों पर लटकाया जाता है। आज भी इस मुल्क में ऐसे गांव और देहात हैं जहां अछूतों के बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों को अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिये जाते, उनको चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता, उनको बारात नहीं चढ़ाने दी जाती, कुंए से पानी नहीं पीने दिया जाता। यह ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हैं ?

मेरे जैसा एक शोषित समाज का व्यक्ति यह कहने में हिचकिचायेगा नहीं कि इन सारी कुरीतियों और अव्यवस्था के पीछे हमारी वर्ग-व्यवस्था है और वह समाज है जिसका आज से हजारों साल पहले निर्माण हुआ था जिसको मनु ने बनाया था। इस समाज को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 कैटेगरी में बाँटा गया था। उस समय जातियां बांटी गई थीं कर्म के आधार पर-जो विद्या पढ़ते पढ़ाते थे, वे ब्राह्मण थे, जो युद्ध के मैदान में लड़ते थे वे क्षत्रिय थे, जो व्यापार करते थे, वे वैश्य थे और जो सेवा करते थे वे शूद्र थे। मेरा विनम्र निवेदन है कि समाज के उन लोगों को, जो कर्णधार हैं, जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको आज हजारों साल के बाद, जिस तरह से विधान-सभा और लोक-सभा के चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, उसी तरह से फिर उनका चुनाव कराया जाये तो उन ठेकेदारों ने जो समाज की दुर्गति की है समाज को बिगाड़ा है, मुझे विश्वास है, कि अगर कर्मों और अक्ल के आधार पर इस समाज का फिर चुनाव कराया जाये तो निश्चित रूप से उनमें से बहुत से सवर्ण जाति के लोग शूद्रों की कैटेगरी में आ आयेंगे और बहुत से शूद्र ऐसे होंगे जो सवर्णों की कैटेगरी मेंचले जायेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

दिहुली मेरे नजदीक पड़ता है, मेरे गांव से करीब 35, 40 मील की दूरी पर होगा। दिहुली कांड के बारे में मेरे बहुत से साथियों ने बताया और उसकी पृष्ठभूमि में बहुत से लोगों ने अपने-

अपने विचार व्यक्त किये। यह काँड ऐसे समय पर हुआ जब कि बदमाशों ने चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, उन्होंने ऐसे समय को चुना जब कि जोड़ का वक्त था, शाम के 4,5 बजे थे, न दिन का टाइम था, न रात का टाइम था, ऐसा वक्त था जब कि जिन समाज के लोगों पर हमला करने का उन्होंने प्लान बनाया था, उस समय उस समाज के पुरुष और नौजवान लोग वहां नहीं थे, बल्कि अपने-अपने खेतों पर काम कर रहे थे या दूसरी जगहों पर काम करने गये हुए थे। वहाँ पर केवल निरीह स्त्रियां, बच्चे थे। आपको ताज्जुब होगा कि इस हत्याकांड में 8 महीने से लेकर 70 साल तक के लोगों की हत्या की गई। हत्यारे कत्ल के बाद बड़े आराम से रात को वहां एक मन्दिर है, उसमें सोये, जश्न मनाया, खाना खाया और फिर धोंस देकर चले गये कि फिर आयेंगे।

उसकी पृष्ठभूमि में एक बात यह भी है कि 2,3 जाटवों ने संतोषा और राघे जिन पर मुकदमा चल रहा था, उनके खिलाफ कुछ कहा था और उस वक्त जब हमला करने वे आये तो वह लोग जिनसे उनकी मुख्य रंजिश थी, वह वहाँ पर नहीं थे इसलिए वे लोग वहां पर धौंस देकर गये कि फिर आयेंगे।

मैं तो शुक्रगुजार हूं इस देश की प्रधान मंत्री का जिनके ऊपर इस देश के शोषित समाज के लोगों की आशाएं टिकी हुई हैं, दूसरे दिन हमारे माननीय गृह-मंत्री जैल सिंह, हमारे प्रदेश की गृह-मंत्री एवं मुख्य मंत्री सब वहां पर गये और उन्होंने वहां जो कुछ भी लोगों की सहायता की, ढांढस बन्धया, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब बेलछी में इन्दिरा जी गईं। आज अपनी सरकार होते हुए भी इतने बेश-कीमती समय में से समय निकाल कर वह दिहुली गईं, भाई राजीव गांधी भी गए और उन्होंने वहां के लोगों को तसल्ली दी।

मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की समस्याओं के सम्बन्ध में चन्द सुझाव देना चाहता हूं। बहुत से साथियों ने उन समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उनको दोहरा कर इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सब से पहली बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग समाजिक और धार्मिक दृष्टि से हेय समझे जाते हैं। ऊंची जाति के लोग उनको छोटा और दूसरे दर्ज का नागरिक मानते हैं। सब से बड़ी बात यह है कि वे लोग गरीबी के शिकार हैं, उनकी आर्थिक हालत सही नहीं है। उनका आर्थिक शोषण भी होता है। 1975 से 1977 तक श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के कर्ज माफ कर दिए। उनकी जमीनें दी गई थीं, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी जमीनों पर कब्जा नहीं हुआ है। गांवों के छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धंधों में उनकी साझेदारी नहीं है।

जैसा कि कई साथियों ने कहा है, सरकार को लेंड रिफार्म्ज पर तेजी से और गंम्भीरता के साथ अमल करना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धंधे खुलवाने में सहायता देनी चाहिए। भारत सरकार और सूबों की सरकारों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के उत्थान के लिए बहुत बड़ी धनराशि रखी है और बहुत सी सुवि-

घाएं दी हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका पूरा लाभ इन वर्गों तक नहीं पहुंच पाता। सरकारी मशीनरी सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है। पुलिस भी सरकार को बदनाम करने पर तुली हुई है। अगर सच्चे मानो में पुलिस में पचास फीसदी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की भर्ती हो जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होंगे। आज भ्रष्टाचार का सब से बड़ा अड्डा है पुलिस का थाना। मैं स्वयं एक गांव का रहने वाला हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत से लोग मुझ से यह शिकायत करते हैं कि जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के साथ छुआ-छूत या मारपीट की घटनाएं होती हैं और वे थाने जाते हैं, तो उन्हें फटकार दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर पुलिस वालों को ज्यादा रहम आ जाए, तो वे कहते हैं कि लिख कर दे दो। वे पैसा मांगते हैं और सही रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स पर होने वाले अत्याचार और उनके नर-संहार को देखते हुए पुलिस में पचास फीसदी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को भर्ती किया जाए, ताकि इस तरह के जुल्म और अत्याचार न हों।

यह एक ऐसा नासूर है, जो इस वक्त लाइलाज हो चुका है। सरकार को बहुत सतर्कता और मुस्तैदी के साथ इन समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि छटे प्लान पर पुनर्विचार किया जाए। छठी पंच-वर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 100 रुपए में से केवल 86 पैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सुविधाओं और भलाई के लिए रखे गए हैं। इस देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की आबादी कम से कम 25 से 30 परसेंट है। 70 करोड़ में करीब बीस पच्चीस करोड़ वे लोग हैं। लेकिन सिक्स्थ प्लान में 100 रुपये में से केवल 86 पैसे उनकी भलाई के लिए रखे गए हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे।

भारत सरकार ने रिजर्वेशन किया है, लेकिन वह कहीं पूरा नहीं हुआ है। न सेंट्रल सरकार की नौकरियों में हुआ, न सूबे की सरकार की नौकरियों में हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाए कि कब तक, एक साल में, दो साल में पांच साल में या दस में जितना रिजर्वेशन है उस को वह पूरा कर देगी।

तीसरा बात या तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपनी जान व माल की रक्षा के लिए हथियारबन्द किया जाय और नहीं करते हैं तो केवल सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर सब आदमियों के हथियार जब्त कर लिए जायें। तभी इन लोगों की सुरक्षा हो पायेगी।

मैं आप से पुनः निवेदन करूंगा कि आज भी इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के दिलों में और उन के मन में एक ही भावना है, और वह यह कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही उन के दुखों को दूर कर सकती हैं। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी उन के दुखों को दूर नहीं कर पायीं तो आज इस मुल्क में न तो ऐसा कोई नेता पैदा हुआ है और न निकट भविष्य में पैदा होने वाला है। उधर बैठे साथियों की तो मैं क्या कहूं कि उन के नेता क्या हैं और क्या करते हैं? मैं पार्टी पालिटिक्स के ऊपर उठ कर अपनी बात रख रहा हूं।

अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करूंगा कि इस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग एक अपाहिज की तरह बने हुए हैं। वह इस देश की आबादी के एक बहुत बड़े अंग हैं। अगर इस अंग को मजबूत नहीं बनाया गया, इन को सींचा नहीं गया, इन के साथ हमदर्दी नहीं की गई, इन की भलाई नहीं की गई तो मैं समझता हूं कि एक दिन यह भी आ सकता है कि इन के मन में भी इस तरह की भावना पैदा हो जायगी कि आज हमारा इस देश में कोई नहीं है।

मैं अन्त में पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि दिल्ली कांड के जितने भी शातिर बदमाश हैं, अपराधी हैं, उन को किसी प्रकार भी न छोड़ा जाय। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस के लिए बीड़ा उठाया था। मेरी उन से बातचीत हुई थी। मैं ने कहा कि आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय युद्ध में लड़ कर मर सकता है लेकिन पीठ दिखा कर युद्ध से भाग नहीं सकता। आप को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हम ने कहा मुख्य मंत्री जी से, उनसे निवेदन किया कि पुलिस को जरा टाइट कीजिए, बी० एस० एफ० को बुलाइए, पी० ए० सी० की फोर्स को बढ़ाइए और डाकुओं का डट कर मुकाबिला कीजिए इस्तीफा देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, वरना लोग क्या कहेंगे ? उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए वह भी बधाई के पात्र हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, रात के लगभग दस बजने ही वाले हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बाद विवाद है। मुझे इस चर्चा को उठाने हेतु पहल करने के लिए सूरज भान को बधाई देनी तो चाहिए। किन्तु मेरे से विचार इस तथ्य के द्वारा इस के महत्व को कम किया जा रहा है कि उसके लिए आखिर दिन के अन्तिम क्षणों में समय मिला है। इस पर इससे पूर्व चर्चा की जा सकती थी···

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : यह कठोर दोषारोपण है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस चर्चा को संसद के अधिवेशन के आरम्भ में रखा जाना चाहिये था ताकि जो कुछ हम यहां कहते वह समाचार पत्रों में छप सकता और लोग इसके बारे में जान सकते। आखिरकार संसद को एकाकीपन में कार्य नहीं करना होता, बल्कि इसे शेष समाज के साथ काम करना होता है।

सत्तारूढ़ दल का यह मुख्य कथन यह रहा है कि यह एक घटना है जो घट गई है और इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने नेता की बड़ी प्रशंसायें की हैं। मुझे उस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु उन्होंने हमें यह बताया था कि जनता शासन के दौरान·····

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपने नेता की प्रशंसा कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं अपनी ही प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : किन्तु आलोचना तो न कीजिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने हमें बताया है कि जब हम सत्तारूढ़ थे, तो बेलची की घटना घटी थी और श्रीमती गांधी वहां गई थी, किन्तु हम वहां नहीं गए थे, हमारे प्रधान मंत्री वहां नहीं गये थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब श्रीमती गांधी ने बेलची में यह वक्तव्य दिया था कि यह सरकार की विफलता है, उस समय श्री मोरारजी देसाई सहित कई व्यक्तियों ने कहा था "घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें।" और श्रीमती गांधी का उत्तर क्या था ? उनका उत्तर था "विपक्ष का काम शासक दल की गलतियों से लाभ उठाना है और यदि मैं इसे राजनीतिक रंग दे रही हूं तो यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।" उस समय श्रीमती गांधी ने आशय के शब्द कहे थे। महोदय, अब वे चाहते हैं कि हम भिन्न दृष्टिकोण अपनाएं। वे अपने लिए एक मापदण्ड रखना चाहते हैं तो हमारे लिए दूसरा। परन्तु इसके बावजूद मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस मंच का, राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परन्तु सही वस्तुस्थिति यह है कि इसने हमारे समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि गांवों में क्या हो रहा है।

इस दावे का पिछले 34 वर्षों में हरिजनों ने बहुत प्रगति की है, जिसका पहले वक्ता श्री आरिफ ने भी उल्लेख किया था, देवली की घटना से पर्दाफाश हो रहा है। यदि इस प्रकार की घटनाएं अब होती हैं तो हमने किस तरह की प्रगति की है ? अछूत मेरी सम्मति में छुआछूत का लोप हो गया है। इसके स्थान पर अब आए हैं, बेदखली, बंधुआ मजदूरी, बलात्कार, हत्या, तथा इस प्रकार की अन्य घटनायें। यह सम्भव है कि आपको कई स्थानों पर पुराने ढ़ंग का छुआछूत देखने को न मिले। हो सकता है कि आपको अब भी देखने को मिले, परन्तु यह पहले की भाँति नहीं है परन्तु सच्चाई तो यह है कि उतनी ही अपमान जनक अन्य बातें हैं और अब वे आगे आ रही हैं और हमें इस ओर ध्यान देना है।

अब आंकड़ों से पता चलता है कि हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार के प्रति वर्ष 6000 औसत मामले दर्ज किए जाते हैं। 6000 औसत है। बाबूजी ने अभी कहा है कभी-कभी यह संख्या कुछ बढ़ भी सकती है। और कभी कुछ कम भी हो सकती है। परन्तु प्रवृत्ति ऐसी है कि औसत 6000 मामले बनते हैं। महोदय, इसे पिछले 34 वर्षों में हुई प्रगति का प्रतीक नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति और भी अधिक खराब है। 6000 मामलों में से दो तिहाई या एक तिहाई उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बिगड़ती जा रही है।

अन्य संकेतों से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अराजकता के कगार पर बैठा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हिंसा का वातावरण व्याप्त है। महोदय, केवल यही बात नहीं है, आप रेल-गाड़ियों में पड़ने वाली डकैतियों को ही देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह सब होता है। यह बहुत से स्थानों पर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति स्पष्टतया बहुत ही खराब है, विशेषकर गैर-लाइसेन्स शुदा हथियारों के कारण। हाल ही में मैं शिलांग गया था। मुझे बताया गया था कि मिजो लोगों को अब विदेशों से हथियार कतई नहीं प्राप्त होते हैं, परन्तु ये उन्हें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। मुझे तो यह भी बताया गया था कि अफगानिस्तान के छापामारों या अफगानिस्तान के लिए लड़ने वाले लोगों को रामपुर से हथियार प्राप्त होते हैं। वस्तु स्थिति का तो मुझे पता नहीं है, परन्तु यह सच है कि उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों के निर्माण का केन्द्र बन गया है। उत्तर

प्रदेश में जिन अवैध हथियारों का निर्माण होता है उन की संख्या का पता लगाने के लिए वास्तव में हमें कुछ जांच कार्य आरम्भ करना चाहिये और सम्भवतया वहां वनाए जाने वाले अवैध हथियारों की संख्या सेना के आयुध कारखानों में वनने वाले हथियारों से भी अधिक होगी। अतः मुख्य मन्त्री महोदय का कथन और प्रधान मन्त्री महोदया का कथन हमें स्वीकार नहीं है। हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तथ्य यह है कि केवल एक जाति का संहार किया गया है, अन्य कोई भी प्रभावित नहीं हुई है। यह केवल पक्की दुश्मनी के कारण नहीं हो सकता यह राजनीतिक बदले की भावना से भी नहीं हो सकता। यह हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार का स्पष्ट मामला है, अतः हमें इस मुख्य वात पर विचार करना है "ऐसा क्यों होता है ?" 'सामाजिक-आर्थिक समानता' के बिना 'राजनीतिक समानता' से केवल विषमताएं ही पैदा होगी। आज मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि इस देश में उच्च जातियों में मदान्ध विद्रोह की भावना जोर पकड़ रही है। इसका कुछ दृश्य हमें गुजरात में देखने को मिला। पदोन्नतियों में और आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों तथा शल्यचिकित्सा आदि आदि के क्षेत्रों में आरक्षण न रखने के बारे में गुजरात ने वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किये हैं। परन्तु, महोदय, यह उस विद्रोह की एक झलक है। इस विद्रोह को आरम्भ में ही दबाना होगा। परन्तु मुझे आशंका है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। उच्च जातियों द्वारा इस प्रकार के दिए जा रहे 'वैज्ञानिक तर्कों' के प्रति हमें बहुत ही सावधान रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरिजनों की राजनीतिक समानता सामाजिक-आर्थिक समानता में रूपान्तरित न हो जाए। अतः मैं यह सोचता हूं कि यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो भविष्य में कड़ा विरोध उठ खड़ा होगा। अब वे युद्ध की बातें करते हैं। श्री रामविलास पासवान भावना में बह गये थे और वे इतना तक कह गये कि वे अलग देश मांगने के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह स्वयं ऐसा नहीं सोचते परन्तु वह भावना में बह गये थे। परन्तु एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। हम उससे अनभिज्ञ हैं। यदि हमें उसकी जानकारी होती तो हम आज अन्तिम दिन छह वजे के बाद इस पर चर्चा न करते। हम इस पर चर्चा सत्र के मध्य में किसी दिन करते।

अतः यह विरोध क्यों खड़ा हो रहा है ? इसका कारण यह है कि हरिजन समुदाय में एक नवीन सजगता पैदा हुई है। युवा सजगता, शिक्षित सजगता जो अब और अधिक पुराने अपमान को नहीं सह पा रहे हैं। आप संसद में देख सकते हैं कि युवा हरिजन कितनी अधिक संख्या में आ रहे हैं, जो इन बातों को सहन नहीं कर सकते हैं। चाहे वह श्री राम विलास पासवान हो या श्री सूरज भान हो या श्री राकेश हों, आप कहीं भी चले जाइए आप देखेंगे कि देश में हरिजनों में से नए युवा विद्वान उभर रहे हैं : यद्यपि शिक्षा प्रणाली अधूरी है फिर भी इसने हरिजनों में से नए युवा विद्वान दिए हैं और वे अधीर हो रहे हैं। मुझे इसका थोड़ा सा आभास मीनाक्षीपुरम में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पूर्व इस विषय पर हमने एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर चर्चा की थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह नहीं था। यह चर्चा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से भिन्न है। (व्यवधान) अतः शिक्षित हरिजनों में से युवा विद्वानों का विद्रोह मीनाक्षीपुरम में

देखा जा सकता था, जिन्होंने स्वयं को मुसलमान बना लिया था। इनमें वे बूढ़े हरिजन नहीं थे जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। ये खण्ड विकास अधिकारी, पुलिस के उप निरीक्षक, प्रवक्ता और डाक्टर थे, जिन्होंने पहले धर्म परिवर्तन किया और दूसरों ने बाद में उनका अनुसरण किया। यह सब अत्याचारों से बचने के लिए किया गया था। वे इसे सह सकते थे। निःसन्देह कुछ लोगों ने इसके पीछे विदेशी धन का हाथ, अरब षडयत्र आदि बताया और ज्ञानी जी वहाँ गए और उन्होंने मद्रास में एक वक्तव्य दिया कि इसके पीछे विदेशी धन का हाथ है। परन्तु वह दिल्ली वापस आए और उन्होंने इससे भिन्न बात कही। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था और उन्होंने ऐसा किया। परन्तु सच यह है कि यहां भी इस विद्रोह को, सहानुभूति पूर्वक देखने की बजाए, एक मोड़ दिया गया कि हरिजनों को 500 रु० या ज्यादा में खरीदा जा सकता है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह बात समाचार पत्रों में आई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, यह बात समाचार पत्रों में आई है और यह भी कि कुछ व्यक्ति श्रीमती गाँधी से भी मिले हैं। आर्य समाजवादियों ने तथा श्रीमती गांधी ने भी वही बात कही है। यह समाचार पत्र में आया है।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने ही यह कहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मैं यह नहीं जानता कि यह किसने कहा है, परन्तु मुझे इतना मालूम है कि किसी ने यह कहा है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : वे शब्द प्रधान मंत्री महोदय के मुंह में रखने का प्रयत्न मत करो जो उन्होंने नहीं कहे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : परन्तु महोदय, यह समाचार पत्र में आया है कि आर्य समाजियों के नेता उनसे मिले तथा बाद में उन्होंने एक प्रैस सम्मेलन में यह बात कही परन्तु आपकी ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया तथा मुझे निश्चय है कि दूसरे लोगों ने ऐसा कहा है। परन्तु मैंने नहीं कहा। मैं मीनाक्षीपुरम गया था तथा मैंने कहा कि यह हरिजन वर्ग के अन्दर एक क्रांति है तथा इसका हमें समाधान करना है। यह बात है जो कि हमें देखने को मिली।

एक माननीय महोदय : आप वहां पर श्री वाजपेयी के जाने से पहले गये या बाद में ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जी हां, मैं उनके जाने के बाद गया। मैं हमेशा उनके पीछे रहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मीनाक्षीपुरम तो शोलबन्दन के बहुत नजदीक है।

सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वह तो ठीक है। अतः प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास इसका कोई स्पष्टीकरण है ? जैसी स्थिति देवली में हुई उससे निपटने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? यह समाचार पत्र में आया है तथा संसद व देश भर से इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है। हरिजनों की नई पीढ़ी जो आ रही है उसके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है ? इससे टकराव होने जा

रहा है, क्योंकि दूसरी ओर उच्च वर्ग के लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे यह बताया है कि यह आरक्षण हमने बहुत रख लिया, अब यह समाप्त किया जाना चाहिए तथा अब नये वैज्ञानिक तर्क रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनको पदोन्नति दिये जाने की वर्तमान प्रणाली छोड़ी जानी चाहिए तथा बाद में ये नीतियां भी छोड़ी जानी चाहिए। इस तरीक से धीरे धीरे कम किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकती है तथा एक टकराव पैदा होने जा रहा है। यहीं पर हमें इस प्रणाली को बल देना चाहिए। अतः, हमें क्या करना चाहिए ? यह मेरा मुख्य प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : आप उनको सुझाव दे सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : यह मेरा कर्त्तव्य नहीं है। वे इन सीटें को छोड़ दें तथा हमें वहां पर बैठने दें तब मैं उनको बता दूंगा कि इसको कैसे किया जाता है। (**व्यवधान**)। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिजन सहानुभूति नहीं चाहते। वे पर्याप्त मात्रा में सहानुभूति प्राप्त कर चुके हैं। अब वे सुरक्षा चाहते हैं। उनको सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जा रही है ? अब बाबूजी ने सुझाव दिये हैं। यदि हम देश के नक्शे को देखें तो 40 से 50 ऐसे जिले हैं जो इस प्रकार भावनाओं की ओर प्रवृत्त हैं। यदि आप तमिलनाडू को लें तो त्रिरुनेलवेली तथा रामनाथपुरम् जैसे जिलों में ऐसी गड़बड़ होने की संभावना है। ऐसे तीन या चार जिले ही हैं। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी ऐसे कुछ स्थल हैं। अब गृहमंत्री को क्या करना चाहिए ? उनको ऐसे जिलों का पता लगाना चाहिए और फिर एक पृथक हरिजन गुप्तचर एकक की स्थापना करनीं चाहिए जिसके द्वारा नियमित रूप से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए तथा इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए देवलीसे यह सूचना आ रही थी कि वहां पर कुछ होने जा रहा है, परन्तु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर कोई भी सैल ऐसी नहीं थी जिसकी इस प्रकार के कार्य में रुचि हो, तथा जो इसकी उच्च स्तर पर निगरानी रखे तथा उस समय जब ऐसी कोई बात होने वाली हो तो चेतावनी की घंटी बजाये। इन मामलों में सामान्य पुलिस स्थापनायें कोई निवारक कार्य नहीं कर सकती। अतः विशेष गुप्तचर एककों को केवल इन 50 जिलों पर ही नजर रखनी चाहिए तथा जो कुछ वहां पर होने जा रहा है उस पर प्रति दिन निगरानी रखनी चाहिए।

अन्त में, हमें पुलिस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस में भी जातीयता की भावना होती है। इससे इन्कार नहीं कर सकते। कुछ समय पहले मैं उत्तर प्रदेश में गया था, और वहां पर एक अफवाह थी, मैं नहीं जानता यह सत्य भी हो सकती है और झूठ भी। अफवाह यह है कि केवल एक जाति के लोगों को ही अधिमान्यत दी जा रही है तथा उन्ही को पदोन्नतियां दी जा रही हैं तथा उनको ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। यह अफवाह क्यों है ? इस अफवाह का तुरन्त निपटान किया जाना चाहिए। और यदि यह सत्य है, तो इसको ठीक करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

यदि आप इस प्रकार का रूख अपनायेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी। और यदि आप यह कहने का ही आम रुख अपनाते रहेंगे कि आपके समय

में यह हुआ और हमारे समय में वह हुआ, तो मैं नहीं समझता कि इससे समस्या का समाधान निकलेगा।

श्री महावीर प्रसाद (वांसगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में लगभग 6 बजे से एक जघन्य और घृणित काण्ड पर चर्चा हो रही है और चर्चा में दोनों पक्ष के बड़े-बड़े विद्धान् माननीय सदस्यगण ने भाग लिया और अपने सुझावों को दिया। उन्होंने कहा कि यह मानवीय विषय हैं, हृदय का विषय है, तर्क का विषय है, व्यवहारिकता का विषय है, धार्मिक समानता का विषय है, राजनीतिक समानता का विषय है, आर्थिक समानता का विषय, मनोवैज्ञानिक समानता का विषय है और यह विषय अन्य विषयों से भी सम्बन्ध रखता है। इसके सम्बन्ध में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात भी हमारे माननीय सदस्यों ने कही।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण जो बड़े विद्वान् हैं उन्होंने जो सुझाव इस माननीय सदन में दिये उनमें उन्होंने तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया कि वास्तव में देश की जो रास्ट्रीय धारा है, उस राष्ट्रीय धारा को इस भारत के मानचित्र पर अगर सही ढंग से देखना है तो हम को एक मंच पर, मानवीय ढंग से, तर्कसंगत हो कर, सारे राजनीतिक भेदभावों को तिलांजलि दे कर, हरिजनों, गिरिजनों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों के विषय में नीति तय करनी है और हम सबको मिलकर के एक साथ चलना है।

हमारे एक राष्ट्रीय कवि थे—श्री मैथिलीशरण गुप्त। उन्होंने कहा था—

हम कौन थे, क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर के ये समस्याएं सभी।

यह बहुत ही मानवीय विचार है।

बाबू जी इस माननीय सदन के एक वरिष्टतम सदस्य है। मैं समझता हूं कि वे हिन्दुस्तान के सबसे अधिक शासन करने वालों में हैं और इस देश के शासन की कुर्सी का उन्होंने अधिक से अधिक समय तक प्रयोग किया होगा। वे आज हमारे सामने बैठे है। उन्होंने आज बहुत अच्छे सुझाव दिये। वे तीस वर्षों तक रूलिंग बैंचों पर, गणमान्य बैंचों पर रहे। उस वक्त भी हरिजनों की क्या दशा थी। उसके बाद मार्च, 1977 के बाद और 14 जनवरी, 1980 तक हरिजनों की क्या दशा थी। उसके बाद मार्च, 1977 के बाद और 14 जनवरी, 1980 तक हरिजनों की क्या दशा थी। पुनः 14 जनवरी से वर्तमान तक हरिजनों की क्या दशा है। मैं आँकड़ों के जंजाल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने जब आंकड़े देखे तो पाया कि कभी कम कभी ज्यादा, इस प्रकार की घटनाएं हिन्दुस्तान के मानचित्र में होती रहीं।

इस विषय को मूव करने वाले माननीय सदस्य श्री सूरजभान जी ने कहा कि सरकार को, गृहमंत्री को या माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या त्याग-पत्र देने से इस प्रकार के काँण्ड रुक जाएंगे। बेलची, कफाल्टा, पिपरा, देवली, ऐसे काँण्ड क्या त्यागपत्र दे देने से इन अपराधों को दूर किया जा सकता है ?

जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार की बात है, गत 20 दिसम्बर को मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में गया था। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और सारे मंत्री मौजूद थे,। मैंने इस प्रश्न को वहां उठाया था। जहां तक हरिजनों के कल्याण की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है, अभी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने सात करोड़ रुपया हरिजन छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाया है। 500 आय को बढ़ाकर 720 किया और जहां 750 आय थी उसे 1000 किया है।

हमारे माननीय रघुनाथ सिंह जी हरिजनों की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, लोक दल की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन आन दी बेसिस आफ रिजर्वेशन को बन्द कर दिया था। इसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने ही शुरू किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे बढ़कर हरिजनों की हमदर्दी और क्या हो सकती है। मैं आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विपन्नता की बात करना चाहता हूं। जब हम किसी गिरीजन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक मुद्दे पर विचार होना चाहिए। आर्थिक विपन्नता जब तक दूर नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो सकता। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप यहीं पर देखते हैं। चाहे इस तरफ के बैठने वाले लोग हों या उस तरफ के बैठने वाले लोग हों, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उसके यहां सभी जाते हैं, खाना-पीना पसन्द करते हैं, लेकिन जो जीर्ण-शीर्ण झोंपड़ी में रहने वाला हरिजन है, उसके घर हमारे पढ़े-लिखे हरिजन और दूसरे लोग भी जाना पसन्द नहीं करते। उसके यहां पानी पीना पसन्द नहीं करते। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब तक इनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी, इस समस्या का हल नहीं हो सकता। चाहे कोई सरकार हो, हमारी सरकार हो या उधर बैठने वाले लोगों की सरकार हो। जब तक आर्थिक विपन्नता को हम समाप्त नहीं करेंगे। तब तक सामाजिक समानता हम नहीं ला सकते हैं। जब सामाजिक समानता नहीं आएगी तो राजनीतिक समानता भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं।

मैं कुछ सुझाव करबद्ध आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। देवली कांड में यदि वास्तव में यह सच है कि वहां उनके लिए कुछ विशेष सुविधा की बात नहीं की गई है तो उनको विशेष सुविधायें आप दें। मेरी यही रिपोर्ट है कि वे लोग चाहते हैं कि उनको कहीं अलग बसाया जाए, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

जो क्षति उनको उठानी पड़ी है उसको पूरा नहीं किया गया है। पूरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिये।

भूमि सुधार तेजी के साथ आप लागू करें। जब तक ठीक से आप भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीज को दूर आप नहीं कर सकेंगे।

देवली कांड हो या वेलची, किसी भी स्थान पर इस प्रकार का कांड होता है तो इस प्रकार के अमानवीय कांड और अपराध जिस स्थान पर हो वहां पर जैसे मैंने पहले भी कहा था सामूहिक दण्ड देने की प्रक्रिया को आप अपनाएं। सामूहिक दण्ड वहां आप दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर जिले में पुलिस सुपरिंटेंडेंट या कलेक्टर, इन दोनों में से एक हरिजन होना चाहिये और एक सवर्ण जाति का। अगर एक हरिजन हो तो दूसरा सवर्ण होना चाहिये और दूसरा हरिजन हो तो पहला सवर्ण होना चाहिये। आई० ए० एस,० आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० की पोस्टिंग्ज आप करते हैं, ये आप के मातहत हैं। इसलिए इस चीज को आपको प्रांतीय सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिये। आप इस काम को करें। इससे वहां रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

आर्म्ज एक्ट में आप सुधार करें। मैं नहीं कहता आप हमें हथियार दे दें। आपने हमें हथियार दे दिए तो इससे सिविल वार नहीं होगी। आपके पास एजेन्सियां हैं इस तरह की चीज की देखभाल करने वाली। आप अपने सूत्रों से जांच पड़ताल करवा लें और फिर जहां पर जरूरत हो वहां आप हरिजनों को, गिरिजनों को और कमजोर वर्ग के लोगों को हथियार दें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस जघन्य अपराध की निन्दा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से आपसे बोलने के लिए कहा जायेगा। विपक्ष के सभी सदस्यों को कहा जायेगा। श्री राकेश, आपने कहा था कि आप बारह बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, अतः आपको 12 बजे ही बुलाया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : दूसरा अवसर।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे अवसर का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक दल से केवल एक सदस्य को ही बोलने की अनुमति दी जायेगी। चाहे वह श्री ए० के० राय के समान छोटा दल हो, फिर भी उनको बुलाया जायेगा।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष जी, हरिजनों पर अत्याचार होने वाला जो विषय है इस पर इस सदन में कई बार विचार विमर्श हुआ है। मुझे तो अब कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि ज्यों-ज्यों दवा दी जा रही है, मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। आखिर कौन सी परिस्थिति है कि इस सदन में हर सत्र में हरिजनों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं की चर्चा होती है। दोनों तरफ के सम्मानित सदस्य गृह मन्त्री को अपनी नेक राय देते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों सरकार का आश्वासन मिलता है त्यों-त्यों हरिजनों पर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। यदि मैं गहराई से जाता हूं तो पता चलता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हरिजनों को हक दिलाने की बात की जाती है, चाहे जमीन दिलाने की बात हो, स्वयं इन्दिरा जी ने जो कि प्रधानमन्त्री हैं उन्होंने एक रोशनी दी कि तुम्हारे लिये मैं सोशलिस्टिक मेजर्स बहुत तेजी से ला रही हूं तुम उस जमीन पर जाकर इसको असली जामा पहनाओ। सरकार के निर्देश के बाद गांवों में रहने वाले हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोग सरकार के कार्यक्रम को लागू करने के लिये कृत संकल्प होते हैं तो उससे तरह-तरह की यातनायें सामन्तवादियों और अर्ध-सामन्तवादियों के द्वारा दी जाती हैं। कहीं कोई कत्ल किया जाता है, कहीं किसी के घर में आग लगायी जाती है। कहीं जमीन छीन ली जाती है। ज्यों-ज्यों दवा दे रहे हैं त्यों-त्यों मर्ज बढ़ रहा है।

अभी बाबू जगजीवन राम बोल रहे थे, हमारे सम्मानित नेता रहे है और हर सरकार में उनकी एक श्रेष्ठ कुर्सी रही है अच्छी नेक सलाह देने की। हम तो उन्हीं को दोषी ठहराते हैं। आज हरिजनों का कत्ले आम हो रहा है और आप यहां बैठकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश के तमाम हरिजन, आदिवासी और कमजोर वर्ग के प्रति उस समय आपका ध्यान कहां गया था। जब सरकार की कुर्सी पर बैठकर हरिजनों की बात करते थे। मैं तो प्रधानमन्त्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हरिजनों पर कहीं भी जुल्म हों, चाहे हमारी पार्टी सरकार में रहे या न रहे, वह जाती हैं। 1977 में बेलची में काण्ड हुआ, प्रधानमन्त्री उस समय सत्ता में नहीं थीं,लेकिन उन्होंने वहां जाकर तमाम हरिजनों के साथ जिनकी गोद सूनी हो गई थी, सुहाग लुट गया था, जाकर बैठी और रेट्रोसिटीज आन हरिजन कुछ दिनों के लिये रुक गयीं थीं। ऐसे तो जो सामन्ती व्यवस्था है वह इसके लिये दोषी है। लेकिन मैं कहता हूं कि 1977 के पहले हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें होती थीं तो उस समय लप्पड़, थप्पड़ मारे जाते थे। लेकिन 1977 में पहली घटना हुई जब बेलची में जिन्दा 13 हरिजनों को जला दिया गया। हरिजनों को जलाने की आदत सबसे पहले अगर किसी ने डाली तो चौधरी चरण सिंह जैसे जुल्मी मिनिस्टर ने वह आग लगवाई और यहां आकर के पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि मुझे हरिजनों से कोई लड़ाई नहीं है, हरिजन तो मेरे घर में रसोइया है। देश में सबसे पहले आग लगायी तो चौधरी चरण सिंह ने लगायी और तभी से हरिजनों पर कत्ले आम की साजिश होने लगी। इसके लिये जबावदेह माननीय दण्डवते, वाजपेयी जी और बाबू जगजीवन राम भी हैं। जिन्होंने अभी घड़ियाली आंसू बहाकर हरिजनों की हालत पर दुःख प्रकट किया। वह तमाम देश के हरिजनों, आदिवासियों और मुसलमानों के कत्ल करने का आह्वान भी करते हैं।

मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं कि लच्छेदार भाषण से समाजवाद नहीं आता, शब्दों से क्रान्ति नहीं आती। व्यवहार से क्रान्ति आती है। आप में और इन्दिरा जी में फर्क यही है कि आप शब्दों से क्रान्ति लाना चाहते हैं, आप लच्छेदार और मुहावरेदार भाषण देकर बोलते हैं, इससे समाज और हिन्दुस्तान का दर्द दूर नहीं हो सकता।

प्रधानमन्त्री का बहुत पक्का इरादा है कि हम देश में समाजवाद लायेंगे जबकि देश का हरिजन, आदिवासी और देश का अल्पसंख्यक ही ऐसा वर्ग है, जिसको समाजवाद की जरूरत है। जब तक इसको आप सही रूप में ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक आप कभी नहीं कह सकते कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं और समाजवादी व्यवस्था पर हमारा मुल्क चल रहा है।

मैं आंकड़े देकर उनके जाल में नहीं फंसना चाहता कि जनता पार्टी के समय में हरिजनों के कितने कत्ल हुए और हमारी पार्टी के वक्त में कितने हुए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हरिजनों का सवाल राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्रीय नीति बनाकर ही इसको तय किया जा सकता है। ज्ञानी जैल सिंह जी अपना बयान देकर चले जायेंगे, इससे तो एट्रोसिटीज टलेंगी नहीं। मेरा कहना है कि इनको और चौकस रहने की आवश्यकता है।

ऐसी घटनाएं देश के किसी भी भाग में चाहे घटती हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर

बहुत अत्याचार होता है । अत्याचार का कारण पता नहीं क्या है, मैं सरकार पर छोड़ता हूं कि वह पता लगाये कि हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में ही क्यों अत्याचार होता है ?

वास्तविकता यह है कि बिहार में जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, पटना जिला को छोड़कर वहाँ पर कुर्मियों और हरिजनों की खानदानी लड़ाई है, हम बिहार की धरती पर कहीं पर भी इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध पिछले डेढ़ बरस में नहीं हुए हैं । इस पर हम संतोष व्यक्त करेंगे ।

पिपरा में घटना घटी, बेलची में घटी, वहां के न्यायालय ने पिपरा काण्ड के 98 आदमियों को कारावास और 2 को फाँसी दी । बेलची की घटना उनके टाइम में हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं हुआ । जहाँ पर सरकार मुस्तैद रहती है, अपराधियों को आड़े हाथ लेती हैं, वहां पर तो एट्रोसिटीज नहीं के बराबर होती हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहना कि दोष नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता हूं । वह दोषी क्यों नहीं है । कफलटा, नारायणपुर आदि घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रशासन को चुस्त क्यों नहीं किया । वहां के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को तुरन्त मुअत्तिल किया जाना चाहिए था ।

इस प्रकार की घटनाओं से साफ पता चलता है कि प्रशासन में कहीं न कहीं कमी जरूर है ।

हरिजनों की हालत के बारे में मैं कहना चाहता हूं :

"आफत थी गुलिस्तां पर, तो खून मैंने दिया,
अब बहार आई है, तो कहते हो तेरी दरकार नहीं है ।"

मैं मानता हूं कि देवली में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे समाजवाद की हत्या हुई है, समाजवाद पर कलंक लगा है । क्या समाजवाद इसी तरह चलेगा ? क्या सारे मुल्क में हरिजनों के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा ?

मैं ज्ञानी जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । हो सकता है कि मेरे सुझाव कारगर हों । जिस एरिया में हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म हों, वहां तमाम लोगों पर सामूहिक दण्ड और जुर्माना दोनों लगाए जाएं । उस एरिया में सामन्तों और सामन्तवादी लोगों के हथियारों के सारे लाइसेन्स कैंसल कर दिए जाएं । हरिजनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें लाइसेंस देने के साथ-साथ उन्हें बन्दूकें खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाए ।

हरिजनों और आदिवासियों पर होने वाले जुल्मों के बारे में मुकदमों को निपटाने के लिए =पेशल कोर्ट बनाए जाएं, ताकि एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद सारी कार्यवाहियों का निष्पा- =न शीघ्र से शीघ्र हो सके । आज स्थिति यह है कि नार्मल कोर्स में कार्यवाही होने पर सब मुज- =म छूट जाते हैं और इस प्रकार के अपराधियों का हौसला बढ़ जाता है । इस लिए हर स्टेट में =शल कोर्ट बनाए जाएं, जो केवल हरिजन एट्रासिटीज के मामलों को ही निपटाएं ।

यह मेन्डेटरी कर दिया जाए कि जिस एरिया में, जिस जिले में इस तरह की घटना हो, वहां के एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से मुअत्तिल कर दिया जाए, ससपेंड कर दिया जाए। तभी वे लोग अपनी जवाबदेही को समझ सकेंगे, वर्ना वे हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की उपेक्षा करेंगे। इसके अलावा विक्टिम के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जिन एरियाज में हरिजनों पर एट्रासिटीज होती है, उनके सम्बन्ध में वे ज्यादा चौकस रहें, क्योंकि इन घटनाओं से उनकी भी बदनामी होती है और देश में टेन्शन बढ़ता है। हम लोगों की हिफाजत करना उनका पहला काम है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली काण्ड पर बोलने से पहले मैं गृह मन्त्री ज्ञानी जी को एक दस्तावेज देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वह और उनकी पुलिस हरिजनों के प्रति कितने हमदर्द हैं।

सीताराम हरिजन, 1 ए० डी०, सावन पार्क, अशोक बिहार, दिल्ली ने दोनों तरफ के 41 एम० पीज से लिखवा कर उन्हें लेटर भेजा है। उसने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री दिल्ली के उपराज्यपाल और लोक सभा के स्पीकर को पत्र भेजे हैं, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसकी औरत गायब कर दी गई है, उसकी जमीन ले ली गई है। अब उसका और उसके बच्चों का एनकाउटर होने जा रहा है। श्री सूरजभान ने ज्ञानी जी से कहा है कि वह त्यागपत्र दे दें। मेरा अनुरोध है कि अगर वह हरिजनों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो इससे बेहतर रास्ता और कोई नहीं हो सकता कि वह त्यागपत्र दे दें। मैंने दोनों तरफ के विचारों को सुना। इनको सुनने के बाद महाभारत का वह दृश्य मुझे याद आता है। कौरवों और पाण्डवों की सेना आसने-सामने खड़ी है। इधर द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में खड़े हैं और इधर पाण्डव खड़े हैं। नारद जी ने पूछा ..

उपाध्यक्ष महोदय : कौन पांडव है तथा कौन कौरव है ?

श्री आर० एन० राकेश : हम पांडव हैं तथा वे कौरव हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् : कौरव का बहुमत था।

श्री आर० एन० राकेश : नारद जी ने पूछा द्रोणाचार्य जी से कि आप तो कह रहे हैं कि पाण्डव न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं, फिर भी आप कौरवों की ओर क्यों खड़े हैं ? तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नारद जी, आप ठीक कह रहे, हैं पाण्डव सत्य बात कह रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं लेकिन मैंने कौरवों का नमक खाया है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। तो चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो, मतलब एक ही है। कहीं-कहीं मेरे सत्ता पक्ष के साथियों की कुछ मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों के लिए मुझे कोई मलाल नहीं है क्यों कि वे भी इंदिरा जी का नमक खा रहे हैं। (**व्यवधान**)

इस समय रात के साढ़े दस बज गए हैं। एक बार बारह से ज्यादा रात बीत रही थी। कुछ लोग गांधी जी के पास गए, गांधी जी सो रहे थे। जिन्ना साहब के पास गए, जिन्ना साहब सो रहे थे। फिर लोग बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर के पास गए। डा० अम्बेडकर जाग रहे थे। उन लोगों ने पूछा कि बाबा साहब, गांधी जी सो रहे हैं, जिन्ना साहब सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी इसलिए सो रहे हैं कि उनके आदमी जाग रहे हैं, जिन्ना साहब इसलिए सो रहे हैं कि उन के आदमी जाग रहे हैं। मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरे आदमी सो रहे हैं। आज टकराव जो बढ़ गया है उसका एक कारण है कि आज भले ही डा० अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन इस धरती पर उनकी कृपा से अनेक डा० अम्बेडकर पैदा हो गए हैं और बराबरी के लिए संघर्ष में हरिजन सामने आ गए हैं। इसलिए बाबू जी ने जो यह कहा कि हम जाग गए हैं, हम बराबरी की मांग कर रहे हैं, उनकी बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि में भीख नहीं मांग रहा हूं, न्याय की भीख नहीं मांग रहा हूं समता के अधिकार की बात कहता हूं। मैंने इस देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं कराए हैं, मैंने पाकिस्तान की मांग नहीं की है, हरिजनिस्तान की मांग नहीं की, मैंने खालिस्तान की मांग नहीं की है। हम ने अपने इस देश को हमेशा देश समझा है। पर हमारी आवरू पर लात और हमारे पेट पर डकैती मारी जाती है। हमें हैवानियत की निगाह से देखा जाता है। सारे साथियों ने देवली के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, चिन्ता व्यक्त की और कहा कि देवली में जो कुछ हुआ वह बड़ा दर्दनाक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि देवली में 27 लोग स्त्री पुरुष बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, देश के हरिजनों की सुरक्षा के प्रति खुला रेड सिगनल है लेकिन प्रधान मंत्री की निगाह में यह उतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है, उतना बड़ा कांड नहीं हुआ है जितने बड़े को वह बड़ा कांड समझती हैं। ...(व्यवधान)... यही कारण है कि बनारसीदास जी की सरकार में नारायनपुर कांड हुआ, आरोप था कि तीन हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मुलजिम बनिया नहीं थे, मुख्य मंत्री जरूर बनिया थे, बनारसीदास की सरकार बरखास्त कर दी गई। देवली में दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 27 लोग मौत के घाट उतार दिए गए लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक नहीं बरखास्त की गई आखिर क्यों? प्रधान मंत्री जी बड़ी गरिमा की कुर्सी पर बैठी हैं। क्या माप दण्ड था आप का जब नारायनपुर कांड पर आप ने बनारसीदास की सरकार को बरखास्त किया था और आज क्या मापदंड है, मैं पूछना चाहता हूं, जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो हरिजनों के कन्धे पर बन्दूक रख कर उल्लू सीधा कर लें और हरिजनों की जिन्दगी और मौत का सवाल हो तो मुकर जावें? आज देवलीकांड में मुख्यमंत्री ठाकुर, अपराधी ठाकुर, अपराधियों को संरक्षण देने वाला ठाकुर और सारे एविडेंस खत्म कराने वाला ठाकुर—इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार बरखास्त न हो। प्रधान मंत्री भले ही राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित हो कर उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त न करें, लेकिन मेरा खुला आरोप है कि आप जिस गद्दी पर बैठी हैं, उस गद्दी की गरिमा को कलंकित कर रही हैं। अपने न्याय के उस मापदंड पर, जिस न्याय की तुला पर बनारसी दास की सरकार को बरखास्त किया था, उस मापदंड को कलुषित कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री नौटंकी करते हुए पहले यह कहता है कि इस अपराध का दोषी मैं हूं और मैं त्याग पत्र दे दूंगा।" दूसरे दिन कहता है कि अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर

अपराधियों को गिरफ्तार न कर लूं तो 24 दिसम्बर को त्याग पत्र दे दूंगा। आज 24 दिसम्बर है, अपराधियों को गिरफ्तार करने का मतलब क्या रह गया है, सारे विटनेस खत्म करा दिए। खून से लथ-पथ कपड़े, जो कि एविडेंस के अन्दर बहुमूल्य साक्ष्य है, उनको मैंने पार्लियामेंट में रखा था। खून से सनी मिट्टी को पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया, वह चारपाई जिस पर खून लगा हुआ था, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया और एक मुलजिमान राधे का जूता लकूरी के घर में पड़ा हुआ था, उस तक को पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया, सारे एविडेंस को खत्म करने के बाद मुलजिमान हाजिर हो गए तो क्या हुआ। जिस प्रकार कफाल्टा में हुआ, मुलजिम छूट गए, वैसे ही यहां भी छूट जायेंगे। सारे एविडेंस खत्म होने के बाद मुलजिम हाजिर हो या न हों, उसका मतलब क्या रह गया है। आप अपने कलंक को धोने के लिए मुलजिम को हाजिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कह दिया कि यदि 24 दिसम्बर को सारे मुलजिम हाजिर नहीं हो जायेंगे, तो इस्तीफा दे दूंगा। मेन-एक्यूज्ड राघ को गिरफ्तार नही कर पाए, फिर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो, क्या चरित्र है आपका, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो। दूसरी तरफ मेरे भाई, ज्ञानी जैल जी, ने कह दिया, चूंकि डाकू गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। आप जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसी गद्दी पर पं० गोविन्द वल्लभपंत व सरदार पटेल बैठे थे, तो ऐसा लगता था कि भारत के गृह मंत्री बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसी गरिमा का पालन करें और हल्की-फुल्की बातें न करें। आपने यह कह किया कि मुख्यमंत्री चूंकि मुलजिमान को गिरफ्तार कर रहा है, डाकुओं को गिरफ्तार कर रहा है, इसलिए उनको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के बयान और लोगों के भी हुए हैं।

जैसा कि बाबू जी ने कहा, एफ० आई० आर० में है, यह सब लोग कहते हैं, जिन्होंने एफ० आई० आर० लिखी उन्होंने भी कहा था—कॉज कास्टवार था, क्लासवार नहीं था, लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने क्लासवार कह कर मुलजिमान को सन्देह का लाभ देने का अवसर दे दिया और एविडेंस को खत्म कराने में सहयोगी हुई हैं और आपने भी इसी ढंग की बात कही। मैं अगर इन बातों को मान लूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 नवम्बर से 19 दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश में एक डाकू के नाम पर 170 लोग मारे गए। मैं आपको यह उत्तर प्रदेश के एक डी० आई० जी० की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेजी गई है, उसकी एक कापी मेरे पास भी चली आई है, बता रहा हूं। मैं जो यह फिगर देने जा रहा हूं, यदि इसको गलत साबित कर दें, तो मैं इस्तीफा दूंगा, अन्यथा प्रधान मंत्री इस्तीफा दें, और ज्ञानी जी इस्तीफा दें। 170 में 123 हरिजन मारे गए, जिनमें 70 ऐसे हैं, जिनके नाम एफ० आई० आर० तक नहीं है। 14 से 25 साल तक के लड़के स्कूलों से पकड़ कर एनकाउन्टर पर मार दिया गया है। मैं अभी दोपहर में बोल रहा था 12 बजे, मैं अभी इलाहाबाद से आया हूं, जिस भूमि को प्रधान मंत्री जी अपना जन्म-स्थान कहती हैं। ...(व्यवधान)... मुझे सवेरे टेलीग्राम मिला है, ज्ञानी जी, कि कल नीमगांव के चार हरिजनों को पुलिस पकड़ कर थाना थरोई में ले गई। उनमें तीन विद्यार्थी थे। चारों के चारों के खिलाफ एक भी, सिंगिल, एफ० आई० आर० नहीं है। उनमें से तीन को मार दिया है और एक घायलावस्था में अस्पताल में है। आप पता लगा लीजिए, आपके पास सारे साधन हैं। कल से ही इलाहाबाद के डी० एम० का घेराव

हरिजन किए हुए हैं। आप नोट कर लीजिए। यह टेलीग्राम मेरे पास आया है, इस को आप ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) यह बहुत ही गम्भीर बात है। गृह मंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। झूठी मुठभेड़ दिखाकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को मारा जा रहा है। यह लज्जास्पद बात है। (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : और सुनिये। मेरा खुला आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 250 से 300 लोगों को, केवल यादव बिरादरी के लोगों को इटावा और मैनपुरी के बीच में मरवा दिया है। यह जातिवादी भावना नहीं है तो क्या है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री जातिवादी नहीं है। मैं बताता हूं कि कैसा जातिवादी है। जब पूनम देवी ने बेहमई कांड किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश का आई० जी० महेन्द्र सिंह था, जो कि पिछड़ी जाति का था और पूनम देवी भी पिछड़ी जाति की थी। उसे यह कह कर हटा दिया कि आई० जी० पिछड़ी जाति का है और अपराधी भी पिछड़ी जाति का है, इसलिए उसे हटा दो और जब मलखान सिंह पकड़ा गया, तो उसे यह कह कर छोड़ दिया कि जब तक पिछड़ी जाति के डकैत न मार दिए जाय, मलखान सिंह को छुओ नहीं। तो वह कितना बड़ा जातिवादी है जो जाति-बिरादरी के लिए डाकुओं से नाता जोड़ने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या डाकुओं का भी रिजर्वेशन है ?

श्री आर० एन० राकेश : मैं आप को बताना चाहता हूं कि सच क्या है लेकिन मैं कास्ट का आरोप तो नहीं लगाना चाहता, मैं छोटी बातें नहीं करना चाहता फिर भी कुछ ऐसा कहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कुछ साथियों की ओर से बड़ी सफाई दी जाती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बहुत दानी है। उस ने बहुत सारी जमीन विनोवा जी को भूदान में दान कर दी है। मैं बताना चाहता हूं कि भूदान की भूमि में जो छोटे-छोटे पेड़ और झाड़ियां थी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हाई कोर्ट में मुकद्दमा लड़कर उन फर्जी पेड़ों के इतने ज्यादा दाम ले लिये, इतना मुआवजा ले लिया है कि भूदानी जमीन से कई गुना ज्यादा उस की कीमत बैठती है। आज भी वह मुकद्दमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है।

हमारे एक साथी ने यह भी कहा है कि मुख्य मंत्री के पास एक ही बंगला है और वह कितना बड़ा त्यागी है उसे भी सुनिए। सिविल लाइस में जो उन का बंगला है वह 14 एकड़ में है, फिर भी उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री त्यागी है क्योंकि एक ही बंगला है ? सिविल लाइन्स जैसे एरिया इलाहाबाद में मुख्य मंत्री का रैशमहल 14 एकड़ में फैला हुआ है और शायद यह एक ही मकान राष्ट्रपति भवन से भी बड़ा होगा। दूसरी तरफ मांडा में मांडा कोठी है। किस की वह कोठी है ? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की वह कोठी है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वह विषय पर बात नहीं कह रहे हैं

श्री आर० एन० राकेश : मैं विषय पर ही बात कर रहा हूं कृपया बर्दाश्त करने का प्रयत्न कीजिए। इलाहाबाद को जहां इस बात की गरिमा मिली हुई है कि वह स्वराज्य की लड़ाई

का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, वहां इलाहावाद में राजा पैदा हुए, वहां इलाहाबाद में राजा मांडप पैदा हुए और लोग स्वराज्य के आन्दोलन के जो आन्दोनकारी होते थे, उन को अपने यहां पकड़ कर कोड़ों से पिटवाया करते थे। इसी राजा के लड़के और राजा मांडा के गोद लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। जिनकी देश भक्ति का मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश और प्रदेश के हरिजनों का कैसा भला करेगा ? पर भी आप ही विचार करें। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप बहुत अधिक समय ले रहे हैं। अब 11 बजने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान (कानपुर) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता है। हम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब इसके प्रति समान रूप से चिन्तित हैं। चर्चा के दौरान एक ऐसे व्यक्ति पर देशभक्त न होने का दोषारोपण करना जो संसद सदस्य नहीं है, सभी की सुस्थापित मिसालों तथा प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। वे ऐसा आरोप नहीं लगा सकते।

श्री आर० एन० राकेश : उसकी सराहना की जा सकती है तो उसकी आलोचना भी की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान : वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं और यह उन पर दोष लगा रहे ने। आपको विनिर्णय देना चाहिए और उनके विभिन्न आरोपों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। मैं देखूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर कोई आरोप लगाया गया है। मैं रिकार्ड का अध्ययन करूंगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : यह एक पक्षीय नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई अति अपमान जनक अथवा अनादरपूर्ण है तो उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं रिकार्ड देखूंगा। श्री राकेश जी आप विषय पर आइए। आप अभी लखनऊ में ही हैं। आप दिल्ली आइए।

श्री आर० ए० राकेश : मेरे साथी, राम विलास पासवान ने कहा कि हरिजनों की बात पर अछूतिस्तान की मांग हो सकती है। मैं कहता हूं कि हम तो आज देश के हरिजनों की पीड़ा को कहते हुए इस आवाज को यहाँ उठा रहे हैं, पर हमें मजबूर न किया जाए कि इस आवाज को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना पड़े।

हम गरीब हैं, काले हैं, भद्दे हैं, वदसूरत हैं लेकिन हमारा एक ईमान है। चम्बल घाटी की फूलन देवी के लिए कहा जाता है कि उसका कोई ईमान नहीं है। लेकिन वह जब भी लूट का

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

बटवारा करती है तो वह भी चाहती है कि ईमानदारी से बटवारा हो। इसके विपरीत इस सरकार में ईमानदारी का नामोनिशान नहीं है।

लोग कहते हैं आज हरिजन कभी इस धर्म की ओर भागते हैं, कभी उस धर्म की ओर भागते हैं, वे पैसे के लिए विकाऊ माल हैं, पैसे पर उनका धर्म बदला जा रहा है सच तो यह है कि वे मजबूर हो कर धर्म बदलते हैं तो इसके पीछे विदेशी हाथ कहा जाता है लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सदन में बहुतों ने धर्म बदले हैं, (मेरे पास प्रमाण हैं) फिर उनके धर्म परिवर्तन के पीछे कौन-सी विदेशी मुद्रा काम कर रही थी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाएंगे, अगर आप हरिजनों की सुरक्षा के लिए हथियार दें तो आपका स्वागत है।

एक मेरा सुझाव है कि वहमई काण्ड की तरह देवली काण्ड के पीड़ित परिवारों को भी 50 हजार रुपये दिए जाएं। अपराधियों को मूल्यवान चल और अचल सम्पत्ति को छीन कर हरिजन पीड़ित परिवारों को दी जाए।

उत्तर प्रदेश में जितने लोग मारे गए हैं और कहा जाता है कि डकैती की मुठभेड़ में मारे गए हैं, इनके बारे में मैं आपसे माँग करता हूं कि अगर आपमें सही बात कहने की हिम्मत हो, किसी के आप दवाव में न हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इधर के और उधर के माननीय संसद सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिए जो जाँच करे कि किस जाति के कितने मारे गए और फर्जी मुठभेड़ में कितने मारे गए हैं। इसकी जांच कराने के लिए मैं कमेटी की मांग करता हूँ।

साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में हरिजनों की संख्या 1/5 है, लेकिन अभी गृह राज्य मंत्री श्री मकवाना जी ने बताया था कि हरिजनों के ऊपर अभी तक केवल 5 से 6 प्रतिशत खर्च किया गया है। मैं माँग करता हूं कि छटवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे बजट का 1/5 हिस्सा हरिजनों के उद्धार के लिए खर्च किया जाए।

अन्त में मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तुरन्त वर्खास्तगी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं समय के लिए आपका आभारी हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) महोदय, सभा दुःखी है। मैं इसके साथ अत्याचार नहीं करना चाहता। महोदय, हमारी कुछ डाकुओं या अपराधियों अथवा असमाजिक तत्वों की नहीं है। इस समय तो हमारी यह समस्या शासक वर्ग का एक अंग बन गई है। हमारे शासक हमारे लिए समस्या बन गए हैं। आपने देवली में हुए अत्याचारों के बारे में सुना है। परन्तु हैरानी की बात तो यह है कि सारे गांव में लाइसेंस शुदा बन्दूकें मौजूद थीं। बहुत से सम्माननीय व्यक्ति वहां मौजूद थे, बड़े-बड़े जमींदार वहां मौजूद थे। परन्तु उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस स्टेशन तक कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई और अब यह व्याख्या की जा रही है कि कुछ डाकुओं ने ऐसा किया था सबसे अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि उन अपराधियों को ऐसे जघन्य अपराधों की

अनुमति कैसे दी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन अथवा राज़नीतिक व्यवस्था के बिना वे काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकती।

स्वतन्त्रता के 33 वर्षों के पश्चात् हमने भारतीय समाज में एक ऐसी दिशा अख्तियार कर ली है कि ऐसे अपराधों को सामाजिक उकसाहट और स्वीकृति मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां के ऐसे निवासियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके पास लाइसेंस शुदा बन्दूकें हैं तथा उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने यह सब देखा। आज असामाजिक तत्व राजनीतिज्ञों के विश्वास पात्र हैं। न केवल इतना ही, वे तो परमात्मा के भी विश्वास पात्र हैं। वे मन्दिरों में आराम फरमाते हैं। यह एक आश्चर्य जनक बात है। पहले असमाजिक तत्व अन्य स्थानों पर शरण लिया करते थे। अब वे मन्दिरों में आराम फरमाते हैं। अतः भगवान का घर आज छुपने का स्थान भी बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।

श्री ए० के० राय : मैं नहीं करता हूं और न ही यह स्वीकार करता हूं कि ऐसी बातें हों। मैं सभा के समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति। मैं इस वहम में नहीं पड़ना चाहता परन्तु क्या उन्हें देवली के लोगों के साथ किए गए इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद भी अपने पद पर बने रहना चाहिए ? उन्हें अपने पद से तत्काल अलग हो जाना चाहिए। मुद्दा यही है। सरकार में उनके अस्तित्व से सम्पूर्ण जमीदार वर्ग तथा शोषकों को प्रोत्साहन मिलता है तथा उन लोगों का भी उत्साह वर्धन होता है जिन्होंने देवली के कमजोर वर्ग पर अत्याचार किए हैं। सन्देह का एक ठोस आधार है मुख्य मंत्री अपने ही त्यागपत्र की घोषणा करते हैं तो अगले ही क्षण मुख्य अपराधी चुपचाप आत्म समपर्ण कर देता है। इस सबसे एक बहुत बड़ा सन्देह यह उत्पन्न होता है कि वे सब अपराधी मुख्य मन्त्री को सत्ता में बनाए रखने के प्रति बहुत चिन्तित हैं। मुख्य मुद्दा यही है। यह वर्ग विशेषता है। यह बात नहीं है कि इसका संचालन वे कर रहे हैं। मैं यह दोष नहीं लगा रहा हूं कि इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी हैं। वे इसका संचालन नहीं कर रहे हैं और न ही व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी खोजें तो केरल श्री राव ही कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय : किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा उसके चरित्र से मेरा प्रयोजन नहीं है। मैं उस व्यवस्था की विशेषताओं तथा इसका संचालन करने वाले वर्ग के प्रति चिन्तित हूं। श्री सिंह ने निर्देश नहीं दिया होगा परन्तु वे स्वतः कार्यशील हैं। वे सभी चिन्तित हैं। गलत काम करने वाले सभी व्यक्ति, अपराधी इस वर्ग को उत्तर प्रदेश राज्य के शासक बनाए रखने के प्रति चिन्तित हैं। यह एक सच्चाई है। यही कारण है कि जब हम श्री सिंह के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे एक बुरे व्यक्ति हैं, या शरण दे रहे हैं या धन ले रहे हैं। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उन्हें हरिजनों की चिन्ता कम है। हम उनका त्यागपत्र इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सत्ता में बने रहने से अपराधियों का उत्साहवर्धन होगा। यही मुद्दा है।

मैं एक प्रश्न श्री जैल सिंह और उनके साथी से पूछना चाहता हूं। क्या वे किसी जगह हरिजनों की रक्षा करने में समर्थ हैं ? यह एक सीधा सा प्रश्न है। क्या यह सभा देश में कहीं भी हरिजनों की रक्षा करने में सक्षम और समर्थ है ? क्या आप गुजरात में हरिजनों की रक्षा कर सके, पीपरा में रक्षा कर सके, क्या आप तमिलनाडु में या अन्य किसी स्थान पर हरिजनों की रक्षा कर सके।

अब इस देश में हरिजनों के पास दो रास्ते रह गए हैं। एक गुजरात वाला। कुछ समाचार पत्रों ने टिप्पणी की साबरमती के किनारे को गांधीवाद का कब्रिस्तान न बनने दीजिए। वहा हरिजनों को कत्ल कर दिया गया, उन्हें कष्ट पहुंचाया गया और उनके अनेक अधिकारों को छीन लिया गया। एक रास्ता यह है। हम जानते हैं वहां हरिजनों के साथ क्या हुआ। आज हरिजनों को दिए गए सभी अधिकारों और सुविधाओं को उनसे वापस ले लिया गया है।

दूसरा रास्ता यह है कि वे भोजपुर वाली घटना अथवा पटना वाली घटना का अनुसरण करें। बिहार के पटना और भोजपुर जिले तथाकथित ठाकुरों, राजपूतों, शक्तिशाली लोगों और जमीदारों के गढ़ हैं। हरिजनों को तंग किया जाता था और सरकार की सारी शक्तियां हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकीं। अब सरकार किनके लिए सुरक्षा प्रदान करने जा रही है ? वे जमीदारों, ठाकुरों तथा अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। क्यों ? वहां अब हरिजन विरोध में उठ खड़े हुए हैं। वे उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने अब वास्तविक दर्शन अपना लिया है, मुकाबले का दर्शन। विरोध की राजनीति को उन्होंने समझ लिया है। उन हरिजनों की रक्षा के लिए किसी प्रकार की शक्ति अथवा पुलिस की आवश्यकता नहीं है। अब पुलिस और न्यायालयों को जमीदारों को सुरक्षा प्रदान करनी है।

मुठभेड़ों के नाम पर हरिजनों को मारा जा रहा है। मैंने जैसा कि कहा है हरिजनों के पास जीवित रहने के दो रास्ते बचे हैं। उन्हें अब पुलिस द्वारा अथवा राज्य के तन्त्र द्वारा मारा जाना होगा। वे जमीदारों द्वारा मार दिए जाते हैं अथवा उन पर आक्रमण कर दिया जाता है। उनके पास एक ही विकल्प बचा है—और वह है लड़ाई का।

जनता शासन काल के दौरान बेगुसराय जिले के कुछ भागों में—मेरे ख्याल से वाजिदपुर में अत्याचार हुए थे और हरिजन मारे गए थे। मैं श्री कर्पूरी ठाकुर के साथ था जो उस समय वहां के मुख्य मन्त्री थे। और मैं वहां पर मुख्य सचिव के साथ था। तब मैंने पाया कि हरिजनों को हथियार देने की बात अपनायी गयी थी। इस काम को करने की कार्य प्रणाली पर विचार किया गया था। इसको करने के भी तरीके हैं। आप हरिजन होम गार्ड दल बना सकते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के होम गार्ड जो विशेष रूप से हरिजनों के लिए हों। और आप होम गार्ड के उन सदस्यों को हथियार दे सकते हैं। हरिजनों की रक्षा के लिए उनका कार्मिक दल बनाया जा सकता है।

मैं इन लोगों को जानता हूं, यह सभा और संस्थान हरिजनों के प्रति सहानुभूति दिखाने में हिचकती नहीं है। परन्तु हरिजनों को शक्ति देने के विचार से वे अत्यधिक चौकन्ने हो गए। जब श्री जगजीवन राम सत्ता में थे, उन्होंने उन पर दोषारोपण किए—मैंने भी उन पर एक अवसर पर

जब वह रक्षा मन्त्री थे । हल्के आरोप लगाए । तब उन्होंने पूछा था : 'यदि राजपूत रेजीमेंट और जाट ब्रिगेड हो सकती है तो चमार ब्रिगेड क्यों नहीं हो सकती ? इससे एक हंगामा हो गया । यदि गृह मन्त्री में साहस है और वह वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें वह करना चाहिए जो 'जनता' नहीं कर सकी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री परमार बोलेंगे, और फिर श्री छांगुर राम । वे दोनों पांच-पांच मिनट बोलेंगे । फिर मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली के हत्याकाण्ड के बारे में बात याद करने पर दिल भर जाता है और हर इन्सान को देश में उस पर दर्द होना चाहिये । मैं 19.12.81 के दिन देवली गया था जहां हत्याकाण्ड हुआ था । दलितों की बस्ती में जो आदमी हत्यारों से छुपे हुए दीवार कूद कर भागे और 6 आदमी जो बस्ती के बाहर थे उन सब के मिलने के बाद यह घटना इस ढंग से हुई है कि एक बात जरूर कहनी पड़ेगी हमारा शासन कांग्रेस का है और हमारी प्रधानमन्त्री की हरिजनों के लिए दिलचस्पी है, सहानुभूति है लेकिन नीचे को जो तन्त्र है वह क्या करता है वह बात प्रधान मन्त्री तक पहुंचती है कि नहीं यह सोचने की बात है । 18.11.81 की शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक यह तांडव हुआ । 3 इन्सान को बाहर मारा, बाद में 21 प्राणियों को सब के घर में कमरा तोड़कर ढूंढ-ढूंढ कर गोली से मारा गया । इस घटना के बाद रात के 4 बजे तक हत्यारों ने सारी बस्ती का घेराव किया जैसे किसी को जिन्दा नहीं छोड़ना है । इस तरह से लोग सारे बस्ती में बैठे रहे । छुपे हुए आदमियों में से एक आदमी सुबह 6 बजे पड़ौस के गांव में पुलिस को बताने गया । 19 तारीख को रात के 12 बजे तक, यानी 28 घण्टे तक जो जहां मारा गया था उसकी लाश वहीं पड़ी रही । 28 घण्टे तक जहाँ लाशें थीं, वहीं पड़ी रहीं और 20 तारीख को पुलिस थाने ले गई । 20 तारीख को रात 12 बजे तक 15 लाशें थीं, और चौथे दिन 9 लाशें थीं । इस तरह से मरे हुओं की लाशें भी सड़ने दी गईं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तन्त्र क्या कर रहा है ? यह बात हमारे होम मिनिस्टर जानते हैं या नहीं ?

जिस समय दलितों पर हमला हुआ, वह तीन टुकड़ियों में हुआ । एक टुकड़ी पुलिस की थी, पुलिस की ड्रैस में वह राइफलों के साथ टुकड़ी आई । दूसरी टुकड़ी गांव में ठाकुरों के मोहल्लों की तरफ से आई और तीसरी नाईयों के मुहल्लों की तरफ से आई । इस तरह से इस मौहल्ले को घेर लिया गया । मैं होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि इन लोगों को मारने के बाद जो माल लुटा और लूटने के बाद वह पुलिस कहां रही ?

3 दलितों के खेत, जिसमें सरसों बोया हुआ था, वह काट कर डेरे लगाये, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का हैलीकोप्टर ले गये । प्राइम मिनिस्टर निर्दोष हैं, उनको पता नहीं कि क्या होता है । यह नीचे का तन्त्र है जो यह काम करता है । 8 बीघे जमीन, जिसके घर के 6 आदमी मरे हैं और 2 बच्चे मरे हैं और जिसकी लड़की बच्चे को खाना खिलाने के लिए आई, जिसके खेत में हैलीकोप्टर उतरा, क्या आप यह जानते हैं या नहीं ?

इससे आगे मैं कहना चाहता हूं कि दो बहिनें जो मर गईं हस्पताल में, उनके पेट में दो बच्चे भी मारे गये इस तरह टोटल 28 मारे गये हैं । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं

प्रार्थना करता हूं जिसके परिवार में अकेले बच्चे हैं, उनके लिये सरकार ने क्या सोचा है ? कोई बोलने वाला नहीं है। उन्हें सरकार को गोद लेना चाहिये।

हम सब देवली-देहुली करते चिल्लाते हैं, मैं सदन में उपस्थित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि बच्चा मां को भी सच कहता है तो मां को बुरा लगता है। यह सब दलों के नेता बैठे हैं, कहते हैं। सारे देश की जिम्मेदारी हम लीडरों पर है, क्या कभी सोचा है कि दलितों का क्या होता है ? कोई नहीं कह सकता है कि हम हरिजनों के लिये कुछ कर रहे हैं। सब ऊपर की बात है।

मैं देश के दलितों के लिये कहता हूं कि एक कास्ट हिन्दू बाप के 4 लड़के हैं। उनमें एक तो शासन चलाता है, दूसरा हरिजनों को मारता है, तीसरा इस बात की जांच करता है और चौथा इसका जजमेंट करता है। हमारा कौन है ?

पिछले 33 साल में दलितों को बचाने के लिये, कई सदस्यों ने कहा कि क्या नहीं हुआ ? दलित एस० पी० हुए, डी० एस० पी० हुए, कलैक्टर हुए, मिनिस्टर हुए, एम० पी०, एम० एल० ए० वगैरह सब कुछ हुए हैं, फिर क्या नहीं हुआ ? मैं कहना चाहता हूं कि जिसके चार पैर, और एक पूंछ, जिसको कहा जाता है कुत्ता, वह किसी के कमरे में या किसी के किचन में जा सकता है, लेकिन 33 साल के बाद भी हम किसी हिन्दू की खिड़की पर नहीं जा सकते हैं। क्या हुआ है ? यह हुआ है।

यह बड़ा गम्भीर सवाल है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसके लिये जरूर नहीं सोचेंगे, क्योंकि चुनाव आता है, वोट मांगे जाते हैं, अगर मैजोरिटी को खुश नहीं करेंगे तो चुने नहीं जायेंगे। यह सवाल सब के लिये है। अब हरिजन भी समझ गया है कि मगर और घड़ियाल के आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है।

मैं जानता हूं कि मेरी क्या परिस्थिति है। गुजरात में मेरी सारी मिल्कियत जला दी गई, 2 लाख का नुकसान हो गया और आज तक कोर्ट केस भी नहीं हुआ। कुछ करने वाली बात तो ठीक है।

कोई 20, 25 साल पहले रोड पर एक लड़का किसी फिल्म का गीत गाता था—

दुनिया में हम आये हैं तो जीना ही पड़ेगा,
जीवन है अगर जहर, तो पीना ही पड़ेगा।

आज 25 साल के बाद फिर दूसरी याद आती है–

गरीबों का पसीना बह रहा है,
वह पानी बहते-बहते कह रहा है।
कभी यह दिन भी आयेगा,
कभी यह दिन भी आयेगा,
वह पानी रंग लायेगा,
वह पानी रंग लायेगा।

समझ जाओ तो अच्छी बात है। देहुली के पीछे क्या हो रहा है ? समझो नहीं तो हरिजन मुसलमान क्यों होता है ?

हरिजन क्रिस्चियन हो, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। यह बुद्धिस्ट या सिख होता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वह मुस्लिम होता है, तो सब चिल्लाते हैं। जब हमारा देश अ-साम्प्रदायिक है, तो धर्म के बारे में चिंता क्यों करते हैं ? अ-साम्प्रदायिक देश में कोई आदमी किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन अगर हरिजन मुस्लिम हो जाए, तो देश के लीडरों को चिंता होती है। मगर यह तो सोचना चाहिए कि ये लोग मुस्लिम क्यों होते हैं। इस पर विचार करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है।

मैं गरीब हरिजनों के बारे में कुछ सुझाव देता हूं। देवली में जाने के बाद होम मिनिस्टर साहब ने कुछ लोगों को लाइन्सेस दिए हैं। लाइसेन्स से तो गोली नहीं निकलेगी, और बंदूक लेने के लिए उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। मैं उन 11 लाइसेन्स वालों के फोटो देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों को बन्दूकें दे दें।

देवली जैसे जो गांव हैं, जिनमें पच्चीस घरों से ज्यादा हरिजनों की बस्ती है, और जहां ऐसे कांड होते है, वहां पुलिस थाना कायम किया जाए। मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रुपए दिए जाएं। इससे कम क्या होगा ? उन्हें पचास हजार रुपए से कम नहीं देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि एक गाँव में हरिजन सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए। यह क्या बात करते हैं ? अगर दस गांवों के हरिजनों को वहां ला कर बसाया जाए, तो कुछ हो सकता है, नहीं, तो उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। ज्ञानी जैल सिंह सहाब से नहीं, मकवाना साहब से प्रार्थना करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों में बाँटने के लिए कम्बल, रजाइयां और स्वेटर भेजे, मगर वे दिन को बांटें ?—जिन परिवारों के लोगों को मारा गया है, उन्हें तो बांटे, मगर क्या मारने वाले परिवारों को भी बांटे ? वह इस बारे में जांच करें। उनकी नीयत तो अच्छी है, लेकिन नीचे वाले क्या कर रहे हैं ? नीचे वाले सारे खिलाफ हैं।

आज जातिवाद तो है। उससे दलितों की रक्षा करने वाला सब चिल्ला कर बोलते हैं—शायद कोई है या नहीं ? मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। आशा करता हूं कि इस गंभीर सवाल पर सब सोचेंगे।

श्री आर० एन० राकेश : 27 हरिजन मारे गए हैं। सदन में 27 सदस्य भी नहीं हैं। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री छांगुर राम (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े पांच घंटे की बहस में देवली के नर संहार के सम्बन्ध में सारे तथ्य सामने आ गए हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन यह बात अपने आप में सत्य है कि देवली नर-संहार उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक कलंक है। मैं कहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश के लिए यह कलंक है। इस घटना ने देश के गरीबों के दिलों को दहला दिया है और आज उनमें आतंक और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

पिछले कुछ वर्षों से, चाहे जनता पार्टी के राज्य में और चाहे आज की सरकार के शासन-काल में, ये जो घटनाएं हो रही है, बेलची से ले कर पिपरा, कफल्टा और अब देवली तक, जिस प्रकार हरिजनों की सामूहिक हत्या की जा रही है और सरकार उसको रोक नहीं पा रही है, ये सब बातें इस देश को और देश के गरीबों को मजबूर कर रही हैं कि वे अपनी बुनियादी समस्याओं पर सोच-विचार करें। बुनियादी समस्या सत्ता-परिवर्तन नहीं है। सत्ता-परिवर्तन तो हो गया है। जनता पार्टी के बाद यह सरकार बैठ गई। लेकिन उनकी सुरक्षा आज भी नहीं हो पा रही है। घटनाएं और ये सामूहिक हत्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि जब तक देश के अन्दर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं होगा और राज सत्ता पर गरीबों का, गरीब वर्गों का अधिकार नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगायी जा सकती। और आज है क्या ? आज देश के अन्दर जितने सामन्तवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, सामन्तवादी प्रवृत्तियों को और समाज-विरोधी तत्वों को इस देश में सरकार का समर्थन प्राप्त है। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इस प्रकार का चरित्र रखने वाले बहुत से लोग हैं जो सरकार के अन्दर बैठे हुए हैं। उनकी सहायता से कफल्टा के अपराधी सबके सब साफ बच गए और आज यह देवली का नर-संहार उसी का परिणाम है। मैं कहता हूं मुख्य मंत्री को इस पर तत्काल इफ्तीफा दे देना चाहिए था। इसी में उनकी गरिमा थी। अगर वह त्याग पत्र देने में नाटक करते हैं, हीला हवाली करते हैं तो प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि उनसे त्याग पत्र मांग लें। इसमें उनकी गरिमा होगी। अगर यह नहीं करती हैं तो उनकी सफाई लेक्चरवाजी से और दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से नहीं हो सकती। मैं अपनी जनवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं, पुरजोर मांग करता हूं कि इतनी बड़ी घटना पर उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को त्याग-पत्र दे देना चाहिए और वह त्यागपत्र वह दें।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से देवली गांव में गया था। मौके पर मैंने देखा था कि किस प्रकार से वहां घटनाएं घटी हैं और कितने इत्मीनान से लोगों को गोली का शिकार बनाया गया है। इससे यह साफ लगता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं से साजिश है। मैं तो कहूंगा कि सरकार में बैठे ऐसे गलत लोग हैं जिन की साजिश है जो अपराधी इस ढंग से और इतनी देर तक नरसंहार करते रहे। आप ने सुना है कि शाम को चार बजे यह शुरू हुआ। चार बजे दिन होता है, सूरज डूबने का समय होता है, चार बजे शुरू होता है और एक तरफ यह नरसंहार हो रहा है, दूसरी तरफ उसी गांव में कुछ लोगों के दरवाजे पर खाना पक रहा है, उन अपराधियों को खिलाने के लिए बकरे काट कर खाना पकाया जा रहा है इस खुशी में कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब उन्होंने यह कांड शुरू किया है तो जो लोग पहले मिल गए सामने उनको तो मारा ही, जब उन गरीबों ने देखा कि ये सबके साथ यही करेंगे तो घरों में छिप गए। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। अन्दर से लोग दरवाजे को बन्द कर के छिप गए। जब दरवाजा नहीं खोल सके तो कुल्हाड़ा मंगा कर हर घर के दरवाजे को चीरा गया। अब आप इस पर सोचिए कि बड़े मोटे मोटे किवाड़ थे, बड़े नक्काशीदार नहीं थे, भद्दे किस्म के थे लेकिन बहुत मोटे मोटे लकड़ी के किवाड़ और दरवाजे थे, उनको कुल्हाड़े से मारा कर चीरा गया। फिर अन्दर जा कर जो जहां मिले हैं वहां उन को मारा गया है। आप यकीन करिए किस सहूलियत से, किस विश्वास से वह इस ढंग से काम

कर रहे थे। 24 लोगों को गोली से मौत के घाट उतारने के बाद और आठ लोगों को घायल करने, उनको अपंग करने के बाद ये अपराधी उसी गाँव में आराम से खाना खाया हैं, तीन साढ़े तीन बजे सुबह तक वहीं बैठे रहे हैं। उसके बाद वे वहां से गायब हुए हैं। क्या यह नहीं जाहिर करता है कि इन लोगों की कहीं न कहीं कोई साजिश हैं, जिसकी वजह से वे इतनी हिम्मत से काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, पिछले उत्तर प्रदेश के विधान सभा इलैक्शन में ज्यादातर जिलों में, मैं नहीं कह सकता हूं कि इन की क्या स्कीम थी, हरिजन कलैक्टर और एस० पी० रहे। केवल एक ही लालच था कि हरिजनों का वोट लिया जाए, लेकिन चुनाव होने के बाद वहां से सब को एक तरफ से हटा दिया गया। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि 10 हरिजन कलैक्टर और आठ हरिजन एस० पी० को अभी छः महीने के पहले हटा कर बाहर कर दिया गया और ऐसी जगहों पर रखा गया है जहां पर से गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का कदम हरिजन विरोधी साबित नहीं करता है ? सरकार के ऐसे कामों से देश के समाज विरोधी तत्वों का क्या मान नहीं बढ़ेगा, मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बढ़ेगा। बहुत से माननीय सदस्य आंकड़े देकर कह रहे थे कि आज भी नौ कलैक्टर हैं, कोई कह रहा था कि बारह कलैक्टर हैं, लेकिन जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 54-56 जिलों में केवल तीन हरिजन कलैक्टर रखे गए हैं और एस० पी० कोई है या नहीं है, यह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे। अगर यह बात सत्य है तो किस योजना के तहत इतने बड़े पैमाने पर हरिजनों को हटाया गया है या सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम थी।

उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, एक बात कहना चाहता हूं। सत्ताधारी पार्टी के एक माननीय सदस्य, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूर होकर नाम लेना पड़ रहा है, श्री आरिफ सहाब, उन्होंने कुछ बातें कहीं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके दिल में उनके प्रति कोई तकलीफ नहीं है, मैं तकलीफ बिल्कुल नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब ये जनता में थे, तो पार्टी केवल शियासुन्नी के झगड़े पर सरकार से अलग हो गए थे, इसलिए कि वह सरकार शियासुन्नी के झगड़े को नहीं रोक सकी और आज इतने बड़े नरसंहार के ऊपर उनका इस तरह का बयान था।.....(व्यवधान).....

श्री आरिफ मोंहम्मद खां : अलग इसलिए हुआ था कि उस सरकार ने दंगा कराया था, जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री छांगुर राम : मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवली कांड कोई छोटी घटना नहीं है। यह राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय घटना है। इस घटना की जांच पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी से भी नहीं होनी चाहिए। इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के द्वारा होनी चाहिए। उसको यह निर्देश देना चाहिए कि तीन महीने के अन्दर जांच की सारी कार्यवाही पूरी करके और इन अपराधियों को मौत की सजा देने की व्यवस्था करायें।

साथ ही साथ यह जो एकाउन्टर की बात कही जा रही है, यह बहुत बड़े पैमाने पर है। इसके बारे में भी मैं चाहूंगा माननीय मंत्री अपने ऊपर सारा बोझा न लें और पुलिस के अधिकारियों पर जिम्मेदारी न ठहरावें। इस घटना की भी जांच किसी जज की दे दें, जिससे साफ जाहिर

हो जाएगा कि एकांउन्टर में सही आदमी मारा जा रहा है या गलत आदमी मारा जा रहा है। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

गरीबों के अपलिफ्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए कानून बने हैं, यह बात सही है लेकिन आज सवाल यह है कि उन कानूनों के मुताबिक जब तक उनको जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, उन को अपने जीवन-यापन का कोई ठोस साधन नहीं मिलेगा, तब तक उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। आज उनकी कोई सुरक्षा भी नहीं हो रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को, इस शासन को उन गरीबों के प्रति कोई हमदर्दी है, तो जो छटी पंचवर्षीय योजना है, उसको फिर से पुनर्गठित करें और उसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जब तक देश के कमजोर वर्ग समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में नहीं आ जाते हैं, तब तक योजनाओं में उनके अपलिफ्ट के लिए प्रायरटी दी जाती रहेगी। अगर आप कर देंगे और गरीब समाज दूसरों के मुकाबले में बराबरी पर आ जाएगा, तो वह अपनी रक्षा खुद कर लेगा और फिर सरकार को उसको बचाने की जरूरत नहीं रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, छः बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक साढ़े पांच घंटे की बहस पर चाहता तो मैं था कि हर प्वाइन्ट पर जो कुछ आनरेबिल मेम्बर साहबान ने कहा है, उस के बारे में कुछ कहूं लेकिन मजबूरी है। क्योंकि इतनी लम्बी बहस का उत्तर रात के 12 बजे से पहले पूरा तो होगा नहीं। मैं नहीं कह सकता कि आप का जो शेड्यूल्ड टाइम है, वह 24 तारीख को हाऊस को एजोर्न करना है और अगर में हर प्वाइन्ट पर बोला तो फिर 25 तरीख में हम चले जाएगें और आप को फिर ब्रेकफास्ट का इन्तजाम करना पड़ेगा।

ऐसी दुःखदायी घटना है, निन्दानीय घटना है और इस पर हर मेम्बर के जजबात का आना भी जरूरी था, नहीं तो मैं समझता हूं कि यह भी एक एट्रोसिटी है मेम्बर पर कि उन को बैठाए रखा और न कुछ खिलाना और न कुछ पिलाना मगर यह एक ऐसी दुःखदायी घटना थी, जिस के लिए एक दिन भूखा रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह मामूली कष्ट है जो हम उठा रहे हैं उस के मुकाबले में जो हमारी सोसाइटी को कष्ट हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे सारे समाज और सरकार के लिए यह एक शर्म की बात है कि इतना बड़ी दुर्घटना इस तरीके से हुई जैसे कोई है ही नहीं और जो चाहा उन्होने किया। ये सारी बातें मेम्बर साहबान ने बता दी हैं और मैं उन को दौहराना नहीं चाहता।

श्री सूरज भान ने इस बहस को शुरू किया और उन्होंने मुख्य मंत्री के प्रति बहुत कुछ कहा मैं यह समझता हूं कि क्योंकि वे मुख्य मंत्री हैं और उन के जमाने में यह दुर्घटना हुई, तो पहली जिम्मेवारी उन पर आती है मगर यह आरोप कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों को प्रोटेक्शन दी, यह सही नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी का सवाल है, जो अभी-अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतिला दी कि यह जो बेहमई गांव में, जहां राजपूत मारे गये थे, ऐसे लोगों को रुपया दिया गया है, उस में उन्होंने 5 हजार रुपया सिर्फ उस आदमी को दिया है, जो मर गया

था लेकिन यहां पर होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट की तरफ से 5 हजार रुपये, सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट की तरह से 5 हजार रुपये और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से 5 हजार रुपये उन को दिये गये यानी 15 हजार रुपये उन को मिले। कोई गलतफहमी न रहे, इसलिए मैंने यह कहा है वरना इन्सान की जिन्दगी के लिए जितना भी दिया जाये, उस की कोई कीमत नहीं होती। हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइज करेंगे कि सिर्फ यह गिनती नहीं चाहिए बल्कि जरूरत के मुताबिक उन के हालात को देख कर, हर इन्डिविजुअल के हालात को देख कर उन की सहायता करनी चाहिए। और उनके बच्चों कीपढ़ाई का इन्तजाम सरकार को अपने जिम्मे लेना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को एडवाइज करूंगा ताकि वे भी इस पर अमल करसकें।

उन्होंने यह कहा कि मैंने कहा था कि उनमें तेली, नाई और एक मुसलमान था तो उसकी जरूरत नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि वे कितने आदमी थे ? सारे जो हम को बताये गये, वे कुल आठ आदमी थे। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने उस स्टेटमेंट में यह कहा था कि इसमें कास्ट वार की बात भी हो सकती है, क्लास और उनके गांव की लड़ाई भी हो सकती है। क्योंकि इसमें मिला-जुला सम्बन्ध है। वहां पर हरिजन दूसरी किस्म के भी हैं। जो बाल्मीकि हैं उनको कुछ नहीं कहा गया। जो जाटव थे, चमार जाति के थे उन पर ही प्रहार किया गया। हमें यह भी कहा गया कि एक-दो जाटव भी इस राजपूत टोले के साथ थे जबकि डाका डाला गया और उसके बाद बटवारे का सवाल था।

लेकिन इस बात से इंकार नहीं जा सकता कि जाटव के पास माल भी है, दौलत भी है, ये जमीन के मालिक भी हैं, सरकारी नौकारियों में भी हैं, अदालतों में भी खुद बैठ हैं और पोलिटिकल पार्टियों को भी वे प्रभावित करते हैं। यह जो तवका था वह इनको वर्दाश्त नहीं करता था। इसका कारण यह भी है कि हरिजन 35 साल में उस गुलामी से निजात पाने की सामर्थ्य रखते हैं और अब वे यह जानते हैं कि उनकी जवान में कोई असर है। वे बोलते भी हैं, अपना हक भी मांगते हैं और पहले की तरह गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं। जो उन्हें गुलामों की तरह रखना चाहते हैं वे इस बात को सहन नहीं करते।

पहले के जमाने में जबकि उनकी बहु-बेटी की बेइज्जती हो जाती थी तो भी वे पुकार नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ गन्दे लफ्ज बोल दिए जाते थे तो भी वे नहीं बोल सकते थे। उन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था। उनके बर्तन भी अलहिदा होते थे। उनकी जिन्दगी बिकी हुई थी। जितना कोई दे देता था उसी में उनको गुजरा करना होता था। यह जो गुलामी की जिन्दगी वे बिताते थे उसको अब वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उनमें हिम्मत आयी है, दिलेरी आयी है। लेकिन सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आया। सोसायटी में सोशल, सामाजिक, राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं, इनमें बेशक बातें की जाती हैं लेकिन इस बात पर अमल नहीं हुआ। उनको इन्सानियत का हक देने के लिए हमारा समाज तैयार नहीं हुआ। यह तैयार न होने की बजह से ही, जैसा कि आपने बताया कि एक एस० पी० ने एक हरिजन मेम्बर आफ पार्लियामेंट को कहा कि तुम हरिजन मेम्बर आफ पार्लियामेंट हो गये हो, कोई देवता नहीं बन गये हो। (व्यवधान) अपनी हैसियत को भूल गये हो।

ऐसी बातें मैंने भी बहत सुनी हैं। किसी पंचायात में अगर कोई हरिजन सरपंच बन जाए तो उसको सरपंच नहीं समझा जाता है। पुलिस वाले भी उसके पास नहीं जाते हैं। मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूं कि जब मैं किसी गांव या शहर में जाता हूं तो वहां हरिजनों की बात करता हूं और उनको सुझाव देता हूं कि मैं हरिजनों में जाऊंगा। झमुसे कहा जाता है कि वहां जाने की क्या जरूरत है, और लोग यहां आ गए है, वे भी आ जाएंगे।

मैंने उनको कहा कि और लोग तो आ जाएंगे। आपमें से कई तो ऐसे होंगे जो हर होम मिनिस्टर के लिए आए होंगे और आ कर के कार का दरवाजा खोला होगा। रिसेप्शन देने के लिए जनता पार्टी के वक्त में भी आये होंगे। ऐसे लोग भी आज भी जिन्दा होंगे जो अंग्रेजों के वक्त में भी ऐसा करते रहे होंगे। बहुत से ऐसे एलीमेंट भी होंगे आप में। लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं मैं हरिजनों में जाऊंगा हमने हिदायतें कीं तमाम रियासतों को और दूसरे लोगों को कि हमारा कोई भी अफसर दूर पर जाए तो हरिजनों की बस्ती विजिट करे। काम हो या न हो और उनसे बात करे।

मेरा तजुरवा है कि किसी भी पार्टी के बड़े लोग जो हैं, उनके सामने हरिजन बात करने तक की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं होता तो ये लोग थानेदार से मुझे पिटवा देंगे। इस पिटाई के डर से वह सोचता है कि यह क्यों न कहूं कि ये लोग मुझे अच्छी तरह रखते हैं, मुझ से प्यार करते हैं। तो अपर-क्लास का दिमाग इससे बिगड़ा हुआ है। सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होने इरादे से, सच्चाई से इस बात को माना है कि यह परिवर्तन जो इन्सान को इन्सान समझ कर चलने का है, इसको मानना है। जिन सरकारी अफसरों, पोलिटिकल लीडरों और समाज के तबको में, उनके दिमाग में अभी तक यह बात है, उसको बदलना होगा।

मैं उन मेम्बरों के साथ सहमत हूं, जिनका मत है कि कोई न कोई पीछे ताकत होती है, फिर ये हरिजनों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं।

यह इतनी दुखदायी घटना है कि जिसके लिए मैं समझता हूं कि इन्सान की जवान और कलम काम नहीं कर सकती कि इसको बयान किया जा सके। दो जगहों पर यह चीज होती है, या तो अति मोहब्बत, प्यार और खुशी हो, इसे बयान नहीं किया जा सकता, और दूसरा जहां अति दुखदायी घटना हो, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो यह अति दुखदायी घटना होने की वजह से इस पर जितना भी कह लें, यह बयान पूरा नहीं किया जा सकता।

कहा गया कि हरिजनों का मामला है, इसमें सेंटर की जिम्मेदारी है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हरिजनों का, माइनारिटीज का और कुछ जगहों पर बैक-वर्ड क्लास के मामले में भी सेंटर को दखल देना चाहिए। हमारे देश का समाज जो बंटा हुआ है, सबसे पहले जब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इसमें बांट दिया और वह बीमारी हमारे साथ आज तक चली आ रही है। अभी तक क्षत्रिय और ब्राह्मण चले आ रहे हैं और बहुत से लोगों से मैंने अपने कानों से सुना है - मजहब के तौर पर बड़े ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं, वे कहते हैं कि ये शंकरवर्ण प्रजा कर दी

गई है। आप लोग गुनहगार हो। वे मन्दिरों में हरिजनों का जाना रोकना चाहते हैं। ऐसे नेता भी देखे हैं जो हरिजनों के बारे में जोरदार तकरीरें करते हैं और अगर हरिजनों की वस्ती मेंउन से कहा जाए कि चाय पी लीजिए तो वे यह कोशिश करेंगे कि यहां न पी जाए। आगे चल कर पी जाए, टाइम नहीं है। वे चाहते हैं कि यहां का पानी न पिया जाए।

मेरे ऊपर कटाक्ष किए गए, गृह मंत्री होने के नाते यह आवश्यक भी था। मेरे ऊपर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको भरोसे के साथ बताना चाहता हूं। हमारा संविधान नहीं बना था, मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ था और मैं छोटी उम्र का था। 1938 में जब मैं अभी जेल नहीं गया था, उस वक्त मैंने हरिजनों के यहां खाना खाया, साथ में रहा हूं और इसके लिए दो गांवों की पंचायत जुड़ी और उस पंचायत ने मुझे सजा दी कि तुमको 10 दिन के लिए गुरुद्वारे के सामने बैठकर लोगों के जूते साफ करने होंगे और दातुन लाकर उनको देनी होगी। प्रायश्चित करना होगा। एक साधु थे, उन्होंने यह फैसला सुनाया। दो गांवों की पंचायतें थीं, दो गांवों की इसलिए हो गईं कि एक हमारे गांव का हरिजन, बाल्मीकि था, वह मेरे साथ कहीं गया था, कपड़े सफेद पहने हुए था, मैंने बताया नहीं। एक साहब के यहां हमने खाना खा लिया। उस वक़्त हरिजनों को वर्तन नहीं दिए जाते थे, अगर दिए भी जाते थे तो पीतल के वर्तन दिए जाते थे, वाद में उन्हें जलाकर पवित्र किया जाता था। इस तरह से खाना खाकर वे उठ खड़े हुए। कोई कहने लगा कि हरिद्वार जाओं, कोई कुछ कहने लगा मैंने कहा मैं जूते साफ करने के लिए तैयार हूं, दातुन ला कर दे दूंगा, पंखा चला दूंगा लेकिन सजा के तौर पर मैं आपकी बात नहीं मानता। उस वक्त मुझे बहुत समझाया गया, रिश्तेदारों ने, दोस्तो ने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, राजा हिन्दू है, आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं इन्सान समझता हूं, कुत्ता नहीं समझ सकता। मेरे विचार में जिस चौके पर कुत्ता जा सकता है, चूहा जा सकता है, गंदे से गंदा जानवर जा सकता है, वहां इन्सान को नहीं जाने देना चाहिए ? मेरे मन में आदर था, सत्कार था, इस वास्ते मैंने उनकी बात नहीं मानी और न मानता हूं। मैं इस नीति से भी हटने के लिए तैयार नहीं है। आपकी भी मैं कोओपरेशन चाहता हूं। कोओपरेशन इसके बीमारी को खत्म करने के लिए। लोगों को साथ लेना निहायत जरूरी है। अगर लोगों का मिलवर्तन नहीं होगा, तमाम पोलिटिकल पार्टीज का, सरकार का समाज का और हमारे जो लोग हैं, उनके दिल को जब तक हम बदल नहीं देते हैं, परिवर्तन उन में ला नहीं देते हैं तब तक यह बीमारी रुकेगी नहीं। कोई चाहे इस तरह से इनको मारता रहे तो वह अपने मन से निकाल दे और मैं कहना चाहता हूं कि इन वेगुनाहों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई इस इन्क्लाव को रोक नहीं सकता है। वह इन्क्लाव है।

मुझे आपका भी धन्यावाद करना है। आज की बहस में कटाक्ष बहुत कम हुए है। विरोधी मैम्बर्ज ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी बहुत अच्छी सजैशंज दी हैं। थोड़ी सी दुर्घटना होने लगी थी लेकिन बच गई, मामला बढ़ा नहीं। न किसी पार्टी की बात यहां रखी गई है और न किसी व्यक्ति की। मेरी दरख्वास्त है कि आज की बहस को इसमें दिए गए एक सुझाव को हम अपने नोटिस में लाएं, उस पर विचार करें। जब हम इनको देखेंगे, इन पर विचार करेंगे तो मेरी राय यह है कि जब आदमी बहुत बड़े हाउस में बोलता है तो एक बात को लम्बी भी कर देता है और दूसरे कुछ न कुछ अपनी पार्टी की तरफ

भी देखता है, यह देखता है कि पीछे वाले यह कहेंगे कि अच्छा बोला है, ऊपर भी देखता है और कभी कभी समझता है कि अब तो मौका था सरकार को लताड़ने का। इन बातों को छोड़ कर अगर आप अपने-अपने सुझाव साइन्यूटली विचार करके और कम्प्रिहैंसिव तरीके से लिख कर भेज दें तो उनके बाद मैं मामले में एक और मीटिंग बुलाने के लिए भी तैयार हूं ताकि हम ऐसा रास्ता अपनाएं कि इस बीमारी को हम मिटा सकें। यह हिन्दुस्तान के माथे पर एक कलंक है। मेरा विश्वास है कि इन झगड़ों से किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होगा। हम सभी में कमी जरूर है। कभी कभी हम कौम की मुसीबतों से पार्टी के लिए फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगता। लेकिन यह एक कमजोरी है जिस को हम को भूलना है। एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सियासी न कहो। लेकिन मैं कहता हूं सियासी तो कहो लेकिन इसको पार्टी की सियासत में न लाओ। पार्टी पालिटिक्स से ऊपर रख कर आप इस पर विचार करें। फिर यह मामला ठीक आप कर सकते हैं।

महात्मा गांधी की मेहरबानी से, पण्डित जी ने उनकी रहनुमाई में जब भारत का कांस्टीट्यूशन बना तो उसमें इन लोगों को इंसानियत का दर्जा दिया। दर्जा देने से उनका हौसला बढ़ा। कानून ने मदद की उनकी। लेकिन असली बीमारी यह है कि सामाजिक तौर पर उनको छुआ नहीं जाता है। साथ ही आर्थिक तौर पर भी वे बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत नीचे हैं। आर्थिक तौर पर कोई ऊपर नहीं उठता है तो उसको कितना भी समाज के लोग और सरकार कहे, उनको कोई उठाता नहीं है। आज की दुनिया में मैं देखता हूं कि जिन लोगों ने बहुत बुरे-बुरे काम करके दौलत बना ली है वे दौलत के बल पर सत्कारे भी जाते हैं, इलेक्शन में जीत भी जाते हैं लेकिन गरीब नहीं जीत सकता है। यह हमारा ढाँचा है। कोई जानकारी करने के लिए तैयार नहीं है कि कितने लुटेरे हैं हर विभाग में, हर समाज में, हर पार्टी में। लेकिन समाज नफरत भी नहीं करता है। नफरत करता है या गरीब पर, या जब कोई फंसा हुआ हो, तब कर लेता है। नहीं तो उसी को कहे जायेंगे। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, बड़े कंगाल थे। राजनीति में आकर अमीर हो गये और जब मर जाते हैं तो तकरीर करते हैं लोग कि इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिये। मैंने एक आदमी को देखा और उसने अच्छी दौलत बनायी थी। और कहा गया क्या बात है, बड़ा काम किया, परिवार का सब कुछ कर गया। इनके नक्शे कदम पर चलने के लिये हमको प्रण करना चाहिये। मैंने कहा बेड़ा गरक हो जायेगा। ऐसे समाज में जब तत्व हैं तो आप सोच लीजिये। गुरुद्वारे का भाई, कोई मस्जिद का मुल्ला, मन्दिर का महन्त, जिसको चढ़ावा चढ़ा दो चाहे आप चोरी करके लाये हों या रिश्वत का पैसा हो, वह आपका यश गाना शुरू कर देगा भगवान इन्हें धर्म की कमाई दे, इनको बेटा दे। और हम जब इलेक्शन में फंसे होते हैं तो ब्लैक मनी वाले ज्यादा पैसा देते हैं। तो अपने हृदय को हमें टटोलना चाहिये। इन लोगों की गरीबी को दूर करना भी जरूरी है। एक तो कारण यह है कि इनमें हौसला आना शुरू हुआ। दूसरे जो यह समझते हैं कि यह जो रिजर्वेशन है यह हमारी पौकिट से गिर गया। वह बर्दाश्त नहीं करते। हरिजनों में कोई मिनिस्टर बन गया, एम० एल० ए० या आई० ए० एस०, या कमिश्नर हो गया तो वह भी अपने को अलग समझने लगते हैं। आज जो दोस्त यह कहते हैं कि हरिजनों की रक्षा करने के लिये हरिजन अफसर चाहिये, मैं इस बात के हक में हूं। लेकिन यह एक ही बात नहीं हैं जिससे आप हरिजनों को बचा सकते हैं। मैंने ऐसे हरिजन भी देखे जो अफसर बनने के बाद गरीब आदमी के

साथ बात करने के लिये तैयार नहीं हैं। अपने पिता का इंट्रोडक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि वह अनपढ़ हैं। ऐसे दूसरे लोगों में भी हैं। मैंने कई मिनिस्टर देखे, पिता उसका गरीब था जेलों में जाता रहा देशभक्ति की वजह से इसलिए उसके बेटे को पार्टी ने टिकट दे दिया और वह बेटा ऊंचे ओहदे पर चला गया। लेकिन मैले कुचैले कपड़े पहने जो उसका गरीब पिता है उसको यह बताने के लिये तैयार नहीं कि यह मेरा पिता है। जब समाज में ऐसी बात है, अपने पिता और भाई को गिरा सकते हैं, तो उनमें कुछ गिरावट आयी और उन्होंने बिल्कुल कमी नहीं सोचा कि अपने भाइयों के साथ मिलें।

बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने हरिजनों के घरों में शादी करना छोड़ दिया। हमारे जो दो मिनिस्टर बैठे हैं यह तो बेचारे भले हैं। अपर क्लास वाले भी सोचते हैं कि अगर कोई हरिजन आई० ए० एस० बन जाये तो उसकी जाति माड़ी नहीं रह जाती है। अपर क्लास में शादियां बड़े अफसरों ने कितनी करवायी हैं इसका सर्वे करवा लीजिये। अब हरिजन मिनिस्टर हो जाये तो उसके यहां ब्राह्मण भी खाना खा कर खुश होगा और कहेगा कि मिनिस्टर के यहां खाना खाना है। लेकिन भंगी के यहां पानी नहीं पीयेगा। जब तक यह भावना नहीं मिटती उनकी गिरावट को कैसे ऊंचा उठाया जाय ? अपर क्लास के लोग जब किसीए स० पी० को, डी० सी० को इनको छोड़िये, पार्लियामेंट के मेम्बरान को कह सकते हैं कि तुम फरिश्ते नहीं बन गये, तो अफसरों को भी कह सकते हैं कि फरिश्ते नहीं बन गये। उनकी वजह से जैलसी और पैदा हो गई।

यह बात बड़े जोरों से चली कि लैण्ड रिफार्म, इकोनामिक डिस्पैरिटी इसका कारण है। नहीं यह कारण नहीं है। लैण्ड रिफार्म करने के बाद क्या हुआ ? लैण्ड रिफार्म बहुत से प्रान्तों में हो तो गया, लेकिन लैण्ड रिफार्म किसके लिये हुआ ? जो पहले ही मालिक था उसने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन लिख दी। और नतीजा क्या हुआ कि जमीन तकसीम हो गई और सीलिंग हो गई। और किसी ने जानवर के नाम पर तोता सिंह कह कर तोते के नाम पर अपनी जमीन लगा ली, और बची हुई हरिजनों को मिल गई। हरिजनों में नुक्स था कि वह गरीबी की वजह से 4, 5 एकड़ को नहीं सम्हाल सके। बड़े आदमियों ने वह भी ले ली जमीन और इससे नफरत और बढ़ गई कि अगर यह लैण्डलेस नहीं होते तो हमको जमीन नहीं मिलती। 20 पौइंट प्रोग्राम में एक बात यह थी कि लैण्डलेस एग्रीकल्चर लेबर को घर के लिये 4 परले जमीन दी जाय। तो देश में चार मरले का बंटवारा किया जाय। मुझे मालूम है बहुत से गांवों में पट्टा दे दिया गया.....

मुझे मालूम है कि बहुत से गांव में पट्टे दे दिये गये, जगह बांट दी गई, निशानी लगा दी गई, लेकिन इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी हुआ कि अच्छी तरीके से इम्पलीमेंटेशन हुआ। जिस आदमी का गांव में अपना घर न हो, जिस बेचारे की जमीन न हो, उस आदमी की हमारे हिन्दुस्तान में और समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह बेचारा पढ़कर शहर में आये और यहां आकर भीख मांगना अच्छा समझता है। आज भी गांव में बेजमीन इंसान बेशक उसकी आमदनी कुछ भी हो, वह शहर के पान बेचने वाली दुकान की जो मालिक है, उससे नीची जिन्दगी गुजारता है।

एक माननीय सदस्य : आप करेंगे क्या ?

श्री जैल सिंह : मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप सुझाव दीजिये कि क्या करना चाहिये। मेरे मन में भी है, मैं भी बताऊंगा, मैं सोच रहा हूं ।

पिपरा काण्ड के बाद मैं तो इस बात को सोच रहा था कि हिन्दुस्तान के 4, 5 आदमी भी इस बात का फैसला कर लें कि हमारी तमाम जिन्दगी इस काम के लिये लगेगी तो इसको ला सकते हैं। बगैर इरादे के होता नहीं। जब क्या होता है तो आंसू बहाते हैं, उसके बाद आंसू नहीं बहाते। लेकिन यह हमारी ड्यूटी है, मेरे पास यह महकमा है, गृह-मन्त्री के नाते भी ड्यूटी है, मैं किसी पर जोर नहीं देता। मैं मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मिलवतन से हम इन बातों को देख लें।

रिजर्वेशन से इनके खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया और उनके हौसले बढ़े और हौसले की वजह से वह अपना हक मांगने लगे। मिनिमम वेजेज एक्ट कहीं गांव में लागू नहीं हो सका। जहां 2, 4 बच्चे हरिजनों के पढ़ लिख गये, वह कहते हैं कि हमारी मेहनत क्यों नहीं देते ? पिपरा में जो कुछ हुआ, जहां 12 मरे या 14 मरे, उसमें कारण यही था कि उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत मांगी थी। उन्होंने कहा कि तुम मांगने वाले कौन हो ? उनको दूसरे लोगों ने मार दिया। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कफालटा में क्यों हुआ ? क्योंकि हरिजन के बेटे की शादी थी, वह घोड़े पर जा रहा था, उसको कहा कि तुमको कैसे हक हो गया घोड़े पर जाने का ? पहले वह घोड़े पर चढ़ते ही नहीं थे, बाजा नहीं बजाते थे। लेकिन अब हरिजनों को हिम्मत है। उसका मुकाबला दूसरे लोग हर जगह करते हैं। यह एक कारण बेवसी का है। इन बेवसों को, मजबूरों को हम किस तरीके से उनको बचा नहीं सके। बेवसी कितने हरिजनों में है, वह बेचारे किस काम में हैं, इसके लिये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे बजट का हिस्सा, कितना भी उन पर खर्च आये, उनकी बेवसी को हम देखें। मेरा अपना विचार है कि मुल्क अपने देश की रक्षा के लिये, अपने वार्डर को देखने के लिये जो जरूरी बातें हैं, उन पर बिल गुरेज खर्च करना चाहता है, सैकिण्ड जो गरीब हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिये।

आज भी समाज में, अकेले हरिजनों की बात नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के गरीबों को फिरकेदारी ने मार रखा है। क्या होता है, सोचता ठीक है, समझ जाता है लेकिन एक ऊंची जाति वाला भूखा मरता हो, खाने के लिये चाहिये, तो वह भी गरीबों के साथ बैठने को तैयार हैं हरिजनों के साथ नहीं क्योंकि गरीबों की गिनती हरिजनों से ज्यादा है, वह उनके साथ बैठने को तैयार है। मजहब हमको बांट देता है, जात-पाँत बांट देती है। हिन्दुस्तान का गरीब एक जगह पर नहीं।

हमारे चन्द्रजीत यादव भी वही तकरीर करेंगे, जो हम करेंगे। हमारे श्री दण्डवते जी बहुत देर से बैठे हैं, फ्रन्टरों में लीडरों में सिर्फ वही बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, यह पता नहीं, उनकी मेहरवानी है, हम तो मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि बैठना है, लेकिन हमारे भी लोग चले गये, उनके भी चले गये। इतनी भी तकलीफ हम सहने के लिये तैयार नहीं हैं। मतलब यह है कि गरीब को बाँट दिया हमने। क्योंकि आपने कहा कि हम ज्यादा मदद करते हैं, हमने कहा कि हम ज्यादा गरीब की मदद करेंगे लेकिन क्या हम करते हैं ? सारी पार्लियामेंट के लोग हैं, बड़े-बड़े लोग आ जायेंगे, गरीबों

की नजर में पता लग जायेगा कि यह सिर्फ वोट लेते हैं, हमारे पालिसी मेकर नहीं। शायद यह भी क्लीयर हो जाये, मगर इसका इलाज भी करेंगे, हमें कोड आफ कंडक्ट भी बनाना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : 12 बजे गए हैं।

श्री जैल सिंह : 12 बजे गए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह गैर-कानूनी कार्यवाही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कोई गैर-कानूनी नहीं है। आप अपनी बात कहिए।

श्री जैल सिंह : श्री भीष्म नारायण सिंह यह न कहें कि 24 तारीख को एजर्न नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सत्र में हैं। आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह गर कानूनी नहीं है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जुडीशियल एन्क्वायरी हो रही है या नहीं, यह बताएं।

श्री जैल सिंह : मैं पर्सनली इसके हक में हूं, लेकिन मेरे मन में एक शुबहा है कि यहां हुए हैं कत्ल और कत्ल करने वालों का भी पता चला है, जुडीशियल एनक्वायरी एक बहुत लम्बा प्रासेस होगा, उसमें ऐसा न हो कि कलप्रिट्स को मौका मिले कि वे अपनी जोरावरी और हिम्मत से शहादतों को बर्वाद कर दें और कहीं निकल जाएं। हम इस पर गौर करेंगे और रियासत की हुकूमत के साथ भी बात करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप स्टेट पुलिस को छोड़ कर सी० बी० आई० से जांच करवा सकते हैं। आप स्पेशल ट्रिब्यूनल बना सकते हैं।

श्री जैल सिंह : स्पेशल कोर्ट का तो फैसला हो गया है। जुडीशियल एनक्वायरी के बारे में सोचने की जरूरत है। हम फिर भी आपकी राय लेंगे, भले ही सेशन न हो। हमने इस बारे में स्टेट की सरकार से बात की है। जुडीशियल एनक्वायरी गवर्नमेंट के लिए नुकसान देह नहीं हुआ करती है। इस बात का डर नहीं है। इससे हमारे सामने सब तथ्य आ जाएंगे कि इस घटना के क्या कारण थे, वह कैसे हुई, आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। अगर हम बीमारी को समझ लें, तो उसका इलाज भी अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन एक बात का शक है : अगर हम जुडीशियल एनक्वायरी में पड़ गए, तो इसका फायदा कलप्रिट्स उठाएंगे। स्पेशल कोर्ट का तो फैसला हो गया है। आप भी सोच लीजिए। हम भी सोच सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अगर कफाल्टा जैसी बात फिर हुई, तो हरिजनों का विश्वास आप पर और किसी पर भी नहीं रहेगा। कफल्टा में जो हुआ है, उसका सारे देश पर बड़ा इफैक्ट हुआ है। जज ने कहा है कि मुझे अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में वरी करना पड़ रहा है। देश के लिए इससे ज्यादा कलंक की बात कोई नहीं हो सकती।

श्री जैल सिंह : मैं आपसे एग्री करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : अगर इस केस में भी अभियुक्त छूट गए, तो हरिजनों और गरीबों के सामने दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा ।

श्री जैल सिंह : सरकारी मशीनरी में अभी तक पूरी तरह से न तो समाजवादी भावनाएं पैदा हुई हैं, हम समाज में एकता लाना चाहते हैं और असमानता को खत्म करना चाहते हैं, न ही उनमें इसके लिए भावना पैदा हुई है और न ही पोलीटिकल पार्टियां इस बारे में कुछ कर सकी हैं । निगम भी बना लिए, फार्म पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे अंश बैठे हुए हैं, जो इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते ।

श्री आर० एन० राकेश : क्या हरिजनों को हथियार दे रहे हैं या नहीं ?

श्री जैल सिंह : इस बारे में मेरी पहली तकरीर का गलत मतलब निकाला गया । मैंने कहा था कि जहां ऐसे हालात हों, वहां पर उन लोगों को, गरीबों को, हथियार देने के लिए पुलिस को खुद कोशिश करनी चाहिए और सरकारी कीमत पर देने चाहिए । मैंने यह कहा था उनको हथियार दे दिए जाएं, जितने हथियार अपर क्लास के पास हों, उतने दे दिए जाएं, यह भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि उनका भी हौसला बुलन्द रहे । मगर यह भी सोचना चाहिए कि सबके हथियर ले लिए जाएं, कोई हथियार किसी के पास न रहे । इन दो बातों में हम उलझे हुए हैं कि क्या किया जाए । एक बिल हम लाए थे । वह राज्य सभा में आया और उसको हमने लोक सभा में रखना था । लेकिन जब यह देवली की घटना हुई, तो हमने सोचा कि इस पर और गौर कर लें और सब की राय लेकर एक काम्प्रिहेंसिब कानून बनाया जाए, ताकि यह मामला दुरुस्त हो सके ।

इस वक्त नाजायज असलाह रखने वालों के लिए बहुत कम सजा है । उसको देखना भी जरूरी है । लेकिन कहीं कहीं हथियारों की वजह से भी झगड़ा हो जाता है । जत्थेदार संतोखसिंह के पास भी राइफल थी और दूसरे के पास भी पिस्तौल था । अगर उन दोनों के पास कुछ न होता तो ज्यादा से ज्यादा मुक्की-घप्पा हो जाता, लाठी चल जाती और लोग उनको छुड़ा देते । लेकिन मिनटों में उन दोनों की जान चली गई ।

क्या रास्ता अख्त्यार किया जाए, इसके लिए आप भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं । हमने दो मीटिंग इस बारे में की है । इस हाउस में हम यह बिल लाना चाहते थे, लेकिन इस वजह से नहीं ला सके कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुचे थे ।

श्री राम विलास पासवान : वजट सैशन में लाइए ।

श्री जैल सिंह : हाँ, उसमें लाएंगे निश्चित तौर पर । इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : एनकाउन्टर वाला भी बतला दीजिए ।

श्री आर० एन० राकेश : उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउन्टर हुए हैं उसकी आप जांच करवाएंगे या नहीं ।

श्री जैल सिंह : एनकाउन्टर के लिए मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। आज की अपनी तकरीर में आपने कुछ दोष लगाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का यह सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी होगी। उनसे बात करने के बाद ही मैं कोई डेफिनिट जवाब आपको दे सकता हूं।

श्री आर० एन० राकेश : उस गवर्नमेंट और उस पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो फर्जी एनकाउन्टर हो रहे हैं उसकी आप जांच करवा लीजिए। संसद सदस्यों की एक कमेटी बना कर उसकी आप एन्क्वायरी करा लीजिए।

श्री जैल सिंह : अपनी एजेंसी से तो हम एन्क्वायरी करा लेंगे। लेकिन इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मशविरा करना होगा।

श्री ए० के० राय : आप एक स्पेशल होम गार्ड तो हरिजनों का बना सकते हैं टास्क फोर्स के माफिक जो कम्यूनल रायट्स का मुकाबिला करे, इसमें आपको कौन रोकता है ? आप सी आर. पी. एफ बनाते हैं, बी० एसस एफ० बनाते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं, एक ऐसी फोर्स भी बनाइए।

श्री राम विलास पासवान : देवली का जो आफिसर इंचार्ज है उसको वहां से हटाइए, वह सब घटना के एविडेंस को खत्म कर रहा है।

श्री जैल सिंह : बाबू जगजीवन राम जी ने कुछ सुझाव दिए। मैं उसकी चर्चा तो करता लेकिन वह चले गये। आज के हाउस में मैंने यह जरूर देखा कि मेम्बरों में जजबा तो बहुत है, सलाह मशविरा भी बहुत अच्छा दिया लेकिन मेम्बरों की इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि खुद बोल गए और उसके बाद छुट्टी कर गए। आप जब बोले हैं तो जिनको और बोलना है उनको भी सुनकर जाना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है कि मैं कोई हाउस का वक्त जाया न करूं और ज्यादा वक्त उसका अब न लूं क्योंकि जिनको सुनाना था वह तो चले गए।

श्री राम विलास पासवान : कुछ लोगों को छोड़ कर केवल हरिजन लोग हैं।

श्री जैल सिंह : बस, मैंने समाप्त कर दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं आपको क्रिसमस की शुभ कामनाएं देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे दृष्टांत रहे हैं। हम इसे जारी रख सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह पूरा हो गया है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : इससे पूर्व कि आप समाप्त करें, हमें आपको तथा सभा को क्रिसमस की शुभ कामनाएं देनी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक घोषणा की जानी है। (व्यवधान)

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली के दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के संदेश प्राप्त हुए हैं:—

(एक) "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने, सर्वश्री त्रेपन सिंह नेगी, रामलाल राही, चौधरी मुलतान सिंह और श्री जयपाल सिंह कश्यप, लोक सभा सदस्यों को, जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2.45 म० प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 661 दिनांक 24-12-81 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए जाने का आदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा।

उन्हें इस समय पुलिस थाना, मन्दिर मार्ग नई दिल्ली में रखा जा रहा है और शीघ्र ही मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जा रहा है।"

(दो) "कृपया इस कार्यालय का दिनांक 24-12-81 का पत्र देखें जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि सर्वश्री त्रेपन सिंह नेगी, रामलाल राही, चौधरी मुलतान सिंह और श्री जयपालसिंह कश्यप, लोक सभा सदस्यों को पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 661 दिनांक 24-12-81 के सम्बन्ध में भारतीय दन्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

उक्त संसद सदस्यों को 24-12-81 को पुलिस थाना, मन्दिर मार्ग, मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में 18.25 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने चेतावनी दे कर रिहा कर दिया।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रत्येक संदेश सभा को दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं आपको तथा सभा को क्रिसमस की बधाई देता हूं तथा इतने धैर्य के साथ सभा की कार्यवाही करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम सभा को 25 दिसम्बर, 1981 को स्थगित कर रहे हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सभा समय बढ़ाने का निर्णय कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं समझता हूं कि ऐसे दृष्टांत हैं। हम कह सकते हैं कि बैठक 24 दिसम्बर से थी और हमने उसे समाप्त कर दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु हम इसे 25 दिसम्बर को स्थगित कर रहे हैं। रिकार्ड को ठीक रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि हम पर दृष्टांत लागू होते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : वह दृष्टांत क्या हैं ? परन्तु यह सच है कि हम इसे 25 तरीख को स्थगित कर रहे हैं। यह रिकार्ड पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यही कहा था। श्री यादव आपने इस पर मेरा ध्यान दिलाया है ऐसी बातों में हमें दृष्टांतों से मार्गदर्शन मिलता है। अध्यक्ष, तालिका के सभी सभापतियों और स्वयं मेरी ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमें सभा की कार्यवाही चलाने में दिया। मैं आप को नववर्ष की शुभकामनांए देता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हमारी शुभ कामनाएं अध्यक्ष महोदय को पहुंचा दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

00.10

25.12.81 **तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई**

———